राजस्थान—

लिपिकवर्गीय (मन्त्रालयिक) एवम् चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम

लेखक

श्रीकृष्ण दत्त शर्मा

एम० ए०, एल एल० बी०

[एडवोकेट तथा सेवाविधि सलाहकार]

●

छिगनलाल जैन

●

चन्द्रहीरा बिल्डिंग (लक्ष्मी पेट्रोल पम्प के पास),
एम० आई० रोड जयपुर-302001

॥ ॐ श्री साईनाथाय नमः ॥

सुनीता, योगेश, मधुरेश
एवं वर्षा बालोच
को

सस्नेह-समर्पित

—दत्त

1979

प्रकाशक

ए-वन एजेन्सीज

चन्द्रहीरा बिल्डिंग,
(लक्ष्मी पेट्रोल पम्प के पास)
एम० आई० रोड, जयपुर-302001

मुद्रक

- सोलंकी आर्ट प्रिंटर्स,
  डिग्गी हाउस, जयपुर
- विनीता प्रिंटर्स, जयपुर

[अद्यतन संशोधित]

मूल्य 35/—

× लेखक की अन्य विधि रचनायें—

- Land Revenue Law in Rajasthan
- Tenancy Law in Rajasthan
- Law and Procedure of Disciplinary Proceedings (CCA) Rules
- Rajasthan Agricultural Produce Market Act
- Rajasthan Municipal Act and Election Orders
- अनुशासनिक कार्यवाही (भारत सरकार से पुरस्कृत)
- सेवा सम्बन्धी मामले एवं ट्रिब्यूनल कानून
- उपदान (ग्रेच्युटी) संदाय अधिनियम (व्याख्या)
- राजस्थान यात्रा भत्ता नियम

Purushottam Das Kudal
JUDGE
Rajasthan High Court

प्राक्कथन

राष्ट्रभाषा हिन्दी मे प्रशासनिक काय करने के लिए हमारा राज्य कृत-सकल्प है और इस दिशा मे प्रस्तुत पुस्तक एक महत्वपूर्ण योगदान है। सिविल सेवाग्रो विशेषकर लिपिक वर्गीय एव चतुर्थ श्रेणी, के लिए सेवा की शर्तों सम्बन्धी नियमो की पुस्तक का हिन्दी मे सर्वथा अभाव था। इस अभाव की पूर्ति मे यह पुस्तक सराहनीय कदम है, जिसमे लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो को अपनी सेवा की शर्तों व नियमों को समझने मे मार्गदर्शन मिल सकेगा। परिशिष्ट मे दिये गये विविध नियम तो अन्य सेवाग्रो के लिये भी उपयोगी होगे।

इस पुस्तक में 'विवेचना खण्ड'' मे इन नियमो के विभिन्न विषयों पर आठ अध्यायो मे व्याख्यात्मक अध्ययन दिया गया है, जो अद्यतन न्यायालय निर्णयो, अधिकरण के निर्णयो तथा सरकारी आदेशो पर आधारित होने से प्रामाणिक एव उपयोगी बन गया है। स्थान स्थान पर दिये गये उदाहरण विषय को स्पष्ट करने मे मदद करते हैं। हिन्दी में इस विषय पर पहली बार इस प्रकार की उपयोगी पुस्तक के लेखन के लिये लेखको का प्रयास प्रशसनीय है।

मुझे विश्वास है कि-यह पुस्तक प्रशासन, सरकारी कार्यालयो, कर्मचारियो एव अभिभाषक वर्ग सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाशन के लिये मैं लेखक तथा प्रकाशक दोनो को हार्दिक बधाई देता हू।

दिनांक 22 अगस्त 1979

(पुरुषोत्तम दास कुदाल)

निवेदन

अनेक वर्षों से मित्रो तथा सहयोगियो का आग्रह था कि—मन्त्रालयिक (लिपिक वर्गीय) सेवाओं सम्बन्धी नियमो पर हिन्दी में एक पुस्तक तैयार की जावे। इसके परिणाम स्वरूप हमने इस दुरूह कार्य को आरम्भ किया तथा ईश्वर की कृपा से आज यह पुस्तक पाठकों की सेवा मे समर्पित है। लिपिक वर्गीय कर्मचारियो को नियमो की दिन प्रतिदिन बदलती परिस्थितियो ने अनिश्चितता मे डाल दिया और फिर इन नियमो का हिन्दी अनुवाद उपलब्ध न होने से इनको समझने मे भी कठिनाई उठानी पडी। इस समस्या का समाधान कर सही मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के नियम भी हिन्दी मे कही उपलब्ध नही थे। अब हमने इस पुस्तक मे उनकी नियमावली भी प्रकाशित की है। इस प्रकार हिन्दी मे अपने विषय की यह पहली पुस्तक है।

इस पुस्तक मे सर्वप्रथम विभिन्न लिपिक वर्गीय सेवाओ की चार नियमावलियाँ दी गई है—(1) अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1957, जो सचिवालय, राज्य विधान सभा, उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ सिविल न्यायालयो और लोक सेवा आयोग के कार्यालयो को छोडकर, अन्य समस्त कार्यालयो के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। (1) सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970, जो सचिवालय के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। "राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती एव सेवा शर्ते) नियम 1952" के नियम 9 के अधीन जिन मामलो म नियम शान्त हैं, सचिवालय की नियमावली विधानसभा सचिवालय के लिपिक वर्ग पर भी लागू होती है। (3) अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1958, जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयो के लिपिक वर्ग पर लागू होते हैं। (4) राजस्थान पचायतसमिति एव जिलापरिषद् सेवा नियम 1959, जो पचायत समिति/जिला परिषद के विभिन्न पदो पर लागू होते हैं। इस प्रकार समस्त लिपिक वर्गीय सेवाओ के नियम आपको इस पुस्तक मे मिलेंगे। इनके बाद "चतुर्थश्रेणी (भर्ती एव सेवा शर्ते) नियम 1963" दिये गये हैं, जो सभी सरकारी कार्यालयो मे प्रभावशील हैं।

खण्ड 2 (मे) विवेचनात्मक अध्ययन में इन सभी के "नियमावली प्रसग' देकर सभी विषयो को आठ अध्यायो मे प्रस्तुत किया गया है, जिसमे सरकारी निर्देशो और न्यायालयो तथा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयो सहित व्याख्या दी गई है। नियमो को समझने के लिये अध्याय (1) मे मार्गदर्शन दिया गया

है। आप जिस विषय को देखना चाहे, उसकी अध्याय मे "नियमावली प्रसग' देखिये, फिर उस नियम को पढिये और फिर उस अध्याय को। इस प्रकार आप इस पुस्तक का आसानी से लाभ उठा सकेंगे। पुस्तक मे जहाँ 'अपील स०' या 1978 RLT" का उल्लेख फुटनोट मे किया गया है, वे "राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण" (ट्रिब्यूनल) के निर्णय हैं, जो पत्रिका "Rajasthan Law Times' मे प्रकाशित होते हैं। इनके साराश 'लेखा विन' मे भी समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं।

'परिशिष्ट' मे—इन नियमो से सम्बन्धित कुछ नियमावलियो का हिन्दी पाठ प्रस्तुत किया गया है, जो अप्राप्य थी। कृपया इनके नाम 'नियमावली-तालिका" मे देखिये।

आशा है, यह पुस्तक सरकारी सेवाओ के लिये एक अनुपम तथा लाभदायक ग्रन्थ के रूप मे सहायक सिद्ध होगी।

इस पुस्तक का प्राक्कथन लिखकर माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरुषोत्तमदास कुदाल ने हमे आशीर्वाद देकर प्रोत्साहन दिया है, हम उनके हृदय से आभारी हैं। इस पुस्तक के लेखन एव सकलन में हमारे अनन्य मित्र श्री रणवीर सिंह गहलोत, सहायक सचिव, राजस्थान विधान सभा सचिवालय का सहयोग सदा की भांति-प्रेरणादायक रहा। हमे चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमो को सम्मिलित करने की प्रेरणा श्री रामजी लाल शर्मा, (प्रान्तीय सचिव, राजस्थान सहायक कर्मचारी सघ, जयपुर) से मिली और उन्होंने सकलन मे हमारी पूरी मदद की। कागज एव मुद्रण की भयकर महगाई के बावजूद हमारे अनन्य मित्र एव प्रकाशक श्री कैलाश चन्द्र शर्मा तथा श्री गणपत लाल शर्मा, (ए-वन ऐजेन्सीज) ने जिस लगन परिश्रम और साहस से इसके मुद्रण व प्रकाशन की व्यवस्था की, उसी के परिणाम स्वरूप यह पुस्तक हम पाठकों की सेवा मे प्रस्तुत कर सके हैं। हम इन सब के आभारी हैं।

दिन प्रतिदिन बदलते नियमो की बाढ मे हम जो कुछ प्राप्त कर सके, उसे हमने पाठको को भेंट कर दिया है। इस पुस्तक मे कोई भूल, त्रुटि या मतान्तर विद्वान् पाठकों के ध्यान मे आवे, तो हमे अवगत कराने की कृपा करें, ताकि भविष्य में उसका निराकरण किया जा सके।

अन्त में प्रमुखरूप पाठको को हम यह नूतन पुस्तक समर्पित करते हैं।

जय गोविन्द!

दधीचि कुटीर
B-24, गोविन्दपुरी (पूर्व)
न्यारामगढ रोड,
जयपुर-302002

एस एन जैन

अनुक्रमणिका

नियमावली तालिका

[*परिशिष्ट सहित]

न

*परिशिष्ट मे— [पृष्ठ सख्या 1 से पुन प्रारम्भ होती है]

खण्ड (2)—

विवेचना खण्ड

मन्त्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी नियमावली का

व्याख्यात्मक–अध्ययन

छपते-छपते ◎ नवीनतम संशोधन

[कृपया निम्नांकित संशोधनों को पहले पुस्तक मे उचित स्थान पर पर चिह्न लगाकर पृष्ठ सं० लिख लीजिये, ताकि संशोधन ध्यान मे रह सकें। कष्ट के लिये क्षमा करें]

अधीनस्थ कार्यालय नियमावली मे—

पृष्ठ संख्या 88 तथा 8 पर देखिये ।

सचिवालय नियमावली मे—

पृष्ठ संख्या 99, 149 तथा viii पर देखिये ।

नवीनतम-सशोधन-1979 —छपते छपते

1 *कनिष्ट लिपिक प्रतियोगी परीक्षा

कृपया पृष्ठ 91 से 95 तक प्रकाशित पाठ्यक्रम मे निम्न सशोधन कर लें—

(1) पृष्ठ 92 पर-खण्ड 'क' के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित करें—

खण्ड 'क'-समस्त अभ्यर्थियो के लिए

1 सामान्य अध्ययन, दैनिक-विज्ञान तथा ताजा मामले (Current-affairs)	100
2 सामान्य हिन्दी	100

(2) पृष्ठ 93-94 पर "खण्ड 'क' अनिवार्य प्रश्नपत्र" के स्थान पर निम्न प्रतिस्थापित करें—

खण्ड 'क'-अनिवार्य प्रश्न पत्र—इन विषयो का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मण्डल की सेकेण्डरी-परीक्षा का होगा।

1 सामान्य अध्ययन—यह प्रश्नपत्र ज्ञान के निम्नांकित क्षेत्रों को आवृत करेगा—(क) सामान्य विज्ञान, (ख) राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की ताजा घटनायें, (ग) भारत का इतिहास तथा भूगोल, (घ) भारतीय नीति तथा आर्थिक व्यवस्था, (ड) भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, तथा (च) अक गणित—.0 अक की (दैनिक गणना करने मे गति व शुद्धता की परख करने के लिये)।

2 सामान्य हिन्दी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा मे प्रवीणता की परख करने के लिये होगा और इसमे बहुत से दिये गये विषयो में से एक पर निबन्ध लिखना, साराश लेखन, पत्रलेखन, मुहावरो का प्रयोग, वाक्यो को शुद्ध करना, शब्द युग्मो (जोडो) मे अन्तर आदि सम्मिलित होगे।

(3) पृष्ठ 94 पर—"खण्ड 'ख ऐच्छिक विषय" के नीचे विषयो की "क्रम सख्या 5, 6 व 7" की बजाय "क्रम स 3, 4 व 5" प्रतिस्थापित कीजिए।

2 अधीनस्थ कार्यालय नियमावली मे

पृष्ठ 60 पर नियम 26 ग (2) के नीचे निम्न नया परन्तुक जोडे—

XX "परन्तु यह और है कि—उन विभागो के मामले मे जहा नियुक्ति प्राधिकारी अकेला है या नियुक्ति प्राधिकारी का केवल एक अधीनस्थ अधिकारी ही उपलब्ध है, तो सम्बन्धित विभाग का प्रभारी उप शासन-सचिव समिति का एक सदस्य होगा।"

---

* उपरोक्त सशोधन वि सं 5 (8) DOP/ A-II/77 Pt V दिनाक 15 जून 1979—जी एस आर 21 द्वारा "सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली" की अनुसूची II के भाग (5) मे तथा जी एस आर 22 द्वारा "अधीनस्थ कार्यालय नियमावली की अनुसूची I भाग (2) मे प्रति स्थापित किया गया। राजस्थान-राजपत्र, विशेषांक, भाग 3 (ग) I दिनांक 16 जून 1979 मे पृष्ठ 45-149 पर प्रकाशित।

XX वि सं एफ 7 (6) DOP/A-II/ 75 Pt II दिनाक 21 जून 1979 द्वारा जोडा गया।

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय
लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1957[1]

[Rajasthan Subordinate Offices Ministerial Staff Rules 1957]

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ कायालया मे लिपिक वर्गीय स्थापन मे नियुक्त व्यक्तियो की भर्ती तथा सेवा सम्बन्धी शर्तों को विनियमित करन हतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

भाग (1) साधारण

1 **संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागू होना**—इन नियमा का नाम 'राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957' ह, और ये तुरन्त प्रवृत्त होगे।

2 **वतमान नियमा एव आदेशो का अतिष्ठन**—इन नियमो के अन्तगत आनेवाले मामलो से सम्बन्धित समस्त वतमान नियम और आदेश [अतिष्ठित हो जायेंगे][2], किन्तु ऐसे वतमान नियमो और आदेशा के अनुसरण मे की गई कोई कायवाही इन नियमो के अधीन की गयी कायवाही समझी जाएगी।

परन्तु यह है कि—

(i) ये नियम राजस्थान राज्य के पुनगठन पूव की सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया म अधीनस्थ कायालया म मन्त्रालयिक पदो पर व्यक्तियो की नियुक्ति पर, जो कि सेवाओ के ऐसे एकीकरण को विनियमित करने वाले नियमो और सरकार के आदशा के अनुसार हा लागू नही हागे,

(ii) ये नियम राज्यपुनगठन अधिनियम के अधीन नये राजस्थान राज्य को आवटित पुनगठन-पूर्व के बम्बई तथा मध्यभारत राज्यो तथा तत्कालीन अजमेर राज्य के कमचारिया के एकीकरण की प्रक्रिया मे अधीनस्थ कार्यालयो मे मन्त्रालयिक पदा पर व्यक्तियो की नियुक्ति पर लागू नही होंगे।

---

1 नियुक्ति (ग) विभाग विनप्ति स F 10(1) Appts (A)/55 दिनाक 10 मई 1957 द्वारा राजस्थान राजपत्र, साधारण, भाग 4 (ग), दिनाँक 20 जून 1957 को प्रथमबार प्रकाशित। अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद।

2 शब्दावली "एतद्द्वारा अतिष्ठित किये जात हैं" के स्थान पर प्रतिस्थापित। विज्ञप्ति स F 7(18) नियुक्ति (डी)/59 दिनाक 28-7-1961

3 स्थापन की प्रास्थिति (Status of the Staff)––इस स्थापन की प्रास्थिति लिपिक वर्गीय (मत्रालयिक) सेवा है।

4 परिभाषायें––जब तक कि किसी विषय या सदभ म कोई बात अयथा अपेक्षित न हो इन नियमा मे––

(क) "**नियुक्ति प्राधिकारी से अभिप्रेत है**––विभागाध्यक्ष या सरकार की अनुमति से विभागाध्यक्ष द्वारा स्थापन म नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त ऐसा अधिकारी, उसे प्रदत्त प्राधिकार की सीमा तक।

क्ष्परतु यह है कि––जिलाधीश कार्यालयो के कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के सम्बन्ध मे नियुक्तिप्राधिकारी राजस्वमण्डल होगा।

(ख) "**आयोग**' से राजस्थान लोकसेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) '**सीधीभर्ती** (direct recruitment) स पदोन्नति या स्थानान्तर द्वारा के अतिरिक्त नियम 7 म वर्णित भर्ती अभिप्रेत है

(घ) [3] '**सरकार**' **और** '**राज्य**' से क्रमश राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है

(ङ) "**विभागाध्यक्ष**' से अधीनस्थ कायालय के सम्ब ध मे सरकार के अतिरिक्त सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी से अभिप्रेत है,

(च) '**अनुसूची**' से इन नियमा की अनुसूची अभिप्रेत है,

(छ) '**स्थापन** (स्टॉफ) से विभागाध्यक्ष के अधीन अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयो मे यथास्थिति, लिपिक वर्गीय स्थापन से अभिप्रेत है,

(ज) **अधीनस्थ कार्यालय** से सचिवालय, या राज्य विधानसभा या उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयो या लोक सेवायाग के कार्यालय के अतिरिक्त सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी कायालय से अभिप्रेत है,

[4](झ) "**कनिष्ठ डिप्लोमा कोस**" से राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा कनिष्ठ डिप्लोमा दिये जाने के लिये आयोजित सचिवालय तथा व्यापार प्रशिक्षण विषय के कनिष्ठ डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कोस) से, या ऐसे ही किसी समान डिप्लोमा से अभिप्रेत है, जो भारत मे किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता हो और जो सरकार द्वारा आयोग के परामश से इसके तत्समान मान लिया गया हो,

---

क्ष वि स एफ ५ (1)DOP/A-II/78 G SR 13 दिनाक–18 4 1978 द्वारा जोड़ा गया।

3 वि स एफ 7(10) कार्मिक (क-II)/74 दि 10 2-1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 वि स एफ 10(1) नियुक्ति (क)/55 दि 14-7-1962 द्वारा जोड़ा गया।

[5](ञ) अधिष्ठायी नियुक्ति (*Substantive Appointment*)—से इन नियमो के अधीन विहित भर्ती के तरीका मे से किसी द्वारा समुचित चयन के बाद किसी अधिष्ठायी रिक्तस्थान पर इन नियमा के प्रावधानो के अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसम परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) के रूप मे नियुक्ति सम्मिलित है जो परिवीक्षा काल की समाप्ति पर पुष्टीकरण द्वारा अनुसरित हो।

टिप्पणी—"इन नियमो के अधीन विहित भर्ती के तरीका मे से किसी' शब्दावली म आवश्यक अस्थाई नियुक्तिया (urgent temporary appointments) के अतिरिक्त, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये किन्ही नियमा के उपबन्धा क अनुसार की गई भर्ती सम्मिलित होगी।

[6](ट) "सेवा" (Service) या "अनुभव" (Experience), जहाँ कही इन नियमो मे एक सेवा से दूसरी मे या उसी सेवा मे एक श्रेणी (कैटगरी) से दूसरी मे या वरिष्ठ पदो पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदा को धारण करने वाले व्यक्ति के मामले मे, पदोन्नति के लिय एक शत के रूप मे विहित है, उसम वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमे उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परन्तुक क अधीन बने नियमा के अनुसार नियमित भर्ती के बाद ऐसे पदो पर लगातार काय किया है और इसमें वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानापन्न, अस्थाई या तदर्थ (एडहॉक) नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसे नियुक्ति पदोन्नति की नियमित पक्ति मे की गई हो और वह स्थान पूर्ति के लिये या आकस्मिक (अवसर) प्रकार की या किसी विधि के अधीन अवैध नही हो तथा उसमे किसी वरिष्ठ कमचारी का अतिष्ठन (Supersession) अन्तवलित न हो, सिवाय जब कि—या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओ की कमी, अयोग्यता (unfitness) या योग्यता (मेरिट) द्वारा अचयन या सम्बन्धित वरिष्ठ कमचारी के दोष (default), [7][या जब ऐसी तदर्थ या आवश्यक अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता सह-योग्यता के अनुसार थी], के कारण से ऐसा अतिष्ठन हुआ हो।

टिप्पणी—सेवा के दौरान अनुपस्थिति, जैसे-प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि, जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन कतव्य (duty) मानी जाती है, भी पदोन्नति के

---

5 वि स एफ 7(3) DOP (A II)73 दि 5-7 1974 तथा दि *11-2-1975* के शुद्धिपत्र द्वारा निविष्ट।

6 वि स एफ 6(2) नियुक्ति (क II) 71-I दिनाक *9 10 1975* द्वारा निविष्ट तथा दि 27-3-1973 से प्रभावशील।

7 वि स एफ 6(2) नियुक्ति (क-II) 71 दि *13-7-1976* द्वारा निविष्ट तथा दि 1-10 1975 से निविष्ट समझा जावेगा।

लिये आवश्यक न्यूनतम अनुभव या सेवा की सगणना के लिये सेवा के रूप मे सगणित की जावेगी।

5 निवचन (व्याख्या)--जब तक सन्दभ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमो के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

भाग-(2) सवर्ग (कॅडर)

6 स्थापन की सख्या (Strength of the Staff)---(1) स्थापन की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय समय पर तय करे,

परन्तु यह है कि---किसी रिक्त स्थान को नियुक्ति प्राधिकारी खाली रख सकेंगे या सरकार (उसे) प्रास्थगित रख सकेगी, जिसके लिये किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर (मुआवजा) पाने का अधिकार नही होगा।

(2) स्थापन म [10][निजी सहायक और] आशुलिपिको का एक नवग तथा निम्न लिखित श्रेणियो के पदो मे स एक या अधिक का एक साधारण सवग होगा, जो सरकार समय समय पर तय करे---

सहायक पजीयक राजस्व मण्डल [1]
प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी,[2]
अधीक्षक श्रेणी प्रथम,
[10][निजी सहायक,[3] । विलोपित]
अधीक्षक श्रेणी द्वितीय,
परिवेक्षक (सुपरवाइजस),[4]
[× × ×][5]
सहायक (एसिस्टेन्टस)[6]

---

1 वि स एफ 3(3) Apptts (A-II)/73, दिनाक 11-5 1974 द्वारा निविष्ट।

2 वि स एफ 3(7) DOP (A II) 75, दिनाक 20 9-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनाक 1-5-1975 से प्रभावशील।

3 वि स एफ 3(2) DOP (A-II)/77, दिनाक 26 10 77 द्वारा निविष्ट।

4 वि स एफ 10 (1) Aqptts (A)/55 2-2-1973 के खण्ड 22 द्वारा निविष्ट।

5 वि स एफ 10 (1) Apptts (A)/53, दि 16 6-1959 द्वारा शब्द लेखाकार" विलोपित किया गया।

6 वि स एफ 10(1) Apptts (A)/55 दि 28 10 1967 के खण्ड 24 द्वारा जोडा गया।

मुख्य लिपिक (हैडक्लर्क), विभागाध्यक्ष कार्यालयो मे
मुख्य लिपिक (अन्य कार्यालयो मे, कार्यालयो के सैक्शनो के प्रभारी लिपिक)
लेखा लिपिक
अवेक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग,[7]
कनिष्ठ अवेक्षक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग[9]
[10] [आशुलिपिक (स्टेनोग्राफर क्लर्क)[8]] विलोपित
वरिष्ठ लिपिक (U D C)
कनिष्ठ लिपिक (L D C)

टिप्पणी—उपनियम (2) मे वर्णित श्रेणियो मे से किसी पर प्रभावशील वेतनमान मे अधीनस्थ कार्यालय के किसी मन्त्रालयिक पद को इन नियमो के प्रयोजनार्थ उसी श्रेणी का पद माना जावेगा।

भाग (3) भर्ती (*Recruitment*)

7 भर्ती के तरीके—(1) इन नियमो के लागू होने के बाद स्थापन के लिए भर्ती (निम्न प्रकार से) की जायेगी—

[1][(क) आशुलिपिको के सवर्ग मे आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप मे इन नियमो के भाग (5) के अनुसार तथा इन नियमो से सलग्न अनुसूची I के भाग II मे विहित अर्हता-परीक्षा के द्वारा,]

[2][(ख) कनिष्ठ लिपिक (L D C) के साधारण सवर्ग मे, उनमे से जो जूनियर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करते हैं या कर चुके हैं। शेष रिक्तियां यदि कोई हो, आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरी जावेंगी।]

---

7 वि स एफ 1(13) Apptts (A II)/62, दि 19 6-1968 द्वारा जोडा गया।

8 वि स एफ 10(1) Apptts (A)/55, दि 14 7-1962 द्वारा निविष्ट।

9 वि स एफ 1(13) Apptts (A-II)/62, दि 19–6–1968 द्वारा निविष्ट।

10 वि स एफ 3(4) DOP (A 2)77 दिनाक 15-3-78 द्वारा निविष्ट तथा विलोपित।

1 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनाक 15 3 1978 द्वारा निम्न के लिए प्रति स्थापित '(क) आशुलिपिक के सवर्ग मे आशुलिपिक श्रेणी तृतीय के रूप मे चयन द्वारा"

2 वि स F 10 (1) Apptts (A)/55 दिनाक 14 7 1962 द्वारा '(ख) साधारण सवर्ग मे कनिष्ठ लिपिक के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और' के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

[3][परन्तु यह है कि—"राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) मय बागान सिंचाई, जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभागकाय-प्रभारित कमचारी सेवा नियम 1964" से आवृत्त किसी विभाग मे या कार्मिक विभाग मे सरकार द्वारा अनुमोदित ऐसे विभाग मे दैनिक मजूरी या आकस्मिक काय प्रभारित आधार पर पहले नियोजित व्यक्तियों को जो ऐसे पदो पर जो आरम्भ मे स्वीकृत किये गये थे और नियमित स्थापन पर लाये गये ये आमेलित (adsorbed) किया जा सकेगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छानबीन (स्क्रीनिंग) के बाद केवल एक बार उन पदो पर नियुक्त किये जा सकेंगे, जिनको प्रशासनिक विभाग मे सरकार द्वारा समान घापित किया जाय, यदि उन्होने उस वप की पहली जनवरी को, जिस मे काय प्रभारित पदा को आरंभिक रूप से नियमित पदा म परिवर्तित किया गया था कम से कम दो वप की सेवा पूरी करली हो और उनकी उपयुक्तता की सरकार द्वारा आदेश मे दिये गये साधारणतया या विशेषतया निर्देशो के अनुसार परख (जाच) कर ली गई हो।

स्पष्टीकरण— कायप्रभारित कमचारियो" का वही अथ है, जैसा कि राजस्थान सावजनिक निर्माण विभाग (भवन एव पथ) मय बागान, सिंचाई जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभाग काय भारित कमचारी सेवा नियम 1964 मे परिभाषित किया गया है।

[4][परन्तु यह है कि खान एव भूगभ विभाग मे नाकेदार (नियमित या कायप्रभारित) के रूप मे पहले से नियुक्त व्यक्तियो को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कनिष्ठ लिपिका के पद पर जो पद मूलत इस प्रकार स्वीकृत थे और कनिष्ठ लिपिक के पदा मे परिवर्तित किय गये या ऐसे पदा को नियमित स्थापन पर ले लिया गया, यदि वे सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीण ह, तो इन नियमा के अधीन विहित उच्च आयु सीमा टकणगति व राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा का शिथिलीकरण करत हुए आमेलित (adsorbed) तथा नियुक्त किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—"काय प्रभारित कमचारी' से किसी निर्माण काय मूल तया सभाल दोना के निष्पादन और/या देखभाल, विभागीय श्रमिक भण्डार, मशीनरी

---

3 वि स एफ 3 (4) DOP A–II/75 दि 26 6 1976 द्वारा निविष्ट

4 वि स एफ 3 (1) कार्मिक (क–2) 76 GSR 84 दिनाक 30 8 1978 द्वारा निविष्ट जो दि 1 10 1973 से 31 12 1975 तक प्रवृत्त रहेगा।

तथा निमाणकार्य आदि की देखभाल के लिये दैनिक या मासिक आधार पर भुगतान पाने वाले वास्तव मे नियोजित किसी कमचारी अभिप्रेत है ।

[5][(ग) वरिष्ठ लिपिको के पद पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ।]

5　वि स एफ 3(3) DOP/क-2/75 दिनाक 16 जनवरी 1978 द्वारा निम्न के लिए प्रति स्थापित—

&[(ग) वरिष्ठ लिपिका के पदा पर 100% पदो नति द्वारा (67% वरिष्ठता सह योग्यता से और 33% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से, सम्बन्धित विभाग के उन कनिष्ठ लिपिका मे से

जिन्होने कनिष्ठ लिपिक के रूप मे सात वष की सेवाये पूरी करली हो ।)

इन नियमो मे किसी बात के होते हुए, ऐसे व्यक्ति भी जो सीधी भर्ती द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर इस सशोधन की दिनाक तक नियुक्त किये जा चुके हैं, उपरोक्त खण्ड के अधीन सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले 33 प्रतिशत के कोटा के विरुद्ध भर्ती के लिये पात्र (eligible) होगे। यदि वे दो प्रयासो (attempt) मे सफल नही होते है, तो उनकी सेवाये तुरन्त समाप्त (terminated) कर दी जावेंगी, या यदि उन्होने तीन वष से अधिक की सेवा पूरी करली हो और उनका आचरण सन्तोषजनक पाया गया हो, तो उनको करुणता के आधार पर कनिष्ठ लिपिक का पद दिया जा सकेगा, यदि यह उनको स्वीकार्य हो। ऐसे व्यक्तियो को अधिशेष (सरप्लस) कमचारी माना जावेगा और राजस्थान सिविल सेवाय (अधिशेष कमचारियो का आमेलन) नियम 1969 के अधीन उनका आमेलित किया जायेगा ।]

वि स एफ 3 (11) कार्मिक (क-2)/74 दिनाक 3 2 1975 द्वारा निम्न के स्थान पर उपरोक्त & प्रतिस्थापित—

(ग)　वरिष्ठ लिपिको के पद पर, आशिक रूप से उन मे से जिन्हाने जूनियर डिप्लोमा कोस मे 65% या अधिक अक प्राप्त किये हो या 29 माच 1965 तक स्वणकारो मे से और आशिक रूप से कनिष्ठ लिपिको की पदोन्नति द्वारा, 1 2 के अनुपात मे ।

स्पष्टीकरण—दिनाक 3 1962 से निर्वाचन पर्यवेक्षको (इलेक्शन सुपरवाइजस) के पदो को वरिष्ठ लिपिक के रूप मे पुनपदनामाकित करने पर उनम से भी इन पदा का भरा जायेगा ।

टिप्पणी—वरिष्ठ लिपिकों के सवग मे पदोन्नति के अलावा अन्य प्रकार से भरी जाने वाले पदा की सख्या मे यदि कोई रिक्त स्थान रहते हैं, तो उनको आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा भरा जावेगा ।

वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क)/55 दिनाक 16 6 1959 द्वारा नया खण्ड (ग) प्रथम बार जोडा गया था, जो इस प्रकार है—

(ग)　वरिष्ठ लिपिका के पदो पर, आशिक रूप से आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा तथा आशिक रूप से कनिष्ठ लिपिको की पदोन्नति द्वारा ।"

(घ) प्रत्येक सवर्ग के अन्य पदो पर उसी में पदोन्नति द्वारा

नियम 7(1) के परन्तुक

परन्तु यह है कि—

(1) किसी सवर्ग का कोई पद विभागाध्यक्ष की सहमति से, दूसरे विभाग में उस पद के तत्समान पद धारण करने वाले व्यक्ति के स्थानान्तर द्वारा भी भरा जा सकेगा।

[6](2) (i) अस्थाई रूप से 1 9 1968 को या इसस पहले कनिष्ठ लिपिक के रूप मे नियुक्त व्यक्तियो को स्पष्ट रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर तथा उनका काय सतोषप्रद पाया जाने पर[7] [1 9 1968 से] स्थायी बना दिया जावेगा।

कनिष्ठ लिपिक के रूप मे कायरत एक व्यक्ति जिसका काम सतोषप्रद नही पाया जाता है, उसे सेवा से हटा दिया जावेगा—

(i) यदि उसने अस्थायी रूप से राज्य क कायकलापों के सम्बन्ध मे तीन वष से कम के लिये सेवा की है, तो एक माह का नोटिस देते हुये,

(ii) यदि उसने तीन वष से अधिक के लिये सेवा की है, तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 में दिये गये तरीके का पालन करते हुये,

[8](ii) वरिष्ठ लिपिक के पद पर 1 1 1962 को या इसके बाद परन्तु 31 10 1975 के पहले सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदो के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति जो ऐसा पद या उच्चतर पद लगातार धारित कर रहे हों, इन नियमो के अधीन नियमित रूप से नियुक्त किये गय समझे जावेंगे,

---

6 वि स एफ 1 (18) Appts (A–II) 69 दिनांक 19 8 1969 द्वारा निम्न लिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

(2) कोई व्यक्ति, जो एक जनवरी 1962 से पहले अस्थायी आधार पर सेवा म सम्मिलित हो गया था, सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों पर आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर एक कनिष्ठ लिपिक या एक वरिष्ठ लिपिक के रूप में, जैसा भी हो, स्थायी बना दिया जावेगा।"

7 वि स एफ 18 (2) नियुक्ति (क–2) 69 दि 16 2 1976 द्वारा निविष्ट।

8 वि स एफ 3 (3) DOP/A–II/75 दिनाक 16 1 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रति स्थापित—

*"(ii) एक व्यक्ति जो सीधी भर्ती से भर जाने वाले किसी पद के विरुद्ध एक जनवरी 1962 के पहले वरिष्ठ लिपिक के रूप मे अस्थायी रूप मे नियुक्त किया गया था, और— [क्रमश

परन्तु यह है कि वह इन नियमों की अनुसूची I के भाग I में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करता है/करती है, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद केवल दो बार के लिए आयोजित की जावेगी। यदि वह दो प्रयासों में सफल नहीं होता/ होती है, उसकी सेवायें आगे के लिए समाप्त (टरमिनेट) कर दी जायगी या उसने तीन वर्ष से अधिक की सेवा कर ली हो और उसका आचरण सन्तोषप्रद पाया जावे, तो उसे करुणता के आधारों पर कनिष्ठ लिपिक का पद प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि वह (पद) उसको स्वीकार्य हो। ऐसे व्यक्ति अधिशेष कनिष्ठ लिपिक के रूप में माने जावेंगे तथा राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कर्मचारियों का आमेलन) नियम 1969 के अधीन अन्तर्लित किये जावेंगे।]

पिछले पेज से—

(क) जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सका, या

(ख) (उस) कथित दिनांक के बाद (उस) कथित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ

—(उसे) वरिष्ठ लिपिक के रूप में पुष्ट (कनफम) कर दिया जावेगा, परन्तु (शर्त) यह है कि—वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों के अधीन जो सरकार तय करे, तत्पश्चात् एकबार आयोजित अगली परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है।

विज्ञप्ति स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) /55 भाग XXV दिनांक 10 5 1972 द्वारा निम्न के स्थान पर उपरोक्त *प्रति स्थापित -

(ii) 1 1 1962 से पहले वरिष्ठ लिपिकों के रूप में अस्थायी रूप से भर्ती किये गये व्यक्तियों को, जो—

(क) उपरोक्त दिनांक के बाद नियुक्ति अधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सका हो, या

(ख) कथित परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो,—केवल (1) जूनियर डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण कर लेने पर जिसमें कम से कम 65 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, या

(2) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर—पुष्ट (कनफम) कर दिया जावेगा।"

[9][(3) सम्बन्धित नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा इन नियमो के नियम 9 के अधीन विनिश्चित किये गये कनिष्ठ लिपिको के रिक्त स्थानो की कुल सख्या का 10 प्रतिशत, उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो में से×[पदोन्नति द्वारा] भरे जाने के लिए आरक्षित रखा जायेगा, जो सम्बन्धित विभाग मे पाच वर्ष तक सेवा कर चुके हो और इन नियमो द्वारा कनिष्ठ लिपिक के पद के लिये विहित शैक्षणिक अर्हतायें रखते हो।]
[× × विलोपित[10]]

[11](4) राज्य बीमा विभाग के साधारण सवर्ग मे पर्यवेक्षको (सुपरवाइजर्स) के पदो को 100 प्रतिशत उसी सवर्ग में से तीन वर्ष के लिये 'सहायक' के रूप मे कार्यरत सहायको मे से पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा।

[11](5) [विलोपित × × ×]

---

9 वि स एफ 11 (6) DOP/ ‑2/76/GSR 2 दिनाक 30 मार्च 1978 द्वारा निम्न के लिय प्रतिस्थापित राजपत्र मे दि 6 4 1978 को प्रकाशित तथा × शुद्धि पत्र दिनाक 12 7 1978 द्वारा सशोधित–

(3) प्रत्येक विभाग मे कनिष्ठ लिपिको के पदो के कुल रिक्त स्थानो का 10 प्रतिशत उन चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियो की नियुक्तियो के लिये सुरक्षित होगे, जिन्होने मेट्रिकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण करली है और जो अधिष्ठायी हैं तथा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा मे उत्तीर्ण (Qualify) हो जाता है परन्तु शर्त यह है कि— ऐसे उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न होने पर इस प्रकार सुरक्षित रिक्त स्थान आगे ले जाने की आवश्यकता नही है, परन्तु प्रायिक (सामान्य usual) रूप से भरे जावेंगे।

[उपरोक्त (3) वि स एफ 1 (18 नियुक्ति (क–2) 63 दिनाक 17 3 1964 द्वारा जोडा गया था]

10 वि स एफ 11 (6) DOP/ A II /76 GSR 29 दिनाक 19 सितम्बर 1978 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार था—

"और हिन्दी मे 20 शब्द या अग्रेजी मे 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टकण परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुका हो। जिला स्तर पर एक सयुक्त टकण परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसकी देखभाल एक समिति द्वारा की जावेगी जिसमे जिलाधीश द्वारा मनोनीत दो जिला स्तरीय अधिकारी होगे तथा जिला नियोजन अधिकारी उसके सयोजक होंगे। जयपुर मे यह टकण परीक्षा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा अपने स्वय के कार्यालय तथा मुख्यावास पर स्थित अधीनस्थ कार्यालयो के कर्मचारियो के लिये जहा आवश्यक समझा जाव निदेशक नियोजन से परामर्श करके, आयोजित की जावेगी।]'

11 वि स एफ 2 (1) DOP/AII/ 76 GSR 46 दिनाक 29 सितम्बर 1978 द्वारा परन्तुक (4) प्रतिस्थापित किया गया तथा

[12](6) राजस्व मण्डल के सहायक पजीयक का पद राजस्व मण्डल कार्यालय, जिलाधीश कार्यालयों, उपनिवेश तथा भू प्रबन्ध विभागों के अधिष्ठायी प्रथम श्रेणी के अधीक्षकों म से चयन द्वारा भरा जावेगा।

[13][(7) इन नियमो मे से कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदो पर अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित नही करेगा,

---

परन्तुक 5 विलोपित किया गया, जो निम्न प्रकार से थे—वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग 32 दिनाक 2 3 1973 द्वारा जोडे गये थे—

[(4) राज्य बीमा विभाग के साधारण सवग म पयवेक्षको (सुपरवाइजस) के पदा को उसी सवग मे से भारत म विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय या सरकार द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय की उपाधि (डिग्री) के समकक्ष घोषित किये गये किसी विदेशी विश्व विद्यालय के स्नातको मे से जिन्होने वरिष्ठ लिपिको के रूप मे तीन वप की सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा भरा जावगा।

(5) राज्य बीमा विभाग में उस विभाग मे पयवेक्षको के पदा के प्रारम्भिक सृजन से तुरन्त पहले अनुभाग प्रभारी और निरीक्षको के पदा का धारण करने वाले व्यक्ति, येन केन (जैसे तैसे) पयवक्षको के रूप मे नियुक्त किये जाने के लिये पात्र (eligible) होगे यदि वे मेट्रिक उत्तीर्ण तथा वरिष्ठ लिपिको के रूप मे तीन वप की सवा सहित हो और कम से कम 7 वप की कुल सेवा सहित हो (चतुथ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त) या खण्ड (4) मे वर्णित योग्यताए और अनुभव रखत हो।]

12 वि स एफ 3 (3) DOP (A—II) /73 दिनाक 11 5 1974 द्वारा जोडा गया।

13 वि स एफ 3 (4) DOP/ A–2/ 77 दिनाक 15 3 78 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

(7) इन नियमो मे से कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदा पर रिक्त स्थानो के उपलब्ध होने की सीमा मे रहते हुए उन व्यक्तियो मे से जो आशुलिपिकद्वितीय श्रेणी या आशु टकक (स्टेनोटाइपिस्ट) के पदो को अस्थायी रूप म या तदथ (एडहाक) रूप मे सम्बन्धित विभाग मे 15 9 1972 को धारण कर रहे थे और जिनका काय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषजनक पाया गया है और उस दिनाक को (निम्नांकित) अनुभव रखते हो, अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित (Preclude) नही करेगा—

(क) भारत मे विधि द्वारा स्थापित विश्व विद्यालय से आशुलिपि विषय के साथ या आशुलिपि (शोटहैण्ड) मे डिप्लोमा धारण करने वाला स्नातक,

जबकि रिक्त स्थान उपलब्ध हो तथा दिनांक 1 1 1976 को या इससे पहले सम्बन्धित विभाग में या दूसरे विभाग में स्थानान्तरित कर दिये

या–(ग) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक (हायर सैकेण्डरी) परीक्षा या तत्समान परीक्षा, जिसमें शोर्ट हैण्ड एक विषय हो उत्तीर्ण की हो और आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी या आशुटंकक के रूप में दो वर्ष की सेवा बिना किसी सेवाभंग (breaks) के, यदि कोई हो, कर चुका हो,[1]

स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उठा है कि—क्या एक एक व्यक्ति को इस उपबन्ध के अधीन पात्र माना जावेगा या नहीं जिसने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से इन्टरमीडिएट परीक्षा पास की हो और अलग से शार्ट हैण्ड व टंकण परीक्षा ऐसे बोर्ड या विश्वविद्यालय से उस गति से उत्तीर्ण की हो, जो राजस्थान माध्यमिक बोर्ड की हायर सैकेण्डरी परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में विहित (गति) से कम नहीं है।

इस प्रकरण की परीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि—एसे व्यक्ति जो एसी अर्हता (योग्यता) या हायर सैकेण्डरी परीक्षा से उच्चतर (योग्यता) मय आवश्यक शोर्टहैंड तथा टाइप परीक्षा के रखते हैं उनको भी परन्तुक 7 के वर्णित खण्ड (ख) में वर्णित योग्यता पूरी करने वाले समझा जावेगा।[2]

या–(ग) वे आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी या आशुलिपिटंकक जो 15 9 1972 को[3] एसी दो वर्ष की सेवा कर चुके हों, बिना किसी सेवाभंग (breaks) के यदि कोई हो और जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद कार्य करने के लिए प्रमाणित किये गये हों और[4] इन नियमों में विहित अर्हता परीक्षा (Qualifying Examination) 10 5 1972 के पहले उत्तीर्ण कर चुके हों या राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970 की अनुसूची II के भाग II में विहित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण करली हो या अनुसूची I के भाग III में वर्णित प्रतियोगिता परीक्षा अंग्रेजी शोर्ट हैंड में या हिन्दी शोर्ट हैण्ड में अंग्रेजी और हिन्दी की टंकण परीक्षाओं के अतिरिक्त[5] [प्रथम उपलब्ध अवसर पर एक प्रयास में उत्तीर्ण कर सके।]

1 उपरोक्त परन्तुक वि स 3 (3) DOP (A–II)/73 दिनांक 13 12 1974 द्वारा जोड़ा गया था।

2 उपरोक्त स्पष्टीकरण वि स 3 (3) DOP/A–II/73दिनांक 3 4 1975 द्वारा निविष्ट किया गया था।

3 शुद्धि पत्र वि स एफ 3 (3) DOP/A II/73 दिनांक 28 2 1975 द्वारा शब्दावली "सम्बन्धित विभाग में" विलोपित की गई।

गये व्यक्तियो मे से जो आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद धारित कर रहे थे और जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया गया हो और जो ऐसी दिनाक को निम्नांकित अर्हताओ मे से एक पूरी करते हो, (ऐसी नियुक्ति की जाए।)—

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उपाधि (स्नातक) परीक्षा या इसके समान अधिसूचित अर्हतायें मय आशुलिपि के एक प्रश्न पत्र के, उत्तीर्ण की हो, —या—

(ख) किसी मान्यता प्राप्त माध्यमिक परीक्षा बोर्ड से हायर सेकेंडरी की परीक्षा मय आशुलिपि के एक प्रश्नपत्र के उत्तीर्ण की हो या—ह च मा लोक प्रशासन सस्थान या भाषा विभाग द्वारा आयोजित आशुलिपि परीक्षा या व्यवस्था एव पद्धति आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण की हो या औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान द्वारा आयोजित आशुलिपि की डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

टिप्पणी—(1) वर्ष 1958 से पूर्व प्राप्त किया गया मान्यता प्राप्त स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/डिप्लोमा हायर सेकेंडरी बोर्ड प्रमाण पत्र के समकक्ष माना जावेगा और इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अर्हता पूरी करना माना जावेगा,

(2) वे व्यक्ति जो हायर सेकेंडरी परीक्षा से उच्चतर अर्हतायें, मय आवश्यक आशुलिपि तथा टकण परीक्षा के, धारण करते हैं उनको इस परन्तुक के खण्ड (ख) के, अधीन वर्णित अर्हता पूरी किये हुए माना जावेगा।]

[14] [(8) 1-1-1976 के पूर्व आशुलिपिक द्वितीश्रेणी के रूप मे अस्थाई तौर से नियुक्त व्यक्ति, जो परन्तुक (7) से आवृत नही होते हैं, उनको रिक्तस्थान उपलब्ध होने पर और उनके द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सस्थान द्वारा आयोजित हायर सैकण्डरी परीक्षा के लिये विहित स्तर की हिन्दी तथा अंग्रेजी मे आशुलिपि व टकण की गति परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित रूप से नियुक्त आशु

---

4 वि स एफ 3 (3) DOP/AII/73 दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट एव दिनाक 19 12 1974 से प्रभावशील (लागू)।

5 वि स 3 (3) DOP/AII/73 दिनाक 28 2 1975 द्वारा 'शुद्धि पत्र' के अनुसार शब्दावली 'भी उत्तीर्ण कर चुका हो' (have also passed) के स्थानपर प्रति स्थापित

14 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनाक 15-3 78 द्वारा नया (8) जोडा गया तथा (8) व (9) को क्रमश (9) व (10) पुनर्सख्यांकित किया गया।

लिपिक द्वितीय श्रेणी समझा जावेगा । उपरोक्त गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिय दो अवसर से अधिक नही दिये जावेंगे । इन नियमो के प्रवृत्त होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनों परीक्षाओं म नहीं बैठते है या अनुत्तीर्ण हो जाते है, वे यथास्थिति, प्रतिवर्तित होने या सेवा समाप्ति के दायी (भागी) होंगे ।]

[15][(8 क) आशुलिपिको के रूप मे अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों तथा जो 40 वष की आयु प्राप्त कर चुके हो और परन्तुक (7) के अधीन आवृत नहीं होते हो, तथा आशुलिपिक के रूप मे रिक्तस्थान उपलब्ध होने पर तथा हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिये विहित स्तर की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित हिन्दी आशुलिपि तथा टकण या अंग्रेजी आशुलिपि तथा टकण की गति परीक्षा, यथास्थिति, उत्तीर्ण करने पर उनको नियमित रूप से नियुक्त किया जावेगा । इन नियमो के प्रवृत्त होने के बाद ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनो परीक्षाओं मे प्रवेश नही लेते हू या उत्तीर्ण होने म असफल रहते है, तो उनको आशुलिपिक के रूप मे उनकी अस्थायी नियुक्ति के पहले धारित पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जावेगा या अन्य मामलो मे उनकी सेवायें, यथास्थिति समाप्त कर दी जावेगी ।]

[(i) [16][परन्तु यह है कि—(i)किसी विशिष्ट वष मे आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रिक्त स्थानो का 50 प्रतिशत द्वितीय श्रेणी आशुलिपिको मे से [17][जो 10 5-1972 के पहले या 15 3-1978 के बाद अर्हता परीक्षा या 15-3-1978 के पहले प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो, या नियम 7 के परन्तुक 7 के अधीन उपरोक्त परीक्षाओ मे बैंठने से मुक्त कर दिये गये हो और] कम से कम जो आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप मे सात वष सेवा कर चुके हो वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे, और

(ii) लघुतर (छोटे) कार्यालयो मे जहा रिक्तस्थान थोड से हो, निम्नांकित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जाएगा —

1 प्रथम रिक्तस्थान, उसके लिये जिसने इन नियमो के नियम 15 के उपनियम (7) के अधीन वर्णित राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण की हो,

---

15 वि स एफ 3 (13) DOP/ क 2/73 दिनाक—27 दिसम्बर 1978 जोडा गया ।

16 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दिनाक 15-3 78 द्वारा जोडा गया । (इस परन्तुक की कोई सख्या अकित नही है ।)

17 वि स एफ 3 (4) DoP/A II/77 G R 25 दिनाक 13 9 1978 द्वारा निविष्ट । (इसमे परन्तुक की सख्या (i) अकित है, यह सही नही है)

2 अगला रिक्तस्थान, उसके लिये जिसे पदोन्नत करना है। यही चक्रीय क्रम दोहराया जावेगा।]

[18](9) प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी का पद विशेष चयन द्वारा उन व्यक्तियों मे से भरा जावेगा, जो निम्नांकित विभागीय समूहों मे और विभागों के ऐसे दूसरे समूहों मे, जो सरकार समय समय पर परिवर्तित करे या गठित करे, कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पद धारण करते हो—

(क) विशेष समूह (Special Groups)—

(i) चिकित्सा, परिवार नियोजन सगठन को छोड़कर—निदेशालय चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें तथा मेडिकल कालेजो,

(ii) कृषि—कृषि विभाग, पशुचिकित्सा एव पशुपालन, भेड और ऊन डेयरी/दुग्ध प्रदाय, सहकारिता तथा वन विभाग,

(iii) अभियान्त्रिकी (इन्जीनियरिंग)—सार्वजनिक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्थान नहर परियोजना और नगर आयोजना विभाग,

(iv) राजस्व—राजस्वमण्डल, भूप्रबन्ध, जिलाधीश कार्यालय तथा उपनिवेशन।

(ख) साधारण समूह—(General Groups)—

(i) चिकित्सा विभाग का परिवार नियोजन सगठन—

(ii) साधारण—राज्य के समस्त विभाग एव विभाग के मामले मे जो उपरोक्त समूहो म सम्मिलित नही है और जिसमे अधीक्षकों के पाच पद विद्यमान है,

ऐसे विभाग मे प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी के पदो पर ऐसे विभाग के कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी मे से नियम 26 के उपनियम (1) के द्वितीय-परन्तुक मे प्रसंगित समिति (कमेटी) की संस्तुतियो पर चयन किया जावेगा। यदि ऐसे किसी विभाग मे कार्यालय-अधीक्षको के पाच पद उपलब्ध न हो तो जिन विभागो को प्रशासनिक विभाग के द्वारा कार्मिक विभाग की सहमति से विशिष्टकृत (Specified) किये जावेगें, उनके कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी ऐसे पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र होगे।

[19](10) व्यक्ति, जो प्रशासनिक अधिकारी या स्थापना अधिकारी का पद

---

18 वि स 3 (7) DOP/A II/75 दिनांक 20 9-1975 द्वारा जोड़ा गया और दिनांक 1-5 1975 मे प्रभावशील तथा दि० 1 5 3 78 से पुनसंख्यांकित कर 8 को 9 किया गया।

19 वि स एफ 3 (7) DOP/A II/75 दि० 20 9-1975 द्वारा जोडा गया तथा दि० 1-5-1975 से प्रभावशील।

इन नियमों के प्रभावशील होने पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप में [20]लगातार धारण कर चुके हैं और ऐसे पदों को लगातार धारण कर रहे हैं और उनके चयन के समय के नियमों या आदेशों में ऐसे पदों के लिये विहित अहर्तायें और अनुभव रखते हैं, नियम 26 के उपनियम (1) के द्वितीय–परन्तुक में वर्णित चयन समिति (कमेटी) द्वारा (उनकी) उपयुक्तता की परख द्वारा नियुक्ति के लिये विचार करने के पात्र होंगे।

[21] [10 × × विलोपित]

[1][7–क इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी किसी (ऐसे) व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/ वायुसेना/ जलसेना में सम्मिलित होता है, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टिकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परन्तु शर्त यह है कि— ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होंगे।]

---

20 वि सं एफ 3 (7) DOP/A II/ 75 दि 19-6-1976 द्वारा शब्दावली "दो वर्ष की अवधि के लिये" विलोपित।

21 वि सं एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनांक 15-3-78 द्वारा 9 के स्थान पर 10 पुनसस्थापित तथा 10 विलोपित किया गया जो वि स एफ 3 (7) DOP/A II/76 दि० 30 3-1977 द्वारा जोड़ा गया था तथा निम्नलिखित था—

"(10) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी वे व्यक्ति जो अस्थायी रूप से आशुलिपिक के रूप में सम्बन्धित विभाग में नियुक्त किये गये थे और 1-10-1976 को आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप में कम से कम दस वर्षों की सेवा, बिना सेवा भंग के यदि कोई हो पूरी कर चुके हो, और खण्ड (ग) के परन्तुक 7 के अधीन विहित परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण नहीं की हो और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संतोषप्रद रूप से कार्य करने के लिए प्रमाणित हो, (तो उनको) इसके बाद खण्ड (ग) के परन्तुक 7 में विहित परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण करने का एक और अवसर दिया जावेगा। (ऐसे) व्यक्ति को जो कथित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं, कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया जावेगा, यदि वे ऐसी नियुक्ति के लिये इच्छुक है। यदि वे इस प्रकार नियुक्त किये जाने के इच्छुक नहीं हैं, तो उनकी सेवायें समाप्त किये जाने योग्य होगी।"

1 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि० 29-8 1973 द्वारा निविष्ट तथा दि 29-10 1963 या सम्बन्धित सेवा नियमों के प्रभावशील होने के दिनाक से प्रभावशील।

[2]8 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण—(1) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातिया के लिए रिक्तियो का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सम्बन्धी आदेशा के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय प्रवृत हो, भर्ती चाहे सीधी भर्ती से हो या पदोन्नति द्वारा।

(2) पदोन्नति के लिए ऐसी आरक्षित रिक्तिया केवल योग्यता[3] (मेरिट) द्वारा भरी जावेंगी।

(3) ऐसी आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिए उन पात्र अभ्यर्थिया की, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातिया के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उस क्रम से जिसमे उनके नाम उस सूची मे है जो सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा, उन पदो के लिए जो उसके अधिकार मे है, और अन्य मामला मे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा और पदोन्नति के मामले मे विभागीय पदोन्नति समिति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, बनाई गई हो, इस पर ध्यान न देते हुऐ कि दूसरे अभ्यर्थिया की तुलना मे उनका कौनसा स्थान (रैंक) है, विचार किया जावेगा।

[4](4) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग से विहित रोस्टर तालिकाओ के अनुसार उनका कठोरतापूवक पालन करते हुए नियुक्तिया की जावेंगी। किसी विशिष्ट वप म अनुसूचित जातिया और अनुसूचित जन जातिया, यथास्थिति, मे से पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियो की अनुपलब्धता की स्थिति मे, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया सामान्य क्रियाविधि के अनुसार भरली जायेंगी और पश्चातवर्ती

---

2 वि स एफ 7 (4) DOP (A II) 73 दि 3-10-1973 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—
8 अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो के लिये रिक्तियों का आरक्षण—अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के लिये रिक्तियो का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सम्बन्धी आदेशा के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत्त हो।"

3 वि स एफ 7 (6) DOP (A II) 75 III दिनाक 31-10 1975 द्वारा शब्दावली "मेरिट कम मिनियोरिटी" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

4 विज्ञप्ति स 7 (4) कार्मिक (क II) 73 दि 10 2-1975 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—
"(4) यदि किसी वप विशेप मे अनुसूचित जातिया तथा अनुसूचित जनजातियो मे से पर्याप्त सख्या म पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्तियो को आगे नही ले जाया जायगा और प्रसामान्य क्रियाविधि के अनुसार भर ली जायेगी।"

(अगले) वर्ष में तत्समान संख्या में अतिरिक्त रिक्तियाँ आरक्षित की जावेंगी। ऐसी रिक्तियाँ जो इस प्रकार बिना भरी रहती हैं अगले भर्ती के तीन वर्षों तक कुल योग में आगे लेजाई जावेंगी और तत्पश्चात् ऐसे आरक्षण का अवसान हो जायेगा

परन्तु यह है कि किसी सेवा में किसी सवर्ग के पदों या पदों के वर्ग/श्रेणी/समूह में ,जिनमें पदोन्नति इन नियमों के अधीन[5] केवल योग्यता(मेरिट) के आधार पर की जाती है रिक्तियां को आगे नहीं ले जाया जायेगा।

[6]टिप्पणी-[× × विलोपित]

9 रिक्तियों का अवधारण (तय किया जाना)—(1) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष में अगले बारह महीनों के दौरान प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किए जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या तय करेगा। ऐसी रिक्तियों की पिछली समाप्ति के बारह मास की समाप्ति के पहले ऐसी रिक्तियों को पुनः तय किया जायेगा।

(2) सम्बन्धित सेवा नियमों से संलग्न अनुसूची के कोष्ठक 3 में विहित प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तरीके से भरी जाने वाली वास्तविक संख्या की सगणना करने में, प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी एक यथोचित चक्रीय क्रम का अनुसरण करेगा जो प्रत्येक सेवा नियमों में वर्णित अनुपात के अनुसार पदोन्नति के कोटा या सीधी भर्ती के कोटा पर प्राथमिकता देते हुए होगा, जैसे—जहाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत क्रमशः 75 और 25 है, तो चक्रीय क्रम इस प्रकार होगा—

1 पदोन्नति से	2 सीधी भर्ती से	3 सीधी भर्ती से
4 सीधी भर्ती से	5 पदोन्नति से	6 ,, ,,
7 सीधी भर्ती से	8 सीधी भर्ती से	9 पदोन्नति से—

5 वि स एफ 7 (6) DOP (A II) 75 III दिनांक 31-10 1975 द्वारा शब्दावली—"मेरिट तथा सिनियोरिटी सह मेरिट दोनों और सीनियोरिटी सह मेरिट नहीं" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6 वि स F 7 (18) नियुक्ति (क) 59 दि 28 7-1961 द्वारा विलोपित—"टिप्पणी—इन नियमों के प्रवृत्त होने के समय प्रभावशील ऐसे आदेशों की प्रतिलिपि अनुसूची 1 में दी गई है।"

1 विज्ञप्ति स एफ 7 (1) DOP (A II) 73 दि 16-10 1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

"9 रिक्तियों का तय किया जाना—इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी वार्षिक रूप से नवम्बर माह में अगले कलेण्डर वर्ष में प्रत्याशित प्रत्येक सवर्ग में रिक्तियां की संख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियों की संख्या को तय करेगा।'

और इसी प्रकार आगे क्रमानुसार।

[2]10 राष्ट्रीयता (Nationality)—सेवा मे नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो या

(घ) तिब्बती शरणार्थी हो, जो एक जनवरी 1962 से पहले भारत म स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

[3](ङ) भारतीय उदभव का व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्री लङ्का और केनया, यूगाण्डा के पूर्वी अफ्रीका देशो और तजानिया के सयुक्त गणराज्य (पहले

---

2 विज्ञप्ति स एफ 7 (4) DOP (A II) 76 दि 7 9 1976 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित—

10 राष्ट्रीयता—सेवा मे नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिए आवश्यक है कि वह —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा हो, या

(ग) पाडीचेरी राज्य की प्रजा हो, या

(घ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति हो और पाकिस्तान से भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो —

(1) परन्तु (i) उसे पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन, नेपाल की प्रजा या किसी तिब्बती को जो, 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(ii) उपयुक्त (ग), या (घ) प्रवग से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी हो तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो, और यदि वह (घ) प्रवग का है तो वह पात्रता प्रमाण पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य होगा। तत्पश्चात् वह सेवा म केवल भारत का नागरिक हो जान पर ही रखा जा सकता है।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा सचालित किसी परीक्षा म बैठने या साक्षात्कार म बुलाये जाने की अनुमति दी जा सकेगी तथा उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्त भी किया जा सकेगा।

3 वि स एफ 7 (5) DOP A II 76 दिनाक 23 10 1978 द्वारा प्रतिस्थापित—पहले इस खण्ड मे 'वियतनाम' नहीं था।

टाग्यानिका और जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जैरा और यूथापिया तथा वियतनाम से भारत म स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो] परन्तु यह है कि—प्रवग (ख), (ग), (घ) और (ङ) का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो। एक अभ्यर्थी को जिसके मामले मे पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य भर्ता प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार मे प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन अनन्तिम तौर पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

[4]10-क इन नियमो मे किसी बात के होते हुए भी, सेवा म भर्ती के लिए पात्रता सम्बन्धी प्रावधान जो भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आये हुए दूसरे देशो के एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता, आयु सीमा और शुल्क या अन्य छूट स सम्बन्धित है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गये ऐसे आदेशो या निर्देशो स विनियमित होगे, जो कि भारत सरकार द्वारा उस विषय मे निकाले गये निर्देशो के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित होगे।

11 आयु (Age)—किसी सवग मे सीधी भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी को [1][आवदन प्राप्त करने के लिए नियत अन्तिम दिनाक के ठीक पश्चात् आने वाले वष की जनवरी के प्रथम दिन को] 18 वष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये, किन्तु[2] [28 वष] की आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिये

परन्तु यह है कि—

[3][विलोपित]

(i) 31 दिसम्बर, 1958 तक, अस्थायी रूप स लगातार की गई सरकारी सेवा की अवधि पात्रता के प्रयोजनार्थ आयु मे से कम करदी जावेगी।

---

4 वि स एफ 7 (5) DOP (A II) 76 दि 20 6 1977 द्वारा निविष्ट।

1 वि स एफ 7 (18) नियु (ध) 59 दि 28-7-1961 द्वारा "आवेदन के दिनाक के पश्चात के वष की एक जनवरी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2 वि स एफ 1 (23) नियुक्ति/क II 69 दि 3 6 1971 द्वारा "25 वष" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

3 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दि 14 10-1962 द्वारा शब्दावली—"(i) कि—विशेष मामला म नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम आयु सीमा को शिथिल किया जा सकेगा" को विलोपित कर विद्यमान प्रविष्टियो का पुनः स्यांकित किया गया।

(ii) जागीरदार मय जागीरदार के पुत्रो, जिनके निर्वाह के लिए कोई उप-जागीर नही थी , के लिए आयु की उच्च सीमा चालीस वष होगी ।

टिप्पणी—यह शिथिलीकरण [4][1 जनवरी 1964] को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए लागू रहेगा ।

[5][(iii) एक महिला अभ्यर्थी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए अधिकतम आयु सीमा आगे पाच वष के लिए बढाई हुई मानी जावेगी ।

(iv) इन नियमो के प्रवृत्त होने के बाद यदि एक अभ्यर्थी अपनी आयु के अनुसार किसी परीक्षा मे, यदि कोई हो सम्मिलित होने के लिए हकदार होता, जिसमे कोई ऐसी परीक्षा आयोजित नही की गई थी, तो वह उसके बाद की अगली परीक्षा मे आयु के अनुसार हकदार माना जावेगा, और

(v) 25 वष की आयु प्राप्त करने से पहले नियुक्त और राज्य के काय कलापो के सम्बन्ध मे अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से लगातार काय करते आ रहे अभ्यर्थी के लिए आयु सम्बन्धी कोई प्रतिब ध नही होगा,]

[6](vi) [भूतपूर्व सनिको][7] और सुरक्षित सैनिकों, अर्थात्–सुरक्षा सेवा के कमचारी जिनको सुरक्षित (रिजव) मे स्थानान्तरित कर दिया हो, के लिये उच्च आयु सीमा 50 वष होगी ।

[8](vii) राजनतिक पीडितो के लिये उच्च आयु सीमा 31 दिसम्बर 1964 तक 40 वष होगी ।

स्पष्टीकरण—शब्द राजनैतिक पीडित' का इस नियम के प्रयोजनार्थ वही अभिप्राय होगा जो इसे राजस्थान राजनैतिक पीडित सहायता नियम 1959 के नियम 2 के खण्ड (ii) मे दिया गया है, जो राजस्थान राजपत्र के भाग 4 (ग) में दिनाक 18 जून 1959 को प्रकाशित हुआ ।

---

4 वि स एफ 3 (9) नियु (घ) 59 दि 12 10-1962 द्वारा "31 दिसम्बर 1961" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

5 वि स एफ 10 (1) नियु (A) 55 दिनाक 14 10 1962 द्वारा खण्ड (iii) (iv) व (v) जोडे गये ।

6 वि स एफ 3 (9) नियु (ग) 51 दि 27 8 1962 द्वारा जोडा गया ।

7 वि स एफ 10 (1)नियुक्ति (ग) 66 भाग XXII दिनाक 12 4 1967 द्वारा जोडा गया ।

8 वि स एफ 1 (16) नियुक्ति (क–II) 62 दि 3 5 1963 द्वारा जोडा गया ।

[9](vi) नियम 7 के तृतीय परन्तुक मे वर्णित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के सम्बन्ध मे जो किसी सरकारी कार्यालय मे सेवारत है, आयु की उच्च सीमा 40 वर्ष होगी।

[10](ix) [सेवा म किसी पद पर][11] अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियो को आयुसीमा के भीतर माना जावेगा, यदि व उस समय आयु सीमा के भीतर थे जब कि उनको आरम्भ मे नियुक्त किया गया था, यद्यपि व आयोग के समक्ष प्रतिमरूप स उपस्थित होने के समय उस आयु सीमा का लाघ चुके हैं और यदि वे अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय ऐसे पात्र थे तो उनको दो अवसर दिये जावेंगे।

[12](x) कैडेट प्रशिक्षको के मामले म उपयुक्त उल्लिखित अधिकतम आयु सीमा मे एन सी सी मे की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जावेगी और यदि इसके परिणामस्वरूप होने वाली आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्ह विहित आयु सीमा मे ही समझा जायगा।

[13](xi) स्वर्णकारो के मामले मे 29 3 65 तक अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष तक की रहेगी।

[14](xii) 1 3 1963 को या इसके बाद बर्मा लका और केन्या, टागानिका, युगाडा व जजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशो से लौटाये गये व्यक्तियो के लिये उपयुक्त उल्लिखित उच्च आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियो के व्यक्तियो के मामले मे 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी।

---

9 वि स एफ 1 (15) नियु /क–II/63 दि 17 3 1964 द्वारा जोडा गया।

10 वि स एफ 1 (26) नियुक्ति (क–II)/62 दि 18 9 1965–द्वारा जोडा गया।

11 वि स एफ 1 (39) DOP/AII/73 दि 25 12 1974 द्वारा निविष्ट।

12 वि स एफ 1 (10) नियु /कII/66 दि 11 4 1967 द्वारा जोडा गया।

13 वि स एफ 21 (6) नियु (ग)/54/ भाग VI दि 17 3 72 द्वारा जोडा गया और सम सख्यक शुद्धि पत्र दि 30 6 1972 द्वारा सशोधित।

14 वि स एफ 1 (20) नियु (क–2) 62 दि 20 9 1975 द्वारा प्रतिस्थापित तथा 29 2 1977 तक प्रभावशील।

[15](xiii) पूर्वी अफ्रीकी देशों—केन्या, टाग्यानिका, यूगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

[16](xiv) ऐसे भूतपूर्व कैदी की मामले मे उपयुक्त उल्लिखित उच्च आयु सीमा लागू नहीं होगी, जो दोषसिद्धि से पहले सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर चुका हो और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।

(xv) उस भूतपूर्व कदी के मामले मे जो दोष सिद्धि से पूर्व अधिक आयु का नहीं था एवं नियमो के अधीन नियुक्ति का पात्र था, उपयुक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा मे इतनी कारावधि तक की छूट दी जायगी जो मुक्त कारावास की अवधि के बराबर हो,]

[17](xvi) नियुक्त आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियो तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियो को सेना से नियुक्त होने के बाद आयु सीमा के भीतर माना जायेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर उस आयु सीमा को पार कर चुके हो, यदि वे सेना के कमीशन मे प्रवेश के समय इसके लिये पात्र होते।

[18] 11-क—नियम 11 मे किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 7 (ख) के परन्तुक के अधीन सरकार द्वारा जारी किये गये साधारण या विशिष्ट निर्देशों की सीमा मे रहते हुये नियमो मे विहित आयु-सीमा की शर्तों मे छूट दे सकेगा।

12 शैक्षणिक अर्हतायें (योग्यतायें)

(1) आशुलिपिक संवर्ग मे सीधी भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी—

[19][(क) राजस्थान शिक्षा बोर्ड की हायर सेकेण्डरी परीक्षा कला, विज्ञान

---

15 वि स एफ 1 (20) नियु (क-2) 67 दि 13 12 1974 द्वारा जोडा गया।

16 वि स एफ 5 (6) DOP/क-2/74 दि 18 3 1975 द्वारा जोडा गया तथा दि 28 8 1961 से प्रभावशील।

17 वि स एफ 7 (2) DOP (क-2)75 दि 20 9 1976 द्वारा निविष्ट।

18 वि स एफ 3 (4) DOP (क-2) 75 दि 26 8 1976 द्वारा निविष्ट।

19 विज्ञप्ति स एफ 10 (1) नियुक्ति (क)/55 भाग XXXV दि 10 5 1972 द्वारा नियम 12 के खण्ड (क) तथा (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा विद्यमान खण्ड (ग) को खण्ड (ख) पुनराङ्कित किया गया, जो अगले पृष्ठ पर दिया गया है—

या वाणिज्य मे या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो × × ×[20]।]

[21][परन्तु 10 5 1972 के पहले आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त और 1 3 1975 को जो लगातार काय कर रहे व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम अर्हता हाईस्कूल या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित (परीक्षा) होगी।]

[(ख) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का तथा राजस्थानी बोलियों का कार्यकारी अच्छा ज्ञान हो।]

(क) आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा कला, विज्ञान या वाणिज्य में या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो और आयोग द्वारा आयोजित निम्न लिखित अर्हता-परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो—

विषय	समय	पूर्णाङ्क
(i) अंग्रेजी	3 घण्टे	100
(ii) सामान्य ज्ञान	3 घण्टे	100

परीक्षा का स्तर तथा पाठ्यक्रम—प्रश्न पत्रों का स्तर किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन के लगभग होगा।

क्षेत्र

अंग्रेजी—प्रश्नपत्र अभ्यर्थी के अंग्रेजी व्याकरण व रचना के ज्ञान और साधारणतया समझने की शक्ति व सही अंग्रेजी लिखने की क्षमता की जाच के लिए रचित होगा।

भाषा की व्यवस्था, साधारण भाव प्रकट करने तथा उस कार्यकारी उपयोग का ध्यान रखा जावेगा। प्रश्न पत्र में निबन्ध लेखन, सारांश लेखन, प्रारूपण, शब्दों म साधारण उक्तियों व कहावतों के सही प्रयोग, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कथन आदि पर प्रश्न प्रश्नपत्र में सम्मिलित हो सकते हैं।

20 वि स एफ 3 (4) DOP/A 2/77 दिनाङ्क 15 3 78 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार थी—' और अनुसूची I के भाग III में उल्लिखित विषयों में आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो।"

21 वि स एफ 3 (3) Dop (A II) 73 दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 19 12 1973 से प्रभावशील।

सामान्य ज्ञान (जनरल नोलेज)—भारत के संविधान, पंचवर्षीय योजनायें, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का साधारण व आर्थिक भूगोल, नवीन घटनायें, प्रतिदिन का विज्ञान का कुछ ज्ञान और ऐसे दैनिक अवलोकन की बातें, जो एक

[क्रमश

²(2) कनिष्ट लिपिक (L D C) की श्रेणी म सीधी भर्ती के लिये एक

शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं। अभ्यर्थी के उत्तरा म उसके द्वारा प्रश्नो को समझने की बुद्धि के प्रदशन की आशा की जाती ह, न कि किसी पाठ्य पुस्तक क ज्ञान की।

टिप्पणी—अहताक (Qualifying marks) का प्रतिशत 40% होगा। सामान्य ज्ञान, द्वितीय प्रश्न पत्र, का उत्तर अभ्यर्थी हिन्दी या अंग्रेजी म दे सकते ह।

×[परन्तु यह है कि—सरकार के कायकलापो म अधिष्ठायी रूप से सेवा कर रहे व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसने राजस्थान की सविदाकारी रियासत मे अधिष्ठायी रूप से किसी स्थायी पद को धारण किया हो, चाहे उसे सेवामुक्त, अधिक्षेप या सेवारत रखा गया हो, आशुलिपिक के सवग मे भर्ती के लिये पात्र होगा, यदि वह मेट्रिक्युलेट हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा उसने उत्तीण की हा।]

[×उपरोक्त परतुक को विज्ञप्ति स एफ 10 (1) नियुक्ति (क-2) 55 भाग III दिनाङ्क 23 8 1963 द्वारा विलोपित कर दिया गया, जा कि 20 8 1957 से प्रभावशील हुआ।]

अंग्रेजी मे 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि और 40 शब्द प्रति मिनट टाइप करने या हिन्दी म 40 शब्द प्र मि आशुलिपि और 30 शब्द प्र मि टकण की गति-परीक्षा (स्पीडटेस्ट) उत्तीण कर ली हा और परिवीक्षा की अवधि मे आयोजित आशुलिपिक ततीय श्रेणी की परीक्षा उत्तीण कर ली हो।

परन्तु यह है कि जिस अभ्यर्थी ने आयाग द्वारा वष 1956 या इससे पहले आयाजित किसी जाच (टस्ट) मे भाग लिया हो और जिसे आशुलिपि या टाइप म उत्तीण हो जाने से छूट दे दी गई थी, उसे उस विषय मे प्रवेश लेने की आवश्यकता नही है।

परन्तु यह और ह कि—एक अभ्यर्थी जा आयाग द्वारा आयोजित परीक्षा मे बाद मे प्रविष्ट हुआ हो और उस विषय म उत्तीण हो गया हो, जिसमे वह पहले असफल रहा था, तो उसे नियम 12 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) मे विहित परीक्षा मे उत्तीण हुआ समझा जावेगा।

22 विज्ञप्ति स एफ 18 (क) नियुक्ति (क) 59 दि 16 6 1959 तथा वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ)/59 दि 28 7 1961 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

"साधारण सवग म सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को—

(क) राजपूताना विश्वविद्यालय या/ सरकार द्वारा इस नियम के प्रयोजनाथ मान्य विश्वविद्यालय या बोड की हाइस्कूल परीक्षा उत्तीण हो या आयोग द्वारा मेट्रिकुलेशन के समकक्ष मान्य हिन्दी या संस्कृत की योग्यतायें रखता हो और (ख) यदि वह उपरोक्त खण्ड (क) म वर्णित हिन्दी योग्यता नही रखता हो, तो देवनागरी लिपि म लिखित हिन्दी का अच्छा काय करने योग्य ज्ञान रखता हो।

अभ्यर्थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल या [23][ ] सेकेण्डरी परीक्षा या इस नियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण हो या मैट्रिकुलेशन के समकक्ष सरकार द्वारा मान्य हिन्दी या संस्कृत की योग्यतायें प्राप्त की हो।

[24](3) वरिष्ठ लिपिक (U D C) के लिए सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान, कृषि या वाणिज्य मे उपाधि (Degree) प्राप्त हो।

[25]परन्तु यह है कि—राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी रूप से सेवा कर रहे व्यक्ति या राजस्थान की किसी रियासत मे स्थायी पद को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाला व्यक्ति, चाहे उसे अधिशेष कर्मचारी के रूप मे सेवामुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया गया हो या वह राज्य के कार्यों में सेवा कर रहा हो बिना किसी शैक्षणिक योग्यता के विचार के किसी संवर्ग मे भर्ती के लिए पात्र होगा।

[26]कि-आयोग के क्षेत्र मे नहीं आनेवाले पदो पर भर्ती के लिए उच्च आयु सीमा उन लोगो के लिए 35 वर्ष होगी, जिनको किसी रिक्त स्थान की कमी या पद की समाप्ति (Abolition) के कारण राज्य सरकार की सेवा से छटनी कर दिया गया था, यदि वे इन नियमो म विहित आयु सीमा के भीतर थे जबकि उनको आरम्भ मे उस पद पर नियुक्त किया गया था जिस पर से उनको पहले छटनी कर दिया गया था, परन्तु भर्ती की अर्हतायें, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि की साधारण विहित धारायें (चैनल) पूरी करली गई हैं और वे किसी शिकायत या दोष के कारण छटनी नहीं किये गये थे तथा वे पिछले नियुक्ति प्राधिकारी से अच्छी सेवायें समर्पित करने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

13 चरित्र—सेवा मे सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सेवा मे नियोजन के लिए अर्हित माना जाए। उसको उस विश्वविद्यालय

---

23 वि स एफ 3 (?) DOP (क-2) 76 दि 30 6 1976 द्वारा शब्द "हायर" विलोपित किया गया और राजपत्र मे प्रकाशन के दिनाङ्क से प्रभावशील।

24 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 6 1959 द्वारा जोडा गया।

25 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क-2) 55 भाग XIII दिनाङ्क 23 8 1966 द्वारा जोडा गया।

26 वि स 5 (2) DOP (A III) 73 दि 21 12 73 को निविष्ट।

या महाविद्यालय के प्रधान शक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें उसने अन्तिम बार शिक्षा पाई थी तथा साथ ही उसे दो और सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियो के देने चाहिए जो उसके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बन्धित न हो और न ही उसके रिश्तेदार हो। ऐसे व्यक्तियो द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की तारीख से छ मास पूर्व के लिखे हुये नही होने चाहियें।

टिप्पणी —(1) न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को स्वय मे सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र नही दिये जाने का आधार नही माना जाना चाहिए। दोषसिद्धि की परिस्थितियो पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उसके नैतिक अधमता सम्बन्धी कोई बात अन्तग्रस्त नही है या उनका सम्बन्ध हिंसात्मक अपराध या ऐसे आन्दोलनो से नही है जिनका उद्देश्य विधि द्वारा सरकार को हिंसात्मक तरीको से उलटना हो तो केवल दोषसिद्धि को निरहता नही समझा जाना चाहिये।

(2) ऐसे भूतपूर्व कैदियो के साथ जिन्होंने कारावास मे अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आपको पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिये कि वे पहिले दोषसिद्ध हो चुके हैं। उन व्यक्तियो को जिन्हें ऐसे अपराधो के लिए सिद्ध दोष किया गया है जिनमे नैतिक अधमता की कोई बात अन्तग्रस्त नही है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायगा, यदि वे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक या यदि किसी विशिष्ट जिले मे ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख गृह नही है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक से इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।

(3) उन व्यक्तियों से जिन्हें ऐसे अपराधो के लिए सिद्ध दोष किया गया है जो नैतिक अधमता से सम्बन्धित है, पश्चात्वर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित होगा, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी कि व नियोजन के लिये उपयुक्त हैं क्योकि उन्होने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चात्वर्ती देखरेख गृह मे अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णत सुधर गये हैं।

[1]14 शारीरिक योग्यता—सेवा मे सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एव शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमे किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एव शारीरिक दोष नही होना चाहिये जो उसके सेवा के रूप मे अपने कर्त्तव्य का

---

1 वि स एफ 7 (2) DOP (क–2) 74 दिनाङ्क 5 7 1974 द्वारा प्रतिस्थापित। उपरोक्त नियम 14 मे से केवल तारांकित (※) तक इससे पहले लागू था।

दक्षतापूर्वक पालन करने मे बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय, तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनाथ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (8) नियुक्ति प्राधिकारी नियमित पक्ति म पदोन्नत हुए या राज्य के कायक्लापो मे पहले स सेवारत अभ्यर्थी के मामले म प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है, यदि उस (अभ्यर्थी) की पूर्व नियुक्ति के लिये स्वास्थ्य परीक्षा पहले ही की जा चुकी हो और दोनो पदो की मेडिकल परीक्षा के आवश्यक स्तर नये पद का कर्त्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने मे तुलनीय हो तथा उसकी आयु के कारण इस प्रयोजनाथ उसकी दक्षता मे कमी नही आयी है।

[2]14-क अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग—

ऐसा अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गढे हुए दस्तावज जिनको बिगाड दिया गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना दबाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार मे नाजायज साधनो का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग का प्रयास करने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार म प्रवेश पाने के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम मे लाने का दोषी घोषित किया जाता है या कर दिया गया है तो उस पर फौजदारी मुकदमा तो चलाया ही जा सकेगा इसके साथ साथ उसे —(क) अभ्यर्थी के चयन हेतु आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार मे उपस्थित होने से, आयोग। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, और (ख) सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

[3]14 ख नियुक्ति के लिए निरअहतायें—

(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा म नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा, जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि—ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के लागू होने से छूट न दे दे।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह उस व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है सेवा मे नियुक्ति के लिए पात्रा नही होगी, जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये

---

2 वि स एफ 1 (33) नियुक्ति (क-2) 63 दि 26 8 1965 द्वारा जोडा गया।

3 वि स एफ 7 (3) DOP (क-2) 76 दि 21 5 1976 द्वारा निविष्ट।

विशेष आधार है किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न दे दे।

[4](3) [विलोपित × ×]

[5](4) कोई विवाहित अभ्यर्थी, जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो, सेवा मे नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजन थ 'दहेज' शब्द का वही समान अर्थ होगा, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28 । 1961) मे दिया गया है।

15 वरिष्ठ पदो पर नियुक्ति की शर्तें—(Conditions for appointment to senior posts) —

(1) कोई व्यक्ति वरिष्ठ लिपिक (U D C) के पद पर [1][पदोन्नति द्वारा] अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि राज्य के कार्यकलापो के सम्बन्ध मे वह कम से कम [2][5 वष तक] एक कनिष्ठ लिपिक (L D C) के रूप मे सेवा नही कर चुका हो, सिवाय इसके कि—तीन वष की सेवा सहित स्नातक (ग्रेजुएट्स) वरिष्ठ लिपिक के रूप मे नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

[3](1-क) कोई व्यक्ति स्थानीय निधि अंकेक्षा विभाग मे अंकेक्षक या सहायक अंकेक्षक के रूप म अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि वह ऐसी परीक्षायें (टस्ट) उत्तीर्ण न करले और ऐसी अन्य शर्तो को पूरा न करलें जो समय समय पर सरकार द्वारा विहित की जावेगी।

(2) कोई व्यक्ति लेखा लिपिक के रूप म अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि—वह ऐसी परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण न करले और ऐसी अन्य शर्तो को पूरा न करले जो सरकार द्वारा विहित की जावे।

---

4 वि स एफ 7 (3) DOP (क-2) 76 दि 15 2 1977 द्वारा विलोपित। (यह परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध था)

5 वि स एफ 15 (9) DOP (क-2) 74 दि 5 1 1977 द्वारा निविष्ट।

1 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 6 1959 द्वारा जोड़ा गया।

2 शब्द "सात वष" के लिए प्रतिस्थापित—वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/78 GSR दिनाङ्क 10 1 1979 (राजपत्र दिनाङ्क 18 1 79 पृष्ठ 428)

3 वि स एफ 1 (13) नियुक्ति (क-2) 62 दि 19 6 1968 द्वारा जोड़ा गया।

[4][परन्तु यह है कि—राजस्थान नहर मण्डल तथा मण्डल के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्यालयो मे लेखा लिपिको के पद पर उन अभ्यर्थियो मे से विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की कम से कम वाणिज्य मे उपाधि (डिग्री) प्राप्त हो और प्राथमिकता के लिये लेखा का कुछ अनुभव हो। यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लेखा लिपिक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हो), तो (निम्न) द्वारा गठित एक चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी—

1 मण्डल के सचिव — अध्यक्ष

2 सहायक वित्तीय परामर्शदाता — सदस्य

3 निदेशक, उपनिवेश/मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार (यथा स्थिति) — सदस्य

मण्डल का सहायक-सचिव चयन समिति के सचिव के रूप मे काय करेगा।

[5](3) कोई व्यक्ति मुख्यलिपिक या अनुभाग प्रभारी (हैडक्लर्क या सेक्शन इन्चार्ज) के रूप मे नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि वह राज्य के कायकलापा के सम्बन्ध मे कम से कम 10 वप सेवा न कर चुका हो, मय तीन वप वरिष्ठ लिपिक के रूप मे, सिवाय उन स्नातको के, जो 7 वप की सेवा कर चुके हो, मय दो वप वरिष्ठ लिपिक के रूप मे सेवा के, मुख्य लिपिक या अनुभाग प्रभारी के रूप म नियुक्ति के लिये पात्र होगे।

[6][(4) X—X विलापित X]

[7](4-क) कोई व्यक्ति सहायक (एसिस्टेन्ट) के रूप मे अधिष्ठायी रूप से

---

4 वि स 3 (37) नियुक्ति (क) 59 दिनाङ्क 7 6 1960 द्वारा जोडा गया।

5 वि स 7 (18) नियुक्ति (क) 59 दि 28 7 1961 द्वारा निविष्ट।

6 वि स एफ 3(4) DOP/A-2/77 दिनाक 15 3 78 द्वारा विलोपित, जो वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दि 14 7 1962 द्वारा जोडा गया था—

'(4) कोई व्यक्ति आशुलिपिक (स्टेनाग्राफर-क्लक) के पद पर नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि उसने आशुलिपि (स्टेनोग्राफी) विषय म या अतिरिक्त विषय के रूप म हायर सेकेन्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो, या उसने आयोग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी आशुलिपिको की परीक्षा (टेस्ट) मे योग्यता प्राप्त करली हो।

7 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग XXIV दिनाक 28 10 1967 द्वारा जोडा गया।

नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि उसने राजकाज म कम स कम 10 वष तक के लिये मय 5 वप वरिष्ठ लिपिक के रूप म, सेवा नहीं की हो।

[8](5) कोई व्यक्ति अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि—

(क) उसने राजकाज मे कम से कम 10 वप तक सेवा न की हो, जिसम (निम्न) सम्मिलित हैं—

(i) 1 जनवरी 973 से पहले की किसी अवधि के सम्बन्ध म, सहायक और वरिष्ठ लिपिक के रूप मे सात वप की अवधि के लिये, और

(ii) 1 जनवरी 1973 को या इसके बाद की अवधि के सम्बन्ध म, सहायक के रूप म दो वप की अवधि के लिये, या

(ख) राजकाज म आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप म कम से कम 10 वप के लिये सेवा कर चुका हो।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ख) के अधीन "दस वप" की सेवा की सगणना के प्रयोजन के लिये, 1 सितम्बर 1968 से पहले आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप में की गई सेवा को आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप मे की गई सेवा माना जावेगा।

[9](5-क) ज्या ही यह विनिश्चित किया जावे कि—अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के पदो को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो सहायको तथा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी, जो पदोन्नति के लिये पात्र हैं, की सम्मिलित वरिष्ठता ऐसे रूप मे लगातार स्थानापन्न काय करने व बाद मे नियमित चयन होने की अवधि के आधार पर तय की जावेगी। (यदि) किसी मामले म कोई सहायक तथा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी ने बराबर अवधि के लिये लगातार स्थानापन्न काय किया हो, तो सहायक (उस) आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय से वरिष्ठ श्रेणी म होगा।

---

8 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 of XXV दिनाक 10 5 1972 द्वारा निम्नाकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—
"(5) कोई व्यक्ति अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि—वह राजकाज म कम से कम दस वप के लिये, मय कम से कम दो वप सहायक के रूप मे तथा 5 वप वरिष्ठ लिपिक के रूप म सेवा न कर चुका हो या राजकाज मे कम स कम 10 वप के लिये आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप मे सेवा न कर चुका हो।"

9 वि स एफ 3 (2) DOP (क-2) 77 दि 26 10 1977 द्वारा निविष्ट।

[10] (6) (क) कोई व्यक्ति अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि—उसने राजकाज मे कम से कम दस वर्ष के लिये, मय एक वर्ष अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप मे, सेवा नही कर ली हो।

(ख) ऐसे विभाग मे जहा अधीक्षक द्वितीय श्रेणी का पद नही है, कोई व्यक्ति अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि उसने राजकाज मे कम से कम दस वर्ष के लिये सेवा नहीं की हो, जिसमे (निम्न) सम्मिलित है—

(i) चार वर्ष सहायक के रूप मे या सात वर्ष की सेवा सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के रूप मे, या

(ii) आशुलिपिक के रूप मे दस वर्ष, जिसमे पाच वर्ष आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप मे या ऐसे विभाग मे जहा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी का पद विद्यमान नही है तो 15 वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप मे।

स्पष्टीकरण—खण्ड (ii) के अधीन सेवा की सगणना के प्रयोजनार्थ, आशुलिपिक द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के रूप में 1 सितम्बर 1968 के पूर्व

---

10 वि स एफ 3 (2) DOP (क-2) 77 दि 26,10 1970 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

पुराना नियम (6) (क) तथा (ख), उपरोक्त नियम (6) (क) व (ख) के समान भाषा मे ही था, पहले (ख) मे वर्तमान दो शर्तों की बजाय निम्न लिखित तीन शर्ते थी—

"(i) दो वर्ष अनुभाग प्रभारी/मुख्य लिपिक के रूप मे या चार वर्ष सहायक के रूप मे, या

(ii) 1 जनवरी 1973 के पहले की किसी अवधि के सम्बन्ध मे सात वर्ष के लिये सहायक तथा वरिष्ठ लिपिक के रूप मे और इसके बाद की अवधि के सम्बन्ध मे चार वर्ष सहायक के रूप मे, या

(iii) वह राजकाज में आशुलिपिक के रूप मे कम से कम 10 वर्ष तक मय पाच वर्ष आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप मे या ऐसे विभाग मे जहा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी का पद विद्यमान नही है, 15 वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप मे सेवा कर चुका हो।

स्पष्टीकरण— खण्ड (iii) के अधीन सेवा की सगणना के प्रयोजन से, 1 सितम्बर, 1968 के पहले आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय तथा तृतीय के रूप सेवा को क्रमश आशुलिपिक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के रूप मे सेवा माना जावेगा।

की सेवा को क्रमश आशुलिपिक प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के रूप म सेवा माना जावेगा।

[11](6-क) ज्यो ही यह विनिश्चित किया जाता है, कि अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पदो को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है, तो सहायको तथा प्रथम श्रेणी के आशुलिपिका, जो पदोन्नति के लिये पात्र हैं, की सम्मिलि वरिष्ठता ऐसे रूप मे लगातार स्थानापन्न काय करने व बाद म नियमित चयन हो की अवधि के आधार पर तय की जावेगी, परन्तु यह है कि-आशुलिपिको म से वह व्यक्ति जो आशुलिपिक प्रथम श्रेणी नियुक्त है या आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप म जिसकी लगातार सेवा लम्बी है किन्तु उस समान श्रेणी मे जिसकी सेवा कम है, वह आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी (रैंक) मे होगा। (यदि) किसी मामले मे कोई सहायक तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी लगातार स्थानापन्न काय करने की समान अवधि रखते हो, तो सहायक आशुलिपिक प्रथम श्रेणी से वरिष्ठ श्रेणी म होगा।

[12](7) कोई द्वितीय श्रेणी का आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के आशुलिपिक के पद [13][के 50% से अधिक रिक्त स्थानो] पर पदोन्नत नही किया जावगा, जब तक कि—वह आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी आशुलिपिक की परीक्षा अंग्रेजी श्रुतिलेख म 120 शब्द प्रति मिनिट या हिन्दी श्रुतिलेख म 100 शब्द प्रति मिनिट उत्तीर्ण न करले, [14][जो कि 100 अको की होगी] और चार वर्ष की सेवा न कर ली हो तथा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद पर अधिष्ठायी होना चाहिए। परन्तु,

11 वि स। एफ 3 (2) DOP (क-2) 77 दि 28 10 1977 द्वारा निविष्ट।

12 वि स एफ 3 (13) DOP (क-2) दिनाक 5-3-1976 द्वारा निम्न-लिखित उपनियम (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

"(7) कोई आशुलिपिक उच्च श्रेणी (राजस्थान नवीन वेतनमान नियम 1969 के अधीन श्रेणी द्वितीय को श्रेणी प्रथम पुनपदाकित करने पर) जब तक कि-वह आयोग द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा अंग्रेजी श्रुतिलेख म 120 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी श्रुतिलेख म 100 शब्द प्रति मिनट से उत्तीर्ण न कर ले। जो व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अन्यथा पदोन्नति के लिय योग्य (due) हैं उनको यह परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण नही करनी होगी।"

13 वि स एफ 3 (4) DOP/A-2/77 दिनाक 15-3 78 द्वारा प्रतिस्थापित।

14 वि स एफ 3 (3) DOP (क-2) 75 दिनाक 17-5-1977 द्वारा शब्दा-वली "जो 100 शब्दो की होगी" के बजाय निविष्ट।

वे व्यक्ति जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं और अन्यथा पदोन्नति के लिये योग्य (due) हैं, उनको अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।

[15](8) आशुलिपिक प्रथम श्रेणी परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता—[13][प्रथम श्रेणी के पदों की 50% रिक्तियों के विरुद्ध [कोई व्यक्ति जब तक कि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता है, आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की परीक्षा में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होगा—

(i) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के सवर्ग में अधिष्ठायी हो,

(ii) इन नियमों के नियम 7 के परन्तुक (7) के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये पात्र हो,

(iii) अधीनस्थ कार्यालयों के आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के लिये आयोग द्वारा आयोजित [16][प्रतियोगिता परीक्षा या अर्हता परीक्षा] उत्तीर्ण की हो तथा नियम 26 के उपनियम (3) के अधीन तदर्थ/आवश्यक अस्थायी रूप से अन्यथा कम से कम दो वर्ष की अवधि के लिये आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में कार्य किया हो।

टिप्पणी—जो व्यक्ति इस सशोधन के प्रभावशील होने के तुरन्त बाद आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की अर्हता-परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, उनको माह अक्तूबर 1975 में आयोजित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण समझा जावेगा।

[17](9) कोई व्यक्ति सहायक पंजीयक, राजस्व मण्डल के रूप में अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसने अपने सम्पूर्ण सवर्ग में कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी के रूप में कम से कम पांच वर्षों के लिये सेवा नहीं की हो और

---

15 वि स एफ 3 (13) DOP (क-2) 73 दिनांक 5-3-1976 द्वारा निम्न लिखित के स्थान पर प्रतिस्थापित—

"(8) आशुलिपिक प्रथमश्रेणी परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता—स्थायी (कनफमड) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी आशुलिपिक प्रथम श्रेणी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होंगे, परन्तु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम दिनांक को उनके द्वारा आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के रूप में कम से कम चार वर्ष कार्य किया गया हो।'

16 उपरोक्त विज्ञप्ति दिनांक 15-3 78 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित— "या तो 10 5-1972 तक अर्हता परीक्षा या 10 5 1972 के बाद प्रतियोगिता परीक्षा"

17 वि स एफ 3 (3) (क 2) 73 दिनांक 17-5-1974 तथा शुद्धि पत्र समसंख्यक दि० 17-6 1974 द्वारा निविष्ट।

जिस वष मे चयन किया जाता है उसकी पहली जनवरी को उस पद को अधिष्ठायी रूप से धारण न करता हो।

[18](10) कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी या स्थापन अधिकारी के रूप म अधिष्ठायी रूप से नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि उसने कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी या कार्यालय अधीक्षक द्वितीय श्रेणी के रूप मे क्रमश पाच वर्षों या दस वर्षों की अवधि के लिये सेवा नही की हो और वह ऐसा कोई पद चयन करने के वष के अप्रेल के प्रथम दिन को अधिष्ठायी रूप से धारण नही करता हो।

[19](11) कोई व्यक्ति निजी-सहायक के रूप म अधिष्ठायी तौर पर नियुक्त नही किया जावेगा, जब तक कि उसने आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के रूप म 10 वष या अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के रूप मे एक वष की अवधि के लिये सेवा न की हो और जिसने आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय की परीक्षा उत्तीर्ण करली हो या नियम 7 के परन्तुक (7) के अधीन उसे छूट दे दी गई हो।

परन्तु यह है कि—यदि किसी विभाग मे अधीक्षक प्रथम श्रेणी के पदा की सख्या आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की कुल सख्या के बराबर हो, तो केवल साधारण सवग के सदस्य ही अधीक्षक श्रेणी प्रथम के पद पर पदोन्नति के पात्र होगे,

परतु आगे यह भी है कि—यदि किसी विभाग मे अधीक्षक प्रथम श्रेणी के कुल पदा की सख्या निजी सहायको के पदो की सख्या से अधिक हो, तो साधारण सवग और आशुलिपिक सवग के सदस्य अधीक्षक प्रथम श्रेणी की अधिक सख्या के पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र होगे, जो कि उपनियम (6–क) क अनुसार भरे जावेंगे।

[20]15-क—[विलोपित]

---

18 वि स एफ 3 (2) DOP (क–2) 75 दिनाक 20 9-1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनाक 1-5-1975 से प्रभावी।

19 वि स 3 (2) DOP (क–2) 77 दिनाक 26-10-1977 द्वारा निविष्ट।

20 निम्नाकित नियम 15–क वि स एफ 7 (1) DOP (क–2) 74 दिनाक 5 9 1974 द्वारा निविष्ट किया गया था तथा वि स एफ 3 (11) कार्मिक (क–2) 74 दिनाक 8-2-1975 द्वारा विलोपित किया गया—

"**15-क**—कोई अधिकारी पदोन्नति के लिय विचार म नही लिया जावेगा तब तक कि उसे पिछले निम्न पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व पुष्ट (कनफम) नही कर दिया गया हो। यदि कोई अधिकारी पिछले निम्न पद पर अधिष्ठायी हाते हुए भी पदोन्नति के लिय पात्र नही हो तो वे अधिकारी जो भर्ती के तरीका मे से या भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक ये अधीन बनाये गये सेवा नियमो के अधीन चयन के बाद स्थानापन्न आधार पर ऐसे पद पर नियुक्त किये गये हैं, उन पर स्थानापन्न आधार पर केवल उसी वरिष्ठता के क्रम मे पदोन्नति के लिये विचार मे लाया जा सकता है, यदि वे उक्त निम्न पद पर अधिष्ठायी होते।"

16 पक्ष समथन—नियमो के अधीन अपेक्षित बातो के अलावा, भर्ती के लिये किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष मे समथन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किया गया प्रयत्न उसे भर्ती के लिय निर्रहित कर देगा।

भाग (4) × × विलोपित × ×

[वि स एफ 3 (4) DOP/A–2/77 दिनाक 15 3 78 द्वारा भाग (4) को विलोपित किया गया जो इस प्रकार था —

भाग 4 आशुलिपिको के सवर्ग के लिये

17 आवेदन पत्र आमन्त्रित करना—आशुलिपिको ❀[तथा स्टेनोग्राफर क्लर्क के] सवर्गो मे सीधी भर्ती के लिये आवेदन नियुक्ति अधिकारी द्वारा रिक्त स्थानो का विज्ञापन द्वारा जिस प्रकार वह उचित समझे आमन्त्रित किये जावेंगे और ऐसे प्रपत्र मे दिये जावेंगे, जो ❀[उसके द्वारा अनुमोदित किये जावें]

18 चयन—(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदनो की सवीक्षा करने के बाद और समस्त या ऐसे अभ्यर्थिया का साक्षात्कार करने के बाद, जिनको वह वांछनीय समझे, चयन किया जावेगा। चयनित अभ्यर्थियो के नाम एक सूची मे उनकी योग्यता (मेरिट) के क्रम मे रखे जावेंगे।

(2) उप नियम (1) म बनाई गई सूची मे से उन अभ्यर्थियो को चयनित करते हुए जो उस सूची मे सर्वोच्च हैं और नियम (8) के उपब धो के अधीन रहते हुए नियुक्ति अधिकारी ऐसी जाच द्वारा जो वह आवश्यक समझे, अपना समाधान करने के बाद कि ऐसे अभ्यर्थी सब प्रकार से इन सवर्गो मे नियुक्ति के लिये उपयुक्त हैं, इन सवर्गो म नियुक्तियाँ की जावेंगी।]

[1]भाग (5) आशुलिपिको के पदों तथा साधारण सवग के लिये प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने का तरीका। अहतायें—

[2]19 परीक्षाओ का समय—(Frequency of examination)—नियम 7

❀ वि स 10(1) नियुक्ति (क) 56 दिनाक 14 7-1962 तथा स एफ 7 (8) नियुक्ति (घ) 59 दि 28 7 1961 द्वारा जोडा गया तथा प्रति स्थापित किया गया।

1 "भाग (5) साधारण सवग म सीधी भर्ती की प्रक्रिया' के बजाय प्रति स्थापित–दि 15 3 78 की विज्ञप्ति द्वारा

2 वि स प 3 (5) DOP/A–II/78 दिनांक 21 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित, जा वि स एफ 3 (4) DOP/A–II/77 दि 15 3 78 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था— क्रमश

मे विहित प्रतियोगिता-परीक्षायें प्रत्येक वर्ष ऐसे स्थानो पर आयोजित की जावेंगी, जैसा कि आयोग तय करे

परन्तु यह है कि—आयोग राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970 के उपबन्धो के अधीन कनिष्ठ लिपिको के रिक्त स्थानो के लिये संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर सकेगा। एक अभ्यर्थी अधीनस्थ कार्यालया तथा सचिवालय के रिक्तस्थानो के लिये आवेदन करने का हकदार होगा जिसके लिये केवल एक आवेदन पत्र कनिष्ठ लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिये होगा और अभ्यर्थी आवेदन पत्र म कनिष्ठ लिपिक (सचिवालय) या कनिष्ठ लिपिक (अधीनस्थ कार्यालय) के चयन (चोइस) का उल्लेख करेगा। ऐसी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को केवल एक परीक्षा शुल्क देनी होगी। आयोग सफल अभ्यर्थियो की जिन्होने राजस्थान अधीनस्थ कार्यालयो के लिये आवदन किया नियम 24 के अनुसार तथा राजस्थान सचिवालय मन्त्रालयिक सेवा नियम 1970, के नियम 22 (1) (ख) के अनुसार, उन अभ्यर्थियो के मामले मे जिन्हाने यथोक्त सेवा के लिये आवेदन किया, एक सूची बनायेगा।

परन्तु यह और है कि—अधीनस्थ कार्यालयो के कनिष्ठ लिपिको के पदो के लिये प्रतियोगी-परीक्षा आयोग द्वारा क्षेत्रानुसार (Zonewise) आयोजित की जावेगी। इस प्रयोजनार्थ क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे—

(1) जयपुर क्षेत्र I—जिसमे जयपुर, अजमेर, टौंक, सीकर तथा झुंझुनू, जिले सम्मिलित होंगे।

(2) जयपुर क्षेत्र II—जिसमे अलवर, भरतपुर तथा सवाई माधोपुर जिले सम्मिलित होंगे।

[19 परीक्षा की पुनरावृत्ति—नियम 7 के अधीन विहित प्रतियोगिता परीक्षा प्रत्येक वर्ष म ऐसे स्थानो पर आयोजित की जायेगी, जो आयोग तय करे,

परन्तु यह है कि—नियम 7 के अधीन विहित अर्हता-परीक्षायें प्रत्येक छः मास के बाद आयोग द्वारा निर्धारित स्थानो पर आयोजित की जायेगी'।]

नोट—दि 15 3 78 से पूर्व इस नियम 19 मे उपरोक्त नये नियम दि 21 5 1979 के प्रथम परन्तुक तक का नियम एकसमान था जो विज्ञप्ति स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 16 6 1959 तथा वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनाक 28 7 1961 के द्वारा यह निम्न के लिए प्रतिस्थापित किया गया था—

"समस्त विभागो के साधारण सवर्ग की सीधी भर्ती के लिए एक प्रतियोगिता-परीक्षा प्रतिवर्ष प्रत्येक डिवीजनल मुख्यावास पर आयोजित की जावेगी।

(3) कोटा क्षेत्र—जिसमे कोटा, बूंदी व झालावाड जिले सम्मिलित होगे ।

(4) उदयपुर क्षेत्र—जिसमे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, चित्तौडगढ तथा भीलवाडा जिले सम्मिलित होगे ।

(5) बीकानेर क्षेत्र—जिसमे बीकानेर, चूरू और गंगानगर जिले सम्मिलित होगे ।

(6) जोधपुर क्षेत्र—जिसमे जोधपुर, बाडमेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर और जैसलमेर जिले सम्मिलित होगे ।

[3][20 परीक्षाओं के सचालन तथा पाठ्यक्रम के लिये प्राधिकार—

इन नियमों की नियम 19 के अनुसार परीक्षायें आयोग द्वारा सचालित की जावेंगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम इन नियमो से सलग्न अनुसूची I मे वर्णित होगा।]

21 आवेदन पत्र आमन्त्रित करना—परीक्षा मे बैठने हेतु आवेदन पत्र आयोग द्वारा पदो के विज्ञापन द्वारा पदो के विज्ञापन द्वारा, जिस प्रकार वह उचित समझे, आमन्त्रित किये जावेंगे और ऐसे प्रपत्र मे होगे जैसा कि वह (आयोग) अनुमादित करे तथा [4][प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र मे तीन जिलो या विभागों के नाम बतान होगे, जिनमे वह सेवा करना चाहता है।]

---

3 वि स एफ 3 (4) DOP/A–2/77 दिनाक 15 3 1978 द्वारा निम्नांकित के लिये प्रतिस्थापित—

"20 परीक्षायें आयोजित करने के लिए प्राधिकारी तथा पाठ्यक्रम—परीक्षा प्रतिवर्ष आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम अनुसूची I मे दिया गया है।"©

[© वि स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28 7 1961 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

परीक्षा आयोजित करने के लिए प्राधिकारी एव पाठ्यक्रम—वर्ष भर मे अपेक्षित रिक्त स्थानो को भरने के लिये दी गई मांग के आधार पर, जो 1 दिसम्बर तक नियुक्ति प्राधिकारियो द्वारा आयोग को सूचित की जावेगी, "परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जावेगी। मांग पत्र 1 दिसम्बर तक सख्या को बतायगा। मांगपत्र मे प्रत्येक डिवीजन मे स्थित कार्यालयो मे रिक्त स्थानो की सख्या बताई जावगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम जैसा अनुसूची II म दिया है, होगा।"]

4 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (ग) 55 दिनांक 16 6 1959 तथा वि सं एफ 7 (18) नियुक्ति (घ) 59 दिनांक 28 7 1961 द्वारा जोडा गया व प्रतिस्थापित किया गया, जो इस प्रकार था—

"अभ्यर्थी आयोग को ऐसी शुल्क देंगे जो आयोग विहित करेगा।"

×[5] [विलोपित]

[6][परन्तु यह है कि—कनिष्ठ लिपिका के पद के लिये प्रतियोगी-परीक्षा के मामले मे अभ्यर्थियो को नियम 19 मे वर्णित क्षेत्रानुसार आवदन करना होगा और प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र मे दो जिलो के नाम प्राथमिकता के क्रम मे उल्लिखित करेगा, जिनमे वह अपनी नियुक्ति चाहता है ।]

[7][21 क-परीक्षा शुल्क–

(1) सेवा के पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी आयोग को ऐसी शुल्क ऐसे प्रकार मे देगा, जैसा आयोग द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जावे ।

(2) न तो परीक्षा शुल्क के प्रत्यर्पण (वापसी) के लिये किसी दावे (माग) पर विचार किया जायगा, न वह शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिये आरक्षित की जा सकेगी, सिवाय इसके जब किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा परीक्षा मे प्रवेश नही दिया जाता है, तो ऐसे मामले मे प्रत्यर्पण (वापसी) से पहले उस राशि म 5/– रुपये की कटौती करली जावेगी ।]

---

5 वि स एफ 3 (3) DOP (क 2) 76 दिनाक 30 6 1976 द्वारा विलोपित, जो इस प्रकार था—

"परन्तु यह है कि—आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जाने वाले पदो के अतिरिक्त विज्ञापित रिक्त पदो, के 50 प्रतिशत तक मे उपयुक्त अभ्यर्थियो के नामो को सुरक्षित सूची मे रख सकेगा । आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी गई मूलसूची के दिनांक से छ माह के भीतर माग करने पर ऐसे अभ्यर्थियो के नाम योग्यता के क्रम मे नियुक्ति प्राधिकारी को अभिशसित किय जा सकेंगे ।'

6 वि स 3 (5) DOP/ A-II/78 दिनाक 21 5 1979 द्वारा जोडा गया ।

7 वि स एफ 9 (23) नियुक्ति (क 2) 72 दिनाक 17 6 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

"21 क—परीक्षा शुल्क—प्रतियोगिता/अर्हता परीक्षा मे बैठने वाला अभ्यर्थी आयोग को उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान उपरोक्त वि स 3 (4) DOP/A–2–/77 दिनाक 15 3 78 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था—

*"21 क-परीक्षा शुल्क-सेवा में किसी पद की सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी आयोग द्वारा निश्चित शुल्क उसे देगा, [क्रमश

[8] 22 परीक्षा मे प्रवेश—कोई अभ्यर्थी किसी भी परीक्षा मे सम्मिलित नही किया जायगा, जब तक कि वह उस परीक्षा के लिये आयोग द्वारा दिया गया प्रवेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करता है। ऐसा प्रमाण पत्र देन के पहले आयोग स्वय का समाधान कर लेगा कि—आवेदन पत्र सवथा आयोग द्वारा स्वीकृत तरीके से प्रपत्र (फाम) मे दिया गया था।

परन्तु यह है कि—आयोग अपने विवेकाधिकार से विहित प्रपत्र (फाम) भरने मे हुई सद्भावपूर्ण त्रुटियो या आवेदन प्रस्तुत करने को परिशोधित करने या कोई

---

* परन्तु शत यह है कि-बर्मा और श्रीलका से 1 3 1963 को या बाद मे तथा पूर्वी अफ्रीकी देशो केन्या, टागानिका, युगाडा तथा जजीबार से वापस आये व्यक्ति आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा विहित आवेदन शुल्क या परीक्षा शुल्क, जो भी हो, के भुगतान से मुक्त होगे, पर शत यह है कि -आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथा स्थिति, का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति ऐसी शुल्क देने की स्थिति मे नही हैं।

* उपरोक्त परन्तुक वि स एफ 1 (20) नियुक्ति (क 2)67 दि 20 2 78 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जो दि 29 2 1977 तक प्रभावी रहा। उपरोक्त नियम वि स एफ 1 (2) नियुक्ति/60 दिनाक 15 7 1966 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया था—

"21 क परीक्षा शुल्क—(1) एक अभ्यर्थी को अनुसूची (2) के कालम 2 दिखाये गये पद पर सीधी भर्ती के लिये आयोग को ऐसे प्रकार से जैसा आयोग अनुमोदित करे कालम 3 मे तथा यदि वह अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, तो कालम 4 म उस पद के लिये विनिर्दिष्ट परीक्षा शुल्क दनी होगी। (2) परीक्षा शुल्क की वापसी का कोई दावा नही माना जावेगा, न शुल्क किसी अन्य परीक्षा के लिये सुरक्षित की जा सकेगी, जब तक कि–अभ्यर्थी को उस परीक्षा मे प्रविष्ट नही कर लिया गया हो जिसके लिये वह शुल्क दी गई थी। इस प्रकार के मामले मे अनुसूची (3) के कालम 5 मे वर्णित कटौती वापसी के पहले की जावेगी।"

8 वि स एफ 10(1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 5 1959 तथा स एफ 7 (18) नियुक्ति (घ)/59 दिनाक 28 7 1961 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

22 परीक्षा मे प्रवेश—परीक्षा के लिये प्रवेश उन अभ्यर्थियो की सख्या तक सीमित होगा, जो हाई स्कूल परीक्षा म प्राप्त कुल अको के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क क्रम मे भरे जाने के अपेक्षित रिक्त स्थानो की सख्या से पाँच गुने से अधिक नही होगे। प्रत्येक अभ्यर्थियो को अपने आवेदन पत्र मे उस डिवीजन का नाम देना होगा, जिसम वह सेवा करना चाहता है।

प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नही दिया जाने पर परीक्षा के आरम्भ से पूव ठीक समय मे दखेने पर अनुमति दे सकेगा।

[9] 23 व्यक्तित्व तथा साक्षात्कार (मौखिक) परीक्षा [विलोपित]

24 चयन (सलेक्शन)—

[10] (1) आयोग नियम 19 म विहित क्षेत्रा (जोन) के आधार पर, योग्यता सूचियाँ तथा सार राज्य के लिये भी उन अभ्यर्थिया की, जो कनिष्ठ लिपिक परीक्षा म उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम अहताको के अनुसार सफल घोपित हुए हैं, एक सम्मिलित योग्यता सूची तैयार करेगा।

परन्तु यह है कि—आयोग, अतिम रूप से सूचित की गई रिक्तिया के 50% तक, *उपयुक्त अभ्यर्थियो के नाम आरक्षित सूची म रख सकेगा।* ऐसे अभ्यर्थियो के नाम, मूल सूची आयोग द्वारा सरकार का कार्मिक विभाग मे सम्प्रेषित करने के दिनाक से छ मास के भीतर माँग पत्र प्राप्त होने पर जैसा आयोग तय करे उसी तरीके से, योग्यता के क्रम मे सरकार को कार्मिक विभाग मे अतिरिक्त रिक्तियो के विरुद्ध नियुक्ति के लिये अभिशसित कर सकेगा।

---

9 वि स 10(1) नियुक्ति (क) 55 दि 16 6 1959 द्वारा विलापित जो इस प्रकार था—

23 व्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा—व्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा के लिय आयोग द्वारा केवल ऐसे अभ्यर्थियो को बुलाया जावेगा, जिन्होने आयोग के अभिमत मे पर्याप्तत उच्च अक प्राप्त किये हो, परन्तु यह है कि—कोई व्यक्ति जो कुल अका का 45% तथा प्रत्येक प्रश्न पत्र मे कम से कम 40% अक प्राप्त करने मे असफल रहा है, साक्षात्कार के लिये नही बुलाया जावेगा। अभ्यर्थी का आयोग के किसी एक सदस्य द्वारा साक्षात्कार लिया जा सकेगा। प्रत्येक प्रशासनिक डिवीजन का डिवीजनल कमिश्नर या उसके द्वारा मनोनीत एक जिलाधीश साक्षात्कार मे उपस्थित रहगा, यदि ऐसा साक्षात्कार राज्य की राजधानी से बाहर आयोजित किया जावे।

10 वि स एफ 3(5) DOP/A–II/78 दिनाक 21 5 1979 द्वारा उपनियम (1) व (2) के स्थान पर उपरोक्त नया उपनियम (1) प्रतिस्थापित तथा उपनियम (3), (4), (5) को क्रमश (2), (3) व (4) पुनर्संख्याकित कर उपनियम (6) को विलोपित किया गया, जो निम्न प्रकार से थे—

24 चयन (सलेक्शन)—(1) कनिष्ट-लिपिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम अहता-अकों के अनुसार आयोग सफल घोषित अभ्यर्थिया की एक योग्यता-सूची (मेरिट लिस्ट) निम्न प्रकार से तैयार करेगा—

(क) अभ्यर्थियो की साधारण सूची 'क', जो कुल योग के 60% या अधिक अक प्राप्त करते हैं।

परन्तु यह और है कि—समय समय पर सरकार द्वारा विहित आरक्षण के अनुसार आयोग अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो के अभ्यर्थियो की एक अलग सूची भी तैयार करेगा और अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियो के लिये इन नियमो मे विहित टकरण परीक्षा मे अर्हताको का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नही होगा, परन्तु टकण परीक्षा मे प्राप्त अक उनके द्वारा प्राप्त कुल अको मे जोडे जावेंगे।

(2) अभ्यर्थियो के नाम सम्बन्धित सूचियो मे उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये कुल अको के क्रम में व्यवस्थित किये जावेंगे।

(3) आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र मे एक तथा कुल अकों मे तीन तक कृपाक किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिये प्रदान कर सकेगा, जो अन्यथा उस परीक्षा मे अर्हता प्राप्त (Qualified) नही कर सकता था।

परन्तु यह है कि—आयोग किसी अभ्यर्थी की अभिशसा नहीं करेगा, जो कनिष्ट लिपिक परीक्षा मे प्रत्येक अनिवाय तथा ऐच्छिक प्रश्न पत्र मे कम से कम 35% अक प्राप्त करने मे असफल रहा हो।

(ख) अभ्यर्थियो की साधारण सूची 'ख', जो कुल के 60% से कम अक प्राप्त करते हैं।

(ग) आरक्षित सूची अलग से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियो की,

परन्तु यह है कि—इन नियमो मे विहित टकण परीक्षा मे अनुसूचित जातियो अनुसूचित जन जातियो के अभ्यर्थिया के लिये अर्हता-अको का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा किन्तु टकण-परीक्षा मे उनके द्वारा प्राप्त अक कुल प्राप्ताको म जोड दिये जावेंगे।

(2) साधारण सूचियो मे उन अभ्यर्थियो को भी सम्मिलित किया जायगा, जो इन नियमो के नियम 7 के परन्तुक 3 के अधीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के लिये आरक्षित रिक्त स्थानो के लिये या भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बन किन्ही नियमा के अधीन रिक्त स्थानों के अन्य आरक्षण (के लिये) भर्ती चाहते हैं।

(6) साधारण सूची 'क' तथा साधारण सूची 'ख' परीक्षा फल की घोषणा की दिनांक के बाद के चौबीस महीनों के लिए और सुरक्षित सूची अगले छत्तीस

[11] [××विलोपित]

(4) आयोग इन सूचियो को सचिवालय के व्यवस्था एव पद्धति विभाग को भेजेगा, जो इसको समस्त सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारियो को सूचना के लिए अधिसूचित करेगा। इन सूचियो मे से व्यवस्था एव पद्धति विभाग अभ्यर्थियो को विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियो को उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता (मेरिट) सूचिया मे उनके द्वारा प्राप्त स्थान (पोजीशन) के आधार पर और विभाग मे रखी गयी रोस्टर सूची के अनुसार आबटित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी स्वय जैसी आवश्यक समझें, वैसी जाच-पडताल करने के बाद समाधान करेगा कि ऐसे अभ्यर्थी सब प्रकार से (उन) पदो पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हैं।

[10] [(6) विलोपित]

[12]24क—आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के चयन तथा नियुक्ति का तरीका—

(1) आशुलिपिको की अर्हता परीक्षा मे सफल घोषित अभ्यर्थियो की आयोग सूचिया तैयार करेगा। ऐसी सूचिया आयोग द्वारा कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार (प्रशासनिक सुधार) विभाग को सचिवालय म भेजी जावेगी, जो उन्हे सूचनार्थ समस्त नियुक्ति-प्राधिकारियो को अधिसूचित करेगा। ऐसी सूचियो मे से प्रशासनिक सुधार विभाग विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियो को सम्बन्धित विभाग द्वारा धारित किये गये रोस्टर (सूची) के अनुसार अभ्यर्थियो का आबटन करेगा। आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के मामले मे सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी जाच (पूछताछ) करने के बाद जो वह आवश्यक समझे, स्वय का समाधान करेगा कि—ऐसे अभ्यर्थी सब प्रकार से आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदो पर नियुक्ति के अन्यथा उपयुक्त हैं।

परन्तु यह है कि—आयोग किसी (ऐसे) अभ्यर्थी की अनुशसा (सिफारिश) नही करेगा, जो आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी की परीक्षा मे आशुलिपिक के प्रश्नपत्र

महीनो के लिये प्रभावशील रहेगी। पिछले पूर्व वर्ष की साधारण सूची 'क' इस चालू वर्ष की साधारण सूची 'क तथा साधारण सूची '(ख) पर प्राथमिकता प्राप्त करेगी। पूर्व (पिछले) वर्ष की साधारण सूची 'ख' वर्तमान (चालू) वर्ष की साधारण सूची 'क' तथा साधारण सूची 'ख' के समाप्त होने पर विचारणीय होगी।

11 वि स एफ 3(4) DOP/क-II/77 दि 15 3 78 द्वारा विलोपित जो निम्न प्रकार से था, इसमे तारांकित भाग वि स एफ 3(3) DOP/क-II/75 दि 17 5 77 द्वारा जोडा गया था—

"परन्तु यह भी है कि—आयोग किसी अभ्यर्थियो की अभिशसा नही करेगा जो आशुलिपि तथा टकण परीक्षा के प्रश्न पत्रो मे कम से कम 35% अक तथा कुल अको का कम से कम 40% *[तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के लिये अर्हता—परीक्षा मे 40% अक] प्राप्त करने मे असफल रहा हो।

12 वि स एफ 3 (4) DOP/क-2/77 दिनाक 15 3-78 द्वारा जोडा गया।

तथा टकरण परीक्षा के प्रश्नपत्र मे प्रत्येक मे न्यूनतम 35 प्रतिशत तथा कुल अंको मे से 40% तथा आशुलिपिक प्रथम श्रेणी की अहता परीक्षा मे 40% अक प्राप्त करने में असफल रहा हो।

परन्तु आगे यह है कि—आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र मे एक तक तथा कुल योग म तीन तक कृपाक किसी अभ्यर्थी को आशुलिपिक की परीक्षा मे अहता प्राप्त करने के लिये दे सकेगा, जो अन्यथा उस परीक्षा मे अहता प्राप्त नही करता।

(2) आयोग द्वारा उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई दो वर्ष की अवधि के लिये प्रभावी रहेंगी।

भाग (4) नियुक्तियाँ, परिवीक्षा तथा पुष्टीकरण (स्थायीकरण)

25 निम्नतम श्रेणियों मे नियुक्तियाँ—

[1][(1) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी तथा कनिष्ठ लिपिको के पदो पर नियुक्तिय सम्बन्धित नियुक्ति-प्राधिकारियो द्वारा क्रमश नियम 24 तथा 24क के अधीन तै किये गये सम्बन्धित सवग मे या दूसरे विभागा से व्यक्तियो के स्थानान्तर द्वारा नियम 7 के परन्तुक (1) के अधीन ऐसे स्थानान्तर के लिये पात्र हो, की जावेंगी।

[1][(2) × × विलोपित]

[2](2) नियम 7 मे किसी बात के होते हुए भी, कनिष्ट लिपिक के रूप मे

---

1 वि स एफ 3 (4) DOP (क–2) 77 दिनाक 15-3 1978 द्वारा नियम 25 (1) प्रतिस्थापित तथा उपनियम (2) विलोपित एव परन्तुक (2) को उपनियम (3) पुनसंख्याकित किया गया, जो इस प्रकार है—

"(1) आशुलिपिक तृतीय श्रेणी कनिष्ट लिपिक के पदो पर अधिष्ठायी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा क्रमश नियम 18 (2) तथा नियम 24 (2) म विहितप्रकार से सम्बन्धित सवग मे अधिष्ठायी रिक्त स्थान होने पर या दूसरे विभाग से व्यक्तियो के स्थानान्तर द्वारा नियम 7 के परन्तुक के अधीन ऐसे स्थानान्तर के लिय पात्र होने पर की जावेगी।

(2) आशुलिपिक तृतीय श्रेणी या कनिष्ट लिपिक के रिक्त पद को अस्थायी रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, अस्थायी रूप से, उस पर चयनित व्यक्तियो की योग्यता के क्रम मे नियुक्ति के द्वारा भरे जा सकेंगे, जो प्रतियोगिता परीक्षा मे सम्मिलित हुये थे परन्तु या तो अहताक प्राप्त न कर सके या अहताक प्राप्त करने पर भी अधिष्ठायी नियुक्तियाँ प्राप्त न कर सके

(1) परन्तु यह है कि— जब तक प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है, कोई उपयुक्त व्यक्ति, जो नियम 11 से 15 के अधीन वांछनीय अहतायें रखता हो, अस्थायी रूप मे नियुक्त किया जा सकेगा।

दिनांक 31-3 1973 तक अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों को, जो ऐसे पदो या उच्चतर पदो को लगातार धारण करते आरहे है, अस्थायी आधार पर नियमित रूप से नियुक्त माना जावेगा, परन्तु व इन नियमो मे विहित अन्य शर्तें पूरी करते हो। उनकी अस्थायी नियुक्ति की दिनाक के अनुसार और स्थायी रिक्त स्थान प्राप्त होने पर और उनका काय सतोषजनक पाया जाने पर कनिष्ट लिपिक के रूप मे अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये पात्र होगे

परन्तु यह है कि—वह व्यक्ति जो कनिष्ट लिपिक के रूप मे अस्थायी रूप से काय कर रहा है और जिसका काय सन्तोष जनक नही पाया गया हो वह सेवा से हटाया जाने योग्य होगा।

(i) उसे एक माह का नोटिस देते हुए, यदि उसने राजकाज मे तीन वप से कम के लिये सेवा की हो, और

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम 1958 मे दिये गये तरीके का पालन करते हुए, यदि उसने तीन वर्ष से अधिक के लिये सेवा की हो। 31-3-1973 के बाद अस्थायी रूप से कनिष्ट लिपिक के रूप मे नियुक्त समस्त व्यक्तियो को इन नियमो मे विहित प्रतियोगिता-परीक्षा के द्वारा नियमित भर्ती प्राप्त करनी होगी।

[3](3) नियम 7 मे किसी बात के होते हुए भी, समस्त व्यक्ति जो 1 4 1973 को या इसके बाद कि तु 1 8 1977 से पहले तदथ (एडहाक) आधार पर कनिष्ट लिपिक के रूप मे काय कर रहे थे और जो 1976 मे इन पदो के लिये आयोग द्वारा नियमित भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगिता-परीक्षा में न बैठ सके या उत्तीर्ण न न हो सके, इन पदो पर नियुक्ति के लिये सफल अभ्यर्थियो के उपलब्ध होने पर अधीनस्थ कार्यालयो मे रिक्त पदो के उपलब्ध होने पर कनिष्ठ लिपिको के पदो के विरुद्ध समायोजित किय जावेगे, उनको [4][अनुसूची I के भाग IV मे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार अर्हता-परीक्षा] उत्तीर्ण करने के लिये तीन अवसर दिये जावेंगे, चाहे वे इन नियमो म विहित अधिकतम आयु सीमा को पार कर चुके हो।

[5]25 क—अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए विशेष उपबन्ध—नियम 8,9, 11 तथा 19 से 25 में किसी बात

3 वि स 5 (8) DOP (क-2) 77 GSR 69 दिनाक 28 1-1978 द्वारा परन्तुक के रूप मे जोडा गया।

4 वि स एफ 5 (8) DOP/A-II/77 भाग 2 दिनाक 5-10 1978 द्वारा शब्द "उपरोक्त परीक्षा" के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

5 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 27 11 1958 द्वारा जोडा गया।

के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी के लिये, विशेष कदम (*measure*) के रूप में 28 फरवरी 1960 तक कनिष्ठ लिपिकों के पद पर अनुसूचित जातियां तथा जन-जातियों के सदस्यों में से, सरकार द्वारा विहित प्रकार से, नियुक्तियाँ करना सक्षम होगा।

[6] 26 वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियाँ—

---

6 वि स एफ 3(11) कार्मिक (क-2) 74 दिनांक 8 2 1975 से निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित—

"26 वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां—

(1) किसी सवर्ग में वरिष्ठ पद पर नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जावेगी, सिवाय वरिष्ठलिपिक के पद के, जो कि आंशिक रूप से पदोन्नति द्वारा और आंशिक रूप से सीधी भर्ती द्वारा भरा जावेगा। वरिष्ठ लिपिकों की नियुक्तियां करने में, पहली तीन नियुक्तियां पदोन्नति द्वारा की जायेगी और अगली एक सीधी भर्ती द्वारा और आगे इसी क्रम से। वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अभ्यर्थियों की वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर की जावेंगी

परन्तु यह है कि, किसी विशिष्ट वर्ष में, नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि—पदोन्नति के लिये पात्र कनिष्ठ लिपिकों की संख्या उस वर्ष में वरिष्ठ लिपिकों के पदों के रिक्त स्थानों की संख्या से दस गुना बढ जाती है, तो वह उस वर्ष में सीधी भर्ती को छोड सकता है

परन्तु आगे यह भी है कि—राजस्थान नहर मण्डल तथा मण्डल के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कार्यालयों में वरिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्ति या तो उपयुक्त कनिष्ठ लिपिकों की पदोन्नति द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकेगी। सीधी भर्ती के मामले में मण्डल द्वारा नियुक्ति (निम्न) चयन समिति द्वारा किये गये चयन के आधार पर की जावेगी—

1 बोर्ड के सचिव	अध्यक्ष
2 सहायक वित्तीय सलाहकार	सदस्य
3 उपनिवेश आयुक्त/मुख्य अभियन्ता के तकनीकी सहायक, यथास्थिति	सदस्य

बोर्ड के सहायक सचिव इस चयन समिति में सचिव के रूप में कार्य करेगा—

परन्तु यह भी है कि—राजस्व मण्डल के सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्ति (निम्न) चयन समिति द्वारा पदोन्नति से की जावेगी—

(1) अध्यक्ष राजस्व मंडल या उनके द्वारा मनोनीत राजस्वमंडल का एक सदस्य	अध्यक्ष

(1) वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति, क्रमश नियम 7 के उपनियम (ग) तथा नियम 26 ङ (E) मे दिये गये तरीके के अनुसार, तथा अन्य समकक्ष तथा उच्चतर पदो पर नियम 26 घ (D) के उपनियम (4) के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित सम्बन्धित सूचियो म से व्यक्तियो का लेकर उस क्रम मे जिसमे ऐसी सूचियो मे उनको रखा गया है, की जावेगी, जब तक कि वे (सूचिया) पूरी नही हो जाती हैं

परन्तु यह है कि—राजस्वमडल के सहायक पजीयक के पद पर नियुक्तिया (निम्न) चयन समिति द्वारा पदोन्नति से की जावेंगी—

(i) राजस्वमण्डल के अध्यक्ष या उनके मनोनीत राजस्व मण्डल का सदस्य अध्यक्ष

(ii) भू प्रबन्ध आयुक्त सदस्य

(iii) उपनिवेश आयुक्त सदस्य

[7] परन्तु आगे यह भी है कि—प्रशासनिक अधिकारी या स्थापना अधिकारी के पद पर नियुक्ति (निम्न) चयन समिति की अभिसशाओ के आधार पर की जावगी—

(i) निदेशक, ह च मा लोकप्रशासन सस्थान अध्यक्ष

(ii) सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सदस्य

(iii) कार्मिक विभाग का एक प्रतिनिधि, जो उपशासन सचिव स निम्न श्रेणी का न हो सदस्य

चयन करने के लिय नियम 26–B, 26–C तथा 26–D म दिया गया तरीका अपनाया जावेगा । समिति योग्यता (मेरिट) के क्रम मे चयनित अभ्यर्थियो की सूची (पैनल) तैयार करेगी ।

(2) किसी व्यक्ति की दूसरे विभाग से स्थानान्तर द्वारा नियुक्ति नही की जावेगी, यदि इसमें उच्चतर पद पर पदोन्नति अन्तवलित होती हो, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का स्वय का यह समाधान न हो जाय कि पदोन्नति के लिये उपयुक्त कोई व्यक्ति विभाग मे उपलब्ध नही है ।

(ii) भूप्रबन्ध आयुक्त सदस्य

(iii) उपनिवेश आयुक्त सदस्य ।'

7 वि स एफ 3 (7) DOP (क–2) 75 दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट तथा दिनांक 1 9 1975 से प्रभावशील ।

[8](3) आवश्यक (अर्जेन्ट) अस्थाई नियुक्तियाँ—(Urgent Temporary Appointments)—(1) सेवा में एक रिक्त स्थान जो कि नियमों के अधीन या तो सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा तुरन्त नहीं भरा जा सकता हो, सरकार या [9][नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी], यथास्थिति, द्वारा उस पर, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारी को स्थानापन्न रूप से नियुक्त करके, या सेवा में सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्ति को, जहां ऐसी सीधी भर्ती इन नियमों के उपबन्धों के अधीन दी गई है, अस्थाई रूप से नियुक्त करके भरा जा सकेगा

परन्तु यह है कि—ऐसी कोई नियुक्ति आयोग की उस मामले में सहमति प्राप्त किये बिना, जहां ऐसी सहमति आवश्यक हो, एक वर्ष की अवधि से आगे जारी नहीं रखी जावेगी और उस (आयोग) के द्वारा सहमति देने से इन्कार कर देने पर वह (नियुक्ति) तुरन्त समाप्त कर दी जावेगी

[10]परन्तु आगे यह भी है कि—किसी सेवा या सेवा में किसी पद के लिए जिसके लिए भर्ती के उपरोक्त दोनों तरीके विहित किये गये हैं, सरकार या नियुक्ति

---

8 वि स एफ 1 (10) नियुक्ति (क–2) 72 दिनांक 16-2-1973 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

(3) अस्थायी नियुक्तियां—(1) नियम 15 में किसी बात के होते हुए भी, अधीक्षक या मुख्यलिपिक (विभागाध्यक्ष कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों में), वरिष्ठ लिपिक, (सहायक), या आशुलिपिक श्रेणी प्रथम और द्वितीय के रिक्त स्थान अस्थाई रूप से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निचली दूसरी श्रेणी के वरिष्ठतम उपयुक्त कर्मचारी की स्थानापन्न नियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे।

(2) वरिष्ठ लिपिक का रिक्तस्थान जो साधारणतया सीधी भर्ती से भरा जाता है, अस्थाई तौर पर नियुक्ति-प्राधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्ष तथा विभागाध्यक्ष द्वारा मनोनीत उस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ बनाई गई समिति की अभिशंसा पर उस पर इस प्रकार अभिशंसित अभ्यर्थी को अस्थाई रूप से नियुक्त करके भरा जा सकेगा यदि आयोग का कोई मनोनीत (अभ्यर्थी) उपलब्ध न हो।

(3) कनिष्ठ लिपिक या आशु लिपिक का रिक्त स्थान अस्थाई तौर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त उपलब्ध अभ्यर्थी को अस्थाई रूप में नियुक्त कर भरा जा सकेगा, यदि आयोग का कोई मनोनीत (अभ्यर्थी) उपलब्ध न हो।

9 वि स एफ 1 (10) DOP (क–2) 72 दिनांक 12-9-1973 के अधीन शुद्धिपत्र' द्वारा शब्द 'नियुक्ति प्राधिकारी' के स्थान पर प्रतिस्थापित

10 विज्ञप्ति स एफ 1 (10) Dop (क–2) 72 दिनांक 28 11-1973 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित— क्रमशः

करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जैसी स्थिति हो, राज्य सेवा के मामले मे कार्मिक विभाग मे सरकार की तथा अन्य सेवाओ के सम्बन्ध मे प्रशासनिक विभाग मे सरकार की विशिष्ट अनुमति के अलावा, सीधी भर्ती के कोटे मे अस्थाई रिक्त स्थान को तीन माह से अधिक की अवधि के लिए पूर्णकालिक नियुक्ति द्वारा सीधी भर्ती के लिए पात्र व्यक्तियो मे से तथा अल्पकालिक विज्ञापन दिये बिना के अन्यथा, नही भरेगा।

[11](ii) पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ता को पूरी करने वाले उपयुक्त व्यक्तियो की अनुपलब्धता की दशा मे, सरकार, उपरोक्त खण्ड ( ) मे वाछित पदान्नति के लिए पात्रता की चाहे कोई भी शर्त क्यो न हो, आवश्यक अस्थायी आधार पर रिक्त स्थानो को भरने की अनुमति देने के लिए, वेतन तथा अन्य भत्ता सम्बन्धी ऐसे प्रतिबन्ध तथा शर्तें जसी वह दे उनके अधीन रहते हुए सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी। ऐसी नियुक्तिया, येनकेन, आयोग की सहमति के अधीन रहेगी जसा कि उपरोक्त खण्ड के अधीन वाछित है।

[12][(iii) **आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदो पर आवश्यक अस्थायी नियुक्ति करने पर प्रतिबन्ध**—अधीनस्थ कार्यालया मे आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के सवग मे आगे से कोई आवश्यक अस्थाई नियुक्ति नही की जावेगी।]

[13](4) **कनिष्ट लिपिको के लिए आवश्यक अस्थायी नियुक्ति हेतु विशेष शर्तें**—कनिष्ट लिपिका के पद पर कोई आवश्यक अस्थायी नियुक्ति सिवाय (उन) व्यक्तियो के जो कि नियम 30 के खण्ड (कक) के अधीन टकण परीक्षा से मुक्त कर दिये गय हैं, नही की जायगी, जब तक कि एक व्यक्ति नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित टकण परीक्षा मे अग्रेजी मे 25 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी मे 20 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण नही हो जाता है। इस प्रकार का प्रमाणपत्र नियुक्ति आदेश म ही अभिलिखित किया जावगा।

"परन्तु आगे यह भी है कि—किसी सेवा या सेवा मे किसी पद के लिए जहा भर्ती के लिए दोनो तरीके विहित हैं सरकार या नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, जसी भी स्थिति हो, सीधी भर्ती के लिए पात्र किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके अस्थाई रिक्त स्थान को नही भरेगा, जब तक कि पदोन्नति के लिए उपयुक्त कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध हो।"

11 वि स एफ 7 (7) कार्मिक (क–2) 75 दिनांक 31 10 1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 10-5-195/ से प्रभावशील।

12 वि स एफ 3 (4) DOP (क–2) 77 दिनाक 15-3 1978 द्वारा जोडा गया।

13 वि स एफ 3 (1) DOP (क–2) 77 दिनाक 23 3-1977 द्वारा जोडा गया।

[14] 26–क—नियम 26 मे किसी बात क होते हुए भी, पचायत समिति एव जिला परिषद सेवाओ का एव सदस्य सेवा मे वरिष्ठ लिपिक का पद धारण करते हुए साधारण सवग की अगली उच्चतर श्रेणी मे पदो पर केवल जिलाधीश कार्यालय म पदोन्नति के लिए पात्र होगा, परन्तु शत यह है कि वह इन नियमो मे उन पदो के लिए वर्णित शर्तें पूरी करता हो। इस प्रकार पदोन्नत व्यक्तियो की राजस्थान पचायत समिति जिला परिषद सेवा मे अधिष्ठायी रूप स पदो को धारण करने की अवधि की सेवा को वरिष्ठता के प्रयोजनाथ तथा राजस्थान सेवा नियम के उपबन्धो के अनुसार पेशन के प्रयोजनाथ सगणित किया जावगा।

[15] 26–ख—पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए तरीका तथा मापदण्ड (Criteria)—(1) वरिष्ठ लिपिको के पदो तथा अन्य समकक्ष पदो तक पदोन्नति

---

14 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (ग) 57 भाग III दिनाक 22-11-1963 द्वारा जोडा गया।

15 विज्ञप्ति स एफ 3 (11) कार्मिक (क–2) 74 दिनाक 8 2 1975 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया—

※"26 ख (1) वरिष्ठ लिपिक के पदो म अन्यथा उच्चतर पदों पर नियुक्ति सवथा योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर 1 2 के अनुपात म चयन द्वारा की जावेगी। वरिष्ठ लिपिक के पदो पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति आगे से वरिष्ठता-सह-योग्यता के एकमात्र आधार पर की जावेगी।

× परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि—किसी वप विशेष मे सवथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नही है तो नियुक्ति इन नियमो मे विनिर्दिष्ट तरीके से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जा सकेगी। ×

※वि स एफ 1 (22) नियुक्ति (क–2) 70 दिनाक 25 9 1972 द्वारा उपरोक्त नियम 26 ख निम्नांकित के लिये प्रति स्थापित किया गया था—

"26 ख योग्यता के आधार पर चयन द्वारा पदोन्नति—

(1) वरिष्ठ लिपिको तथा अन्य वरिष्ठ पदो पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति सवथा योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर चयन द्वारा 1 2 के अनुपात मे की जायगी

×परन्तु की जा सकेगी। (उपरोक्त)×

(2) सवथा योग्यता के आधार पर चयन उन्ही व्यक्तियो मे से किया जायेगा जो इन नियमो के अधीन पदोन्नति के लिये अन्यथा पात्र हो, ऐसे अभ्यर्थियो की सख्या जिनके सबध मे तत्प्रयोजनाथ विचार किया जाना है, योग्यता तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदो की कुल सख्या से दस गुनी

हेतु चयन वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर ही किया जावेगा। वरिष्ठ लिपिकों के पद से उच्चतर पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सवथा योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर 1 2 के अनुपात म किया जावेगा

परन्तु यदि विभागीय-पदोन्नति समिति का समाधान हो जाय कि किसी वर्ष विशेष में सवथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो नियुक्ति इन नियमों म विनिर्दिष्ट तरीके से वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जा सकेगी।

(2) इन नियमों के नियम 15 के अधीन वांछित न्यूनतम अर्हतायें तथा अनुभव चयन के वर्ष के अप्रेल माह की पहली दिनांक को रखने की सीमा के अधीन नियम 6 के अधीन वर्णित पदों के धारक व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

होगी परन्तु यह तब जब कि अभ्यर्थी इतनी संख्या म उपलब्ध हों। जहां पात्र अभ्यर्थियों की संख्या रिक्त पदों की संख्या के वरिष्ठतम व्यक्तियों के सम्बन्ध म तत्प्रयोजनार्थ विचार किया जायगा।

परन्तु जब तक कि इन नियमों म अन्यत्र उच्चतर कालावधि विहित न की गई हो, समान (उसी) संवर्ग म (निम्न श्रेणी से उच्चतर श्रेणी म) केवल योग्यता के कोटा में पदोन्नति के लिये केवल वे ही व्यक्ति पात्र होंगे जिन्होंने निम्नतर पद पर 6 वर्ष से अन्यून सेवा पूरी करली हो।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की, सवथा योग्यता के आधार पर, एक अलग सूची तयार करेगा और प्राथमिकता (preference) के क्रम म नामों को व्यवस्थित करेगा तथा अधिष्ठायी रिक्त स्थानों के होने पर योग्यता से भरे जाने वाले पदोन्नति के कोटे म उस सूची म से उसी क्रम में जिसमे उनको सूची म रक्खा गया है, नियुक्ति की जावेगी।

(4) एक ही वर्ष के दौरान पदों की किसी श्रेणी म नियुक्त व्यक्तियों म से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ रहेंगे। पदोन्नति द्वारा पद की किसी श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, प्राथमिकता क्रम का ध्यान रखे बिना, तय की जावेगी, मानो ऐसे व्यक्ति वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हों।

(5) इन नियमों म किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस नियम के उपबन्ध प्रभावशील होंगे।

स्पष्टीकरण—उपनियम (1) के अधीन दोनों ही आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या तय करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जावेगा—

प्रथम योग्यता के आधार पर, अगले दो वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर, अगला एक योग्यता के आधार पर, अगले दो वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर—यही चक्रीय क्रम दोहराया जायेगा।"

स्पष्टीकरण—जब किसी पद पर किसी विशेष वर्ष मे पदोन्नति के लिए नियमित चयन से पहले ही सीधी भर्ती कर ली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति जो भर्ती के दोनो तरीकों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या वे और पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर लिए गए हों, तो उन पर भी पदोन्नति के लिए विचार किया जावेगा।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले म पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह अगले निम्न पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा पुष्ट (कनफम) नहीं हो गया है। यदि अगले निम्न पद में कोई अधिष्ठायी व्यक्ति पदोन्नति के लिए पात्र नही हो, तो वह व्यक्ति जो ऐसे भर्ती के किसी एक तरीके के अनुसार या पद पर भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन बन किसी सेवा नियम के अधीन चयन के बाद स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया है, स्थानापन्न रूप से (उसकी) पदोन्नति के लिये केवल वरिष्ठता के उस क्रम मे, जिस पर यदि वह उस निम्न पद पर अधिष्ठायी होने पर होता विचार किया जा सकेगा।

[16]26 ग—"वरिष्ठता-सह योग्यता" के आधार पर चयन का तरीका—

(1) जैसे ही सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी नियम 6 के अधीन रिक्तस्थानों की सख्या तय करता है और विनिश्चय करता है कि—कुछ सख्या में पदों को पदोन्नति द्वारा भरना वाछित है, तो वह इन नियमो के अधीन सम्बन्धित पदो के श्रेणी मे पदोन्नति के लिए पात्र तथा अर्हित वरिष्ठतम व्यक्तियो मे से रिक्तस्थानो की सख्या से पाच गुन से अनाधिक नामो की एक सही तथा परिपूर्ण सूची तयार करेगा।

(2) एक समिति, जिसम सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष तथा सम्बन्धित विभाग के दो वरिष्ठ उपविभागाध्यक्ष या जिन विभागो में उपविभागाध्यक्ष नही हो तो विभाग के अगले दो वरिष्ठतम अधिकारी और कार्यालय अधीक्षक प्रथम श्रेणी तथा अन्य समकक्ष या उच्चतर पदों के मामले मे सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग का एक प्रतिनिधि भी, सदस्य के रूप मे होंगे, उस सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के मामलो पर विचार करेगी तथा उनमे से ऐसे व्यक्तियों से साक्षात्कार करेगी जिनसे वह साक्षात्कार करना आवश्यक समझे और एक सूची तयार करेगी जिसमे उपनियम (1) म उपदर्शित पदो की सख्या की दुगुनी सख्या तक उपयुक्त अभ्यर्थियो के नाम अन्तर्विष्ट होंगे।

---

16 वि स - एफ 3 (11) - कार्मिक (क-2) 74 दि 8 2 1975 द्वारा निविष्ट।

(3) समिति एक पृथक सूची तैयार करेगी, जिसमे ऐसे व्यक्तियो के नाम होंगे जिनका चयन पहले से विद्यमान स्थानापन्न रिक्तियो को या ऐसे पदो को जिनकी समिति की आगामी बैठक होने तक रिक्त होने की सभावना हो, भरने के लिये किया जा सके —

(क) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रतिवर्ष पुनरीक्षित एव पुनर्विलोकित की जायगी,

(ख) यह सूची सामान्यत उस समय तक प्रवृत्त (लागू) रहेगी जब तक कि उपनियम (3) के खण्ड (क) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित न की जाय।

(4) समिति द्वारा चयनित उपयुक्त अभ्यर्थियो के नाम पदो के प्रत्येक प्रवर्ग (केटेगरी) के लिये अलग से उनकी वरिष्ठता के क्रम मे व्यवस्थित किये जावेंगे।

(5) समिति द्वारा पदो के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अलग से तैयार की गई सूची सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थियो की तथा अतिष्ठित व्यक्तियो की भी यदि कोई हो, गोपनीय पञ्जियो तथा वैयक्तिक पञ्जिकाओ के साथ भेजी जावेगी।

[17]26 घ सेवा मे सवर्गित कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा अन्य पदो पर पदोन्नति के लिये सशोधित मापदण्ड, पात्रता तथा तरीका—

(1) ज्योही नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमो के रिक्तियो के विनिश्चय सम्बन्धी नियम के अधीन रिक्तियो की सख्या विनिश्चित करता है और तय करता है कि—कतिपय (कुछ) सख्या मे पद पदोन्नति से भरने हैं, तो उपनियम (9) के उपबन्धो की सीमा मे रहते हुए वह वरिष्ठतम व्यक्तियो की एक सूची तैयार करेगा जो इन नियमो के अधीन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या योग्यता के आधार पर सम्बन्धित पदो की श्रेणी मे पदोन्नति के लिए पात्र तथा अर्हित (eligible & qualified) हैं।

(2) सम्बन्धित अनुसूची के कालम (5) या 'पद जिनमे पदोन्नति करनी है' के बारे मे सम्बद्ध कालम, जैसी स्थिति हो मे वर्णित व्यक्ति उस (अनुसूची) के कालम 2 मे वर्णित पदो पर कालम 3 मे विनिर्दिष्ट सीमा तक, कालम 6 या 'पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव' सम्बन्धी कालम यथा स्थिति, मे वर्णित न्यूनतम अर्हतायें तथा अनुभव चयन के वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिन को धारण करने पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

---

17 वि स एफ 7 (10) DOP (क–2) दिनाक 7 3 1978 द्वारा प्रतिस्थापित। पुराना नियम 26 घ आगे अलग से दिया जा रहा है।

(3) कोई व्यक्ति जब तक वह अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व स्थायी (कनफमड) नही है, उसकी पदोन्नति के लिये विचार नही किया जावगा। यदि पिछले निम्नतर पद पर पदोन्नति के लिये पात्र कोई व्यक्ति अधिष्ठायी नही है, तो वे व्यक्ति जो ऐसे पदों पर भर्ती के किसी एक तरीके के अनुसार या भारत के मविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक क अधीन बने किसी सेवा नियम के अधीन चयन के बाद स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किये गये हैं, (उन पर) केवल स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति के लिये वरिष्ठता के उस क्रम मे विचार किया जा सकता है, जिसमे यदि वे उक्त निम्नतर पद पर अधिष्ठायी होने पर होते।

टिप्पणी—ऐसे मामले मे जब किसी विशिष्ट वष मे किसी पद पर सीधी भर्ती पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पहले करली गई ह, तो एसे व्यक्ति जो उस पद पर भर्ती के दोना तरीकों से नियुक्ति के लिय पात्र हैं या पात्र थे और उनको सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर दिया गया है, ता उन पर भी पदोन्नति के लिय विचार किया जावेगा।

(4) ऐसे पद/पदो स जा सेवा मे सम्मिलित नही हैं सेवा के निम्नतम पद या पद श्रेणी मे पदोन्नति की नियमित पक्ति मे पदोन्नति के लिये चयन सवथा योग्यता के आधार पर तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर 50 50 के अनुपात म किया जायेगा,

परन्तु यह है कि—यदि समिति का यह समाधान हो जाय कि—किसी विशिष्ट वष में सवथा योग्यता के आधार पर पदान्नति के द्वारा चयन के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नही हैं, तो वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी समान प्रकार से किया जा सकेगा जैसा इन नियमो म वणित हैं।

(5) उपनियम (7) के उपबन्धो की सीमा में रहते हुए, राज्य-सेवा के किसी निम्नतम पद या पद की श्रेणी से राज्य सेवा के किसी अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी मे और अधीनस्थ सेवाओ तथा लिपिक वर्गीय सेवाओ के समस्त पदो के लिए पदोन्नति द्वारा चयन सवथा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर उन व्यक्तियो मे से किया जायेगा, जो अहता परीक्षा, यदि कोई नियमो मे विहित हा, उत्तीण कर चुका है और चयन के वष के अप्रेल माह के प्रथम दिवस को उस पद या पद श्रेणी पर, जिससे चयन किया जाना है, कम से कम पाच वष की सेवा पूरी कर चुका हैं, जब तक कि नियमो म अन्यत्र भिन्न अवधि विहित नही की गई हा।

परन्तु यह है कि—पाच वष की सवा की आवश्यक अवधि सहित व्यक्तियो की अनुपलब्धता की दशा म, समिति विहित सेवावधि स कम वाले व्यक्तियो पर विचार कर सकेगी, यदि वे इन नियमो म अन्यत्र विहित पदोन्नति क लिय अन्य शर्तों तथा अहताओ को पूरा करत हैं और वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अन्यथा उपयुक्त पाये गये हैं।,

(6) राज्य सेवा में समस्त अन्य उच्चतर पदो या उच्चतर श्रेणी के पदो पर पदोन्नति के लिये चयन सर्वथा योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर 50 50 के अनुपात में किया जायेगा।

परन्तु यह है कि—यदि समिति का यह समाधान हो जाये कि—किसी विशिष्ट वष मे सवथा योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन के लिय उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नही हैं, तो वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा चयन उसी समान प्रकार से किया जा सकेगा, जसा इन नियमों म वर्णित है।

सरकारी निर्देश

※ विषय—कतिपय श्रेणियो के पदा की 'योग्यता' और 'वरिष्ठता सह योग्यता' के आधार पर पदोन्नति से भरे जाना।

पदोन्नति के लिये सशोधित तरीके के बारे म सम्बन्धित नियम का वतमान उपनियम (6) कुछ श्रेणिया के पदा पर 50 50 के अनुपात मे 'वरिष्ठता सह योग्यता' तथा 'योग्यता' के आधार पर पदोन्नति करने के लिये उपबन्ध करता है। ये नियम स्पष्ट रूप से यह नही बताते कि—ऐसी श्रेणी के पदा पर चयन 'वरिष्ठता सह योग्यता' के आधार पर किया जायगा या 'योग्यता के आधार पर।

सरकार द्वारा इस पर विचार किया गया और निम्नांकित तरीके का अनुसरण किया जाना चाहिये—

"पात्रता, पदोन्नति आदि के सशोधित मापदण्ड निर्धारित करने वाले नियम के उपनियम (6) के नीचे दिये गये 'स्पष्टीकरण' के अनुसार वरिष्ठता सह-योग्यता और योग्यता के आधार पर अलग अलग भरे जाने वाले पदो की सख्या तय की जानी चाहिये। पहले वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानो को भरने के लिये चयन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात योग्यता के कोटा के रिक्तस्थाना का भरने के लिये योग्यता के आधार पर व्यक्तिया का चयन करना चाहिये।'

जहा दिनाक 7 माच 1978 की अधिघोषणा के जारी होने के बाद उपयुक्त श्रेणी के पदा के लिय विभागीय-पदोन्नति समिति की बैठकें पहले ही आयोजित की जा चुकी ह और उनके द्वारा की गइ अभिशपायें यदि उपरोक्त सिद्धान्त के विपरीत हैं, तो उनको उपरोक्त स्पष्टीकरण के प्रकाश में पुनर्विलोकित किया जा सकेगा।

※ परिपत्र स एफ 7 (10) DOP (A–II) 77–1 GSR 24 दिनाक 11 सितम्बर 1978, राजस्थान राजपत्र-असाधारण-भाग 4 (ग) (I) दिनाक 16 9 1978 पृष्ठ 211 पर प्रकाशित।

(7) राज्यसेवा मे उच्चतम पद या पद की उच्चतम श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन सदा केवल योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

(8) वे व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं वे अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी पर जो कि योग्यता से भरा जाना है, पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र होगे जब कि वे नियमित चयन के बाद, जो उस पद या पद की श्रेणी, जिसके लिये चयन करना हो, के लिए चयन के वर्ष के अप्रेल माह के प्रथम दिवस को कम से कम पाच वर्ष की सेवा कर चुके हो, जबकि इन नियमों मे अन्यत्र कोई उच्चतर सेवा की अवधि विहित न हो।

परन्तु पाच वर्ष की सेवा की शर्त उस व्यक्ति पर लागू नही होगी यदि उससे कनिष्ठ कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये विचारार्थ पात्र है।

परन्तु आगे यह है कि—भरे जाने वाले रिक्तस्थानो की संख्या के बराबर (संख्या मे) पिछले निम्नतर पद की श्रेणी मे जिससे पदोन्नति की जानी है, पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियो की अनुपलब्धता की दशा मे समिति पाच वर्ष की सेवा से कम सेवा वाले व्यक्तियो पर विचार कर सकेगी यदि वे केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अन्यथा पात्र एव उपयुक्त पाये जाते हैं।

स्पष्टीकरण—यदि सेवा मे निम्नतर अगली उच्चतर या उच्चतम पद के वर्गीकरण के बारे मे कोई सन्देह उत्पन्न होता है तो वह मामला सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जावेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(9) पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियो पर विचार का विस्तार क्षेत्र (Zone) निम्नांकित होगा—

(i) रिक्त स्थानो की संख्या		विचार करने के लिये पात्र व्यक्तियो की संख्या
(क) 1 से 5 रिक्त स्थान	—	रिक्तस्थानो की संख्या से 4 गुनी
(ख) 6 से 10 रिक्तस्थान	—	3 गुनी, किन्तु कम से कम 20 पात्र व्यक्तियो पर विचार किया जावेगा।
(ग) 10 से अधिक रिक्तस्थान	—	2 गुनी, किन्तु कम से कम 30 पात्र व्यक्तियो पर विचार किया जायेगा।

(ii) ×राज्य सेवा मे उच्चतम पद के लिए—

(क) यदि पदोन्नति किसी पद की एक श्रेणी से हो, तो पांच की संख्या तक पात्र व्यक्तियो पर पदोन्नति के लिये विचार किया जावेगा,

× वि स एफ 7 (10) DCP A-II/77 दिनांक 26 9 78 द्वारा निविष्ट।

(ख) यदि पदोन्नति समान वेतनमान के पदों की विभिन्न श्रेणियों से है, तो उसी वेतनमान की प्रत्येक श्रेणी से दो तक की संख्या में पात्र व्यक्तियों पर पदोन्नति के लिये विचार किया जावेगा,

(ग) यदि पदोन्नति विभिन्न वेतनमान के पदों की विभिन्न श्रेणियों से है, तो पदोन्नति के लिये पहले उच्चतर वेतनमान में पात्र व्यक्तियों पर और यदि उच्चतर वेतनमान में योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो निम्नतर वेतनमानों में पदों की अन्य श्रेणियों के पात्र व्यक्तियों पर और इसी क्रम से आगे विचार किया जावेगा। इस मामले में विचार करने का क्षेत्र सब में पांच वरिष्ठतम पात्र व्यक्तियों तक सीमित रहेगा।

(10) इस नियम में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें, समिति का गठन तथा चयन का तरीका समान रूप से वही होगा, जो इन नियमों में अन्यत्र विहित किया गया है।

(11) समिति समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जो इन नियमों के अधीन सम्बन्धित पदों की श्रेणी में पदोन्नति के लिये पात्र तथा अर्हित हैं उनमें से जिनको आवश्यक समझे साक्षात्कार करेगी, और एक सूची बनायेगी, जिसमें वर्तमान रिक्तियां तथा रिक्तियों को तय करने के बाद अगले बारह महीनों में होने वाली रिक्तियों की संख्या के बराबर उपयुक्त व्यक्तियों के नाम होंगे। समिति एक अलग सूची भी बनायेगी, जिसमें उपरोक्त सूची में चयनित व्यक्तियों के 50% के बराबर व्यक्तियों के नाम होंगे या यदि रिक्तियों की संख्या केवल एक हो, तो एक और व्यक्ति का चयन करेगी, जो कि समिति की अगली बैठक तक होने वाली स्थाई या अस्थायी रिक्तियों को अस्थाई या स्थानापन्न आधार पर भरने के लिये उपयुक्त समझे जावें और इस प्रकार बनाई हुई सूची को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित तथा पुनर्विलोकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनरीक्षित और पुनर्विलोकित होने तक वह (सूची) प्रभावी रहेगी।

इस प्रकार योग्यता के आधार पर और वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूचियां उस पद की श्रेणी पर वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित की जावेगी, जिस (पद) पर से चयन किया जाना है। ऐसी सूचियां सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी को समस्त अभ्यर्थियों मय उनके जिनका कि चयन नहीं हुआ यदि कोई हो, के वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा वैयक्तिक पंजिकाओं सहित भेजी जावेंगी।

स्पष्टीकरण—योग्यता के आधार पर चयन के प्रयोजनार्थ, सूची में वे अधिकारी जिनको 'असाधारण' (आउटस्टैण्डिंग) और "बहुत अच्छा" श्रेणित किया गया है, वरिष्ठता के क्रम में प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत होंगे, वे

अधिकारी जो 'अच्छा' श्रेणित किये गये हैं, वे वरिष्ठता के क्रम म द्वितीय श्रेणी वर्गीकृत होंगे और वे अधिकारी जो "औसत" और "अचयनित" श्रेणित किये गये, वे तृतीय श्रेणी में वर्गीकृत होंगे। वे अधिकारी जो द्वितीय श्रेणी सूची मे श्रेणित तथा वर्गीकृत किये गये हैं, प्रथम श्रेणी सूची मे श्रेणित व वर्गीकृत अधिकारियो के नीचे रखे जावेंगे और ऐसे अधिकारियों को इस श्रेणी से केवल (तभी) नियुक्त किया जावेगा, यदि प्रथम श्रेणी सची में श्रेणित व वर्गीकृत अधिकारी समाप्त (exhausted) हो जाते हैं, अन्यथा व सेवा म पदोन्नति द्वारा नियुक्त नही किये जायेंगे । तृतीय श्रेणी सूची में श्रेणित तथा वर्गीकृत अधिकारियो की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिय विचार नही किया जावेगा ।

(12) जहा आयोग से परामर्श आवश्यक हो, समिति द्वारा तैयार की गई सूचिया उन समस्त व्यक्तियो की वैयक्तिक पंजिकाओ तथा वार्षिक गोपनीय पत्रिया सहित जिनके नामो पर समिति न विचार किया है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रेषित की जावेंगी ।

(13) आयोग समिति द्वारा तैयार की गई सूचियो पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सम्बंधित प्रलेखो के साथ विचार करेगा और जब कोई परिवतन आवश्यक न समझा जावे, तो उस सूची को अनुमोदित (अप्रूव) करेगा । यदि नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त सूची मे आयोग कोई परिवतन करना आवश्यक समझे, तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवतनो से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा । आयोग की टिप्पणी को, यदि कोई हो, ध्यान मे रखने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी (उन) सूचियो को, ऐसे परिवतनो सहित जो उसके अभिमत मे न्यायोचित व ठीक हों, अन्तिम रूप से अनुमादित करेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के अधीनस्थ एक प्राधिकारी है तो आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियो को केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही परिवर्तित करना चाहिये ।

(14) नियुक्ति प्राधिकारी पूववर्ती उपनियम (13) के अधीन अन्तिम रूप स अनुमोदित सूचियो मे से उसी क्रम म जिसमे उनको सूची म रक्खा गया है, व्यक्तियों को लेते हुए नियुक्तिया करेगा जब तक कि ऐसी सूचियाँ समाप्त या पुनर्विलोकित और पुनरीक्षित, जैसा भी हो न करली जाय ।

(15) उन व्यक्तियो की पदोन्नति, नियुक्तिया या अन्य आनुषागिक मामलो पर जो निलम्बनाधीन हा या जिनके विरुद्ध विभागीय जाच चल रही हो, उस पद पर पदोन्नति के समय विचार किया जान के लिये जिस पर वे पात्र है या यदि निलम्बन जाच या कायवाही विचाराधीन नही होती तो पात्र होत समयोचित और निष्पक्ष तरीके से प्रावधिक कायवाही के लिए सरकार निर्देश जारी कर सकेगी ।

(16) इस नियम के उपबन्ध इन नियमो के किसी उपबन्ध मे कोई विपरीत बात के होत हुए भी प्रभावी होंगे ।

पुराना नियम 26 घ इस प्रकार है —

उपरोक्त वतमान नियम 26-घ विज्ञप्ति स F 7 (10) (A-II) 77 G S R 93 दिनाङ्क 7 माच 1978 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया जो 31 10 1975 से 7 3 1978 तक प्रभावशील रहा —

26-घ-सेवा मे सवगित कनिष्ठ, वरिष्ठ तथा अन्य पदों पर पदोन्नति के लिये सशोधित मापदण्ड, पात्रता तथा तरीका—

(1) जो पद (इस) सेवा मे सम्मिलित नही है उनमे से (इस) सेवा के निम्नतम पद या श्रेणी (कटेगरी) पर पदोन्नति की नियमित पक्ति मे पदोन्नति के लिय चयन सवथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर किया जावेगा।

(2) उपनियम (4) के उपबन्धो की सीमा मे रहते हुए, सेवा म निम्नतम पद या श्रेणी के पद से सेवा मे अगले उच्चतर पद या श्रेणी के लिये और वेतनमान स 11 तक के समस्त पदो के लिए जो राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1959 या सरकार द्वारा समय समय पर घोषित समकक्ष वेतनमानो के समस्त पदा के लिये पदोन्नति हेतु चयन उन लोगो मे से केवल वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर किया जायेगा जो इन नियमो के अधीन विहित अहता-परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर चुके हो तथा जो उस पद या पद की श्रेणी जिसके लिये चयन करना हो, के लिये चयन के वष के अप्रेल माह के प्रथम दिवस को कम से कम पाच वष तक सेवा कर चुके हो, जब तक कि इन नियमो मे कोई भिन्न अवधि विहित न हो।

परन्तु यह है कि—पाँच वष की वाछित सेवावधि वाले व्यक्तियो के अनुपलब्ध होने की दशा म, समिति विहित अवधि से कम सेवा वाले व्यक्तिया पर विचार कर सकेगी, यदि वे इन नियमो मे अन्यत्र विहित पदोन्नति के लिये अहताओ, अनुभव या अन्य शर्तों को पूरा करते हो तथा वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अन्यथा उपयुक्त पाये गये हो।

परन्तु आगे यह है कि—राज्य सेवा (State Service) मे सम्मिलित पदो के सम्बन्ध मे जिनमे निम्नतम पद पर नियुक्ति का तरीका पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का उपबन्ध करता है और जहाँ ऐसे पदो को इस उपनियम के अधीन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाना वाछित है, तो समिति उस विचार क्षेत्र मे उपलब्ध उच्च योग्यता (Outstanding merit) वाले ऐसे व्यक्तियो का जो कि वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर चयनित नही किये जा सकते, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानो के एक—चौथाई की सीमा तक, और यदि रिक्त स्थानो की सख्या एक से अधिक, परन्तु चार से कम है, तो पदोन्नति के लिये चयन कर सकेगी। समिति एक

व्यक्ति को केवल योग्यता पर चयनित कर सकेगी और यदि रिक्त स्थान चार स अधिक हैं, और केवल योग्यता से भरे जाने वाले रिक्तस्थानों की सख्या की उपरोक्त आधार पर सगणना मे अश आता है, तो समिति आधे या अधिक के (ऐसे) अश क लिये एक और व्यक्ति का चयन कर सकेगी। वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजनार्थ, ऐसे व्यक्ति वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर चयनित किये हुये समझे जावेगे।

(3) सेवा मे अन्य समस्त उच्चतर पदो या पद की उच्चतर श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन केवल योग्यता के आधार पर किया जावगा।

(4) सेवा मे उच्चतम पद या पद की उच्चतम श्रेणी पर पदोन्नति के लिये चयन सदा केवल योग्यता के आधार पर किया जावेगा।

(5) वे व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं, व अगले उच्चतर पद या पद की श्रेणी पर पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र होगे जबकि वे नियमित चयन के बाद जो उस पद या पद की श्रेणी जिसके लिये चयन के वर्ष के अप्रेल माह के प्रथम दिवस को कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर चुके हो, जबकि इन नियमों मे अन्यत्र कोई उच्चतर सेवा की अवधि विहित न हो।

परन्तु पाच वर्ष की सेवा की शर्त उस व्यक्ति पर लागू नही होगी, यदि उससे कनिष्ट कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये विचारार्थ पात्र हो।

परन्तु आगे यह है कि—भरे जाने वाले रिक्त स्थानो की सख्या के बराबर (सख्या म) निछले निम्नतर पद की श्रेणी में जिससे पदोन्नति की जानी है, पदोन्नति के लिये पात्र व्यक्तियो की अनुपलब्धता की दशा मे, समिति पाच वर्ष की सेवा स कम सेवा वाले व्यक्तियो पर विचार कर सकेगी, यदि वे केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिये अन्यथा पात्र एव उपयुक्त पाये जाते हैं।

स्पष्टीकरण—यदि सेवा मे निम्नतर, अगली उच्चतर या उच्चतम पद के वर्गीकरण के बारे मे कोई सदेह उत्पन्न होता है, तो वह मामला सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा जावेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

(6) पदोन्नति के लिए पात्रता का क्षेत्र वरिष्ठता-सह-योग्यता या योग्यता, जैसा भी हो के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानो की सख्या से पाँच गुना होगा।

परन्तु यह है कि—योग्यता के आधार पर चयन के लिये उपयुक्त व्यक्तियो की पर्याप्त सख्या में अनुपलब्धता के मामले में समिति अपने विवेकाधिकार के अधीन पात्रता के क्षेत्र से बाहर के असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियो पर विचार कर सकेगी परन्तु वे योग्यता के आधार पर भरी जाने वाले रिक्त स्थानो की सख्या के छ गुने के भीतर होंगे।

(7) इस नियम मे स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबर्णित के अतिरिक्त, पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें, समिति का गठन तथा चयन का तरीका समान रूप से वही होगा, जो इन नियमो मे अन्यत्र विहित किया गया है।

(8) समिति समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियो के मामलो पर विचार करेगी जो जो इन नियमो के अधीन सम्बन्धित पदो की श्रेणी मे पदोन्नति के लिये पात्र तथा अर्हित हैं, उनमे से जिनको आवश्यक समझे साक्षात्कार करेगी और एक सूची तैयार करेगी जिसमे वर्तमान रिक्तियो तथा रिक्तियो को तय करने के बाद अगले बारह महीनो मे होने वाली रिक्तियो की संख्या के बराबर उपयुक्त व्यक्तियो के नाम होगे। समिति एक अलग सूची भी बनायेगी जिसम उपरोक्त सूची मे चयनित व्यक्तियो की संख्या के 50 प्रतिशत के बराबर व्यक्तियो के नाम होगे या यदि रिक्तियो की संख्या केवल एक हो, तो एक और व्यक्ति का चयन करेगी, जो कि समिति की अगली बैठक तक होने वाली स्थाई या अस्थाई रिक्तियो को अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर भरने के लिये उपयुक्त समझे जावें और इस प्रकार बनाई हुई सूची को प्रतिवर्ष पुनरीक्षित तथा पुनर्विलोकित किया जावेगा और इस प्रकार पुनरीक्षित और पुनर्विलोकित होने तक वह (सूची) प्रभावी रहेगी।

इस प्रकार योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूचिया प्राथमिकता के क्रम मे व्यवस्थित की जावेगी तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूची उस पद की श्रेणी पर, जिसमे से चयन किया गया है, वरिष्ठता के क्रम मे व्यवस्थित की जावेगी। ऐसी सूचियाँ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी समस्त अभ्यर्थियो, मय उनके जिनका कि चयन नही हुआ, यदि कोई हो, के वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा वैयक्तिक पंजिकाओ सहित भेजी जावेंगी।

स्पष्टीकरण - प्राथमिकता की सूची मे अधिकारियो को योग्यता के आधार पर "असाधारण' (आउटस्टैण्डिंग), बहुत अच्छा" तथा 'अच्छा- के क्रम म वर्गीकृत किया जावेगा। प्रत्येक श्रेणी मे अधिकारी गण पिछली निचली श्रेणी (Next below grade) मे अपनी पारस्परिक वरिष्ठता धारण करेंगे।

(9) जहा आयोग से परामर्श आवश्यक हो, समिति द्वारा तैयार की गई सूचिया उन समस्त व्यक्तियो की वैयक्तिक पंजिकाओ तथा वार्षिक गोपनीय पत्रियो सहित, जिनके नामो पर समिति ने विचार किया है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग को अग्रेषित की जावेंगी।

(10) आयोग समिति द्वारा तैयार की गई सूचियों पर नियुक्ति प्राधिकारी से प्राप्त अन्य सम्बन्धित प्रलेखो के साथ विचार करेगा और जब कोई परिवर्तन आवश्यक न समझा जावे, तो उस सूची को अनुमोदित (अप्रूव) करेगा। यदि नियुक्ति-प्राधिकारी से प्राप्त सूची मे आयोग कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह अपने द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनो से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

आयोग की टिप्पणी को, यदि कोई हो, ध्यान में रखने के बाद, नियुक्ति प्राधिकारी सूचियो को, ऐसे परिवतनो सहित जो उसके अभिमत मे न्यायोचित व ठीक हो, अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा और जब नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के अधीनस्थ एक प्राधिकारी है, तो उसे आयोग द्वारा अनुमोदित सूचियो को केवल सरकार की स्वीकृति के बाद ही परिवर्तित करना चाहिये।

(11) नियुक्ति प्राधिकारी उक्त उपनियम (10) के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित सूचियो मे से उसी क्रम मे, जिसमे उनको सूची मे रक्खा गया है, व्यक्तियो को लेते हुए नियुक्तियाँ करेगा, जब तक कि ऐसी सूचिया समाप्त या पुनर्विलोक्ति और पुनरीक्षित, जैसा भी हो, न करली जायें।

δ(11-क) उन व्यक्तिया की पदोन्नति, नियुक्तियाँ या अन्य आनुषंगिक मामला पर जो निलम्बनाधीन हो या जिनके विरुद्ध विभागीय जाच चल रही हो, उस पद पर पदोन्नति के समय विचार किया जाने के लिए, जिस पर वे पात्र हैं या यदि यह निलम्बन या जाच या कायवाही विचाराधीन नही होती तो पात्र होते समानोचित और निष्पक्ष तरीके से प्रावधिक कायवाही के लिये सरकार निर्देश जारी कर सकेगी।

(12) इस नियम के उपबन्ध इन नियमा के किसी उपबन्ध मे कोई विपरीत बात के होते हुए भी प्रभावी हागे।]❀

δ वि स एफ 10 (1) कार्मिक (क-2) 75 I दिनाक 5-3-76 द्वारा निविष्ट तथा दिनाक 4-11- 975 से प्रभावी।

❀[उपरोक्त नियम 26-घ विज्ञप्ति स एफ 7(6) DOP (A-II) 75-I दिनाक 31-10-1975 द्वारा निम्नाकित नियम 26 घ के स्थान पर प्रतिस्थापित-किया गया था—अर्थात् दि० 31-10-75 तक निम्नाकित नियम प्रभावशील रहा—

26 घ—योग्यता के आधार पर चयन का तरीका—

(1) सवथा योग्यता के आधार पर चयन उन व्यक्तिया मे से किया जायगा जो इन नियमा के अधीन पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हैं। योग्यता तथा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थाना की कुल सख्या की पांच गुनी सख्या म पात्र अभ्यर्थियो पर इस प्रयोजनाथ विचार किया जावेगा। जहा पात्र अभ्यर्थियो की सख्या रिक्त स्थाना की पाच गुनी सख्या से अधिक हो जाती है, तो इस प्रयोजनाथ आवश्यक सख्या मे वरिष्ठतम व्यक्तिया पर विचार किया जावगा।

परन्तु यह है कि—योग्यता के कोटा मे उसी सवग में प्रथम पदोन्नति के लिये वे व्यक्ति पात्र होगे जिन्होने उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है, नियमित चयन

के वर्ष के अप्रेल मास के प्रथम दिवस को कम से कम छः वर्ष की सेवा पूरी करली हो, जबकि इन नियमों के अन्यत्र कोई उच्चतर अवधि विहित नहीं की गई हो।

(2) इस नियम में प्रकट रूप से अन्यथा विहित को छोड़कर, सर्वथा योग्यता के आधार पर चयन करने के लिये उस पद पर वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयन करने का तरीका, यथा संभव, अपनाया जावेगा,

परन्तु यह है कि—व व्यक्ति जो योग्यता के आधार पर किसी पद की श्रेणी पर विभागीय-पदोन्नति समिति द्वारा नियमित चयन के बाद पदोन्नत किये गये थे, व उच्चतर पद की अगली श्रेणी पर अगली पदोन्नति के लिये केवल तभी पात्र होंगे जब कि उस पद पर सेवा ? जिस पर वे पिछली बार योग्यता के आधार पर पदोन्नत किये गये थे।

(3) समिति अपने द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की एक अलग सूची योग्यता के आधार पर बनायेगी और उनके नामों को प्राथमिकता के क्रम में व्यवस्थित करेगी।

(4) व्यक्तियों के नामों को, जो पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिये दो सूचियों में, उपरोक्त उपनियम (3) में तथा नियम 26–ग के उपनियम (5) में वर्णित, सम्मिलित हैं तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत हैं, (उन्हें) पदों की प्रत्येक श्रेणी के लिये अलग एक सूची में वरिष्ठता के क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जावेगा।

(5) एक ही और समान चयन के परिणाम स्वरूप एक समान श्रेणी या पदश्रेणी (Class, Category or grade) के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों में वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्ति पदोन्नति द्वारा योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे। समान श्रेणी या पदश्रेणी पर सर्वथा योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, प्राथमिकता के क्रम पर ध्यान दिये बिना, विनिश्चित की जावेगी, मानो ऐसे व्यक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये थे।

(6) इस नियम के उपबन्ध, इन नियमों के किसी अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे।

(7) दोनों में से किसी आधार पर भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या को निर्धारित करने के प्रयोजन से निम्नांकित चक्रीय क्रम का अनुसरण किया जावेगा—

"प्रथम योग्यता से—अगले दो वरिष्ठता सह-योग्यता—अगला एक योग्यता से—फिर दो वरिष्ठता सह-योग्यता से यही क्रम दोहराया जावेगा।"

[18]26-ङ (E) वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिये तरीका—(1) वरिष्ठ लिपिक के पदों के रिक्त स्थानों के 67% (पद) नियम 26-ग के अधीन दिये गये तरीके के अनुसार वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जावेंगे।

(2) इन नियमों के नियम 7 के उपनियम (ग) के परन्तुक के अधीन रहते हुए वरिष्ठ लिपिकों के पदों के रिक्त स्थानों का 33%, कनिष्ठ लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरा जावेगा जो सात वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हो। आयोग द्वारा एक प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अन्तराल पर जो सरकार व्यवस्था एवं पद्धति विभाग में आयोग के परामर्श से तय करे सरकार द्वारा उस परीक्षा के लिए अधिसूचित पाठ्यक्रम के अनुसार, आयोजित की जावेगी।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने में आयोग जहां तक संभव हो सके, उस समान तरीके का अनुसरण करेगा जो इन नियमों के भाग (5) में दिया गया है।

[1]27 वरिष्ठता (सीनियोरिटी)—सेवा में वरिष्ठता सेवा की प्रत्येक श्रेणी में अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार विनिश्चित की जावेगी

परन्तु यह है कि—

(i) इन नियमों के प्रभावी होने से पहले या नियम 2 के परन्तुक के अनुसार पदों की किसी विशेष श्रेणी (कैटेगरी) पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक (inter se) वरिष्ठता सरकार के निर्देशों के अधीन यदि कोई हो, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ (एडहाक) आधार पर विनिश्चित, संशोधित या परिवर्तित की जावेगी।

(ii) आशुलिपिकों के संवर्ग में एक तथा समान चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा और साधारण संवर्ग में एक तथा समान परीक्षा के परिणाम स्वरूप, नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता क्रमशः नियम 18 (2) तथा नियम 24 (2) के अधीन तैयार की गई सूची में क्रम के अनुसार होगी, सिवाय उनके

---

18 वि स एफ 3 (11) कार्मिक (क-2) 74 दिनांक 8-2-1975 द्वारा निविष्ट।

1 वि स एफ 7 (6) LOP (क-2) 73 दिनांक 15 11 1976 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

'27 वरिष्ठता—पदों की प्रत्येक श्रेणी की वरिष्ठता सम्बन्धित पद की श्रेणी पर अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनांक से विनिश्चित की जावेगी।'

जिनको रिक्त पद प्रस्तावित किया गया तब उन्होंने सेवा में प्रवेश (join) नहीं किया हो।

[2](ii–क) नियम 7 के परन्तुक (7) के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय या आशुटंकक के पद पर [3][× × ×] उनकी सेवा की कुल लगातार लम्बी अवधि से तय की जावेगी।

[4][(ii–ख) नियम 7 के परन्तुक (8 क) के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता अधीनस्थ कार्यालय में आशुलिपिक के पद पर उनकी लगातार सेवाओं की कुल अवधि से तय की जावेगी।]

[5][(×iii) वे व्यक्ति जो किसी ऐसे चयन के परिणाम स्वरूप, जो पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन की सीमा में नहीं हो, चयनित व नियुक्त किये गये हैं वे बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित व नियुक्त व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे।

एक ही (समान) चयन में वरिष्ठता सह-योग्यता तथा योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी, जो पिछली निम्न श्रेणी (next below grade) में थी।"

---

2 वि स एफ 3 (3) DOP (क–2) 73 दि 13 12 1974 द्वारा निविष्ट।

3 वि स एफ 3 (4) DOP (क–2) 77 दि 15 3 78 द्वारा शब्दावली "सम्बन्धित विभाग में" विलोपित की गई।

4 वि स एफ 3 (13) DOP/ क–2/73 दिनांक–27 12 1978 द्वारा जोड़ा गया।

5 वि स एफ 7 (10) DOP A–II/77 GSR 10 दिनांक 17 जून 1978 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

ꕥ(iii) वे व्यक्ति जो किसी चयन के परिणामस्वरूप चयनित एवं नियुक्त हुए हैं जो कि पुनर्विलोकन और पुनर्विलोकन के अधीन नहीं है, उन व्यक्तियों से वरिष्ठ माने जावेंगे जो किसी पश्चातवर्ती चयन के परिणाम स्वरूप चयनित व नियुक्त किये गये हैं। वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो पिछली निम्न श्रेणी में है, सिवाय उच्चपदों पर लगातार स्थानापन्नता के मामले के, जिसमे यह लगातार स्थानापन्नता की अवधि (लम्बाई) के आधार पर होगी, परन्तु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता तदर्थ या आकस्मिक नहीं थी। क्रमश

[6](iv) यदि दो या अधिक व्यक्ति वरिष्ठ लिपिक के पदा पर एक ही (समान) वष मे नियुक्त किये गये हो तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती से नियुक्त से वरिष्ठ हागा ।

[6](v) इन नियमा के अधीन भर्ती किये गये या पदोन्नत किये गय व्यक्ति सेवाओ क एकीकरण की प्रक्रिया मे उसी समान सवग के पदा पर अविष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियो से प्रत्येक सवग मे कनिष्ठ होगे ।

[7](vi) जूनियर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीण करने वालो म स किसी विशिष्ट वष मे भर्ती किये गये कनिष्ट लिपिको और वरिष्ठ लिपिका की पारस्परिक वरिष्ठता उनके द्वारा ऐसी परीक्षा मे प्राप्त योग्यता के क्रम (आडर आफ मेरिट) के अनुसार हागी ।

[7](vi) जूनियर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीण करने वाला म स भरती किये गये वरिष्ठ तथा कनिष्ठ लिपिक उनसे वरिष्ठ होगे, जो किसी विशिष्ट वष म आयोग के द्वारा भर्ती किये गय हा ।

[8](viii) सेवाओ के एकीकरण की प्रक्रिया मे वरिष्ठ लिपिका के रूप म नियुक्त तथा किसी अय विभाग को स्थायी रूप से स्थानान्तरित व्यक्तिया की पारस्परिक वरिष्ठता (उनकी) सेवा की कुल अवधि के आधार पर तय की जायेगी ।

[8](ix) सेवा के एकीकरण के वाद वरिष्ठ लिपिक के रूप मे नियुक्त तथा किसी अय विभाग को स्थायीरूप से स्थानान्तरित व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता

---

§ वि स 7 (o) DOP (A–2) 75–II दिनांक 31 10 1975 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित तथा राजपत्र मे प्रकाशन से प्रभावशील—
"(iii) पदो की विशिष्ट श्रेणी पर पदोन्नति द्वारा एक ही दिनाक को नियुक्त व्यक्तियो की आपसी वरिष्ठता वही होगी, जो उनकी पिछली निम्न श्रेणी (next below grade) मे थी। जबकि उच्च पदो पर लगातार स्थानापन्नता के मामला मे यह (वरिष्ठता) एसी लगातार स्थानापन्नता की अवधि (लम्बाई) के अनुसार होगी, परन्तु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता तदथ (एडहॉक) या आकस्मिक (fortuitous) नही थी ।"

6 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 16 6 1959 द्वारा जोडा गया ।

7 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 14 7 1962 द्वारा जोडा गया ।

8 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 14 10 1962 द्वारा जोडा गया ।

उनके वरिष्ठ लिपिक के रूप म पुष्टीकरण के दिनाक के अनुसार या, यदि वह दिनाक एक ही है तो वरिष्ठ लिपिक के रूप मे स्थानापन्न नियुक्ति के दिनाक से, तय की जावेगी।

टिप्पणी—स्थानापन्न व्यक्तियो के मामले मे वरिष्ठता उपरोक्त पर तुक (vi), (vi) के उपबधो के अनुसार केवल अधिष्ठायी सवग म तय की जावेगी।

[9][(x) विनप्ति स एफ 10 (1) नियुक्ति (क)/ 55 भाग xxxi दिनाक 30 दिसम्बर 1971 द्वारा सशोधित नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन विभाग के निर्वाचन-पयवेक्षका मे से वरिष्ठ लिपिक के रूप म नियुक्त व्यक्तियो की वरिष्ठता निर्वाचन—पयवेक्षक के रूप मे राजस्थान लोक सेवायोग के अनुमोदन के पश्चात् उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनाक से विनिश्चित की जावेगी। उसी दिनाक को वरिष्ठ लिपिक के रूप मे नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार स्थानापन्नता क आधार पर तय की जावेगी, परन्तु यह है कि ऐसी स्थानापन्नता तदथ या आकस्मिक न हो।]

[10](xi) विभिन्न सेवाओ सवर्गों या राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् सेवाओ के अधिष्ठायी कमचारियो के मामले मे जिनकी नियुक्ति ऐस पदो पर विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियो द्वारा की गई है और जिनका स्थानान्तर इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार इस सेवा मे किसी सवग या समूह मे विशेष रूप स अनुमेय (permissible) है और उसका इस प्रकार स्थानान्तर हुआ है और ऐसे दो या अधिक कमचारियो की एकीकृत वरिष्ठता निर्धारण करना आवश्यक हो गया है,

---

9 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग xxxi दिनाक 23 माच 1979 द्वारा निम्न के लिय प्रतिस्थापित दि 1 3 62 से प्रभावी—

(x) नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन-पयवक्षको मे से वरिष्ठ लिपिक के रूप म नियुक्त व्यक्तियो की वरिष्ठता उनकी वरिष्ठ लिपिक के रूप म अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनाक—अर्थात्—1 3 62 से तय की जावेगी। एक ही (समान) दिनाँक को इस प्रकार वरिष्ठ लिपिक के रूप मे नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता निर्वाचन-पयवेक्षक के रूप मे उनकी सम्बन्धित अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनाँको से तय की जावेगी।"

[उपरोक्त वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 भाग X X I दि 30 12 1971 द्वारा जोडा गया तथा दि 1 3 62 से प्रभावी था]

10 वि स 1 (19) नि (क-2) 72 दिनाक 4 9 1974 द्वारा निविष्ट तथा शुद्धि पत्र दि 8 11 1974 द्वारा सशोधित।

जो किसी नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन समान सेवा/सवग/ वृत्त या इकाई से सम्बद्ध नही हैं, तो विभिन्न सवग मे उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति का वर्ष चाहे कुछ भी क्यो न हो, आरम्भिक नियुक्ति पर उनकी एकीकृत वरिष्ठता इन नियमो के अधीन किसी सवग या समूह म पदोन्नति या पुष्टीकरण के लिये, उस सम्बन्धित पद की श्रेणी या प्रवग (केटगरी) या समान या उच्चतर पद पर लगातार स्थानापन्नता की दिनाक से तय की जावेगी, परन्तु यह है कि—ऐसी स्थानापन्नता आकस्मिक प्रकार की या तदथ (एडहाक) या आवश्यक अस्थायी नियुक्ति नही थी और जब आज्ञा दी गई तब प्रवेश (जोइन) करने म उस कमचारी की ओर से कोई व्यतिक्रम (Default) नही था।

उपरोक्त सिद्धान्त ऐसे पदो के लिये प्रयुक्त होगा, जो कार्मिक (नियम) विभाग की पूव स्वीकृति से वर्णित किये जाय और इस शत के अधीन होगा कि दो या अधिक व्यक्तियो की पूव निर्धारित पारस्परिक वरिष्ठता को व्यतिक्रम या प्रतिष्ठन के मामलो को छोडकर, नही छेडा जायेगा।

[11][(xii) X X विलोपित X X]

[12](xiii) नियम 7 के परन्तुक के अधीन जारी किये गये किसी साधारण या विशिष्ट निर्देशो के अधान रहते हुये, उस परन्तुक के अधीन नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता वह होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी, तदथ आधार पर सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदित ऐसे सिद्धान्तो के अनुसार, निर्धारित करे। उस कथित परन्तुक के अधीन आमेलित दैनिक वेतन वाले, आकस्मिक या काय प्रभारित कमचारियो की वरिष्ठता इस सेवा मे उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा की दिनाक से सगणित की जावेगी।

---

11 वि स एफ 9 (23) नियुक्ति (क-2) 72 दिनांक 17 6 1978 द्वारा विलोपित, जो वि स एफ 7 (6) DOP (A-2) 75 II दिनाक 31 10 1975 द्वारा निविष्ट किया गया, निम्नांकित रूप मे था—

"(xii) किसी एक तथा समान चयन के परिणाम स्वरूप और केवल योग्यता के आधार पर नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार स्थानापन्नता की अवधि पर कोई ध्यान दिय बिना, उसी समान क्रम म होगी, जिसम उनक नाम चयन सूची म आये हैं।'

12 वि स एफ 3 (4) DOP (A-2) 75 दिनांक 26 6 1976 द्वारा निविष्ट।

[13][(xiv) और (xv) — × × विलोपित × ×]

[14][(xv) नियम 7 के परन्तुक 3 के अधीन आरक्षित रिक्तस्थानो के विरुद्ध कनिष्ट लिपिको के पदो पर पदोन्नति से नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता लगातार सेवा की अवधि (लम्बाई) के आधार पर तय की जावेगी।]

[15] (xvi) नियम 7 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के द्वितीय परन्तुक के अधीन जारी किये गये किसी साधारण या विशेष निर्देशो की सीमा मे रहते हुए, इस परन्तुक के अधीन नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता वह होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी तथ्य आधार पर ऐसे सिद्धान्तो के अनुसार तय करे, जो सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा स्वीकार किये जावेंगे। उक्त परन्तुक के अधीन आमेलित किये दैनिक वेतन प्राप्त कार्य प्रभारित कर्मचारियो की वरिष्ठता सेवा मे उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनाङ्क से सगणित की जावेगी।

[16](xvii) वे व्यक्ति जो नियमो के नियम 25 के उपनियम (2) के परन्तुक (3) के अधीन आवृत हैं और इन नियमो की अनुसूची I के भाग IV मे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा के परिणाम स्वरूप कनिष्ट लिपिको के पदो पर नियुक्त किये गये हैं, उन व्यक्तियो से कनिष्ट होगे जो वर्ष 1976

---

[13]वि स एफ 3(4) DOP/A–2/77 दिनाङ्क 15 3 2978 द्वारा परन्तुक (xiv) तथा (xv) विलोपित जो वि स एफ 3 (7) DOP/(A–2) 76 दि 30 3 1977 द्वारा निम्न प्रकार से जोडे गये थे—

"(xiv) नियम 7 के परन्तुक (10) के अधीन नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता केवल परीक्षा (टस्ट) उत्तीर्ण करने के बाद तय की जावेगी और आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप मे उनकी तदर्थ/आवश्यक अस्थायी/स्थानापन्न पिछली सेवायें इस प्रयोजनार्थ विचारणीय नही होगी।

(xv) नियम 7 परन्तुक (10) के अधीन कनिष्ट लिपिक के रूप मे नियुक्त व्यक्तियो की वरिष्ठता लिपिक वर्गीय पद पर उनकी लगातार सेवा की अवधि (लम्बाई) के आधार पर तय की जावेगी।"

14 वि स एफ 11 (6) DOP/क–2/76 दिनाङ्क 30 3 1978 द्वारा जोडा गया तथा शुद्धिपत्र दिनाङ्क 12 7 78 द्वारा सशोधित।

15 वि स एफ 3(3) (1) कार्मिक (क–2) 76 दिनाङ्क 30 8 1978 द्वारा जोडा गया तथा दिनाङ्क 1 10 1973 से 31 12 1975तक प्रभावी।

16 वि स एफ 5 (8) DOP/A–II/77 भाग 2 दिनाङ्क 5 10 1978 द्वारा जोडे गये। (यहाँ परन्तुक (xvii) दो बार सख्याकित भूल से किया गया प्रतीत होता है।)

तक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप पहले ही नियमित रूप से नियुक्त हैं या नियम 25 के उपनियम (2) के परन्तुक (2) के अधीन कनिष्ट लिपिका के रूप म नियमित रूप से नियुक्त किये जा चुके हैं, कि तु उन कनिष्ट लिपिको से वरिष्ठ होगे जो इन नियमो की अनुसूची I के भाग IV मे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वष 1978 मे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणामस्वरूप नियुक्त किये गये है,

[16](xviii) कनिष्ट लिपिको के पदो पर नियुक्त, (तथा) इन नियमो क नियम 25 के उपनियम (2) के परन्तुक (3) के अधीन आवृत व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता उस क्रम का अनुसरण करेगी जिसमे उनको नियम 24 के अधीन बनाई गई सूची मे स्थान दिया गया है।

[17]27-क—नियम 27 के उपबन्धो के अधीन रहते हुए, राजस्वमण्डल तथा अनेक जिलाधीश कार्यालयो के लिपिक वर्गीय स्थापन के प्रत्यक सवग की वरिष्ठता अलग से धारित की जावेगी, किन्तु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल नियन्त्रण प्राधिकारी के रूप म काय करेंगे और सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओ मे एक कमचारी को एक सवग से दूसरे मे उसी (समान) पद पर अस्थायी रूप से स्थानान्तरित करने के लिये समक्ष होगे। किन्तु इस प्रकार से स्थानान्तरित कमचारी अपने पैतृक सवग म अपना पदाधिकार (लियन), वरिष्ठता तथा पदोन्नति का अधिकार धारित करत रहगे और ऐसे मामले से जब ऐसा व्यक्ति दूसरे कार्यालय मे काय करते हुए अधिवार्षिकी आयु प्राप्त कर लेता है, तो उसकी सेवा निवृति से होने वाला रिक्तस्थान, नियुक्ति तथा पदोन्नति के प्रयोजनाथ उसके पैतक कार्यालय में रिक्त हुआ माना जावेगा।

[18]27 ख—वे व्यक्ति जो कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी और आशुलिपिक प्रथम श्रेणी के पद पर पर पहले ही स्थायी कर दिये गये हैं या विज्ञप्ति स F 3 (2) DOP/ ›-II/ 76 दिनाङ्क 5 अक्तूबर 1976 द्वारा नियम-27-क के निविष्ट होने से पहले नियमित आधार पर ऐसे (पदो) पर पहले ही चयनित कर लिये गये हैं, उन जिला/मण्डल (बोड) कार्यालय मे अपने पदाधिकार धारण करेंगे, जिनको नियुक्ति (क-II) विभाग मे सरकार द्वारा अनुमोदित सिद्धातो के आधार पर राजस्व-मण्डल विनिश्चित कर। नियम 27-क के प्रभावशील होने के दिनाङ्क को तदथ आधार पर कार्यालय-अधीक्षक प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी और आशुलिपिक प्रथम

---

17 वि, स 3 (2) DOP (A-II) 76 G S R 98 दि 5 10 1976 द्वारा निविष्ट।

18 वि स एफ 5 (1) DOP/A-II/ 78 G S R 78 दि 6 फरवरी 1979, द्वारा निविष्ट। राजस्थान-राजपत्र असाधारण, भाग 4 (ग) (1) दि 6 2 79 म पृष्ठ 363 पर प्रकाशित।

श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के पदो को धारण करने वाले व्यक्ति निम्न पद पर अपनी अधिष्ठायी स्थिति के आधार पर अपना पदाधिकार विनिश्चित (D.t rmined) करवायेंगे। ऐसे व्यक्ति नियम 27-क के उपबन्धो के अनुसार नियमित पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

[1]28 परिवीक्षा की अवधि—

[2][(1) सीधी भर्ती से सेवा मे किसी अधिष्ठायी रिक्त स्थान पर नियुक्त समस्त व्यक्तियो को दो वर्ष की अवधि के लिये तथा पदोन्नति विशेष चयन द्वारा किसी पद पर ऐसे रिक्त स्थान पर नियुक्त व्यक्तियो को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रक्खा जावेगा,]

परन्तु यह है कि—

( ) पदोन्नति/विशेष चयन या सीधी भर्ती द्वारा अधिष्ठायी रिक्त स्थान पर उनकी नियुक्ति से पूर्व, उनमे से ऐसे (व्यक्ति) जिन्होंने उस पद पर जिस पर बाद मे नियमित चयन हो गया हो, अस्थाई रूप से स्थानापन्न कार्य किया है उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की अवधि मे सगणित करने की अनुमति दी जा सकती है। येनकेन, ऐसा करना किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अतिष्ठित करना या नियुक्ति के सम्बन्धित कोटा या आरक्षण म उनकी प्राथमिकता के क्रम को आघात (disturb) करना नही माना जावेगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के बाद की कोई अवधि, जिसमे कोई व्यक्ति तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहता है, परिवीक्षा की अवधि मे सगणित की जावेगी।

---

1 वि स एफ 1 (35) कार्मिक (क-2)74 दिनाक 4 5 1977 द्वारा निम्नाकित के स्थान पर प्रतिस्थापित तथा राजपत्र मे प्रकाशन के दिनाक से प्रभावी—

'28 परिवीक्षा—किसी सवर्ग मे सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियो को एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रक्खा जावेगा।

स्पष्टीकरण—उस व्यक्ति के मामले मे जो मर जाता है या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत्त होने वाला है परिवीक्षाकाल को इस प्रकार कम कर दिया जावेगा कि—वह उसकी मृत्यु या सेवा निवृत्ति के दिनाक से तुरत पहले के एक दिन पूर्व समाप्त हो जावे। मृत्यु या सेवा निवृत्ति के ऐसे मामले मे पुष्टिकरण सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त भी छोड दी गई समझी जावेगी।

2 वि स एफ DOP/ A-II/74 दि 9 4 1979 द्वारा प्रतिस्थापित

'प्रत्येक व्यक्ति" के स्थान पर "समस्त व्यक्तियो परिवर्तित कि

इसके विपरीत किसी विकल्प की अनुपस्थिति मे, यह मान लिया जावेगा कि उन्होने इस नियम के अधीन स्थायीकरण (पुष्टीकरण) के पक्ष मे विकल्प दिया है और पूर्व पद पर उनका पदाधिकार समाप्त (Cease) हो जावेगा।"

[4]29 परिवीक्षा के दौरान असंतोष प्रद प्रगति—

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हो कि—सेवा के किसी सदस्य ने अपने अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या वह सन्तोषप्रद कार्य करने मे असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी, परन्तु यह तब जब कि उस पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) हो, और अन्य मामलो मे उसकी सेवाओ की समाप्ति या सेवोन्मुक्ति कर सकेगी,

परन्तु यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी मामले मे या मामलो की श्रेणी मे यदि वह ऐसा उचित समझे, तो सेवा के किसी सदस्य की परिवीक्षा की कालावधि को विनिर्दिष्ट अवधि तक बढा सकेगा, जो सीधीभर्ती द्वारा सेवा मे किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति के मामले मे दो वर्ष से तथा ऐसे पद पर पदोन्नति। विशेष चयन द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के मामले मे एक वर्ष से अधिक नही होगी

[5]परन्तु आगे यह भी है कि—नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जन जातियो के व्यक्तियो के मामले मे यथास्थिति, यदि वह ऐसा उचित

---

4 वि स एफ। (35) कार्मिक (क 2) 74 दिनांक 4 5 1977 द्वारा निम्न के लिए प्रतिस्थापित—

"29 परिवीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति—(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर ऐसा प्रतीत हो कि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति संतोष प्रद कार्य करने मे असफल रहा है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उसकी नियुक्ति से ठीक पूर्व उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा, परन्तु यह तब जबकि उस पद पर उसका धारणाधिकार (लियन) हो, और अन्य मामलो मे उसे सेवा से मुक्त कर सकेगा।

परन्तु यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन का परिवीक्षाकाल विनिर्दिष्ट अवधि तक बढा सकेगा, जो छ मास से अधिक नही होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर प्रतिवर्तित या सेवामुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नही होगा।",

5 वि स 7 (6) DOP (A-2) 77 दिनांक 26 10 1977 द्वारा जोडागया तथा दिनांक 1-1-1973 से प्रभावी।

समझा, तो परिवीक्षा की कालावधि को एक बार मे एक वष से अनधिक अवधि के लिये तथा कुल मिलाकर तीन वष से अनधिक वृद्धि के लिये, बढा सकेगा।

(2) उपरोक्त परन्तुक मे किसी बात के होते हुए भी, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, यदि एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति को निलम्बनाधीन रखा गया हो, या उसके विरुद्ध अनुशासनिक कायवाही अपक्षित हो या आरभ कर दी गई हो, तो उसकी परिवीक्षा की अवधि को उस अवधि तक बढाया जा सकेगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी उन परिस्थितियो मे उचित समझें।

(3) उपनियम (1) के अधीन परिवीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर प्रतिवर्तित या सेवोमुक्त परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति पाने का हकदार नही होगा।

[6]30 **पुष्टीकरण (कनफरमेशन) या स्थायीकरण**—एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर स्थायी (कनफम) कर दिया जायगा यदि —

(क) वह हिन्दी मे प्रवीणता सम्बन्धी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है,

[7](कक) उन कनिष्ठ लिपिको के मामले म जो टकणपरीक्षा को विकल्प मे नही चुनते हैं, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित एक टकणपरीक्षा हिन्दी या अग्रेजी मे जो आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा मे विहित स्तर से निम्न नही होगी या हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा (टेस्ट) दो वष की अवधि के भीतर उत्तीण करनी होगी, इसम असफल रहने पर वे स्थायी नही किये जावेंगे और उनकी सेवाये समाप्त की जा सकेंगी। वे अभ्यर्थी जिन्होने या तो किसी विश्वविद्यालय से या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बाड से टकण परीक्षा उत्तीण कर ली है, उनको यह परीक्षा (टेस्ट) उत्तीण करने की आवश्यकता नही होगी। [8]अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उन अभ्यर्थिया के मामले मे जो स्नातक

---

6 वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 16 6 1959 द्वारा निम्न के स्थान पर प्रतिस्थापित

"एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जाएगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है और वह अन्यथा स्थायीकरण के लिए योग्य है।"

7 वि स एफ 3 (3) DOP (A-2) 76 दिनाक 30 6,1976 द्वारा निविष्ट तथा राजपत्र मे प्रकाशन के दिनाक से प्रभावी।

8 वि स 3 (8) DOP (क 2) 76 दिनाक 13 4 1977 द्वारा जोडा गया।

(ग्रेजुएट) नही है और जिन्होंने टकण-परीक्षा उत्तीर्ण नही की है, उनको आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिय इन नियमा में विहित स्तर से निम्न स्तर की नही हो, ऐसी अग्रेजी या हिन्दी मे टकण परीक्षा छ मास की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, किन्तु यह अवधि ऐसे अभ्यर्थी के मामले म आगे तीन मास तक बढ़ाई जा सकेगी जो टकण परीक्षा मे छ मास के भीतर बैठता है परन्तु उस परीक्षा मे उत्तीर्ण होने मे असफल रहता है या उसके नियत्रण के बाहर के कारणो से उस परीक्षा मे नही बैठ सका हो और उसका काय सन्तोष प्रद पाया गया हो। ऐसी परीक्षायें जयपुर मे निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान द्वारा आयोजित की जायेगी तथा अन्यत्र जिला नियोजन अधिकारी द्वारा जिला मुख्यावास पर आयोजित की जावेंगी, जो एक समिति के पयवेक्षण मे होगी। जिसमे जिलाधीश द्वारा मनोनीत दो जिला स्तरीय अधिकारी होगे तथा जिला नियोजन अधिकारी उसका सयोजक होगा। अनुसूचित जातियो/अनुसूचित जन जातियो के ऐसे अभ्यर्थियो के लिए परीक्षा ऐसे निर्देशो के अनुसार आयोजित होगी जो निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान और जिला नियोजन अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

[9]परन्तु यह है कि—शारीरिक रूप से विकलाग अभ्यर्थियो को अनुसूची I के भाग II मे प्रतियोगिता परीक्षा के पाठ्यक्रम मे विहित टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही होगी।

स्पष्टीकरण —(1) इस परन्तुक के प्रयोजनाथ "शारीरिक रूप से विकलाग" के अथ म वह व्यक्ति सम्मिलित है, जिसके किसी एक या दोनो हाथो मे ऐसा शारीरिक दोष है या हाथो मे ऐसी विकलागता है जो टकण काय मे बाधा उत्पन करती है।

(2) इस प्रकार शारीरिक रूप से विकलाग होने के प्रमाण में अभ्यर्थी को एक चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र जो मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नही हो परीक्षा मे बैठने के लिए आयोग को प्रस्तुत किये जा रहे उसके आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा।

[11][10](ककक) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के मामले मे इन नियमो के नियम 7 के परन्तुक (7) के अधीन नियुक्ति तथा जो इन नियमो के नियम 7 के परन्तुक (7) के खण्ड (ख) मे वर्णित किसी सस्थान या सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त सस्थाना से द्वितीय भाषा की परख (टस्ट) कम गति पर उत्तीर्ण कर चुके हो।]

---

9 वि स 3(9) DOP (क-2) 76 दिनाक 21 1 1977 द्वारा जोडा गया।
10 वि स 3(4) DOP(क-2) 77 दिनाक 15 3 1978 द्वारा जोडा गया।
11 वि स 21 (6) नियुक्ति (ग) 54 भाग VI दिनाक 17 3 1972 द्वारा जोडा गया।

(ख) उसने विहित विभागीय परीक्षायें, यदि कोई हों पूर्ण रूप से उत्तीर्ण करली हो, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया हो कि उसकी सत्य निष्ठा सदेह से परे है और वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

[11](घ) उपरोक्त उपखण्डो (क तथा (ख) मे वर्णित परीक्षाये स्वर्णकारो के मामले मे 29 3 1965 तक प्रभावी नही होगी।

टिप्पणी—उपरोक्त सशोधन दिनाक 30 3 963 से प्रभावी हुआ समझा जावगा तथा दिनाक 29 3 1965 तक प्रभावी रहेगा।

[12]30-क—पूववर्ती नियमा मे किसी बात के होते हुये, राजस्थान राज्य के पुनगठन स पूव के ऐसे कमचारी को जो दिनाक 1 4 56 को तीन वप से अनधिक की लगातार सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के समाधान हेतु पूरी कर चुका हो, उनकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जावेगा।

[1]30-ख —नियम 30 में किसी बात के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति का उसकी परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति पर अपने पद पर स्थायीकरण कर दिया जायगा चाहे परिवीक्षा की अवधि के दौरान, नियमो मे निर्धारित विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण/हिन्दी मे प्रवीणता सम्बन्धी परीक्षा का, यदि कोई हो, आयोजन नही किया गया हो, परन्तु यह जब तक कि —

(i) वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य हो, और

(ii) परिवीक्षा की कालावधि इस सशोधन के राजस्थान-राजपत्र मे प्रकाशन की दिनाङ्क को अथवा उससे पूव समाप्त हो जाती है।

[2]31 वेतन मान—विभिन्न सवर्गों के पदो पर नियुक्त किसी व्यक्ति के मासिक वतन की शृङ्खला (वतनमान) वह होगी, जो सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत की जाय।

---

12 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाक 16 6 1959 द्वारा जोडा गया।

1 वि स एफ 1 (12) नियुक्ति (क-2) 68 भाग V दिनाङ्क-17 10 1970 द्वारा निविष्ट।

2 वि. स 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दिनाङ्क 16 6 1959 के द्वारा निम्न शब्दावली के लिये प्रतिस्थापित—

"अनुसूची III के कालम 2 मे वर्णित किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति को उस अनुसूची के कालम 3 मे वर्णित वेतनमान मे मासिक वेतनमान अनुज्ञेय होगा।"

[3]32 परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि—एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धो के अनुसार उसे अनुज्ञेय वेतनमान म वेतन वृद्धि प्राप्त करेगा।

[4]32 क—इन नियमा के प्रसारित होने के दिनाङ्क को आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप मे काय कर रहे व्यक्ति को या इन नियमो के नियम 25 के उपनियम (2) के परन्तुक या नियम 26 (3) के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति को, जो आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के लिये परीक्षा (टस्ट) उत्तीण करने मे असमय रहा, उसकी नियुक्ति के दो वष के भीतर आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन न करने के मामले मे उस पद के लिये विहित वेतनमान मे वेतन वृद्धिया आहरित करने की अनुमति दी जावेगी।

परन्तु यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी वह पर धारित करन के लिय इसकी उपयुक्तता के बारे मे अन्यथा (अपना) समाधान कर लेता है।

[5]स्पष्टीकरण—वि स एफ (21) नियुक्ति (घ) 59 दिनाङ्क 16 माच, 1964 के अधीन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि—उपरोक्त सशोधन पूववर्ती प्रभाव से इन नियमा के प्रभावी होने के दिनाङ्क से प्रभावी होगे।

अब यह पुन स्पष्टीकरण किया जाता है कि—किसी व्यक्ति की आशुलिपिक के रूप मे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय यह आवश्यक था कि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तावित नियमो म वर्णित गति से, या नियमो प्रसारित होने के दिनाङ्क से पहले की अवधि के सम्बन्ध मे राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950 (U P S) *वर्णित गति की दर से आशुलिपि तथा टकण की परीक्षा लेनी चाहिये* और उनका यह समाधान हो जाने के बाद उसे इस बारे मे लिखित म अभिलिखित करना चाहिये कि—अभ्यर्थी वाछित गतियां प्राप्त हैं तथा केवल तभी सम्बन्धित व्यक्तियो को

---

3 वि स एफ 3 (11) नियुक्ति (क–2) 58 भाग IV दिनाङ्क–16 10 1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

"32 परिवीक्षा के दौरान वेतन—सेवा, सवग के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्तियो का प्रारम्भिक वेतन उस पदा के वेतनमान का न्यूनतम होगा, परन्तु यह है कि—राजकाय मे पहले से कायरत व्यक्तियो का वेतन राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धो के अनुसार निर्धारित किया जायगा।"

4 वि स एफ 10 (21) नियुक्ति (घ), 59 दिनाङ्क–17 6 1963 तथा 25 9 1963 द्वारा जोडा गया।

5 वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 57 दिनाङ्क 27 8 1964 द्वारा जोडा गया।

अ।शुनिरिर के रू। मे अस्थायी तौर पर नियुक्त करना चाहिये। यदि ऐसा कर लिया गया है, तो उन पदो के धारक उस समय तक वेतन वृद्धिया प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वे आयोग की परीक्षा मे नही बैठते है। जसे कैसे, यदि व इस परीक्षा मे अनुत्तीर्ण हो जाते है, तो उनकी आगे की वेतन वृद्धिया रोक दी जावेगी किंतु पूर्ववर्ती प्रभाव से नही। दूसरे शब्दो मे—जब तक वे आयोग की परीक्षा उत्तीर्ण न कर लेते हैं, भविष्य की वेतन वृद्धिया अर्जित करने के हकदार नही होगे। यदि कोई व्यक्ति परीक्षा मे अनुत्तीर्ण होता है किन्तु उसे उस पद पर रखना पड रहा है क्योकि नियुक्ति के लिये कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध नही है तो उसे वेतन वृद्धिया अर्जित करने की स्वीकृति दी जा सकती है, परन्तु (शत) यह है कि विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी लिखित मे यह प्रमाणित करे कि—पदस्थापन के लिये कोई पात्र व्यक्ति परीक्षा मे नही बैठता है, तो उसकी भविष्य की वेतनवृद्धिया रोक दी जावेगी। यदि दूसरी ओर वह बीमारी के कारण परीक्षा मे भाग लेने से वंचित रहा हो, जिस तथ्य को सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तो वह अगली परीक्षा मे बैठने तथा सफल होने तक के लिये वेतन वृद्धिया प्राप्त करता रहेगा।

33 दक्षतावरोध (दक्षता बरी Effi ɪcn y Bar) पार करने की कसौटी—किसी सवग मे नियुक्त कोई व्यक्ति को तब तक दक्षतावरोध पार करने की स्वीकृति नही दी जायेगी, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नही हो जाय कि—उसने सतोषप्रद रूप से काय किया है और उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है।

भाग (8) अन्य उपबन्ध

34 अवकाश, भत्ते, पेशन, आदि का विनियमन—इन नियमो मे उपबंधित के सिवाय स्थापन (स्टाफ) के वेतन भत्ते पेशन अवकाश और सेवा की अन्य शर्तें (निम्नलिखित) द्वारा विनियमित होगी—

(1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, यथा आदिनाक सशोधित

*(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950—यथा आदिनाक सशोधित,

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण Rationalisation) नियम 1956, यथा आदिनाक सशोधित।

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियत्रण और अपील नियम 1958, यथा आदिनाक सशोधित।

---

* वि स एफ 10 (1) नियुक्ति (क) 55 दि 10 6 1959 द्वारा जोडा गया तथा क्रमाङ्क 2,3,4 को 3,4,5 पुनस्थापित किया गया।

※(5) राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा आदिनांक संशोधित) और

(6) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जिनमे सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गयी हों और जो तत्समय प्रवृत्त हो। □□

छपते–छपते

नवीनतम संशोधन 1979

(1) नियम 7 के परन्तुको मे निम्नांकित संशोधन करके पढ़िये—

(i) पृष्ठ 19 पर—परन्तुक (7) की पंक्ति 2 मे 'श्रेणी' के आगे "या आशु टंकक, यथास्थिति" और जोड लें तथा पृष्ठ 20 पर पहली पंक्ति म "1-1-76" की बजाय '31-7-1977' पढ़िये।

(ii) पृष्ठ 21 पर—परन्तुक (8) की पहली पंक्ति इस प्रकार पढ़िये—'31-7-1977 के पूर्व आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी या आशुटंकक, यथास्थिति के रूप मे अस्थायी।" आगे तीसरी पंक्ति मे 'सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आयोजित" के बजाय '*हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान द्वारा आयोजित अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टंकण (टाइप) तथा* भाषा विभाग द्वारा आयोजित हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टंकण की" पढ़िये।

(iii) पृष्ठ 22 पर—पहली-दूसरी पंक्ति मे 'दो अवसर' की बजाय "तीन अवसर" पढ़िये।

[वि स एफ 3(4) DOP/A-II/77 G S R 30 दि 23-5 1979 द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र दि 31-5 1979 मे पृष्ठ 80-82 पर प्रकाशित]

(2) पृष्ठ 39 पर नियम 15 के उपनियम (5) के अन्त मे निम्न परन्तुक जोड़ा गया—

×[परन्तु यह है कि—यदि एक विभाग मे अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पदो *की कुल संख्या और आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पदो की कुल संख्या बराबर हो* तो साधारण संवर्ग के सदस्य अधीक्षक श्रेणी द्वितीय के पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र होगे।]

※ वि स एफ (7) (18) नियुक्ति (ध) 59 दिनाक 28-7-1961 द्वारा निम्न शब्दावली के स्थान पर प्रतिस्थापित—

"राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा आदिनांक संशोधित) तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जो तत्समय प्रवृत्त हो।"

× वि स प 3(2) DOP/A-II/77 GSR/2 दिनांक 1 जून 1979 द्वारा जोड़ा गया।

अनुसूची-I

(नियम 20 देखिये)

प्रतियोगिता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम तथा नियम

[1]भाग (I)—वरिष्ठ लिपिको के लिये

प्रतियोगिता परीक्षा मे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगे और प्रत्येक विषय के अ को की सख्या उनके समक्ष दिखाये अनुसार होगी —

खण्ड—क—सब अभ्यर्थियो के लिये (विषय एव अ क)

( ) अ ग्रेजी 75 (2) सामान्य ज्ञान 75 (3) गणित 75

---

1 वि स एफ 10 (1) नियु (क) 55 दिनांक 16 6 1959 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

"प्रतियोगिता परीक्षा मे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगे और प्रत्येक विषय के अ को की सख्या उनके समक्ष दिखाये अनुसार होगो—

खण्ड 'क'—लिखित

1 हिन्दी 100 2 गणित 50

टिप्पणी—जो व्यक्ति हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नही है, उनको मेट्रिकयुलेशन स्तर की अ ग्रेजी की अर्हता-परीक्षा मे बैठना होगा और उसमें 50% अ क प्राप्त करने होगे।

खण्ड 'ख'—मौखिक

3 व्यक्तित्व तथा साक्षात्कार परीक्षा 50

मौखिक परीक्षा के लिये कुल अ क निम्न प्रकार विभाजित होगे—

व्यक्तित्व 20, सामान्य ज्ञान 20, विशिष्ट पद के लिये उपयुक्तता 10

एक अभ्यर्थी जिसके पास आयोग द्वारा आयोजित अग्रेजी या हिन्दी टकण-परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र है उसे 10 अ क तक के कृपाक दिये जा सकेंगे, परन्तु उसके द्वारा मौखिक परीक्षा मे प्राप्त किये गये अक इन कृपाको सहित 50 से अधिक न हो।

लिखित प्रश्न पत्रो का स्तर व क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

1 हिन्दी—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थी की भाषा मे दक्षता की परख करने के लिये बनाया जायेगा। अनेक वर्णित विषयो मे से एक पर निबन्ध लिखने के साथ इसमे साराश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरो का प्रयोग आदि सम्मिलित किये जा सकेंगे। समय दो घण्टे होगा। बहुत ही सुन्दर हस्तलेख के लिये अधिकतम 5 तक कृपाक दिये जा सकेंगे।

क्रमश

खण्ड–ख—प्रत्येक अभ्यर्थी निम्न विषयो मे से एक ले—

(4) सामान्य भारतीय इतिहास 100, (5) सामान्य भूगोल 100 [2](6) प्रारम्भिक भौतिकी एव नागरिक शास्त्र 100, (7)[2] भारतीय अर्थशास्त्र एव रासायनिकी 100 (8) हिन्दी 100, [[3](9) बुक कीपिंग व लेखा 100, (10) व्यापार प्रणाली 100]

टिप्पणी—खण्ड क तथा ख मे वर्णित प्रत्येक विषय के प्रश्नपत्र का समय तीन घण्टे का होगा।

प्रत्येक विषय मे परीक्षा का स्तर व क्षेत्र निम्नाकित होगा—

खण्ड–क (अनिवार्य)

1 अंग्रेजी— प्रश्नपत्र भाषा मे अभ्यर्थी की प्रवीणता की जाच करने के लिये तयार किया जायेगा। दिये हुए विषयो मे से एक पर अ ग्रेजी म निब ध (Essay) लिखने के साथ इसमे हिन्दी से इ गलिश अनुवाद, साराश (प्र सी) रेकन तथा मुहावरा (idioms) के प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेगे।

2 सामा य ज्ञान (जनरल नोलेज)— यह प्रश्न पत्र सामा य बुद्धि, अवलोकन (निरीक्षण) की शक्ति और (ऐसे) ज्ञान की जाच के लिये तैयार किया जावगा, जिसकी अभ्यर्थिया से अपेक्षा की जाती है जो स्कूलो और कालेजो, मे, पढाये जाने वाले विषयो मे साधारण आधारभूत बातें सीखे हुये हैं और उनके सग्रह को विश्व विद्यालय मे या पुस्तके, समाचार पत्र, पत्रिकायें पढने से, व्याख्यान सुनने से और अपने आसपास की वस्तुओ जैसे रेडियो, वायुयान आदि मे बुद्धिमत्तापूर्ण रुचि लेकर सीखे हो। प्रश्न साधारणतया ऐसे होगे, जिनके सक्षिप्त उत्तर स्वीकार हो सके और साथ ही लोक प्रिय विज्ञान को भी सम्मिलित करेंगे तथा उस समय की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक घटनाओ को भी।

3 अ क गणित—सम्पूर्ण अ क गणित (बीज गणित के चि हो व तरीको का का प्रयोग किया जा सकेगा)

---

2 गणित—यह प्रश्न पत्र नेमी गणना करने मे अभ्यर्थी की गति तथा शुद्धता की परख करने के लिये होगा।

टिप्पणी—अभ्यर्थी को अपनी स्वय की लेखन सामग्री काम में लेने को कहा जा सकता है, परन्तु इस के लिये पर्याप्त सूचना देनी चाहिए।

2 यहा मूल नियमावली में मुद्रण की भूल है—,'6 प्रारम्भिकी भौतिकी एव रसायनिकी तथा 7 भारतीय अर्थशास्त्र व नागरिक शास्त्र' होना चाहिये—दत्त।

3 वि स 10(1) नियुक्ति (क) 55 दिनांक 31-3-1962 द्वारा जोडा गया।

खण्ड—ख (ऐच्छिक)

4 सामान्य भारतीय इतिहास—ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इन्टरमीडिएट कालेज के विद्यार्थी को प्राप्त करना चाहिये, जो भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों (Periods) के मुख्य पहलुओं और प्रमुख घटनाओं का परिचय प्राप्त कर चुका है और विशेष रूप से अकबर के शासन से लेकर वर्तमान तक के युग से सम्बन्धित है।

5 सामान्य भूगोल—न्यूनतम क्षेत्र वही होगा जैसा सामान्य भारतीय इतिहास के लिये है। प्रश्न पत्र मे विश्व के भूगोल पर प्रश्न तथा भूरचना (फिजियोग्राफी) पर प्रश्न सम्मिलित होंगे। इनमें एक प्रश्न मानचित्र खेंचने का होगा।

6 प्रारम्भिक भौतिकी एवं रासायनिकी—प्रश्न पत्र प्रारम्भिक भौतिकी एवं रासायनिकी पर होगा जिसमे ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इन्टर कालेज के एक छात्र से प्राप्त करने की अपेक्षा (आशा) की जाती है।

7 भारतीय अर्थशास्त्र एवं नागरिक शास्त्र—इसमे ज्ञान का न्यूनतम क्षेत्र वह होगा जो इन्टरकालेज के एक छात्र से प्राप्त करने की आशा की जाती है। अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र के मूल सिद्धान्तों (Sallent principles) तथा उनको भारतीय परिस्थितियो मे लागू करने पर प्रश्न पूछे जा सकेंगे।

8 हिन्दी—प्रश्न पत्र अभ्यर्थी की भाषा मे प्रवीणता की जाच करने के लिये होगा। बहुत से दिये गये विषयो मे से एक पर निबन्ध लिखने के साथ साथ इसमे साराश लेखन, पत्र लेखन तथा मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे। प्रश्न पत्र का सामान्य स्तर राजस्थान विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा का होगा।

[4]9 बुककीपिंग व लेखा तथा व्यापार पद्धति के—प्रश्न पत्रो मे ज्ञान का न्यूनतम स्तर वही होगा जो इन्टरमीडिएट/प्रीयुनिवर्सिटी कोर्स के छात्र के लिये हैं।

टिप्पणी—(1) एक ऐच्छिक प्रश्नपत्र का उत्तर हिन्दी या अंग्रेजी मे लिखा जा सकेगा।

(2) आयोग परीक्षकों को निर्देश दे सकेगा कि जिन अभ्यर्थियो का छिछला ज्ञान या गन्दी लेखनी है उनके अंको मे कटौती कर ली जाये।

[5]भाग (2) कनिष्ट लिपिकों के लिये

प्रतियोगिता परीक्षा मे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे और प्रत्येक विषय के अंको की संख्या उनके समक्ष दिखाये अनुसार होगी—

---

4 वि स एफ 10 (1) नियु० (क) 55 दि 31 3 1962 तथा 14 10 62 द्वारा जोड़ा गया।

5 *वि स 3 (3) DOP/A II/76 दिनांक 30 6 1976 द्वारा प्रतिस्थापित*

खण्ड—क—समस्त अभ्यर्थियों के लिए

(1) सामान्य हिन्दी 100, (2) सामान्य ज्ञान 100, (3) प्र कगणित 100

तथा राज पत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील, पुराना पाठ्यक्रम (30 6 76 से पूर्व था) यहाँ दिया जा रहा है। —

भाग II—कनिष्ट लिपिको के लिये

प्रतियोगिता परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय म उनके समक्ष अंकित अंक होंगे।

खण्ड (क) समस्त अभ्यर्थियो के लिये

(1) अंग्रेजी 75 (2) सामान्यज्ञान 75 (3) गणित 75

खण्ड (ख)–निम्न मे से कोई दो विषय लेने होंगे

(4) टकण अंग्रेजी100 (5) टकण हिन्दी100 (6) हिन्दी 100

टिप्पणी—(1) खण्ड 'क तथा खण्ड 'ख' म हिन्दी के प्रश्न पत्र तीन घंटे के होंगे।

(2) जो विभाग टकण लिपिक चाहते हैं, नियुक्ति के मामले म उन अभ्यर्थियो को प्राथमिकता देंगे, जो अंग्रेजी या हिन्दी या दोनो मे टकण-परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

प्रत्येक विषय का स्तर व क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा—

खण्ड (क) अनिवार्य

1 अंग्रेजी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा म दक्षता की परख के लिये बनाया जायेगा। अंग्रेजी म एक निबन्ध लिखने के साथ इसम हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद, साराश लेखन तथा मुहावरो का प्रयोग आदि सम्मिलित होंगे। प्रश्न पत्र का स्तर राजस्थान विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा का होगा।

2 सामान्यज्ञान—यह प्रश्नपत्र सामान्य बुद्धि, अवलोकन शक्ति तथा ज्ञान जिसकी अभ्यर्थी से आशा की जाती है, जो स्कूल मे पढाये जाने वाले विषयो की सामान्य पृष्ठभूमि रखते हुए आस पास की वस्तुओ के प्रति बुद्धिपूर्णरुचि लेता रहता है।

3 गणित– अभ्यर्थी की नेमी गणना करने म गति व शुद्धता की परख करने के लिये यह प्रश्न पत्र बनाया जावेगा।

खण्ड ख (ऐच्छिक)

4 अंग्रेजी मे टकण—इस परीक्षा मे गति-परीक्षा और दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी। न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट अपेक्षित है। क्रमश

6[टिप्पणी—विलोपित]

खण्ड—ख—अभ्यर्थी इनमे मे कोई एक विषय लेगा

शारीरिक रूप से विकलागो के लिये जो नियम 30 की शर्तों को पूरी करते है और उन अभ्यर्थियो के लिये जो कला/विज्ञान/वाणिज्य मे डिग्री धारण करते हैं—

(1) सामान्य अग्रेजी 100, (2) अग्रेजी मे टकण 100,

(3) हिन्दी म टकण (टाइप) 100.

उन अभ्यर्थीयो के लिये जो स्नातक (ग्रेजुएट) नही हैं—

(1) अग्रेजी मे (टाइप) टकण 100, (2) हिन्दी मे टकण 100

टिप्पणियां—(1) खण्ड क तथा ख म वर्णित विषयो तथा सामान्य अग्रेजी के प्रश्न-पत्रा का समय तीन घटे का होगा। (2) समस्त प्रश्न-पत्र का जहा विशेष रूप से वाछित न हो, हिन्दी या अग्रेजी म उत्तर दिया जावेगा, किन्तु कोई अभ्यर्थी को आशिक रूप से हिन्दी मे या आशिक रूप से अग्रेजी मे किसी प्रश्न-पत्र का उत्तर देने के लिये अनुमति नही दी जावगी जब तक कि ऐसा करने के लिये विशेष रूप से अनुमति नही हो।

खण्ड 'क' अनिवार्य प्रश्न-पत्र

1 प्रश्नपत्रो का स्तर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकेन्डरी परीक्षा का होगा।

(पीछे से)

5 हिन्दी मे टकण—इस परीक्षा मे एक गति परीक्षा और एक दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अक की होगी। यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट अपेक्षित है।

6, हिन्दी—यह प्रश्न पत्र भाषा म अभ्यर्थी की दक्षता की परख करन के लिये हागा। अनेक दिये गये विषयो म से एक पर निबन्ध लिखने के साथ इसमे साराश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरो का प्रयोग आदि सम्मिलित होगे।

टिप्पणी—(1) अभ्यर्थी अपना स्वय का पेन और पसिल लायेगा।

(2) बुरे हस्तलेख के कारण अभ्यर्थी को दिय गये अको मे से कटौती करने लिये आयोग परीक्षको को निर्देश दे सकेगा।

6 वि स एफ 5 (8) DOP/A–2/77/GSR 9 दि० 28 जनवरी 1978 द्वारा जोटी गई निम्नाकित टिप्पणी वि स एफ (8) DOP/A–II/77 भाग II दिनाक 5 10 1978 द्वारा विलोपित की गई—

टिप्पणी—नियम 25 के उपनियम (2) के परन्तुक (3) मे वर्णित अभ्यर्थी "सामान्यज्ञान" के प्रश्न-पत्र की बजाय कार्यालय पद्धति, साराश लेखन, हस्तलेखन तथा सरकारी तत्र की व्यवस्था" ऐच्छिकरूप से ले सकते हैं]

2 सामान्य हिन्दी—प्रश्न-पत्र अभ्यर्थियों की भाषा प्रवीणता की जाँच के लिये होगा। बहुत से दिये गये विषयों में से एक पर निबन्ध लिखन के साथ ही इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

3 सामान्यज्ञान—प्रश्न-पत्र साधारण, बुद्धि, निरीक्षणशक्ति और ज्ञान की परख के लिये बनाया जावेगा, जिस (ज्ञान) की उन अभ्यर्थियों से आशा की जाती है जो स्कूल में पढ़ाये जाने वाले विषयों की साधारण आधारभूत बातें सीखकर अपने चारों ओर की वस्तुओं पर, राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित, बुद्धिमत्तापूर्ण रुचि को बनाये रखता है।

4 अंकगणित—यह प्रश्न-पत्र अभ्यर्थी की नेमी संगणना करने की गति व सूक्ष्मता की परख करने के लिये होगा।

[75][विलोपित × × ×]

खण्ड 'ख' ऐच्छिक विषय

5 सामान्य अंग्रेजी—यह प्रश्न-पत्र अभ्यर्थी की भाषा में दक्षता की परख करने के लिये होगा। अंग्रेजी में लिखे गये एक निबन्ध के साथ इसमें हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सारांश-लेखन तथा मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

6 अंग्रेजी में टंकण (टाइपिंग)—इस परीक्षा में एक गति की परख (टेस्ट) तथा एक दक्षता की परख सम्मिलित होगी, जिसमें प्रत्येक के लिये 50 अंक होंगे। न्यूनतम (टाइप करने की) गति 25 शब्द प्रतिमिनट की आशा की जाती है। प्रत्येक परख में न्यूनतम उत्तीर्णांक 18 अंक होंगे।

7 हिन्दी में टंकण—इस परीक्षा में एक गति की परख तथा एक दक्षता की परख सम्मिलित होगी, जिसमें प्रत्येक के लिए 50 अंक होंगे। न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट की आशा की जाती है। प्रत्येक परख में न्यूनतम उत्तीर्णांक 18 अंक होंगे।

टिप्पणी—(1) अभ्यर्थी अपनी स्वयं की लेखनी (पेन) व पेंसिल साथ लायेंगे।

---

75 वि स एफ 5 (8) DOP (A II) 77 GSR 69 दिनांक 28 1 1978 द्वारा जोड़ा गया तथा विज्ञप्ति स एफ 5 (8) DOP/A–II/77 भाग 2 दिनांक 5 10 78 द्वारा विलोपित किया गया जो इस प्रकार था—

"5 कार्यालयपद्धति सारांशलेखन हस्तलेखन (सुन्दरलेख) तथा सरकारी तंत्र की व्यवस्था—यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थी के कार्यालय पद्धति जिला मैनुअल पर आधारित, सारांश (प्रेसी) लेखन, सुन्दरलेख तथा सरकारी तंत्र की व्यवस्था (Set up ढांचा) के ज्ञान की परख करने के लिये बनाया जावेगा"

(2) आयोग एसे निर्देश परीक्षको को दे सकेगा कि—बुरी लेखनी (हैण्ड राइटिंग) के लिये वे अभ्यर्थियो के अ को मे कटौती करें।

[8]भाग (3) आशुलिपिको के लिये

एक अभ्यर्थी को या तो अ ग्रेजी आशुलिपि और अ ग्रेजी टकण या हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टकण (परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी और आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय के पद के लिये अर्हता-परीक्षा मे निम्नलिखित विषय होगे—

1 अ ग्रेजी आशुलिपि परख 100 अ क
(इस परख मे 100 शब्द प्रतिमिनट से श्रुतिलेख होगा)

2 अ ग्रेजी टकण परख 100 अ क
(इस परख मे गतिपरीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 40 शब्द प्रतिमिनट होगी)

3 हिन्दी आशुलिपि परख 100 अ क
(इस परख मे 80 शब्द प्रतिमिनट से श्रुतिलेख होगा)

4 हिन्दी टकण परख 100 अ क
(इस परख मे गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होगी)
टिप्पणी—यह परख प्रत्येक छ मास बाद आयोजित की जायेगी।

---

8 उपरोक्त पाठ्यक्रम वि स F 3 (4) DOP/A-II/77 दि 23 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया—

भाग (3) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के लिये

["आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद के लिए (अर्हता) परीक्षा मे निम्नाकित दो वैकल्पिक समूहो मे दिये गये विषय सम्मिलित हैं। एक अभ्यर्थी को इन दो समूहो मे से किसी एक म वर्णित विषयो मे उत्तीर्ण होना होगा।

समूह "क"

1 अ ग्रेजी आशुलिपि परख 100 अ क
इस परख मे 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा।

2 अ ग्रेजी टकण परख 100 अ क
इस परख मे गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 अ को की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

3 हिन्दी आशुलिपि परख 100 अ क
इस परख मे 60 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा। क्रमश

पीछे से

4 हिन्दी टकण परख 100 अ क
इस परख म गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्यक 50 अ को की होगी।
गति 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

समूह "ख"

1 अ ग्रेजी आशुलिपि परख 100 अ क, इस परख म 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा।

2 अ ग्रेजी टकण परख 100 अ क, इस परख मे गति की परख त दक्षता की परख प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिन होनी चाहिये।

3 हिन्दी आशुलिपि परख 100 अ क, इस परख म 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से श्रुतिलेख होगा।

4 हिन्दी टकण परख 100 अ क, इस परख म गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

टिप्पणी—(1) यदि किसी अभ्यर्थी ने आयोग द्वारा 3 जनवरी 1972 से पहले आयोजित परीक्षा समूह 'क' म आनेवाले विषयो म से किसी में पहले ही उत्तीर्ण करली है, तो उसे उस समूह के केवल शेष विषयो मे उत्तीर्ण होना होगा।

(2) यह परीक्षा वष मे कम से कम एक बार होगी। [15 3 78 के बाद —"प्रत्येक छ मास बाद होगी प्रतिस्थापित किया गया]

उपरोक्त पाठ्यक्रम वि स 10 (1) नियुक्ति (क) 59 भाग XXV दिनाक '10 5 1975 द्वारा निम्नांकित के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था—

भाग (3) आशुलिपिकों के लिये

अहता परीक्षा निम्नाकित विषयो म होगी—

1 अ ग्रेजी आशुलिपि जाच 100 अ क, इसम 130 शब्द प्रति मिनिट पर श्रुतिलेख होगा।

2 अ ग्रेजी टकण जांच 100 अ क इसमे गति-परीक्षा तथा प्रवीणता-परीक्षा प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होगी।

3 हिन्दी आशुलिपि जाच 100 अ क, इसम 80 शब्द प्रतिमिनिट पर श्रुतिलेख हागा।

हिन्दी टकण जाच 100 अ क, इसमें गति-परीक्षा तथा प्रवीणता परीक्षा प्रत्येक 50 अ क की होगी। गति 30 शब्द प्र मि होगी।

क्रमश

[9]भाग (4)

नियम 25 के उप नियम (2) के परन्तुक (3) के अधीन आवृत्त व्यक्तियों के लिये कनिष्ट लिपिक के पद के लिये—

अर्हता परीक्षा (Qualifying Examination)

इस अर्हता-परीक्षा में निम्न विषय सम्मिलित होंगे तथा प्रत्येक विषय उनके आगे अंकित संख्या या अंकों का होगा।

	विषय	अंक
प्रश्नपत्र–I	भाग I सामान्य हिन्दी भाग II सारांश लेखन एवं हिन्दी या अंग्रेजी में निबन्ध	100
प्रश्नपत्र–II	कार्यालय पद्धति एवं सरकारी तन्त्र की व्यवस्था (ढांचा)	100
प्रश्नपत्र III	हिन्दी या अंग्रेजी में टंकण परीक्षा	100

टिप्पणी—प्रश्न पत्र I में सारांश लेखन तथा निबन्ध तथा प्रश्नपत्र II में कार्यालय पद्धति तथा सरकारी तन्त्र की व्यवस्था के हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर दिये जा सकते हैं, किन्तु किसी अभ्यर्थी को आंशिक रूप से हिन्दी में और आंशिक रूप से अंग्रेजी में उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

इन विषयों में परीक्षा का स्तर तथा क्षेत्र निम्न प्रकार से होगा —

1 सामान्य हिन्दी—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की भाषा में प्रवीणता की परख करने के लिये होगा। बहुत से दिये गये विषयों में से एक पर निबन्ध लिखने के साथ ही इसमें सारांश लेखन, पत्र लेखन, मुहावरों का प्रयोग आदि सम्मिलित हो सकेंगे।

(पीछे से)

टिप्पणी—(1) हिन्दी आशुलिपिकों के पदों के लिये अभ्यर्थियों के मामले में अंग्रेजी आशुलिपि तथा अंग्रेजी टंकण परीक्षा अनिवार्य होगी।

(2) जो अभ्यर्थी पहले से ही आयोग द्वारा आयोजित हिन्दी आशुलिपि तथा टंकण परीक्षायें उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे उपरोक्त बिन्दु 3 व 4 में वर्णित विषयों में परीक्षा देने से मुक्त रहेंगे।

9 वि स एफ 5 (8) DOP /A-II/ pt II दिनांक 5 10 1978 द्वारा जोड़ा गया, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) दि 12 10 78 में पृ, 298-300 पर प्रकाशित किया गया।

2 कार्यालय पद्धति तथा सरकारी तन्त्र की व्यवस्था—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी के जिला-मैनुअल पर आधारित कार्यालय पद्धति के ज्ञान की परख करने तथा सरकारी तन्त्र की व्यवस्था के बारे मे अभ्यर्थी के ज्ञान की परख के लिये होगा।

3 हिन्दी या अंग्रेजी मे टंकण-लेखन (टाइप राइटिंग)—इस परीक्षा में गति की परख तथा दक्षता की परख प्रत्येक 50 अंकों की होगी। अंग्रेजी टंकण मे 25 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टंकण में 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति की आशा की जाती है।

टिप्पणी—(1) प्रश्न पत्र I तथा II में उत्तीर्णांक 35% तथा प्रश्नपत्र III में प्रत्येक परख मे 18 अंक होंगे।

2 अभ्यर्थी अपने निजी कलम (पेन), पेन्सिल आदि लायेंगे।

3 गन्दी हस्तलेखनी के लिये अभ्यर्थी को दिये गये अंकों में से कटौती करने के लिये आयोग निर्देश दे सकेगा।

अनुसूची II [विलोपित]

[विज्ञप्ति स एफ 1 (2) नियुक्ति (घ) 60 दि 15 7 1966 द्वारा विलोपित]

परीक्षा शुल्कें

(नियम 21-क देखिये)

स	पद	परीक्षा शुल्क	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये परीक्षा शुल्क	प्रत्यपण (वापसी) पर कटौती
1	वरिष्ठ लिपिक (U D C)	रु 0/–	रु 10/–	रु 3/–
2	कनिष्ट लिपिक (L D C)	रु 10/–	रु 5/–	रु 2/–

राजस्थान सचिवालय
लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1970

[Rajasthan Secretariat Ministerial Service Rules 1970]

卐 卐 卐

छपते छपते-सशोधन 1979

[देखिये पृष्ठ 149 पर[

☐ भूल सुधार—

(1) नियम 29 वरिष्ठता—पृष्ठ 134 पर—इसमे दूसरी पक्ति म "अधिष्ठायी नियुक्ति के आदेश की तारीख" के बजाय[1] "अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष' पढ़िय ।

(2) नियम-26 क (पृष्ठ 133) पर इस प्रकार जोडिये—

26 क —वरिष्ठ लिपिक के पदों पर पदोन्नति का तरीका—

(1) वरिष्ठ लिपिकों के पदा के 67% रिक्त स्थानों को वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जावेगा और ऐसे रिक्त स्थानो को भरने के लिय नियम 25 मे वर्णित उपब ध लागू होगे ।

(2) वरिष्ठ लिपिका के पदा के 33% रिक्त स्थानो पर राजस्थान सचिवालय के कनिष्ठ लिपिक[2] [और टेलिफोन आपरेटरो] म से जैसा कि अनुसूची I के ग्रुप 'क के अधीन[3] [क्रम स० 3] के सामने कालम 6 मे वर्णित है, पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोग की सहमति से

---

1 वि स एफ 7 (6) DOP (क-2) 73 दिनाक 15 नवम्बर, 1976 द्वारा प्रतिस्थापित

2 वि एफ 2 (4५) DOP/B-1/67 दिनाक 29-5 1974 द्वारा निविष्ट

3 'क्रम स 2' के स्थान पर वि स एफ 2 (18) DOP (B-1) 73 दिनाक 14 10 19 4 द्वारा प्रतिस्थापित तथा दिनाक 15 9-1972 से प्रभावी ।

अनुसूची III म उक्त परीक्षा के लिय वर्णित पाठ्यक्रम के अनुसार समय-समय पर तय किये गये अन्तराल (Intervals) पर एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जावेगी

परन्तु यह है कि इस नियम के अधीन प्रथम प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजनार्थ उपरोक्त अनुपात मे रिक्त स्थानो को 1 जनवरी 1972 सगणित किया जावेगा। उक्त दिनाक से पहले के विद्यमान रिक्त स्थान वरिष्ठ सह-योग्यता के आधार पर भरे जावेंगे।

[4]परन्तु आगे यह है कि—वरिष्ठ लिपिको या केवल एक पद प्रतिवर्ष टेलिफोन आपरेटस मे से, जो सचिवालय म टेलिफोन आपरेटर के रूप में सात वर्ष की सेवा धारण करते हो, भरने के लिये आरक्षित होगा। यदि किसी वर्ष में कोई टेलिफोन आपरेटर सफल/पात्र नही हो, तो आरक्षित-पद विलुप्त (lapse) हो जायेगा और आरक्षण आगे नही ले जाया जावेगा। यह आरक्षण पाच वर्ष के लिये 1974 75 से 1978-79 तक की परीक्षाओ के लिये होगा और 31 मार्च, 1969 के बाद समाप्त हो जायेगा।

(3) उप नियम (2) म वर्णित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने के लिये आयोग, यथासम्भव, इन नियमो के भाग IV में वर्णित समान तरीके का अनुसरण करेगा।

---

4 वि स एफ 2 (46) कार्मिक (क-I) 67 दिनांक 29 5 1974 द्वारा जोड़ा गया।

※ राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1970

[The Rajasthan Secretariate Ministerial Service Rules 1970]

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के पर तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा मे भर्ती को तथा उसमे नियुक्त व्यक्तियो की सेवा सबधी शर्तों को विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् —

भाग—I साधारण

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) इन नियमो का नाम राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1970 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2 परिभाषाए —जब तक कि कोई बात विषय अथवा सदभ मे विरूद्ध न हो, इन नियमो मे —

(क) नियुक्ति प्राधिकारी" से सचिवालय लिपिकवर्गीय स्थापन से स व्यवहार करने वाला शासन उप सचिव अभिप्रेत है,

(ख) "आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है

(ग) "समिति" से नियम 25 व 26 म निर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति अभिप्रेत है,

(घ) 'सीधी भर्ती" से पदोन्नति से अन्यथा, इन नियमो के भाग IV म यथा विहित भर्ती अभिप्रेत है,

(ङ) सरकार" और "राज्य" से क्रमश राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

---

※ G S R 8 दि० 29 अप्रेल 1970 द्वारा राजस्थान राज पत्र असाधारण, भाग 4 (ग) दि० 5 मई 1970 को प्रथम बार प्रकाशित। जी एस आर 19 (65) वि स प 2 (2)/वि र /प्रशा /72 दि० 24 मई 1976 द्वारा राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) I दि० 8 7-76 पृ० 162 (137 165) मे प्राधिकृत हिन्दी पाठ (1 जुलाई 1974 तक सशोधित) प्रकाशित हुआ। बाद के सशोधनो का हिन्दी पाठ अप्राधिकृत अनुवाद है।

(च) "जूनियर डिप्लोमा कोर्स" से सचिवालय का जूनियर डिप्लोमा कार्य और कार्य प्रशिक्षण (बिजनेस ट्रेनिंग) अभिप्रेत है जिसे पूरा कर लेने पर राजस्थान के विश्वविद्यालयो द्वारा जूनियर डिप्लोमा दिया जाता है

(छ) "सेवा का सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमो के या नियम 38 द्वारा प्रतिष्ठित नियमो या आदेशो के, उपबन्धो के अधीन सेवा में किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो इसमें किसी स्थायी पद के प्रति परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी सम्मिलित है,

(ज) "अनुसूची" से इन नियमो की अनुसूची अभिप्रेत है,

(झ) 'सेवा' से राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा अभिप्रेत है,

[1](ञ) 'अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमो के अधीन विहित भर्ती के तरीको मे से किसी द्वारा समुचित चयन के बाद किसी अधिष्ठायी रिक्त स्थान पर इन नियमो के प्रावधानो के अधीन की गई नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति सम्मिलित है, जो परिवीक्षा काल की समाप्ति पर पुष्टीकरण द्वारा अनुसरित हो।

टिप्पणी — 'इन नियमो के अधीन विहित भर्ती के तरीको मे से किसी" शब्दावली मे आवश्यक (अर्जेंट) अस्थाई नियुक्तियो के अतिरिक्त, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के पर तुक के अधीन बनाए गये किन्ही नियमो के उपबन्धो के अनुसार की गई भर्ती सम्मिलित होगी।

(ट) "वर्ष" से प्रत्येक वर्ष प्रथम अप्रेल को प्रारम्भ होने वाला वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

[2](ठ) "सेवा या अनुभव" जहा कही इन नियमो में एक सेवा से दूसरी मे या उसी सेवा मे एक प्रवर्ग (कटेगरी) से दूसरे में या वरिष्ठ पदो पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदो को धारण करने वाले व्यक्ति के

---

1 वि स एफ 7 (3) DOP (A II) 73 दि 5-7-1974 तथा शुद्धिपत्र दि 11-2-75 द्वारा निविष्ट।

2 वि स एफ 6 (2) नियुक्ति (क II) 71 I दि 9-10-1975 द्वारा निविष्ट तथा दि 27-3-1973 से प्रभावशील।

मामले मे, पदोन्नति के लिये एक शर्त के रूप मे विहित हं उसमे वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमे उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बने नियमो के अनुसार नियमित भर्ती के बाद ऐसे पदो पर लगातार कार्य किया है और इसमे वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानापन्न, अस्थाई या तदर्थ नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसी नियुक्ति पदोन्नति की नियमित पंक्ति मे की गई हो और वह स्थानपूर्ति के लिये या आकस्मिक (अवसर) प्रकार की या किसी विधि के अधीन अवैध नही हो तथा उसमे किसी वरिष्ठ कर्मचारी का अतिष्ठन (Supersession) अन्तवलित न हो सिवाय जबकि--या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओ की कमी, अयोग्यता या योग्यता (मेरिट) द्वारा अचयन या सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मचारी के दाय[3], [या जब ऐसी तदर्थ या अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के अनुसार थी, जिसके कारण से ऐसा अतिष्ठन हुआ हो ।]

टिप्पणी (1) सेवा के दौरान अनुपस्थिति, जैसे—प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन कर्तव्य (ड्यूटी) मानी जाती है, भी पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम अनुभव या सेवा की संगणना के लिये सेवा के रूप मे संगणित की जावेगी ।

[4]टिप्पणी (2) जब सेवा का एक सदस्य, जो निजी सचिव या निजी सहायक, यथा स्थिति, के पद को धारण किये हुए है, पैतृक संवर्ग मे उच्चतर पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया या अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर उच्चतर पद पर पदोन्नत हो जाता, परन्तु उसे जनहित मे कार्यमुक्त नही किया गया, तो जब वह पदोन्नति के लिये इस प्रकार हकदार होता है या उससे कनिष्ठ (व्यक्ति) ऐसे पद का कार्यभार संभालता है, जो भी बाद मे हो उस दिनांक से अवधि उस पद पर जिस पर वह पदोन्नत कर दिया जाता सेवा या अनुभव के रूप मे संगणित की जावेगी ।

---

3 वि स एफ 6 (2) नियुक्ति (क II) 71 दि 13-7-1976 द्वारा निविष्ट तथा दि 1-11-1975 से निविष्ट समझा जावेगा ।

4 वि स 5 (9) DOP/A II/76 दिनांक 4-6-1977 द्वारा निविष्ट तथा दि 1-1-1975 से प्रभावशील ।

3 निवचन —जब तक सदभ से ग्रन्यथा ग्रपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड ग्रधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान ग्रधिनियम स 8) इन नियमो के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान ग्रधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

भाग II सवग

4 सेवा का गठन एव पदों की सख्या —

(1) सेवा के चार ग्रुप होंगे

(2) सेवा के प्रत्येक ग्रुप म सम्मिलित पदो का स्वरूप वह होगा जसा कि ग्रनुसूची I के स्तम्भ 2 म विनिर्दिष्ट किया गया है,

(3) प्रत्येक ग्रुप मे पदो की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय समय पर ग्रवधारित करे, परन्तु सरकार —

(क) ग्रावश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या ग्रस्थायी पद समय समय पर सृजन कर सकेगी।

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या ग्रस्थायी पद को समय समय पर खाली रख सकेगी, उसको प्रास्थगित रख सकेगी या उसको तोड सकेगी या उसका ग्रवसान होने दे सकेगी।

भाग III भर्ती

5 भर्ती के तरीक —इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात सवा मे भर्ती निम्नलिखित तरीको से होगी —

(क) इन नियमो के भाग IV के ग्रनुसार ग्रनुसूची I के स्तम्भ सख्या 3 म ग्रधिकथित सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) इन नियमो के भाग V के ग्रनुसार ग्रनुसूची I के स्तम्भ स 3 म ग्रधिकथित पदोन्नति द्वारा

परन्तु—

(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि किसी वष विशेष म भर्ती के किसी एक तरीके से नियुक्ति की जाने के लिये उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नही हैं तो नियुक्ति दूसरे तरीके से उसी रीति से की जा सकेगी जैसा कि इन नियमो म विहित है —

(2) नियुक्ति प्राधिकारी किसी ग्रधे या विकलाग व्यक्ति को सेवा के किसी पद पर नियुक्त कर सकेगा परन्तु यह तब जब कि वह उस पद के लिये इन नियमो मे ग्रधिकथित न्यूनतम शैक्षिक ग्रहताय रखता हो, ऐसे किसी पद के लिये किसी मा यता प्राप्त सस्थान मे प्रशिक्षण

प्राप्त किया हुआ हो तथा उक्त पद के लिए अन्यथा उपयुक्त पाया जाय

[5](3) 1-9-1968 को उसके पूर्व कनिष्ठ लिपिक के रूप मे अस्थायी तौर पर भर्ती किय गय व्यक्तियो को, स्पष्ट रिक्तिया उपलब्ध होने पर उनका काय निम्नाकित सिद्धान्तो पर सतोषप्रद पाये जाने पर स्थायी कर दिया जायगा —

(i) कनिष्ठ लिपिको को उनकी भर्ती के वष के अनुसार स्थायी कियाजावेगा।

(ii) एक समान भर्ती के वष के भीतर जूनियर डिप्लोमा कोस उत्तीण और लोक सेवायोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी स्थायीकरण के लिये उसी क्रम मे तदथ आधार पर भर्ती किये गय कनिष्ठ लिपिको पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।

(iii) किसी विशिष्ट वष के जू डि को उत्तीण अभ्यर्थी उसी वष के आयोग से चयनित अभ्यर्थियो पर प्राथमिकता प्राप्त करेंगे।

(iv) यदि किसी विशिष्ट वष मे तदथ तरीके से भर्ती किये गये कनिष्ट लिपिको मे कुछ ऐसे हो जो जू डि को/आयोग परीक्षा अगले वर्षो मे उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको उस वष के अन्य तदथ कनिष्ट लिपिको पर स्थायीकरण मे प्राथमिकता दी जावेगी, परन्तु यह है कि-कोई व्यक्ति जिसने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पिछले वष मे उत्तीण कर ली हो तो वह उस व्यक्ति से वरिष्ठ होगा जिसने जू डि को परीक्षा बाद के (अगले) वष मे उत्तीण की है।

कनिष्ट लिपिक के रूप मे कार्य कर रहे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका काय सतोषप्रद नही पाया जाय सेवा से (1) यदि उसने राज्य के काय कलाप के सबध मे अस्थायी तौर पर तीन वष से कम सेवा की हो तो एक मास का नोटिस देकर (2) यदि उसने तीन वष से अधिक सेवा की हो तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958 मे अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण कर हटा दिया जायगा,

(4) वह व्यक्ति जिसे सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद के प्रति 1-1 1962 मे पूव वरिष्ठ लिपिक के रूप मे अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था और जो —

---

5 वि स एफ 3 (15) DOP/A II/GSR 216 दिनांक 29 नवम्बर 197> द्वारा प्रतिस्थापित एव दि 5-5-1970 से प्रभावी।

(ग) उक्त तारीख के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा पास नहीं कर सका, या

(ख) उक्त परीक्षा म नहीं बैठा,

वरिष्ठ लिपिक के रूप म स्थायी कर दिया जायगा परन्तु यह तब जबकि वह नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इसके पश्चात् अरस एक बार आयोजित ऐसी परीक्षा जो उसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसा सरकार द्वारा प्रविहित की जाय पास कर ले।

[6](5) भर्ती की किसी कालावधि विशेष म आशुलिपि क की 50 प्रतिशत रिक्तियों को भरने के लिये सचिवालय के ऐसे कनिष्ठ/वरिष्ठ लिपिकों में से चयन द्वारा भर्ती की जायेगी जिन्होंने आशुलिपिकों के लिए इन नियमों म विहित [7][अहता] परीक्षा पास करली हो, यदि ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हो। उनका चयन, इन नियमों के भाग (5) में किसी बात के होते हुए उनके चयन के दिनाक से पदोन्नति समझा जावेगा। यदि किसी वर्ष म अपेक्षित सख्या म एस अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो शेष रिक्तियां भाग (4) म दिये गये तरीके के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधीभर्ती से भी भरी जावेगी]

[8](5 क)—कि—इन नियमो म कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक पद पर रिक्तियो की उपलब्धता की सीमा मे रहते हुए उन व्यक्तियों में से अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित नही करेगा, जो अस्थायी या तदर्थ रूप म राजस्थान सचिवालय म 1 1-1976 को या इससे पहले आशुलिपिक का पद धारित कर रहे थे और जिनका काय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया गया हो और जो निम्नलिखित अहताओं मे से कोई ऐसी निर्धारित को पूरी करते थे—

(क) भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा या उसके समकक्ष घोषित अहतायें उत्तीर्ण हो मय आशुलिपि एक प्रश्न पत्र के रूप म —या—(आगे पृष्ठ 113 पर)

---

6 वि स एफ 2 (9) DOP/B-I/75 दि 18-8-1975 द्वारा प्रतिस्थापित एव दि 5-5-1970 से प्रभावी।

7 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15-3-78 द्वारा 'प्रतियोगी' के बजाय प्रतिस्थापित एव दि 15-3-78 से प्रभावी।

8 वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15-3-1978 द्वारा प्रतिस्थापित, जो आगे पृष्ठ 111 112 पर दिया गया है

पुरान परन्तुक इस प्रकार थे—

(क) 15-9-72 से 15-3-78 तक प्रभावशील—

*[5 क—कि इन नियमो मे कुछ भी नियुक्ति प्राधिकारी को आशुलिपिक पद पर रिक्तियो की उपलब्धता की सीमा में रहते हुए उन व्यक्तियो मे से अधिष्ठायी नियुक्ति करने से प्रवारित नही करेगा, जो अस्थायी या तदथ रूप मे राजस्थान सचिवालय मे 5 5 1970 या 15-9 1972 को आशुलिपिक या आशुटंकक के पद धारित कर रहे थे और जिनका काय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोष प्रद पाया गया हो और जो निम्नलिखित अर्हताओ और अनुभवो मे स कोई ऐसी दिनाक को धारण करते थे—

(क) भारत म विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय का स्नातक मय आशुलिपिक एक विषय के हो या आशुलिपि म डिप्लोमाधारी हो या—

(ख) राजस्थान सेकेन्डरी शिक्षा बोड से हायर सेकेण्डरी परीक्षा या उसक समतुल्य परीक्षा मय आशुलिपि एक विषय के रूप म उत्तीण हो और आशुलिपिक या आशु-टंकक के रूप मे, अ तरालो (ब्रेक्स) को छोडते हुए यदि कोई हो दो वष की सेवा कर चुका हो य

*स्पष्टीकरण—एक प्रश्न उठाया गया है कि एक व्यक्ति जो किसी मा यता प्राप्त शिक्षा बोड या भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय से इन्टरमीजिएट परीक्षा उत्तीण है और ऐसे बोड या विश्व विद्यालय से आशुलिपि एव टकण परीक्षा अलग से राजस्थान सेकेण्डरी शिक्षा बोड की हायर सेकेण्डरी मे ऐच्छिक विषय के लिये विहित गति स अनधिक से उत्तीण है उसे इस उपबन्ध क अधान पात्र समझा जावेगा या नही ?

इस मामले की सवीक्षा की गई और यह स्पष्ट किया जाता है कि—एसी योग्यता वाले या हायर सेकेण्डरी से उच्चतर (परीक्षा) मय आवश्यक आशुलिपि तथा टकण परीक्षा के, उत्तीण व्यक्तियो को परन्तुक 5 क के उक्त खण्ड (ख) मे वणित अर्हताओ (योग्यताओ) को पूरी करने वाले समझा जावेगा।

(ग) अन्तरालो को छोडकर, यदि कोई हो राजस्थान सचिवालय में 15-9-1972 को जिन आशुलिपिको या आशु-टंकको न दो वर्षो की सेवा पूरी करली है और नियुक्ति प्राधिकारी ने उनके सन्तोषप्रद काय को प्रमाणित कर दिया है और जो अनुसूची II के भाग II म वणित प्रतियोगी परीक्षा भी अंग्रेजी आशुलिपि मे या हिन्दी आशुलिपि मे हिन्दी व अंग्रेजी की टंकण-परीक्षा के अलावा उत्तीण कर ली है।]

* उपरोक्त परन्तुक 5-क तथा 5-ख को विलोपित कर नया परन्तुक 5 क निविष्ट किया गया—वि स एफ 2 (44) DOP/B-I/70 दि 13-12-1974, दि 15-9-1972 से प्रभावी। स्पष्टीकरण (**) वि स एफ 12 (137) DOP/B-I/59 दि 7-3-1975 द्वारा निविष्ट।

(ख) 15-9-72 से पूर्व के परन्तुक 5-क तथा 5-ख इस प्रकार थे-

(5-क) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात, आशुलिपिक या आशुटंकक के पदों पर प्रथम भर्ती, रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अध्यधीन रहते हुए उन व्यक्तियों मे से अधिष्ठायी रूप मे की जायेगी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय मे स्थायी या तदर्थ रूप मे आशुलिपिक या आशुटंकक के पद धारण कर रहे हो एव जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया जाय और उक्त तारीख को जिनके पास निम्नलिखित मे से कोई भी अर्हताएं और अनुभव हो —

(क) भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आशुलिपि विषय सहित स्नातक हो या आशुलिपि मे डिप्लोमाधारी हो या

(ख) राजस्थान के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा आशुलिपि विषय सहित पास किया हुआ हो और व्यवधानो को यदि कोई हो, शामिल न करते हुए आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप मे 2 वर्ष की सेवा किया हुआ हो।

स्पष्टीकरण —इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति जो इन नियमो के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व आयोजित स्नातक डिग्री की या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मे बैठा था किन्तु उक्त परीक्षा म उसे उत्तीर्ण घोषित करने वाला उसका परिणाम उक्त प्रारम्भण के पश्चात निकला है तो उसे इन नियमो के प्रारम्भ के पूर्व स्नातक डिग्री की परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यथास्थिति पास किया हुआ समझा जायगा।

[5-ख) इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात् आशुलिपिकों के पदों पर द्वितीय भर्ती उन आशुलिपिकों और आशुटंककों में से की जाएगी जो इन नियमो के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय म अस्थायी या तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हों और जिनकी ऐसे प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय मे उक्त रूप में दो वर्ष की सेवा व्यवधान को यदि कोई हो, शामिल

क्रमश

(ख) किसी मान्यता प्राप्त सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड से आशुलिपि एक विषय सहित हायर सेकेण्डरी परीक्षा या हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान या भाषा विभाग या व्यवस्था व पद्धति द्वारा आयोजित आशुलिपि की परीक्षा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो

टिप्पणी (क) 1968 के वर्ष से पूर्व प्राप्त किया गया मान्यता प्राप्त स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा को हायर सेकेन्डरी बोर्ड सर्टिफिकेट के समतुल्य माना जावेगा और इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अर्हतायें पूरी करना माना जावेगा।

(ख) हायर सेकेण्डरी परीक्षा से उच्चतर अर्हता, मय आवश्यक आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा के धारण करने वाले व्यक्ति भी इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अर्हतायें पूरी करने वाले माने जावेंगे।

[9](5 ख)—किसी ऐसे व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/जलसेना में सम्मिलित होता है, भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परन्तु शर्त यह है कि—ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होंगी।

[10](6) 1-1-1976 से पूर्व आशुलिपिकों के रूप में अस्थायी तौर से नियुक्त व्यक्ति जो परन्तुक 5-क के अधीन आवृत नहीं हैं, नियमित रूप से नियुक्त

न करते हुए हो गयी हो तथा उक्त भर्ती निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन और निम्नलिखित रीति से की जायेगी —

(क) केवल वे ही आशुलिपिक या आशुटंकक पात्र होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी ने यह प्रमाणित कर दिया हो कि इन्होंने संतोषप्रद कार्य किया है और

(ख) उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी टंकण परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के अलावा अनुसूची II के भाग II में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा या तो अंग्रेजी आशुलिपि में अथवा हिन्दी आशुलिपि में उत्तीर्ण करनी होगी, न कि दोनों में।]

9 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि 29 8 1973 द्वारा निविष्ट तथा दि 29-10-1963 से प्रभावी माने जावेंगे।

10 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15 3-1978 द्वारा जोड़ा गया

क्रमश

* उपरोक्त परन्तुक 5–क तथा 5–ख को विलोपित कर नया परन्तुक 5 क निविष्ट किया गया—वि स एफ 2 (44) DOP/B-I/70 दि 13–12–1974, दि 15–9–1972 से प्रभावी। स्पष्टीकरण (**) वि स एफ 12 (137) DOP/B-I/59 दि 7–3–1975 द्वारा निविष्ट।

(ख) 15–9–72 से पूर्व के परन्तुक 5–क तथा 5–ख इस प्रकार थे–

(5-क) इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात्, आशुलिपिक या आशुटंकक के पदो पर प्रथम भर्ती रिक्तियाँ उपलब्ध होने के अध्यधीन रहते हुए उन व्यक्तियो मे से अधिष्ठायी रूप मे की जायेगी जो इन नियमो के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय मे स्थायी या तदर्थ रूप मे आशुलिपिक या आशुटंकक के पद धारण कर रहे हो एव जिनका कार्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद पाया जाय और उक्त तारीख को जिनके पास निम्नलिखित में से कोई भी अर्हताएं और अनुभव हो —

(क) भारत मे विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का आशुलिपिक विषय सहित स्नातक हो या आशुलिपि मे डिप्लोमाधारी हो या

(ख) राजस्थान के उच्चतर माध्यमिक बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या इसके समतुल्य परीक्षा आशुलिपि विषय सहित पास किया हुआ हो और व्यवधानो को यदि कोई हो शामिल न करते हुए आशुलिपिक या आशुटंकक के रूप मे 2 वर्ष की सेवा किया हुआ हो।

स्पष्टीकरण –इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ ऐसा कोई व्यक्ति जो इन नियमो के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व आयोजित स्नातक डिग्री की या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा मे बैठा था किन्तु उक्त परीक्षा मे उसे उत्तीर्ण घोषित करने वाला उसका परिणाम उक्त प्रारम्भण के पश्चात निकला है तो उसे इन नियमो के प्रारम्भ के पूर्व स्नातक डिग्री की परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा यथास्थिति पास किया हुआ समझा जायगा।

[5-ख) इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात आशुलिपिको के पदों पर द्वितीय भर्ती उन आशुलिपिको और आशुटंकको में से की जाएगी जो इन नियमो के प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय मे अस्थायी या तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हो और जिनकी ऐसे प्रारम्भ की तारीख को राजस्थान सचिवालय मे उक्त रूप मे दो वर्ष की सेवा व्यवधान को यदि कोई हो शामिल

क्रमश

(ख) किसी मान्यता प्राप्त सेकेन्डरी शिक्षा बोर्ड से आशुलिपि एक विषय सहित हायर सेकेन्डरी परीक्षा या हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन राज्य संस्थान या भाषा विभाग या व्यवस्था व पद्धति द्वारा आयोजित आशुलिपि की परीक्षा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो

टिप्पणी (क) 1968 में वर्ष से पूर्व प्राप्त किया गया मान्यता प्राप्त स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट/डिप्लोमा को हायर सेकेन्डरी बोर्ड सर्टिफिकेट के समतुल्य माना जावेगा और इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अर्हतायें पूरी करना माना जावेगा।

(ख) हायर सेकेण्डरी परीक्षा से उच्चतर अर्हता मय आवश्यक आशुलिपि एवं टंकण परीक्षा के, धारण करने वाले व्यक्ति भी इस परन्तुक के खण्ड (ख) के अधीन वर्णित अर्हतायें पूरी करने वाले माने जावेंगे।

[9](5 क)—किसी ऐसे व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/जलसेना में सम्मिलित होता है, भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशों और निर्देशों के द्वारा विनियमित होंगे, परन्तु शर्त यह है कि—ये भारत सरकार द्वारा इस विषय में प्रसारित निर्देशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होगी।

[10](6) 1-1-1976 से पूर्व आशुलिपिकों के रूप में अस्थायी तौर से नियुक्त व्यक्ति जो परन्तुक 5-क के अधीन आवृत नहीं हैं, नियमित रूप से नियुक्त

न करते हुए हो गयी हो तथा उक्त भर्ती निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन और निम्नलिखित रीति से की जायेगी —

(क) केवल वे ही आशुलिपिक या आशुटंकक पात्र होंगे जिनके लिए नियुक्ति प्राधिकारी ने *यह प्रमाणित* कर दिया हो कि इन्होंने संतोषप्रद कार्य किया है, और

(ख) उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी टंकण परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के अलावा अनुसूची II के भाग II में उल्लिखित प्रतियोगी परीक्षा या तो अंग्रेजी आशुलिपि में अथवा हिन्दी आशुलिपि में उत्तीर्ण करनी होगी, न कि दोनों में।]

9 वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग)/55 भाग II दि 29 8 1973 द्वारा निविष्ट तथा दि 29-10-1963 से प्रभावी माने जावेंगे।

10 वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15 3-1978 द्वारा जोडा गया

क्रमश

आशुलिपिका के रूप मे माने जावेंगे, (यह) रिक्तस्थानो के उपलब्ध होने पर तथा उनके द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपि मे गति परीक्षा और टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा के लिये निर्धारित स्तर की होगी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सस्थान द्वारा आयोजित की जावेगी। गति परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये दो अवसर से अधिक नही दिये जावेंगे।

ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त दोनो परीक्षाओं मे इन नियमो के प्रवृत होने के बाद भाग नही लेते हैं या असफल हो जाते हैं, उनके प्रत्यावर्तन या सेवा समाप्ति, यथास्थिति, के दायी होंगे।

(7) विधि रचनाकारो/अनुवादको के पद पर भर्ती अस्थाई रूप से ऐसे व्यक्ति के पुनर्नियोजन द्वारा भी की जा सकती है जो विधिरचनाकार/अनुवादक सहायक मुख्य अनुवादक या वरिष्ठ विधिरचनाकार/मुख्य अनुवादक के रूप मे सेवा निवृत हुआ हो,

(8) जहा सरकार कर्मचारियो के किसी सवर्ग मे कोई पद किसी ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तरण द्वारा भरे जाने का विनिश्चय करती है जो सचिवालय से भिन्न किसी विभाग में लिपिकवर्गीय पद धारण कर रहा है तो वह ऐसी शर्तें जो आवश्यक समझी जाय, विहित कर सकेगी जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा स्थानान्तरण किया जा सके।

तथा 15 3-1978 से प्रभावशील। विद्यमान परतुक (6) से (9) को क्रमश (7) से (10) पुनर्संख्याकित किया गया तथा विद्यमान परतुक (10) को विलोपित किया गया, जो वि स एफ 3 (7) DOP/A II/76 दि 30 2-1977 से जोडा गया था तथा इस प्रकार था—

[10 इन नियमो मे किसी बात के होते हुए भी वे व्यक्ति जो सचिवालय म आशुलिपिको के रूप म अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे और जिन्होने दिनाक 1 10-76 को, अतराला, यदि कोई हो, को छोडकर, आशुलिपिक या आशुटकक के रूप मे दस वर्ष की सेवा पूरी करली है और परतुक 5-क के खण्ड (ग) के अधीन विहित परीक्षा उत्तीर्ण नही की है तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सतोषप्रद काय के लिये प्रमाणित कर दिये गये हैं, उनको परन्तुक 5-क के खण्ड (ग) के अधीन विहित परीक्षा उत्तीर्ण करने का इसके बाद एक और अवसर दिया जायेगा।

उन व्यक्तियो को जो उपरोक्त परीक्षा पास करने म असफल रहते हैं, कनिष्ट लिपिको के रिक्त स्थानो के विरूद्ध नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाय, यदि वे इस प्रकार नियुक्त होने के इच्छुक हो। यदि वे इस प्रकार नियुक्ति के लिये इच्छुक नही हो तो उनकी सेवायें समाप्त की जाने को दायी होगी।

(9) राजस्थान के महालेखाकार के कार्यालय के ऐसे अधिदाय व्यक्ति को जिसे 31-5 56 से पूव राजस्थान सचिवालय म अस्थायी रूप से सीधा वरिष्ठ लिपिक के पद पर भर्ती किया गया था, सचिवालय मे ऐसे व्यक्ति की भर्ती से पहिले की तारीख से, सचिवालय मे वरिष्ठ लिपिक के रूप मे स्थानापन्न तौर से काय कर रहे व्यक्तियो की स्थायी पदो पर अधिष्ठायी नियुक्ति के पश्चात हो, अधिस्थायी रूप से नियुक्त किया जायेगा।

(10) राजस्थान सचिवालय मे वाणिज्यिक लेखा लिपिको के रूप म सीधे भर्ती किये गये तथा उन पदो पर ऐसे पदो के लिए विहित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त दिनाक 5–7–1958 को या उसके पश्चात किन्तु 10–10–1960 तक स्थायी किये गये व्यक्ति रु 15) प्रति माम के विशेष वेतन के साथ, वाणिज्यिक लेखा *लिपिक के पद नाम से, सचिवालय के वरिष्ठ लिपिक/लेखालिपिक के नियमित* सवग में उनकी वरिष्ठता भी वाणिज्यिक लेखा लिपिक के रूप मे उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनाक के आधार पर नियत की जायगी।

[11](11) कि—जो व्यक्ति राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1956 के उपबन्धो के अनुसार टेलिफोन प्रचालक (आपरेटर) के रूप म सीधे भर्ती किये गये थे और ऐसे पदो पर स्थायी (कनफर्म्ड) कर दिये गय थे, व टेलिफोन प्रचालक के रूप मे उनकी नियुक्ति की दिनाक से कनिष्ट लिपिको के पद पर पर नियुक्त समझे जावेंगे और उनकी उचित वरिष्ठता उनको कनिष्ट लिपिको क सवग मे ⊛[टेलिफोन प्रचालक के पद पर उनके स्थायीकरण के दिनांक के आधार पर समनुदेशित की जायेगी। ऐसे व्यक्तियो के वरिष्ठ लिपिक के पदो पर पदोन्नति के लिये विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन किये जाने पर पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पदो पर उस दिनाक से नियुक्त किया जावेगा जिसे दिनाक से वे अपनी कनिष्ठ लिपिक के सवग मे वरिष्ठता के आधार पर गेस रूप मे नियुक्त किये जाते। इन नियमो मे विहित अन्य शर्तों को पूरी करने के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति वरिष्ठ लिपिको के पदो पर उस दिनाक से स्थायी किये जाने के पात्र होगे जिसको उनके तुरन्त कनिष्ठो को वरिष्ठ लिपिको के रूप में स्थायी किया गया था। उनको वरिष्ठ लिपिकों के सवग में उस दिनाक से वरिष्ठता दी जायेगी जिस दिनाक को उनके तुरन्त कनिष्ट पदोन्नति से वरिष्ठ लिपिक नियुक्त किये गये और स्थायी किय गये थे।]

---

11 वि स एफ 3 (1) DOP/A II/78 दिनांक 28-1-1978 द्वारा *जोड़ा गया।*

⊛ वि स एफ 3 (1) DOP/A II/78 दि 17-5 1979 द्वारा संशोधित।

6 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण —

(1) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण सरकार के ऐसे आरक्षण सबधी आदेशो के अनुसार होगा जो भर्ती के समय प्रवृत हो भर्ती चाहे सीधी हो तथा पदोन्नति द्वारा हो,

(2) पदोन्नति के लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तिया [12][केवल योग्यता] द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियो को भरने मे उन पात्र अभ्यर्थियो के सबध मे जो अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो के सदस्य है नियुक्ति के लिये दूसरे अभ्यर्थियो की तुलना मे उनका सूची मे कौनसा रेंक है इस पर ध्यान न देते हुए आयोग के अधिकार क्षेत्र म आने वाले पदो के लिये आयोग द्वारा अन्य मामलो मे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये बनायी गयी सूची मे जिस क्रम म उनके नाम है उसी क्रमानुसार तथा पदोन्नति के मामले मे विभागीय पदोन्नति समिति तथा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, यथास्थिति, विचार किया जायेगा।

[13](4) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये अलग से विहित रोस्टर तालिकाओ के अनुसार उनका कठोरता से पालन करते हुए नियुक्तिया की जावेगी। किसी विशिष्ट वष मे अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो यथास्थिति म से पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थियो की अनुपलब्धता की स्थिति म उनके लिये इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामा य क्रियाविधि के अनुसार भरली जायेंगी और पश्चात् वर्ती (अगले) वष मे अतिरिक्त रिक्तियो आरक्षित की जावेंगी। ऐसी रिक्तिया जो इस प्रकार बिना भरी रहती हैं अगली भर्ती के वर्षों तक कुल योग मे आगे ले जायी जावेंगी और तत्पश्चात ऐसे आरक्षण का अवसान (समाप्ति) हो जायगा।

परन्तु यह है कि–किसी सवा के किसी सवग के पदो या पदो के वग/श्रेणी/समूह म जिन में पदोन्नति इन नियमो के अधीन[12] [केवल योग्यता] के आधार पर की जाती है, रिक्तियो को आगे नहीं ले जाया जायेगा।

---

12 वि स प 7 (6) DOP/A II/75 III दिनाक 31 10 75 द्वारा शब्दावली 'मेरिट कम सीनियारिटी'' के स्थान पर प्रतिस्थापित

13 वि स प 7 (4) कामिक (क II) 73 दिनाक 10 2-1975 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

(4) किसी वष विशेष म अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियो से पर्याप्त सख्या मे पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो रिक्तियां अग्रेनित नही की जायेंगी तथा प्रसामान्य क्रियाविधि के अनुसार भर ली जायेगी।'

राजस्थान सरकार का आदेश संख्या एफ 7 (4) डी ओ पी/ए II/73 दिनांक 3 9 1973

भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के उपबन्धो के अनुसार राजस्थान सरकार यह निदेश देती है कि निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओ मे प्रत्येक प्रवर्ग के पदो पर योग्यता एव वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियो के मामले मे क्रमश 10 और 5 प्रतिशत का आरक्षण किया जावेगा —

(1)(क) यदि किसी वर्ष मे पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदो की संख्या 10 से कम हो तो उस वर्ष अनुसूचित जाति के व्यक्तियो की पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नही होगा।

(ख) यदि किसी वर्ष म पदोन्नति से भरे जाने वाले कुल पदो की संख्या 20 से कम हो तो उस वर्ष म अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियो की पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नही होगा।

(2) इस प्रकार आरक्षित पदो पर पदोन्नति हेतु पात्र कर्मचारी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी —

(क) उसे सबंधित पद पर पदोन्नति के लिये विहित न्यूनतम अर्हता और अनुभव अवश्य प्राप्त हो।

(ख) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है तथा वह अन्यथा रूप से पदोन्नति के लिये उपयुक्त है।

(ग) उसके सेवा अभिलेख के सभी प्रकार से किये गये मूल्यांकन के आधार पर उसका सेवा अभिलेख अच्छा हो।

[14]7 राष्ट्रीयता—सेवा मे नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिये आवश्यक है कि वह —

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या

(घ) तिब्बती शरणार्थी हो जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो, या

---

14 वि स प 7 (4) DOP/A II/76 दि 7 9 76 द्वारा प्रतिस्थापित — जो अगले पृष्ठ पर देखिये।

[15][(ङ) भारतीय उदभव का व्यक्ति हो, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और केनया, युगाण्डा के पूर्वी अफ्रीकी देशो और तन्जानिया के संयुक्त गणराज्य (पहले टांगानिका और जन्जीबार), जाम्बिया, मालवी जैरा और यूथोपिया तथा वियतनाम से भारत म स्थायी रूप स बसने के आशय से आया हो।]

परन्तु यह है कि—प्रवर्ग (ख) (ग) (घ) और (ङ) का अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसको भारत सरकार न पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो। एक अभ्यर्थी को जिसके मामले मे पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकेगा और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जान के अध्यधीन अन्तिम तौर पर नियुक्ति दी जा सकेगी।

'7 राष्ट्रीयता —(1) सेवा मे नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी के लिये आवश्यक है कि वह—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम का प्रजाजन हो या

(ग) भारतीय उदभव का व्यक्ति हो और पाकिस्तान से भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो

परन्तु—

(i) उसे पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के अध्यधीन रहते हुए नेपाल के प्रजाजन या किसी ऐसा तिब्बती को भी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो सेवा के किसी पद पर नियुक्त किया जा सकेगा,

(ii) उपयुक्त (ग) प्रवर्ग से संबंधित कोई अभ्यर्थी हो तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया हो और यह पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख स केवल एक वर्ष की कालावधि के लिये विधि मान्य होगा तत्पश्चात वह सेवा मे भारत का नागरिक हो जाने पर ही रखा जायेगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को जिसके लिये पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक है नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा मे बैठने या साक्षात्कार में बुलाये जाने कि अनुमति दी जा सकेगी और उसे भारत सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र दिये जाने के अध्यधीन रहते हुए अन्तिम तौर पर नियुक्त किया जा सकेगा।

15 वि स एफ 7 (5) DOP/A II/78 दिनाक 23-10 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

[16]7-क इन नियमो मे किसी बात के हाते हुए भी, सेवा मे भर्ती के लिये पात्रता सवधी उपबन्ध जो भारत मे स्थायी रूप से बसने के आशय से आये हुए दूसरे देशो के एक व्यक्ति की राष्ट्रीयता आयु सीमा, शुल्क या अन्य छूट से सबधित हैं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित ऐसे आदेशो या निर्देशो से विनियमित होंगे, जो कि भारत सरकार द्वारा उस विषय मे प्रसारित निर्देशो के अनुसार यथावश्यक परिवतन सहित, विनियमित होगे।

[17]8 रिक्तियो का अवधारण —

[18][(1) इन नियमो के उपबन्धा के अधीन रहते हुए कनिष्ठ लिपिको के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वष मे अगले बारह महीना के दौरान प्रत्याशित रिक्त पदो की सख्या और प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियो की सख्या तय करेगा। ऐसी रिक्तियो की पिछली समाप्ति के बारह मास की समाप्ति के पहले ऐसी रिक्तियो को पुन तय किया जावेगा। कनिष्ट लिपिको के मामलो मे इन नियमो के नियम 22 के उप नियम (1) (ख) के उपबन्धो के अनुसार आयोग सूचिया तैयार करेगा।]

(2) सम्बन्धित सेवा नियमो से सलग्न अनुसूची के कोष्ठक (3) मे विहित प्रतिशत के आधार पर प्रत्येक तरीके से भरी जाने वाली वास्तविक सख्या की सगणना करने मे, प्रत्येक नियुक्त प्राधिकारी एक यथोचित चक्रीय क्रम का अनुसरण करेगा जो प्रत्येक सेवा नियमो मे वर्णित अनुपात के अनुसार पदोन्नति के कोटा को सीधी भर्ती के कोटे पर प्राथमिकता देते हुए होगा। जैसे—जहा सीधी भर्ती से और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत क्रमश 75 और 25 है, तो चक्रीय क्रम इस प्रकार होगा—

---

16 वि सख्या प 7 (5) DOP/A-II/76, दिनाक 20 6 1977 द्वारा निविष्ट।

17 वि स प 7 (1) DOP/A-II/73 दि 16 10 1973 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—

"8 रिक्तियों का अवधारण—इन नियमों के उपबन्धो और सरकार के निर्देशो यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ मे यह अवधारित करेगा कि वष के दौरान प्रत्याशित रिक्तियो की सख्या तथा प्रत्येक तरीके से भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो की सख्या कितनी होगी।"

18 वि स प 3 (3) DOP/A II/76 दि 30 नवम्बर 1976 द्वारा प्रतिस्थापित।

1 पदोन्नति से, 2 सीधी भर्ती से, 3 सीधी भर्ती से, 4 सीधी भर्ती स, 5 पदोन्नति से, 6 सीधी भर्ती स 7 सीधी भर्ती स, 8 सीधी भर्ती से, 9 पदोन्नति से और इसी प्रकार क्रमानुसार आगे।

9 आयु सेवा म सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये नियत अंतिम तारीख के ठीक पश्चात् आने वाली प्रथम अप्रेल को 18 वप की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये किन्तु 28 वप की आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिय

परन्तु—

(i) महिला अभ्यर्थियो और अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जन जातियो के अभ्यथियो के मामले मे अधिकतम आयु सीमा म पाच वर्ष तक की छूट दी जायगी,

(ii) भूतपूव सनिक कमचारियो और रिजर्विष्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा में उन कम चारियो के मामले मे जिन्हे रिजव मे अन्तरित कर दिया गया हो अधिकतम आयु सीमा पचास वप होगी,

(iii) अधिकतम आयु सीमा उस भूतपूव कैदी के मामले मे लागू नही होगी जिसने दोपसिद्धि मे पूव सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी आधार पर सेवा की थी और जो नियमो का अधीन अन्यथा नियुक्ति का पात्र था।

(iv) उस भूतपूव कैदी के मामले म जो दोषसिद्धि से पूव अधिकतम आयु का नही था एव नियमो के अधीन नियुक्ति का पात्र था अधिकतम आयु सीमा मे इतनी कालावधि तक की छूट दी जायगी जो भुक्त कारावास की अवधि के बराबर हो,

(v) अधे या विकलांग व्यक्ति क मामल मे अधिकतम आयु सीमा 40 वप होगी,

(vi) सरकार के अधीन किसी पद को अस्थायी रूप स धारण करने वाले व्यक्ति को आयु सीमा मे ही समझा जायगा यदि वह प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा म था चाहे उसने आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी क समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार करली हो और यदि वह अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय उपरोक्त रूप से आयु सीमा में पात्र था तो उसे आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दो अवसर तक प्रदान किये जायेंगे,

(vii) यह अनुज्ञा दी जायेगी कि राष्ट्रीय कैडेट कोर मे कैडेट प्रशिक्षक द्वारा की गयी सेवा की कालावधि उसकी वास्तविक आयु मे से कम कर दी जायगी,

(viii) यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमो के प्रारम्भ होन क पश्चात किसी भी वप जिसमे ऐसी परीक्षा नही हुई हो अपनी आयु क आधार पर परीक्षा मे

बैठने का हकदार होता तो जहा तक आयु का सम्बन्ध है वह उस वष के ठीक बाद होने वाली आगामी परीक्षा मे बैठने का हकदार समझा जायगा,

(ix) 15 10-69 से पूव किसी भी कालावधि मे 25 वष की आयु प्राप्त कर लेने से पूव तथा उसके पश्चात किसी भी कालावधि मे 28 वष की आयु प्राप्त करन से पूव, नियुक्त उन अभ्यर्थियो के लिए आयु सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नही होगा जो राज्य के काय कलापो के सम्बन्ध मे पहले से ही अधिष्ठायी या अस्थायी हैसियत से लगातार सेवा कर रहे हैं।

[19](x) कि-जो पद आयोग के परिक्षेत्र मे नही हैं उन पदो पर ऐसे व्यक्तियो के लिये जो राज्य सरकार की सेवा से रिक्त स्थानो के न होने से या पदो का समाप्त कर देने के कारण छटनी कर दिये गये थे, अधिकतम आयुसीमा 35 वष हागी, यदि वे उस समय इन नियमो के अधीन विहित आयुसीमा के भीतर थे, जब कि उनको आरम्भ मे उन पदो पर नियुक्त किया था जिनसे वे छटनी किये गये। परन्तु यह है कि-अहता चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि की सामान्य विहित धारायें पूरी करली गई हो और वे किसी शिकायत या दोष के कारण छटनी नही किये गये थे तथा वे अपने भूतपूव नियुक्ति प्राधिकारी से अच्छी सेवा करन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

[20](xi) 1-3 63 को या इसके बाद बर्मा, श्रीलका और केनिया, टागानिका युगाडा व जजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशो से लौटाय गये व्यक्तियो के लिय उपयु क्त उल्लिखित आयुसीमा 45 वष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियो के मामले मे पाच वष की छूट और दी जायेगी।

[21](xii) पूर्वी अफ्रीकी देशो-केनिया, टाग्यानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये व्यक्तियो के मामले मे कोई आयुसीमा नही होगी।

(xiii) निमु क्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियो तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियो को सेना से निमु क्त होने के बाद आयुसीमा के

---

19 वि सख्या प 5 (2) DOP A II/73 दिनाक 22 12 1973 द्वारा निविष्ट।

20 वि स एफ 1 (20) DOP/AII/67 दिनाक 13-12-1973 द्वारा निविष्ट एव दि 28-2-75 तक प्रभावी। वि समसख्यक दि 20 9-75 द्वारा प्रतिस्थापित एव दि 29 2 1977 तक प्रभावी।

21 वि समसख्यक दि 13 12 1974 द्वारा निविष्ट।

22 वि समसख्यक दि 20 9 1975 द्वारा निविष्ट।

भीतर माना जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर उस आयुसीमा को पार कर चुके हो, यदि वे सेना के कमीशन में प्रवेश के समय इसके लिये पात्र होते ।

10 शक्षिक एव तकनीकी अर्हताए —अनुसूची I में निर्दिष्ट पदो पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी म निम्नलिखित अर्हताए होना आवश्यक है —

(i) अनुसूची I के स्तम्भ 4 म दी गई अर्हताए और देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी या तथा राजस्थानी बोलियो म स किसी एक का व्यावहारिक ज्ञान और

(ii) जहा आवश्यक हो अर्हता परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा पास करना जसा कि अनुसूची II मे विहित है ।

11 चरित्र —सेवा म सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र एसा होना चाहिये जो उसे सेवा म नियोजन के लिय अर्हित करे । उसको उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय के प्रधान शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये जिसम उसने अन्तिम बार शिक्षा पायी थी तथा साथ ही उसे दो और सच्चरित्रता प्रमाण पत्र ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियो के देने चाहिये जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से सबधित न हो और न उसके रिश्तेदार हो । ऐसे व्यक्तियो द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की तारीख से छ मास से पूर्व के लिखे हुये नही होने चाहिये ।

टिप्पण

(1) न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि मात्र को सच्चरित्रता प्रमाण-पत्र न दिये जाने का आधार नही माना जाना चाहिये । दोषसिद्धि की परिस्थितियो पर विचार किया जाना चाहिये और यदि उनमे नैतिक अधमता स बधी कोई बात अन्तग्र स्त नही है या उनका सबध हिंसात्मक अपराध या ऐसे आन्दोलनो से नहीं है जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीको से उलटना हो तो केवल दोषसिद्धि को निरहता नही समझा जाना चाहिये ।

(2) ऐसे भूतपूर्व कदियो के साथ जिन्होने कारावास म अपने अनुशासित जीवन से और बाद के सदाचरण से अपने आपको पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो सेवा मे नियोजन के प्रयोजनार्थ इस आधार पर विभेद नही किया जाना चाहिये कि वे पहले सिद्धदोष हो चुके हैं । उन व्यक्तियो को जिन्हे ऐसे अपराधो के लिए सिद्ध दोष किया गया है जिनम नैतिक अधमता या हिंसा की कोई बात अन्तग्र स्त नही है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायगा यदि वे पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की या यदि किसी जिले विशेष में ऐसे पश्चातवर्ती देखरेख

"ह नही है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की इस आशय की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करदें।

(3) उन भूतपूर्व कैदियो मे जिन्ह ऐसे अपराधो के लिये सिद्धदोष किया गया है जो नैतिक अधमता या हिंसा से सबंधित हैं पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का इस आशय का एक प्रमाण पत्र जो कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायगी कि उन्होने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देख रेख गृह मे अपने बाद के सदाचरण से यह साबित कर दिया है कि वे अब पूर्णत सुधर गये हैं अत वे नियोजन के लिये उपयुक्त हैं।

12 शारीरिक योग्यता — सेवा मे सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एव शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमे किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एव शारीरिक नुक्स नही होना चाहिये जो उसके सेवा के सदस्य के रूप मे अपने कर्तव्य दक्षतापूर्वक पालन करने मे बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति के नियमित क्रम म पदोन्नत अभ्यर्थी के मामले मे या यदि अभ्यर्थी राज्य के कार्य कलाप के सबध म पहले से ही सेवारत है और पूर्व नियुक्ति के लिये उसकी चिकित्सा परीक्षा पहले ही की जा चुकी है, इस दशा मे और उसके द्वारा धारित तथा धारित किये जाने वाले (दोनो) पदो कि चिकित्सा परीक्षा का आवश्यक मापमान [illegible] दक्षता पूर्वक पालन करने के लिये तुलनात्मक दृष्टि से एक समान हो और तत्प्रयोजनार्थ आयु के कारण भी उसकी कार्य दक्षता मे कोई कमी न आती हो तो उक्त प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से उसे अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा।

13 अनियमित या अनुचित साधनो का प्रयोग एसा अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गढे हुए दस्तावेज जिनको बिगाड़ दिया गया है प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना दबाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार म [illegible] साधनो का प्रयोग करने का या उनके प्रयोग का प्रयास करने का अथवा [illegible] साक्षात्कार मे प्रवेश पाने के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन [illegible] म लाने का दोषी घोषित किया जाता है या कर दिया गया है तो [illegible] चलाए जाने के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त उसे सरकार के [illegible] पद पर नियुक्ति के लिये स्थायी तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये [illegible] किया जायगा।

14 पक्ष समर्थन– इन नियमो के अधीन अपेक्षित बातो को छोडकर भर्ती के लिये अन्य किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, विचार नही किया जायगा । अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष मे समर्थन प्राप्त क हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किये गये प्रयत्न कार उसे भर्ती के लिए निर्रहित किया जा सकेगा ।

15 नियुक्ति के लिये निरर्हता —(1) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्निया हैं, सेवा म नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा जब तक कि सरकार, अपना समाधान कर लेन के पश्चात कि ऐसा करन के लिए विशेष आधार हैं किसी अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने स छूट न दे दें ।

(2) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह उस व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी है, सेवा म नियुक्ति के लिये पात्र नही होगी जब तक कि सरकार अपना समाधान कर लेने के पश्चात कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार हैं किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के उस पर लागू होने से छूट न देदें ।

[23] 3) विलोपित

[24](4) कोई विवाहित अभ्यर्थी जिसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो सेवा म नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा ।

स्पष्टीकरण —इस नियम के प्रयोजनार्थ दहेज शब्द का वही समान अर्थ होगा, जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम 28,1961 मे दिया गया है ।

भाग IV–सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16 आयोग द्वारा परीक्षा —[25][कनिष्ठ लिपिको, आशुलिपिको और विधि रचनाकारों/अनुवादको] के पदो पर भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा अनुसूची II म के पदो के प्रत्येक प्रवग के लिये विहित पाठ्य विवरण के अनुसार ऐसे अन्तरालो पर जो नियुक्ति प्राधिकारी आयोग के परामश से समय समय पर अवधारित करे, आयोजित की जायेगी जब तक कि सरकार आयोग के परामश के किसी वष विशेष

---

23 वि स प 7 (3) कार्मिक (क 2) 76 दि 15-2 1977 द्वारा विलोपित (यह परिवार नियोजन सम्बन्धी प्रतिबन्ध था ।)

24 वि स एफ 15 (9) कार्मिक (क-2) 74 दि 5 1-1977 द्वारा निविष्ट ।

25 वि स एफ 2 (45) DOP/B-I/74 दिनाक 7 11 1975 द्वारा "आशुलिपिको विधि रचनाकार/अनुवादको" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

में परीक्षा मे न लेन का विनिश्चय न कर ले । पाठ्य विवरण सरकार द्वारा जैसा कि वह उपयुक्त समझे आयोग के परामर्श से समय समय पर सशोधित किया जा सकेगा ।

[26]परन्तु यह है कि—आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ आशुलिपिको के पदो के लिये इन नियमो के अधीन विहित अहता-परीक्षा प्रत्येक छ मास से ऐसे स्थानो पर आयोजित होगी, जो आयोग तय करे ।

[27]परन्तु यह है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957 के उपबन्धो के अधीन कनिष्ठ लिपिको के रिक्त स्थाना के लिये आयोग सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर सकेगा ।[28] [एक अभ्यर्थी सचिवालय तथा अधीनस्थ कार्यालयो दोनो के लिये रिक्त स्थानो के लिये आवेदन करने का हकदार हागा, जिसके लिये केवल एक आवेदन पत्र कनिष्ठलिपिक सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हतु होगा और अभ्यर्थी को अपनी इच्छा की सवा का आवेदन पत्र में कनिष्ठ लिपिक (सचिवालय) या कनिष्ठ लिपिक (अधीनस्थ कार्यालय) उल्लेख करना होगा । ऐसी सयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिये अभ्यर्थी द्वारा केवल एक परीक्षा शुल्क देय होगा] आयोग राजस्थान सचिवालय लिपिकवर्गीय सेवा के लिये आवेदन करन वालो के लिये नियम 22 (1) (ख) के अनुसार तथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम 1957 के नियम 24 के अनुसार उक्त सेवा के लिये आवेदन करन वालो के मामले मे सफल अभ्यर्थियो की सूची तयार करेगा ।

[29][विलोपित]

[30]16-क-वरिष्ठ आशुलिपिकों की परीक्षा मे प्रवेश हेतु पात्रता—

[31] [वरिष्ठ आशुलिपिको के पदो के 50 प्रतिशत के विरुद्ध जो व्यक्ति]

---

26 वि स एफ 3 (4) DOP/A–II/77 दिनाक 15 3 78 द्वारा जोडा गया ।

27 वि स प 3 (3) DOP/A–II/76 दिनाक 30 11 1976 द्वारा निविष्ट ।

28 वि समसख्यक दिनाक 29 10 1977 द्वारा प्रतिस्थापित ।

29 वि स एफ 11 (6) DOP/A-II/76 दिनाक 16 11 1978 द्वारा विलोपित ।

30 वि स प 3 (19) कार्मिक/क–2/73 दिनाक 5-3 1976 से निविष्ट एव दिनाक 18 3 1976 से प्रभावी ।

31 वि सख्या प 3 (4) कार्मिक/क–2/73 दिनाक 15 3 78 द्वारा प्रतिस्थापित ।

निम्नलिखित शर्तों को पूरी करत हैं, वे वरिष्ठ आशुलिपिक की आयोग द्वारा आयो-जित परीक्षा मे बैठन के लिये पात्र होंगे--

(1) आशुलिपिक के सवग मे अधिष्ठायी हो, या--

(11) इन नियमा के नियम 5 के परतुक (5-क) के अधीन अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये पात्र हो, या--

(111) आयोग द्वारा आयाजित सचिवालय आशुलिपिको की [अर्हता परीक्षा] मे उत्तीण हा और तदथ/अर्जेंट अस्थायी रूप से नियम 28 क अधीन के अलावा कम से कम दा वष की अवधि के लिये आशुलिपिक के रूप मे काय कर चुका हो।

टिप्पणी--इस सशोधन के प्रवृत होने के तुरत बाद आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ आशुलिपिको की परीक्षा उत्तीण कर सकने वाले व्यक्ति अक्टूबर 1975 क माह म आयोजित वरिष्ठ-आशुलिपिक परीक्षा उत्तीण किये हुये माने जावेंगे।

[32]17 आवदन पत्र आमन्त्रित करना --सेवा के पदो पर सीधी भर्ती के लिय आयाग द्वारा उन रिक्त पदा को जिन पर भर्ती की जानी हैं, राजपत्र मे अथवा अन्य ऐसे तरीका स जैसा आयोग द्वारा उचित समझा जाय, विज्ञापित किया जायगा और उनक लिय आवदन-पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे।

[33]परतु आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति विज्ञापित पदा की रिक्तिया का [34]100 प्रतिशत तव कनिष्ट लिपिको के मामले मे और 50 प्रतिशत तक अन्य मामला म प्रतियोगी परीक्षा मे भ ी गयी (रिक्तिया) के अतिरिक्त उपयुक्त अभ्यथियो के नामा की सूची आरक्षित सूची पर रख सकगे। मागपत्र पर, एस अभ्यर्थिया क नाम मरिट के क्रम मे आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी का मूल सूची सप्रपित करन की दिनाक स छ माह के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी का अभि शसित किये जा सकेंगे।

(2) इन नियमा के उपबन्धा के अध्यधीन रहत हुए आयोग नाटिस के सा या एसे अन्य तरीके से जो वह उचित समझे, अभ्यथियो क माग न्यान क लिए ऐप

---

32 वि सख्या प 6 (1) DOP B-I/70 दिनाक 22 5 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

33 वि सख्या 1 (27) नियुक्ति (क-II) 69-I दिनाक 13 12 1973 द्वारा प्रतिस्थापित।

34 वि सख्या प 2 (45) DOP/B-I/70 दिनाक 7 1 -1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

अनुदेश जारी कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे तथा जिनमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों के बारे में भी जानकारी हो —

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों की संख्या बताते हुए सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या

(ii) परीक्षा में बैठने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख एवं उसे प्रस्तुत करने का तरीका ,

(iii) अपेक्षित अर्हतायें और अभ्यर्थियों द्वारा इन अर्हताओं को सिद्ध करने का तरीका,

(iv) परीक्षा की तारीख और स्थान,

(v) परीक्षा का पाठ्य विवरण ।

18 **परीक्षा मे प्रवेश** –जब तक की अभ्यर्थी के पास उस परीक्षा मे प्रवेश हेतु आयोग द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र न हो तब तक उसको परीक्षा मे प्रवेश नहीं दिया जायगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रदान करने से पूर्व आयोग प्रत्येक मामले मे अपना समाधान करेगा कि आवेदन सर्वथा इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार किया गया है

परन्तु आयोग अपने स्वविवेक से ऐसी किसी सद्भाविक भूल को जो विहित प्ररूप को भरते समय या आवेदन पत्र प्रस्तुत करने मे हो गयी हो, सुधारने की अनुमति दे सकेगा अथवा ऐसे प्रमाण पत्र या प्रमाण पत्रों को जो आवेदन पत्र के साथ नही भेजे गये हैं परीक्षा प्रारम्भ होने से पर्याप्त समय पूर्व भेजे जाने की अनुमति दे सकेगा ।

[35]19 **आवेदन का प्ररूप** --आवेदन, आयोग द्वारा अनुमोदित प्ररूप मे में प्रस्तुत किया जायेगा । प्ररूप ऐसी फीस देकर जो समय समय पर आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाय यथा स्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग के सचिव से प्राप्त किया जा सकेगा ।

20 **परीक्षा फीस** --सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी, यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग द्वारा नियत फीस अदा करेगा ।

20-क **फीस वापिस लौटाना** --परीक्षा फीस वापिस लौटाने के लिये कोई दावा ग्रहण नही किया जायेगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिये आरक्षित की जायगी जब तक कि अभ्यर्थी को उस परीक्षा मे यथास्थिति, यदि नियुक्ति प्राधि

---

35 वि स प 2 (43) DOP/A II/70 दि 7 11 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

कारी या आयोग द्वारा प्रवेश दान दिया गया हो। प्रवेश न दिये जाने की सूरत में फीस लौटाने से पूर्व ऐसी राशि की, जो नियुक्ति प्राधिकारी, या आयोग यथास्थिति, द्वारा नियत की जाय, कटौती कर ली जायेगी।

21 आवेदन पत्रों की समीक्षा ––यथास्थिति, नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग उसको प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिये इतने अर्हित अभ्यर्थियों से, जितने उसे वाञ्छनीय प्रतीत हों, अपने समक्ष परीक्षा/साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

[36] 22 नियुक्ति प्राधिकारी। आयोग की सिफारिश

(i) आयोग कनिष्ठ लिपिकों के पद के लिये कनिष्ठ लिपिक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करने के अनुसार सफल घोषित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची निम्न प्रकार से बनायेगा––

(क) साधारण सूची 'क' कुल का 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की,

(ख) साधारण सूची 'ख'–– कुल 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की,

(ग) आरक्षित सूची––अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग से।

परन्तु यह है कि––अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये इन नियमों में विहित टंकण परीक्षा में अर्हताक का प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु टंकण परीक्षा में प्राप्त अंकों को कुल प्राप्तांकों में जोड़ा जावेगा।

(ii) साधारण सूचियों में उन अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जावेगा जिन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन उनके लिये आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती चाही है।

(iii) अभ्यर्थियों के नाम सम्बद्ध सूचियों में उनके द्वारा परीक्षा में प्राप्त किये गये कुल अंकों के क्रम में व्यवस्थित किये जावेंगे

(iv) साधारण सूची 'क' तथा साधारण सूची 'ख' 24 माहों के लिए और आरक्षित सूची परीक्षा के परिणाम की घोषणा की दिनांक के बाद के अगले 37 मासों के लिये लागू रहेगी। पूर्ववर्ती वर्ष की साधारण सूची 'क' चालू वर्ष की साधारण सूची 'ख' पर केवल तभी विचार किया जायेगा, जब चालू वर्ष की साधारण सूची 'क' और साधारण सूची 'ख' समाप्त हो जायगी।

---

36 वि स एफ 3 (1) DOP/A-II/78 दि 28 जनवरी 1978 द्वारा यथा संशोधित।

परन्तु--

(i) उन व्यक्तियो के नाम, जिन्होने जूनियर डिप्लोमा कोर्स पास कर लिया है, उपयुक्त नियम के अधीन तैयार की गयी सूची मे सबसे ऊपर रखे जायेंगे, उनके नाम उक्त परीक्षा मे उनके द्वारा प्राप्त अको के आधार पर क्रमाकित किये जायेंगे ।

(ii) कनिष्ट लिपिक के पदो पर की जाने वाली नियुक्ति के मामले में केवल ऐसे अभ्यर्थियो को ही निर्दिष्ट सूची मे सवर्गित किया जायेगा, जिन्होने नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित परीक्षा हिन्दी टकण मे 20 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से या अग्रेजी टकण मे 26 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति से पास करली हो ।

[37](2) अनुसूची I के ग्रुप ख' के अधीन विधि रचनाकार/अनुवादक के पदो के लिये आयोग अभ्यर्थियो की अपनी प्रतियोगी परीक्षा मे प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये कुल अको से प्रकट प्रवीणता के क्रम मे एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा । जहा दो या उससे अधिक अभ्यर्थियो के प्राप्त अक कुल मिलाकर बराबर हो तो आयोग उन्ह पदो के विशेष वर्ग के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम मे रखेगा

[38]परन्तु यह है कि आयोग--

(i) कनिष्ठ लिपिको की परीक्षा मे जो अभ्यर्थी कम से कम 35% अक प्रत्येक अनिवाय तथा ऐच्छिक प्रश्नपत्र मे प्राप्त करन मे असफल रहता है, उसके नाम की सिफारिश नही करेगा,

(ii) [XXविलोपितXX दि 15 3 1978 से]

(iii) विधि रचनाकार/अनुवादक परीक्षा मे जो अभ्यर्थी कम से कम 35% अक प्रत्येक प्रश्न पत्र मे और कम से कम कुल अको में 50% अक प्राप्त करने मे असफलता रहता है, उसके नाम की सिफारिश नहीं करेगा,

परन्तु यह है कि--आयोग प्रत्येक अनिवाय प्रश्न पत्र मे एक तक और कुल योग म तीन तक कृपाक दे सकेगा, ताकि वह अभ्यर्थी परीक्षा मे अहता प्राप्त कर सके, जो कि अन्यथा उक्त परीक्षा मे अहता प्राप्त नही करता ।

---

37 वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15 3 78 द्वारा शब्दावली 'और ग्रुप 'ग' के अधीन आशुलिपिक के पदो के लिये" विलोपित ।

38 वि स प 3 (3) DOP/A II/75 दिनाक 30-11-1976 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[39](2-क)(1) आशुलिपिक के चयन व नियुक्ति के लिये तरीका—आयोग आशुलिपिकों की अर्हता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की सूचियां आशुलिपिकों तथा वरिष्ठ आशुलिपियों के पदों के लिये तैयार करेगा। ऐसी सूचियां आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी।

परन्तु यह है कि—आशुलिपिक अर्हता परीक्षा में आशुलिपिक तथा टंकण के प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 35% तथा कुल में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले अभ्यर्थी की आयोग सिफारिश नहीं करेगा और वरिष्ठ आशुलिपिक अर्हता परीक्षा में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने में असफल रहने वाले की आयोग सिफारिश नहीं करेगा।

परन्तु आगे यह भी है कि—आयोग प्रत्येक प्रश्न पत्र में एक तक अ योग में तीन तक कृपांक किसी अभ्यर्थी को आशुलिपिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त के लिये दे सकेगा जो कि अन्यथा उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त नहीं करता।

(2) उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा तैयार की गई सूचियां दो की अवधि के लिये प्रभावी रहेगी।

(3) आशुलिपिक के पदों के लिए सूची, उपलब्ध रिक्तियां की या रिक्तियों की जिनके उपलब्ध होने की सम्भावना है, संख्या के दुगुनी के बराबर, अनु सूची II में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंकों से प्रकट योग्यता के क्रम में तैयार की जायेगी और वरिष्ठ आशुलिपिकों के पदों के लिये उन समस्त व्यक्तियों की सूची तैयार की जायेगी जिन्होंने अनुसूची II में विहित पाठ्य विवरण के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो। दोनों सूचियां नियुक्ति प्राधिकारी को सम्प्रेषित की जायेंगी।

(4) [विलोपित दिनांक 15 3 78 से]

23 सेवा में नियुक्ति —(1) नियम 6 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए [40]सिवाय आशुलिपिकों के पदों के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी नियम 22 के अधीन तयार की गयी सूची में से योग्यता क्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करेगा बशर्ते कि ऐसी जांच जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात उसका समाधान हो जाय कि ऐसे अभ्यर्थी ऐसी नियुक्ति के लिये अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

[40]परन्तु यह है कि—नियम 6 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति

---

39 वि स प 3 (4) DOP/A II 77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा जोड़ा गया तथा उपनियम (4) विलोपित किया गया।

40 वि स प 3 (4) DOP/A-II-77 दि 15 3 78 से जोड़ा गया

प्राधिकारी नियम 22 के उपनियम (2–A) के अधीन तैयार सूची मे से आशुलिपिको के पदो पर अभ्यर्थियो को नियुक्त करेगा बशर्ते कि जैसी उचित समझे वैसी जाच के बाद उसका यह समाधान हो जाय कि- ऐसे अभ्यर्थी ऐसी नियुक्ति के लिये अन्य समस्त प्रकार से उपयुक्त हैं।

(2) नियम 7 मे किसी बात के होते हुये भी 31-3 1973 तक कनिष्ट लिपिको के रूप मे अस्थायी रूप से नियुक्त ऐसे व्यक्ति, जो ऐसे पदो या उच्चतर पदो को निरन्तर धारण करते आ रहे हो नियमित रूप से अस्थाई आधार पर नियुक्त हुए समझे जायेंगे, परन्तु यह तब जब कि वे नियमो मे विहित अन्य शर्तें पूरी करते हो। ऐसे व्यक्ति, स्थायी रिक्तिया होने पर तथा उनका काय सतोषप्रद पाया जाने पर उनकी अस्थायी नियुक्ति की तारीख के अनुसार कनिष्ट लिपिक के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किये जाने के पात्र होगे

परन्तु अस्थायी रूप से कनिष्ठ लिपिक के रूप मे काय करने वाला कोई व्यक्ति जिसका कार्य सतोषप्रद न पाया जाय, सेवा से निम्न तरीके से हटाया जा सकेगा

(i) यदि उसने राज्य के काय कलाप के सबध मे, अस्थायी तौर पर 3 वष से कम सेवा की हो तो उसे एक मास का नोटिस देकर, और

(ii) यदि उसने 3 वष से अधिक की सेवा की है तो राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम, 1958 म अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करके 31 3 1973 के पश्चात् कनिष्ठ लिपिक के रूप मे अस्थायी रूप से नियुक्त समस्त व्यक्तियो से नियमो मे यथा विहित प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा नियमित भर्ती प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।

[41](3) नियम 5 मे किसी बात के होते हुए समस्त व्यक्ति जो 1-4 1973 को या उसके बाद किन्तु 1 8 1977 के पहले तदर्थ आधार पर कनिष्ठ लिपिको के रूप मे काय कर रहे और जो आयोग द्वारा 1976 मे उक्त पदा पर नियमित भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा मे नही बैठ सके या उत्तीर्ण नही हो सके, उनको उक्त पदो पर नियुक्ति के लिये सफल अभ्यर्थियो के उपलब्ध हो जाने पर अधीनस्थ कार्यालयो मे रिक्त स्थान उपलब्ध होने पर कनिष्ठ लिपिको के पदो पर समायोजित किया जायेगा। [42][अनुसूची II के भाग (5) मे विहित पाठ्यक्रम के अनुसार अर्हता

41 वि स प 5 (8) DPP/A II/77 दि 28 1 1978 द्वारा जोडा गया।
42 वि समसख्यक दि 5 10-78 द्वारा प्रतिस्थापित।

परीक्षा] उत्तीर्ण करने के लिये उनको तीन अवसर दिये जायेंगे, यद्यपि उन्होने इन नियमो म विहित अधिकतम आयुसीमा पार कर ली हो"।

भाग V—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

24 चयन की कसौटी --अनुसूची I के स्तम्भ 5 मे प्रगणित पद धारक यदि वे अनुसूची I के स्तम्भ 6 मे विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हतायें एव अनु [43][नियम 25 26 या 26-क के अधीन चयन की दिनाक के पहले की पहल अप्रल को] रखते हो तो स्तम्भ 2 म विनिर्दिष्ट पदो पर पदोन्नति के पात्र होगे [44][××विलोपित×]

[45]स्पष्टीकरण—किसी विशिष्ट वष मे पदोन्नति के लिये नियमित चयन के पहले किसी मामले मे एक पद पर सीधी भर्ती कर ली गई हो, तो ऐसे व्यक्ति जो उस पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती के दोनो तरीको से पात्र हैं या थे और पहले सीधी भर्ती से नियुक्त कर लिये गये पदोन्नति के लिये उन पर भी विचार किया जावेगा।

24-क किसी अधिकारी की पदोन्नति के लिये तब तक विचार नही किया जायेगा जब तक कि वह ठीक नीचे के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थ न हो। यदि कोई अधिकारी जो ठीक निचले पद पर अधिष्ठायी है, पदोन्नति लिये पात्र नहीं है तो उन अधिकारियो के बारे मे जो भर्ती के तरीको मे से किसी ए तरीके के अनुसार या भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्ही सेवा नियमो के अधीन चयन के पश्चात ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त किये गये हो, केवल उसी वरिष्ठता के क्रम मे स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति हेतु विचार किया जा सकेगा जिसमे वे तब होते जब कि वे उक्त नीचे के पद पर अधिष्ठायी होते।

25 चयन की प्रक्रिया --(1) ज्योही यह विनिश्चित हो जाय कि वष के दौरान अमुक सख्या मे पद पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, नियुक्ति प्राधिकारी एक सूची तैयार करेगा जिसम सेवा के ऐसे सदस्यो के नाम होगे जो अनुसूची I के प्रत्येक प्रवग म सम्मिलित ठीक नीचे की ग्रेड के स्वरूप वाले पद धारण करते हो। सूची मे रिक्तियो की सख्या के पाच गुने तक व्यक्तियो के नाम होगे और उसके नाम

---

43 वि, स एफ 2 (45) DOP/B-I/70 दिनांक 7-11-75 द्वारा जोडा गया।

44 वि स एफ 3 (19) DGP/A-II/73 दि 5-3-1976 द्वारा दि 18-3-1976 से विलोपित

45, वि स एफ 7 (1) DOP/A-II/75 दिनाक 20-9-75 द्वारा जोडा गया।

वरिष्ठता क्रम मे रखे जायेंगे ।

(2) एक समिति, जिसमे नियुक्ति (ख) विभाग के शासन विशिष्ट सचिव और शासन मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत अ य दो शासन उप सचिव होंगे सूची मे सम्मिलित समस्त व्यक्तियो के मामलो पर विचार करेगी तथा उनमे मे ऐसे व्यक्तियो से साक्षात्कार करेगी जिनसे वह साक्षात्कार करना आवश्यक समझे और विहित प्रक्रिया के अनुसार एक सूची तैयार करेगी जिसमे उक्त पदो की सख्या के बराबर जैसा कि उप नियम (1) म उपदर्शित है, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम होंगे ।

(3) उपयुक्त मानकर चयन किये गय अभ्यर्थियो के नाम वरिष्ठता क्रम में रखे जायेंगे ।

(4) [विलोपित दि 30 4 76 से]

(5) अनुभाग अधिकारियो के पदो पर पदोन्नति के लिये समिति द्वारा तयार की गयी सूची शासन मुख्य सचिव को और अ य पदो के सम्बन्ध मे समिति द्वारा तैयार की गयी सूचिया नियुक्ति प्राधिकारी को भेजी जायेंगी और उन सूचियो म सम्मिलित अभ्यर्थियो की तथा अधिक्रात व्यक्तियो, यदि कोई हो, की गापनीय पजिया तथा वैयक्तिक फाइलें भेजी जायेंगी ।

(6) (7) विलोपित दि 1-1-75 से)

26 सेवा मे सवर्गित कनिष्ट, वरिष्ठ तथा अन्य पदो पर पदोन्नति के लिये सशोधित मापदण्ड, पात्रता तथा तरीका—

[*सम्पादकीय टिप्पणी—यह नियम 26 ' राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1957" के नियम 26-घ म मय पुराने नियमो के दिया जा चुका है, कृपया देखने का श्रमकरें तथा क्षमा कर]

भाग-VI नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थाईकरण आदि

27 सेवा मे नियुक्ति—इन नियमो से सलग्न अनुसूची मे वर्णित सेवा के पदा पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति नियम 8 के अधीन तय की गई रिक्तियो के होने पर नियम 25 तथा 26, यथास्थिति के अधीन चयनित व्यक्तियो मे से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी ।

28 अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियां—

[*सम्पादकीय टिप्पणी—यह नियम 28 अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमा मे नियम 26 (3) के रूप मे अविकल दिया गया है, कृपया वही देखने का श्रम करे तथा क्षमा करें]

[46]28-क आशुलिपिक के पद पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों पर प्रतिबंध—राजस्थान सचिवालय में आशुलिपिकों के संवर्ग में अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति इसके बाद नहीं की जायेगी।

29 वरिष्ठता—सेवा में पदों के प्रत्येक वर्ग में वरिष्ठता उस सेवा के पदों के किसी वर्ग में अधिष्ठायी नियुक्ति के आदेश की तारीख से अवधारित की जायगी—

परन्तु—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पहले ही पदों के किसी वर्ग विशेष में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय।

(2) यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी वर्ष विशेष की रिक्तियों के प्रति सेवा में नियुक्त किये गये हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा चाहे उसका नियुक्ति वर्ष कुछ भी हो,

(3) किसी वर्ग विशेष के पदों पर सेवा में सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनको रिक्ति पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया किन्तु जो छः सप्ताह की कालावधि के भीतर सेवा में उपस्थित नहीं हुए उसी क्रम में रहेगी जिसमें उनको नियम 22 के अधीन तयार की गयी सूची में रखा गया है,

[47](3-क) कि—इन नियमों के नियम 23 के उपनियम (4) के अधीन आवृत व्यक्ति जो इन नियमों की अनुसूची (2) के भाग 5 में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार आयोग द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने के परिणाम स्वरूप कनिष्ठ लिपिकों के पद पर नियुक्त किये गये, वे उन व्यक्तियों से कनिष्ठ (जूनियर) होंगे जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन वर्ष 1976 तक नियुक्ति प्राधिकारी या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप नियमित रूप से पहले से ही नियुक्त हैं या नियम 23 के उप नियम (2) के अधीन नियमित रूप से नियुक्त हैं, किन्तु इन नियमों की अनुसूची (2) के भाग (4) में विहित पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ष 1978

---

46 वि सख्या एफ 3 (4) DOP/A II/77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा निविष्ट।

47 वि सख्या 5 (8) DOP/A-II Pt-II दिनांक 5 10 1978 द्वारा जोड़ा गया।

मे आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने के परिणाम स्वरूप नियुक्त कनिष्ठ लिपिको स व वरिष्ठ होगे ।

[47](3 ख) कि-इन नियमो के नियम 23 के उप नियम (4) के अधीन आवृत व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता जो कनिष्ठ लिपिका के पदो पर नियुक्त हैं नियम 22 के अधीन बनाई गई सूची मे उनको स्थापित किये गय क्रम का अनुसरण करेगी ।

[48](4) कि-किसी चयन, जो कि पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अधीन नही हैं, के परिणाम स्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियो से वरिष्ठ होगे जो बाद के चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त हुए हैं। वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी पिछली निम्नश्रेणी मे थी सिवाय उस मामले के जिसमे उच्चतर पद पर लगातार स्थानापन्न हो तो यह लगातार स्थानापन्न काय करने की लम्बी अवधि के अनुसार होगी परन्तु ऐसी स्थानापन्नता तदथ या आकस्मिक न हो ।

[49](4-क) कि-एक और समान चयन के परिणामस्वरूप चयनित और योग्यता (मेरिट) के आधार पर नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता उसी क्रम मे होगी, जिसमे उनके नाम चयन-सूची मे आये हैं, और लगातार स्थाना पन्न की अवधि का कोई ध्यान दिये बिना होगी ।

(5) एक ही वप मे कनिष्ठ लिपिको और वरिष्ठ लिपिको में से आशुलिपिको के रूप मे नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा आशुलिपिको के रूप मे नियुक्त व्यक्तियो से वरिष्ठ होगे,

[50](5 क) कि-नियम 5 के परन्तुक 5-क के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता सचिवालय मे आशुलिपिक या आशुटकक

---

48 वि सख्या 5 (6) कार्मिक/क-II/75 दिनाक 31 10 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।

49 वि सख्या प 7 (6) कार्मिक (क-II) 75 दिनाक 31 10-1975 द्वारा निविष्ट ।

50 वि स एफ 2 (44) DOP/A-I/70 दिनाक 13 12 74 द्वारा निविष्ट तथा दिनाक 15-9-1972 से प्रभावशील । पुराने परन्तुक 5 क, 5ख, तथा 5ग विलोपित किये गये जो इस प्रकार थे—

(5-क) नियम 5 के परन्तुक क-क के अधीन अधिष्ठायी रूप से नियुक्त व्यक्तियों

क्रमश

के पद पर उनकी सेवा की लगातार कुल लम्बी अवधि द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(6) यदि एक ही वर्ष में दो या दो से अधिक व्यक्ति सहायको और आशुलिपिको मे से अनुभाग अधिकारियो के रूप मे नियुक्त किये जाय तो, सहायको मे से नियुक्त व्यक्ति आशुलिपिको मे से नियुक्त व्यक्तियो से वरिष्ठ होंग,

(7) यदि एक ही वर्ष म दो या दो से अधिक व्यक्ति वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किये जाय तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा,

(8) विहित परीक्षा पास कर लेने के पश्चात एक ही वर्ष मे वरिष्ठ आशुलिपिको के पदो पर नियुक्त व्यक्तियो की या 48 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के कारण परीक्षा से छूट दिये गये अभ्यर्थियो की पारस्परिक वरिष्ठता वही रहगी जैसी कि ठीक नीचे के संवग मे है।

[(9) (9क) (10)—विलोपित दिनाक 15 3-1978 से]

30 तथा 30—क परिवीक्षा की अवधि—

31 परिवीक्षा के दौरान असन्तोषजनक प्रगति

[सम्पादकीय टिप्पणी—उपरोक्त नियम 30, 30क तथा 31 "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम" के नियम क्रमश 28 28—क तथा 29 के अविरल समान भाषा मे हैं जो पीछे दिये गये हैं। कृपया देखने का श्रम करें व क्षमा करें]

32 स्थायीकरण (पुष्टीकरण—कनफरमशन)

एक अभ्यर्थी जो परिवीक्षा पर है उसकी परिवीक्षा की अवधि के अन्त मे उसकी नियुक्ति म स्थायी कर दिया जावेगा यदि—

(1) वह विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उस उत्तीर्ण कर लेता है।

की पारस्परिक वरिष्ठता सचिवालय मे आशुलिपिकों या आशुटंकको के पद पर उनकी कुल सेवावधि द्वारा अवधारित की जायेगी

(5-ख) नियम 5 के परन्तुक 5—ख के अधीन नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता, सचिवालय म आशुलिपिको या आशुटंकको के पद पर उनकी कुल सेवावधि द्वारा अवधारित की जायगी,

(5-ग) परन्तुक 5-क और परन्तुक 5ख मे निर्दिष्ट व्यक्ति उक्त परन्तुक के अधीन उपयु क्त ऐसे व्यक्तियो की अधिष्ठायी नियुक्ति या भर्ती से पूर्व प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा आशुलिपिको के रूप मे नियुक्ति समस्त व्यक्तियो से कनिष्ठ होंग ,

[51](ii) कनिष्ठ लिपिकों के मामले में जो टंकण परीक्षा का विकल्प नहीं लेते हैं, (उनको) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में विहित से निम्नतर स्तर की नहीं हो, ऐसी टंकण परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित दो वर्ष की अवधि के भीतर पास करनी होगी इसमें असफल रहने पर वे स्थायी नहीं किये जावेंगे और उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। इस खण्ड से आवृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उनको इस (उक्त) परीक्षा को पास करना आवश्यक नहीं है। अस्नातक अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्होंने टंकण परीक्षा पास नहीं की है, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी में टंकण परीक्षा छः मास के भीतर पास करनी होगी, जो आयोग द्वारा आयोजित कनिष्ठ लिपिक प्रतियोगी परीक्षा के लिये इन नियमों में विहित स्तर से निम्नतर नहीं होगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों के मामले में छः मास की अवधि को छः मास के लिये आगे बढ़ाया जा सकेगा, जो छः मास के भीतर टंकण परीक्षा में बैठे किन्तु असफल रहे और जिनका कार्य संतोषप्रद रहा।

[52]परन्तु यह है कि—शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों को अनुसूची (2) के भाग 5 में प्रतियोगी परीक्षा के पाठ्य क्रम में विहित टंकण परीक्षा पास करना आवश्यक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—(1) इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ "शारीरिक रूप से विकलांग" के अर्थ में वह व्यक्ति सम्मिलित है, जिसके किसी एक या दोनों हाथों में ऐसा शारीरिक दोष है या हाथों में ऐसी विकलांगता है जो टंकण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है।

(2) इस प्रकार शारीरिक रूप से विकलांग होने के प्रमाण में अभ्यर्थी को एक चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र, जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की श्रेणी से निम्न का नहीं हो, परीक्षा में बैठने के लिए आयोग को प्रस्तुत किये जा रहे उसके आवेदन पत्र के समय प्रस्तुत करना होगा।

[53](i-aa) इन नियमों के नियम 5 के परन्तुक 5-A के अधीन नियुक्त आशु लिपिकों के मामले में और जो इन नियमों के नियम 5 के परन्तुक

---

51 वि स एफ 3 (3) DOP/A-II/76 दि 30-11-1975 द्वारा निविष्ट।

52 वि स एफ 3 (9) DOP/A-II-76 दि 21-1-1977 द्वारा जोड़ा गया।

53 वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दि 15-3-1978 द्वारा जोड़ा गया।

5-क के खण्ड (ख) में वर्णित किसी संस्थान से या सरकार द्वारा समय समय पर मान्यता प्राप्त संस्थानों से निम्नतर गति में द्वितीय भाषा की परीक्षा पास कर चुके हैं।

(ii) उसने विहित प्रशिक्षण, कोई हो, सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो,

(iii) जहां आवश्यक हो, हिन्दी में प्रवीणता परीक्षा पास की हो, और

(iv) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि उसकी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे है और वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

भाग VII-वेतन छुट्टी और भत्ते आदि

33 वेतनमान -सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का मासिक वेतन वह होगा जो नियम 36 में निर्दिष्ट नियमों के अधीन अनुज्ञेय हो या जो समय समय पर सरकार द्वारा मंजूर किया जाय।

[54]33-क परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि—एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसे अनुज्ञेय वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करेगा।

34 इन नियमों के जारी होने की तारीख को कोई व्यक्ति जो आशुलिपिक के रूप में कार्य कर रहा हो और जो नियम 33 के अन्तर्गत आता हो उस वेतनमान में वेतन वृद्धियां प्राप्त नहीं करेगा जब तक कि वह अनुसूची II के भाग II में विहित प्रतियोगी परीक्षा पास न कर ले।

[55]34 क [नियम 5 के परन्तुक (11) के अनुसार वरिष्ठलिपिकों के पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त तथा स्थायी किये गये व्यक्ति उनके वेतन स्थिरीकरण के लिये उनके द्वारा वरिष्ठ लिपिकों के पदों पर वास्तव में कार्यभार संभालने के दिनांक से प्रकल्पित रूप से उस स्टेज पर जिस पर वे व्यक्ति देय दिनांक को पदोन्नति द्वारा वरिष्ठ लिपिक के रूप में पदोन्नति द्वारा नियुक्त कर दिये जाते, और जो वेतन प्राप्त करते, उसके लिये अधिकृत होंगे और उनको कोई वेतन व भत्ते का बकाया उस अवधि के लिये ग्राह्य नहीं होगा, जिसमें उन्होंने वास्तव में वरिष्ठ लिपिक के रूप में कार्य नहीं किया है।]

35 दक्षता अवरोध पार करने की कसौटी -जहां किसी वेतनमान में दक्षता अवरोध का उपबन्ध हो तो उसे दक्षता अवरोध पार करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी

---

54 वि म प 3 (11) नियुक्ति/क-2/58 दिनांक 16-10-1973 द्वारा निविष्ट।

55 वि स एफ 3 (1) DOP/A-II/78 दिनांक 17-5-1979 द्वारा जोड़ा गया।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय मे उसने सतोषप्रद काय नही किया है तथा उसकी सत्यनिष्ठा मे सदेह है ।

36 वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन आदि का विनियमन —इन नियमो मे उपबधित के सिवाय सेवा के सदस्यो के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्ते निम्नलिखित द्वारा विनियमित होगी —

1 राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949
2 राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम, 1950
3 राजस्थान सेवा नियम, 1951
4 राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम, 1956
5 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958
6 राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 1961
7 राजस्थान सिविल सेवा (नवीन) वेतनमान नियम, 1969
8 भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये कोई अन्य नियम जो तत्समय प्रवृत हो ।

37 शकाओं का निराकरण —यदि इन नियमो के लागू होने और इनके विस्तार के बारे मे कोई शका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के पास नियुक्ति (क) विभाग मे आदेशाथ भेजा जायगा जिस पर नियुक्ति विभाग का विनिश्चय अतिम होगा ।

38 निरसन तथा व्यावृत्ति —इन नियमों के अन्तगत आने वाले विषयो से सबधित समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं

परतु इस प्रकार निरसित नियमो और आदेशो के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गई कारवाई इन नियमो के तदनुरूपी उपबधो के अधीन दिया गया आदेश और की गई कारवाई समझी जायगी ,

[56]परतु यह और है कि—इन नियमो मे या राजस्थान सचिवालय लिपिक-वर्गीय स्थापन नियम 1956 के अधीन वर्णित कोई बात नियुक्ति प्राधिकारी को, उन व्यक्तियो को जो पहले पुनगठन से पूव के राजस्थान, अजमेर, बम्बई और मध्य

56 वि सख्या प 3 (12) DOP/B-I/56 दिनाक 22-2-1974 द्वारा जोडा गया तथा दिनाक 5-5-1970 से प्रभावी एव वि सख्या 3 (712) DOP/B-I/56 दिनाक 20-10 1975 द्वारा प्रतिस्थापित एव दिनाक 5-5-1970 से प्रभावी ।

भारत राज्यो के नियोजन मे थे राज्य पुनगठन अधिनियम 1956 (केन्द्रीय अधिनियम 37/1956) के अधीन उनकी सेवाओ के एकीकरण को शासित करने वाले भारत सरकार के निर्देशो के अनुसार अनुसूची म सम्मिलित पदो पर, इस बात का ध्यान दिये बिना कि—ऐसे व्यक्तियो द्वारा अक्टूबर के 31 वें दिवस को उपरोक्त पुनगठन पूव के राज्यो मे से किसी मे धारित पद को अनुसूची मे सम्मिलित किसी पद के समानीकृत किया था या कथित निर्देशो के अधीन भारत सरकार द्वारा एकाकी पद (आइसोलेटेड पोस्ट) वर्गीकृत किया गया था, नवम्बर 1956 क प्रथम दिवस के प्रभाव से अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्त करने स या इसके बाद अधिष्ठायी स्थानापन्न रूप मे पदोन्नत करने से प्रवारित नही करेगी या प्रवारित किया हुआ नहीं समझा जावेगा।

[67]39 नियमों को शिथिल करने की शक्ति--किसी असाधारण मामले म जहा सरकार के प्रशासनिक विभाग का समाधान हो जाता है कि—भर्ती के लिय आयु सम्बन्धी या अनुभव सम्बन्धी नियमो के प्रभाव से किसी विशिष्ट मामले म अनुचित कठिनाई उत्पन्न हुई है या जहा सरकार का यह अभिमत हो कि--किन्ही व्यक्तियो की आयु या अनुभव सम्बन्धी इन नियमो के किसी उपबन्ध को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है तो यह कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति से और आयोग के परामश से आज्ञा द्वारा इन नियमो के सम्बद्ध उपबन्धो को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो वह उस मामले को न्यायसगत तथा साफ तरीके से निपटाने के लिये आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा। परन्तु यह है कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमो मे पहले से वर्णित उपबन्धो से कम लाभप्रद नही होगा। शिथिलीकरण के ऐसे मामले कार्मिक एव प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राजस्थान लोक सेवायोग को निर्देशित किये जावेंगे।

अनुसूची–I

क्र सं	पद का नाम	भर्ती के स्रोत प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम अर्हताए एव अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हताये एव अनुभव	अभ्युक्तिया
1	2	3	4	5	6	7
			अ ए-क			
	वरिष्ठ पद					
*1	विलोपित					
2	सहायक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	—	वरिष्ठ लिपिक ।	स्तम्भ 5 मे उल्लिखित पद पर 5 वर्ष की सेवा ।	
3	वरिष्ठ लिपिक	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा (67 प्रतिशत वरिष्ठता एवं योग्यता द्वारा 33 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा)	—	(क) स्तम्भ 3 में उल्लिखित दोनो कोटा के कनिष्ठ लिपिक । (ख) टेलिफोन आपरेटस, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर भरे जाने वाले केवल 33 प्रतिशत पदो के लिए पात्र होंगे ।	(1) वरिष्ठता एव योग्यता द्वारा स्तम्भ 5 मे उल्लेखित पद पर स्नातक के मामले में 3 वर्ष का अनुभव या अन्य व्यक्तियो के मामले में 7 वर्ष का अनुभव ।	

*1 वि सं प 2 (3) कार्मिक/क II/75 दि 30-5-1975 द्वारा दि 1-1-1975 से विलोपित, पृ 142 की पाद टिप्पणी मे देखें ।

1	2	3	4	5	6	7
		[1][स्तम्भ 5 मे उल्लिखित पद पर स्नातको के लिये तीन वष और अन्यो के लिये 7 वष की अवधि की सगणना मे टेलिफोन आपरेटर के पद पर की गई सेवा गिनी जावेगी]			(2) प्रतियोगी परीक्षा द्वारा— स्तम्भ 5 म उल्लिखित पद पर नियम 26–क के अधीन परीक्षा आयोजित किये जाने वाले वष के प्रथम दिन को 7 वष की सेवा पूरा किया हुआ होना चाहिये।	
	कनिष्ठ पद					
4	कनिष्ठ लिपिक	10 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके	चतुर्थ श्रेणी कमचारी	[2]माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समतुल्य	
	✿ अनुभाग अधिकारी	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	—	(i) सहायक। (ii) चयन ग्रेड के आशुलिपिक या वरिष्ठ आशुलिपिक केवल 4 पदो की परिसीमा के अध्यधीन रहते हुए।	(i) सहायक के रूप मे दो वष की सेवा। (ii) वरिष्ठ आशुलिपिक या/और चयन ग्रेड के आशुलिपिक सहित आशुलिपिक के रूप मे 10 वष की सेवा।	—

[1] वि स एफ 3 (1) DOP/A II/78 दि 28–1–78 द्वारा जोडा गया।
[2] वि स एफ 11 (6) DOP/A II/76 दि 19–9–78 द्वारा सशोधित।

1	2	3	4	5	6	7
2	वरिष्ठ प्राशुलिपिक	❀[50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, 50 प्रतिशत सचिवालय के प्राशुलिपिकों में से सीधी भर्ती द्वारा]	—	प्राशुलिपिक		❀(1) अनुसूची II के भाग II में यथा उल्लिखित प्राशुलिपिकों की अहकारी परीक्षा 15-3-78 के बाद पास किया हुआ होना चाहिए या 15-3-78 के पहले प्रतियोगी परीक्षा पास किया हुआ हो या नियम 5 के पर तुक 5 क के अधीन उक्त परीक्षा में बठने से मुक्त होना चाहिए। परन्तु उन व्यक्तियों से जिनकी आयु 48 वर्ष से अधिक है और जिनकी पदोन्नति अन्यथा प्राप्तव्य हो गयी है, उक्त परीक्षा पास करने की अपेक्षा नहीं की जायगी। (2) राजस्थान सचिवालय में प्राशुलिपिकों के रूप में कम से कम 7 वर्ष की अवधि के लिये काय कर चुका हो

❀ वि स एफ 3 (4) DOP/A II/77 दि 15-3-1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

3	आशुलिपिक	50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत राजस्थान सचिवालय के कनिष्ठ लिपिको एव वरिष्ठ लिपिको मे से (नियम 5 के परन्तुक 5 के अनुसार)	(1)(क) राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा इस रूप मे मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिये । (ख) मैट्रिक या माध्यमिक परीक्षा या सरकार द्वारा इस रूप मे मान्यता प्राप्त समतुल्य परीक्षा पास किया हुआ, जो सचिवालय मे कनिष्ट लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के पद पर काय कर रहा हो । (2) अनुसूची II के भाग II मे उल्लिखित अहकारी परीक्षा पास किया हुआ हो ।

ग्रुप 'घ'

[ग्रुप 'घ' वि सं 3 (1) DOP/A II/78 दिनांक 28-1-1978 द्वारा विलोपित]

अनुसूची II

(नियम 5 देखिये)

[1][अर्हक] परीक्षा के लिये पाठ्य विवरण और नियम

भाग I वरिष्ठ आशुलिपिकों के पदों के लिये अर्हक परीक्षा

(1) अर्हक परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सचालित की जायगी। परीक्षा के लिये श्रुतिलेख की न्यूनतम गति अंग्रेजी मे 120 शब्द प्रति मिनिट या हिन्दी मे 100 शब्द प्रति मिनिट होगी, जो 100 अंको का होगा।

[1]भाग II आशुलिपिकों के लिये

एक अभ्यर्थी को या तो अंग्रेजी आशुलिपि और अंग्रेजी टकण या हिन्दी आशुलिपि और हिन्दी टकण (परीक्षा) उत्तीर्ण करनी होगी और आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी के पद के लिये अर्हता-परीक्षा मे निम्नलिखित विषय होंगे —

1 अंग्रेजी आशुलिपि परख — 100 अंक
(इस परीक्षा मे 100 शब्द प्रति मिनिट स श्रुतिलेख होगा)

2 अंग्रेजी टकण परख — 100 अंक
(इस परख मे गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अंक की होगी। गति 40 शब्द प्रति मिनट होगी)

3 हिन्दी आशुलिपि परख — 100 अंक
(इस परख मे 80 शब्द प्रति मिनट से श्रुतिलेख होगा)

---

1 उपरोक्त पाठ्यक्रम वि स एफ 3 (4) DOP/AII/77 दि 23 5 1979 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित किया गया जो इस प्रकार था।

भाग II आशुलिपिकों के लिये

आशुलिपिको के पदो के लिये ❀[अर्हक] परीक्षा में दो वैकल्पिक ग्रुप क और ख में दिये गये विषय होंगे। अभ्यर्थी से इन ग्रुपो मे से किसी भी एक ग्रुप मे उल्लिखित विषयो मे पास होने की अपेक्षा की जायेगी। क्रमश

❀ वि सख्या एफ 3 (4) DOP/A-II/77 दिनांक 15 3 1978 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 हिन्दी टकण परख 100 अक

(इस परीक्षा में गति परीक्षा तथा दक्षता परीक्षा प्रत्येक 50 अक की होगी। गति 30 शब्द प्रति मिनिट होगी)

भाग III विधि रचनाकारो/अनुवादको क लिये प्रतियोगी परीक्षा

1 प्रतियोगी परीक्षा मे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगें —

(1) अग्रेजी से हिन्दी मे या सविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक भाषा म अनुवाद। 100 अक

अभ्यर्थियो को प्रेस विज्ञप्तिया, पत्र पत्रिकाओ के लेखो, शासकीय सकल्प,

पीछे से

ग्रुप–क

1 अग्रेजी आशुलिपि परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे 100 शब्द प्रति मिनिट की गति स श्रुतिलेख लिखना होगा।

2 अग्रेजी टकण परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा में गतिपरीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अक होगें। गति 40 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

3 हिन्दी आशुलिपि परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे 60 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।

4 हिन्दी टकण परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अक होगें। गति 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

ग्रुप-ख

1 अग्रेजी आशुलिपि परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।

2 अग्रेजी टकण परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अक होगें। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

3 हिन्दी आशुलिपि परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से श्रुतिलेख लिखना होगा।

4 हिन्दी टकण परीक्षा 100 अक

इस परीक्षा मे गति परीक्षा और दक्षता परीक्षा सम्मिलित होगी और प्रत्येक के 50 अक होगें। गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिये।

टिप्पणी —यदि किसी अभ्यर्थी ने 3 जनवरी, 1062 से पूर्व आयोग द्वारा सचालित ग्रुप क मे सम्मिलित किसी विषय मे परीक्षा पास करली हो तो उससे उक्त ग्रुप के केवल शेष विषयो मे ही परीक्षा पास करने की अपेक्षा की जायगी।

विधानो, नियमो और अनुदेशो के अवतरणो का हिन्दी मे या किसी अन्य भाषा में अनुवाद करना होगा और उक्त रचनाओ मे प्रयुक्त की जाने वाली सामान्य अभिव्यक्तियो और उक्तियो की व्याख्या करनी होगी।

(2) हिन्दी या अन्य भाषा विशेष से अंग्रेजी मे अनुवाद।

अभ्यर्थियो को पत्र पत्रिकाओ के लेखो, भाषणो आदि के हिन्दी या उपरोक्त अन्य भाषाओ के अवतरणो का अंग्रेजी मे अनुवाद करना होगा।

टिप्पण—दो लिखित प्रश्न पत्रो मे से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिये अनुज्ञेय समय 3 घन्टे होगा। खराब हस्तलेख होने के कारण अभ्यर्थियो को दिये गये अको मे से कटौती की जायेगी।

&भाग IV कनिष्ठ लिपिको के पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा

&सम्पादकीय निवेदन—इस भाग के लिये कृपया "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम" की अनुसूची I में भाग (2) देखिये—समान भाषा मे उक्त पाठ्यक्रम इन भागो मे है, अत कृपया वहीं पर देखने का श्रम करें।]

&& भाग V

नियम 23 के उपनियम (4) के अधीन आवृत्त व्यक्तियो के लिये कनिष्ठ लिपिकों के पद के लिये अर्हता परीक्षा

[&सम्पादकीय निवेदन—इस भाग के पाठ्यक्रम के लिये कृपया "अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापना नियम" की अनुसूची II मे भाग (4) देखिये—समान भाषा में उक्त पाठ्यक्रम इन भागो मे है। अत कृपया वही पर देखने का श्रम करें।]

अनुसूची III वरिष्ठ लिपिको के पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा
(नियम 26-क के अधीन)

कुल 5 प्रश्न पत्र होंगे।

प्रश्न पत्र I	सचिवालय नियमावली और कार्यविधि नियम	50 अक
प्रश्न पत्र II	राजस्थान सेवा नियम अध्याय III, IV, V, VI और VII	50 अक

& वि स एफ 3 (3) DOP/A II/76 दि 30 11-1976 द्वारा प्रतिस्थापित तथा आदिनाक सशोधित।

&& वि स एफ 5 (8) DOP/A II/Pt II दिनांक 5-10-1978 द्वारा जोड़ा गया।

प्रश्न पत्र III	राजस्थान सेवा नियम अध्याय X, XI, XII और XV	50 अक
प्रश्न पत्र IV	राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971 और राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958	50 अक
प्रश्न पत्र V	हिन्दी मे निबध और सक्षिप्तीकरण लेख	50 अक
	कुल—	250 अक

❀ नवीनतम सशोधन 1979

1 ' कृपया 'राजस्थान सचिवालय मत्रालयिक सेवा नियम 1970" मे जहा कही शब्द ' वरिष्ठ आशुलिपिक' और "चयन श्रेणी आशुलिपिक" (Senior Stenographer and Selection Grade Stenographer) प्रयोग मे लिये गये हैं, उनके स्थान पर क्रमश निजी सहायक" तथा ' वरिष्ठ निजी सहायक" पढने का श्रम करें।

[वि स एफ 3 (6) DOP/A-II 78 GSR–28 दिनाक 21-5 1979 द्वारा सशोधित किया गया]

2 नियम 5 मे निम्नाकित सशोधन करने का श्रम करें।

(i) पृष्ठ 110 पर परतुक (5 क) मे पहली पक्ति मे आशुलिपिक के आगे "या आशुटकक, यथास्थिति" जोडे तथा पक्ति स 4 मे "1 1-76" की बजाय "31 7 1977" करें।

(ii) पृष्ठ 113 पर परतुक (6) की पहली पक्ति मे इस प्रकार पढे— '31-7-1977 से पूव आशुलिपिको या आशुटकको, यथास्थिति के रूप मे।"

(iii) पृष्ठ 114 पर पक्ति 3 4 पर 'सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सस्थान द्वारा' के स्थान पर—"हरिश्चन्द्र मामुर लोक प्रशासन राज्य सस्थान द्वारा अग्रेजी आशुलिपि और अग्रेजी टकण मे तथा भाषा विभाग द्वारा हिन्दी आशुलिपि तथा हिन्दी टकण मे " पढे । इसके आगे पक्ति 5 मे 'दो अवसर' के बजाय तीन अवसर' पढे ।

[❀ वि स एफ 3 (4) DOP/A-II/77 G S R 29 दि 23-5-79 द्वारा]

3

❀राजस्थान अधीनस्थ सिविल न्यायालय मन्त्रालयिक (लिपिकवर्गीय) स्थापन नियम 1958

[Rajasthan Subordinate Civil Courts Ministerial Establishment Rules 1958]

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन में नियुक्ति और इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

भाग-I साधारण

1 संक्षिप्त नाम प्रारम्भ तथा विस्तार—(1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1958 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे,

(3) राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन के समस्त व्यक्तियों पर ये प्रभावी होंगे।

2 विद्यमान नियमों तथा आज्ञाओं का अतिष्ठन—समस्त विद्यमान नियम व आज्ञायें जो इन नियमों द्वारा आवृत मामलों से सम्बन्धित हैं एतद् द्वारा अतिष्ठित किये जाते हैं, परन्तु ऐसे विद्यमान नियमों तथा आज्ञाओं के अनुसरण में या द्वारा की गई कार्यवाही इन नियमों के अधीन की गई समझी जावेगी, परन्तु यह है कि —

❀ वि स एफ 3 (9) AC/Int /56 दिनांक 18 फरवरी 1958, जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 27 मार्च 1958 को प्रथम बार प्रकाशित।

प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद—दि 30 जून 1978 तक संशोधित पाठ।

(i) ये नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयो के लिपिक वर्गीय पदा पर, पुनगठन पूव के राजस्थान राज्य की सेवाओ के एकीकरण की प्रक्रिया मे, जो सेवाओ क ऐसे एकीकरण को विनियमित करने वाले नियमो और सरकारी आ देशो के अनुसार हैं, नियुक्त व्यक्तियो पर लागू नही होगे,

(ii) ये नियम राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयो के लिपिक वर्गीय पदो पर, तत्कालीन अजमेर राज्य और पुनगठन पूव के बम्बई और मध्यभारत के कमचारियो जो राज्य पुनगठनअधिनियम के अधीन नय राजस्थान राज्य का आवटित किय गये थे, के एकीकरण की प्रक्रिया मे नियुक्त व्यक्तियो पर लागू नहीं होगे।

3 परिभाषायें—जब तक की कोई बात विषय अथवा सदभ मे विरुद्ध न हो, इन नियमो मे —

(क) 'उच्च न्यायालय' से राजस्थान उच्च न्यायालय अभिप्रत है,

[1](ख) सरकार' और "राज्य" से क्मश राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(ग) 'आयोग" से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रत है,

(घ) "लिपिक वर्गीय स्थापन" से राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयो के लिपिक वर्गीय स्थापन अभिप्रेत है,

(ङ) 'विहित प्रपत्र" से उच्च न्यायालय द्वारा विहित प्रपत्र अभिप्रत है।

(च) "अधीनस्थ सिविल न्यायालय" से राजस्थान उच्च न्यायालय के, अधीनस्थ जिला एव सत्र न्यायाधीशो, अवर जिला एंव सत्र न्यायाधीशा, अपर सिविल न्यायाधीशो, मुसिफो (मय मुसिफ दण्ड नायका) अपर मुसिफो के न्यायालय और लघुवाद न्यायालय अभिप्रत,है।

(छ) 'नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, जिला एव सत्र न्यायाधीश या ऐसा अधिकारी उसे प्रत्यायोजित प्राधिकार के अध्यधीन रहते हुये, जिसे उच्च न्यायालय की अनुमति मे जिला एव सत्र न्यायाधीश द्वारा स्थापन पर नियुक्त करने का प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया है।

(ज) "सीधी भर्ती" से पदोन्नति या स्थानान्तर से अन्यथा भर्ती अभिप्रेत है।

(झ) "जज शिप" से एक जिला एव सत्र न्यायाधीश की प्रशासनिक अधिकारता अभिप्रेत है, और

(ञ) 'अनुसूची" से इन नियमा की अनुसूची अभिप्रेत है।

---

1 वि स एफ 7 (10) DOP (A-2) 74 दि 10 2 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 निवचन—जब तक सदभ से अन्यथा अपेक्षित न हो राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमो के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

भाग (2) सवग (कडर)

5 स्थापन की सख्या—(1) एक जजशिप के स्थापन की सख्या वह होगी जो राज्य के अधीनस्थ न्यायालयो के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत कुल सख्या म स जजशिप के प्रस्थापन विवरण (Proposition statement) में समय समय पर उच्च न्यायालय द्वारा तय की जाय

परन्तु यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी उच्च न्यायालय की आज्ञाओ के अध्यधीन रहकर समय-समय पर किसी रिक्त पद को बिना किसी व्यक्ति को प्रतिकर पाने का अधिकार दिये बिना, भरा छोड सकता है।

(2) स्थापन मे आशुलिपिको का एक सवग तथा निम्नांकित प्रवग के पदा मे से, जैसा उच्च न्यायालय समय समय पर तय करे, एक या अधिक का एक साधारण सवग होगा --

1 मुसरिम
2 वरिष्ठ लिपिक (U D C)—(क) सीनियर लिपिक, (ख) रीडर, (ग) लेखालिपिक, (घ) विक्रय अमीन, (ङ) मुख्य प्रतिलिपिकार, (च) अभिलेख रक्षक।
3 कनिष्ठ लिपिक (L D C)—(क) टकक (टाइपिस्ट) (ख) आवक तथा जावक लिपिक, (ग) सिविल लिपिक (घ) आपराधिक लिपिक, (ङ) निष्पादन (इजराय) लिपिक, (च) सहायक नाजिर (छ) प्रतिलिपिकार, (ज) सहायक अभिलेख रक्षक, (झ) विमुक्ति लिपिक (रिलीविंग क्लर्क)।

भाग (3) भर्ती

6 भर्ती के तरीके —इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात स्थापन मे भर्ती (इस प्रकार) होगी —

(क) आशुलिपिक सवग मे आशुलिपिक तृतीय श्रेणी के रूप मे चयन द्वारा,

(ख) कनिष्ठ लिपिक के रूप मे साधारण सवग मे एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा, और

(ग) प्रत्येक सवर्ग मे अन्य पदो पर एक जजशिप के भीतर पदोन्नति द्वारा

परन्तु यह है कि--किसी सवग के एक पद को दूसरी जजशिप म सबधित सवग मे तत्समान पद धारण करने वाले व्यक्ति के, सम्बधित जिला एव सत्र

न्यायाधीश की सहमति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की अनुमति से स्थानान्तर द्वारा भी भरा जा सकेगा। उच्च न्यायालय भी विशेष कारणों से लिपिकवर्गीय स्थापन के किसी सदस्य को एक जजशिप से दूसरी मे स्थानान्तरित कर सकेगा।

×6 A इन नियमो मे किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/नौ सेना मे सम्मिलित होता है, भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता और पुष्टीकरण आदि सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित किये गये आदेशो और निर्देशो के द्वारा विनियमित होगे, परन्तु शर्त यह है कि--ये भारत सरकार द्वारा इस विषय मे प्रसारित निर्देशो के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, ही विनियमित होगे।

उपरोक्त संशोधन दिनांक 29-10-1963 से प्रभावी हुआ समझा जावेगा।

7 *अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तस्थानो का आरक्षण* - अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन जातियो का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त आरक्षण सम्बन्धी सरकार की आज्ञाओ के अनुसार होगा।

×× [टिप्पणी—विलोपित]

8 राष्ट्रीयता – [सम्पादकीय निवेदन--कृपया यह नियम सब नियमो मे एक समान है अत पीछे पृष्ठ 27 पर नियम 10 या पृष्ठ 117 118 पर नियम 7 देखिये]

8 क --[कृपया पीछे पृष्ठ 28 पर नियम 10 क या पृष्ठ 119 पर नियम 7 क देखिये जो एक समान हैं]

9 आयु—किसी सवर्ग मे सीधी भर्ती का अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त करने के दिनांक के [1][ठीक पश्चात् आने वाली प्रथम जनवरी को] 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये किन्तु [2][28 वर्ष की] आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिये।

× वि स एफ 21 (12) नियुक्ति (ग) 55 भाग II दिनांक 29 8 1973 द्वारा निविष्ट।

×× वि संख्या एफ 3 (9) AC/Intg /56 दिनांक 11-2-1960 द्वारा निम्नांकित टिप्पणी विलोपित--

'टिप्पणी—इन नियमो के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त ऐसी आज्ञाओं की प्रतिलिपि अनुसूची I मे दी गई है,"

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दिनांक 12 2 1960 द्वारा निविष्ट।

2 वि संख्या एफ 1 (25) A–II 69 दिनांक 3 6 70 द्वारा '25" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

परन्तु यह है कि--

(i) नियुक्ति प्राधिकारी उच्च न्यायालय की अनुमति से विशेष मामलो म अधिकतम आयु सीमा को शिथिल कर सकेगा, और

(ii) 31 दिसम्बर 1958 तक अस्थायी रूप से सरकारी सेवा मे लगातार स्थानापन्न काय करने की अवधि आयु मे से पात्रता के प्रयोजनाथ कम कर दी जावेगी ।

[3](iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य के मामले में उच्च आयु सीमा 5 वष से शिथिल कर दी जायेगी ,

[4]टिप्पणी--महिला अभ्यर्थियो के मामले म उच्च आयु सीमा को 5 वष द्वारा वढा दिया जायेगा ।

[5](iv) परन्तु यह है कि--सुरक्षित सैनिको (रिजर्विस्ट) अर्थात् प्रतिरक्षा सेवा के सुरक्षित (रिजव) मे स्थानान्तरित कमचारियो के लिये उच्च आयु सीमा 50 वष होगी ।

[6](v) राजनैतिक-पीडितो के लिये 31 दिसम्बर 1964 तक उच्च आयु सीमा 40 वष होगी ।

स्पष्टीकरण--शब्द "राजनतिक पीडित' का इस नियम के प्रयोजनाथ वही अथ होगा, जो राजस्थान राजनैतिक पीडितो को सहायता नियम 1959 के नियम 2 के खण्ड (iii) के अधीन वर्णित है, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग) मे दिनाक 18-6 1959 को प्रकाशित हुआ ।

[7](vi) राष्ट्रीय कैडेट कोर मे कैडेट प्रशिक्षको के मामले मे उनके द्वारा की गई सेवा के बराबर अवधि से उच्च आयु सीमा शिथिल की जाने योग्य होगी और

---

3 वि सख्या एफ 3 (9) AC / Intg/56 दिनाक 11-2 1960 द्वारा जोडा गया ।

4 वि सख्या एफ 1 (12) नियुक्ति/घ/60 दिनाक 16-11-1960 द्वारा जोडा गया ।

5 वि सख्या एफ 3 (9) नियुक्ति/ग/58 दिनाक 27-8 1962 द्वारा जोडा गया ।

6 वि सख्या एफ 1 (16) नियुक्ति/क-2/62 दिनाक 31 5-1963 द्वारा जोडा गया ।

7 वि सख्या एफ 1 (10) नियुक्ति/क-2/66 दिनांक 11 4-1967 तथा 15 5-71 द्वारा जोडा गया ।

यदि परिणामजन्म आयु विहित आयु से तीन वर्ष से अधिक से नही बढती है, तो उसे विहित आयु मे माना जावेगा।

[8](vii) 1-3-1963 को या इसके बाद बर्मा श्रीलका और केनिया, टागानिका, युगाडा व जजीबार के पूर्वी अफ्रीकी–देशो से लौटाये गये व्यक्तियो के लिये उपयुक्त उल्लिखित आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियो के मामले मे पाच वर्ष की छूट और दी जायेगी।

[9](viii) पूर्वी अफ्रीकी देशो—केनिया, टागानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये व्यक्तियो के मामले में कोई आयुसीमा नही होगी।

10 शक्षिक अर्हतायें - (Academic qualifications)

(1) आशुलिपिक सवर्ग मे सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी को –

(क) राजस्थान विश्व विद्यालय की इन्टरमीजिएट परीक्षा या भारत मे विधि द्वारा स्थापित अन्य किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड की तत्समान परीक्षा या सरकार द्वारा तत्समान मान्य अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो

परन्तु यह है कि—सरकारी विभाग मे अस्थायी आधार पर 1 10-1957 को कम से कम एक वर्ष के लिये कार्य कर रहे व्यक्ति को इन्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नही होगी

(ख) अग्रेजी मे 100 शब्द प्रति मिनट से आशुलिपि और 40 शब्द प्रति मिनट से टकण की या हिन्दी मे 80 शब्द प्र मि आशुलिपि और 30 शब्द प्र मि टकण की प्रावधिक गति परीक्षा और आयोग द्वारा आयोजित तृतीय श्रेणी आशुलिपिक की परीक्षा परिवीक्षा की अवधि मे उत्तीर्ण की हो, और

(ग) देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी बोलियो का व्यावहारिक ज्ञान हो।

(2) साधारण सवर्ग में सीधी भर्ती के लिये एक अभ्यर्थी राजपूताना विश्वविद्यालय की या इस नियम के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्य विश्वविद्यालय या बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण हो और इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि मे लिखित हिन्दी तथा राजस्थानी बोलियो का व्यावहारिक ज्ञान हो।

---

8 वि सख्या एफ 1 (20) नियुक्ति/क-2/67 दिनाक 20 9 75 तथा शुद्धि पत्र समसख्यक दिनाक 17-12 76 द्वारा दिनांक 29 2-77 तक प्रभावी।

9 वि सख्या एफ 1 (20) नियुक्ति/क-2/67 दिनाक 13 12 1974

11 चरित्र--[कृपया पृष्ठ 122 पर नियम 11 देखिये--उक्त नियम में टिप्पणी सं (2) व (3) एक टिप्पणी सं (2) में सम्मिलित है।]

12 शारीरिक योग्यता--किसी संवर्ग में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एवं शारीरिक दोष नहीं होना चाहिये जो उसके कर्तव्यपालन में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाय तो, उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ विहित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

※12क–अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग –ऐसा अभ्यर्थी जिसे नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा गढे हुए दस्तावेज या ऐसा दस्तावेज जो बिगाड दिया गया है, प्रस्तुत करने का या ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करने का जो गलत या मिथ्या है अथवा महत्वपूर्ण सूचना दबाने का अथवा परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या कर दिया गया है, तो फौजदारी मुकद्मा चलाये जाने के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त उसे सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए स्थायी तौर पर विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये विवर्जित किया जायेगा —

(क) आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों के चयन के लिये/किसी परीक्षा में प्रवेश से या आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित किसी साक्षात्कार में प्रवेश से, और

(ख) सरकार द्वारा सरकार के अधीन नियोजन से।

13 पदोन्नति—(1) एक जजशिप के पद साधारणतया उस जजशिप के लिपिकों के लिये आरक्षित हैं और उच्चतर पदों पर पदोन्नति साधारणतया उनमें से ही की जावेगी। किसी विशिष्ट पद पर पदोन्नति के लिये यदि कोई उपयुक्त लिपिक जजशिप में उपलब्ध न हो, तो उच्च न्यायालय की स्वीकृति से दूसरी जजशिप से पदोन्नति हो सकेगी।

(2) वरिष्ठ श्रेणी (upper division grade) के पदों पर पदोन्नति वरिष्ठता के अनुसार दक्षता के अध्यधीन रहते हुए की जावेगी।

परन्तु यह है कि—कोई व्यक्ति अधिष्ठायी रूप से लेखालिपिक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह ऐसी परीक्षा (टेस्ट) उत्तीर्ण न कर ले

※ वि संख्या एफ 1 (33) नियुक्ति (क–2) 63 दिनांक 26 8 1965 द्वारा जोडा गया।

ग्रौर ऐसी अन्य शर्तें पूरी न कर ले जो इय प्रयोजनाथ समय समय पर विहित की जा सकेंगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिष्ठायी रूप से मुसरिम नियुक्त नही किया जायेगा, जब तक कि वह कम से कम 10 वष के लिए सेवा मे मय कम से कम 5 वप एक वरिष्ठ लिपिक या आशुलिपिक के रूप मे न रहा हो,

(4) कनिष्ट श्रेणी (Lower division grade) के पदो को धारण करने वाले व्यक्ति चयनित पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र नहीं होंगे, परन्तु यह है कि—ऐसे व्यक्तिया को आशुलिपिक के रूप मे नियुक्त किय जाने से प्रवारित नही किया जावेगा, यदि वे अन्यथा ऐसी नियुक्ति के लिये पात्र हैं।

टिप्पणी— किसी व्यक्ति को अदक्षता के लिये अतिष्ठित करने मे उसकी सेवा के पूव अभिलेख को उचित वजन दिया जावेगा ग्रौर वरिष्ठता को केवल तभी नही मानना चाहिये, जब अतिष्ठित कमचारी उस पद को धारण करने के लिये अयोग्य (unfit) हो जिस पर पदोन्नति की जानी है।

भाग (4) सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14 **परीक्षाओं की अवधि**— प्रत्येक वष मे शीघ्र ही या जैसी परिस्थितियो की माग हो प्रत्येक जिला न्यायाधीश अपनी जजशिप के लिये उतने अभ्यर्थियो को भर्ती करेगा जितने वष भर मे हो सकने वाले रिक्त पदो के लिये आवश्यक हो।

15 **परीक्षा के सचालन के लिये प्राधिकारी तथा पाठयक्रम**- परीक्षा का सचालन जिला-न्यायाधीश द्वारा या वरिष्ठ न्यायाधीश या मुन्सिफ द्वारा, यदि ऐसी शक्ति उनमे से किसी एक को जिला-न्यायाधीश द्वारा प्रत्यायोजित कर दी गई हो, वप के दौरान सभावित रिक्त स्थानो के आधार पर किया जावेगा। परीक्षा पाठ्य क्रम अनुसूची [1][I] मे दिये अनुसार होगा।

16 **आवेदन आमन्त्रित करना**- परीक्षा मे प्रवेश हेतु आवेदन जिला न्यायाधीश द्वारा पदो को जैसा वह उचित समझे विज्ञापन के द्वारा आमन्त्रित किये जायेंगे ग्रौर अनुसूची [1][II] मे दिये गय प्ररूप 'क' मे होगी।

[2][प्रार्थी को एक रुपये की राशि आवेदन शुल्क के रूप म जिला यायालय में जमा करानी होगी।]

[3][परन्तु यह है कि वर्मा ग्रौर श्री लगा मे 1 3 1963 को या बाद

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 11-2 1960 द्वारा प्रतिस्थापित।

2 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 12 9 1960 द्वारा जोड़ा गया।

3 वि स एफ 1 (20) नियुक्ति (क 2) 67 दिनांक 20 9 1975 द्वारा प्रतिस्थापित।

मे तथा पूर्वी अफ्रीकी देशो केनिया, टागानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये व्यक्ति आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा विहित आवेदन शुल्क के भुगतान से मुक्त रहगे, इस शत के अध्यधीन कि आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि ऐसे व्यक्ति ऐसी शुल्क देने की स्थिति में नही हैं।]

17 [1][विलोपित।]

18 पक्ष समथन– इन नियमो के अधीन अपेक्षित बातो को छोड कर, भर्ती के लिये अन्य किसी भी प्रकार की सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो या मौखिक विचार नही किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष मे समथन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी तरीके से किये गये प्रयत्न के कारण उस भर्ती के लिये निरर्हित किया जा सकेगा।

19 चयनित अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रीकरण– कुल प्राप्तांको के आधार पर चयनित अभ्यर्थियो के नाम योग्यता के क्रम मे एक सजिल्द रजिस्टर में विहित प्ररूप (फाम) में प्रविष्ट किये जावेंगे और प्रत्येक प्रविष्टि पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिनाक व लघु हस्ताक्षर किये जावेंगे।

"[2]पर तु यह है कि कोई अभ्यर्थी, जो कुल अको का कम से कम 40% तथा प्रत्येक प्रश्नपत्र मे कम से कम 30% अक प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त करने म असफल रहता है, चयनित नही किया जायगा। यदि दो या अधिक ऐसे प्रत्यर्थी कुल मे से समान अक प्राप्त करते हैं, तो उनके नाम योग्यता के क्रम में साधारण उप युक्तता के आधार पर व्यवस्थित किये जायेंगे। अभ्युक्ति (रिमाक्स) के स्तभ मे उस अभ्यर्थी के सामने एक प्रविष्टि की जावेगी, जिसने आशुलिपिक के रूप मे अहता प्राप्त की है।

टिप्पणी– एक कमचारी जो नियमित पक्ति में काय कर रहा है आशुलिपिक के रूप मे अहता प्राप्त समझा जावेगा, यदि लोकसेवायोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा मे यह प्रमाणित कर दिया जावे कि वह 100 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि म तथा 40 शब्द प्रति मिनट टकण मे गति धारण करता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रविष्ट किया गया किसी अभ्यर्थी का नाम अदक्षता या अवचार के लिये हटाया जा सकेगा।

---

1 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 12-9 1960 द्वारा नियम 17 व्यक्तित्व एव मौखिक परीक्षा" विलोपित किया गया।

2 वि स एफ 3 (9) AC/Intg/56 दि 18 11 1960 द्वारा निविष्ट।

(3) यदि किसी ऐसे अभ्यर्थी को उप नियम (1) के अधीन विहित सजिल्द रजिस्टर की सूची के अनुसार वरिष्ठता के कठोर क्रम मे उसकी भर्ती की दिनाक से एक वर्ष के भीतर नियुक्ति नही दी गयी हो, तो उसका नाम भर्ती किये गये अभ्यर्थियो के रजिस्टर से स्वत ही हटा दिया जावेगा। इसके बाद उसे अगले वर्ष मे भर्ती के लिये दूसरो के साथ दुबारा अपना अवसर लेना होगा।

भाग (5) नियुक्ति, परिवीक्षा तथा पुष्टीकरण

20 नियुक्तियाँ—(1) लिपिक वर्गीय स्थापन पर समस्त नियुक्तियाँ जिला-न्यायाधीश द्वारा की जावेगी। आशुलिपिको के मामले के अतिरिक्त, प्रथमनियुक्ति निम्नतम पदो पर की जावेगी।

(2) आशुलिपिको के पदो को भरने म उन कर्मचारियो को, जो विहित अर्हतायें धारण करते हैं और पहले से ही उस जजशिप मे कार्य कर रहे हैं जिसमे रिक्तस्थान हुआ है, प्राथमिकता दी जायगी

परन्तु यह है कि—इन नियमो के अनुसार के अन्यथा दी गई नियुक्ति की किसी आज्ञा से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय को अपील करने का अधिकार रखेगा।

21 वरिष्ठता—पदोन्नति के प्रयोजनार्थ सेवा में वरिष्ठता साधारणतया उस श्रेणी मे पुष्टिकरण की आज्ञा के दिनाक से और यदि ऐसा दिनाक एक से अधिक व्यक्ति के मामले मे समान (एक ही) है, तो पिछली निम्नतर श्रेणी म उनकी सम्बन्धित स्थिति के अनुसार तय की जावेगी।

परन्तु यह है कि—किसी विशिष्ट श्रेणी के पदो पर इन नियमो के प्रवृत्त होने से पहले नियुक्त व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तदर्थ आधार पर विनिश्चित, सशोधित या परिवर्तित की जावेगी।

22 परिवीक्षा—किसी सवर्ग मे सीधी भर्ती स नियुक्त समस्त व्यक्तियो को एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जावेगा।

23 परिवीक्षा के दौरान असतोषप्रद प्रगति—(1) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा काल के दौरान किसी समय या अत में यह प्रतीत हो कि—परिवीक्षाधीन सतोष दिलाने मे असफल रहा है, तो नियुक्तिप्राधिकारी उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जो उसके द्वारा अधिष्ठायी रूप से उसके परिवीक्षा पर नियुक्ति से तुरन्त पूर्व धारित किया गया था, परन्तु शर्त यह है कि—वह उस पर पदाधिकार (लियन) धारण करता है या अन्य मामलो में उसे सेवा से हटा सकेगा।

परन्तु यह है कि— नियुक्ति प्राधिकारी किसी परिवीक्षाधीन की परिवीक्षा की अवधि को एक विशिष्ट अवधि के लिये बढ़ा सकेगा जो छः मास से अधिक नहीं होगी ।

(2) उप नियम (1) के अधीन परिवीक्षा की अवधि के दौरान या अन्त में परिवर्तित या हटाया गया परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी प्रतिकर के लिये अधिकृत नहीं होगा ।

24 पुष्टीकरण (स्थायीकरण-कनफर्मेशन)--एक परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा की अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि--उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है और वह अन्यथा पुष्टीकरण के लिये उपयुक्त है ।

भाग (5) वेतन

25 वेतन की दरें--सवग के पदो पर नियुक्ति व्यक्तियो का वेतनमान वही होगा, जो नियम 28 मे वर्णित नियमो के अनुसार ग्राह्य होगा, या जो समय समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाय ।

[1]26 परिवीक्षा के दौरान वेतन--सेवा/सवग के पदो पर सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियो का प्रारभिक वेतन उस पद के वेतनमान का न्यूनतम होगा ।

परन्तु यह है कि--उस व्यक्ति का वेतन जो पहले से ही राज्य के कार्यकलापो के सम्बन्ध मे सेवा कर रहा है राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धो के अनुसार स्थिर किया जावेगा ।

[2]26 क परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धि—एक परिवीक्षाधीन राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धो के अनुसार उसे ग्राह्य वेतनमान मे वेतनवृद्धि आहरित करेगा ।

27 दक्षतावरी पार करने की कसौटी—किसी सवग मे नियुक्त किसी व्यक्ति को दक्षतावरी पार करने की अनुमति नही दी जावेगी, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान नही हो जाय कि—उसने सतोषप्रद रूप से कार्य किया है और उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे हैं ।

भाग (7) अन्य उपबन्ध

28 अवकाश, भत्ते पेंशन आदि का विनियमन--इन नियमो मे विहित के अतिरिक्त स्थापन का वेतन, भत्ते, पेंशन अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें (निम्न

1 वि स एफ/(15) नियुक्ति (क-2)67 दि 18 2-1969 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2 वि स 3(11) नियु (क-2)58 भाग IV दिनाक 16 10 1973 तथा शुद्धिपत्र समसख्यक दिनाक 15 3 1974 द्वारा निविष्ट ।

लिखित) द्वारा नियमित होगी--

(1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, यथा अद्यतन सशोधित

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1950- यथा अद्यतन सशोधित

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम 1956- यथा अद्यतन सशोधित

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958-यथा अद्यतन सशोधित

(5) राजस्थान सेवा नियम 1951 (यथा अद्यतम सशोधित) और भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये तथा तत्समय प्रभावशील अन्य नियम।

अनुसूची I

प्रतियोगी-परीक्षा के लिये पाठयक्रम तथा नियम

(देखिये-नियम 15)

प्रतियोगी परीक्षा मे निम्नलिखित विषय सम्मिलित होगे तथा प्रत्येक विषय के सामने अकित अक होगे--

खण्ड - क—लिखित

1	अग्रेजी	100,	2	हिन्दी	100
3	अक गणित	100,	4	सामान्य ज्ञान व आलोच्य मामले	100

×खण्ड--'ख' मौखिक—विलोपित

खण्ड क –(अनिवार्य)

1 अग्रेजी--यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थियो की भाषा मे प्रवीणता की परख करने के लिय होगा। अग्रेजी मे एक निबन्ध लिखने के साथ साथ, इसमें हिन्दी से अग्रेजी मे अनुवाद, साराशलेखन तथा मुहावरो के प्रयोग आदि सम्मिलित होगे। प्रश्नपत्र का स्तर राजपूताना विश्वविद्यालय की हाई स्कूल परीक्षा के समान होगा।

2 हिन्दी--यह प्रश्न पत्र अभ्यर्थियो की भाषा मे प्रवीणता की परख करने के लिये होगा। कई दिये गये विषयो मे से एक पर निबन्ध लिखने के साथ साथ, इसमे साराश लेखन पत्र लेखन, मुहावरो का प्रयोग आदि सम्मिलित होगे। दो घण्ट का समय दिया जावेगा। अत्यधिक सुन्दर हस्तलेख के लिये अधिकतम पाच तक अंक दिये जायेंगे।

3 सामान्य ज्ञान—यह प्रश्नपत्र साधारण बुद्धि, अवलोकन की शक्ति और ऐसा ज्ञान जो एक अभ्यर्थी से जो स्कूल मे पढाये गये विषयो के साधारण आधार पर उसके चारो ओर की वस्तुओ में बुद्धिमत्तापूर्ण रूचि को बनाये रखने के लिये अपेक्षित है, की परख के लिये होगा।

4 अंक गणित—यह प्रश्नपत्र अभ्यर्थी की नेमी संगणना करने मे गति और शुद्धता की परख के लिये होगा।

×[खण्ड 'ख'—मौखिक परीक्षा–विलोपित]

अनुसूची—II

प्ररूप 'क' (देखिये नियम 16)

(1) अभ्यर्थी का नाम (मोटे अक्षरो मे)

(2) जन्म दिनांक

(3) धर्म

(4) आयु, जन्म दिनांक (अंग्रेजी कलेण्डर वर्ष मे)

(5) पिता का नाम मय व्यवसाय

(6) निवास स्थान

(7) शैक्षणिक अर्हतायें—(उत्तीर्ण की गई परीक्षायें मय श्रेणी तथा वर्षों का विवरण देते हुए)

(8) यदि आशुलिपिक हो, तो टंकण तथा आशुलिपि की गति

(9) क्या वह आसानी से सही व शीघ्र हिन्दी लिख व पढ सकता है ?

(10) क्या अभ्यर्थी पहले या आवेदन करने के समय राज्य सरकार की सेवा मे रहा है या है ? यदि हां, तो विभाग का पूरा विवरण दें—धारित पद, प्राप्त वेतन। क्या उसके कार्यालय के अध्यक्ष से ऐसा आवेदन करने की उसने अनुमति ले ली है ? और उसने सरकारी नौकरी छोड दी हो तो उसकी क्या परिस्थितियां (कारण) थी ?

(11) क्या प्रार्थी ने अधीनस्थ सिविल न्यायालयो के लिपिक वर्गीय स्थापन मे नियुक्ति के लिए पहले कोई आवेदन किया था ? यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

× वि संख्या एफ 3 (9) AC/Intg /56 दिनांक 12-9-1960 द्वारा विलोपित।

(12) क्या वह अनुसूचित जाति/जन जाति का है ? यदि हां, तो विवरण, मय अपनी मांग की पुष्टि में किसी दण्डनायक के प्रमाण पत्र के, दीजिये।

हु प्रार्थी
(मय दिनांक व पता)

टिप्पणी--(1) जन्म दिनांक वही होगी जो हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा तत्समान मान्य अन्य परीक्षा के प्रमाण पत्र में अभिलिखित है।

(2) आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न होंगे–

(क) उपरोक्त पैरा 7 में वर्णित परीक्षायें उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

(ख) प्रार्थी जिसमें अन्तिम बार पढ़ा उस विद्यालय या कालेज या विश्व-विद्यालय के मुख्य शैक्षणिक अधिकारी का तथा दो सम्मान्य व्यक्तियों का (सम्बन्धी न हो) जो प्रार्थी के निजी जीवन के जानकार हों तथा विश्वविद्यालय, कालेज या स्कूल से सम्बन्धित नहीं हो, अच्छे चरित्र के प्रमाण पत्र।

(ग) अन्य कोई प्रशंसा के प्रमाण पत्र, जो प्रार्थी प्रस्तुत करना चाहे।

4

राजस्थान पचायत-समिति तथा जिला-परिषद् सेवा नियम, 1959

[Rajasthan Panchayat Samities & Zila Parishads Service Rules, 1959]

राजस्थान पचायत समितीज एण्ड जिला परिषदस एक्ट, 1959 की धारा 79 की उप धारा (1) और इस विषय में समय बनाने वाले समस्त प्रावधानो द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा मे भर्ती करने तथा सेवा की शर्तों का नियमन करने के लि निम्नलिखित नियम बनाती है।

ꀀराजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा नियम

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ ये नियम राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा नियम, 1959 कहलायेंगे और दिनाक 2 अक्तूबर, 1959 से लागू होगे।

2 परिभाषायें --इन नियमो मे, जब तक विषय या प्रसग मे कोई बात विपरीत न हो—

(क) "एक्ट" से अभिप्राय राजस्थान पचायत समितीज एण्ड जिला परिषदस एक्ट 1959 से है।

(ख) 'कमीशन" स अभिप्राय एक्ट की धारा 86 (6) के अ तगत गठित सिलेक्शन कमीशन से है।

(ग) "समिति" से तात्पय एक्ट की धारा 88 के अन्तगत गठित जिला स्थापना (Establishment) समिति से है।

(घ) "सीधी भर्ती" स अभिप्राय नियम 7 द्वारा निर्धारित तरीके से भर्ती करने से है।

(ङ) "डिविजन" से अभिप्राय रेवेन्यू डिविजन से है।

ꀀ वि स एफ 3 (38) नियुक्ति (घ)–59 दिनाक 30 9 1959, राजस्थान राज-पत्र भाग 4 ग असाधारण दि 1 10 1959 में प्रथम बार प्रकाशित। प्राधिकृत हिन्दी ...

(च) "पूव नियोजित प्राधिकारी ' स अभिप्राय इन नियमा के प्रवतन के पहिले नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से है ।

(छ) "सरकार" से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है ।

(ज) "पचायत समिति'- तथा' 'जिला परिषद्" से अभिप्राय एक्ट के अ तगत गठित पचायत समिति तथा जिला परिषद से है ।

(झ) 'सेवा का सदस्य" से अभिप्राय इन नियमो के प्रावधानो के अ तगत "सवा मे किसी पद पर मूलत (Substantively) नियुक्त किसी व्यक्ति से है ।

(ञ) "अनुसूची" से अभिप्राय इन नियमो के साथ लगी अनुसूची से है ।

(ट) "सेवा से अभिप्राय राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा से है ।

(ठ) "राज्य" से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है ।

(ड) "विकास अधिकारी" से अभिप्राय एक्ट की धारा 26 के अ तगत विकास अधिकारी के रूप मे नियुक्त अधिकारी से है ।

(ढ) "नियोजक प्राधिकारी" से अभिप्राय, जैसी भी स्थिति हो, पचायत समिति या जिला परिषद से है ।

(ण) "राज्य की सचित निधि" से अभिप्राय भारत के सविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अ तगत राज्य के लिए गठित निधि से है ।

(त) 'चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्राय जिला चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी अथवा प्रधान चिकित्सा अधिकारी अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा ऐसे चिकित्सा अधिकारी से है जो सी ए एस श्रेणी I के पद से नीचे का न हो ।

(थ) "निम्नतम ग्रेड" (Lowest grade) से अभिप्राय पदा की एक ही वग (Category) मे भिन्न भिन्न अर्हताओ (Qualifications) तथा अनुभव के लिये निम्नतम ग्रेड से है ।

3 सख्या—सेवा मे कमचारियो की तादाद उतनी होगी जो प्रत्येक पचायत समिति के लिए एक्ट की धारा 31 के अ तगत और प्रत्येक जिला परिषद् के लिए एक्ट की धारा 60 के अ तगत समय समय पर नियत की जाय ।

4 सेवा में पदों के वग (1) सवा मे पदों के वग निम्नलिखित होगे —

(1) ग्राम सेवक ।   (2) ग्राम सेविकाए ।
(3) प्राथमिक पाठशाला अध्यापक ।   (4) फील्ड मैन ।
(5) स्टाक मैन ।   (6) स्टाक सहायक ।
(7) पशु चिकित्सा कम्पाउन्डर ।

(8) कुक्कुट पालन प्रदशक (Poultrv Demonstrator)।
(9) भेड तथा ऊन पयवेक्षक। (10) ड्रेसस
(11) टीका लगाने वाले।
(12) (1) उच्च लिपिक (जिनमे लेखा लिपिक भी शामिल है)
(2) लिपिक (जिनमे टाईपिस्ट भी शामिल हैं)।
(13) ड्राईवर। (14) प्रोजेक्टर चालक।
(15) मेट (उद्योग) [1](16) ग्र प पचायत सचिव।
[2](17) कार्यालय सहायक।

प्रत्येक वग को विभिन्न ग्रेड्स मे विभाजित किया जा सकेगा जसा कि अनुसूची मे दिया गया है।

[3][*टिप्पणी—ग्र प पचायत सचिवो तथा ग्राम सेवको* के पद पर ग्रोर स्टाक मैन तथा पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर के पद आपस मे समान तथा पारस्परिक स्थानान्तरणीय होगे।]

(2) सरकार, श्रेणी 4 के पदो को छोडकर, किसी अन्य पद के वग को सेवा मे सवगवद्ध (Encadre) कर सकेगी।

5 सेवा का प्रारम्भिक गठन—(1) सेवा के गठन के तत्काल पूव सेवा म सम्मिलित भिन्न भिन्न वर्गों के पदो पर नियुक्त सारे व्यक्ति पचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा, इन नियमो के प्रावधानो के अधीन उन पदो पर [4][XXX] नियुक्त किये गये समझे जावेंगे

किन्तु शत यह है कि कोई स्थायी सरकारी कमचारी इन नियमो के लागू होने के 90 दिन के भीतर सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकेगा। उस दशा मे पूव नियोजन प्राधिकारी, राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानो के अनुसार ऐसी कायवाही कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे

---

1 वि स एफ 4/L/PS/AR/13/92/12863 दिनाक 30-10-67 द्वारा निविष्ट।

2 वि स एफ 4.L/PS/AR/7/70/1840-49 दिनांक 29-4-1971 द्वारा निविष्ट।

3 वि स एफ 41/L/PS/AR/9/70/1289-98 दिनाक 25-3-1971 द्वारा प्रतिस्थापित।

4 शब्द "मूलत" विलोपित—राज प स जि प सेवा (सशोधन) नियम 1969 द्वारा जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ग) दिनाक 8-1-1968 पृ 723 पर प्रकाशित।

किन्तु शर्त यह और भी है कि कोई अस्थायी सरकारी कमचारी का, इन नियमा के लागू होने से 30 दिन के भीतर, सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का प्रयोग कर सकेगा और उस दशा मे पूव नियोजन प्राधिकारी, राजस्थान सेवा नियमा के प्रावधानों के अन्तगत, उसकी नौकरी खत्म कर देगा।

[3]टिप्पणी—वे व्यक्ति जो प्रारम्भ मे ग्राम सेवक के रूप म नियुक्त किये गये थे, किन्तु अक्तूबर 1959 के दूसरे दिन को उसके समतुल्य या उच्चतर पद जो सेवा मे सर्वगित नहीं किये गये थे, स्थानापन्न तदर्थ या अस्थायी रूप स धारण किये हुए थे उन्हे 2,10 59 को भी ग्राम सेवक के रूप मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त समझा जावेगा और उनके ग्राम सेवक के रूप मे प्रतिवतन होने तक सवग के पदा पर प्रति नियुक्ति पर समझा जावेगा]

(2) कोई कमचारी, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जो सेवा का सदस्य न बनने की अपनी इच्छा का उप नियम (1) के परन्तुको के अन्तगत प्रयोग करता है उसे राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानो के अन्तगत, दिनाक 2 अक्टूबर, 1959 से सेवा मुक्त किये जाने का नोटिस दे दिया गया समझा जायगा और 2 अक्तूबर, 1959 से, जब तक कि पूव नियोजन प्राधिकारी उसे अन्य पद पर न लगा दे या राजस्थान सेवा नियमो के प्रावधानो के अन्तगत सेवा से मुक्त न कर दें, वह पचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी स्थिति हो, की सेवाथ प्रतिनियुक्त किया गया (On deputation) समझा जायेगा।

(3) किसी अन्य वग के पदो के कमचारियो जो इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात नियम 4 (2) के अधीन सवगबद्ध किय जाय, के साथ भी इस नियम के उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार ही व्यवहार किया जायगा।

6 भर्ती का स्रोत —इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात रिक्त स्थान निम्न रीति स भरे जायेंगे —

(क) प्रत्येक वग के निम्नतम ग्रेड मे सीधी भर्ती करके।

(ख) उसी वग मे निचले ग्रेड से ऊचे मे पदोन्नति (तरक्की) करके।

(ग) किसी पचायत समिति, जिला परिषद या सरकार के अधीन समनुरूप पदो पर काम करने वाले व्यक्तियो का तबादला करके

किन्तु शर्त यह है कि किसी भी सरकारी कमचारी का, उसकी पूर्व सहमति के बिना, सेवा मे तबादला नही किया जायेगा।

7 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए रिक्त स्थानों का आरक्षण —(1) अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जन-जातियो के लिए रिक्त स्थानो का आरक्षण, सरकार द्वारा जारी की गई उस समय प्रवृत्त आज्ञाओ के अनुसार

किया जावेगा । भूतपूर्व सैनिकों के लिये वर्ष भर में कुल रिक्त स्थानो का 12½% आरक्षित होगा ।

(2) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानो को भरने में, उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये, जो अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जन जातियों के सदस्य हैं उसी क्रम मे दूसरे अभ्यर्थियो के साथ उनकी सम्बंधित श्रेणी पर विचार किये बिना विचार किया जायेगा, जिसमे उनके नाम सूची में हैं ।

(3) यदि इस प्रकार आरक्षित सभी रिक्त स्थानो को भरने के लिये पर्याप्त सख्या मे ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न हो जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, तो शेष रिक्त स्थान सूची म से अन्य अभ्यर्थियो की नियुक्ति द्वारा भर लिये जायेंगे और उसके समान सख्या मे अतिरिक्त रिक्त स्थान अगले वर्ष म भरने के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियो के लिये आरक्षित किये जावेंगे

परन्तु यह है कि—यदि पर्याप्त सख्या में उपयुक्त अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के हैं, कथित परीक्षा/चयन या साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप दूसरे वर्ष मे (भी) सब रिक्त स्थानो को भरने के लिये उपलब्ध न हो, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या उनमे से ऐसे जो भरे नही गये समाप्त (लेप्स) हो जायेंगे ।

टिप्पणी—आरक्षण कुल रिक्त स्थानो के आधार पर सगणित किया जायेगा। पांच वर्ष की अवधि के ऊपर रूढाको (अश) का समायोजन कर लिया जायेगा ।

(4) पदोन्नति के लिये कोई आरक्षण नही होगा ।

[1]8 रिक्त स्थानों का निश्चित किया जाना—इन नियमो के प्रावधानो और सरकार के निदेशो यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए पचायत समिति या जिला परिषद प्रत्येक वर्ष मे दो बार अर्थात–पहली जनवरी और पहली जुलाई को आगामी छ मास की अवधि मे प्रत्येक वर्ग के भीतर प्रत्याशित रिक्त स्थानो की सख्या और भर्ती किये जा सकने वाले व्यक्तियो की सख्या निश्चित करेगी और आयोग को ससूचित करेगी ।

9 राष्ट्रीयता—सेवा में नियुक्ति का कोई उम्मीदवार —

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए या

(ख) सिक्किम का प्रजाजन होना चाहिए, या

---

1 विज्ञप्ति जी एस आर 392(2) दिनांक 27-1 1971 द्वारा प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राज पत्र भाग 4 (ग) I दि 3 2-1972 पृष्ठ 499(48) पर प्रकाशित ।

(ग) नेपाल या भारत के भूतपूव फ्रांसीसी बस्ती (French Possession) का प्रजानन होना चाहिए, या।

(घ) भारत मे मूल निवास करने वाला ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्थायी रूप से भारत में बसने के इरादे से पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर प्राया है

किन्तु शत यह है कि यदि वह वग (ग) तथा (घ) मे बतलाया गया व्यक्ति है तो वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष मे भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र दे दिया गया हो

परन्तु यह शत ग्रोर भी है कि यदि वह वग (घ) के प्रधीन प्राता हो तो पात्रता प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति की तारीख से केवल एक वर्ष की प्रवधि के लिए ही मान्य होगा जिसके उपरान्त कि उसे सेवा मे उसी स्थिति में रखा जा सकेगा जब वह भारत का नागरिक हो जाय

जिस उम्मीदवार की दशा मे पात्रता प्रमाण-पत्र प्रावश्यक हो, उसको कमीशन द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा प्रथवा साक्षात्कार मे प्रवेश मिल सकेगा ग्रोर उसे भारत सरकार द्वारा प्रावश्यक प्रमाण-पत्र दिये जाने की शत के प्रधीन प्रस्थायी रूप मे भी नियुक्त किया जा सकेगा।

10 प्रायु —सीधी भर्ती के लिए किसी भी उम्मीदवार के लिए यह प्रावश्यक होगा कि उसके द्वारा प्रावेदन किये जाने की तारीख से प्रागे प्राने वाली जनवरी के पहिले दिन उसकी प्रायु 16 वप से कम ग्रोर 25 वप से प्रधिक नही होनी चाहिए

किन्तु शर्त यह है कि –

(1) प्रनुसूचित जाति या प्रनुसूचित जन जाति के किसी उम्मीदवार की दशा मे उच्चतर प्रायु की सीमा 30 वप होगी।

(2) भूतपूर्व सैनिको की दशा मे उच्चतर प्रायु की सीमा 50 वर्ष होगी।

(3) जागीरदारो के पुत्रो को सम्मिलित करते हुए ऐसे जागीरदारो जिनके कि पास उनके निर्वाह के लिए कोई उप जागीर नही थी की दशा मे उच्चतर प्रायु की सीमा 31 दिसम्बर, 1963 तक, 40 वप होगी।

(4) उन व्यक्तियो के लिये उच्च प्रायुसीमा, जो ग्राम पचायत/न्याय पचायत के सचिवो के रूप में पहले से काय कर रहे थे, उनके द्वारा पचायत सचिव के रूप में की गई सेवा की प्रवधि तक, प्रधिकतम तीन वर्षों तक, शिथिल की जाएगी।

(5) महिलाप्रो के लिये उच्च प्रायु सीमा 35 वप होगी।

(6) ऐसे व्यक्तियो के लिये उच्च प्रायु सीमा, जो पचायत समिति/जिला परिपद के प्रधीन उनकी प्रस्थाई नियुक्ति पर विहित प्रायु सीमा में थे, उनके द्वारा

पंचायत समिति जिला परिषद में अधीन की गई सेवा की अवधि तक शिथिल की जा सकेगी,

परन्तु यह भी है कि—उच्च आयु सीमा सम्बन्धी प्रतिबन्ध उन अभ्यर्थियों व मामलों में लागू नहीं होगी, जो चयनित थे और सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में 31 दिसम्बर 1961 से पूर्व भेजे गये थे।

(7) तृतीय श्रेणी के प्राथमिक शाला शिक्षकों के लिये उच्च आयु सीमा 30 वर्ष होगी।

परन्तु यह भी है कि—यदि इस नियम में विहित आयु सीमा में उपयुक्त अभ्यर्थी किसी विशिष्ट वर्ष में या किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं, ऐसा पाया जाने पर आयोग उच्च आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दे सकेगा। ऐसी छूट, यदि, सेवा के सम्पूर्ण प्रवर्ग के लिये दी जावेगी न कि व्यक्तिगत मामले या मामलों में।

[टिप्पण—विलोपित XX]

11 शैक्षणिक अहर्ताएं, तथा अहर्ताएं, पंचायत/न्याय सेवा—सेवा के विभिन्न वर्गों में भर्ती होने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी न्यूनतम शैक्षणिक टेक्निकल योग्यताएं, एवं अनुभव आवश्यक है जो कि इन नियमों के साथ लगी अनुसूची में दिये गये हैं।

12 चरित्र —सेवा में सीधी भर्ती चाहने वाले उम्मीदवार को चाहिये कि वह कमीशन को ऐसे विश्वविद्यालय, कॉलिज, स्कूल अथवा संस्था जहां उसने सबसे अंत में शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधान शिक्षा अधिकारी का सच्चरित्र होने का एक प्रमाण-पत्र तथा ऐसे ही दो और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जो उसे ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा दिये गये हो जिनका न तो उसके (उम्मीदवार के) विश्वविद्यालय, कॉलिज, या उसकी संस्था से संबंध हो और जो न उसके संबंधी हो तथा जो (प्रमाण-पत्र) आवेदन करने की तारीख से छः महीने की अवधि से पहले के लिखे हुए न हों।

नोट—न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि से ही यह आवश्यक नहीं हो जाता कि, सच्चरित्रता के प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया जाय। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि उनमें कोई नैतिक पतन या हिंसा संबंधी अपराधों से सम्पर्क न पाया जाव या विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक साधनों द्वारा उलटना जिसका उद्देश्य हो ऐसे आंदोलन से संपर्क न पाया जाय तो केवल मात्र दोषसिद्धि को ही निर्योग्यता नहीं समझा जाना चाहिए।

13 शारीरिक योग्यता —सेवा में सीधी भर्ती चाहने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से अच्छी तरह स्वस्थ हो और ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के

रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्य का कुशलता से पालन करने में बाधा पड़ने की समावना हो और यदि वह नियुक्ति के लिए चुन लिया जाय तो उसे चिकित्सा अधिकारी से लेकर उस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

14 पक्ष समर्थन (Convassing) —भर्ती के लिए किसी भी सिफारिश पर चाहे वह लिखित हो या जबानी सिवाय उसके जो नियमों के अधीन अपेक्षित हो, ध्यान नहीं दिया जायगा। यदि कोई उम्मीदवार और तरीका से प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अपनी उम्मीदवारी को पक्ष में सहायता प्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न करेगा तो उस अनर्हित (Disqualify) किया जा सकेगा।

भाग 3—सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

15 आवेदन पत्र आमन्त्रित करना —(1) पंचायत समितियों अथवा जिला परिषदों द्वारा सेवा में सीधी भर्ती के लिये कमीशन से मांग की जाने पर कमीशन द्वारा ऐसे तरीके से, जो वह ठीक समझे आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जायेंगे।

×[परन्तु सेवा म सीधी भर्ती के लिये सरकार भी मांग कर सकेगी।]

16 आवेदन पत्र का फार्म —आवेदन कमीशन द्वारा निर्धारित फार्म में दिया जायगा जो कमीशन द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी से तथा ऐसी फीस देने पर जो कमीशन द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय, प्राप्त किया जा सकेगा।

17 आवेदन पत्रों की जांच —कमीशन उसके द्वारा प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की जांच करेगा और इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्ति के लिए अर्हित उम्मीदवारों म से इतने उम्मीदवारों से, जितने उसे ठीक लगें, अपने समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा।

××[परन्तु वर्ष 1973-74 के लिये पंचायत प्राथमिक शालाओं के अध्यापक के पदों की सीधी भर्ती के लिये कमीशन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का उनकी योग्यताओं और अनुभव आदि के आधार पर, उनको साक्षात्कार में बुलाये बिना, मूल्यांकन कर सकेगा]

× वि स एफ 4/L/PS/AR/13/67-68/7929 दिनांक 15 7 1968 द्वारा निविष्ट।

×× वि, स, एफ 4/L/PS/AR/2/73/1282 दिनांक 14 6-1973 द्वारा जोड़ा गया।

×[17-क—पचायत-सचिवों का सेवा मे आमेलन—

××[(1) आगे के नियमो मे किसी बात के होते हुए भी, वे व्यक्ति जो पचायत सचिवो का पद धारण कर रहे हैं, ग्राम सेवक या ग्रुप पचायत सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगे, परन्तु वह मिडिल पास हैं और इस नियम के उप नियम (2) मे वर्णित सूची बनाने के समय 45 वर्ष की आयु प्राप्त नही हैं।]

(2) राज्य सरकार प्रत्येक पचायत में ' ग्राम सेवक एव पचायत सचिव" तथा पचायतो के समूह में "ग्रुप पचायत सचिव" नियुक्त करने की योजना के अनुसरण मे, श्रेणीबद्ध कायक्रम (फेज्ड प्रोग्राम) के अनुसार, ऐसे सचिवो की एक सूची तैयार करेगी, जो ग्राम सेवक या ग्रुप पचायत सचिवो के रूप मे आमेलन के लिये उपयुक्त हो और उस सूची को कमीशन को भेजेगी।

(3) कमीशन ऐसी सूची प्राप्त होने पर उस सूची की जाच पडताल कर उनमें से ऐसो का ग्राम सेवक या ग्रुप-पचायत सचिव के रूप में नियुक्ति के लिये चयन करेगा, जो इस नियम के उप नियम (1) में वर्णित योग्यताओ और शर्तों को पूरा करते हो। कमीशन ऐसे व्यक्तियो की जिले वार योग्यता सूची तैयार करेगा और उसे सम्बन्धित जिले की ' जिला स्थापन समिति" को पचायत समितियो को नियम 18 (2) के अधीन आवटन तथा नियम 19 के अधीन पचायत समिति द्वारा नियुक्ति के लिये सप्रेषित करेगा।

18 *कमीशन की सिफारिशें*—(1) *कमीशन, जिले में प्रत्येक श्रेणी या* वग के पदो पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले उम्मीदवारो की योग्यता नुसार जिलावार सूची तैयार करेगा और उस सूची को सबधित जिला स्थापना समिति के पास भेज देगा।

[1][परन्तु यह है कि—(i) कमीशन द्वारा तैयार की गई योग्यतासूची में अभ्यर्थियो की सख्या ऐसी योग्यता सूची बनाने के समय रिक्त स्थानो की वास्तव मे उपलब्ध सख्या के एव तथा आधा बार (डेढ गुणा) से अधिक नहीं होगी, (ii) इस इस प्रकार बनाई गयी अभ्यर्थियो की योग्यता सूची इसके बनाने के दिनाक से छ

× वि सख्या F 4/L/PS/AR/8/66/13022 दिनांक 24 6-66 द्वारा जोडा गया।

×× वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/1/77/129 दिनांक 28 मार्च 1977 द्वारा प्रतिस्थापित।

1 G S R 392 दि 27-11-1972 जो राजपत्र में दि 3 2 72 को पृष्ठ 489(48) पर प्रकाशित, द्वारा जोड़ा गया।

मास की अवधि के लिये वैध रहेगी। ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद यह समाप्त (लेप्स) हुई समझी जावेगी।]

(2) जिला स्थापना समिति, पचायत समितियो अथवा जिला परिषद् से मांग की जाने पर सूची मे से ऐसे क्रम से जिसमे कि सूची में उनके नाम दिये हुए हो, उम्मीदवार अलाट करेगी। पचायत समितियां अथवा जिला परिषद् जिला स्थापना समिति के पास अपनी मांगें (Requisition) भेजते समय नियम 7 की अपेक्षाओ को ध्यान मे रखेगी।

[2][18 क—राज्य सरकार द्वारा आवटन—(i) राज्य सरकार किसी जिले की सूची में से जहा रिक्तस्थान नही हैं, किसी दूसरे जिले को अभ्यर्थियो को योग्यता के क्रम में आवटित कर सकेगी, जहां नियुक्ति के लिये रिक्त स्थान हो, परन्तु यह है कि—पिछले जिले की जिलेवार सूची मे कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो।

(ii) ऐसे अभ्यर्थियो के आवटन के लिये जिला स्थापन समिति नियम 18 के उप नियम (2) मे विहित तरीके का अनुसरण करेगी।]

[18 ख—विलोपित दि 2 दिसम्बर 1977]

19 पचायत समितियों अथवा जिला परिषद् द्वारा नियुक्ति —पचायत समिति अथवा जिला परिषद जिला स्थापन समिति द्वारा अलाट किये उम्मीदवारों को ऐसे क्रम से नियुक्त करेगी जिसमें कि जिला स्थापना समिति द्वारा उनके नाम प्रेषित किये गये हैं।

[3]परन्तु यह है कि—किसी समय रिक्तस्थान की पूर्ति के लिये पचायत समिति में अध्यापक के पद के लिये चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा तैयार की गई योग्यता-सूची मे से तदर्थ नियुक्ति की जा सकेगी।]

[4]19-क(1) —नियम 15 से 19 के उपबन्धो मे किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुये भी उन कनिष्ठ लिपिको पर आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ लिपिक के रूप में नियुक्ति के लिये उनकी उपयोगिता का निर्धारण करने हेतु विचार किया

---

2 G S R 21 दि 20 1-1970 द्वारा जोडा गया जो राजपत्र दि 14-5 70 को पृष्ठ 83 पर प्रकाशित।

3 वि स एफ 4/L/PS/AR/4/75/92 दि 31 जनवरी 1976 द्वारा जोडा गया। जी एस आर, 258 (16)।

4 वि स एफ 4/L/PS/AR/1/73/1708-16 दि 3 दिसम्बर 1973 द्वारा जोडा गया।

जायगा जिनकी अस्थायी आधार पर नियुक्ति तारीख 1-4-1971 से पूर्व, इन नियमों के अनुसरण में सीधी भर्ती किये जाने तक, पंचायत समितियों या जिला परिषदों द्वारा की गयी थी, और जो उसके पश्चात् निरन्तर सेवा में हों परन्तु यह कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाय —

(1) जिन कनिष्ठ लिपिकों का चयन नहीं किया गया है वे सैकण्ड्री/मैट्रिक्यूलेशन या हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने चाहिये,

(ii) ऐसे चयन न किये गये कनिष्ठ लिपिक उम्मीदवारों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट संतोषजनक हो,

(iii) पंचायत समिति का विकास अधिकारी या जिला परिषद् का सचिव यह प्रमाण-पत्र दे कि चयन न किये गये कनिष्ठ लिपिक ने कार्यालय प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान अर्जित कर लिया है और यह कि ऐसे कनिष्ठ लिपिक की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करने वाली कोई बात उसके ध्यान में नहीं आई है, और

(iv) इस नियम के अधीन अंतर्विष्ट चयन न किये गये व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए सीधी भर्ती द्वारा भरे गये कनिष्ठ लिपिकों के पदों की कुल संख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के विहित अनुपात का सधारण किया जाय।

(2) आयोग इन कनिष्ठ लिपिकों पर उस जिले के आधार पर विचार करेगा जिनमें उनका पदस्थापन 1 अक्टूबर 1972 को किया गया था और आयोग निर्धारित उपयुक्त व्यक्ति का आवंटन उस पंचायत समिति या जिला परिषद की जिला स्थापना समिति द्वारा किया जायगा जहां उनका पदस्थापन 1 अक्टूबर 1972 को था।

(3) सम्बन्धित पंचायत समिति या जिला परिषद् व्यक्तियों को नियमित नियुक्ति उन पदों पर तब करेगी जब वे स्पष्टतः रिक्त हों परन्तु यदि ऐसी रिक्ति विद्यमान न हो तो ऐसे कनिष्ठ लिपिक की सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जायगी।]

भाग 4—पदोन्नति (तरक्की) तथा स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

20. चयन (सिलेक्शन) के लिये कसौटी—(i) तरक्की के प्रयोजनों के हेतु जिले के भीतर सेवा कर रहे सेवा के उन सदस्यों में से जो ऐसी तरक्की के पात्र हों, सीनियरटी एवं योग्यता के आधार पर अनुसूची के स्तम्भ 5 व 6 के प्रावधानों के अनुसार चुनाव (सिलेक्शन) किया जायगा।

[6]परन्तु यह है कि इन नियमों के अधीन सेवा के अधिष्ठायी सदस्य और

---

6. विज्ञप्ति स. एफ. 4/L/PS/AR/II/69/6748 दिनांक 20.8.1969 द्वारा जोड़ा गया, राजपत्र दिनांक 30.10.1969 में पृष्ठ 173 पर प्रकाशित।

पंचायत समिति व जिला परिषद चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1959 के अधीन सेवा के अधिष्ठायी सदस्य, जो इन नियमों के नियम 11 के अधीन विहित शर्तों के अनुसार सेवा में किसी अन्य उच्चतर पद के लिये अन्यथा पात्र हैं, इस अर्थलीय मे दिये गये तरीके से पदोन्नति के द्वारा ऐसे पदों पर नियुक्त किय जा सकेंगे। ऐसी नियुक्तिया, येन केन, इन नियमों के नियम 25 से 27 तक के उपबन्धो के अध्यधीन होगी।]

(2) पदोन्नति (तरक्की) के लिए उम्मीदवार का चुनाव (सिलेक्शन) करने में —

(क) उनकी टैकनिकल अहृताए तथा ज्ञान,
(ख) उनकी चातुर्य, काम करने की शक्ति तथा बुद्ध,
(ग) उनकी ईमानदारी, तथा
(घ) उनकी सेवा के पूर्व रिकाड।

का ध्यान रखा जायेगा।

21 चयन (सिलेक्शन) की प्रक्रिया —जब कभी भी सेवा की विभिन्न श्रेणियो तथा वर्गों मे रिक्त स्थान तरक्की द्वारा भरे जाने हों तो जिला स्थापना समिति, पंचायत समिति अथवा जिला परिषदों से सिफारिश आमन्त्रित करेगी। जिन व्यक्तियो के सम्बन्ध मे, तरक्की के लिए सिफारिश की गई है तथा जिनको अधिक्रमित किये जाने का प्रस्ताव है, प्राप्त हुई सिफारिशो तथा उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (Annual Confidential reports) तथा उनके सेवा सबधी अन्य रिकाड पर विचार करने के पश्चात् उन व्यक्तियों को जो उस श्रेणी एव वर्ग मे सीनियोरिटी के अनुसार तरक्की के लिए उपयुक्त हैं जिलावार सूची तैयार करेगी और यदि किन्ही व्यक्तियों का अधिक्रमण किया गया हो तो उनके कारण बतलायगी।

22 (1) पंचायत समितियों अथवा जिला परिषदो मे मांग आने पर जिला स्थापना समिति जिलावार सूची में से व्यक्तियों को उसी क्रम से अलाट करेगी जितमे कि उनके नाम ऐसी सूची में आये हों।

(2) जिला स्थापना समिति से व्यक्तियो के अलाट (Allot) किये जाने सबंधी सूचना प्राप्त होने पर पंचायत समिति अथवा जिला परिषद इस प्रकार अलाट किये गये व्यक्तियो को उन पदों पर नियुक्त करेगी जिनके लिए कमेटी द्वारा उनका चुनाव (सिलेक्शन) किया गया है।

22 क—एक सरकारी कर्मचारी का सेवा के पदों पर स्थानान्तर—पंचायत समिति या जिला परिषद् इस प्रकार की मांग प्राप्त होने पर कि—सेवा में किसी पद पर पदोन्नति से या अन्य पंचायत समिति या जिला परिषद से स्थानान्तर से नियुक्ति के लिये सेवा का कोई सदस्य उपलब्ध नहीं है और वह पद सेवा के पद के समान

राज्य की सेवा में पद धारण करने वाले व्यक्ति के स्थानान्तर द्वारा भरा जाना है, तो जिलाधिकारी (कलक्टर) ऐसे सरकारी कमचारी की सहमति और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की अनुमति के बाद जिला स्थापन समिति को ऐसे व्यक्ति के स्थानान्तर के लिये सिफारिश भेजेगा। अब समिति ऐसे व्यक्ति को सम्बन्धित पचायत समिति या जिला परिषद् को आवटित करेगी। इसके बाद सम्बद्ध पचायत समिति या जिला परिषद् इस प्रकार आवटित व्यक्ति को राजस्थान पचायत समिति (विकास अधिकारियो, प्रसार अधिकारियो और अन्य अधिकारियो की प्रतिनियुक्ति की शर्तें) नियम 1959 में वर्णित शर्तों पर उस पद पर नियुक्त करेगी।

22 ख—पदों की कटौती/समाप्ति पर अधिशेष हुए सरकारी कमचारियों की सेवा के स्थानान्तर द्वारा भर्ती—(1) जब सरकार के अधीन पदो की कटौती/समाप्ति के कारण एक कमचारी अधिशेष हो जाता है या होने वाला है, तो उसे उसकी सहमति से स्थानान्तर द्वारा सेवा में, इस नियम मे आगे वर्णित तरीके से, उस पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, जिसे सरकार ऐसे सरकारी कमचारी द्वारा उसके स्थानान्तर के तुरन्त पहले धारित पद के समतुल्य घोषित करे।

(2) सरकार के अधीन अधिशेष किये गये ऐसे व्यक्तियो की सूची कमीशन को भेजी जावेगी, जो उसमें से सेवा के पदो के लिये प्रत्येक जिले के लिए व्यक्तियो का चयन करेगा और इस प्रकार चयनित व्यक्तियों को पचायत समिति/जिला परिषद को ऐसी प स/जि प में विद्यमान रिक्तस्थानो की सख्या की सीमा तक आवटित करेगा। कमीशन को भेजी गई सूची की एक प्रति साथ साथ सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को भी भेजी जावेगी।

(3) पचायत समिति या जिला परिषद, यथास्थिति, इस प्रकार आवटित व्यक्ति को समानीकृत पद पर ऐसी शर्तों पर जो लागू हो नियुक्त करेगी।

[1][22 खख—सरकार की सेवा में प्रतिवर्ती प्रतिनियुक्ति—(1) पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के किसी भी सदस्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध बाह्य सेवा में स्थानान्तरित नही किया जायेगा, परन्तु यह नियम राज्य सरकार की सेवा के ऐसे सदस्य के स्थानान्तरण पर लागू नही होगा।

(2) बाह्य सेवा मे व्यक्तियो की प्रतिनियुक्ति उन निबन्धनो और शर्तों द्वारा शासित होगी, जो बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने वाले सरकारी कमचारियो

---

1 वि स एफ 4/एल जे/ए आर/पी टी/15/78/330 जी एस आर 87 दिनाक 19 अगस्त 1978 द्वारा जोड़ा गया। राजपत्र में दि 21-9-78 पृ 262 पर प्रकाशित। (1979 RLT-II 421)

पर लागू होती है, परन्तु राज्य सरकार की सेवा मे प्रतिनियुक्ति [पर स्थानान्तरित व्यक्ति को कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता अनुज्ञेय नही होगा]

22ग—पदों की कटौती/समाप्ति पर अधिशेष हुए सेवा के सदस्यों का आमेलन—(1) सेवा में कुछ पदो की कटौती/समाप्ति पर, पचायत समिति/जिला परिषद द्वारा अधिशेष हुए व्यक्तियो की सूची सरकार को और एक प्रति जिलाधिकारी (कलेक्टर) को सम्प्रेषित की जायेगी जिसके आधार पर सरकार इस प्रकार सेवा मे अधिशेष हुए व्यक्तियो की जिलेवार सूची बनायेगी।

(2) ऐसे अधिशेष हुए कर्मचारी वर्ग की सूची, जो तब सेवा मे विद्यमान रिक्त पदो की सख्या के अनुसार या समान पदो पर या सेवा के कटौती मे लाये गये पदो के समतुल्य सरकार द्वारा घोषित पदो पर जिले के भीतर आमेलित किये जा सकते हैं सरकार द्वारा जिला स्थापना समिति को भेजी जायेगी,

(3) ऐसे व्यक्तियो को सम्बन्धित पचायत समिति या जिला परिषद् को समिति तदनुसार आवटित करेगी, जो ऐसे आवटित व्यक्तियो को समान पदो पर या समतुल्य पदो पर सेवा मे ऐसे समतुल्य पदो के लिये लागू निबन्धनो और शर्तों के अनुसार नियुक्त करेंगी।

(4) ऐसे व्यक्तियो की एक सूची जिनको जिले के बाहर आमेलित करना प्रस्तावित है, सरकार द्वारा कमीशन को भेजी जावेगी, जो नियम 22-ख के उप नियम (2) व (3) मे विहित तरीके का पालन करते हुए सिवाय विभाग/व्यक्ति को आमेलित किये जाने वाले व्यक्तियो की सूची भेजने के, उनको सेवा मे समान पदो या समतुल्य पदो पर आमेलित करेगा।

*सम्पादकीय टिप्पणी

(1) कृषि विभाग का कम्पोस्ट इसपेक्टर (खाद निरीक्षक) का पद ग्राम सेवक (सलेक्शन ग्रेड) के समतुल्य घोषित किया गया है।

[वि स एफ 135 (7) (4) OCD/Insp /P D /63/18320 दि 30-9-1963 द्वारा, जो राजपत्र मे दि 5-12-1963 को प्रकाशित हुई]

(2) *ग्रुप पचायत सचिव पद ग्राम सेवक के समतुल्य है।*

[वि स एफ 4/L/PS/AR/13/67/12864 दि 30-11-1967 द्वारा।]

(3) फील्डमैन (जूनियर) ग्राम सेवक (जूनियर) के बराबर और फील्डमैन (सीनियर) ग्राम सेवक (सीनियर) के बराबर तथा ग्राम सेविका प्राथमिक शाला शिक्षिका के बराबर समतुल्य घोषित किये गये हैं।

[वि स एफ 135 (7) (4) OCD/Insp/P D /63/18371 दि 30-9-1963, जो राजपत्र मे दि 5-12-1963 को प्रकाशित हुई]

भाग 5-अस्थायी नियुक्तियां

23 (1) उस अवस्था में जब कि कोई चुनाव (सिलेक्शन) न किया गया हो या किसी रिक्त स्थान भरने के लिए कमीशन द्वारा चुना गया व्यक्ति किसी समय उपलब्ध न हो तो नियोजक प्राधिकारी द्वारा, ऐसी अवधि के लिए छ महिने स अधिक नही होगी, नियुक्ति की जा सकेगी बशर्ते कि ऐसी रिक्ति का भरा जाना अत्यावश्यक रूप से अपेक्षित हो।

(2) यदि ऐसे रिक्त स्थान के सीधी भर्ती द्वारा अस्थाई तौर पर भरे जाने का प्रस्ताव हो तो निकटतम सेवा योजना कार्यालय (Employment Exchange) स अपेक्षित अहताए रखने वाले इतने व्यक्तियो के इतने इतने नामो की एक तालिका भेजने को कहा जाय जिसमे इस प्रकार भरी जाने वाली रिक्तियो की सख्या स कम से कम पाच गुने नाम हो। तत्पश्चात नियोजक प्राधिकारी पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारो की तालिका मे से नियुक्त करेगा।

(3) यदि रिक्त स्थान को तरक्की द्वारा अस्थायी रूप स भरे जाने का प्रस्ताव हो तो नियोजक प्राधिकारी द्वारा अगली निम्न श्रेणी म स सबसे सीनियर कर्मचारी इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

किन्तु शर्त यह है कि सब से सीनियर कर्मचारी का रिकार्ड सतोषजनक न हो तो वह व्यक्ति जिसका नाम उसके ठीक नीचे आता हो इस प्रकार नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) तथापि ऐसी अस्थायी नियुक्ति की अवधि केवल समिति की पूर्व सह मति से, छ महीने के बाद के लिए बढाई जा सकेगी।

(5) इस नियम के अन्तर्गत की गई अस्थायी नियुक्तियां कमीशन की पूर्व सहमति के बिना 12 महीने से अधिक की अवधि तक जारी नही रखी जा सकेगी।

(6) इस नियम के अन्तर्गत की गई अस्थायी नियुक्ति जसे ही कमीशन अथवा समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, चुना गया उम्मीदवार उपलब्ध हो समाप्त हो जायगी।

24 वरिष्ठता (सीनियोरिटी) —प्रत्येक श्रेणी वर्ग म सीनियोरिटी ऐसी श्रेणी अथवा वर्ग मे किसी पद पर की गई मूल नियुक्ति की आज्ञा की तारीख के आधार पर निश्चित की जायगी —

किन्तु शर्त यह है —

(1) कि इन नियमो के प्रारम्भ से पहिले किसी विशेष श्रेणी (ग्रेड) अथवा वर्ग मे पदो पर सेवा में नियुक्त किये गये सदस्यो की आपस म सीनियारिटी वह होगी जो सरकार द्वारा निश्चित की गई हो अथवा की जाय,

(ii) कि यदि दो या अधिक व्यक्ति उसी श्रेणी अथवा वर्ग वाले पदो पर एक ही तारीख की उसी आज्ञा या उन्ही आज्ञाओ के अधीन नियुक्त किये जाय तो उनकी सीनियोरिटी उस ही क्रम मे होगी जिसमें कि उनके नाम कमीशन अथवा समिति, जैसी भी दशा हो, द्वारा तैयार की गई जिलेवार सूची मे आये हो।

(iii) कि इन नियमो के प्रारम्भ के पश्चात् सरकारी सेवा से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियो की सीनियोरिटी समिति द्वारा, समान पद पर उनकी मूल (Substartive) सेवा की निरंतर अवधि के आधार पर तदथ निश्चित की जायगी।

[1](iv) ग्राम सेवक तथा ग्रुप पचायत सचिवो की पारस्परिक वरिष्ठता सूची और स्टॉकमैन तथा पशु चिकित्सा कम्पाउण्डर की वैसी ही पारस्परिक सूची उनकी अधिष्ठायी नियुक्ति के दिनाक के क्रम मे तैयार की जावेगी।

25 परिवीक्षा —सेवा के समस्त सदस्य सिवाय उनके जिनकी कि सेवा मे प्रारम्भिक नियुक्ति हो, तथा जो सरकारी सेवा से स्थानान्तरित किये जाय, नियुक्त किये जाने पर परिवीक्षा पर रखे जायेंगे। सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियो के लिए परिवीक्षा काल दो वर्ष का होगा और जो तरक्की द्वारा नियुक्त किये गये हैं उनके लिए एक वर्ष होगा।

26 परिवीक्षा काल मे असन्तोषजनक प्रगति —(1) यदि जिला परिषद् अथवा पचायत समिति को जान पडे कि सेवा में काम करने वाले किसी सदस्य ने उसको मिले अवसरो का पर्याप्त उपयोग नही किया है या वह सतोष प्रदान करने मे विफल रहा है तो पचायत समिति अथवा जिला परिषद् उसको सेवा से हटा सकेगी या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उस पद पर वापिस भेज सकेगी

किन्तु शर्त है कि पचायत समिति/जिला परिषद् सेवा के किसी भी सदस्य का परिवीक्षाकाल ऐसी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नही हो, बढा सकेगी।

(2) ऐसा परिवीक्षाधीन कोई व्यक्ति, जो उप नियम (1) के अधीन परिवीक्षा काल मे या उसकी समाप्ति पर सेवा से उसके मूल पद पर भेज दिया जाय (Reverted) या हटा दिया जाय (Removed) किसी भी मुआवजे का हकदार नही होगा।

---

1 जी एस आर 213 दिनांक 5–10–70 द्वारा प्रथमत निविष्ट, जो क्र स एफ 41/L/PS/AR/9/70/1289–98 दिनाक 25–3–1971 द्वारा प्रतिस्थापित की गई।

27 स्थायीकरण (पुष्टीकरण) —कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा काल समाप्त होने पर उसके पद पर स्थायी कर दिया जायगा यदि पचायत समिति अथवा जिला परिषद् को यह सतोष हो जाय कि (परिवीक्षाधीन व्यक्ति की) ईमानदारी सदेह से परे है, उसका काम सतोषप्रद है तथा यह स्थाईकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त (fit) है।

28 जिले के भीतर स्थानान्तरण —(1) ऐसे कमचारी का नाम जो स्वय जिले के भीतर अपना स्थानान्तरण चाहता हो या जिसका स्थानान्तरण करने की जरूरत समझी जाय पचायत समिति द्वारा या जिला परिषद द्वारा, जैसी भी दशा हो, समिति को भेज दिया जायगा। तदुपरान्त समिति इन नामो को एक जिलावार सूची में प्रविष्ट कर लेगी।

(2) ऐसे कमचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति समिति की सिफारिश पर सबधित पचायत समिति अथवा जिला परिषद द्वारा की जा सकेगी जो उस पचायत समिति या जिला परिषद् जैसी भी दशा हो सलाह करेगी जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण मे वह तत्समय हो तथा जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण म उसको स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव हो।

(3) कमचारी का स्थानान्तरण होने पर उसका कान्फीडेन्शियल रोल तथ सेवा का रिकाड, बिना परिहाय देरी के उस पचायत समिति के पास भेज दिय जायगा जिसको कि उसकी सेवायें स्थानान्तरित की गई हैं।

29 जिले से बाहर स्थानान्तरण —(1) एसे कमचारी का नाम ज एक जिले से दूसरे जिले मे स्थानान्तरण चाहता है अथवा जिसका इस प्रका स्थानान्तरण चाहा जाय पचायत समितियो या जिला परिषदा द्वारा, जैसी भी दशा हो कमीशन को भेज दिया जायगा। तत्पश्चात कमीशन इन नामों को एक जिला वार सूची मे प्रविष्ट करेगा।

(2) एसे कमचारी की स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति कमीशन की सिफारिश पर सम्बधित पचायत समिति अथवा जिला परिषद् द्वारा की जा सकेगी जो उस पचायत समिति या जिला परिषद्, जैसी भी दशा हो, से सलाह करगा जिसके कि प्रशासनिक नियन्त्रण मे वह तत्समय हो तथा जिसके प्रशासनिक नियन्त्रण में उसे स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव हो।

(3) इस प्रकार स्थानान्तरित किये गये कमचारी की सीनियोरिटी उसके द्वारा लगातार समान पद पर की गई मूल सेवा की निरन्तर अवधि पर उस जिले की समिति द्वारा जहा उसको स्थानान्तरित किया जाय तदय निश्चित की जायगी।

(4) किसी कमचारी का स्थानान्तरण होने पर उसका कान्फीडेन्शियल रोल

तथा सेवा का रिकाड, बिना परिहाय विलम्ब के, उस पचायत समिति/जिला परिषद के पास भेज दिया जायगा जिसको कि उसकी सेवायें स्थाना तरित की गई हो।

30 सेवा के सदस्य का सरकार के अधीन पदो पर पुन स्थाना तरण — नियम ५ के अ तगत नियुक्त किये गये व्यक्ति पचायत समिति या जिला परिषद जैसी दशा हो द्वारा सरकार के अधीन किसी पद पर, सबधित विभाग के अध्यक्ष के परामश से, पुन स्थान तरित किये जा सकेंगे बशते कि ऐसा कमचारी कमीशन द्वारा आवश्यक्ता से अधिक (Surplus) घोषित कर दिया गया है।

[1][31 वेतनमान एव महगाई भत्ता —सेवा के किसी सदस्य को अनुज्ञेय वेतनमान और महगाई भत्ता वह होगा जो सरकारी कमचारियो के तत्समान वर्ग, प्रवग या सेवा के किसी विशिष्ट प्रवग के पद के सम्ब ध में सरकार द्वारा समय समय पर नियत किया जाय।]

31 क—राज्य सरकार की अनुमति के अध्यधीन रहते हुए पचायत-समिति और जिला परिषद् सेवा के किसी सदस्य को विशेष परिस्थितियो म जिला स्थापन समिति की सिफारिश पर ऐसी वेतनवृद्धियो की स्वीकृति को समुचित बताते हुए अपरिपक्व वेतन वृद्धिया भी, कुल मिलाकर दो से अधिक नही, स्वीकार कर सकेगी।

[2][स्पष्टीकरण —सरकार द्वारा किसी स्तर पर आयोजित वार्षिक ग्रामसेवक प्रतियोगिता मे प्रथम स्थान प्राप्त करने को इस नियम के अ तगत निम्नलिखित सीमा तक अपरिपक्व वेतन वृद्धिया स्वीकार करने के लिये समुचित बनाते हुए विशेष परिस्थिति समझा जावेगा—

1	पचायत समिति स्तरीय प्रतियोगिता मे प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को	एक वेतन वृद्धि, बिना सचयी प्रभाव के
2	जिला स्तरीय प्रतियोगिता मे प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को	दो वेतन वृद्धिया, बिना सचयी प्रभाव के
3	राज्य स्तरीय प्रतियोगिता मे प्रथम आने वाले ग्रामसेवक को	एक वेतन वृद्धि, सचयी प्रभाव से
4	राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले ग्राम सेवक को	दो वेतन वृद्धिया, सचयी प्रभाव से]

---

1 वि स एफ 4/एल/पी एस/ए आर/21/78/457/जी एस आर 154 दिनाक 28 नवम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित, जो राजस्थान राजपत्र, भाग 4 (ग) I दिनाक 4 1 1979 को पृष्ठ 419 पर प्रकाशित।

2 वि सख्या F 4/PS/AR/1/59/6495 दिनाक 12 8-1969 द्वारा जोडा गया जो राजपत्र दिनाक 30 10 69 मे पृष्ठ 161 पर प्रकाशित।

भाग ६—वेतन

32 परिवीक्षा काल में वार्षिक वेतन वृद्धि (Increment)—परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा-काल मे, उसको स्वीकाय वेतन क्रम (Scale of pay) मे वार्षिक वेतन वृद्धियां, जैसे ही वे देय होगी किन्तु शत यह है कि यदि परिवीक्षा की अवधि म सतोषप्रद काय करने मे विफल रहने के कारण वृद्धि कर दी गई है तो ऐसी वृद्धि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिनी जायगी जब तक कि अवधि में वृद्धि करने वाला प्राधिकारी अन्यथा निदेश न देदे।

33 दक्षातावरोध (Efficiency bar) पार करने के लिए कसौटी —सेवा के किसी भी सदस्य को तब तक दक्षतावरोध पार नही करने दिया जायगा जब तक कि उसका काय सन्तोषजनक न रहा हो तथा उसकी ईमानदारी सन्देह से परे न रही हो।

भाग ७– अन्य प्रावधान

34 वेतन, अवकाश भत्तो पेन्शन, इत्यादि का नियमन —इन नियमो मे जैसा प्रावहित है उसको छोडकर तथा उतने समय तक कि इन मामलो में ऐसे समस्त अथवा किन्हीं भी मामलो के बारे मे पृथक नियम नहीं बना दिये जाते, सेवा के सदस्यो के वेतन भत्ते, पेन्शन, अवकाश तथा सेवा की अन्य शर्तें राजस्थान सर्विस रूल्स 1951 तथा राजस्थान ट्रेवलिंग एलाउन्स रूल्स [समय समय पर यथा सशोधित] द्वारा आवश्यक परिवर्तनो के साथ नियमित होंगे।

टिप्पणी – राजस्थान सेवा नियम के अध्याय (11) के खण्ड (4) मे वर्णित अध्ययन-अवकाश नियमो का लाभ ग्रामसेवको (साधारण सेवा) के लिये विस्तत करने का विनिश्चय किया गया है जो इस पद पर छ वर्ष की सेवा कर चुके हो, सिवाय इसके कि सरकार कारण अभिलिखित करते हुए इस अवधि को कम करके 4 वर्ष कर सकती है, ऐसे समुचित मामले मे और कृषि या पशुपालन कालेजो या ग्रामीण सस्थानो में शैक्षणिक सत्रो मे प्रवेश लेने के लिये प्रार्थी की सेवा की पूरी अवधि में 4 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये। ऐसा अवकाश किसी विशिष्ट जिले मे ग्रामसेवको की सख्या के 10% से अधिक को एक साथ स्वीकार नहीं किया जावेगा। सबधित पचायत समिति की सिफारिश पर यह अवकाश जिला स्थापन समिति स्वीकृत करेगी। अध्ययन अवकाश का अवकाश वेतन उस पचायत समिति द्वारा देय होगा जिससे वह ऐसे अवकाश पर जाता है।

34-क अध्ययन अवकाश की स्वीकृति—(1) ग्राम सेवको, प्राथमिक शाला अध्यापको और सेवा के ऐसे अन्य सदस्यो को जिन्हे सरकार द्वारा समय समय पर अधिघोषित किया जाय जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ग्रामीण सस्थानो

के शैक्षिक सत्रो मे ग्रौर ग्र य ऐसे सत्रो मे जो सरकार समय समय पर स्वीकृत करे, प्रवेश लेना चाहते हैं, निम्नलिखित शर्तो पर ग्रध्ययन ग्रवकाश ग्राह्य होगा —

(क) प्रार्थी की सम्पूर्ण सेवा की ग्रवधि मे ग्रध्ययन ग्रवकाश चार वर्ष से ग्रधिक नही होगा ग्रौर ऐसा ग्रवकाश एक बार मे किसी विशिष्ट जिले मे ग्राम सेवको, ग्रध्यापको या सेवा के ग्र य सदस्यो की वास्तविक सख्या के 10% से ग्रधिक को स्वीकृत नही किया जावेगा।

[1][पर तु यह है कि—पाच वप तक का ग्रध्ययन ग्रवकाश उन ग्राम सेवको को ग्राह्य होगा जो पशुचिकित्सा ग्रौर पशुपालन मे डिग्री कोस मे उच्चतर शिक्षा के लिये भेजे गये हैं।]

(ख) ग्रवकाश सेवा के केवल ऐसे सदस्यो को स्वीकृत किया जायगा, जि होने कम से कम छ वप की सेवा की हो सिवाय इसके कि—सरकार लिखित मे कारण ग्रभिलिखित करके समुचित मामलो मे इसे चार वप की ग्रवधि के लिये कम कर सकती है।

(ग) सेवा के ऐसे सदस्यो का जि होने 20 वष या ग्रधिक की सेवा करली है, यह ग्रवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा। पर तु सरकार 20 वष की सेवा पूरी करने वाले सेवा के सदस्य को ग्रध्ययन-ग्रवकाश स्वीकृत करने पर लगे इस प्रतिब ध को शिथिल कर सकेगी, यदि सेवा का ऐसा सदस्य ग्रवकाश से उसकी वापिसी के बाद पांच वप की ग्रवधि के लिये सेवारत रहने का या पाच व र की ग्रवधि के लिये सेवा नही कर सकने पर पचायत समिति को ग्रध्ययन ग्रवकाश का खर्चा वापिस करने का बचन देता है।

(घ) ग्रध्ययन ग्रवकाश की स्वीकृति के लिये ग्र य निब धन एव शर्तें जो राजस्थान सेवा नियम के ग्रध्याय (11) के खण्ड (4) मे वर्णित नियमो मे दी गई हैं, लागू होगी।

(2) यह ग्रवकाश सम्ब धित पचायत समिति की सिफारिश पर जिला स्थापना समिति द्वारा स्वीकृत किया जावेगा, पर तु यदि जिलास्थापन समिति पचायत समिति की सिफारिश के तीन महीने के भीतर स्वीकृति देने मे ग्रसफल रहती है या ग्रवकाश स्वीकृत करने से मना करती है, तो सरकार ऐसा ग्रवकाश स्वीकार कर सकेगी।

---

1 वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/5/70/904-14 दिनाक 19-12 1971 द्वारा जोडा गया ग्रौर राज पत्र मे दि 11 11-1971 को पृष्ठ 416(12) पर प्रकाशित।

(3) अध्ययन-अवकाश का अवकाश वेतन उस पचायत समिति द्वारा देय होगा, जिससे पचायत समिति सेवा का एक सदस्य ऐसे अवकाश पर रवाना होता है।

ꕥ '34 कक (क) 20 वय की अहक सेवा पूर्ण करने पर सेवा निवत्ति — पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी को न्यूनतम 3 माह का लिखित मे पूव नोटिस देने के पश्चात उस तारीख को, जिसको वह 20 वय की अहक सेवा पूर्ण करता है या 45 वय की आयु प्राप्त करता है जो भी पूवतर हो या उसके पश्चात् किसी ऐसी तारीख को, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा जो नोटिस मे विनिर्दिष्ट की जाय

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा क किसी सदस्य की सेवानिवृत्ति की अनुज्ञा रोक लेने के लिए स्वतन्त्र होगा

(i) जो निलम्बनाधीन हो

(ii) जिसके मामले मे अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित हो या बडी शास्ति अधिरोपित करने के लिए अनुध्यात हो और अनुशासनिक प्राधिकारी का मामले की परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए, यह विचार हो कि ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप सेवा से हटाये जाने या पदच्युति की शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।

(iii) जिसके मामले मे अभियोजन अनुध्यात है या चलाया जा चुका है,

(ख) पचायत समिति या जिला परिषद सेवा का सदस्य जिसने इस उप नियम के खण्ड (क) के अधीन सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस दिया है, सेवानिवृत्ति के नोटिस की स्वीकृति की उपधारणा कर सकेगा और सेवानिवृत्ति स्वत ही नोटिस के निबन्धनो के अनुसार प्रभावी होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके प्रतिकूल कोई आदेश लिखित मे जारी न कर दिया गया हो और पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के सदस्य को इसकी तामील नोटिस की कालावधि की समाप्ति से पूव न करदी गई हो।

(ग) यदि पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का कोई सदस्य इस उपनियम के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता हो जबकि वह देयातिरिक्त अवकाश पर हो तथा ड्यूटी पर वापस न आय तो सेवानिवृत्ति, देयातिरिक्त अवकाश के प्रारम्भ की

ꕥ वि स एफ 4/L/PS/AR/2/75/372 GSR 41 दि 21 सितम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित, जो वि स GSR 138 दिनाक 3 माच 1976 द्वारा जोडा गया था।

तारीख से प्रभावी होगी और ऐसे अवकाश की बाबत सदत्त अवकाश वेतन उससे वसूल किया जायगा।

(घ) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का कोई सदस्य जो इस उप-नियम के खण्ड (क) के अधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्ति चाहता है, 5 वप की अहक सेवा के अधिकार-भार (वेंटेज) का हकदार होगा जो उसके द्वारा वस्तुत की गई अहक सेवा के अतिरिक्त होगा। तथापि, इस पाच वप के अधिकार-भार की मजूरी निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी —

पचायत समिति या जिला परिषद के ऐसे सदस्य की बाबत जो पेंशन नियमो द्वारा शासित होता है—

(i) ऐसे मामलो मे सेवानिवृत्ति के फायदो के लिए अहक सेवा की वृद्धि 5 वप और जोडकर कर दी जाएगी। काल्पनिक सेवा को जोडने के पश्चात् सेवा की परिणामी अवधि किसी भी दशा मे 33 वप की अहक सेवा, या उस अहक सेवा, जो पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सम्बन्धित सदस्य गणनाकर्त्ता यदि वह अधिवार्षिता की आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता, उनमे से जो भी कम हो, से अधिक नही होगी।

(ii) ऐसे मामलो मे जहा उपयुक्त (i) के अधीन अहक सेवा मे वृद्धि की जाती है, वे उपलब्धिया, जो पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूव प्राप्त कर रहा था पेंशन एव उपदान के परिकलन के प्रयोजनाथ हिसाब मे ली जायेगी।

पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के ऐसे सदस्य की बाबत जो अभिदायी भविष्य निधि स्कीम द्वारा शासित होता है—

(iii) राजस्थान पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा अभिदाय (बोनस एव विशेष अभिदाय) यदि कोई हो, मे उस रकम तक की वृद्धि की जाएगी जो 5 वप की काल्पनिक सेवा के जोडे जाने पर प्रोद्भूत होता।

(iv) काल्पनिक अभिदाय, अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को या उसके पश्चात् निधि को अभिदाय किये बिना सेवानिवृत्ति की तारीख से तत्काल पूर्व दिये गए अशदाय की रकम के आधार पर, जोडा जायेगा।

(v) पूर्वोक्त रीति से की गई परिणामी वृद्धि उस अभिदाय (बोनस एवं विशेष अभिदाय) यदि कोई हो, से किसी भी दशा मे अधिक नही होगी जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा करदी जाती यदि वह

33 वप की ग्रहक सेवा पूर्ण कर या अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर जो भी कम हो, सेवानिवृत्त होता।

(vi) इस खण्ड म वर्णित 5 वर्ष की काल्पनिक ग्रहक सेवा का फायदा पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के ऐसे सदस्य को ग्रनुज्ञेय नहीं होगा जो इस नियम के उप नियम (2) के ग्रधीन सेवानिवृत्त हुआ हो।

(ड) पचायत समिति या जिला परिषद सेवा का कोई सदस्य जो उपनियम (1) के खण्ड (क) के ग्रधीन स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने का नोटिस देता है, नियुक्ति प्राधिकारी, जो उसे सेवानिवृत करने मे सक्षम हो, को इस ग्राशय का निर्देश देकर स्वय का समाधान करेगा कि उसने तथ्यत पेन्शन के लिए 20 वप की ग्रहक सेवा पूर्ण करली है।

(च) पचायत समिति या जिला परिषद् सेवा का सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी के ग्रनुमोदन से, इस उपनियम के खण्ड (क) के ग्रधीन दिया गया नोटिस वापस ले सकेगा परन्तु इस प्रकार वापस लेने की प्रार्थना नोटिस की ग्रवधि की समाप्ति से पूर्व की गई हो।

(छ) पंचायत समिति या जिला परिषद् सेवा के किसी सदस्य को सेवानिवृत्त करने मे सक्षम प्राधिकारी, योग्य मामला में, इस उपनियम के खण्ड (क) के ग्रधीन ग्रनुध्यात 3 माह से कम कालावधि का नोटिस सामुदायिक विकास एव पचायत विभाग मे सरकार की सहमति से स्वीकार कर सकेगा।

(ज) स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का नोटिस दने वाला पचायत समिति का या जिला परिषद् सेवा का सदस्य नोटिस की समाप्ति से पूव उसके खाते मे जमा ग्रव काश के लिए भी ग्रावेदन कर सकेगा जो उसे मजूर की जा सकेगी जिससे कि वह नोटिस की कालावधि के साथ साथ चल सके। ग्रवकाश की वह कालावधि, यदि कोई हो, जो नोटिस की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे बढी हुई हो परन्तु उस तारीख से आगे बढी हुई नही हो जिस पर पचायत समिति या जिला परिषद सेवा का सदस्य ग्रधिवार्षिता की ग्रायु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त होता, नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा, स्वविवेकानुसार, उसके खाते मे जमा उपार्जित ग्रव काश के परिमाण, 120 दिन से ग्रनधिक, तक सावधि ग्रवकाश के रूप में मन्जूर की जा सकेगी।

35 पेन्शन तथा प्रोविडेन्ट फन्ड —सेवा का सदस्य, सरकार द्वारा राज्य की सचनित निधि से पेन्शन पाने का हकदार होगा ग्रौर प्रत्येक पचायत समिति तथा जिला परिषद सरकार को पेन्शन के हेतु राजस्थान सर्विस रूल्स के परिशिष्ट 5 में

निर्धारित दरो के अनुसार पेन्शन सबधी अशदान देगी तथा भुगतान करेगी

किन्तु शत यह है कि—

यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नियम 5 मे निर्देश है राजस्थान सर्विस रूल्स के अन्तगत पेन्शन का लाभ पाने का हकदार न हो किन्तु जो उस पचायत समिति जिसके अधीन वह किसी पद पर नियुक्त है के गठन की तारीख से पहिले से ही पेन्शन के लाभ के बदले मे अशदायी प्रोवीडेन्ट फन्ड मे, अभिदान करता रहा है तो वह पेन्शन का हकदार नही होगा और उस अशदायी प्रोवीडेन्ट फन्ड मे फन्ड पर लागू होने वाले नियमो के अनुसार, उसमे अभिदान करता रहेगा और उस हेतु पचायत समिति या जिला परिषद् का अशदान, उस फन्ड पर लागू होने वाले प्राव धानो के अनुसार निश्चित किया जायगा।

36 एकीकरण तथा फिक्सेशन सम्बन्धी मामले—नियम 5 के अधीन नियुक्ति किये गये कमचारियो के एकीकरण, वेतन निर्धारण (Fixation), सीनियोरिटी आदि से सम्बन्धित मामले ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित किये जाए।

[37 विलोपित]

38 राज्य सेवा (State service) मे तरक्की के लिए पात्रता (Elegibility) —सेवा का सदस्य राज्य सेवाओ पर लागू होने वाले नियमो के अनुसार अगले ऊचे पदो पर नियुक्ति किये जाने या तरक्की पाने का पात्र होगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये या तरक्की दिये गये व्यक्ति उनके द्वारा सेवा मे मूलरूप से पद धारण किये जाने की अवधि को, सीनियोरिटी के प्रयोजनो हेतु गिनेंगे। वे ऐसी अवधि को, राजस्थान सर्विस रूल्स के प्रावधानो के अनुसार पेन्शन के प्रयोजनो के लिए भी गिनेंगे।

×[परन्तु यह है कि—पचायत समितियो के प्राथमिक विद्यालयो के तृतीय श्रेणी के अध्यापक राज्य सरकार के अधीन शिक्षा विभाग में तत्समान पदो पर स्थानान्तर के लिये पात्र होगे।]

××[39 प्रशिक्षण के दौरान असन्तोषजनक प्रगति—यदि सेवा का एक सदस्य पचायत समिति/जिला परिषद या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित किये

× वि स एफ 189/16/1/PD/Adm70/3915 दिनाक 13 3 1970 द्वारा जोडा गया, जो राजपत्र मे दि 1 3 3 1970 को पृष्ट 56 पर प्रकाशित हुआ।

×× वि स एफ 4 A/L/PS/AR/2/70/1285 दि 5-6-1960 द्वारा जोडा गया, जो राजपत्र दि 6-6-1970 में पृष्ठ 57 पर प्रकाशित हुआ।

जाने के बाद प्रशिक्षण मे भाग लेने मे असफल रहता है या उपरोक्त प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के बाद अध्ययन को सतोषप्रद रूप से प्राप्त करने मे या प्रशिक्षण को पूरा करने में या ऐसे प्रशिक्षण की विहित परीक्षा मे बैठने में और उत्तीर्ण होने में बिना किसी समुचित और युक्तियुक्त कारण मे असफल रहता है, तो वह ऐसे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त की गयी छात्रवृत्ति, यदि कोई हा, की राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा अनुशासनिक कार्यवाही के लिये भी दायी होगा ।]

अस्थाई कर्मचारियों का स्थायीकरण

राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् अधिनियम

धारा 86, उप धारा (8-क)

"(8-क)—उप धारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) मे किसी बात के होते हुए, समस्त व्यक्ति जो राजस्थान पचायत समिति एव जिला परिषद् (सशोधन) अधिनियम 1976 के प्रवृत्त होने के पहले अस्थायी रूप से सेवा मे सवर्गित पदो पर नियुक्त किये गये थे, जो इस उपधारा के प्रवृत्त होने पर कम से कम दो वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी कर चुके हैं, उनको ऐसे प्रवृत्त होने के दिनाक से उन पदों पर अधिष्ठायी नियुक्त किया जावेगा जिन पर वे अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये थे।"

उपरोक्त सशोधन दि 14-12-76 से प्रवृत्त हुआ, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (क) दि 14-12-76 मे पृष्ठ 233 (1977 RLT-I-1) पर प्रकाशित हुआ । अत 14-12-76 से पहले के समस्त अस्थाई कर्मचारी अपने पदो पर 14-12-76 से अधिष्ठायी (Substantive) अर्थात्-स्थायी (Confir med) कर दिये जावेंगे । इसके लिये नियमानुसार स्थायी समिति निर्णय का प्रस्ताव पारित करेगी तथा आज्ञा जारी की जावेगी । यह आज्ञापक (अनिवार्य) रूप से करना होगा ।

अनुसूची

(देखिये नियम 4, 6, 11, 20 तथा 21)

क स	पद का वग तथा श्रेणी (ग्रेड) (यदि कोई हो)	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अहताए	वह पद जिस पर से तरक्की द्वारा नियुक्ति की जा सकती हैं	तरक्की के लिए अपेक्षित न्यूनतम अनुभव एवं अहताए	रिमार्क्स
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाए	मेट्रिक, वेसिक तथा प्रसार दोनो में प्रशिक्षित, ग्राम सेवक के लिये और गृह विज्ञान मे ग्राम सेविका के लिये, सिवाय उनके जो 1-4-56 के पहले भर्ती हुए— (i) मेट्रिक अप्रशिक्षित, या (ii) नॉन मेट्रिक, वेसिक व प्रसार दोनो में प्रशिक्षित ग्राम	ग्राम सेवक तथा ग्राम सेविकाए	ग्राम सेवक (1) 5 वष की सेवा। उत्पादक प्रोग्राम में तथा जनता का योगदान प्राप्त करने मे मिली सफलताओ के लिए प्राथमिकता दी जायगी। (2) वेसिक तथा एक्सटेंशन ट्रेनिंग दोनो मे प्रशिक्षण,	

1	2	3	4	5	6
		सेवक के लिये, या गृह विज्ञान ग्राम सेविका के लिये, या (iii) मिडिल पास या भारतीय सेना II श्रेणी, भूतपूर्व सैनिकों के लिये।		सिवाय उन ग्राम सेवकों के जो 1-4-56 से पहले भर्ती हुए हो तथा जिन्होंने कम से कम एक्सटेंशन की ट्रेनिंग ली हो। ग्राम सेविका— (3) 3 वर्ष की सेवा गृह विज्ञान विंग मे प्रशिक्षित।	

क्र स	पद का वर्ग	सीधी भर्ती के लिये अहतायें
1	2	3

2 प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक   मेट्रिक प्रशिक्षित

[1]नोट—महिला उम्मीदवारो की सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हता मेट्रिक तथा एस टी सी प्रशिक्षित या राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित मेट्रिक के समतुल्य घोषित कोई भी अन्य अहता होगी ।

परन्तु डू गरपुर बासवाडा के जन जाति जिलों मे और बाडमेर तथा जैसलमेर के रेगिस्तानी जिलो मे महिला उम्मीदवारो के उपलब्ध नही होने की दशा मे न्यूनतम अहता अप्रशिक्षित मेट्रिक या उसके समतुल्य हो सकेगी ।

[2][3 फील्डमैन 4 पशुचिकित्सा कम्पाउन्डर 5 कुक्कुट पालन प्रदशक]

6 स्टाक मैन तथा स्टाक असिस्टेन्ट –

मैट्रिक साइन्स विषय सहित, भेड पालन तथा उत्पादन में 6 महीने की ट्रेनिंग सहित ।

[2][7 भेड तथा ऊन पयवेक्षक 8 ट्रेसर 9 टीका लगाने वाले]

10 वरिष्ठ लिपिक (जिसमे लेखालिपिक, आशुलिपिक सम्मिलित हैं—
कनिष्ट लिपिक का 7 वर्ष का अनुभव तथा मैट्रिक होना चाहिये, यदि स्नातक हो तो तीन वर्ष का अनुभव । लेखालिपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई लेखालिपिक परीक्षा उत्तीण होना चाहिये ।
कनिष्ट लिपिक (टकण लिपिक सहित)—

मैट्रिक होने चाहिये या हिन्दी अथवा सस्कृत में ऐसी योग्यतायें प्राप्त हो, जो कमीशन के द्वारा मेट्रिक के बराबर मान ली गई हैं । टकण (टाइप) की योग्यता वालो को प्राथमिकता मिलेगी ।

11 ड्राइवर—हिन्दी जानने वाले तथा ड्राईविंग लाइसेन्स शुदा ।
[2][12 प्रोजेक्टर चालक 13 मेट (उद्योग)]

---

1 वि स एफ 4/एल /पी एस /ए आर /20/78/459 जी एस आर 153 दि 22 नवम्बर 1978 द्वारा प्रतिस्थापित जो राजपत्र दि 4 1 1979 के पृष्ठ 419 पर प्रकाशित ।

2 ये पद अब पचायत समितियो मे नही हैं ।

[3]14 ग्र प पचायत सचिव

(1) मेट्रिक, तीन मास के पचायत सचिव के प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियो को प्राथमिकता दी जावेगी, या

(ii) मेट्रिक, ग्रामसेवक के लिये बेसिक एव प्रसार दोनो में प्रशिक्षित, या

(iii) मिडिल पास, ग्रामसेवक के लिये बेसिक एव प्रसार दोनो मे प्रशिक्षित

[4]15 कार्यालय सहायक—"राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम" मे दिये गये तरीके के अनुसार।

---

3 वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/13/67/12863 दिनांक 30 11 1967 द्वारा जोडा गया।

4 वि सख्या एफ 4/L/PS/AR/RS/1840–49 दिनाक 29 4 1971 द्वारा निविष्ट।

5

[1]राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एव सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1963

[Rajasthan Class IV Services (Recruitment and Other Service Conditions) Rules, 1963]

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल राजस्थान चतुथ श्रेणी सेवा के पदो पर भर्ती तथा इसमे नियुक्त व्यक्तियो की सेवा की शर्तों को विनियमित करने हेतु इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

भाग (1) सामान्य नियम

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—इन नियमो का नाम "राजस्थान चतुथ श्रेणी सेवा (भर्ती एव सेवा की अन्य शर्तें)" नियम 1963[2] है, ये तुरन्त प्रवृत्त होगे ।

2 परिभाषायें—जबतक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमो मे—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है, कार्यालय का अध्यक्ष या वह अधिकारी जिसे कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की गई है ।

[3](ख) "राजपत्र" से राजस्थान-राजपत्र अभिप्रेत है, जो राज्य सरकार के प्राधिकार के अधीन तत्समय प्रभावी किसी विधि के अनुसरण मे प्रकाशित किया जाता है ।

---

1 वि स एफ 1 (21) नियुक्ति (क-2) 62 दिनाक 8 जुलाई 1963, राजस्थान राजपत्र असाधारण, भाग 4 (ग) दिनाक 12 7-1963 में तथा प्राधिकृत हिन्दी पाठ 30 अप्रेल 1975 तक सशोधित-राजपत्र दिनाक 20-5-1976 पृष्ठ 162 पर प्रकाशित ।

2 "1962' के लिये वि स एफ 1 (21) नियुक्ति (क-5) 62 दिनाक 12 8 1965 द्वारा प्रतिस्थापित ।

3 खण्ड (ख) दिनाक 15 7-63 से प्रभावशील होना समझा गया ।

[4](ग) "कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 3 के अधीन कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में अधिघोषित किया जाय।

(घ) 'सेवा का सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित नियमों या आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन सेवा में किसी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किया गया हो और इसके अन्तर्गत परिवीक्षा पर रखा गया व्यक्ति भी आता है।

(ङ) सेवा' से अभिप्रेत है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा,

(च) 'अनुसूची' से अभिप्रेत है, इन नियमों की अनुसूची,

[4](छ) 'अधिष्ठायी नियुक्ति' से अभिप्रेत है, इन नियमों में विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक चयन किया जाकर किसी अधिष्ठायी रिक्त पद पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गई कोई नियुक्ति और इसके अन्तर्गत है, परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन के रूप में की गई कोई नियुक्ति यदि उस पर परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण कर दिया जाय।

टिप्पणी —अभिव्यक्ति "इन नियमों में विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक चयन किया जाकर" में, आवश्यक अस्थायी नियुक्ति को छोड़कर सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किसी नियम के उपबन्धों के अनुसार की गई भर्ती सम्मिलित है।

(ज) 'सेवा या अनुभव"—जहां कहीं इन नियमों में एक सेवा से दूसरी में या उसी सेवा में एक प्रवर्ग (कैटेगरी) से दूसरे में या वरिष्ठ पदों पर अधिष्ठायी रूप से ऐसे पदों को धारण करने वाले व्यक्ति के मामले में, (सेवा या अनुभव) पदोन्नति के लिये एक शर्त के रूप में विहित है उसमें वह अवधि भी सम्मिलित होगी, जिसमें उस व्यक्ति ने अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बने नियमों के अनुसार नियमित भर्ती के बाद उस पदों पर लगातार कार्य किया है और इसमें वह अनुभव भी सम्मिलित होगा, जो उसने स्थानापन्न, अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति द्वारा अर्जित किया है, यदि ऐसी नियुक्ति पदोन्नति की नियमित पंक्ति में की गई हो और वह स्थानपूर्ति के लिये

---

4 वि स एफ 1 (21) नियुक्ति (क-2) 62 दिनांक 12 8 65 द्वारा निम्न के लिये प्रतिस्थापित—"कार्यालयाध्यक्ष" से वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे नियुक्ति के अधिकार प्रत्यायोजित कर दिये गये हों।

या आकस्मिक प्रकार की या किसी विधि के अधीन प्रवृत्त नहीं हो तथा उसमे किसी वरिष्ठ कर्मचारी का अतिष्ठन अन्तर्वलित न हो, सिवाय जब कि—या तो विहित शैक्षणिक और अन्य योग्यताओ की कमी अयोग्यता या योग्यता द्वारा अचयन या सम्बन्धित वरिष्ठ कर्मचारी के दोष [या जब ऐसी तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति वरिष्ठता सह योग्यता के अनुसार थी], जिसके कारण से ऐसा अधिष्ठन हुआ हो।

टिप्पणी—सेवा के दौरान अनुपस्थिति जैसे प्रशिक्षण और प्रतिनियुक्ति आदि, जो राजस्थान सेवा नियम के अधीन 'कर्तव्य' मानी जाती है, भी पदोन्नति के लिये आवश्यक न्यूनतम अनुभव या सेवा की सगणना के लिये सेवा के रूप मे सगणित की जावेगी।

3 निवचन—जब तक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सख्या 8) इन नियमों के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

भाग (2) सवर्ग (कडर)

4 सेवा का गठन एव पदो की सख्या—(1) सेवा मे सम्मिलित पदो का स्वरूप वह होगा, जैसा कि—अनुसूची के स्तम्भ 2 मे विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) सेवा की प्रत्येक ग्रेड मे पदो की सख्या उतनी होगी जितनी सरकार समय समय पर तय करे, परन्तु सरकार—

(क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद समय समय पर सृजित कर सकेगी, और

(ख) किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का प्रतिकर पाने का हकदार बनाए बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद को समय समय पर खाली रख सकेंगी उसको प्रतिस्थापित रख सकेगी या उसको तोड सकेगी।

5 सेवा का गठन—सेवा मे निम्नलिखित व्यक्ति होगे—

(क) अनुसूची I मे विनिर्दिष्ट पदो को अधिष्ठायी रूप मे धारण करने वाले व्यक्ति

(ख) इन नियमो के प्रारम्भ होने से पूर्व सेवा मे भर्ती किये गए व्यक्ति, और

(ग) इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार सेवा मे भर्ती किये गये व्यक्ति

भाग (3) भर्ती

6 भर्ती के तरीके—इन नियमो के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा मे भर्ती निम्नलिखित तरीको से होगी —

(क) इन नियमो के भाग (4) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, और

(ख) किसी कर्मचारी का, तत्समान पद पर, एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तर द्वारा,

[1](ग) कार्य प्रभारित वर्कचार्ज कर्मचारियों के आमेलन द्वारा,

[2](घ) अंशकालिक (पार्ट टाइम) कर्मचारियों के आमेलन द्वारा

परन्तु इन नियमो की कोई बात ऐसे कर्मचारियो को जो पुनर्गठन पूर्व के अजमेर, बम्बई और मध्य भारत राज्यो मे पहले से ही नियोजित थे, अनुसूची I में विनिर्दिष्ट उपयुक्त पदों पर उनकी सेवाओ के एकीकरण सम्बन्धी नियमो के अनुसार नियुक्ति करने से कार्यालय के अध्यक्ष को प्रवारित नही करेगी।

6-क इन नियमो में किसी बात के होते हुए भी आपातकाल के दौरान सेना/वायुसेना/नौ सेना मे कार्यग्रहण करने वाले व्यक्ति की भर्ती नियुक्ति, पदोन्नति वरिष्ठता और स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशो और अनुदेशो से विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा, समय समय पर, जारी किये जाए परन्तु यह तब जब कि भारत सरकार द्वारा इस विषय मे जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार, आवश्यक परिवर्तन सहित विनियमित किया जाय।

7 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये रिक्तियों का आरक्षण--

[कृपया पीछे पृष्ठ 25 पर नियम 8 या पृष्ठ 116 पर नियम 6 देखिये। जो समान भाषा मे एकरूप हैं।]

7-क रिक्तियों का अवधारण--

[कृपया पीछे पृष्ठ 26 पर नियम 9 देखिये, जो समान भाषा में एकरूप हैं]

8 राष्ट्रीयता--[कृपया पीछे पृष्ठ 27 पर नियम 10 या पृष्ठ स 217 पर नियम 7 देखिये, जो समान भाषा मे एकरूप हैं]

8 क--[कृपया पीछे पृष्ठ 28 पर नियम 10-क या पृष्ठ 119 पर नियम 7 क देखिये, जो समान भाषा मे एकरूप हैं]

---

1 वि सख्या एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दिनांक 20-9-75 द्वारा निविष्ट।

2 वि सख्या एफ 5 (1) DOP/A-2/78 G S R 28 दि 19-9 78 द्वारा जोडा गया।

9 आयु—अनुसूची मे प्रगणित किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी आवेदन पत्रो की प्राप्ति के लिये नियत अन्तिम दिनाक के बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिये, लेकिन 28 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नही होना चाहिये,

परन्तु —

(i) असाधारण मामलो मे कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष से परामर्श कर ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकेगी,

(ii) महिला अभ्यर्थियो अनुसूचित जातियो या अनुसूचित जन जातियो के अभ्यर्थियो के मामले में ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा मे 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी

(iii) भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियो और रिजर्विस्ट अर्थात प्रतिरक्षा सेवा के कर्मचारियो के लिये जिनको रिजर्व मे अन्तरित कर दिया गया था, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी,

(iv) अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्तियो की आयु सीमा मे ही समझा जायगा यदि वे आरम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा मे थे चाहे उन्होने आयोग के समक्ष अन्तिम रूप से उपस्थित होने के समय आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी आरम्भिक नियुक्ति के समय उपरोक्त रूप मे आयु सीमा मे पात्र थे तो उन्हे दो तक अवसर प्रदान किये जायेंगे,

(v) कैडिट प्रशिक्षको के मामले मे ऊपर वर्णित अधिकतम आयु सीमा मे एन सी सी मे की गई सेवा की कालावधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हे विहित आयु सीमा मे समझा जाएगा,

(vi) उन व्यक्तियो के मामलो मे जो विहित अधिकतम आयुसीमा से अधिक आयु के होने पर 1-4-1973 से पूर्व नियुक्त किये गये हैं, अधिकतम आयु सीमा मे सरकार 40 वर्ष की आयु तक की छूट दे सकेगी,

(vii) आयोग के क्षेत्र मे नही आने वाले पदो पर भर्ती हेतु उन व्यक्तियो की जिनकी राज्य सरकार की सेवा से रिक्ति न होने के कारण या पद की समाप्ति के कारण छटनी कर दी गई थी, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी यदि वे उस पद पर जिस पर से उनकी प्रथमत छटनी की गई है, आरम्भिक नियुक्ति के समय, विहित आयु सीमा मे ही थे परन्तु यह तब जब कि वे, अर्हता, चरित्र, स्वस्थता आदि के सम्बन्ध मे भर्ती के लिये विहित सामान्य माध्यमो की पूर्ति करते हो तथा उनकी छटनी

शिकायत या अपचार के आधार पर नही हुई हो, तथा वे अन्तिम नियुक्ति प्राधिकारी से, अच्छी सेवा का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दें।

(viii) 1-3-1963 को या इसके बाद और 1 11-64 को वर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशो—केनिया, टागानिका, युगाण्डा और जजीबार से वापस लौटाये गये (आव्रजित) व्यक्तियो के लिये उपरोक्त आयुसीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जावेगी और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियो के मामले मे पाच वर्ष की छूट और दी जायेगी

(ix) पूर्वी अफ्रीकी देशो—केनिया, टाग्यानिका, युगाण्डा और जजी बार स वापस लौटाये गये व्यक्तियो के मामला मे कोई आयु सीमा नही होगी।

(x) उपरोक्त आयु सीमा एक भूतपूर्व कैदी के मामले मे लागू नही होगी जो उसकी दोष सिद्धि के पूर्व किसी पद पर सेवा कर चुका हो और नियमो के अधीन *नियुक्ति के लिये पात्र था।*

(xi) अन्य भूतपूर्व कैदियो के मामले मे उपरोक्त वर्णित आयु सीमा को उसके द्वारा भोगे गये कारावास की अवधि के बराबर शिथिल कर दिया जायेगा, परन्तु यह है कि—वह उसकी दोष सिद्धि से पहले अधिकायु नही था तथा नियमो के लिये पात्र था।

(xii) निर्मुक्त आपात कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियो तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियो को सेना से निर्मुक्त होने के बाद आयु सीमा के भीतर माना जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष उपस्थित होने पर उस आयु सीमा को पार कर चुके हो, यदि वे सेना मे कमीशन मे प्रवेश के समय इसके लिय पात्र होते।

10 शैक्षणिक योग्यताए—अनुसूची मे विनिर्दिष्ट पदो पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताए होगी—

(i) अनुसूची के स्तम्भ 4 मे दी गई अर्हताए, और

(ii) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान।

11 आवेदन का प्रारूप—आवेदन अनुसूची II मे दिये गये प्रारूप मे किया जायगा।

12 चरित्र—सेवा मे सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिये अर्हित बनाता हो। उसे एक उत्तरदायी व्यक्ति का, जो उसका रिश्तेदार नही हो, एक सच्चरित्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।

टिप्पण—[कृपया पीछे पृष्ठ 35 पर नियम 13 के नीचे या पृष्ठ 122 पर नियम 11 के नीचे की टिप्पणिया देखिये, जो समान भाषा में हैं]

13 शारीरिक योग्यता— सेवा मे सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एव शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये और उसमे किसी भी प्रकार का ऐसा मानसिक एव शारीरिक दोष नही होना चाहिये जो उसके सेवा के सदस्य के रूप मे अपने कर्त्तव्य का दक्षता पूवक पालन करने मे बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाए तो उसे राजस्थान सरकार के कायकलापो के सम्बध मे नियोजित किसी भी चिकित्सा धिकारी का इस बारे मे एक प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करना चाहिये।

भाग (4) सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया

14 भर्ती के स्रोत--सेवा के पद पर सीधी भर्ती के लिये नियुक्ति प्राधिकारी स्थानीय नियोजन कार्यालय से अभ्यर्थियो की एक सूची मगायेगा। यदि नियोजन (रोजगार) कार्यालय से अनुपलब्धता का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए, तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी अन्य रीति से जैसा कि कार्यालय का अध्यक्ष उचित समझे, पद भरे जा सकेंगे,

परन्तु रिक्त पदो के लिए अभ्यर्थियो का चयन करते समय नियुक्ति प्राधिकारी वष के दौरान होने वाली अतिरिक्त आवश्यकता के लिये भी उपयुक्त व्यक्तियो का चयन कर सकेगा।

15 आवेदन पत्रो की सवीक्षा—नियुक्ति प्राधिकारी उन आवेदन पत्रो की सवीक्षा करेगा जो उसे प्राप्त हुए हो और इन नियमो के अधीन नियुक्ति के लिये अर्हित उतने अभ्यर्थियो से जितने उसे साक्षात्कार के लिये वाछनीय प्रतीत हो, अपने समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा,

परन्तु किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के बारे मे नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

16 अभ्यर्थी का चयन--नियम 8 के उपबन्धो के अन्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की जिन्हें वह सम्बन्धित पदो पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझता है एक सूची योग्यता क्रमानुसार तैयार करेगा और उन्हे उसी क्रम मे नियुक्त करेगा।

किसी अभ्यर्थी का नाम सूची मे सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे समाधान न हो जाय कि— ऐसा अभ्यर्थी सेवा मे नियुक्ति के लिये अन्य सब प्रकार से उपयुक्त है।

भाग (5)—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17 चयन की कसौटी--अनुसूची I के स्तम्भ 5 मे प्रगणित पदो के धारक व्यक्ति अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 म विनिर्दिष्ट पदो के लिये वरिष्ठता एव

योग्यता के आधार पर पदोन्नति के पात्र होंगे। पदोन्नतियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनके स्वास्थ्य, योग्यता, तत्परता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए, विभाग के अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी।

17–क—किसी व्यक्ति के बारे में पदोन्नति के लिये तब तक विचार नहीं किया जायगा जब तक कि उसे ठीक नीचे के पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर स्थायी न कर दिया गया हो। यदि ठीक नीचे के पद का कोई भी अधिष्ठायी व्यक्ति पदोन्नति के लिये पात्र न हो, तो वे व्यक्ति जो भर्ती के तरीकों में से किसी एक के अनुसार या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं सेवा नियमों के अधीन चयन के पश्चात् ऐसे पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए हैं, उनके बारे में उसी वरिष्ठता क्रम में केवल स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति के लिये विचार किया जा सकेगा, जिसमें वे होते यदि वे उक्त नीचे के पद पर अधिष्ठायी होते।

[1]स्पष्टीकरण—किसी विशिष्ट वर्ष में जब पदोन्नति द्वारा नियमित चयन से पहले ही किसी पद पर सीधी भर्ती कर ली गयी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो उस पद पर भर्ती के दोनों तरीकों से नियुक्ति के लिये पात्र है या थे और पहले सीधी भर्ती से नियुक्त कर दिये गये हैं, पदोन्नति के लिये विचार में लाये जायेंगे।

[2]17–ख कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आमेलन की प्रक्रिया—इन नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जो व्यक्ति किसी विभाग में दैनिक भुगतान या आकस्मिक कार्य प्रभार (वर्क चार्ज्ड) के आधार पर पहले ऐसे पदों पर नियोजित किये गये थे जो प्रारम्भ में ही स्वीकृत थे और नियमित स्थापन पर ले आये गये हैं, वे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समीक्षा (स्क्रीनिंग) के बाद केवल एक बार उन पदों पर जो प्रशासनिक विभाग में सरकार द्वारा समतुल्य घोषित किये जाय, आमेलित तथा नियुक्त किये जायेंगे, यदि उन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन कम से कम दो वर्ष की सेवा कर ली है, जिस वर्ष में कार्य प्रभारित पदों को प्रारम्भिक रूप से नियमित पदों में परिवर्तित किया गया है और उनकी उपयुक्तता का विनिश्चय ऐसे तरीके से करली गई है, जो सरकार किसी आज्ञा से साधारणतया या विशेषतया निर्देशित करे।

स्पष्टीकरण—"कार्य प्रभारित कर्मचारियों" शब्दावली का वही समान अर्थ होगा, जो "राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) मय बागान,

---

1 वि स प 7(1) कार्मिक (क-2) 75 दिनांक 20-9 1975 द्वारा जोड़ा गया।

2 वि स प 4(1)DOP/A-2/73 दिनांक 20 9 75 द्वारा जोड़ा गया।

सिंचाई जल प्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभाग काय प्रभारित कमचारी सेवा नियम 1964" में परिभाषित किया गया है।

[1]17–ग–अ शकालिक कमचारियो के आमेलन की प्रक्रिया––इन नियमो मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी वे व्यक्ति जो किसी विभाग मे ऐसे पदो पर जो आरम्भ में स्वीकृत किये गये और (बाद मे) नियमित स्थापन पर ले आये गये अश कालीन (पाट टाइम) आधार पर पहले नियुक्त किये गये थे और जो ऐसे पद पर काय कर रहे हैं, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सवीक्षा के बाद ऐसे पदों पर जो प्रशासनिक विभाग मे सरकार द्वारा समकक्ष घोषित किये जाय, केवल एक बार आमेलित तथा नियुक्त किये जा सकेंगे, यदि 1 4-78 को उन्होंने कम से कम दो वष की सेवा कर ली हो या जो 1 4 76 के पहले नियुक्त किये गये थे और उनकी उपयुक्तता का उस तरीके से विनिश्चय करने के बाद, जसा कि सरकार एक आज्ञा द्वारा साधारणतया या विशेषतया निर्देशित करे।

18 अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्तिया––(1) सेवा मे की रिक्ति, जिसे इन नियमो के अधीन सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा तत्काल नही भरा जा सके यथा-स्थिति सरकार या नियुक्ति करने मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकारी की स्थानापन्न रूप से नियुक्ति करके जो पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का पात्र हो या अस्थायी रूप से ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करके, जो सेवा मे सीधी भर्ती का पात्र हो, जहा एसी सीधीभर्ती के लिये इन नियमों के उपबन्धो के अधीन उपबधित किया गया हो, भरी जा सकेगी

[2][परन्तुक––XX विलोपित XX]

[3](2) पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले उपयुक्त व्यक्तियो की अनुपलब्धता की दशा मे उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन वाछित पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों मे किसी बात के होते हुए भी, सरकार अर्जेंट अस्थायी आधार पर रिक्तियो को भरने के लिये, वेतन व अन्य भत्तो सम्बन्धी ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धो के साथ जो वह निर्देशित करे, अनुमति प्रदान करने के लिये सामान्य निर्देश दे सकेगी,

---

1 वि स प (1) DOP/A-II/78, G S R 28, दिनाक 19 सितम्बर 1978 द्वारा जोडा गया।

2 वि सख्या प 4 (1) DOP/A-2/74 II दिनाक 21 7 1976 द्वारा निविष्ट।

ऐसी नियुक्तियां, येनकेन, उक्त उपनियम में वांछित के अनुसार आयोग की सहमति के अध्यधीन होगी ।[3]

19 वरिष्ठता—सेवा के प्रत्येक प्रवर्ग में वरिष्ठता उस विशिष्ट प्रवर्ग के किसी पद पर की गई अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार अवधारित की जायगी

परन्तु (1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पहले ही तथा/अथवा राजस्थान राज्य के पुनर्गठन के पहले सेवाओं के एकीकरण की प्रक्रिया में या राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा स्थापित नये राजस्थान राज्य की सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, विभाग के अध्यक्ष द्वारा तदर्थ आधार पर अवधारित, उपांतरित या परिवर्तित की जायगी,

(2) किसी विशिष्ट ग्रेड के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता ऐसे व्यक्तियों के सिवाय जिनको रिक्ति पर नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा गया किन्तु जो सेवा में उपस्थित नहीं हुये, उसी क्रम में रहेगी जिसमें उनको नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची में रखा गया है ।

[1](3) नियम 17 क के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस पद पर या समतुल्य पद पर जिस पर वे ऐसी नियुक्ति से पहले कार्य कर रहे थे, लगातार कार्य करने के दिनांक के अनुसार विनिश्चित की जावेगी

[2](4) विभिन्न श्रेणी के पदों को, जिनसे उच्चतर पदों पर पदोन्नति इन नियमों में उपबन्धित है, धारण करने वालों की एकीकृत वरिष्ठता पदों की निम्नतम श्रेणी (कटेगरी) पर अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष के अनुसार संगणित की जावेगी ।

[3](5) नियम 17 (ग) के अधीन नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उस पद पर, जिस पर वे ऐसी नियुक्ति से पहले कार्य कर रहे थे, लगातार कार्य करने की दिनांक के अनुसार विनिश्चित की जावेगी ।

---

3 वि सख्या प 7 (7) कार्मिक/क-2/75 दिनांक 31 10 1975 द्वारा विलोपित ।

1 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दिनांक 20-9-75 द्वारा जोड़ा गया ।

2 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/73 दि 21-7-76 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 23-10-75 से प्रभावी ।

3 वि स एफ 4 (1) DOP/A-2/78 दि 19 सित 1978 द्वारा जोड़ा गया ।

20 परिवीक्षा की अवधि--

[1][सेवा मे किसी अधिष्ठायी रिक्ति के विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त समस्त व्यक्तियो को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा और उनको जो सेवा में पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा अधिष्ठायी रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त किये गये है, एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा]

परन्तु यह है कि--

(i) उनमे से ऐसे व्यक्तियो के लिये जिन्होने पदोन्नति/विशेष चयन द्वारा या सीधी भर्ती द्वारा अधिष्ठायी रिक्ति के विरुद्ध उनकी नियुक्ति से पहले उस पद पर अस्थायी रूप से स्थानापन्न कार्य किया, जो बाद मे नियमित चयन द्वारा अनुसरित हुआ, उनको नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को परिवीक्षा की अवधि मे सगणित करने की अनुमति दी जा सकेगी। येन केन, यह किसी वरिष्ठ व्यक्ति का अतिष्ठा अन्तर्वलित होना या भर्ती म सम्बन्धित कोटा या आरक्षण मे उनकी प्राथमिकता को अस्त व्यस्त करना नही माना जावेगा।

(ii) ऐसी नियुक्ति के बाद ऐसी अवधि जिसमे कोई व्यक्ति किसी समान पद या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रहा हो, तो वह अवधि परिवीक्षा की अवधि मे सगणित की जावेगी,

(2) उप नियम (1) में वर्णित परिवीक्षा की अवधि के दौरान, प्रत्येक परिवीक्षाधीन को ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और ऐसे प्रशिक्षण मे जाने के लिये कहा जा सकता है, जैसा सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण—ऐसे व्यक्ति के मामले म जो मर जाता है या अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के कारण सेवा नियुक्त होने वाला है, उसकी परिवीक्षा की कालावधि घटाकर उसकी मृत्यु के या सरकारी सेवा से निवृत्त होने के ठीक पहले वाले दिन के एक दिन पहले समाप्त हुई समझी जायगी। स्थायीकरण से सम्बन्धित नियम म विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त मृत्यु अथवा सेवा निवृत्ति के मामले मे अधित्यक्त समझी जायगी।

[2]20 क—नियम 21 मे किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी

1　वि स प 1 (35) कार्मिक/क–2/74 दि 9-4-79 द्वारा प्रतिस्थापित।

2　वि स एफ 1 (14) T70 दिनाक 16-9-71 द्वारा निविष्ट तथा समसख्यक दिनाक 22-1-74 तथा वि स एफ 7(7)DOP/A II/74 दि 28 12 74 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र दि 20 5 76 मे हिन्दी पाठ मे इसे नियम "21 क" के रूप मे दिया गया है, जो गलत है।

द्वारा 6 माह की कालावधि के भीतर यदि स्थायीकरण का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता है, तो अस्थायी या स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने भर्ती के किसी भी तरीके से हुई अपनी नियमित भर्ती की तारीख के पश्चात दो वर्ष का या उन लोगो के मामले मे कम का जो पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये हैं और जहां परिवीक्षा की कालावधि कम विहित की गई है, उसी प्राधिकारी के अधीन उसी पद पर या किसी उच्चतर पद पर सेवाकाल पूरा कर लिया हो यदि वह प्रतिनियुक्ति पर न जाता या प्रशिक्षणाधीन न होता तो इस प्रकार कार्य करता स्थायी रिक्तियां होने पर नियमो के अधीन विहित कोटा के तथा उसकी वरिष्ठता से अध्यधीन रहते हुए स्थायी माने जाने का हकदार होगा यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति नियमो के अधीन स्थायीकरण की विहित शर्तें पूरी कर ले,

परन्तु यदि कर्मचारी का कार्य संतोषप्रद नही रहा है या उसने स्थायीकरण के लिए विहित शर्तें, यथा-विभागीय परीक्षा, प्रशिक्षण या पदोन्नति सवर्ग पाठ्यक्रम आदि उत्तीर्ण करना, पूरी न की हो तो उपयुक्त कालावधि उस सीमा तक जो कि राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम 1959 और किन्ही अन्य नियमो के अधीन परिवीक्षा के लिये विहित है या एक वर्ष जो भी विहित शर्तों को पूरा करने मे या सन्तोष कराने मे असफल हो जाता है तो वह ऐसे पद से ठीक उस तरीके से जिस तरीके से एक परिवीक्षाधीन व्यक्ति सेवोन्मुक्त किये जाने के या उसके अधिष्ठायी अथवा निचले पद पर, यदि कोई हो, जिसके लिये वह हकदार हो, प्रतिवर्तित किये जाने के दायित्वाधीन होगा

परन्तु यह और कि—उक्त कालावधि के दौरान उसके सन्तोषप्रद कार्य निष्पादन के विरुद्ध यदि उसे कोई कारण संसूचित नही किया गया तो सेवा को उक्त कालावधि के पश्चात स्थायीकरण से उसे विवर्जित नही किया जा सकता।

(ख) खण्ड (क) के द्वितीय परन्तुक मे निर्दिष्ट किसी कर्मचारी का स्थायी न किये जाने के कारणों को यदि कर्मचारी अराजपत्रित हैं, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस कर्मचारी की सेवा-पुस्तिका मे तथा गोपनीय प्रतिवेदन पत्रावली मे तुरन्त अभिलिखित करेगा तथा राजपत्रित अधिकारी की दशा में, उन कारणो से, महालेखाकार राजस्थान को संसूचित करेगा तथा उस अधिकारी की गोपनीय प्रतिवेदन पत्रावली में अभिलिखित करेगा। इन सभी मामलो मे लिखित रसीद अभिलेख मे रखी जायेगी।

स्पष्टीकरण--(1) इन नियमो के प्रयोजनार्थ 'नियमित भर्ती' से अभिप्रेत है भर्ती के किसी भी तरीके से की गई नियुक्ति या सेवा के प्रारम्भिक गठन के समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं सेवा नियमो के अनुसार की गई नियुक्ति या उन पदो पर की गई नियुक्ति जिनके लिये

कोई सेवा नियम विद्यमान नही है, यदि पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र मे है तो भर्ती उनके परामश से की गई है लेकिन इसमे अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति, तदथ नियुक्ति या ऐसी अस्थायी या धारणाधिकार के अधीन रिक्तियो पर जो वर्षानुवष पुनरावलोकन एव पुनरीक्षण के दायित्वाधीन है, स्थानापन पदोन्नति सम्मिलित नही है। ऐसी दशा मे जहा सेवा नियम विनिर्दिष्टत स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति की अनुज्ञा देते हो, तो ऐसी नियुक्ति नियमित भर्ती ही मानी जायगी यदि उस पद पर नियुक्ति, जिस पर से उसका स्थानान्तरण हुआ था, नियमित भर्ती के पश्चात् हुई थी। नियमो के अधीन पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति के पात्र व्यक्ति नियमित भर्ती किये हुये व्यक्तियो के रूप मे माने जायेंगे।

(ii) वे व्यक्ति जो किसी दूसरे सवग मे धारणाधिकार रखते हैं, इस नियम के अधीन स्थायी किये जाने के पात्र होगे तथा वे यह विकल्प देने के भी पात्र होगे कि क्या वे इस नियम के अधीन उनकी अस्थायी नियुक्ति के दो वष की समाप्ति के पश्चात् स्थायीकरण नही चाहते। इसके प्रतिकूल कोई भी विकल्प न दिये जाने की दशा मे इस नियम के अधीन उनका विकल्प स्थायीकरण के लिये दिया हुआ समझा जाएगा और पूव पद पर उनका धारणाधिकार समाप्त हो जायगा।

21 स्थायीकरण (पुष्टीकरण-कनफरमेशन)--परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने पद पर परिवीक्षा कालावधि की समाप्ति पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि—

(क) वह विभागीय परीक्षाओं मे, यदि कोई हो, पूर्णतया पास हो गया है,

(ख) विभागाध्यक्ष का समाधान हो गया है कि—उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है और वह अन्यथा स्थायीकरण के योग्य है।

×21-क --नियम 21 मे किसी बात के होते हुए भी एक परिवीक्षाधीन को उसकी नियुक्ति मे उसकी परिवीक्षा की कालावधि के अन्त मे स्थाई कर दिया जायेगा, चाहे नियमो मे विहित विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण हिन्दी मे प्रवीणता परीक्षा, यदि कोई हो, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान आयोजित नही किये गये हो, परन्तु (i) वह अन्यथा स्थायीकरण के लिए योग्य है, तथा (ii) [1]परिवीक्षा की कालावधि राजस्थान राजपत्र मे इस सशोधन के प्रकाशित होने के दिनाक को या इससे पहले समाप्त हो जाती है।

22 परिवीक्षा के दौरान वेतन—सेवा सवग मे किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति का प्रारम्भिक वेतन उस पद के वेतनमान का न्यूनतम होगा।

× वि स एफ 1 (12, नियुक्ति/क 2/68 दि 17-10 1970 द्वारा नि

23 परिवीक्षा के दौरान वेतन वृद्धियां—परिवीक्षाधीन व्यक्ति राजस्थान सेवा नियम 1951 के उपबन्धों के अनुसार उसको अनुज्ञेय वेतनमान में वेतन वृद्धि लेगा।

24 छुट्टी, भत्ते, पेन्शन, आदि का विनियमन—सेवा के सदस्यों के वेतन भत्ते, पेन्शन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें इन नियमों में उपबन्धित के सिवाय, निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी —

(1) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम 1949, अदयतन सशोधित।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान एकीकरण) नियम 1956, अद्यतन सशोधित,

(3) राजस्थान सिविल सेवा (वेतनमान युक्तियुक्तकरण) नियम 1956, अद्यतन सशोधित,

(4) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 1958, अदयतन सशोधित,

(5) राजस्थान सेवा नियम 1951, अद्तन सशोधित,

(6) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1961 और

(7) भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गए कोई अन्य नियम जिसमे सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गई हों और जो तत्समय प्रवृत हों।

25 शकाओं का निराकरण—यदि इन नियमो के लागू किये जाने और इनके विस्तार के बारे में कोई शका उत्पन्न हो, तो मामला सरकार के पास कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

26 निरसन तथा व्यावृति—इन नियमों के अन्तगत आने वाले विषयों से सम्बन्धित समस्त नियम तथा आदेश, जो इन नियमों के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व प्रवृत हों इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं,

परन्तु इस प्रकार अतिष्ठित नियमों तथा आदेशों के अधीन की गई कार्यवाही इन नियमों और आदेशों के तत्सम्बन्धी उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी।

———

×अनुसूची I

क्रम स०	पद का नाम	भर्ती का तरीका प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिये अर्हतायें	पद जिनसे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति के लिये अपेक्षित न्यूनतम अनुभव तथा अर्हतायें	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	दफ्तरी	100% पदोन्नति द्वारा	—	रिकार्ड या बुक लिफ्टर	जिल्दसाजी का अनुभव/कार्यक्षमता	—
2	जमादार	,,	—	1 रिकार्ड या बुक लिफ्टर या बाइन्डर 2 चपरासी 3 साइकल सवार 4 अर्दली 5 जलधारी 6 चौकीदार 7 फर्राश 8 कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान मे स्वीकृत समतुल्य पद 9 भंगी	चपरासियो पर नियन्त्रण आदि रखने की क्षमता	
3	रिकार्ड या बुक लिफ्टर/बाइन्डर	,,	—	1 चपरासी 2 साइकिल सवार 3 अर्दली	जिल्दसाजी मे अनुभव जिल्दसाजी में कार्य	

× वि सं एफ 4 (1) DOP/A-II/73 दि 20 9 1975 द्वारा प्रतिस्थापित एव दि 19 9 78 तक सशोधित ।

1	2	3	4	5	6	7
					क्षमता	
				4 जलधारी	बुक बाइंडर के लिये⚹	
				5 चौकीदार	बुक लिफ्टर के	
				6 फर्राश	लिये हिन्दी तथा अंकों का कार्य कारी ज्ञान	
				7 कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद		

अभ्युक्ति—⚹जिल्दसाजी के लिये प्रायोगिक परीक्षा ली जा सकती है।

1	2	3	4	5	6	7
4	(1) चपरासी (2) साइकल सवार (3) अर्दली (4) जलधारी (5) चौकीदार (6) फर्राश (7) कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद	100% सीधी भर्ती से	किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा पांच उत्तीर्ण हो	—	—	⚹⚹

अभ्युक्ति—⚹⚹नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्तम्भ 4 में विहित अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है—(i) यदि अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हों,

(ii) यदि महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों के लिये पर्याप्त संख्या में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न हो।

स्पष्टीकरण—(i) "कार्यालय के कार्य के लिये निम्नतम वेतनमान में स्वीकृत समतुल्य पद" अभ्युक्ति में चपरासी के पद के लिये स्वीकृत वेतनमान के समतुल्य वेतनमान में स्वीकृत पद सम्मिलित है और इसमें क्षेत्रीय कार्य या फैक्टरी

या वकशाप के लिये स्वीकृत पद या जिनके लिये ग्रलग से पदोन्नति की पक्ति उपबन्धित है, जैसे--हेल्पर, मेट, कीट सग्राहक प्रयोगशाला बॉय ग्रादि, सम्मिलित नही होगे।

(ii) यदि किसी विभाग में स्तभ 5 मे क्र स 1 के विरुद्ध वर्णित पद विद्यमान नही है, तो स्तभ 5 मे क्र स 2 के विरुद्ध वर्णित पदो को धारण करने वाले व्यक्ति स्तभ 2 क क्र स 1 मे वर्णित पदो पर पदोन्नति के लिये पात्र होगें।

ग्रनुसूची II

1 नाम

2 पद

3 शैक्षिक योग्यता

4 पद जिसके लिये ग्रावेदन पत्र दिया गया है

5 वतमान नियुक्ति पर सेवा का काल

6 ग्रग्रेपक प्राधिकारी की ग्रभ्युक्तिया

ग्रग्रेपक प्राधिकारी का नाम तथा पद

राजस्थान लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम

विवेचना—खण्ड [2]

ग्रध्याय 1 सेवा-नियमो का स्वरूप एव परिचय
[Introduction to & Nature of Service Rules]

ग्रनुक्रम

1 सरकारी सेवा मे प्रवेश—हर व्यक्ति सरकारी-सेवा मे प्रवेश करने की कोशिश करता है कि तु सरकारी सेवा एक प्रकार से "नियमो के जाल" मे फमी हुई जिन्दगी है, जिसकी ग्रपनी ग्रनेक समस्यायें हैं। इसलिए एक सरकारी मेवक को सम्बन्धित नियमावलियों का माधारण ही नही वरन सम्पूण ज्ञान होना ग्रावश्यक है। नियमो का ज्ञान न होने से उसे सेवा के मामलो मे पीछे रहना होगा ग्रौर उसे हानि उठानी होगी। इसी दृष्टिकोण से इस पुस्तक की रचना की गई है। सेवा मे प्रवेश के साथ सम्बन्धित नियमो का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक मरकारी कमचारी का कतव्य है।

2 सरकारी सेवा की कहानी एक रूप रेखा—एक व्यक्ति सरकारी सेवा मे प्रवेश के लिए पहले भर्ती (recruitment) की कोशिश करता है, जो ग्राजकल ग्रधिकतर प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होती है। भर्ती होने पर उसे नियुक्ति (appoint ment) प्राप्त होती है ग्रौर उसका सेवाकाल ग्रनेक नियमो से शासित होने लगता है। यह नियुक्ति ग्रस्थायी या स्थानापन्न होती है तथा उसे नियमानुसार परिवीक्षा' (प्रोबेशन) पर रक्खा जाता है ग्रौर उसके काय, व्यवहार तथा कुशलता की परख कुछ निश्चित ग्रवधि के लिए की जाती है। इसके बाद स्थायी पद रिक्त होने पर

उसे स्थायी या पुष्ट (कनफरमेशन) कर दिया जाता है या अस्थायी पद पर वह कई वर्षों तक अस्थायी ही चलता रहता है।

स्थायीकरण (कनफरमेशन) के बाद उसे सवग (कॉडर) में सम्मिलित किया जाता है और वह अपने पद पर बने रहने का पदाधिकार (लियन) प्राप्त करता है। इस पर उसका नाम वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाता है जो नियमानुसार बनाई जाती है। इस वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति (प्रोन्नति या तरक्की) अगला उच्चतर पद रिक्त होने पर की जाती है। इस बीच उसे निश्चित नियमो के अनुसार वेतनमान में वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धियाँ (इन्क्रीमेंट) व अन्य भत्ते मिलते हैं। उसे 'दक्षतावरोध' (E B) पार करने पर आगे की वेतन वृद्धियाँ मिलती हैं। आजकल नवीन वेतनमान में 'दक्षतावरोध' समाप्त कर दिया गया है, पर कई शर्तें वेतनमान के साथ जोड दी गई हैं, जिनको पूरा करने पर आगे की वेतन वृद्धिया मिल पाती हैं।

उसकी कार्यकुशलता तथा व्यवहार की सदा परीक्षा चलती रहती है और उसका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (या मूल्याकन रिपोर्ट') तैयार किया जाता है, जिसमे दी गई "प्रतिकूल प्रविष्टिया" उसकी पदोन्नति के लिये घातक होती हैं। पदोन्नति भी स्थानापन्न या अस्थायी होती है और कई बार वापस पिछले निम्न पद पर प्रत्यावर्तन भी हो जाता है। पदोन्नति के बाद 'परिवीक्षापर" कार्य करने के बाद उस उच्चतर पद पर 'स्थायीकरण' (पुष्टिकरण) किया जाता है।

इस बीच किसी अनियमितता या नियम भङ्ग का दोषी होने पर विभागीय जाच के बाद राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियम 1958 के अधीन कोई दण्ड भी दिया जा सकता है। 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद 'अनिवार्य सेवा निवृत्ति' की समस्या भी आ सकती है। अन्त में 55 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर सेवा निवृत्ति (रिटायरमेंट) के साथ सरकारी सेवा समाप्त हो जाती है और नियमानुसार 'पेंशन' आजीवन मिलती है।"

इस प्रकार एक सरकारी कर्मचारी का पूरा सेवाकाल नियमो के जाल में उलझा रहता है।

3 सेवा-नियमों का स्वरूप--एक सरकारी कर्मचारी की सेवायें नियमो से शासित होती हैं जो भारतीय-सविधान के अनुच्छेद 309 अथवा उसके परन्तुक के अधीन बनाये जाते हैं। नियमो के अधीन सरकारी नौकरी एक प्रकार स्तर या प्रास्थिति का मामला है, न कि सविदा का[1] ये नियम सरकारी कर्मचारी तथा सरकार

---

1 दिनेश चन्द्र सागमा बनाम असम राज्य 1977 Lab IC 1852(SC), रोशनलाल टण्डन बनाम भारत सघ AIR 1967 SC 1889,

दोनो पर आबद्धकर हैं।[2] ये नियम 'सवैधानिक नियम' हैं तथा इनको विधि (कानून) माना जाता है। इन नियमो का भग होने पर न्यायालय या ट्राइब्यूनल मे शरण ली जा सकती है। अब यह एक सुस्थापित मत है कि ये नियम विधायीस्वरूप के हैं और इनकी व्याख्या के लिये इनको कानून के समान माना जाता है।[3] जहा ऐसे सवैधानिक नियम नही हो वहां सरकार प्रशासनिक निर्देशो से भी सेवा की शर्ते लागू कर सकती हैं।[4] नियमो के नीचे दी हुई टिप्पणियां इनका म करने मे सहायक मानी गई हैं।[5] जहा नियम किसी बारे मे शान्त हो वहा कायकारी आज्ञायें उन अन्तरालो (gaps) को पूरा कर सकती है।[4]

इस प्रकार सरकार सवैधानिक नियमो तथा प्रशासनिक या कायकारी आज्ञाओ से सरकारी कमचारी की सेवा की शर्तों को विनियमित करती है।

4 **सेवाओं का वर्गीकरण एव सेवा नियमों की रूप रेखा** –राजस्थान के सरकारी कमचारियो को वर्गीकृत करने के लिये 'राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियत्रण एव अपील) नियम *1958*" के नियम 6 से 11 मे विवरण दिया गया है तथा अनुसूची I से IV मे तालिकायें दी गई हैं। इसी प्रकार "राजस्थान सेवा नियम 1951" के भाग (2) मे परिशिष्ट XII मे भी इनकी सूचिया दी गई हैं। इनके अनुसार राजस्थान की सिविल सेवाओ को चार श्रेणियो मे बाटा गया है –

I राज्य सेवायें (State Services),
II अधीनस्थ सवायें (Subordinate Services)
III लिपिक वर्गीय (या मत्रालयिक) सेवायें (Ministerial Services)
IV चतुथ श्रेणी सेवाये (Class IV Services)

---

2 एन के चौहान बनाम गुजरात राज्य 1977 SCC (L & S) 127
3 AIR 1961 SC 868, 1969 Lab I C 100 (SC), AIR 1961 SC 751, AIR 1967 SC 1910, 1972 SC 1546, 1972 SC 1429
4 डॉ अमर जीत सिंह अहलूवालिया बनाम पजाब राज्य AIR 1975 SC 984, सन्तराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य AIR 1967 SC 1910, जे पी माथुर बनाम भारत सघ 1974 RLW 396
भारत सघ बनाम माजी जगामाय्या 1977 SCC (L & S) 191
5 ताराँसिह बनाम राजस्थान राज्य AIR 1975 SC 1487

इन सभी सेवाओ मे अलग-अलग कई सवर्ग व सवाये हैं, जिनके लिये अलग अलग "भर्ती एव अन्य सेवा की शर्तों" सम्बन्धी नियमावलिया बनाई गई हैं, जो निम्न विषयो पर नियमो द्वारा उपबन्ध करती हैं —

(1) सवर्ग (काडर)— स्टाफ की प्रास्थिति, पदो के नाम, सख्या,

(2) भर्ती के तरीके—पात्रता की शर्ते (राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि, तथा अर्हता (योग्यता) की अन्य शर्ते।

(3) सीधी भर्ती का तरीका,

(4) पदोन्नति द्वारा भर्ती का तरीका,

(5) नियुक्ति, परिवीक्षा, पुष्टीकरण, वेतनमान, वरिष्ठता के सिद्धात आदि।

इनके अतिरिक्त प्रत्येक नियमावली के अन्त मे उन सामान्य नियमों की एक तालिका भी दी गई है, जिनसे ये सेवायें शासित होती हैं।

इस पुस्तक मे हम इन चार श्रेणियों में से केवल अन्तिम दो श्रेणियो अर्थात् लिपिक वर्गीय सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा की नियमावलियों के हिन्दी पाठ सहित विवेचना प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें पदोन्नति, वरिष्ठता तथा स्थायीकरण सम्बन्धी अध्यायें श्रेणी I तथा II के सरकारी सेवको के लिये भी उपयोगी हैं। सेवा सम्बन्धी मामलो के लिये हम पाठकों से पुस्तक "सेवा सम्बन्धी मामले एव अपील ट्रिब्युनल कानून" तथा विभागीय जांच, अनुशासन एव दण्ड सम्बन्धी मामलो के लिये पुस्तक "अनुशासनिक कार्यवाही" पढने का अनुरोध करते हैं, जो अपने विषय की आधार भूत पुस्तकें हैं।

5 नियमावली प्रसग

विषय	अधीनस्थ कार्यालय	सचिवालय	अधीनस्थ न्यायालय	पच द्वत समिति	चतुर्थ श्रेणी
1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ (प्रवृत) होने की दिनाक	1 20 6-57	1 5 5-70	1 27 3-58	1 2 10 59	1 12 7 63
2 विद्यमान नियमो का अतिष्ठन/निरसन	2	38	2	×	26
3 परिभाषायें	4	2	3	2	2
4 निवचन	5	3	4	×	3

6 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ– इन सब नियमावलियो का नियम 1 उस नाम का उल्लेख करता है जिससे इन नियमो को पुकारा जाता है या प्रसग दिया जाता है। ऊपर तालिका मे हमने उन दिनाको का प्रसग दिया है जिनको ये नियम प्रारम्भ या प्रवृत हुये—अर्थात्—लागू किये गये। इस लागू होने की दिनाक के बाद ही इन नियमो के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकती है।

7 विद्यमान नियमो का अतिष्ठन/निरसन—अधीनस्थ कार्यालय नियमावली तथा अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम (2) इससे पहले के समस्त नियमो और आज्ञाओ को समाप्त (अतिष्ठित) करते है—अर्थात व इन नियमो के लागू होने के दिनाक के बाद लागू नही होगे। परन्तु इसके लिये शर्तें भी दी गई हैं—(1) कार्यवाही जो पुराने नियमो या आज्ञाओ के अनुसार की गई वह वैध होगी और इन नियमो के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी।

(2) ये नियम राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से जो सेवाओ का एकीकरण किया गया और नियुक्तिया की गई उन पर लागू नहीं होगे।

इसी प्रकार सचिवालय–नियमावली के नियम 38 द्वारा विद्यमान नियमो व आज्ञाओ को निरसित या समाप्त कर उनके अधीन की गयी पुरानी कार्यवाही को इन नियमो के अधीन मानकर नियमित किया गया है।

8 निर्वचन (अर्थ करने) के सिद्धात--इन नियमावलियो का निर्वचन या अर्थ करने के लिये 'साधारण खण्ड अधिनियम'' के सिद्धान्त लागू किये गये हैं और विधानसभा के अधिनियमों की तरह इनका भी अर्थ किया जाता है।

निर्वचन के लिए किसी नियम या अधिनियम मे प्रयोग किए जाने वाले शब्दो की पहले परिभाषायें दी जाती हैं, इससे उन शब्दो का सही अर्थ समझा जा सकता है, जिसमे उनका प्रयोग किया गया है। परिभाषाओ के पहले एक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है—"जब तक कोई बात विषय अथवा सदर्भ मे विरुद्ध न हो"। इसका अर्थ है कि–जब तक विषय या प्रसग से कोई दूसरा अर्थ न निकलता हो, तो इस परिभाषा मे दिया गया अर्थ ही माना जायेगा। इस प्रकार अर्थ करते समय विषय का तथा उसके प्रसग का ध्यान रखना आवश्यक है। यह एक स्थापित मत है। इन संवैधानिक नियमो मे जो परिभाषायें दी हुई हैं उनको भुलाकर उनका सही, सत्य व स्वतत्र अर्थ लगाना या उसमे सुधार या सशोधन करना न्यायालयो का कार्य नही है।[1] परन्तु इन नियमो का जो अर्थ व व्याख्या सरकार या विभाग द्वारा की जाती है उसे मानने के लिए न्यायालय बाध्य नही है, परन्तु वे नियमो

---

1 AIR 1946 Patna 310, 1940 Madras 385, 1954 V P 24

की भाषा तथा अन्य सिद्धान्तो के अनुसार उनकी सही व्याख्या करते है।[2] निवचन यानी अर्थ करने के मामलो में साधारणज्ञान के नियमों की बजाय व्याकरण के नियमों को प्रमुखता दी जाती है।[3] जो कुछ विधि यानी नियमो में प्रकट या अप्रकट रूप से अधिकृत नही किया गया है, नहीं बताया गया है, उसे अर्थ करते समय लागू नही किया जा सकता।[4] जहां कोई दुविधा या दो अर्थ नहीं निकलते हो, वहां उन शब्दो का क्या अर्थ है, यही देखना होता है।[5] परन्तु परिभाषाओं की भाषा न्याया लयों को मान्य होती है, इनमे दिया गया अर्थ साधारण, लोकप्रिय तथा प्राकृतिक अर्थों से भिन्न भी हो सकता है और किसी प्रकार के सदेह या शका को दूर रखने के लिए ही नियमो मे निवचन खण्ड या परिभाषायें दी जाती हैं। इस प्रकार इन नियमो के लिये वही परिभाषायें मान्य होगी, जो इन नियमो में दी गई हैं। दूसरे अधिनियम या नियमो की परिभाषायें यहां लागू नहीं होगी।[6] कृपया इसे सदा ध्यान मे रखिये

9 कुछ महत्वपूर्ण परिभाषायें—आपको इन नियमो के किसी भाग (उपबन्ध) को पढते समय पहले यह देख लेना चाहिये कि—इन नियमो में आये मुख्य शब्दों की क्या परिभाषायें दी गई हैं ? फिर उसी के अनुसार उस नियम का अर्थ कीजिये। यह मुख्य बात है।

इन नियमावलियो में जो परिभाषायें दी गई हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओ का हम यहा विवेचन करेंगे—

(क) नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) "नियुक्ति प्राधिकारी" वह प्राधिकारी होता है जिसे नियमों के अधीन किसी सेवा या सवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है। नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार "राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958" के भाग (3) नियम 12 मे दिये गए हैं। नियम 12 का सम्बद्ध उपनियम (3) इस प्रकार है—

"(3) किसी लिपिक वर्गीय सेवाओ तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओ मे समस्त नियुक्तियाँ विभागाध्यक्ष द्वारा इस विषय मे जारी किए गए नियमो एव अनुदेशो के अध्यधीन कार्यालयाध्यक्ष द्वारा की जायेगी।"

---

2 AIR 1954 SC 584
3 AIR 1961 Raj 59
4 ILR (1961) 11 Raj 56
5 AIR 1964 Raj 243
6 AIR 1965 Raj 5

इस प्रकार लिपिकवर्गीय तथा चतुथ श्रेणी सेवाओ का नियुक्ति प्राधिकारी 'कार्यालयाध्यक्ष'' है, परन्तु उसे इसके लिए विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नियमो और निर्देशो के अधीन ही नियुक्ति करनी होगी। परन्तु जब ऐसे नियम या निर्देशो का अभाव हो, तो उसे नियुक्ति का कोई अधिकार नही है। यह एक समझने योग्य बात है।

इन नियमावलियो मे भी 'नियुक्ति प्राधिकारी'' की अलग से परिभाषा दी गई है अत इन नियमो एव सेवाओ के प्रसग मे ये परिभाषाये लागू होगी जो इस प्रकार हैं--

(1) अधीनस्थ कार्यालयो मे नियम 4 (क)--
   (i) विभागाध्यक्ष
   या (ii) विभागाध्यक्ष द्वारा सरकार की अनुमति से नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त अधिकारी, जो दिये गए अधिकार की सीमा मे रहेगा।

(2) सचिवालय मे-नियम 4 क)--शासन उप सचिव, जो लिपिक वर्गीय स्थापना का काय करता है।

(3) अधीनस्थ सिविल न्यायालयों मे-नियम 3 (छ)--
   (i) जिला एव सत्र न्यायाधीश,
   या (ii) जिला एव सत्र न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय की अनुमति से, नियुक्ति करने के अधिकार प्रदत्त अन्य अधिकारी, जो दिए गए अधिकारो की सीमा मे रहगा।

(4) पचायत समिति मे--पचायत समिति/स्थानीय समिति प्रशासन
   जिला परिषद् मे--जिला परिषद/उपसमिति प्रशासन
   (नियम 2 ढ नियोजक प्राधिकारी)

(5) चतुथ श्रेणी के लिये--(नियम 2 (ह) तथा (ग)
   (i) कार्यालयाध्यक्ष (सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम 3 के अधीन घोषित)
   या (ii) वह अधिकारी, जिसे कार्यालयाध्यक्ष ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित करे।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि—नियुक्ति प्राधिकारी ही स्थायीकरण (पुष्टीकरण), पदोन्नति, वरिष्ठता निर्धारण, प्रत्यावतन तथा सेवामुक्ति एव पदच्युति के दण्ड की कार्यवाही करने के लिये अधिकृत है। केवल नियुक्ति करने का अधिकार जिसे प्रत्यायोजित किया गया है, वह अधिकारी उपरोक्त कायवाही तभी कर सकेगा जब उसे स्पष्ट रूप से ऐसा करने का अधिकार भी दिया गया हो। इस प्रकार अधिकार या शक्ति का प्रत्यायोजन एव लिखित विशेष आज्ञा द्वारा ही किया जा सकेगा, जो अधिसूचित की जायेगी।

(ख) अधिष्ठायी-नियुक्ति (Substantive-Appointment)

अधीनस्थ कार्यालय, सचिवालय तथा चतुर्थ श्रेणी की नियमावलियों में यह परिभाषा एक समान रूप से दिनांक 5-7-74 को जोड़ी गई है। यह परिभाषा वरिष्ठता निर्धारण करने के लिये महत्वपूर्ण है। इसका विश्लेषण इस प्रकार है -

(1) इन नियमों में विहित (दिये गये) भर्ती के किसी भी तरीके से समुचित (due) चयन" किया जाना इसकी पहली शर्त है। इस प्रकार भर्ती के जो तरीके इन नियमों में दिये गये है उनके द्वारा चयन होना आवश्यक है। किन्तु "अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति" को इसके लिये स्वीकार नहीं किया जावेगा। किसी सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गई भर्ती को समुचित चयन माना है तथा भारतीय सविधान के अनुच्छेद 309 में परन्तुक के अधीन बनाये गये किसी नियम के अनुसार की गई भर्ती भी समुचित है। इस प्रकार दूसरे शब्दो मे, यह नियुक्ति नियमित होनी चाहिये, मनमानी नही।

(2) इन नियमो के प्रावधानों के अधीन की गई नियुक्ति होना दूसरी शर्त है,- अर्थात्--नियमो मे दी गई शर्तें पूरी होनी चाहिये।

(3) यह नियुक्ति किसी अधिष्ठायी रिक्त स्थान यानी स्थायी रिक्त स्थान पर होगी, न कि अस्थायी स्थान पर।

दूसरे शब्दो में—"कोई नियुक्ति स्थायीकरण (कनफरमेशन) के बाद ही अधिष्ठायी नियुक्ति होगी।"

(4) "परिवीक्षा पर" या परिवीक्षाधीन के रूप मे की गई नियुक्ति जब परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाय और पुष्टीकरण कर दिया जावे, तो अधिष्ठायी नियुक्ति होगी।

❀ अधिष्ठायी नियुक्ति, अस्थायी नियुक्ति नियमित नियुक्ति तथा तदर्थ नियुक्ति में अन्तर —

[Substantive, Temporary, Regular and Ad hoc appointment-distinction therein]

'(1) कोई पद या तो स्थायी पद (Permanent Post) होता है या अस्थाई पद हो सकता है

एक स्थायी पद पर नियुक्ति अधिष्ठायी (Substantive) रूप में, जिसे स्थायी रूप (Permanent capacity) मे भी कहा जाता है, या अस्थाई/स्थानापन्न या तदर्थ रूप में हो सकती है। किसी स्थायी पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति परिवीक्षा

❀ लश्कर सिंह बनाम नगर निगम दिल्ली 1978 SLJ 695 (705) Delhi

पर भी हो सकती है। जब नियुक्ति अधिष्ठायी रूप से या परिवीक्षा पर किसी स्थायी पद पर की जाती है, तो यह नियमित नियुक्ति (regular appointment) होगी।

(2) यदि सेवा में नियमो की अनुमति हो तो एक स्थायी पद पर अस्थाई नियुक्ति (temporary) भी नियमित आधार पर दी जा सकती है, परन्तु साधारणतया स्थानापन्न (Officiating) नियुक्ति या तदथ (Ad hoc) नियुक्ति कभी भी नियमित नियुक्ति नही हो सकती। नियुक्ति करने की सक्षमता (competence) को नियुक्ति के स्वरूप (Nature of appointment) से भिन्न करना आवश्यक है।

(3) एक अस्थायी पद पर नियुक्ति स्थायी रूप से (p rmanently) या अधिष्ठायी रूप से (Substantively) कभी भी नही की जा सकती, क्योंकि उस पद का स्वरूप ही उस नियुक्ति को अस्थायी बना देता है। यदि यह एक पद अल्पावधि (Short tenure) के लिये सर्जित किया जाता है तो उस पर की गई नियुक्ति भी अस्थायी नियुक्ति होगी यद्यपि भर्ती या नियुक्ति के नियमो के अनुसार यह नियमित नियुक्ति हो सकती है।

(4) किसी स्थायी या अस्थाई पद पर स्थानापन्न या तदथ नियुक्ति जब तक नियमित नियुक्ति नही की जावे, तब तक के लिये "स्थानपूर्ति की व्यवस्था मात्र" (Only a stop gap arrangement) हैं। परन्तु यह स्थानापन्न नियुक्ति कई बार थोडी सी भिन्न श्रेणी में भी आती है (i) कई बार स्थानापन्न नियुक्ति उस समय की जाती है, जब उस पद का धारक अवकाश पर है और इस बीच के लिये कोई व्यवस्था करनी होती है, या (ii) कई बार स्थानापन्न नियुक्ति किसी की उच्चतर पद पर उपयुक्तता की परख करने के लिए की जाती है।

पहले मामले मे इसे नियमित नियुक्ति नही कहा जा सकता, किन्तु दूसरे मामले मे नियमो के अनुसार यह नियमित नियुक्ति हो सकती है और यह "परिवीक्षा पर (On Probation) की नियुक्ति होगी।"

(ग) सेवा या अनुभव (Service or Experience)

नियमो मे किसी पद या सेवा से उच्चतर या वरिष्ठ पद पर पदोन्नति के लिए कुछ वर्षों की सेवा या अनुभव की एक शर्त होती है। ऐसी स्थिति में उस पद पर सेवा या अनुभव के काल मे निम्न को सम्मिलित किया जावेगा—

(1) अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बने नियमो के अनुसार नियमित भर्ती के बाद ऐसे पदो पर लगातार कार्य किया उसकी अवधि–अर्थात नियमित नियुक्ति के बाद का कार्यकाल सेवाकाल गिना जावेगा,

(2) इसमे उस काल का अनुभव भी गिना जावेगा, जो उसने अधिष्ठायी या स्थायी (नियमित नियुक्ति) के पहले स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ नियुक्ति के द्वारा

प्राप्त किया है। परन्तु इस अनुभव की अवधि को गिनने के लिये कुछ शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं —

(i) ऐसी नियुक्ति (यानी स्थानापन्न अस्थायी या तदर्थ) पदोन्नति के लिये जो नियम हैं उनके अनुसार पात्रता का ध्यान रखकर, नियमित रूप से होनी आवश्यक है।

(ii) ऐसी नियुक्ति केवल स्थान भरने के लिये या किसी को अवसर (मौके) का लाभ देने के लिये नही होनी चाहिये-यानी अनियमित या मनमानी नही होना चाहिये।

(iii) ऐसी नियुक्ति किसी विधि (कानून) के अधीन अवैध नही होनी चाहिये।

(iv) ऐसी नियुक्ति मे किसी वरिष्ठ कर्मचारी को अतिष्ठित नहीं किया हो-यानी वरिष्ठ को बिना विचार किये छोड़कर कनिष्ट को पदोन्नति नही दी गई हो। परन्तु इस शर्त के लिये कुछ अपवाद (छूट) भी हैं--

(क) यदि ऐसा अतिष्ठन इस कारण से किया गया हो कि--उस वरिष्ठ व्यक्ति मे निर्धारित शैक्षणिक योग्यतायें या अन्य योग्यतायें नही हो-या--

(ख) वह उस पद के लिये अयोग्य या अनुपयुक्त (Unfit) पाया गया हो-या-

(ग) योग्यता (मेरिट) के आधार पर उसका चयन नही हुआ हो, या

(घ) उस वरिष्ठ कर्मचारी के किसी दोष (default) के कारण उसे पीछे छोड दिया गया हो, या

(ङ) ऐसी तदर्थ या आवश्यक अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के अनुसार की गई हो और ऐसी स्थिति में उसकी वरिष्ठता को अयोग्यता के कारण से पीछे रखना पडा हो।

उपरोक्त कारणो से किया गया वरिष्ठ कर्मचारी का अतिष्ठन कनिष्ट कर्मचारी की स्थानापन्न, अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति द्वारा की गई सेवा को दूषित नही करेगा और उस कनिष्ठ कर्मचारी का ऐसी नियुक्ति का अनुभव सेवा मे गिना जावेगा।

(3) इस परिभाषा के नीचे दी गई टिप्पणी द्वारा सेवा के बीच की अनुपस्थिति-जैसे-प्रशिक्षण प्रतिनियुक्ति आदि, जिसको राजस्थान सेवा नियम के अधीन कर्तव्य'(duty) की परिभाषा मे [रा से नि नियम 7 (8)] सम्मिलित किया गया है, सेवा या अनुभव मे गिना जायेगा।

(4) सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा के नियम मे एक टिप्पणी ग्रौर है, जिसके ग्रनुसार निजी सचिव या निजी सहायक की उस सेवा को भी गिना जावेगा, जिसे लोकहित मे ग्रपने पद से पदोन्नति के लिये चयनित होने पर भी काय मुक्त नही किया गया।

इस प्रकार जहा कही इन नियमो मे पदोन्नति के लिये सेवा या ग्रनुभव की शत ल गयी गयी है, उसके लिये उपरोक्त परिभाषा की शर्तें लागू होगी। यह परिभाषा इन नियमो मे दिनाक 9-10 75 को जोडी गई तथा इसे पूवकालिक प्रभाव से दिनाक 27 3-73 से प्रभावशील माना गया है। ग्रत जिन कमचारियो को इससे लाभ मिल सकता हो उनको ग्रपने नियुक्ति प्राधिकारी से इसका लाभ देने के लिये ग्रावेदन करना चाहिये।

10 **नियमों का ग्रथ करना**--किसी नियमावली के किसी नियम का ग्रथ करने के लिये निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं --

(1) जिस नियम का ग्रथ समझना है, पहले उस नियम को पूरा पढिये। प्रत्येक नियम मे कई उपनियम होते हैं। ये उपनियम ग्रापस में एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं ग्रौर स्वतत्र भी। इसी प्रकार एक उपनियम के भी कई खण्ड (clauses) होते हैं, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं।

(2) नियम के ग्रन्त मे जो "परतुक" ('Proviso परन्तु यह है कि-") होता है, वह उस नियम की बातो मे या तो कोई छूट देता है या उसमे कोई शत लगाता है। कई बार एक से ग्रधिक परतुक भी होते हैं। यह परतुक मुख्य नियम से भिन्न होते हुए भी उसके मूल ग्रथ को नष्ट नही करते। यह एक स्थापित मत है कि-"परतुक का ग्रथ इस प्रकार नही किया जा सकता कि-वह उस मूल नियम को ही खा जाये जिसका वह परन्तुक है।"[1] इस प्रकार परतुक मूल नियम की सीमा मे ही रहेगा। किन्तु कई बार ये परतुक ग्रपने ग्राप मे स्वतन्त्र उपबन्ध भी बन जाते हैं, तो इनका स्वतन्त्र ग्रथ भी करना होता है। इस प्रकार के परतुक के उदाहरण भर्ती के तरीके, वरिष्ठता के नियम तथा ग्रायु म छूट के नियमो म देखने को मिलेंगे। परतुक कई बार पूरे नियम का होता है तो कभी कभी केवल किसी उपनियम का ही, इसका ध्यान रखने पर ही सही ग्रथ किया जा सकेगा।

(3) नियमो के ग्रन्त मे 'टिप्पणी' (Note) या स्पष्टीकरण (Explanation or clarification) दिये होते हैं, जो उस नियम के प्रयोग मे ग्राये किसी शब्द या शब्दावली का प्रसग से सही ग्रथ बताते है। इससे ग्रथ की दुविधा दूर होती है। ग्रत नियम का ग्रथ करने के लिये इनको पहले समझ लेना चाहिये।

---

1 ग्रार के गुप्त बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 SLJ 121 (Delhi)

(4) नियम मे प्रयोग मे आये विशेष या तकनीकी शब्दों की परिभाषायें (जो नियमो के आरम्भ में दी गई हैं,) भी नियम के पढ़ते साथ दुबारा पढ लेनी चाहिये और उस परिभाषा के अनुसार ही अर्थ करना चाहिये, क्योंकि विभिन्न सेवा नियमो मे कुछ शब्द समान होते हुए भी उनके अर्थों मे कुछ अन्तर है।

(5) कई नियमों के आरम्भ मे शब्दावली—' इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी" या "इन नियमों में किसी बात के विपरीत होते हुए भी" का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ यह होता है कि–इस नियम मे आगे दी गई बातें इन नियमो मे दूसरे स्थान (नियम) मे दी गई बातों से प्रभावित नही होगी और उसका प्रभाव अध्यारोही होगा मानो वह उन सब पर हावी रहेगा और जहा किसी दूसरे नियम या खण्ड मे कोई विपरीत बात है, तो वह इस नियम के सामने मे लागू नहीं होगी।

(6) इन नियमो मे बार बार सशोधन होते रहते हैं। अत जिस समय के मामले की परीक्षा करनी है, उस समय उस नियम का क्या स्वरूप या भाषा थी, उसे देखना होगा और उसी के अनुसार उसका प्रयोग तथा अर्थ करना होगा।

(7) इन नियमो में किये गए सशोधनो के नीचे पाद टिप्पणियों मे उस विज्ञप्ति, अधिसूचना या आज्ञा का क्रमांक(स) तथा दिनांक दिया गया है, जिसके द्वारा वह सशोधन किया गया है। सशोधन उसी दिनांक से लागू होता है, जब वह 'राजस्थान राजपत्र' मे प्रकाशित होता है या उस विज्ञप्ति के दिनाक से। पर तु कई बार किसी सशोधन को पूर्व कालिक प्रभाव से किसी विशेष दिनाक से भी प्रभावी (लागू) किया जा सकता है। अत सशोधन जिस दिनाक से लागू हुआ, उसके बाद के मामला पर ही वह लागू होगा और पुराने मामले सशोधन से पहले के नियम से निपटाये जायेंगे।

(8) सशोधना की पाद टिप्पणी (फुट नोट) म प्रयोग किए गए कुछ शब्दो का अर्थ भी जानना उचित होगा—

'Added (जोडा गया) तथा निविष्ट (inserted)" का अर्थ है-यह नया उपबंध (प्रावधान) जोडा गया है। 'विलोपित' (deleted or Omitted) का अर्थ है-किसी नियम, उपनियम या अश को हटा दिया गया। प्रतिस्थापित (Substituted) शब्द का प्रयोग किसी पुराने नियम या उसके अश को हटाकर उसके स्थान पर नया स्थापित करने से है।

(9) पाद टिप्पणी के नीचे यथा समव पुराने नियमो को भी दिया गया है, जो पहले लागू थे। इससे पुराने लम्बित मामलो को निपटाने मे मदद मिलेगी।

आशा है, उपरोक्त बातो का ध्यान रखने से आपको इन नियमो का सही अर्थ निकाल कर इनका प्रयोग करने म मदद मिलगी।

———

अध्याय
2

सेवा में प्रवेश—भर्ती एव नियुक्ति
(Recruitment & Appointment)

अनुक्रम

नियमावली प्रसग

विषय	अधीनस्थ कार्यालय	सचिवालय	अधीनस्थ न्यायालय	पचायत समिति	चतुर्थ श्रेणी
	A	B	C	D	E
1 सवर्ग/स्थापना की सख्या एव पद	6	4	5	3,4,5	4,5
2 रिक्तियो का विनिश्चय	9	8	14	8	7क
3 भर्ती के तरीके	7	5	6	6	6
4 सेना मे वापसी पर	7क	5क	6क	×	6क
5 राष्ट्रीयता	10	7	8	9	8
6 परिव्राजको को छूट	10क	7क	×	×	8क
7 आयु सीमा में छूट	11,11क	9	9	10	9
8 शैक्षिक अर्हतायें	12	10	10	11	10
9 चरित्र	13	11	11	12	12

		A	B	C	D	E
10	शारीरिक स्वस्थता	14	12	12	13	13
11	अनियमित/अनुचित साधन	14क	13	12क	×	×
12	नियुक्ति के लिए निरहतायें	14ग	15	×	×	×
13	पक्षसमर्थन	16	14	18	14	×
14	भर्ती परीक्षायें	19-24	16 23	14 19	15-17	×

1 स्थापन/सेवा एव सवग का अर्थ व स्वरूप

विभिन्न नियमो मे स्थापन/सेवा/सवा के सदस्य आदि शब्दों की परिभाषायें दी गई हैं जो सभी 'लिपिक वर्गीय' की ओर सकेत करती हैं। "सवग" की परिभाषा राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7 (4) में इस प्रकार की गई है—

"सवग से किसी सेवा या सवा के एक भाग से अभिप्रत है, जिसे एक अलग इकाई के रूप मे स्वीकृत किया गया हो।"

इस प्रकार एक सेवा का एक संवर्ग (काडर) भी हो सकता है या सेवा में कई सवग (काडर) भी हो सकते हैं। प्रत्येक सवग में कई पद (Post) हो सकते हैं या केवल एक पद। इन पदो या सवग की सख्या समय समय पर सरकार तय करती है।

अधीनस्थ कार्यालयो मे, तथा अधीनस्थ न्यायालयो मे दो सवग हैं-(1) आशु लिपिक सवग तथा (2) साधारण सवग। सचिवालय में सवग की बजाय चार समूह (ग्रुप) बनाये गये हैं, जो अब तीन ही रह गये हैं। (देखिये अनुसूची I)। पचायत समिति/जिला परिषद म एक सेवा मे 17 पदा के वग दिए गए हैं। चतुर्थ श्रेणी मे अनेक पद हैं, जिनमें तीन पद वरिष्ठ हैं (देखिए-अनुसूची I)। लिपिक वर्गीय सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी सेवा के विभिन्न पदो की सूचिया राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 की सलग्न अनुसूची III तथा IV मे देखनी चाहिए।

2 पदों के भेद व उनमें अन्तर—पदो के भेदो का वर्णन इन नियमावलियो मे नही है, परन्तु राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 7 मे तीन प्रकार के पदो की परिभाषायें मिलती हैं—

(1) स्थायी पद (Permanent Post—Rule 7 (26) से अभिप्रत है बिना किसी समय की सीमा के निश्चित दर पर वेतन वाला पद। इसे अधिष्ठायी-पद (Substantive Post) भी कहते हैं।

(2) अस्थायी पद (Temporary Post—Rule 7 (35) से अभिप्रत है, एक सीमित समय के लिये निश्चित दर पर वेतन वाला पद।

(3) सावधिक पद (Tenure Post—Rule 7 (36) से अभिप्रेत है, एक ऐसा स्थायी पद जिसे एक सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से एक निश्चित अवधि स अधिक के लिए धारण नही कर सक्ता।

3 रिक्तिया या रिक्त स्थानों (Vacancies) का विनिश्चय—किसी पद (स्थान) को रिक्त (खाली रखना या उसे समाप्त कर देना या नया पद सृजित कर देना या उसे नया पदनाम देना या उसका स्तर बदलना आदि ये सब सरकार के प्रशासनिक काय हैं।

रिक्तियो की सख्या तय करने के लिए सम्बन्धित नियमो मे स्पष्ट तरीका बताया गया है। उपनियम (1) के अनुसार अगले बारह महीनो मे जो पद रिक्त हो या होंगे, उनका अनुमान लगाया जाता है और उनकी सख्या निर्धारित की जाती है। उपनियम (2) के अनुसार जो पद सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों से भरे जाने हो, तो उनके निश्चित प्रतिशत (कोटा) के आधार पर चक्रीय क्रम (रोटेशनल साइक्लि) अपनाया जावेगा और उसी के अनुसार भर्ती व नियुक्तिया की जावेगी।

4 रिक्त स्थानो को भरना आज्ञापक (अनिवाय) नहीं—रिक्त स्थानो को प्रति वप भरने के लिये सम्बन्धित नियमो मे कोई आज्ञापक उपबध नही है। सरकार कई वर्षों तक रिक्त स्थान को नही भी भरे, यह उसका विवेकाधिकार है। परन्तु रिक्त स्थानो का विनिश्चय प्रति वप अवश्य करना होगा।

[अपील स 120/76 श्रीमती लज्जा देवी दि 26 7-1978
अपील स 144/77 मदनलाल जैन दि 26 7 1978
अपील स 95/66 प्रेमसुख माहेश्वरी दि 24 7 1978]

5 समान वेतनमान के पदो में भी अन्तर -कार्यालय अधीक्षक श्रेणी द्वितीय तथा आशुलिपिक श्रेणी प्रथम दोना इन नियमो मे अलग अलग पद ह, इसलिये एक पद के धारण करने वाले कमचारी को केवल इसीलिये कि दोनो पदो के वेतनमान समान हैं, दूसरे पद पर स्थानान्तरित नही किया जा सकता।

[अपील स 68/1976 यू सी सोगानी 1978 RLT-5]

6 भर्ती एव नियुक्ति (Recruitment V Appointment)—सरकारी सेवा मे भर्ती प्रवेश की तैयारी है जबकि नियुक्ति प्रवेश है। भर्ती अधिकारी या चयन कर्ता तथा नियुक्ति प्राधिकारी दोनो अलग अलग भी होते हैं और एक भी हो सकते ह। भर्ती अधिकारी का काय "आयोग" करता है, जहाँ रिक्त पद आयोग की सिफारिश से भरने होते हैं। अन्य मामलो मे नियुक्ति प्राधिकारी ही भर्ती अधिकारी भी होता है। भर्ती के लिये चयनसूची मे नाम आ जाने मात्र से अभ्यर्थी को कोई अधि-

कार उत्पन्न नहीं हो जाता,[1] जिसे न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा प्राप्त किया जा सके। नियुक्ति के बाद भी केवल सीमित अधिकार उत्पन्न होता है, जो पुष्टीकरण के बाद प्रास्थिति (Status) तथा पदाधिकार (Lien) में बदल जाता है। एक कर्मचारी अपील अधिकरण में अपने इस अधिकार की मांग कर सकता है। शब्द 'भर्ती' और 'नियुक्ति' पर्यायवाची (समानार्थी) नहीं हैं और इनका अर्थ भिन्न भिन्न है। भर्ती से स्पष्ट अभिप्राय है—"सूची में लेना, स्वीकार करना, चयन करना, नियुक्ति हेतु अनुमति देना।" यह वास्तविक नियुक्ति या सेवा में पदस्थापन नहीं है।[2]

7 भर्ती एवं नियुक्ति के तरीके—भर्ती के वे ही तरीके अपनाये जा सकते हैं जो नियमों में दिये गये हैं। इन नियमावलियों में दिये गये दो प्रकार के तरीके मुख्य हैं—

(i) सीधी भर्ती—जो नियमों में वर्णित प्रतियोगी परीक्षा या अर्हता परीक्षा के द्वारा की जाती है। इसमें खुली प्रतियोगिता होती है या सीमित प्रतियोगिता। सीधी भर्ती सम्बन्धी नियम के प्रसंग ऊपर "भर्ती परीक्षायें" शीर्षक में दिये गये हैं। इन नियमों में आवेदन पत्र आमन्त्रित करना परीक्षा शुल्क, प्रवेश के लिए शर्तें, परीक्षा का समय संचालन पाठ्यक्रम तथा स्तर का वर्णन है। विस्तृत पाठ्यक्रम तथा उनका क्षेत्र व स्तर संलग्न अनुसूची में दिया गया है।

कृपया यथा स्थान देखिये।

(ii) चयन या पदोन्नति द्वारा—पदोन्नति के लिये चयन (selection) या विशेष चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा या विभागीय पदोन्नति समिति (D P C) द्वारा नियमों में निर्धारित तरीके से निश्चित शर्तों व पात्रता के आधार पर किया जाता है, जिसका विस्तृत विवेचन हम अध्याय (7) में करेंगे।

इन दो तरीकों के अलावा भर्ती या नियुक्ति के कुछ तरीकों के प्रावधान और मिलते हैं जो इस प्रकार हैं—

(क) स्थानान्तर द्वारा—किसी एक विभाग से दूसरे विभाग में समान पद पर स्थानान्तर द्वारा भर्ती या नियुक्ति की जा सकती है।

---

1 केशव बनाम मैसूर राज्य AIR 1556 Mys 20

AIR 1969 Punj 178,

1968 SLR 539 (P & H)

(ख) आमेलन (absorption) द्वारा—जब कोई सेवा या पद को समाप्त (abolish) कर दिया जावे या एकीकरण (merger) किया जावे, या प्रशासनिक कारणो से या मितव्ययिता के लिए कुछ पदो मे कमी या कटौती की जावे, तो अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर्मचारियो को दूसरे विभागो में अन्य पदो पर आमेलित किया जाता है जो नई नियुक्ति या भर्ती का एक तरीका है। इसके लिए अलग से नियमावली बनाई गई है—"राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम 1969" जो आगे परिशिष्ट (1) मे दी जा रही है।

(ग) प्रतिनियुक्ति (deputation) द्वारा—जब किसी सरकारी कर्मचारी को किसी दूसरे विभाग मे अस्थाई अवधि के लिए या किसी बाहरी सेवा (स्थानीय निकाय, निगम, कम्पनी आदि मे) मे किसी निश्चित अवधि के लिए भेजा जाता है, तो इस प्रकार से भर्ती की जाती है।

8 भर्ती सम्बन्धी कुछ विशेष नियमावलिया—प्रत्येक सेवा के लिए भर्ती तथा सेवा की अन्य शर्तों ' सम्बन्धी अलग अलग नियमावलिया है। फिर भी विशेष परिस्थितियो के आधार पर निम्नलिखित विशेष नियमावलिया भर्ती सम्बन्धी शर्तों तथा प्रक्रिया के लिए बनाई गई हैं —

(1) राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम 1969 जिसका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं।

(2) राजस्थान सिविल सेवा (सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी सस्थानों तथा अन्य स्थापनो के कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 1977—इस नियमावली मे उन कर्मचारियो की भर्ती, नियुक्ति आदि के नियम दिये गये है जो किसी निजी सस्थान या स्थापन को सरकार द्वारा अपने हाथ मे लेने पर सरकारी सेवा मे सम्मिलित किए जाते है।

(3) राजस्थान (सेवा मे रहते हुए मृत्यु हो जाने पर सरकारी कर्मचारियो के आश्रितों की भर्ती) नियम 1975 —सरकारी कर्मचारी की सेवा मे अकाल मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार की मदद करने के लिए उसके आश्रितो को सरकारी सेवा में भर्ती किया जाने के लिए यह नियमावली बनाई गई है। ऐसी ही नियमावली पचायत समिति एव जिला परिषद् सेवाओ के लिए 1978 मे बनाई गई है। यह नियमावली नगरपालिकाओ के कर्मचारियो पर भी लागू की गई है तथा

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बागान, सिंचाई, जल प्रदाय तथा आयुर्वेद विभाग के कार्य प्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को भी इसका लाभ दिया गया है।

—ये नियमावलियाँ सेवा में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण हैं। अत इनका हिन्दी पाठ आगे परिशिष्ट" मे दिया जा रहा है।

9 भर्ती एव नियुक्ति के लिये सामान्य शर्तें —भर्ती के लिए अनेक शर्तें हैं जिनमे दो प्रकार की शर्तें होती है—(1) भर्ती के पहले पूरी की जाने वाली शर्तें (Pre conditions), जिनको पूरा किए बिना भर्ती ही नही हो सकती, (2) भर्ती के बाद पूरी की जाने वाली शर्तें—जो भर्ती के बाद नियुक्ति से पहले या बाद मे पूरी करनी होती हैं। इन शर्तों को पूरा करने पर ही नियुक्ति नियमित तथा वैध मानी जाती है। इन शर्तों में छूट देने या इनको शिथिल करने का सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार है।

इन शर्तों मे जो योग्यता से सम्बन्धित हैं उनको 'अर्हतायें" (Qualifications) कहा जाता है और जो उपयुक्तता से सम्बन्धित हैं, 'पात्रतायें"(Eligibility) कहा जाता है।

इन नियमावलियो मे जो सामान्य शर्तें दी गई हैं, उनकी सूची हम इस अध्याय के आरम्भ मे 'नियमावली प्रसग" मे दे चुके हैं। इनमे राष्ट्रीयता आयु सीमा, शैक्षणिक अर्हतायें, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता, अनियमित व अनुचित साधनो का प्रयोग, पक्ष समर्थन सम्बन्धी शर्तें लगभग सभी नियमो में समान हैं। ये ऐसी शर्तें हैं, जिनको पूरा न करने पर या इनमे सरकार द्वारा छूट नही दी जाने पर नियुक्ति अनियमित तथा अवैध हो जाती है। ऐसी अनियमित नियुक्ति के कारण आगे सेवा सम्बन्धी सम्पूर्ण परिलाभ अवरुद्ध हो जाते हैं।

10 अर्हताओं एव पात्रता की शर्तों की वधता —नियुक्ति प्राधिकारी को यह छूट कि—वह सरकारी सेवा मे भर्ती के लिये आवश्यक अर्हतायें (योग्यतायें) निर्धारित करे और नियुक्ति के लिये ऐसी पूर्व वांछित शर्तें भी निर्धारित करे जो सरकारी सेवको में उचित अनुशासन की स्थापना के लिये आवश्यक हो। सरकार नियुक्ति की भाँति पदोन्नति के लिये भी शर्तें विहित कर सकती है। इससे अनुच्छेद 16 का हनन नही होता।[1] परन्तु निर्धारित की गई योग्यतायें सरकारी सेवक के द्वारा उस पद पर किये जाने वाले कार्य से सुसम्बद्ध होनी चाहिये। यह एक युक्तियुक्त मापदण्ड होना चाहिये। बौद्धिक कुशलता के साथ शारीरिक कुशलता अनुशासन को

1 बनारसीदास बनाम उत्तर प्रदेश शासन AIR 1956 SC 520

भावना, नैतिक निष्ठा, राज्य के प्रति वफादारी– ये सब योग्यतायें हो सकती हैं। तकनीकी नियुक्तियो मे तक्नीकी स्तर व योग्यतायें मागी जा सक्ती है, परन्तु राजनैतिक पीडितो या शरणार्थियो को भर्ती मे प्राथमिक्ता दने की शत कोई पात्रता का युक्तियुक्त आधार नही माना गया।[2]

विभागीय परीक्षा मे सफल होना भर्ती की एक आवश्यक शत थी कि्तु जब एक कमचारी तीन वार परीक्षा देकर भी सफल नही हुआ, तो उसे रा से नि 23 क (2) का सरक्षरा नही मिल सकता।[3]

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय अनुसचिवीय स्थापन नियमो के नियम 7 के अधीन एक निम्न लिपिक (L D C) का जिसने तीन वप से अधिक की सेवा पूरी करली और जो नियम 23-A (2) के अनुसार अ्यथा योग्यता प्राप्त था, विभागीय परीक्षा मे दो बार असफल रहने पर भी हटाया नही जा सक्ता। क्योकि विभागीय परीक्षा मे सफल होना नियमो मे आवश्यक शत नही थी।[4]

11 भर्ती नियुक्ति आदि की शत मे छूट--भर्ती के लिये कुछ विशेष परिस्थितियो का समाधान करने के लिये इन नियमो में कुछ विशेष उपब्ध भी किये गये हैं, जो उस प्रकार हैं--

(1) सेना/जलसेना/वायुसेना मे आपत्काल के समय भर्ती हुए सरकारी कमचारियो की वापसी पर सेवा मे पुन लेने की शर्तें।

(2) भारतीय लोग जो विदेशो में जाकर बस गये थे, उ्ह वहा को सरकार ने वापस भारत लौटा दिया, ऐसे लोगो को 'परिव्राजक' कहते हैं। उनको सरकारी सेवा मे भर्ती के लिये छूट दी गई है।

(3) भारतीव सविधान के अनुच्छेद 335 के उपब्धो की पालना मे अनुसूचित जातियो एव अनुसूचित जनजातियो के सदस्यो के लिये भर्ती मे रिक्त पदो का आरक्षरा (सुरक्षित पद) किया गया है, जिसका वरान आगे अ्याय (3) मे क्यिा जा रहा है।

(4) अधिकतम आयु के बारे में भी अनेक प्रकार की छूट दी गई हैं जो 'आयु'' शीपक नियम के नीचे पर्तुक मे दी गई हैं।

(5) शारीरिक स्वस्था की शर्तें विकलागो और अपगो के मामले मे शिथिल कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त विकलागो के लिए 2 प्रतिशत रिक्त पदो को

---

2 सुखन्दन ठाकुर बनाम बिहार राज्य AIR 1957 Patna 617

3 वेदनिधि शर्मा बनाम निदेशक तक्नीकी शिक्षा 1971 WLN 302

4 फतेच्द बनाम राज्य 1967 RLW 196

आरक्षित किया गया है । इसके लिए "राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का नियोजन नियम 1976" बनाये गए हैं, जिसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है । ये नियम आगे परिशिष्ट (5) में दिए जा रहे हैं ।

[कृपया 'नियमावली प्रसंग' में देखकर सम्बन्धित नियम देखने का श्रम करें ।]

12 नियुक्ति के प्राधिकार का स्वरूप एवं वैधता - हम अध्याय (1) में "नियुक्ति प्राधिकारी" की परिभाषा का विवेचन कर चुके हैं । संविधान के अनुच्छेद 311(1) में यह अपेक्षा की गई है कि—नियुक्ति और निष्कासन (सेवा से मुक्ति या पदच्युति) दोनों करने वाला प्राधिकारी एक ही स्तर (Status) का होना चाहिये। नियुक्ति प्राधिकारी जिसने नियुक्ति की थी, वही उस कर्मचारी को हटा सकता है, यह आवश्यक नहीं है । उसी समान श्रेणी व पद का प्राधिकारी होना पर्याप्त है ।[1] राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 2 (क) में नियुक्ति-प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी के निम्नलिखित लक्षण बताये जा सकते हैं —

1 जिस प्राधिकारी को किसी सेवा/श्रेणी/पद पर उस कर्मचारी को नियुक्त करने के अधिकार दिये गये हो या
2 वह अधिकारी जिसने उसे वास्तव में नियुक्त किया हो, या
3 वह अधिकारी जिसने उसकी नियुक्ति को स्थायी (कनफर्म) किया हो—
—इन तीनों में से जो सर्वोच्च हो वही "नियुक्ति प्राधिकारी" माना जावेगा ।[2]

साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 15 के अनुसार—"नियुक्ति के अधिकार में पदेन (ex-officio) नियुक्ति करना भी सम्मिलित है तथा धारा 16 के अनुसार निलम्बन या निष्कासन करने की शक्ति भी उसमें सम्मिलित है । इस प्रकार नियुक्ति का प्राधिकार विस्तृत है । नियुक्ति केवल वही प्राधिकारी कर सकता है जिसे किन्हीं नियमों में ऐसा प्राधिकार प्राप्त हो या ऐसा प्राधिकार प्रत्यायोजित किया गया हो। अतः नियुक्ति की आज्ञा पर वही अधिकारी हस्ताक्षर करेगा, जिसे नियुक्ति का प्राधिकार है । कृते (For)" करके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी की गई 'नियुक्ति आज्ञा' की वैधता को चुनौती दी जा सकती है ।

13 नियुक्ति-आज्ञा के आवश्यक तत्व—नियुक्ति की आज्ञा (जिसमें पदोन्नति की आज्ञा भी सम्मिलित है) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है उसमें निम्नांकित आवश्यक बातें होनी चाहिये—

---

1 AIR 1954 Raj 207, AIR 1955 SC 70

2 देखिये पुस्तक 'अनुशासनिक कार्यवाही (1979, अध्याय (3) पृष्ठ 18-19 तथा अध्याय (6) पृष्ठ 28-33

(1) नियुक्ति-आज्ञा की क्रम सख्या व दिनाक
(2) नियुक्ति जिस नियम के अधीन की गई उसका प्रसग,
(3) नियुक्ति करने के अधिकार की घोषणा
(4) नियुक्ति का स्वरूप—स्थायी या अस्थायी, उसकी अवधि, आयोग से चयनित कमचारी के उपलब्ध होने पर हटाये जाने की शत नोटिस द्वारा हटाने की शत, पात्रता सम्बन्धी कोई शत (जैसे-स्वास्थ्य परीक्षा, टकण परीक्षा) जो भी आवश्यक हो।
(5) वेतनमान व पद का नाम —कार्यालय जहा पदस्थापन किया गया।
(6) स्थानान्तर द्वारा नियुक्ति के मामले मे—वरिष्ठता, पदाधिकार, विकल्प आदि के बारे मे शर्ते।

इस प्रकार नियुक्ति–आज्ञा एक विस्तृत दस्तावेज होना चाहिये। इसमे भविष्य मे होने वाली कई उलझनो से बचा जा सकता है। सब प्रकार की नियुक्तियो के लिये एकसा प्ररूप (फाम) तैयार करना एक कठिन काय है, किन्तु उपरोक्त आवश्यक तत्व उसमे सम्मिलित किये गये हैं, इसका ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा नियुक्ति की आज्ञा में अवैधता होने की आशका है।

14 नियुक्ति का स्वरूप व वधता—नियुक्ति के स्वरूप का विवेचन करने व उसकी वैधता की जाच करने के लिए इसे हम तीन स्थितिया (स्टेजज) से विभाजित कर सकते हैं —

(1) भर्ती की स्थिति—जब एक अभ्यर्थी भर्ती की प्रारम्भिक शर्तो को पूरा कर नियमानुसार भर्ती के तरीके से चयनित किया जाता है।

(2) नियुक्ति की प्रारम्भिक स्थिति—भर्ती के तुरन्त बाद प्रारम्भिक नियुक्ति की स्थिति आती है। उन शर्तों को "परिवीक्षा" कहते है। इनके साथ साथ प्रत्येक पद पर नियुक्ति के लिये कुछ विशेष पात्रता की शर्तें नियमो मे दी गई हैं, उनका पूरा करना भी आवश्यक है। इनको पूरा किये बिना नियुक्ति अपनी पूण स्थिति मे नही पहुच सकती अर्थात—पुष्टीकरण नही किया जा सकता।

(3) नियुक्ति की अधिष्ठायी स्थिति—जब नियुक्ति की प्रारम्भिक शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो उस कमचारी को अधिष्ठायी पद पर अधिष्ठायी (स्थायी) नियुक्ति प्रदान की जाती है और उसे स्थायी (कनफम) कर दिया जाता है जिससे उसे उस पद पर 'पदाधिकार' मिलता है। उपरोक्त तीनो स्थितियो मे से किसी मे भी यदि किसी नियम के विपरीत कार्यवाही करके नियुक्ति दी जाती है तो वह 'अनियमित" नियुक्ति होगी और यदि वह नियुक्ति किसी भेद भाव पर आधारित है तो वह सविधान के अनुच्छेद 16 के विपरीत होने से अवैध हो जावेगी।

[कृपया "अस्थायी नियुक्ति" सम्बन्धी विवेचन के लिए आगे अध्याय (4) देखिये]

नियमित एवं अनियमित नियुक्ति का अन्तर हम अध्याय (1) में स्पष्ट कर चुके हैं। नियुक्ति की अनियमितता आगे जाकर बड़ी दुखदायी हो सकती है और एक कर्मचारी को अनेक परिलाभों से वंचित होना पड़ता है। "जब अपीलार्थी की प्रारम्भिक नियुक्ति अनियमित थी, क्योंकि वह अधिवयायु (over age) था। उसकी आयु में संशोधन की प्रार्थना भी ठुकरा दी गई तो जब तक उसकी प्रारम्भिक नियुक्ति को नियमित नहीं किया जाता, उसका पुष्टीकरण (स्थायीकरण) नहीं किया जा सकता। अतः नियुक्ति को नियमित कराना होगा।[1]

एक मामले में निर्णय दिया गया कि—"1967 में की गई नियुक्ति को 1977 में रिटपिटीशन द्वारा अवैध घोषित करने के लिए अत्यधिक देरी हो गई है। न्यायालय के लिए 10 वर्ष पहले की नियुक्ति की वैधता देखना अनुज्ञेय नहीं है—अर्थात् न्यायालय उस पर विचार नहीं कर सकता।[2] अतः किसी की प्रारम्भिक नियुक्ति या पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की अनियमितता को तुरन्त चुनौती देनी चाहिये। मामला कई वर्षों तक पुराना पड़ जाने से उत्पन्न अधिकारों को बाद में न्यायालय की कार्यवाही से चुनौती नहीं दी जा सकती। यह एक ध्यान देने योग्य सिद्धान्त है।

15 नियुक्ति की विशेष शर्तें—इन नियमों में नियुक्ति की तीनों स्थितियों-(सीधी भर्ती, पदोन्नति से, या स्थानान्तर से) के लिये कुछ विशेष शर्तें लगाई गई हैं, जो पूर्व शर्तें (Pre-conditions) होने से उनकी सही पालना नहीं करने पर नियुक्ति अनियमित एवं अवैध हो जाती है। विभिन्न नियमावलियों में जो ऐसी शर्तें दी गई हैं, उनकी एक पृथक तालिका हम नीचे दे रहे हैं, जो उपयोगी होगी। ये शर्तें पीछे बताई गई 'सामान्य शर्तों" के अतिरिक्त हैं और इनको नियमों में संशोधन किये बिना शिथिल नहीं किया जा सकता।

(क) सचिवालय लिपिकवर्गीय नियमावली में— नियम 9 के नीचे 11 पर तुक दिये हुये जिनमें विभिन्न पदों पर नियुक्ति की विशेष शर्तों का वर्णन किया गया है। आगे नियम 10 में शैक्षणिक तथा तकनीकी योग्यताओं का विवरण है। फिर नियम 23 व 27 में सेवा में नियुक्ति का वर्णन है। पदोन्नति के लिये भाग (5) में नियम 24 से 26 क में प्रावधान हैं।

---

1 अपील संख्या 195/77 छोटूसिंह 1978 RLT 30।

2 आर के गुप्ता बनाम दिल्ली प्रशासन 1979 SLJ 121 (Delhi Para 11) नरसिंह झा बनाम बिहार राज्य 1974 (2) SLR 298

(ख) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली मे—इसी प्रकार नियम 7 के नीचे 10 परन्तुको मे अलग अलग पदो के लिये विशेष शर्ते दी गई है। आगे नियम 12 मे शैक्षणिक योग्यताओ का विवरण है। फिर नियम 15 मे वरिष्ठ पदो पर नियुक्तियो के लिये विशेष शर्ते निषेधात्मक शब्दो मे दी गई है और नियम 26 में वरिष्ठ पदो पर नियुक्ति (पदोन्नति) के तरीके बताये गये है। कनिष्ठ पदो पर नियुक्ति की आवश्यक शर्ते नियम 25 मे दी गई है। इन सब नियमो को साथ साथ पढना चाहिये।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय नियमावली मे—नियम 20 मे नियुक्तियो का तरीका दिया गया है तथा पदोन्नति का विवरण नियम 13 म है। नियुक्ति की किसी आज्ञा से व्यथित कमचारी उच्च यायालय म अपील कर सकता है।

(देखिये–नियम के नीचे परन्तुक)

सिविल सेवाओ की दुखद-स्थिति

यदि हमारी सिविल सेवाओ मे स्थायी तथा श्रेणीबद्ध (पदोन्नति की) प्रणाली से लोगो को उचित तरीके से दिशा निर्देशित कर सक्रिय बना दिया जाय, तो वे हमारे युग की प्रगतिशील चुनौतियो का सामना कर सकेंगे। परन्तु दु खद स्थिति यह है कि—इन सिविल सेवाओ के बहुत से लोगो को उनकी सेवा सम्बन्धी मामलो के लिये सघष मे धकेल दिया गया और उनकी अविभाजित अतुल शक्तियो और तीव्र सूझबूझ को राष्ट्र के भाग्योदय की विकास योजनाओ को पूरा करने के पथ से विमुख कर दिया गया है और इस प्रकार 'सेवाविधि शास्त्र'' का एक धमिल क्षेत्र बन गया है।''

—न्याय मूर्ति श्रीकृष्ण ऐय्यर
[1977 SCC (L&S) 127]

अध्याय 3

आरक्षण—(Reservation)

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए

अनुक्रम

1 नियमों का विश्लेषण—

उपरोक्त नियमो का विश्लेषण करने पर निम्नांकित बातें स्पष्ट होती हैं—

(1) यह आरक्षण सरकार द्वारा जारी किये गये उन आदेशों के अनुसार होगा, जो भर्ती के समय लागू थे।

(2) आरक्षण सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों के लिये लागू होगा।

(3) पदोन्नति मे आरक्षण के रिक्त स्थान पहले 'योग्यता सह वरिष्ठता' के आधार पर (2-9-1975 से 31-10 75 तक) भरते थे, अब 31 10 75 से 'केवल योग्यता (मेरिट) के आधार पर भरते हैं और इसके लिये वरिष्ठता पर कोई विचार नहीं करना होगा।

(4) रिक्तियां भरने का तरीका—

(क) सीधी भर्ती के लिये—आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी चयन (भर्ती) कर रहा है, एक सूची तैयार करता है, उसमे सभी पात्र अभ्यर्थियों के नाम नियमानुसार उनके द्वारा प्राप्त योग्यता या अंको के अनुसार क्रम में रखे जावेंगे। इनमें अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के नाम भी उसी क्रम

में होंगे, उनको अलग से चिन्हित करके या अलग सूची बना करके छाट लिया जावेगा। अब "40-बिन्दुओं के रोस्टर रजिस्टर" के अनुसार पहले अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियो से उनके आरक्षित स्थान भर लिये जावेंगे तथा यदि कोई आरक्षित स्थान रिक्त रह जावे, तो उसे अनारक्षित (unreserved) कर के अगले वर्ष के लिये ले जाया जावेगा (carry forward) और इस वर्ष उसको साधारण सूची से भर लिया जावेगा।

(ख) पदोन्नति के लिये—अलग से "40 बिन्दुओ का रोस्टर रजिस्टर" रखा जावेगा और विभागीय-पदोन्नति-समिति या नियुक्ति प्राधिकारी, जो भी पदोन्नति हेतु चयन करे, अपने द्वारा तैयार की गई पात्र अभ्यर्थियो की सूची में से अनुसूचित जाति/जन जाति के पात्र अभ्यर्थियो को उनकी तुलनात्मक श्रेणी (रेंक) का ध्यान दिये बिना, पदोन्नति के रिक्त पदो को भरेगा।

(5) विशेष निवेदन--

निवेदन यह है कि—दिनाक 31-10 75 को पदोन्नति के लिये "केवल योग्यता' का जो सशोधित मापदण्ड लागू किया गया है, उसके अनुसार तरीके म सशोधन नही किया गया प्रतीत होता है। फिर भी 'केवल योग्यता' से चयन के लिये जितने भी अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति पात्र हैं, उन पर विचार करना होगा, चाहे उनके नाम समिति द्वारा वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर तैयार की गई सूची मे आवें या नही। यह ध्यान देने योग्य है। रोस्टर-रजिस्टर में आरक्षित पदो को पात्र अभ्यर्थियो से भरने के बाद भी कोई पद रिक्त रह जाता है, तो उसे अनारक्षित कर साधारण अभ्यर्थियों से भर लिया जावेगा, परन्तु इस प्रकार के रिक्त पदों को अगले वर्ष के लिये अग्रनित (carry forward) नही किया जायेगा।

आगे "40 बिन्दु के रोस्टर रजिस्टर" का प्रपत्र दिया गया है और साथ ही विभिन्न सरकारी आदेशो के साराश व अश भी आगे दिये जा रहे हैं।

"राजस्थान अधीनस्थ० लिपिक० स्था० नियम के नियम 8 के अनुसार तथा सशोधित सरकारी आज्ञा दिनांक 10-2-75 के उपबन्धो के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियो की आरक्षित रिक्तस्थानो पर पदोन्नति केवल मेरिट के आधार पर करनी होगी।[1]"

2 आरक्षण का प्रतिशत—ॐ(आज्ञाओ का साराश)—सरकार द्वारा प्रसारित आज्ञाओ का साराश मार्गदर्शनार्थ आगे दिया जा रहा है —

---

1 अपील स 595/77 जोहरसिंह दिनाक 21-8 77।

ॐ राजस्थान विधान सभा अनुसूचित जाति कल्याण समिति छठा प्रतिवेदन 1976-77 से साभार सग्रहित-दत्त।

(1) आदेश स प 25 (42/सा प्र (क 5) दि 19 सितम्बर 1951, को आदेश स डी 9692/प 4 (8) सा प्र (क) 56 दिनांक 27 7 56 द्वारा सशोधित—

12½% सीधी भर्ती में आरक्षण, दो वर्ष तक "कैरी फारवर्ड" अधिकतम आयु म 5 वर्ष की छूट।

(2) परिपत्र स प 6 (4) नियु (क) IV/62 दि 5 अगस्त 1962—

सीधी भर्ती में 12½% समस्त सेवाओ में तथा 15% चतुर्थ श्रेणी सेवा में—

1 अप्रैल 1962 से आरक्षण स्थानीय निकायों, राजकीय उपक्रमो मे लागू किया गया।

(3) आज्ञा स एफ 7(15) नियुक्ति (क-5) 68 दि 4 7-1970 –

सीधी भर्ती म अनुसूचित जाति के लिये 17% तथा अनु जन जाति के लिये 11% राजस्थान पुलिस सेवा मे क्रमश 14% तथा 9%

(4) वि स प 7 (11) नियुक्ति (क-5) 70 दि 15 10 71—

कुल मिलाकर आरक्षण सीधी भर्ती के पदो के 50% से कम हो।

"100-बिन्दु रोस्टर" लागू किया गया।

पूर्णत अस्थाई 45 दिन या अधिक की नियुक्ति पर भी आरक्षण लागू किया गया।

(5) आदेश स एफ 7 (4) DOP/A-II/73 दिनाक 3-9-1973/3-10-1973—

(मूल आज्ञा पीछे पृष्ठ 117 पर देखिय)—पदोन्नति म भी आरक्षण लागू।

(6) आदेश स एफ 9 (19) DOP/A-V/74 दिनांक 10 फरवरी 1975—

सीधी भर्ती का कोटा क्रमश 17% व 11% के बजाय 16% व 12% किया गया—"40 बिन्दु रोस्टर" लागू किया गया।

(7) स एफ 9 (19) कार्मिक (क-5) 74 दिनाक 10 फरवरी 1975—

(1) पदोन्नति के लिय प्रत्येक श्रेणी/प्रवग/समूह के पदो में 16% व 12% का आरक्षण, उन सेवा सवर्गों मे जहां सीधी भर्ती का तत्व 50% से अधिक न हो। [अब 50% की बजाय 66⅔% कर दिया गया है— स प 7 (4) कार्मिक (क 2) 73 दि 18 10 76]

(2) आरक्षण को लागू करने का तरीका (आगे देखिये)

(3) आरक्षण तदर्थ या अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्तियो पर भी लागू जो 'तदर्थ पदोन्नति' ही मानी जावेगी। [स प 15 (24) कार्मिक (क-2) 75 दि 31 सितम्बर 75 द्वारा प्रतिस्थापित]

3　पदोन्नति मे आरक्षण लागू करने का तरीका (सारांश)

[स एफ 9 (19) कार्मिक क-5) 74 दिनाक 10 फरवरी 1975 का पैरा (2) ।]

(i) अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियो के लिय निर्धारित प्रतिशत के अनुसार आरक्षण की सगणना पदोन्नति के लिये पदो के प्रवग के प्रतिवष के कुल रिक्त स्थानो पर की जावेगी । यदि पदोन्नति से किसी पदो के प्रवग मे 40 रिक्त स्थान भरने हो, तो उनमे से केवल 11 पद (6 अनुसूचित जाति के लिये तथा 5 अनुसूचित जन जाति के लिये) आरक्षित किये जायेंगे । इसके अनुसार प्रत्येक प्रकार के पदो के लिये अलग अलग रोस्टर रजिस्टर रखे जावेंगे जिनमे बिन्दु 1, 7, 14, 21, 28, 35 अनुसूचित जाति के लिये तथा बिन्दु 4, 12, 22 30, 39 अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित होगे ।

(ii) जब रोस्टर के अनुसार आरक्षण मे रिक्त स्थान हो, तो अनु जाति व जन जाति के अभ्यर्थियो की अलग अलग सूचिया बनाई जायेंगी, जो सामान्य विचारण के क्षेत्र मे आते हो। उनको मुख्य सूची की पारस्परिक वरिष्ठता में व्यवस्थित किया जावेगा ।

(iii) अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियो पर विभागीय पदोन्नति समिति या जहा ऐसी समिति अलग से न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा 'केवल योग्यता" के आधार पर उनकी पदोन्नति का निर्णय करना चाहिये ।

(iv) जब साधारण श्रेणी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के चयनित व्यक्तियो की अलग सूचियाँ बना ली जावें, तो इनको एक सयुक्त सूची मे मिला देना चाहिये । इस प्रकार की सूची मे से उपरोक्त रोस्टर के अनुसार पदोन्नतिया दी जानी चाहिये ।

※(v) यदि पदोन्नति के लिये इन जातियो के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो रिक्त पद को सयुक्त सूची के अन्य अभ्यर्थियो से भर लेना चाहिये । इसके लिये प्रशासनिक विभाग से उन पदो को अनारक्षित करने की स्वीकृति लेकर ही ऐसा करना चाहिये ।

(vi) पदोन्नति का इस प्रकार न भरा गया आरक्षित पद अगले वर्ष के लिये आगे ले जाया जायेगा और तीन वर्ष बाद वह समाप्त हो जायेगा । परन्तु केवल मेरिट (योग्यता) से की जाने वाली पदोन्नति के मामले में ये रिक्त आरक्षित पद आगे नहीं ले जाये जायेंगे ।

※ वि स एफ 15 (24) कार्मिक (क-II) 75 दिनाक 3-12 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(अब पदोन्नति केवल मेरिट से की जावेगी, अत रिक्त पद आग नहीं ले जाया जावेगा।— लेखक)

4 40 बिन्दुओं का रोस्टर—सीधी भर्ती और पदोन्नति मे—

[U=अनारक्षित (unreserved) SC अनुसूचित जाति ST अनुसूचित जन जाति]

1	SC	11	U	21	SC	31	U
2	U	12	ST	22	ST	32	U
3	U	13	U	23	U	33	U
4	ST	14	SC	24	U	34	U
5	U	15	U	25	U	35	SC
6	U	16	U	26	U	36	U
7	SC	17	U	27	U	37	U
8	U	18	U	28	SC	38	U
9	U	19	U	29	U	39	S, T
10	U	20	U	30	ST	40	U

टिप्पणी—यदि किसी भर्ती-वर्ष मे केवल दो रिक्त स्थान हो, तो उनमे से एक आरक्षित होगा। यदि केवल एक रिक्त स्थान हो, तो वह अनारक्षित (Un reserved) होगा। यदि इस कारण से किसी आरक्षित-बिन्दु को अनारक्षित मानना पड़े, तो वह आरक्षण अगले तीन भर्ती वर्षों तक आगे ले जाया जा सकेगा।

(4) सीधी भर्ती और पदो नति के पदों को भरने की रोस्टर प्रणाली 40 बिन्दु का रोस्टर सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के आरक्षित कोटा दोनो के लिए ल होगा। रोस्टर इस प्रकार रक्खा जावेगा—

(i) आगे दिए गए प्ररूप (प्रोफार्मा) मे सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए अलग अलग 40 बिन्दु का रोस्टर रखा जावेगा।

(ii) यह रोस्टर एक चलते रहने वाले खाते की तरह वर्षानुवर्ष रखा जावेगा। उदाहरणार्थ—यदि किसी वर्ष मे भर्ती बिन्दु 6 पर रुक जाती है तो अगले वर्ष बिन्दु 7 से चालू होगी।

(iii) स्थाई नियुक्तियो तथा उन अस्थाई नियुक्तियो के लिए जो स्थाई होने वाली है या अनिश्चित काल के लिए रहने वाली हैं एक ह (Common) रोस्टर रक्खा जावेगा।

टिप्पणी— कोई अस्थाई पद जो रोस्टर में सम्मिलित है और बाद मे स्थाई में बदल दिया गया हो, उसे रोस्टर मे दुबारा नही दिखाया जायेगा।

(iv) 45 दिवस या अधिक के लिए या जो स्थायी होने वाली नही हैं ऐसी पूर्णत अस्थायी नियुक्तियों के लिए अलग से रोस्टर रक्खा जावेगा।

—— ——

परिशिष्ट IV अनुसूचित जातियों/जन जातियों के लिए पदों के आरक्षण का रोस्टर रजिस्टर

स्थायी/अस्थायी

पदों की श्रेणी या समूह

आरक्षण जो गत वर्ष से आगे लाया गया		भर्ती दिनांक	की गई भर्ती का विवरण						हस्ताक्षर नियुक्ति प्राधिकारी अधिकृत अधिकारी	विशेष विवरण
			रोस्टर बिन्दु स	क्या अनारक्षित है या आरक्षित/SC/ST	नियुक्त व्यक्ति का नाम व नियुक्ति दिनाक	क्या SC/ST है या 'नही' (Neither)	आरक्षण जो आगे ले जाया गया			
S C	S T						SC	ST		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6 अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां

नवीनतम सशोधित सूची 1978

[अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातिया आदेश (सशोधन) अधि
नियम 1978 के अधीन, जो भारत सरकार द्वारा स बी सी/12016/34/76
एस सी टी–v द्वारा भारत के राज पत्र (असाधारण) भाग II दिनांक 20 सितम्बर
1976 मे प्रकाशित एव दि 27-7-1977 से प्रभावी]

राजस्थान मे अनुसूचित जातियां (Scheduled Castes)

1 आदि धरमी 2 अहेरी, 3 बादी 4 बागरी, बागडी, 5 बैरवा बरवा,
6 बाजर 7 बलाई, 8 बासचर, बासफोड, 9 बावरी, 10 बारगी वारगी बिरगी,
11 बावरिया, 12 बेडिया, बेरिया, 13 भाड, 14 भगी, चूडा मेहत्तर, ओलगना रुखी,
मालकाड हलालखोर, लालबगी, बालमीकि, वाल्मीकि, कोरर, जदमाल्ली
15 बिडाकिया 16 बोला 17 चमार, भाम्बी, बाम्बी भावी, जारिया जाटव,
मोची, रदास, रोहिदास रैंगर, रेगर, रामदासिया, असादरू, असोडी, चमडिया,
चम्भार, चामगर हरलाय्या हराल खालपा, मोचीगर, मदार मेहिग तेलेगू मोची
कमाडी मोची, रानीगर रोहित, सामगार 18 चाण्डाल 19 देवगर, 20 धानक,
धानुक 21 धानकिया 22 धोबी 23 ढोली 24 डोम, डूम 25 गाडिया,
26 गराछा गाछा 27 गैरू गरुडा, गुरडा गरोडा, 28 गावरिया, 29 गोवधी,
30 जिगड, 31 कालबेलिया सपेरा 32 कामड, कामडिया, 33 काजर, कजर
34 कापडिया सांसी 35 खानगर, 36 खटीक 37 कोली, कोरी 38 कूचबन्द,
कूसेबन्द, 39 कोरिया, 40 मदारी बाजीगर, 41 महर तारल, ढेगूमेगू 42 महाय
वशी, ढेड, ढेदम वाकर, 43 मजहबी 44 माग मातग, मिनिमडिग 45 माग गरोडी,
माग गरडी 46 मेघ, मेगवाई, मेघवाल, मेघवार, 47 मेहर 48 नट, 49 पासी,
50 रावल, 51 साल्वी 52 सासी 53 सादिया सटिया, 54 सरभगी 55 सरगरा
56 सिगीवाला 5, थोरी 58 नायक, 58 तीरगर तीरबन्द 59 तुरी।

राजस्थान में अनुसूचित जन जातियां (Scheduled Tribes)

1 भील, भील ग्रसिया, ढोली भील, डूगरी भील डूगरी ग्रासिया
मेवासी भील, रावल भील ताडवी भील भगालिया भिलाला, पावडा,
वासवा, 2 भील मीणा, 3 डामर डामरिया, 4 धानका, ताडवी, टेटारिया, वाल्वी
5 ग्रासिया (राजपूत ग्रासिया के अलावा), 6 कठोडी, कातकारी धूरकठोडी
धूरकातकारी, सोन कठोडी सोन कातकारी, 7 कोकना कोकनी, कुना 8 कोलीधार
टोकरे कोली, कोलचा कोलघा 9 मीणा 10 नायकडा नायका, चोलीवाला
नायक कापडिया नायक, माता नायक, नाना नायक, 11 पटेलिया 12 सेहरिया
सहरिया।

अध्याय **4**

अत्यावश्यक अस्थाई नियुक्तियाँ
[Urgent Temporary Appointments]

अनुक्रम

☐ नियमावली-प्रसग

अधीनस्थ कार्यालय 26 (3) (4), सचिवालय 28, 28 क

चतुर्थ श्रेणी सेवा 18

पचायत समिति/जि प सेवा 23

(1) अस्थायी नियुक्ति के लिये आवश्यक शर्तें व तरीका—नियमित तथा अनियमित नियुक्ति का विवचन हम पीछे कर चुके हैं। यहाँ हम ऊपर प्रसगित नियमो के आधार पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति की शर्तों का विश्लेषण करेंगे। इस नियम का पालन किये बिना ही मनमाने तरीके से अनियमित नियुक्तियाँ की जाती रही हैं, जिनको नियमित करना एक भयानक समस्या बन गई है। इन नियमो के विपरीत की गई नियुक्तियाँ अनियमित होने से उन पर की गई सेवा या अनुभव का लाभ उस पदधारक को नही मिल सकता परन्तु इन नियमो क अनुसार की गई अस्थायी नियुक्ति भी नियमित मानी जावगी और उसका लाभ उसके पदधारक को दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण है।

(1) "अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति" के अधीन अधीनस्थ कार्यालय नियमावली का नियम 26 (3) तथा सचिवालय नियमावली का नियम 28 समान भाषा मे है, परन्तु चतुर्थ श्रेणी नियमावली मे उप नियम (1) के दोनो परन्तुक नही हैं। पचायत समिति सेवा नियमो के नियम 23 के प्रावधान इनसे सर्वथा भिन्न है, कृपया सबधित नियम देखिये।

(2) उपनियम/खण्ड (1) के अनुसार—

(i) सेवा मे कोई रिक्त पद है, जिसे सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा नियमानुसार तुरन्त नही भरा जा सकता,

(ii) ऐसी अर्जेन्ट परिस्थिति में सरकार या नियुक्ति करने के लिये सक्षम प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, उस पद को तुरन्त निम्न प्रकार से भर सकता है —

(क) पदोन्नति द्वारा—यदि वह रिक्त पद पदोन्नति से भरा जाने वाला है, तो उस पद पर ऐसे कर्मचारी को "स्थानापन्न रूप से" नियुक्त किया जावेगा, जो उस पद पर "पदोन्नति के लिये पात्र" (eligible for promotion) हो, या

(ख) सीधी भर्ती द्वारा—यदि नियमों में सीधी भर्ती करने का प्रावधान है तो उस रिक्त पद पर एक व्यक्ति को "अस्थायी रूप में" लगाया जावेगा, जो सदा में "सीधी भर्ती के लिये पात्र" हो।

(3) उपनियम/खण्ड (1) के दो परन्तुक हैं, उनके अनुसार—

(i) जहाँ आयोग की सहमति आवश्यक हो, वहाँ ऐसी अस्थाई नियुक्ति का मामला तुरन्त आयोग को सम्प्रेषित किया जावेगा और एक वर्ष से अधिक के लिये जारी नहीं रहेगा, परन्तु जहाँ आयोग सहमति नहीं दे, तो तुरन्त ही उस नियुक्ति को समाप्त कर दिया जावेगा,

(ii) सीधी भर्ती के कोटे के अस्थायी रिक्त स्थान को पूरे समय के लिये भरने के लिये निम्न शर्तों का पालन आवश्यक है —(क) जहाँ भर्ती के दोनों तरीकों—सीधी भर्ती और पदोन्नति से, कोई पद भरा जा सकता हो, तो सरकार के प्रशासनिक विभाग की विशेष अनुमति लेनी होगी, (ख) वह रिक्त स्थान तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं भरा जायेगा, (ग) सीधीभर्ती के लिये पात्र व्यक्तियों के अलावा अन्य से नहीं भरा जावेगा और (घ) इसके लिये अल्पावधि विज्ञापन के बाद भर्ती की जावेगी।

(4) उपनियम/खण्ड (2) के अनुसार—

यदि पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो—

(i) सरकार उपनियम (1) में वर्णित पदोन्नति की पात्रता की शर्त पर ध्यान दिये बिना अर्जेन्ट अस्थायी आधार पर रिक्त स्थानों को भरने की अनुमति देने के लिये सामान्य निर्देश दे सकेगी,

(ii) उन निर्देशों में वेतन एवं अन्य भत्तों के बारे में शर्तें व प्रतिबन्ध होंगे, उनका पालन आवश्यक होगा, और

(iii) उपरोक्त प्रकार से आयोग की सहमति, जहाँ आवश्यक हो, ली जावेगी।

(5) अर्जेन्ट अस्थाई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध—

(i) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 26 (3) के खण्ड (iii) के

अनुसार दि 15-3-78 के बाद 'आशुलिपिक श्रेणी द्वितीय' के पद पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति नहीं की जावगी, इसी प्रकार—

(ii) सचिवालय मे नियम 28–क के अधीन, आशुलिपिको के सवग मे कोई अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति नही की जावेगी।

(6) अधीनस्थ कार्यालयो मे कनिष्ठ लिपिको की अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियो के लिये नियम 26 के उपनियम (4) मे दि 23 5-77 से निम्न विशेष शर्तें और लगाई गयी हैं कि—

(1) "जिस व्यक्ति को अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति द्वारा कनिष्ट लिपिक के पद पर नियुक्त करना है, उसे नियुक्ति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा आयोजित टकण-परीक्षा (अग्रेजी मे 25 शब्द प्रतिमिनट या हिन्दी में 20 शब्द प्रतिमिनट) पास करनी होगी, यदि उसे नियम 30 के खण्ड (कक) के अधीन टकण-परीक्षा से मुक्त नही किया गया हो।

(2) इस टकण परीक्षा को पास करने का प्रमाण-पत्र उसकी नियुक्ति आज्ञा में ही अभिलिखित किया जाना आवश्यक है।

इस प्रकार उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार की गयी अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तियाँ "नियमित" होगी और इन नियमो का ध्यान रखे बिना की गई मनमानी नियुक्तियाँ "अनियमित" होगी, जैसा आगे न्यायालय–निर्णयो के आधार पर बताया जा रहा है।

2 राजस्थान सरकार के निर्देश—

(1) जब विभागीय परीक्षायें आयोजित नही हुई हो और इसके कारण किसी कर्मचारी का स्थायीकरण नही हुआ हो, तो उसे उच्चतर पद पर अत्यावश्यक अस्थायी पदोन्नति दी जा सकेगी। किन्तु उसकी पदोन्नति नही की जा सकेगी, जिसने विभागीय परीक्षा आयोजित होने पर उसमे भाग नही लिया हो या उसमे असफल हो गया हो।

[वि स F 7 (7) कार्मिक (कII) 75 दि 12-11-76]

(2) आवश्यक अस्थायी नियुक्तियो की समय वृद्धि के लिये समय पर स्वीकृति लेना सरकार ने आवश्यक माना है।

[वि स F6 (3) DOP (A–V) 79 दि 31 जनवरी 1979]

(3) विभिन्न सेवाओं के नियमों के अधीन पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले वरिष्ठ पदो पर अस्थायी/स्थानापन्न नियुक्तिया

[स एफ 1 (16) Apptts (A–II) 67 दिनाक 12-6-1972]

"सरकार के ध्यान म आया है कि—सरकार की ओर से स्पष्ट मार्गदर्शन के अभाव मे विभिन्न नियुक्ति प्राधिकारियो द्वारा ऐसी अस्थाई नियुक्तियां करने के तरीके के अनुसरण म कोई समानता नही है। कई बार सेवा नियमो के सम्बन्धित नियम, जो सरकार/नियुक्ति प्राधिकारीगण को अस्थाई/स्थानापन्न नियुक्तियां करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, का भी आज्ञा मे उल्लेख नही किया जाता और कई बार शब्द 'तदर्थ' (एडहाक) का भी प्रयोग किया जाता है, जो नियमो म उपबन्धित नही है। इससे अनेक उलझनें उत्पन्न हुई है और ऐसे मामलो म न्यायालयो में विवाद हुये हैं।

× × ×

अत सरकार ने निर्णय लिया है कि—निम्नलिखित मार्गदर्शक रेखाओ को नियुक्ति प्राधिकारियो को ध्यान म रखना होगा, जबकि साधारण/कनिष्ट वेतन श्रेणी पर जो सेवा का आधार बनाते हैं तथा वरिष्ठ पदो पर जो सेवा के भीतर अस्थाई स्थानापन्न नियुक्तियाँ की जाती हैं, जो उपरोक्त सम्बद्ध नियमो के अधीन, नियमित चयन के होने तक, सम्बन्धित नियमो के अनुसार होगी—

(1) ऐसी नियुक्तियो के लिये निलम्बनाधीन अधिकारियो तथा जिनको सी० सी० ए० नियमो के अधीन पिछले पांच वर्षों के दौरान दण्डित किया गया है उन पर विचार नही किया जाना चाहिये।

(2) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिया गया दण्ड घटना के वर्ष से संगणित किया जाना चाहिये।

❀3(i) ऐसे अधिकारियो पर भी, जिनके विरुद्ध सी सी ए रूल्स के नियम 16 के अधीन विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है तथा जिन पर, आरोपो के गंभीर स्वरूप को देखते हुए, प्राथमिक रूप से सी सी ए नियमो के नियम 14 म वर्णित असाधारण दण्डो मे से एक आरोपित किया जाने वाला (likely संभावित) है, उन पर भी समान रूप से विचार नही किया जाना चाहिये।

(ii) उन मामलो म जहा सी सी ए रूल्स के नियम 17 के अधीन केन्द्रीय एक जांच चल रही हो, तो उनकी स्थानापन्न/अस्थायी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

(iii) ऐसे अधिकारी जिनके सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र [Certificate of integrity) रोक लिये गये हैं उन पर विचार नही करना चाहिये।

(5) ऐसी नियुक्तियो को 'तदर्थ (एडहाक) नाम नही देना चाहिये, क्योंकि विविध सेवा नियमो म ऐसा कोई नियम नही है जो तदर्थ नियुक्ति करने का उपबन्ध

❀ वि स एफ 1(16) नियुक्ति (क-II) 67 दि 22-7-72 के शुद्धिपत्र द्वारा निम्नांकित के लिए प्रतिस्थापित—

"ऐसे अधिकारियो पर भी, जिनके विरुद्ध विभागीय जांच विचाराधीन है और ऐसी स्थिति पर पहुंच गई है जहा सरकार ने निर्णय लिया हो कि दण्ड अधिरोपित किया जाना चाहिये, समान रूप से विचार नही किया जाना चाहिए।"

करता हो। जैसा कि सम्बन्धित नियम का शीर्षक बताता है, ऐसी नियुक्तियो को यदि स्थायी रिक्तस्थान हो, तो स्थानापन्न या अस्थायी (रिक्त स्थान) हो, तो अस्थाई कहा जाना चाहिये।

(6) ऐसी नियुक्तिया केवल वरिष्ठता-सह योग्यता के आधार पर उन मे से जिनका पिछले पाच वर्षों का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (A C R) सतोष जनक हो, करनी चाहिये।"

3 अस्थायी पदोन्नति तथा विभागीय जाच—राज्य सरकार के परिपत्र दि 12-6-72 मे विहित मार्गदर्शक निदेशो का ध्यान दिये बिना अपीलार्थी की पदोन्नति मे बाहरी विचारो को स्थान दिया गया। जब पिछले 5 वर्षों के भीतरी कोई दण्ड नही दिया गया और न ऐसा निष्कर्ष दिया गया कि—नियम 14 (रा सि से CCA Rules) मे वर्णित कोई असाधारण दण्ड नियम 16 के अधीन चालू जाच मे अधिरोपित किये जाने की सभावना है। आरोप पत्र जो छुट्टी के बारे मे है गभीर नही हो सकता। तीन मामलो म जाच लम्बित है, इसकी कोई सुसगति यहा नही मानी गइ। इस परिपत्र मे कही भी ऐसा नही है कि—पिछली वि प समिति द्वारा पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त पाये गये व्यक्ति को इसके बाद में पदोन्नति नही दी जा सकती या उस पर विचार नही किया जा सकता। पिछली वि प समिति द्वारा उपयुक्तता का मापदण्ड अयुक्तियुक्त माना गया। अपीलार्थी का मामला सही रूप से विचार मे नही लाया गया। पदोन्नति के लिये चयन उचित मापदण्ड के सत्यनिष्ठ प्रयोग द्वारा किया जाना चाहिये।

काशी प्रसाद जैन बनाम राज्य (1978 RLT 33)

एम एस राजवशी बनाम राज्य (1979 RLT 34)

श्रीमती तीजादेवी व समाज कल्याण विभाग 1979 RLT 41

जगदीश प्रसाद शर्मा व राजस्व विभाग 1979 RLT 56

4 तदर्थ (Adhoc) का अर्थ—' शब्द "एड हॉक" का उसके सही अर्थ मे अभिप्राय है, "स्थान पूर्ति (यानी-स्थान रोकना stop gap), अर्थात्—पदोन्नति के लिये पात्र सभी व्यक्तियो पर विचार किये बिना नियुक्ति करना। ऐसी नियुक्तियाँ उन व्यक्तियो के अधिकारो को प्रभावित करती हैं, जिन पर विचार नही किया गया यद्यपि वे उसके लिये पात्र थे। केवल वे ही व्यक्ति ऐसी नियुक्ति को चुनौती दे सकते है, न कि वे जिन पर विचार करने के बाद जिनको नही चुना गया।"

"जब नियमानुसार विचार करने के बाद ऐसी तदर्थ नियुक्तिया की जाती हैं, तो इनमें तथा नियमित नियुक्ति मे कोई अतर नही रह जाता। दोनो प्रकार की ये नियुक्तिया यदि चयन के क्षेत्र के सभी अभ्यर्थियो की पात्रता पर विचार करने के बाद की जाती हैं तो वे समान विचारो (consideration) से शासित होगी, अर्थात—आरभ मे नियुक्त व्यक्ति उन पदो पर जिन पर वे पदोन्नत किये गये हैं तब तक स्थानापन्न (Officiating) होंगे जब कि वे पद स्पष्ट रूप से रिक्त न हो जाय जिन पर उनको स्थायी (कनफर्म) किया जा सके।"

[सी बी दुबे बनाम भारतसघ 1975 (1) SLR 580 (Delhi)

(i) नियमों का पालन अनिवार्य—जहां नियमों में अस्थाई रिक्त स्थानों पर एडहाक नियुक्तियाँ करने की विधि (प्रासाजर) दी हुई है, तो उन नियमों का पालन करना या उन नियमों की अवहेलना करके दी गई नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के अधीन अवैध हैं।

[डा० स्वयंवर प्रसाद सुदानिया बनाम राजस्थान राज्य—1971 RLW 397]

(ii) तदर्थ पदोन्नतियाँ 1969 से लगातार दी जा रही हैं। यह सरकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह कई वर्षों तक (1969 से 1975 तक) नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति को बुलाये बिना तदर्थ नियुक्तियां जारी रखे। वर्ष के अनुसार वरिष्ठता तय करनी होती है और पदोन्नति विभागीय-पदोन्नति समिति की सिफारिश पर ही की जाती है।

[डॉ० श्रीकांत राव बनाम राजस्थान राज्य 1975 (2) SLR 94 (Raj)]

(iii) नियुक्ति जो दो वर्ष तक चलती रही उसे तदर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तदर्थ नियुक्ति इतनी लम्बी अवधि के लिये नहीं रह सकती।

[डॉ० चमनलाल बनाम हिमाचल प्रदेश 1975 (2) SLR 806 (HP)]

5 अधिकरण के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय—राजस्थान अधीनस्थ, कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम के नियम 26(3) (i) के अधीन एक रिक्तस्थान को अस्थायी रूप से भरा जा सकता है, चाहे वह रिक्तस्थान स्थायी ही हो।

नियम 26 (3) के अधीन की गई नियुक्ति पूर्णतः एक कामचलाऊ व्यवस्था है, जिसमें पदोन्नति के कोई तत्व नहीं होते।

[अपील सं 92/1976 घनश्यामलाल शर्मा 5-1-77]

नियम 15 (5) 26 (3) (i) 26 B 27 तथा 27 A—परिपत्र दि 12-6-72 का लागू होना—पांच वर्ष से पहले का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन या सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोकना अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के प्रयोजन से असम्बद्ध है, अतः उनको नहीं देखा जा सकता।

[अपील सं 737/77 कंवरलाल (1978 RLT 79)]

अपीलार्थी की अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के द्वारा पदोन्नति के लिये उस दिनांक से विचार करना होगा जिस दिन से उसके कनिष्ठों को ऐसी नियुक्ति दी गई, और समुचित समय पर उसके हक पर विचार नहीं किया गया।

[अपील सं 105/78 पदम नारायण दुबे, (1978 RLT 116)]

जब कभी एक वरिष्ठ व्यक्ति सेवा में प्रतिवर्तित किया जाता है और उसके कारण अर्जेंट अस्थाई नियुक्तियों के लिये नयी व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है, तो ऐसी परिस्थिति में अर्जेंट अस्थायी नियुक्तियों के लिये नई व्यवस्थायें विधि के

सुस्थापित सिद्धान्तो के अनुसार करनी होगी। जब ऐसी नियुक्तिया की जायें, तो वरिष्ठता के आधार पर उपयुक्तता के अध्यधीन विचार करना होगा और यदि वरिष्ठता-सूची उपलब्ध नही है, तो सब पात्र अभ्यर्थियो पर पदोन्नति के लिये विचार करना होगा।

[अपील स 143/78 श्री कृष्ण भाटया दि 31-7-1978]

पदोन्नति के कोटे के रिक्त स्थानो पर अर्जेंट अस्थाई नियुक्ति वरिष्ठता क्रम मे उपयुक्तता के अध्यधीन रहकर करनी होगी। यदि आयोग ने कुछ अधिकारियो की अस्थायी सेवा जारी रखने के बारे म सहमति रोक ली हो, जो सीधी भर्ती के कोटे म थ, तो उन अधिकारियो को पदोन्नति के कोटे मे से प्रत्यावर्तित नही किया जा सकता।

[अपील स 84/78 किरोरीमल अग्रवाल (1978 RLT 111)]

तदथ पदोन्नति से प्रत्यावतन—तदथ रूप से नियुक्त व्यक्ति का पदोन्नति मे निहित अधिकार नही होता और उसे किसी भी समय प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। जब पदोन्नति नियमो के प्रतिकूल की गई हो, तो गलत आज्ञा के अधीन प्राप्त किया गया अनुचित अस्थायी लाभ बिना सुनवाई का अवसर दिये व्यथित कर्मचारियो के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद वापस लिया जा सकता है।

[अपील स 774/77 बाबूलाल (1778 RLT-IV 64)]

जब एक कर्मचारी को अस्थायी रूप से उच्च पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उसके अधिष्ठायी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया। आज्ञा म स्पष्ट शब्दो म कोई कलक (Stigma) नही है, तो सविधान का अनुच्छेद 311 (2) आकर्षित नही होगा।

[अपील स 84/76 प्रभुदयाल बनाम राज्य दि 18 11 76]

सामान्य नियम यह है कि—अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति वाले व्यक्तियो के प्रतिवर्तन पर कनिष्ठतम व्यक्ति को प्रतिवर्तित किया जावेगा।

[अपील स 439/77 कल्याणदान दि 13 6 78]

सात वर्ष बाद प्रत्यावर्तन—अपीलार्थी को आशुलिपिक के पद पर तदथ आधार पर 27 8-71 को पदोन्नत किया गया। सात वर्ष की लम्बी अवधि तक कार्य करने के बाद उसे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया, क्योंकि यह पाया गया कि उसकी पदोन्नति की आज्ञा उचित (proper) नही थी। दूषित आज्ञा देने से पहले उसे 'कारण बताओ नोटिस' भी नही दिया गया। अभिनिर्धारित कि—नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो की माग है कि यह नही किया जाना चाहिये था। अत दूषित आज्ञा अपास्त की गई।

[अपील स 415/78 सलीमुद्दीन सिद्दीकी (1978 RLT 171)]

अध्याय

5 परिवीक्षा एवम् स्थायीकरण

[Probation & Confirmation]

अनुक्रम

● नियमावली प्रसंग

विषय	अधीनस्थ कार्यालय A	सचिवालय B	अधीनस्थ न्यायालय C	पंचायत समिति D	चतुर्थ श्रेणी E
1 परिवीक्षा की अवधि	28,	30,	22	25	20
2 स्थायीकरण आवश्यक	28 क	30 क	×	×	20 क
3 —में असन्तोषजनक प्रगति	29	31	23	26	×
4 स्थायीकरण (पुष्टीकरण)	30	32	24	27	21
5 वेतनमान	31	33	25	31	22
6 परिवीक्षा में वेतन वृद्धि	32	33 क	26	32	23

1 परिवीक्षा का अर्थ एवं स्वरूप—

नियुक्ति की प्रारम्भिक अवस्था में एक कर्मचारी की उपयुक्तता तथा कार्य कुशलता का परीक्षण किया जाता है और उसे आवश्यक प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है। इस 'परिवीक्षा' (प्रोबेशन) कहते है। परिवीक्षा के दौरान उस कर्मचारी को नियमानुसार वेतन एवं भत्ते तथा वार्षिक वेतन वृद्धियाँ भी दी जाती हैं।

परिवीक्षा के दो रूप हैं—(1) सीधी भर्ती के द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी स्थायी रिक्त पद पर कुछ निश्चित अवधि व शर्तों पर नियुक्त किया जाता है तो उसे परिवीक्षाधीन (प्रोबेशनर) कहते है। [देखिये—राज सेवा नियम 7 (30)] इस

प्रकार के व्यक्ति सेवा मे नये नये भर्ती होते हैं। यह नियुक्ति परिवीक्षा के बाद अधिष्ठायी (स्थायी) हो जाती है, जब उसका पुष्टीकरण कर दिया जाता है। परन्तु उसके अनुपयुक्त पाये जाने की दशा मे उस परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्त की जा सकती है।

(ii) "परिवीक्षा पर" (On Probation)—जब कोई व्यक्ति उच्चतर पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसकी उपयुक्तता की जाच की जाती है, वह "परिवीक्षा पर" कही जाती है। यह स्थिति "स्थानापन्न नियुक्ति" की है, जिसे परिवीक्षा की शर्तें पूरी करने पर स्थायी या अधिष्ठायी कर दिया जाता है, परन्तु अनुपयुक्त पाये जाने की दशा मे उक्त "परिवीक्षा पर" कायरत व्यक्ति की सेवा समाप्त नही की जाती, वरन् उसे मूलस्थान पर वापस प्रतिवर्तित (reverted) कर दिया जाता है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि—परिवीक्षा के दौरान किसी भी कमचारी को उस पद पर जिस पर उसे काय पर लगाया गया है, कोई पदाधिकार पुष्टीकरण से पहले प्राप्त नही होता। अत उन्हे सेवा से हटाने पर कोई प्रतिकर (मुआवजा) नही मिल सकता।

2 परिवीक्षा की शर्तें—नियमो म वर्णित उपबन्धो के आधार पर परिवीक्षा की दो शर्तें हैं —

(i) परिवीक्षा की अवधि—
 (क) 'परिवीक्षाधीन के लिये—दो वर्ष ,
 (ख) 'परिवीक्षा पर' नियुक्ति के लिये—एक वष

परन्तु अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम 22 मे सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्ति (= परिवीक्षाधीन) के लिये परिवीक्षा की अवधि एक वष है, जब कि पदोन्नति के बाद परिवीक्षा की कोई अवधि नही बताई गई है।

(ii) सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करना या प्रशिक्षण प्राप्त करना।

परिवीक्षा की अवधि की गणना—अस्थायी रूप से उसी पद पर किये गये काय की अवधि को परिवीक्षा मे गिना जा सकता है और प्रतिनियुक्ति पर जाकर किसी उच्चतर पद पर किये काय की अवधि को भी परिवीक्षा मे गिन लिया जावेगा।

इन शर्तो को पूरी करने पर एक कमचारी का स्थायीकरण (पुष्टीकरण) किया जा सकता है।

3 परिवीक्षा के दौरान असन्तोषजनक प्रगति—

उपरोक्त शर्तें पूरी न करने पर निम्न कायवाही की जाती है—

(i) परिवीक्षा की अवधि मे वृद्धि—समुचित मामलो मे इसे क्रमश 2 वष और 1 वष के लिए बढाया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के नियम 23 के

अनुसार यह वृद्धि "छ मास" की होती है। अनुसूचित जाति/जन जाति क सदस्यों के लिये कुल मिलाकर 3 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है। निलम्बन और विभागीय जाँच क मामले मे भी इस अवधि को यथोचित बढाया जा सकता है।

(ii) परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति (Discharge)

(iii) 'परिवीक्षा–पर' नियुक्त व्यक्ति का प्रतिवर्तन—(reversion) जसा कि पहले ऊपर बताया जा चुका है।

4 पुष्टीकरण (स्थायीकरण-कनफर्मेशन) का अर्थ एव महत्व—

पुष्टीकरण सेवा की एक शर्त है और कुछ विहित (निर्धारित) घटनाओ के घटित होने पर इसे प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है। इसको स्थगित रखने का कोई औचित्य नही है जब कि इसकी शर्तें पूरी हो गई हो। पुष्टीकरण सेवा का एक आवश्यक परिणाम है और सम्भवत एक सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल (कैरियर) म एक महान् घटनात्मक भूचिह्न (लैण्डमार्क) है। यह उस उस पद पर अधिकार प्रदान कर उसके नियोजन मे सुरक्षा प्रदान करता है। जब तक पुष्टीकरण नही होता सेवा के अनेक लाभ अर्जित नही होते।[1]

उच्चतम न्यायालय ने पुष्टीकरण का व्यवहारिक स्वरूप बतात हुए एक प्रमुख निर्णय मे अभिनिर्धारित किया है कि—"(नियम जो) जेष्ठता (वरिष्ठता) क अवधारणा को पुष्टीकरण की एकमात्र कसौटी पर निभर कर देता है, हमे असमथनीय प्रतीत होता है। पुष्टीकरण सरकारी सेवा की निन्द्य–अनिश्चितताओ मे स एक है जो कि न तो पदधारी की दक्षता पर और न ही अधिष्ठायी रिक्तियों की उपलब्धता पर निभर करता है। एक सुस्पष्ट दृष्टान्त जो कि हमारे देश के एक भाग मे सुज्ञात है न्यायपालिका के एक माननीय सदस्य का है जिनको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप मे पुष्ट कर दिये जाने के कई वर्ष पश्चात् जिला न्यायाधीश के रूप म पुष्ट किया गया था। यह बात इन रिट पिटीशनो के अभिलेख पर है कि—स्थानापन्न उप–इ जीनियर की पुष्टि नही की गई थी, भले ही अधिष्ठायी रिक्तियाँ उपलब्ध थी जिनमे कि उन्हे पुष्ट किया जा सकता था। इससे यह दर्शित होता है कि—यह जरूरी नहीं है कि पुष्टीकरण कि हीं निश्चित नियमो के अनुरूप हो और यह बात कि क्या किसी कर्मचारी की पुष्टि की जानी चाहिये या नहीं सरकार की इच्छा पर ही निभर करती है।"[2]

इस प्रकार पुष्टीकरण सरकार की मनमानी कायवाही के रूप में एक समस्या बन गया है। इसस निपटने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं और इसे नियमित बनाने के लिए नियमो मे सशोधन किये गये हैं।

---

1 डॉ० विनय कुमार बनाम उडीसा राज्य 1974 (1) SLR 320 (Orissa)

2 एस बी पटवधन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उम नि प 609 = AIR 1977 S C 2051 (पैरा 39)

5 पुष्टीकरण की शर्तें—

विभिन्न नियमो म शर्तों को अनेक रूप मे प्रस्तुत किया गया है, जिनको सार रूप म इस प्रकार बताया जा सकता है —

(1) परिवीक्षा की अवधि पूरी करनी होगी,

(ii) निर्धारित विभागीय परीक्षायें या प्रशिक्षण सफलता पूवक पूरे करने होगे,

(iii) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि—(क) उसकी सत्यनिष्ठा सदेह से परे है और (ख) अन्यथा वह सब प्रकार से उस पद के लिय उपयुक्त (fit) है । यह उसकी वार्षिक गुप्त रिपोट (A C R) या मूल्याकन रिपोट पर आधारित होगा ।

6 पुष्टीकरण अनिवाय, जिसे रोका नहीं जायेगा—

पुष्टीकरण समस्या को हल करने के लिये अब पुष्टीकरण करना अनिवाय कर दिया गया है, जो निम्नाकित शर्तों पर निभर करेगा —

1 नियमित नियुक्ति की गई हो,
2 परिवीक्षा की निर्धारित अवधि पूरी हो गई हो,
3 स्थायी रिक्त स्थान उपलब्ध हो,
परिवीक्षाधीन के लिये निर्धारित शर्तें पूरी कर ली गई हो,
5 नियमानुसार कोटा के अनुसार और वरिष्ठता के अनुसार वह पात्र हो

—उपरोक्त शर्तों के पूरा होने पर भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि पूरी होने के दिनाक से छ माह के भीतर पुष्टीकरण की आज्ञा जारी नही कर, ता उस कमचारी का पुष्टीकृत मानन का अधिकार प्राप्त होगा—अर्थात—वह स्वत या अनिवाय रूप से पुष्टीकृत या स्थायी हो जायेगा ।

[कृपया शब्द "नियमित नियुक्ति" के अथ के लिय अध्याय (1) म पृष्ठ 218 पर, अध्याय (2) मे पृष्ठ 231 पर तथा अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 28–क के स्पष्टीकरण पृष्ठ 81 पर देखिये]

पुष्टीकरण रोका नहीं जायेगा—

असतोष जनक प्रगति के लिये ऊपर पैरा ३ मे वर्णित कायवाही की जा सकेगी, परन्तु ऐसी कायवाही न की गई हो, तो उसका पुष्टीकरण नही रोका जा सकगा । उसका पुष्टीकरण रोकने पर उसकी परिवीक्षा की अवधि मे वृद्धि की जाती है, परन्तु इसके लिये उसके काय के असतोषजनक होने के कारण उस कमचारी को उस परिवीक्षा की अवधि के भीतर ही सप्रेषित किये जाना आवश्यक है और उसकी सेवा पुस्तिका तथा गोपनीय पजिका मे तत्काल लिखे जाने आवश्यक हैं । परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने के बाद असतोपजनक काय बतलाना व परिवीक्षा की अवधि बढाना अनियमित होगा । इस प्रकार इस नये सशोधन से मनमाने तरीके स पुष्टीकरण नही रोका जा सकेगा ।

7 पुष्टीकरण के विशेष नियम एवं प्रावधान—

पुष्टीकरण की समस्या से निपटने के लिये सरकार ने निम्नांकित विशेष नियम एवं प्रावधान लागू किये हैं—

(क) राज्य सरकार ने 1-4 1964 से पूर्व के तथा 1-4-1968 तक के अस्थायी कर्मचारियों का तुरन्त पुष्टीकरण करने के लिये—

"राजस्थान सिविल सेवा अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972" बनाये थे, जो आगे परिशिष्ट (2) में दिये जा रहे हैं। कृपया यथास्थान देखिये।

(ख) अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियमावली में नियम 30 नियम 30 क म पूर्व पुनर्गठित राजस्थान के कर्मचारियों के पुष्टीकरण के लिये तथा नियम 30 ख में दि 17-10 1970 को परिवीक्षाधीन व्यक्तियों का पुष्टीकरण करने के विशेष उपबन्ध किये गये हैं।

(ग) राजस्थान पंचायत समिति जि प सेवा के सदस्यों के लिये दि 14 12 1976 को अधिनियम मे संशोधन कर धारा 86 में नयी उपधारा (8–क) जोड़कर दि 14-12-76 को दो वर्ष की न्यूनतम अस्थायी सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों का दि 14 12 76 से अधिष्ठायी नियुक्त (कनफर्मड) कर दिया गया है। यह आदेशात्मक संशोधन है।

8 विभागीय जांच एवं निलम्बन के दौरान स्थायीकरण—

सरकार ने निर्देश* जारी किया है कि—अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन कर्मचारियों तथा निलम्बनाधीन कर्मचारियों का स्थायीकरण उनके पुन स्थापन के बाद किया जाना चाहिये। यदि सी सी ए नियम 16 के अधीन असाधारण दण्ड दिया जावे, तो उसका स्थायीकरण नहीं किया जायेगा परन्तु जिनके विरुद्ध नियम 17 के अधीन कार्यवाही चल रही है उनका स्थायीकरण नहीं रोका जाना चाहिये। परिवीक्षाधीन कर्मचारियों का स्थायीकरण आज्ञा दि 28 12 74 के अनुसार किया जाना चाहिये।

9 कुछ प्रश्न और उत्तर—(सुझाव)

प्रश्न (1) एक अस्थाई कनिष्ठ लिपिक दि 18 6 70 को नियुक्त हुआ। उसकी स्वेच्छा से उसका स्थानान्तर दूसरे विभाग में हुआ और उसने दि 9 9 70 को कार्यभार संभाला। अब नये विभाग मे उसकी वरिष्ठता 18 6 70 से होगी या 9 9 70 से।

उत्तर—अस्थायी सेवा मे कोई पदाधिकार (लियन) प्राप्त नहीं होता। केवल स्थायीकरण के बाद ही पदाधिकार प्राप्त होता है। अत पदाधिकार के अभाव

* 10 एफ 15 (1) DOP (A–II) 77 दि 4 1 77

मे पहले विभाग मे की गई अस्थायी सेवा का कोई लाभ नही मिल सकता। नये विभाग में सेवाकाल की गणना दि 9 9 70 से होगी और स्थायीकरण के बाद ही वरिष्ठता सूची में नाम अंकित हो सकेगा।

प्रश्न (2) एक कर्मचारी को दिनाक 14 9 72 की आज्ञा द्वारा दि 4 9 70 से स्थायी कर दिया गया, परन्तु वरिष्ठता सूची बनाते समय दि 4 9 70 की बजाय आज्ञा की दिनाक 14 9 72 से वरिष्ठता दी गई, इससे उसका नाम 50 व्यक्तियो के नीचे आ गया।

उत्तर—इस मामले मे नियमो म पहले "अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनाक से वरिष्ठता तय होने का प्रावधान था, जिसे दि 15 11 76 से 'अधिष्ठायी नियुक्ति का वर्ष" कर दिया गया है। यद्यपि उस समय लागू नियम की भाषा के अनुसार उपरोक्त वरिष्ठता सूची नियमित प्रतीत होती है, किन्तु यह वरिष्ठता निर्धारण का मापदण्ड सही नही था [देखिये—ए सी पटवर्धन बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उम नि प 609=AIR 1977 SC 2051] अब 'अधिष्ठायी नियुक्ति का वर्ष' = दिनाक से वरिष्ठता तय करने का मापदण्ड मान लिया गया है। अत स्थायीकरण की आज्ञा के दिनाक का महत्व नही है, वरन् जब से स्थायीकरण किया गया—अर्थात—अधिष्ठायी नियुक्ति की गई उसी से वरिष्ठता मानी जावेगी। परिणामस्वरूप उपरोक्त मामले मे वरिष्ठता दि 4 9 70 से मानी जावेगी। "अधिष्ठायी नियुक्ति" की परिभाषा अध्याय (1) मे देखिये।

प्रश्न (3) देखने में आया है कि—कुछ स्थायीकरण की आज्ञाओ मे नामो के सामने अंकित मूल नियुक्ति दिनाँक से स्थायी किया जाता है, तो कुछ मे कुछ भी नही लिखा जाता या तुरन्त प्रभाव से' (with immediate effect) लिखा होता है। इनमे से सही व नियमित कौन सी है?

उत्तर—अधिकतर स्थायीकरण नियमित कार्यवाही के रूप मे नही किये जाते, परन्तु मनमाने ढग से किये जाते रहे हैं और मनमाने तरीके से आज्ञायें निकाली जाती रही हैं। इस बात की उच्चतम न्यायालय ने भी भर्त्सना की है। अब नियमो मे दिनाक 28 12 74 से इसे कुछ व्यवस्थित किया गया है। स्थायीकरण या पुष्टीकरण नियुक्ति का किया जाता है, अत यह नियुक्ति की दिनाक से उस नियुक्ति की पुष्टि करता है। यह तभी किया जा सकता है, जबकि स्थायी पद रिक्त हो परन्तु यह पुष्टि स्थायी पद रिक्त होने की दिनाक को या इसके बाद आज्ञा जारी कर किया जा सकता है और उस आज्ञा की दिनाँक का कोई महत्व नही होना चाहिये, यह पूर्वकालिक प्रभाव से मूल नियुक्ति के दिनाक से किया जाना चाहिये। अत जिन आज्ञाओ मे मूल नियुक्ति दिनाक से स्थायीकरण किया जाता है वे नियमित और वैध हैं।[1]

---

1 एन एस मेहता बनाम भारतसघ 1977 Lab I C 904, 1972 Lab I C 345 (SC) पर आधारित।

कई बार रिक्त स्थान उपलब्ध होने की दिनाक से स्थायीकरण किया जाता है, इससे पहले की गई स्थानापन्न या अस्थायी सेवा को नही गिना जाता, जो एक प्रकार से अन्याय है। फिर स्थायीकरण से वेतनादि पर तो कोई प्रभाव पडता नहीं, केवल वरिष्ठता पर प्रभाव पडता है, अत अव्यवस्थित व मनमाने दिनाक से स्थायीकरण नही किया जा सकता। यह पहले की गई नियुक्ति की पुष्टि मात्र है न कि कोई नयी नियुक्ति और इस पुष्टि की आज्ञा चाहे कभी दी जाय, यह उस मूल नियुक्ति की दिनांक से प्रभावी होती हैं। इससे वरिष्ठता सम्बन्धी बहुत से विवाद समाप्त हो जायेंगे।

10 कुछ महत्वपूर्ण निर्णय—

(क) आठ वर्ष बाद सरकार अपनी गलती को सही कर एक स्थायी किये गये कर्मचारी को प्रतिवर्तित नहीं कर सकती—प्रार्थी 19-3-1960 को कृषि विभाग मे फील्डमैन नियुक्त किया गया और आज्ञा दि 3-3-64 द्वारा फील्डमैन का पद कनिष्ठ लिपिक मे परिवर्तित कर दिया गया, जो समान वेतनमान मे था। प्रार्थी ने कनिष्ठ लिपिक का कार्यभार 1 4-1964 को सम्भाला और बाद मे कनिष्ठ लिपिकों की भर्ती की परीक्षा मे सफल होने पर उसे 6 जनवरी, 1965 से स्थायी (कनफम) कर दिया गया। स्थायीकरण की आज्ञायें 20 9 66 तथा 20-9-72 को दो बार जारी की गई और 11 4 68 को उस वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति दी गई और 30-12-72 की आज्ञा से निर्देशक कृषि विभाग ने उसे दि 1-4-70 से उस पद पर भी स्थायी कर दिया। सरकार की आज्ञा दि-25-3 64 के अनुसार 1 1-62 के पहले नियुक्त कनिष्ठ लिपिक ही कनिष्ठ लिपिक की भर्ती परीक्षा मे प्रवश ले सकते थे, किन्तु प्रार्थी 1 4 1964 को नियुक्त हुआ, अत वह इस परीक्षा में नही बैठ सकता था। इस आधार पर 30-12-72 की आज्ञा से कनिष्ट लिपिक के पद पर उसकी स्थायीकरण की दिनाक को सशोधित कर 6 1-65 की बजाय 1-4 1970 कर दिया गया तथा वरिष्ठता सूची मे भी उसी के अनुसार सशोधन कर दिया। परिणामस्वरूप उसे 18-11-1972 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया गया।

उच्च यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि—खुमान लाल के मामले मे यह निणय दिया गया था कि—9 जुलाई, 1970 से पहले फील्डमैन का पद अधीनस्थ कार्यालयो के लिपिक वग मे था और कनिष्ठ लिपिक के समान वेतनमान मे था। अत नियम 6 (2) की टिप्पणी के अनुसार फील्डमन का पद कनिष्ठ लिपिक के समान पद का था। 8 वर्ष बाद दिसम्बर 1972 मे यह निणय देना कि—उसे परीक्षा मे बैंठने की अनुमति गलत दे दी गई, यह याय सगत नही है। अत आज्ञा को अपास्त किया गया। प्रार्थी को 6 1 65 से कनिष्ठ लिपिक पद पर स्थायी माना गया।

वरिष्ठता के निर्धारण के लिये कनिष्ठ लिपिक के पद पर वास्तविक अधिष्ठायी नियुक्ति की दिनाक आधार होगी और प्रार्थी की स्थायीकरण की दिनाक 6 1 65 के अनुसार उसको वरिष्ठता सूची मे स्थान दिया जायगा और उसे सब परिलाभ मिलेंगे।[1]

---

1 रामगोपाल बनाम राजस्थान राज्य 1977 W L N 579, खुमानलाल दवडा व राज्य 1977 W L N (U C) 251, ref

(ख) एक अस्थायी कर्मचारी और स्थायी पद—एक अस्थायी सरकारी सेवक के रूप में अस्थायी पद पर नियुक्ति की गई। बाद में उस पद को स्थायी बना दिये जाने पर उस अस्थायी सरकारी सेवक को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिल जाता है और उसे स्वतः ही स्थायी सेवक की हैसियत प्राप्त नहीं हो जाती है।[2]

(ग) जब परिवीक्षा की अधिकतम अवधि (तीन वर्ष) की समाप्ति के बाद प्रार्थी को स्थायी समझा गया—" स्थायीकरण की औपचारिक आज्ञा जारी नहीं होने पर भी उसे स्थायी समझा गया। उसे स्थायी करने से मना करना सेवानियमों के विपरीत होने से निष्प्रभावी है। यदि प्रार्थी का कार्य व आचरण संतोषजनक नहीं थे, तो उसकी सेवायें (उसी समय) समाप्त कर दी जानी चाहिये थी, परन्तु नियमों के अधीन यह अनुज्ञेय नहीं है कि उसे सदा एक अपुष्ट के रूप में सेवा में बनाये रक्खा जाय। अब तक प्रार्थी सेवा के चौबीस वर्ष पूरे कर चुका है और यह सरकार की ओर से बहुत पक्षपातपूर्ण (Unfair) है कि उसे परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर युक्तियुक्त अवधि के भीतर स्थायी (पुष्ट) नहीं किया गया।"[3]

(घ) स्थायीकरण स्थायी रिक्त पद होने पर ही सम्भव—नियम 7 (अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय नियमावली) द्वारा निर्धारित (विभागीय) परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर सभी अस्थाई लिपिकों को स्थायी बना देने की सरकार पर कोई बाध्यता नहीं है। केवल वही स्थायी किये जायेंगे, जो उपलब्ध स्थायी रिक्त स्थानों पर भरे जा सकते है। शेष को उनकी बारी आने तक प्रतीक्षा करनी होगी।[4]

(ङ) स्वतः स्थायीकरण कब हो सकता है? (i) परीवीक्षा की समाप्ति पर "स्वतः स्थायीकरण" नहीं होता, जबकि नियमों में ऐसा कोई उपबन्ध न हो। परीवीक्षाकाल में निलम्बन के बाद बिना किसी आरोप या जाच के बाद में सेवा समाप्ति कर देने से कोई कलंक (दोष) नहीं माना गया।[5]

(ii) एक व्यक्ति परीक्षा पर नियुक्ति के बाद परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर भी सेवा में बना रखा गया। नियमों में जहाँ सेवा में बने रहना (Continuation) स्पष्ट रूप से या परोक्ष रूप से मना हो, वहां इसे पुष्टीकरण मानना होगा, परन्तु जहाँ ऐसी रोक (मना) नहीं है वहां इसे पुष्टीकरण नहीं माना जायेगा।[6]

(iii) छः मास की परीवीक्षा की अवधि पूरी किये बिना पुष्टीकरण (स्थायी) नहीं किया जा सकता। पुष्टीकरण के पहले समुचित-चयन (due selection) होना आवश्यक है।[7]

---

2 निदेशक, पंचायत राज बनाम बाबूसिंह [1972] 1 उप नि प नि सा 80 = AIR 1972 SC 420

3 मनोहरलाल बनाम पंजाब राज्य 1979 SLJ 150
पंजाब राज्य बनाम धर्मसिंह 1968 SLR 247 (SC) पर आधारित।

4 राजस्थान राज्य बनाम फतहचन्द 1970 SLR 55 and 854 (S C)

5 कैलाशचन्द्र सेठिया बनाम राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल 1973RLW544

6 मोतीलाल बनाम भारत संघ 1972 RSW 550

7 ओमप्रकाश गुप्ता बनाम राज्य (1978 RLT 76)

(च) अपुष्टीकरण के पहले नोटिस देना आवश्यक—

एक बार किसी कर्मचारी को स्थायी (कनफर्म) कर दिया गया, तो इस नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन किये बिना (अर्थात्–सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिये बिना) अपुष्टीकृत (डिकनफर्म) नहीं किया जा सकता।[8]

(छ) पुष्टीकरण रोकना दण्ड नहीं—

पंचायत समिति जिला परिषद सेवा नियम के नियम 25, 26 तथा 27 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी एक परीवीक्षाधीन के कार्य की समीक्षा कर इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि—उसका कार्य असंतोष जनक है और वह पुष्टीकरण के लिए अयोग्य है। अतः नियमानुसार की गई कार्यवाही को दण्ड के रूप में नहीं माना जा सकता।[9]

(ज) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति एवं वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन, स्वतः पुष्टीकरण का अधिकार—

(i) अपीलार्थी को कनिष्ट लिपिक पद से अधिशेष (सरप्लस) घोषित कर कनिष्ट लिपिक के रूप में आमेलित कर लिया गया, परन्तु बाद में उसे 'गेस्ट सुपरवाइजर' के पद पर पदस्थापित कर दिया गया। परन्तु अब यह नहीं कहा जा सकता कि वह कनिष्ट लिपिक नहीं था और केवल गेस्टसुपरवाइजर ही था। अतः उसे राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति एवं वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन पुष्टीकरण (स्थायीकरण) का अधिकार है।[10]

(ii) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 एक व्यक्ति को स्वतः पुष्टीकरण का अहस्तान्तरणीय अधिकार प्रदान करते हैं और इसके बाद उसकी वरिष्ठता स्थायी कर्मचारियों में तय करनी होगी।[11]

---

8 अपील सं. 159/78 गोवर्द्धनलाल दि. 22-8-78
9 चम्पालाल बनाम राज्य 1974 WLN 910
10 अपील सं. 273/78 ओमप्रकाश सैनी दि. 19-9-1978
11 अपील सं. 655/77 जगदीश प्रसाद विजय (1978 RLT147)

अध्याय 6

वरिष्ठता सूची एव वरिष्ठता के मापदण्ड
(Seniority List & The Basis of Seniority)

अनुक्रम

1 वरिष्ठता या जेष्ठता (सिनियोरिटी) का अर्थ व महत्व—किसी सेवा या सवर्ग मे किसी कर्मचारी का जो स्थान होता है, उसे वरिष्ठता कहते हैं। जो व्यक्ति वरिष्ठतम होता है, उसे अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति मिलती है, यदि वह अन्यथा उपयुक्त (fit) और पात्र (eligible) हो। अत वरिष्ठता या जेष्ठता का सेवा मे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वरिष्ठता के क्रम से जो सूची बनाई जाती है, उसे "वरिष्ठता सूची" कहा जाता है, जिसे देखकर प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा या सवर्ग में अपने स्थान या क्रमाक का पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि—उसके साथियो मे से कौन उससे वरिष्ठ है और कौन उससे कनिष्ठ? इस प्रकार अपनी पदोन्नति के अवसरो का एक कर्मचारी ध्यान रखकर समय पर अपने अधिकार को माग कर सकता है। अत 'वरिष्ठता सूची' एक कर्मचारी की भाग्य पत्री की तरह है। हम यहा वरिष्ठता निर्धारित करने के सिद्धान्तो व मापदण्डो का नियमों के आधार पर विवेचन करेंगे, ताकि सही वरिष्ठता का पता लगाया जा सके और उसका सही निर्धारण किया या करवाया जा सके।

2 वरिष्ठता का आधार—कुछ निर्देशक सिद्धान्त—वरिष्ठता के निर्धारण और पदोन्नति के प्रयोजन मे वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिये किसी बोधगम्य सिद्धान्त को आधार बनाना होता है। यह कार्य नियम बनाने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार

का है।[1] किन्तु कोई आधारभूत सिद्धान्त बोधगम्य (intelligible) है या नहीं और उसस किसी वर्ग के कर्मचारियों मे भेदभाव किया गया है या नहीं ?—इन प्रश्नों की सवीक्षा न्यायालय कर सकता है। अत- नियमों मे जो निर्देशक सिद्धान्त बताया गया है, उसी के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। नियम विरुद्ध बनाई गई वरिष्ठता सूची अवैध होगी।[2] नियम जहा शान्त हों वहा प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा वरिष्ठता के मापदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं जो बोधगम्य हों।[3] साधारणतया सेवा प्रवेश (joining) से वरिष्ठता गिनी जावेगी।[4]

3 वरिष्ठता का आधार एव नियमावली विभिन्न नियमावलियों मे वरिष्ठता के निर्धारण के लिये जो आधार बताये गये हैं, वे इस प्रकार हैं—

(i) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 27 मे तथा

(ii) सचिवालय नियमावली के नियम 29 मे—

(क) दि 15 11 76 तक—※"अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनाक से"

(ख) दि 15 11-76 के बाद—"अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष से"

(iii) चतुर्थश्रेणी सेवा के लिये नियम 19 मे—"अधिष्ठायी नियुक्ति वर्ष।

(iv) अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम 21 के अनुसार— ※ पुष्टीकरण की आज्ञा के दिनाक से'

(v) पचायत समिति जि० प० सेवा नियमावली के नियम 24 के अनुसार— ※ मूल नियुक्ति (अधिष्ठायी) नियुक्ति की आज्ञा के दिनाक से।

इस प्रकार वरिष्ठता को 'पुष्टीकरण' (कनफरमेशन) पर आधारित किया गया है, जिसके द्वारा नियुक्ति को अधिष्ठायी किया जाता है। 'अधिष्ठायी नियुक्ति' की परिभाषा का विवेचन अध्याय (1) मे और 'पुष्टीकरण या स्थायीकरण' का विवेचन अध्याय (5) मे किया गया है। स्थायीकरण की आज्ञाओं की नियमितता और वैधता का विवेचन हमने पीछे अध्याय (5) मे किया है। पुष्टीकरण या अधिष्ठायी नियुक्ति की आज्ञा के दिनाक से वरिष्ठता की गणना करना अवैध है। इसी लिये नियमों मे दि 15-11-76 को सशोधन करना पडा, परन्तु तारांकित (※) नियमों

1 उच्च न्यायालय बनाम अमलकुमार राय AIR 1962 SC 1704
2 भारतसघ बनाम प्रभावलकर AIR 1973 SC 2102 = 1973 SCC (L & S) 374
3 तेजन्दर सिंह साधू बनाम पजाब राज्य 1975 Lab IC 203
4 एच पी सूद व पजाब राज्य 1970 SLR 483

म ग्रभी तक यह सशोधन नही किया गया है ग्रत इन नियमा को उच्चतम न्यायालय क निम्नाकित निर्णय के ग्राधार पर चुनौती दी जा सकती है।

4 उच्चतम न्यायालय का प्रमुख निर्णय–[1]पुष्टीकरण सरकारी सेवा की एक निन्दनीय ग्रनिश्चितता मात्र, जो वरिष्ठता का एकमात्र ग्राधार नहीं हो सकती—

" इस (नियम के) खण्ड मे यह त्रुटि है कि—वह जेष्ठता के मूल्यवान ग्रधिकार को केवल मात्र पुष्टीकरण की घटना पर ही निभर कर देता है। यह बात सविधान के ग्रनुच्छेद 14 ग्रौर 16 के ग्रधीन ग्रननुनेय है ग्रौर इसलिय हमे नियम 8 (iii) को इस ग्राधार पर ग्रभिखण्डित करना हागा कि—वह ग्रसवैधानिक है। (पैरा 43, पृ 647)

हम यह ग्राशा करते हैं कि—सरकार इस ग्राधारभूत सिद्धान्त को ध्यान मे रखेगी कि—

(1) यदि किसी काडर (सवग) मे स्थायी ग्रौर ग्रस्थायी दोनो कमचारी हैं तो पुष्टीकरण की घटना सीधी भर्ती किये गये ग्रौर प्रोन्नत व्यक्तिया के बीच जेष्ठना ग्रव धारित करने के लिये बोधगम्य कसौटी नही हो सकती है।

(2) जब विभिन्न स्रोतो से भरती किये गये व्यक्ति एक ही काडर के हो वे एक जसे काय करते हो ग्रौर उनके एक जैसे ही उत्तरदायित्व हो तब उनके बीच जेष्ठना के नियम ग्रवधारित करते समय ग्रन्य बातो के समान होने पर किसी ग्रनाकस्मिक रीति मे निरन्तर स्थानापन्न कार्य करने का सम्यक् रूप से मान्यता दी जानी चाहिय।'[1] (पैरा 51, पृ 652)

5 "ग्रधिष्ठायी (स्थायी) नियुक्ति या पुष्टीकरण का वध"—इस शब्दावली का ग्रथ कुछ कठिन है। इस बारे मे "ग्रधिष्ठायी नियुक्ति कब से मानी जाय ?"—इस प्रश्न पर मतभेद है। पीछे ग्रध्याय (5) मे प्रश्न (3) के उत्तर मे हमने इसका विवचन किया है।

जब नियुक्ति प्राधिकारी पुष्टीकरण की ग्राना जारी करता है, तो वह उसमे पुष्टीकरण के दिनाक ग्रौर वप का उल्लेख करता है। उसी "वप" को ग्राधार मानकर वरिष्ठता सूची तैयार की जावगी। पुष्टीकरण की पुरानी ग्रानाग्रो को विलम्ब हो जाने के कारण ग्रब चुनौती नही दी जा सकती ग्रौर उनके ग्राधार पर ही वरिष्ठता सूची बनी होगी। जहा वरिष्ठना सूची को ग्रन्तिम रूप नहीं दिया गया है, वहा वरिष्ठना ग्रौर पुष्टीकरण दोनो को चुनौती दी जा सकती है। इसके लिये ग्रपील-ग्रधिकरण के द्वार खुले हैं।

1 एस बी पटवद्ध न बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) 3 उम नि प 609 = 1977 Lab IC 1367 (SC) = 1977 SLWR 254 = (1977)2 SLR 235 = (1977)3 SCC 399 = 1977 SCC(Lab) 391 1977 SLJ 457 = AIR 1977 SC 2051

6 वरिष्ठता निर्धारण के लिये सरकारी निर्देश※—सामान्यतया किसी भी सेवा या संवर्ग में वरिष्ठता "स्थायी नियुक्ति की दिनांक" से निर्धारित की जाती है, परन्तु जब विभिन्न अधिकारियों द्वारा नियुक्त सेवाओं को एकीकृत किया जाय, तो स्थायी नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता निर्धारण करने से कई प्रकार की विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिये ऐसे मामलों में स्थायी नियुक्ति की दिनांक का ध्यान रखे बिना 'निरन्तर स्थानापन्न (कार्यवाहक) नियुक्ति की दिनांक" से निर्धारित की जा सकती है, परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार की स्थानापन्न नियुक्ति विशेष अवसर या तदर्थ या अत्यावश्यक अस्थायी रूप में न हो और कर्मचारी की ओर से ऐसी कमी न हो कि—नियुक्ति आज्ञा देने पर भी उसने कार्यभार ग्रहण नहीं किया हो। उपरोक्त सिद्धान्त के फलस्वरूप पूर्व निर्धारित वरिष्ठता, जो सेवा या सर्किल या जिले के लिये निर्धारित की गई हो, अप्रभावित रहेगी।

7 वरिष्ठता निर्धारण के लिये अन्य नियमों के उपबन्ध—जिन नियमों पर भी ध्यान देना आवश्यक है —

(1) राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम 1969 के अनुसार अधिशेष (सरप्लस) हुए कर्मचारियों को जब किसी दूसरे विभाग की सेवा में आमेलित किया जाता है, तो उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त नियमों के नियम 15 के अनुसार किया जावेगा और फिर उन्हें सम्बन्धित वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किया जायेगा।

(देखिये—परिशिष्ट—1)

(2) राजस्थान सिविल सेवा (अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण नियम 1972 के अनुसार 1 4 1964 से पूर्व के तथा 1 4 1964 से 1-4-1968 तक के समस्त अस्थायी कर्मचारियों को दि 14 9 1972 से स्थायी कर दिया गया। उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उपरोक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार किया जावेगा।

(देखिये—परिशिष्ट—2)

8 स्थानान्तर और वरिष्ठता निर्धारण—(1) नियमों के प्रसंग—स्थानान्तर द्वारा नियुक्ति के जो उपबन्ध नियमों में किये गये हैं उनका विवरण इस प्रकार है —

(क) सचिवालय नियमावली के नियम 5 के परन्तुक (8) के अनुसार आवश्यक शर्तों के अधीन सचिवालय के बाहर से किसी कर्मचारी को स्थानान्तर द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। इसकी वरिष्ठता नियुक्ति आज्ञा में वर्णित शर्तों से निश्चित की जावेगी।

※ वि स एफ 7 (7) वि वि /श्रे 2/स्टोर/72 दि 25 12 73, देखिये—'लेखाविन—जनवरी 74—प०240 तथा फरवरी 1979 प० 125

(ग) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 6 के परन्तुक के अधीन एक जजशिप से दूसरी जजशिप में स्थानान्तर किया जा सकता है पर उसकी वरिष्ठता के बारे में ये नियम शान्त है।

(ग) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली के नियम 7 के परन्तुक (1) के अधीन स्थानान्तर द्वारा भर्ती का प्रावधान है तथा आगे नियम 26 (2) में पदोन्नति अन्तर्वलित होने वाले मामलों में स्थानान्तर द्वारा नियुक्ति करने पर रोक व शर्तें लगाई गई हैं। ऐसे मामलों में वरिष्ठता निर्धारण के लिये नियम 27 के परन्तुक (viii) व (ix) में तथा नियम 27–क में कुछ प्रावधान दिये गये हैं, जो परिपूर्ण नहीं हैं।

(घ) राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद सेवा नियम में—नियम 6 (ग) में स्थानान्तर (तबादला) द्वारा भर्ती करने का प्रावधान है और भाग (4) में नियम 22क, 22ख, 22 ख ख, 22ग में स्थानान्तर सम्बन्धी बातें दी गई हैं। वरिष्ठता निर्धारण के लिये नियम 24 के परन्तुक (iii) में "अधिष्ठायी (मूल) सेवा की निरन्तर अवधि" को आधार बताया गया है।

(ङ) चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली में नियम 6 (ख) में स्थानान्तर द्वारा भर्ती का प्रावधान है, परन्तु उनकी वरिष्ठता निर्धारण के बारे में ये नियम शान्त हैं।

(ii) एक जिलाधीश कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तर—वरिष्ठता निर्धारण के लिये निर्देश*—(अब नियम 27–क देखिये)

1 स्थायी/अस्थायी कनिष्ट या वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तर जनहित में या अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में ही एक जिलाधीश कार्यालय से दूसरे में किया जाना चाहिये। ऐसे स्थानान्तर के मामले में वह अपना पदाधिकार (लियन) अपने मूल विभाग में ही धारण करेगा।

2 ऐसा स्थानान्तर तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिये नहीं होगा।

3 ऐसे कर्मचारी का नाम मूल विभाग द्वारा प्रकाशित वरिष्ठता-सूची में ही रहेगा।

4 वह स्थायीकरण पदोन्नति या पदावनति के लिये अपने मूल विभाग के सवर्ग के अनुसार ही विचारार्थ लिया जायगा।

5 यदि वह अपने मूल विभाग में वापिस आना चाहता है, तो उसकी पिछले विभाग की सेवायें नये विभाग में मान्य नहीं होगी। उसको ऐसा विकल्प नये जिलाधीश कार्यालय में स्थानान्तरित होते ही या पदोन्नति/स्थायीकरण के प्रश्न उठते ही दे देना चाहिये।

(iii) कुछ महत्वपूर्ण निर्णय—

जब एक वरिष्ठ लिपिक का स्थानान्तर एक जिलाधीश कार्यालय से दूसरे जिलाधीश कार्यालय में बिना उसकी सहमति या प्रार्थना के किया जाता है, तो

* वि म एफ 4 (44) Apptt (A–5) दि 31-7-72

अभिनिर्धारित किया गया कि—इस प्रकार स्थानान्तरित वरिष्ठ लिपिक को अपनी वरिष्ठता तथा पदाधिकार (लियन) दोनो म से एक जिलाधीश कार्यालय म रखने का विकल्प देने का अधिकार है।

[अपील स 22/76 रामस्वरूप शर्मा व राज्य 30-11-76]

राज० अधीनस्थ लिपिक वर्गीय सेवा के नियम 27 के परन्तुक (ix)—

स्थायी वरिष्ठ लिपिक का एक विभाग से दूसरे विभाग म स्थानान्तर हो जाने पर उसकी वरिष्ठता उस विभाग के स्थायी वरिष्ठ लिपिको म तय की जानी चाहिये थी। अन्तिम वरिष्ठता म परिवर्तन करने स पहले 'कारण-बताओ-नोटिस' देना आवश्यक है।

[बाल कृष्ण ढाका बनाम राज्य 1978 R L T 74]

(iv) स्थानान्तर पर वरिष्ठता का निर्धारण—एक उदाहरण—

एक कनिष्ट लिपिक की विभाग A म नियुक्ति दिनाङ्क—7 9 65—है, उसने 2-8 66 को अपनी इच्छा स विभाग B में स्थानान्तर करा लिया। वहाँ स्थायीकरण के बाद उसका नाम वरिष्ठता सूची म क्र स 60 पर रखा गया। इसके बाद फिर उसने दिनाक 16 1-76 को अपनी इच्छा से स्थानान्तर विभाग C म करा लिया।

एसी स्थिति मे अब उसकी वरिष्ठता का निर्धारण एक समस्या बनगई। उसने विभाग A म लगभग 11 माह का सेवानुभव खोया। अब उसका विभाग C में स्थानान्तर होने पर उसका पदाधिकार उसके मूल विभाग B म ही रहेगा। (रा से नि 16 (ख) के अधीन) तथा वरिष्ठता भी उसी विभाग B मे रहेगी। नये विभाग C मे उसकी वरिष्ठता क लिय उसे लिखित मे विकल्प देना होगा। इसी प्रकार यदि स्थानान्तर उसकी स्वय की इच्छा और प्रार्थना पर (On own reque t) नही होकर प्रशासनिक कारणो से होता है तो भी उसका पदाधिकार विभाग B म रहेगा और उसे उस विभाग मे वापस जाना पडेगा।

9 पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण के मापदण्ड—जब दो या अधिक कर्मचारियो की अधिष्ठायी नियुक्ति का वर्ष एक हो या जब एक प्रवग के कर्मचारियो का दूसरे प्रवग म आमलन (absorption) या एकीकरण किया जाय तो उन के बीच आपस मे जो तुलनात्मक वरिष्ठता निर्धारित की जाती है, उसे 'पारस्परिक वरिष्ठता' (Seniority inter se) कहते हैं। ऐसी स्थिति म न्यायोचित स्थान देने के लिय कुछ मापदण्ड अपनाये जाते हैं जिनका विवरण आपको सम्बन्धित नियमो म मिलेगा जिनके प्रसग नीचे दिये जा रहे हैं कृपया सम्बन्धित नियमावली म देखिये—(i) अधीनस्थकार्यालय नियमावली के नियम 27 के नीचे नियमावली म परिस्थितियो का वर्णन करते हुए 'परन्तुक' म वरिष्ठता निश्चित करने के मापदण्ड दिए गये हैं। (ii) सचिवालय नियमावली के नियम 29 के नीचे भी इसी प्रकार कुल 12 परन्तुक हैं। (iii) अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम 21 'पिछली निम्न श्रेणी' के पारस्परिक स्थान को पारस्परिक वरिष्ठता का आधार

बनाया गया है ।(iv) पचायत समिति नियमावली के नियम 24 के नीचे चार परन्तुक इसीप्रकार दिय गय हैं और (v) चतुथ श्रेणी नियमावली के नियम 19 के नीचे पाच परन्तुक हैं ।

10 वरिष्ठता सूची तयार करना—सरकार का निर्देश है कि—"प्रत्येक विभाग मे वरिष्ठता सूची किसी भी सेवा मे सवग व निर्धारित होते ही तथा पदो पर नियमित चयन के पश्चात् बनाई जाकर प्रकाशित कर दनी चाहिये, ताकि सबका अपनी सही स्थिति का बोध हो । ऐसा ध्यान म आया है कि—वरिष्ठता-सूचिया वरिष्ठता निर्धारण का सिद्धान्त बताये बिना ही अनन्तिम रूप से प्रकाशित कर दी जाती है, जिसस कमचारी अपनी स्थिति के बार मे अभ्यावेदन करन मे असमथ रहता है । इसीलिए एसे तमाम मामला मे "दूसर पक्ष का सुनो" के सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहिए ।" ※इस निर्देश पर बार बार जार दिया गया है ।

एक सुझाव—वरिष्ठता सूची बनाने के लिए एक फाम मे आवश्यक व्यक्तिगत आंकडे स्वय कमचारी स भरवाने चाहिए और उसकी कोई व्यथा या समस्या हो, उसे भी अ कित करा लेना चाहिए । इसके बाद कार्यालय रिकाड के आधार पर उस फाम की जाँच कर सही आंकडे तैयार कर लेने चाहिए । पहले अधिष्ठायी नियुक्ति के वष के आधार पर सूचिया बनाकर उनकी पारस्परिक वरिष्ठता का क्रम बना लेना चाहिए । अन्त मे अस्थायी/तदथ/ स्थानापन्न की वरिष्ठता सूची अलग से बनानी चाहिय । अस्थायी/तदथ/ स्थानापन्न व्यक्तियो के नाम पिछली निम्न श्रेणी की अधिष्ठायी वरिष्ठता सूची मे भी रहगे । इसके बाद वरिष्ठता निर्धारण करने के अपनाये गये सिद्धान्तो व आधारो को स्पष्ट बताते हुए 'अनन्तिम (प्रोविजनल) वरिष्ठता सूची निकालनी चाहिये और उस पर निश्चित अवधि मे आये एतराजो की व्यक्तिगत सुनवाई के बाद ही "अन्तिम वरिष्ठता सूची" प्रकाशित करनी चाहिए ।

11 कुछ महत्वपूर्ण निणय—

(क) वरिष्ठता निर्धारण के सिद्धान्त—सेवा मे वरिष्ठता (जेष्ठता) सम्बन्धी नियम न होने पर सेवा में कायभार सम्भालने की तारीख से जेष्ठता अवधारित की जायेगी ।[1]

एक समान श्रेणी (ग्रेड) या सवग (कैडर) से सम्बन्धित कमचारियो की एक समान वरिष्ठता सूची बनाई जा सकती है । यदि दो अलग श्रेणियो की एक समान सवग मे आगे पदोन्नति के लिये भी एक सूची बनाई जाय, तो नीचे के सवग म की गई सेवा को एक नियम के रूप मे उच्च सवग मे की गई सेवा के रूप मे उच्च सवग म की गई सेवा के समान नही माना जा सकता । अत जब श्रेणी II के कमचारी श्रेणी I में पदोन्नति के लिय पात्र थे, तो उनकी श्रेणी II मे की गइ सेवा की लम्बी अवधि को श्रेणी I व II की एक समान वरिष्ठता सूची बनाने के लिए

※ वि स एफ 1 (5) Apptts (A–II) 72 दिनाक 7 6 72
(देखिये लेखाविज्ञ 1979 पृ० 124–125)

1 डॉ हरकिशनसिह बनाम पजाब राज्य (1971) 2 उम नि प 906

ध्यान म रक्खा जाना अवध होगा। वसके वजाय श्रेणी II स श्रेणी I में जाने के बाद श्रेणी I की वरिष्ठता को अगली पदोन्नति के समय देखा जाना चाहिये था तथा श्रेणी II की वरिष्ठता श्रेणी I के नीचे रहनी चाहिए थी।[2]

(ख) पूर्व पद या प्रवग की सेवा नहीं गिनी जावेगी—राजस्थान पं स जि प सेवा नियम क नियम 24 के अनुसार कनिष्ट लिपिक तथा ग्रामसेवक अलग अलग प्रवग हैं। अत कनिष्ट लिपिक के रूप म की गई सेवा ग्रामसेवक के रूप म वरिष्ठता के लिये विचारणीय नहीं हो सकती।[3]

(ग) वरिष्ठता सूची तथा अधिष्ठायी नियुक्ति मे सम्बन्ध—केवल वरिष्ठता सूची म नाम आजाने मे किसी अध्यापिका की नियुक्ति अधिष्ठायी नहीं हो जाती, जब तक कि वह यह प्रदर्शित न कर कि उसकी नियुक्ति राज पचायत समिति जि प सेवा नियम के नियम 15 से 19 के अनुसार, प्रयोग द्वारा चयन के बाद की गई थी। सीधी भर्ती से अधिष्ठायी नियुक्ति के लिये यह पहली आवश्यकता है।[4]

(घ) विलम्ब (देरी) का दुष्प्रभाव–जब रिट ग्रहण नहीं की जाती—1952 मे बनाये जेष्ठता (सीनियोरिटी) क नियमो के अनुसार की गइ प्रोन्नतियो क विरुद्ध 1967 म रिट करना विलम्ब के कारण वर्जित है। अब जिनकी सेवायें पुष्ट कर दी जा चुकी हैं उनकी सेवाओ मे कोई हेरफर करने के लिये मूल अधिकारो की माग अति विलम्ब से किये जाने के कारण अमान्य है।[5]

(ड) वरिष्ठता के सिद्धात—वरिष्ठता का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि—जो व्यक्ति पूववर्ती वर्षों म नियुक्त किये गये हैं, वे पश्चातवर्ती वर्षों म नियुक्त व्यक्तियो से वरिष्ठ होगे।[6]

सेवा मामलो मे यह एक सुस्थापित सिद्धात है कि—अधिष्ठायी नियुक्ति वाला व्यक्ति उन सब लोगो से निश्चयपूर्वक वरिष्ठ होगा जो परिवीक्षा पर नियुक्त किये गय हैं।[7]

जब किसी एक पद पर पदोन्नति के लिये अलग अलग प्रवग के लोगो को अवसर दिया जाना है अर्थात् जब पदोन्नति का क्षेत्र कई प्रवर्गों मे (चनल्स) से हो,

---

2 एम गुरुशान्तप्पा बनाम निदेशक 1978 Lab I C 150
3 किशनपुरी बनाम राज्य 1977 WLN (UC) 100
4 सरजूदेवी बनाम विकास अधिकारी, 1974 WLN (UC) 144
5 रवीन्द्रनाथ बोस बनाम भारतसघ (1970) 3 उम नि प 910= AIR 1970SC 470
6 अपील स 598/77 सुरेश चन्द्र भटनागर दि 26 6 78
7 हरिहर श्याम बनाम राज्य (1978 RLT 10)

अध्याय 7

पदोन्नति PROMOTION

—माप दण्ड, पात्रता एवं तरीके

अनुक्रम

नियमावली-प्रसंग

		अधीनस्थ कार्यालय A	सचिवालय B	अधीनस्थ न्यायालय C	पचायत समिति D	चतुर्थ श्रेणी E
1	पदोन्नति म भर्ती	7(ग)	5(ख)	6(ग)	6(ख)	1
2	रिक्तियों का विनिश्चय	9	8	×	×	
3	मापदण्ड (कसौटी)	26 घ (5)	26(5)	13(2)	20	17
4	पात्रता की शर्तें	15,26 ख 26घ	24, 24क 26(3)	13	20	17 17क
5	पदोन्नति का तरीका—	26घ, 26ङ, 26ग	25 26 26क	×	— 21,22	17
6	अस्थाई पदोन्नति—	26(3)(4)	28,28क	×	23	18

1 पदोन्नति का स्वरूप व भेद—पदोन्नति सेवा में एक महत्वपूर्ण कार्यवाही है, जिसके लिये विचार किया जाना संविधान के अनुच्छेद 16 के अधीन एक मूल अधिकार माना गया है।[1] पदोन्नति दो प्रकार की हो सकती है—(1) नियमित, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन करने पर दी जाती है, और (2) अर्जेन्ट अस्थायी नियुक्ति के रूप में स्थानापन्न पदोन्नति, जिसका विवेचन पीछे

अध्याय (4) मे किया जा चुका है। हम यहाँ नियमित पदोन्नति का विवेचन करेंगे।

※ (क) नियमो का विश्लेषण

2 **मापदण्ड या कसौटी**—(Criterion)—पदोन्नति के लिये मापदण्ड "वरिष्ठता सह योग्यता" (Seniority—cum—Merit) को माना गया है। अधीनस्थ कार्यालय नियमावली का नियम 26–घ तथा सचिवालय-नियमावली का नियम 26, जो विज्ञप्ति स एफ 7 (10) DOP (A–II) 77 G S R 93 दिनांक 7 मार्च 1978 द्वारा परिवर्तित किया गया, पुराने सभी मापदण्डो को निरस्त कर उपनियम (5) मे अधीनस्थ सेवाओं तथा लिपिक वर्गीय सेवाओ के समस्त पदों के लिये "वरिष्ठता-सह योग्यता" को आधार बताता है। इससे पहले "मेरिट फार्मूला" लागू था, जो अब इन सेवाओ के लिए समाप्त कर दिया गया है। यह नया नियम विज्ञप्ति मे दी गई अनुसूचियो के अनुसार 77+10=87 सेवाओ पर लागू कर दिया गया है। जो अध्यारोही (Overriding) प्रभाव से इसके पहले के सब मापदण्ड व तरीको को, जो इस नियम के विपरीत हों, निरस्त करते हुये लागू किया गया है। अत हमने आगे केवल उन्ही बातो का विवेचन किया है, जो इस नियम के अनुसार नियमित हैं। [कृपया पूरा नियम पीछे पृष्ठ 61 से 66 पर पढिये तथा पुराना नियम भी पृष्ठ 67 से 71 पर देखिये]

अधीनस्थ न्यायालय नियमावली के नियम 13(2) मे "वरिष्ठता के अनुसार दक्षता के अध्यधीन रहते हुए' पदोन्नति करने का उपबन्ध है। आगे टिप्पणी म इसका स्पष्टीकरण किया गया है, परन्तु पदोन्नति देने के तरीके का कोई उल्लेख नही किया गया है।

पचायत समिति जि प सेवा नियमावली के नियम 20 मे चयन के लिये कसौटी "सीनियोरिटी एव योग्यता" बतलाई गई है।

चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमावली के नियम 17 मे भी वरिष्ठता-सह-योग्यता से पदोन्नति करने की कसौटी निर्धारित की गई है।

इस प्रकार "वरिष्ठता-सह योग्यता" के मापदण्ड मे वरिष्ठता को प्रधानता दी गई है, जिसके साथ योग्यता (मेरिट) होना आवश्यक है, जो पुराने अभिलेख पर आधारित उपयुक्तता है। यहा 'मेरिट' का प्रयोग तुलनात्मक न हो कर योगात्मक है।

(ख) "वरिष्ठता-सह-योग्यता" का मापदण्ड—(महत्वपूर्ण निणय)

"वरिष्ठता सह उपयुक्तता" (Seniority—cum—fitness) के आधार पर वरिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति मिलेगी, यदि वह अनुपयुक्त (unfit) नही है। इस

※ 'पदोन्नति' पर विस्तृत कानूनी विवचन के लिये पुस्तक "सेवा सम्बन्धी मामले एव अपील ट्रिब्यूनल कानून' का अध्याय (2) अवश्य पढिये।

प्रकार उपयुक्त होने पर वरिष्ठ को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।[1]

"वरिष्ठता-सह योग्यता" के आधार पर वरिष्ठ व्यक्ति जो योग्यता सहित हो, चयनित किया जावेगा, चाहे उससे कनिष्ट व्यक्तियों की योग्यता उससे तुलना में अच्छी क्यों न हो।[2] "योग्यता सह-वरिष्ठता" के आधार पर सबसे अधिक योग्यता वाला या सवश्रेष्ठ योग्यता वाला व्यक्ति ही चयनित किया जा सकेगा।[1]

जब नियमों के अधीन 'ज्येष्ठता एव योग्यता' के आधार पर ही उच्चतर पद के लिये पदोन्नति का उपबन्ध हो, तो ज्येष्ठ कर्मचारी की उच्चतर पद के लिये योग्यता होने या न होने का विचार किये बिना कनिष्ट कर्मचारी की प्रोन्नति कर देना उचित नहीं है।[3]

पदोन्नति मे अतिष्ठन कब हो सकता है?—जब नियमानुसार एक कनिष्ट लिपिक के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर की जाती है, तो एक वरिष्ठ व्यक्ति को केवल तभी अतिष्ठित किया जा सकता है, जब वह ऐसी पदोन्नति के लिये कार्य और सेवाभिलेख के आधार पर अनुपयुक्त पाया गया हो।[4]

3 पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें—

पदोन्नति के लिये पात्रता की निम्न शर्तें हैं—(1) अधिष्ठायी नियुक्ति–जिसे पदोन्नति देनी है, वह अपने पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त तथा स्थायी हो। परन्तु ऐसे स्थायी व्यक्ति के न मिलने पर "स्थानापन्न" व्यक्ति को स्थानापन्न आधार पर पदोन्नति का पात्र समझा जावेगा।

[देखिये अधीनस्थ कार्यालय नियमो का नियम 26 ख का उपनियम (3), जो नियम 26 ख (3) के समान है। सचिवालय नियमावली का नियम 26 (3) तथा नियम 24 क। चतुर्थ श्रेणी सेवा का नियम 17 क]

2 न्यूनतम योग्यता एव अनुभव — यह पदोन्नति की पात्रता की दूसरी शर्त है, जिसका विवरण इस प्रकार है—

(क) अधीनस्थ कार्यालय नियमावली मे—

(1) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के लिये कनिष्ट लिपिको के रिक्त पदो का 10% पदोन्नति के लिये आरक्षित किया गया है, (देखिये–नियम 7 का परन्तुक (3) पृष्ठ 18 पर)

---

1 हरिदत्त बनाम हिमाचल प्रदेश 1974 (1) SLR 208 (Para 13), मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद 1968 SLR 411

2 शादीलाल बनाम हि कमि 1974 (1) SLR 217 (P.H)

3 मैसूर राज्य बनाम सैयद महमूद (1968) 1 उम नि प 955= AIR 1968 SC 1113

4 श्रीमती प्रकाशवती बनाम राज्य 1978 RLT 128

(2) आशुलिपिक द्वितीय श्रेणी तथा कनिष्ट लिपिक को छोडकर अन्य सभी पद पदोन्नति या चयन द्वारा भरे जावेंगे (देखिये नियम 7 तथा 6 पृष्ठ 12–13 पर)

(3) पदोन्नति सम्बन्धी शर्तों के लिये नियम 15 मे विभिन्न वरिष्ठ पदो पर नियुक्ति की शर्तें दी गई हैं उनको नियम 7 के सम्बन्धित परन्तुको के साथ साथ पढना चाहिये। इनकी प्रसग तालिका इस प्रकार है—

(i) आशुलिपिक/निजीसहायक सवग के लिये—

नियम 7(घ)—परन्तुक 7, 8 (पीछे पृष्ठ 19 से 22 तक)

नियम 15—उपनियम 7, 8 आशुलिपिक प्रथम श्रेणी (पृ 41 42)

उपनियम 11 निजी सहायक के लिये (पृ 43)

(ii) वरिष्ठ लिपिक के पद पर—नियम 7 (ग) 100% पदोन्नति द्वारा, सीमित प्रतियोगिता समाप्त कर दी गई। परन्तुक (2) का (ii)(पृष्ठ 16-17 पर)। नियम 15 (1) (पृष्ठ 37 पर) देखिये

(iii) कार्यालय सहायक—नियम 15 (4–क) पृष्ठ 38 पर देखिये।

(iv) कार्यालय-अधीक्षक—द्वितीय श्रेणी के लिये नियम 15 (5) तथा 15 (5क)(पृष्ठ 39) पर देखिये। प्रथम श्रेणी के लिये नियम 15 (6) तथा 15 (6–क) पृष्ठ 40 41 पर देखिये।

[कृपया अन्य वरिष्ठ पदो की शर्तों के लिये नियम 7 तथा नियम 15 पढिये]

❀(ख) सचिवालय नियमावली मे-नियम 24 तथा अनुसूची I के स्तम्भ 6 मे में पदोन्नति के लिये अहताएं एव अनुभव का विवरण (देखिये पृष्ठ 141–145) दिया गया है।

(ग) अधीनस्थ न्यायालय नियमावली मे—नियम 13 मे कुछ शर्तें अनुभव के बारे में दी गई हैं किन्तु विस्तृत शर्तों का इन नियमो मे अभाव है।

(घ) पचायत समिति सेवा नियमावली मे—सलग्न अनुसूची मे पदोन्नति के लिये अहतायें व अनुभव का विवरण दिया गया है। (देखिये पृष्ठ 189)

❀(ड) चतुर्थ श्रेणी सेवा नियमो की अनुसूची में भी इसी प्रकार अहतायें व अनुभव दिया गया है। (देखिये पृ० 207)

उपरोक्त ताराकित (❀) नियमो मे जहा अनुभव की अवधि स्पष्ट नही बताई गयी है वहा पाँच वर्ष की अवधि नियम 26 घ (5) = 26 (5) के अनुसार वाछित होगी और 5 वर्ष के अनुभवी व्यक्तियो के न मिलने पर 'परन्तुक' के आधार पर कम वर्षों के अनुभव वाले पात्र व्यक्तियो पर विचार किया जा सकेगा।

"सेवा या अनुभव" की सगणना के लिये इसकी परिभाषा के अनुसार विचार किया जायेगा।

[कृपया अध्याय (1) मे पृष्ठ 219 पर देखिये]

(2) चक्रीय क्रम का निर्धारण—अब यदि नियमों के अनुसार या अनुसूची के अनुसार पदोन्नति में कोई कोटा (Quota) यानी निश्चित संख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, तो उसके अनुसार चक्रीय—क्रम (Rotation) बनायेगा, ताकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की तालिका तयार की जा सके। चयनित व्यक्तियों को इसी क्रम से पदोन्नत करना होगा।

[देखिये उपरोक्त नियमों का उपनियम (2)]

(3) आरक्षण का रोस्टर—अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये निश्चित प्रतिशत के आधार पर रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उनके आरक्षित पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही करेगा।

[देखिये पीछे अध्याय (3) तथा नियम 8 पृष्ठ 25 पर तथा नियम 6 पृष्ठ 116 पर]

(4) पात्र व्यक्तियों का विचार क्षेत्र—यदि पदोन्नति के लिये 5 पद तक रिक्त हों, तो चार गुनी संख्या में, 10 पद तक रिक्त हों तो 3 गुनी संख्या में, (पर कम से कम 20), तथा 10 से अधिक पद भरने हों तो दो गुनी संख्या (पर कम से कम 30) में पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जावेगी, जिस पर विचार किया जा सकेगा।

(5) समिति का गठन—विभागीय–पदोन्नति—समिति का गठन अधीनस्थ कार्यालयों के लिये नियम 26 ग (2) के अनुसार तथा सचिवालय के लिये नियम 25 व 26 के अनुसार किया जावेगा। जो क्रमशः नियम 26 ग=25 के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची पर विचार करेगी। वरिष्ठ लिपिकों के बारे में क्रमशः नियम 26 ङ=26 क के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। किन्तु अधीनस्थ कार्यालय नियम 7 (ग) को दिनांक 16-1-1978 से प्रतिस्थापित कर प्रतियोगी परीक्षा समाप्त कर देने से उपरोक्त नियम 26 ङ निष्प्रभावी हो जाता है, जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

(6) समिति द्वारा चयन—उपनियम (11) के अनुसार समिति निम्न कार्यवाही करेगी—

(i) समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों पर, जो नियमानुसार पात्र एवं अर्हित हैं, समिति पदोन्नति के लिये विचार करेगी। वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पंजिकायें देखी जावेंगी।

(ii) रिक्तियों के लिये निश्चित संख्या में चयनित व्यक्तियों की एक 'चयन सूची' बनायेगी।

(iii) उपरोक्त संख्या के 50% के बराबर संख्या की एक अलग चयन सूची भी बनायेगी, जिसको अस्थायी या स्थानापन्न रूप से भरने के काम में लिया जा सकेगा, जब तक कि समिति की अगली बैठक न हो जाय।

(iV) ऐसी सूची को वरिष्ठता के क्रम में तयार किया जावेगा और नियुक्ति–प्राधिकारी को भेजा जावेगा।

(7) आयोग से परामश—उपनियम (12) व (13) के अनुसार जहा आवश्यक हो, आयोग का परामश लिया जावेगा।

(8) नियुक्तिया—उपनियम (14) के अनुसार इस प्रकार बनी "अन्तिम चयन सूची" मे से उसी क्रम मे नियुक्ति—प्राधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की आज्ञायें जारी करेगा, जब तक कि—वे सूचिया पूरी न हो जाय, या दुबारा समिति द्वारा पुनरावलोकित या सशोधित न कर दी जावे।

(9) निलम्बन एव विभागीय जाच के अधीन कमचारियो के बारे मे उपनियम (15) के अनुसार सरकार निर्देश जारी करेगी, जो आगे विवचना के खण्ड (7) म पृष्ठ 274 पर दिये जा रहे है।

(10) अध्यारोही प्रभाव—इस नियम के प्रावधान ही लागू होगे और अन्य नियमो के प्रावधान जो इनके विपरीत हैं, लागू नही होगे। यह इस नियम की विशेषता है।

उपरोक्त प्रक्रिया का वरान अधीनस्थ कायालया तथा सचिवालय की लिपिक वर्गीय सेवाओ के दृष्टिकोण से किया गया है, यद्यपि अन्य सेवाओ के लिय भी यह नियम समान है फिर भी सम्पूरा उपबन्ध यहा ऊपर नही बताये गय हैं। अत मूल नियम (पृ० 61) पर पढना उचित होगा।

पचायत समिति जि प सेवा नियमो म चयन की प्रक्रिया नियम 21 व 22 म स्पष्ट दी गई है। (कृपया पृष्ठ 175 पर देखिये)।

6 पूववर्ती वर्षो के रिक्त पदो पर पदोन्नति के विशेष नियम

"राजस्थान सेवायें (पूववर्ती वर्षो की रिक्तियो के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972—" (देखिये—परिशिष्ट–3)

1972 के इन नियमो का मुख्य उद्देश्य उस कठिनाई को दूर करना था, जो पदोन्नति के कोटा के रिक्त स्थानो को सीधी भर्ती के रिक्त स्थानो के विरुद्ध समय पर नही भरने से उत्पन्न हुई थी। अत 1972 से पहले इनके प्रभावी (लागू) होने को किसी भी निवचन के सिद्धान्त द्वारा मना नही किया जा सकता। यदि 1972 से पूर्व के रिक्त स्थानो पर विचार नही किया जाता है, तो ये नियम बेकार हो जाते हैं।

अत इनको पूवकालिक प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है।[1]

जब प्रधानाध्यापको के पदो पर तदथ नियुक्तिया की गई और कोई अविष्ठायी नियुक्तिया नही की गई, न सीधी भर्ती ही की गई। ऐसी स्थिति म प्रतिवष रिक्त स्थान तय नही करने से प्रार्थी का कोई हानि नही हुई, न वरिष्ठता मे हानि हुई। ता ये नियम लागू नही होगे।[2]

---

1 अपील स 29 & 30/78 सुखबीरसिंह 1978 R L T 59
2 मालूराम बनाम राज्य 1977 W L N (U C) 323

(2) चक्रीय क्रम का निर्धारण—अब यदि नियमों के अनुसार या अनुसूची के अनुसार पदोन्नति में कोई कोटा (Quota) यानी निश्चित संख्या का प्रतिशत लिया हुआ है, तो उसके अनुसार चक्रीय—क्रम (Rotation) बनायेगा, ताकि पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों की तालिका तैयार की जा सके। चयनित व्यक्तियों को इसी क्रम से पदोन्नत करना होगा।

[देखिये उपरोक्त नियमों का उपनियम (2)]

(3) आरक्षण का रोस्टर—अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये निश्चित प्रतिशत के आधार पर रोस्टर रजिस्टर तैयार कर उनके आरक्षित पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही करेगा।

[देखिये पीछे अध्याय (3) तथा नियम 8 पृष्ठ 25 पर तथा नियम 6 पृष्ठ 116 पर]

(4) पात्र व्यक्तियों का विचार क्षेत्र—यदि पदोन्नति के लिये 5 पद तक रिक्त हों, तो चार गुनी संख्या में 10 पद तक रिक्त हों तो 3 गुनी संख्या में, (पर कम से कम 20), तथा 10 से अधिक पद भरने हों तो दो गुनी संख्या (पर कम से कम 30) में पात्र व्यक्तियों की सूची बनाई जावेगी, जिस पर विचार किया जा सकेगा।

(5) समिति का गठन—विभागीय—पदोन्नति—समिति का गठन अधीनस्थ कार्यालयों के लिये नियम 26 ग (2) के अनुसार तथा सचिवालय के लिये नियम 25 व 26 के अनुसार किया जावेगा। जो क्रमश नियम 26 ग = 25 के अनुसार पात्र व्यक्तियों की सूची पर विचार करेगी। वरिष्ठ लिपिकों के बारे में क्रमश नियम 26 ड = 26 क के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। किन्तु अधीनस्थ कार्यालय नियम 7 (ग) को दिनांक 16-1-1978 से प्रतिस्थापित कर प्रतियोगी परीक्षा समाप्त कर देने से उपरोक्त नियम 26 ड निष्प्रभावी हो जाता है, जिसे अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।

(6) समिति द्वारा चयन—उपनियम (11) के अनुसार समिति निम्न कार्यवाही करेगी—

(i) समस्त वरिष्ठतम व्यक्तियों पर, जो नियमानुसार पात्र एवं अर्हित हैं समिति पदोन्नति के लिये विचार करेगी। वार्षिक गुप्त प्रतिवेदन तथा व्यक्तिगत पंजिकायें देखी जावेंगी।

(ii) रिक्तियों के लिये निश्चित संख्या में चयनित व्यक्तियों की एक "चयन सूची" बनायेगी।

(iii) उपरोक्त संख्या के 50% के बराबर संख्या की एक अलग चयन सूची भी बनायेगी, जिसको अस्थायी या स्थानापन्न रूप से भरने के काम में लिया जा सकेगा जब तक कि समिति की अगली बैठक न हो जाय।

(iv) ऐसी सूची को वरिष्ठता के क्रम में तैयार किया जावेगा और नियुक्ति-प्राधिकारी को भेजा जावेगा।

(7) आयोग से परामर्श—उपनियम (12) व (13) के अनुसार जहा आवश्यक हो, आयोग का परामर्श लिया जावेगा।

(8) नियुक्तियाँ—उपनियम (14) के अनुसार इस प्रकार बनी "अन्तिम चयन सूची" में से उसी क्रम मे नियुक्ति—प्राधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की आज्ञायें जारी करेगा, जब तक कि—वे सूचियां पूरी न हो जाय, या दुबारा समिति द्वारा पुनरावलोकित या सशोधित न कर दी जावे।

(9) निलम्बन एव विभागीय जांच के अधीन कर्मचारियों के बारे मे उपनियम (15) के अनुसार सरकार निर्देश जारी करेगी, जो आगे विवेचना के खण्ड (7) मे पृष्ठ 274 पर दिये जा रहे हैं।

(10) अध्यारोही प्रभाव—इस नियम के प्रावधान ही लागू होगे और अन्य नियमो के प्रावधान जो इनके विपरीत हैं, लागू नही होगे। यह इस नियम की विशेषता है।

उपरोक्त प्रक्रिया का वर्णन अधीनस्थ कार्यालयों तथा सचिवालय की लिपिक वर्गीय सेवाओं के दृष्टिकोण से किया गया है, यद्यपि अन्य सेवाओं के लिये भी यह नियम समान है फिर भी सम्पूर्ण उपबन्ध यहा ऊपर नही बताये गये हैं। अत मूल नियम (पृ० 61) पर पढना उचित होगा।

पचायत समिति जि प सेवा नियमो मे चयन की प्रक्रिया नियम 21 व 22 में स्पष्ट दी गई है। (कृपया पृष्ठ 175 पर देखिये)।

6 पूर्ववर्ती वर्षों के रिक्त पदो पर पदोन्नति के विशेष नियम

"राजस्थान सेवायें (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियो के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972—" (देखिये—परिशिष्ट–3)

1972 के इन नियमो का मुख्य उद्देश्य उस कठिनाई को दूर करना था, जो पदोन्नति के कोटा के रिक्त स्थानो को सीधी भर्ती के रिक्त स्थानो के विरुद्ध समय पर नही भरने से उत्पन्न हुई थी। अत 1972 मे पहले इनके प्रभावी (लागू) होने को किसी भी निर्वचन के सिद्धान्त द्वारा मना नही किया जा सकता। यदि 1972 से पूर्व के रिक्त स्थानो पर विचार नही किया जाता है, तो ये नियम बेकार हो जाते हैं।

अत इनको पूर्वकालिक प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है।[1]

जब प्रधानाध्यापकों के पदो पर तदर्थ नियुक्तियां की गई और कोई अधिष्ठायी नियुक्तियां नही की गई, न सीधी भर्ती ही की गई। ऐसी स्थिति मे प्रतिवर्ष रिक्त स्थान तय नही करने से प्रार्थी को कोई हानि नही हुई, न वरिष्ठता मे हानि हुई। तो ये नियम लागू नही होगे।[2]

1 अपील स 29 & 30/78 सुखबीरसिंह 1978 R L T 59
2 मालूराम बनाम राज्य 1977 W L N (U C) 323

राज्य सरकार का भी निर्देश है कि—"पदोन्नति-समिति की बैठकें विलम्ब से होने पर चयनित व्यक्तियों को पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विपरीत नियुक्ति एवं वरिष्ठता दी जा सकती है। ऐसे मामले पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति नियम 1972 से शासित होंगे।[3]

7 निलम्बन/विभागीय जांच तथा पदोन्नति—राजस्थान सरकार ने इस विषय में निर्देश[4] जारी किये हैं कि—"जो कर्मचारी निलम्बनाधीन न हो परन्तु उसके विरुद्ध सी सी ए नियम 16 के अधीन जांच चल रही हो, के मामले में 'मुहरबन्द लिफाफा प्रणाली' अपनानी चाहिये। किन्तु जहां यह समझा जाय कि आरोप साधारण प्रकार के है, वहां प्रोविजनल पदोन्नति के लिये सिफारिश की जा सकती है। इसी प्रकार जिनके विरुद्ध सी सी ए नियम 17 में जांच चल रही हो, उनके लिये भी प्रोविजनल पदोन्नति की सिफारिश की जा सकती है। विभागीय-पदोन्नति-समिति उचित समझे, तो इसमें भी मुहरबन्द-लिफाफा प्रणाली अपनायी जा सकती है। निलम्बन से बहाल होने पर अनुभव के लिये विहित न्यूनतम सेवावधि में निलम्बन की अवधि को सम्मिलित कर लिया जावेगा।"

8 कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णयों का सारांश—

समता का अधिकार (अनुच्छेद 14) पदोन्नति में लागू—सरकारी नौकरी में नियुक्ति के समय चयन में तथा बाद में सेवा के दौरान भी समता का अधिकार प्राप्त है। चाहे सीधी भर्ती हो, या पदोन्नति द्वारा इसके लिये सरकार योग्य कर्मचारियों का समान मापदण्ड से विचार करेगी। सरकार को योग्यतायें निर्धारित करने का विशाल विवेक प्राप्त है। भेदभाव करने वाली योग्यताओं का न्यायालय निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 14 व 16 की मांग है कि—प्रत्येक योग्य व्यक्ति के मामले में समान सिद्धान्तों के आधार पर विचार किया जाय, इससे अधिक कुछ नहीं।[5]

पदोन्नति में मनमानी व अनुचित कार्यवाही सम्भव नहीं—पदोन्नति के लिए समान अवसर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 16 के अधीन प्रत्याभूत मूल अधिकार है, जिसे अवांछित तथा निरंकुश सरकारी कार्यवाही से हानि नहीं पहुंचायी जा सकती।

यह सुस्थापित है कि—प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी सरकार अयुक्तियुक्त तरीके से या निरंकुश तरीके से काय नहीं कर सकती। विशेषतः जहां दूसरे कर्मचारियों के अधिकार भी प्रभावित होते हैं। जहां किसी व्यक्ति को किसी कानून के

---

3 वि स एफ/(7) नियु (क-2) 71 दि 7-1-72 (देखिये 'लेखाविज्ञ-मई 1972 पृष्ठ 12)

4 एफ 10 (1) कार्मिक (क-II) 75 दि 4 77], देखिये—लेखाविज्ञ-फरवरी 1977 पृष्ठ 44

5 हरपाल सिंह बनाम केन्द्रशासित चण्डीगढ़ 1978 Lab IC 123 (P&H) F B

ग्रधीन विवेकाधिकार (डिसक्रिशन) सौंपा गया है, तो उसे अपने ग्रापको कानून के ग्रनुसार सही चलाना होगा। वह ग्रयुक्तियुक्त या निरकुश (मनमाने) तरीके से काय नहीं कर सकता।[6]

☐ उच्चयायालय पदोन्नति के लिए स्पष्ट निर्देश दे सकता है—

नवीनतम मत—सरकार द्वारा सविधान के ग्रनुच्छेद 162 के ग्रधीन जारी किये गये कायकारी-निदेश (executive instructions) तभी वैध होगे, जब वे विधिक उपबन्धो के ग्रधीन होकर चलें, (न कि उनके विपरीत) (पैरा 22) ऐसे निर्देशो द्वारा उन वरिष्ठ लिपिको के लिए एक विशेष-परख विहित करना, जिनको कनिष्ट लिपिक नियुक्त करते समय न्यूनतम शैक्षणिक ग्रहताग्रो से छूट दे दी गई थी, विभेदकारी है ग्रौर सविधान के ग्रनुच्छेद 14 तथा 16 का भग करते हैं। (पैरा 24, 26)

जब पदोन्नति के लिए नियमो मे विहित दोनो प्रकार के मापदण्ड यानी वरिष्ठता ग्रौर उपयुक्तता मौजूद हैं, तो उच्चयायालय द्वारा प्रार्थी को पदोन्नत करन के लिय स्पष्ट निर्देश (Positive direction) देना न्यायचित माना गया।[7] (पैरा 30)

नियम 15 तथा 18 राज० ग्रधीनस्थ० लिपिक० स्था० नियम–कार्यालय-ग्रधीक्षक श्रेणी II के पद पर पदोन्नति के लिये पात्रता—

नियम 15 (5) के ग्रनुसार दो प्रवर्गों के कमचारी इसके लिये पात्र हैं—(क) कार्यालय सहायक तथा (ख) ग्राशुलिपिक श्रेणी III। इस पदोन्नति के लिये सूची (पनल) बनाने मे सब पात्र व्यक्तियो को जो उपयुक्त पाये गये हो, सम्मिलित करना होगा।

जिलाधीश कार्यालय मे कार्यालय–ग्रधीक्षक श्रेणी II के लिये जिलाधीश नियुक्ति प्राधिकारी है, किन्तु उसे राजस्व मण्डल द्वारा बनायी गयी सूची में से ग्रभ्यर्थी का चयन करना होगा।[8]

विभागीय-पदोन्नति समिति द्वारा विचार करना—एक स्थानापन्न वरिष्ठ लिपिक जो कि ग्रधिष्ठायी कनिष्ठ लिपिक भी है, दूसरे कनिष्ठ लिपिको के समान पदोन्नति के समय विचार करने योग्य है। उसका चयन इस कारण से ग्रवध नही हो जाता। जब पदोन्नति वरिष्ठता-सह-योग्यता पर ग्राधारित हो, तो विभागीय-पदोन्नति समिति को मामले मे उचित एव निष्पक्ष तरीके से विचार करना चाहिये। ऐसे मामले मे जहा यह पाया जाता है कि—समिति के सामने सम्पूर्ण तथा सही ग्रभि-

6 ग्रपील स 801/77 कैलाश चन्द्र डी माथुर दि 21-9 78
7 डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार पालघाट बनाम एम बी कोट्याकुट्टी 1979 SLJ 278 (S C)=1979 SCC (L&S) 126
8 चादमल जैन बनाम राज्य 1974 WLN 540 = 1974 RLW 393

लेख के आंकडे प्रस्तुत नहीं किये गये या समिति सही तथ्यो की वस्तुगत रूप से प्रशसा नहीं कर सकी । इससे किया गया चयन दूषित हो गया और प्रभावित व्यक्ति पुनर्विचार के लिय पात्र हो गये । यदि वह उपयुक्त पाया जाता है, तो उसकी पदोन्नति होनी चाहिये ।[9]

पदोन्नति—वरिष्ठ लिपिक के पद पर अपीलार्थी पर विचार नहीं किया गया, क्योकि वह दि 21-2-75 की विभागीय पदोन्नति समिति की मीटिंग द्वारा अनुपयुक्त पाया गया था । केवल दो वर्ष पहले की वि प स के विनिश्चय के आधार पर अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार नहीं करना उचित नहीं माना गया 1978 RLT (iv) 33 का अनुसरण करते हुए अपीलार्थी की पदोन्नति के लिय विचार करने का निर्देश दिया गया ।[10]

त्रुटि (गलती) से की गई पदोन्नति—प्रार्थी को स्थानापन्न रूप से त्रुटि (गलती) से नियमो का भग करते हुए पदोन्नति दे दी गई । बाद मे अन्य व्यक्तियो के अभ्यावेदना पर तथा प्रार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद उस आज्ञा को निरस्त कर दिया गया । अभिनिर्धारित कि—जब पदोन्नति की मूल आज्ञा ही अवैध थी, तो प्रार्थी के प्रत्यावर्तन की वह कोई शिकायत नहीं कर सकता और सरकार को ऐसी गलती ठीक करने का अधिकार है । इस मामले मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन नहीं माना गया । ऐसे मामलो मे सरकार न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक रूप मे कार्य नहीं करती, परन्तु उसे प्रशासनिक रूप मे भी न्याय व निष्पक्षता से कार्य करना होगा, निरकुशता व लापरवाही मे नहीं ।[11]

पूर्वकालिक पदोन्नति और वेतन—एक अधिकारी को पूर्वकालिक पदोन्नति देने के बाद सरकार उसे ऐसी पदोन्नति के लिये वेतन देने से इन्कार नहीं कर सकती जब कि इसके विपरीत किसी नियम का अभाव हो अर्थात्—(जब तक किसी नियम मे स्पष्ट रूप से ऐसा वेतन नहीं देने का प्रावधान न हो, तो वेतन देना ही पड़ेगा) यह भुगतान करना पैतृक विभाग का कर्त्तव्य है ।[12]

पदोन्नति कब से—केवल आगे की पदोन्नति ही पर्याप्त नहीं है, जब कि कर्मचारी का पदोन्नति का अधिकार उस दिनाक से है जिस दिन उसके कनिष्ठ की पदोन्नति किया गया, क्योकि उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाने से उसके वेतनादि पर और उसकी सेवा पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।[13]

---

9 अपील स 6/78 केदार नाथ आदि दि 30 8 78

10 अब्दुल हाई बनाम राज्य (1978 RLT 44)

11 गुलाबचन्द बनाम राजस्थान 1979 SCJ 163,
डॉ पी एस गैलात बनाम राजस्थान 1977 WLN (UC) 384

12 राम चन्द्र साखला बनाम राज्य 1978 RLT 127

13 रमेश चन्द्र बनाम राज्य (1978 RLT 86)

गुप्तप्रतिवेदन की प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना न देने का प्रभाव—

प्रतिकूल प्रविष्टि की सूचना न देने और उसे पदोन्नति के समय म निर्णय के लिये विचार मे लेने पर उस कमचारी क लिये न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष विचार नही किया गया। यह सविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लघन है। रिट याचिका स्वीकार कर प्रार्थी को वापस अपने पद पर लेने का आदेश दिया गया।[14]

अपीलार्थी को इसलिए पदोन्नति नही दी गई कि—उसे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त नही पाया गया, क्योकि 1975-76 के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टिया थी तथा उसे पदोन्नति के लिये अभी उपयुक्त (fit) नही माना गया था।

विभागीय पदोन्नति समिति ने केवल 1975-76 की रिपोट को आधार बनाकर भूल की है, क्योकि इसके पहले की रिपोर्टों मे उसे पदोन्नति के लिये उपयुक्त बताया गया था। यदि वि प स ने 1975 76 की रिपोट को भी दख कर ध्यान दिया होता, तो स्पष्ट था कि—अपीलार्थी की दक्षता उसकी अस्वस्थता स क्षीण हुई थी न कि वह मूलत तथा आन्तरिक रूप से पदोन्नति के लिए उपयुक्त नही था। अत वि प स की कायवाही दूषित मानी गई और अपीलार्थी के मामले पर वि प स द्वारा पुन विचार करने का निर्देश दिया गया।[15]

ऐसी प्रतिकूल प्रविष्टि को, जो एक कमचारी का ससूचित नही की गई और उसे उसके विरुद्ध बचाव का कोई अवसर नही मिला, अधिक महत्व नही देना चाहिए और विशेष रूप से तब जबकि उसका एक बार प्रयोग उसके अतिष्ठन के लिय किया जा चुका है और जब ऐसी प्रविष्टि स्थायी तथा निरुपाय प्रकार की न हो। इस सीमा तक अपीलार्थी पर निष्पक्ष विचार किया जाना चाहिये था। केवल विभागीय जाच विचाराधीन है—यह अपीलार्थी की वरिष्ठता के बावजूद उसे अस्वीकार करने के लिये सुसंगत नही है।[16]

यह एक सुस्थापित कानून है कि—किसी को भी केवल सदेह के कारण दण्डित नहीं किया जायगा। जब प्रतिकूल प्रविष्टि केवल लगभग एक माह पहले ससूचित की गई और उसके विरुद्ध अभ्यावेदन विचाराधीन था, तो प्राधिकारी को चाहिये था कि—या तो पहले उस अभ्यावदन पर निर्णय देता, या उस पर निर्णय देने तक के लिये चयन को स्थगित कर देना।[17]

वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (C R) मे दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टिया के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।[18]

14 नरेश्वर जोशी बनाम राजस्थान राज्य 1971 RLW 140, आनन्द स्वरूप भटनागर बनाम राजस्थान राज्य 1965 RLW 272

15 केदार प्रसाद शर्मा बनाम राज्य 1978 RLT 170

16 अपील स 562/77 भारतभूषण शमा दि 15 9 1978

17 सन्तलाल अग्रवाल बनाम राज्य (1978 RLT 31)

18 एल एन अजमेरा बनाम वाणिज्यक कर विभाग (1979 RLT 28)

जब वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन मे दी गई प्रतिकूल प्रविष्टियो के आधार पर अपीलार्थी का स्थायीकरण (कनफरमेशन) रोका गया और उसे पदोन्नति नहीं दी गई, परन्तु जब वे प्रतिकूल प्रविष्टिया बाद मे हटा दी गई, तो अपीलार्थी के स्थायीकरण तथा पदोन्नति पर पुन विचार करना होगा और उसे उसी दिनाक से लाभ मिलेगा, जब कि उसके कनिष्ट को पदोन्नति दी गयी थी।[19]

वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति—वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अनिश्चित और सदिग्ध प्रकार की प्रविष्टियो का ऐसा बरा प्रभाव नही होता कि— अपील र्थी को पदोन्नति में अप्रतिष्ठित कर दिया जाय। केवल सदेह के कारण किसी को दण्डित नही किया जा सकता। केवल शिकायतें थी जो बिना साबित किये इकतरफा कथन थी, उनको विचार मे लेकर बिना उचित जाच किये अपीलार्थी को हानि नही पहुचाई जा सकती। बाद मे प्रतिकूल-प्रविष्टि को हलका कर दिया गया। सरकार के परिपत्र दि 10 9 73 के अनुसार अपीलार्थी का मामला उचित पाया गया।[20]

सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोकना अवैध—

यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि—नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार, गोपनीय पत्रिका मे दी गई प्रतिकूल रिपोट पदोन्नति के अवसरा से मना करने के लिये जब तक उपयोग मे नही लाई जा सकती, तब तक कि वह सम्बन्धित व्यक्ति को ससूचित न कर दी जाय ताकि वह अपना काय व आचरण सुधार सके या उस बारे मे परिस्थितियों को स्पष्ट कर सके। ऐसा अवसर कोई निरी औपचारिकता नहीं हैं, इसका आशिक उद्देश्य यह भी है कि उच्च प्राधिकारी को सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद यह विनिश्चित करना है कि—क्या वह प्रतिकूल रिपोट न्यायोचित है। दुर्भाग्य से, एक कारण या दूसरे कारण से, जो प्रार्थी के दोष के कारण उत्पन्न नही हुए पर सरकार उसके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर विचार न कर सकी और न यह तय कर सकी कि क्या वह रिपोट न्यायोचित थी। ऐसी परिस्थितिया मे प्रार्थी को सत्य निष्ठा प्रमाणपत्र नही देने की कायवाही का समथन करना कठिन है।[21]

---

19 जयन्त प्रकाश बनाम राज्य 1979 RLT 58

20 सन्तलाल अग्रवाल बनाम राज्य (1978 RLT 31)

सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र रोकना अवध—

21 गुरदयाल सिंह फिज्जी बनाम पजाब शासन 1979 SLJ 299 SC (Para 16)

अध्याय 8

विविध—मामले
(Miscelleneous)

अनुक्रम

1 दक्षतावरी (E B) पार करने की कसौटी—

सन् 1969 के पहले वेतनमान के बीच "दक्षतावरी" एक अडचन के रूप मे लागू होती थी और दक्षतावरी को पार करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी तभी देता था, जब वह इस नियम मे वर्णित शर्तें पूरी कर लेता था—अर्थात्—

(i) नियुक्ति प्राधिकारी की राय मे उसका काय सतोषप्रद हो, और

(ii) उस कमचारी की सत्य निष्ठा सदेह से परे हो।
इसके लिये उसका सेवाभिलेख व वार्षिक गोपनीय रिपोट पर विचार कर निर्णय लेना होता है।

दक्षतावरी को 1969 के वेतनमान नियमो से हटा दिया गया है और 1976 के पुनरीक्षित नवीन वेतनमान मे भी दक्षतावरी नही हैं। अत कानून की दृष्टि से कोई दक्षतावरी अब नही है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 30 म भी दक्षतावरी का प्रावधान है। कृपया देखिये।

यह सक्षम प्राधिकारी का विवेकाधिकार है कि—वह दक्षतावरी पार करने के लिये किसी कमचारी को अनुमति दे या नही, किन्तु यह विवेकाधिकार मनमाने या निरकुश तरीके से प्रयोग मे नही लाया जा सकता। जहा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनो मे प्रतिकूल प्रविष्टियो को कमचारी को ससूचित नही किया गया, जिससे अपीलार्थी के मामले मे न्यायसगत एव सही विचार नही हो सका। अत विवेकाधिकार का प्रयोग दूषित हो गया। फिर प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी ने प्रतिवेदनकर्त्ता प्राधिकारी की अभ्युक्तियो को अपास्त भी कर दिया तो अपीलार्थी को दक्षतावरी पार करने की अनुमति न देने की आज्ञा भी दूषित मानी गई।[1]

अपीलार्थी को दि 23 12 1960 को दक्षतावरी पार नही करने दिया गया। इसके बाद उसका वेतन सशोधित वेतनमान नियमो मे सशोधित कर दिया

1 हरिशकर शर्मा बनाम राज्य (1978 RLT 40)

गया । संशोधित वतनमान मे कोई दक्षतावरी नही थी । फिर भी उसे वार्षिक वेतन वृद्धियां नहीं दी गई क्योंकि वित्त विभाग के एक परिपत्र के अनुसार उसे दक्षतावरी पार करने की अनुमति नहीं दी गई थी, जबकि सेवा नियमों तथा वतनमान नियमों मे कोई दक्षतावरी नही थी । अभिनिर्धारित कि— वित्त विभाग का परिपत्र केवल स्पष्टीकरण मात्र है और वह विधिक नियमों के उपबन्धो का अतिक्रमण नहीं कर सकता और वित्तविभाग के इस परिपत्र द्वारा अस्वाभाविक या काल्पनिक रूप से दक्षतावरी नही लगाई जा सकती ।[2]

2 अधिशेष (सरप्लस) कर्मचारी आमेलन नियम

कुछ महत्वपूर्ण निर्णय—

राजस्थान सरकार ने 1969 मे पदो की कटोती व मितव्ययता के कारण अधिशेष घोषित किये गए कर्मचारियों को सरकारी सेवा मे समायोजित करने के लिए एक नियमावली बनाई थी, जो आगे परिशिष्ट (1) मे दी गई है । इस नियमावली से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश यहा दिया जा रहा है, जो उपयोगी होगा ।

राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिकों का आमेलन) नियम 1969 (1) नियम 22 के अनुसार आमेलित कर्मचारी को विभागीय परीक्षा तीन अवसरो मे उत्तीर्ण करने पर ही स्थायीकरण करने का उपबन्ध है । उसके द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण नही करने पर वह अधिशेष कर्मचारी रह जाता है, जिसे नोटिस देकर हटाने का सरकार को अधिकार है । जब प्रार्थी को जो समय दिया गया उसमे 1970 1971 तथा 1972 मे लगातार परीक्षायें हुई और वह उनमे नही बैठा । अब उसे पाच वर्ष बाद परीक्षा मे बैठने का कोई अधिकार नही है और उसकी सेवायें समाप्त करना रा से नि 23—क के अनुसार उचित माना गया ।[3]

(2) किसी अधिशेष कर्मचारी को किसी विभाग में समानीकृत पद या अन्य पद पर आमेलित करने की अन्तिम शक्तियां 'आमेलन समिति'' मे निहित हैं । यदि एक कर्मचारी जो स्थायी पद के विरुद्ध अधिष्ठायी नियुक्ति धारण करता है और यदि आमेलनकर्त्ता विभाग मे कोई अधिष्ठायी स्थायी पद रिक्त न हो तब आमेलित कर्मचारी का पदाधिकार रखने के लिये एक अधिसंख्यक पद का सृजन करना होगा । प्रार्थी के मामले मे इन नियमों का हनन हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि प्रार्थी का समान पद पर आमेलित नही किया गया, जबकि उसी विभाग मे रिक्त स्थान उपलब्ध था ।[4]

(3) नियम 2 तथा 15 (2) सांख्यिकी सेवा के एक अस्थायी कर्मचारी और एक अस्थायी अधिशेष कर्मचारी जिसे इस विभाग में आमेलित किया गया—इन

---

2 अपील स 229/78 हरिराम दि 31 8 1978

3 [विजयेन्द्र सिंह होर बनाम राज्य 1977 W L N 610]

4 चन्दनसिंह बनाम राजस्थान राज्य 1977 W L N (UC) 331]

दोनो की पारस्परिक वरिष्ठता नियम 15 (2) आमेलन नियम से शासित होगी, न कि राजस्थान सारूयकी सेवा के नियम 31 के परतुक से।[5]

नियम 3 (क)—सरकार द्वारा सगणक के पद का विज्ञापन निकाला गया। प्रार्थी को चयन समिति ने चयनित किया तथा सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति अस्थायी आधार पर है, न कि तदर्थ आधार पर।[5]

नियम 11 तथा 18 दोनो अलग व सुभिन्न हैं। एक अधिशेष कर्मचारी को किसी विशिष्ट पद पर आमेलित किये जाने का कोई अधिकार नहीं है, किन्तु आमेलन-समिति का निर्णय अन्तिम है।[5]

4 "तदर्थ" एव "अस्थायी" नियुक्तियो मे अन्तर के लिये देखिये—
"जे एन कक्कड बनाम राज्य 1975 W L N 472]

आमेलन तथा वेतन स्थिरीकरण—

जब किसी पद की समाप्ति पर एक कर्मचारी को दूसरी सेवा या सवर्ग में आमेलित किया जाता है और जब आज्ञा स्पष्ट रूप से आमेलन का उल्लेख करती है, तो उस कर्मचारी को एक अधिशेष आमेलित कर्मचारी माना जावेगा। किन्ही सेवा नियमों के अधीन एक सवर्ग से दूसरे सवर्ग मे आमेलन न तो पदोन्नति है और न विशेष चयन। अतः उसका वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 (1) मे स्थिर होना चाहिये।[6]

आमेलन नियमों का नियम 15 (2) (i) बताता है कि अधिष्ठायी अधिशेष कर्मचारियो की वरिष्ठता नये विभाग के अधिष्ठायी कर्मचारियो मे नियत की जावेगी और ऐसे सब कर्मचारी उस विभाग के सब अस्थायी/स्थानापन्न कर्मचारियो से वरिष्ठ होंगे।[7]

जब एक बार कोई व्यक्ति अधिशेष हो जाता है, तो यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उसे समुचित रूप से आमेलित करे। अपीलार्थी अधिष्ठायी होने से अधिशेष होने पर दूसरे विभाग मे भी अधिष्ठायी होगा। (नियम 7 (1) (a))[8]

5 हिरोबदलानी बनाम राजस्थान राज्य 1974 R L W 442 1974 W L N 673 (1975) 1 S L R 748]
6 अपील स 119/1976 रामावतार गुप्ता दि 7-10-1977
7 लक्ष्मणसिंह सोलकी बनाम राज्य (1978 R L R 157)
8 अपील स 200/78 श्यामलाल काकाणी दि 28-9-1978

राजस्थान सरकार के निर्देश

अधिशेष घोषित कर्मचारियों का भूतलक्षी प्रभाव से स्थायीकरण मूल विभाग द्वारा नये विभाग की सम्मति से किया जाना चाहिये। ऐसा स्थायीकरण बहुत ही समुचित मामलों में किया जाना चाहिये।

[वि, स एफ 4 (37) नियु (क-5) 72 दि 8-5-72]

अधिशेष (सरप्लस) कर्मचारियों का समायोजन निम्न पदों पर होने पर समान पदो पर किये जाने के लिये पुन विचार किया जा सकता है।

[वि स F 5 (6) DOP/A-II/78 दिनाङ्क-13-8-78]

राजस्थान लिपिकवर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम

दत्त ● जैन

नियमावली--खण्ड

परिशिष्ट

[तालिका पीछे देखिये]

*परिशिष्ट मे— [पृष्ठ सख्या 1 से पुन आरंभ होती है]

परिशिष्ट—[1]

राजस्थान सिविल सेवा

(अधिशेष कार्मिको का आमेलन)

नियम 1969 [1]

[RAJASTHAN CIVIL SERVICES (ABSORPATION OF SURPLUS PERSONNEL) RULES 1969]

[2]प्राधिकृत पाठ

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयाग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल अधिशेष कार्मिको की आमेलन द्वारा सिविल सेवाओ तथा राज्य के कायकलाप सम्बन्धी पदा पर भर्ती को और उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिये, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात —

राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिको का आमेलन) नियम 1969

1 **सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ** —(1) इन नियमो का नाम राजस्थान सिविल सेवा (अधिशेष कार्मिको का आमेलन) नियम 1969 है

(2) ये 1 जनवरी, 1954 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2 **व्याप्ति तथा लागू होना** —विभिन्न सेवाओ मे या राज्य के कायकलाप सम्बन्धी पदा पर व्यक्तियो की भर्ती और सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किन्ही सेवा नियमो या आदेशो मे किसी बात के होते हुए भी अधिशेष कार्मिक रिक्त पदा के उपलब्ध होने के अध्यधीन रहते हुए, इन नियमो के अनुसार आमेलन द्वारा ऐसी सेवा म या पदो पर भर्ती और नियुक्ति के पात्र होगे —

---

1 वि स एफ 1 (18) नियुक्ति/क–2/67 दिनाक 27 नवम्बर 1969 द्वारा राजस्थान–राजपत्र, साधारण, भाग 4 (ग) दिनाक 11 12 1969 मे प्रथम बार प्रकाशित।

2 जी एस आर 187 दिनाक 8 दिसम्बर 1976 द्वारा राजस्थान राजपत्र, 4 (ग) I दिनाक 8 दिसम्बर, 1976, पृष्ठ 569–591 पर प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित।

परन्तु —

(i) इन नियमों की कोई भी बात, अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा, राजस्थान न्यायिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान पुलिस सेवा राजस्थान लेखा सेवा तथा राजस्थान तहसीलदार सेवा मे सवर्गित पदो पर लागू नही होगी

(ii) इन नियमों की कोई भी बात उन व्यक्तियों पर लागू नही होगी, जो डाइरेक्टोरेट आफ इकानोमिक्स एण्ड इण्डस्ट्रीयल सर्वे मे उस विभाग के उत्सादन से पूर्व सांख्यिकी के पद धारण कर रहे थे तथा जिनको अधिशेष करार किये जाने के पश्चात् राजस्थान स्टेटिस्टिकल सबार्डिनेट सर्विस रूल्स, 1971 के नियम 24 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये उपयुक्त पाये जाने पर आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय से सांख्यिकी सहायकों के रूप मे आमेलित कर लिया गया था।

3 परिभाषायें —जब तक सदंभ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमो म —

(क) तदर्थ नियुक्ति'' से सुसगत सेवा नियमो अथवा सरकार के किन्ही आदेशो के अधीन उपबंधित भर्ती के किसी भी तरीके से, जहा कोई सेवा नियम विद्यमान न हो और यदि पद आयोग के क्षेत्र म आता है तो आयोग की सिफारिश से अन्यथा, चयन बिना की गई अभ्यर्थी की अस्थायी नियुक्ति अभिप्रेत है,

(ख) ' नियुक्ति प्राधिकारी ' से किसी पद विशेष पर लागू राज्य के सवा नियम द्वारा यथा परिभाषित नियुक्ति प्राधिकारी तथा जहा इस प्रकार परिभाषित न किया गया हो, वहा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रण और अपील) नियम, 1958 द्वारा यथा परिभाषित या गठित नियुक्ति प्राधिकारी अभिप्रेत है,

(ग) ''समिति'' से इन नियमो के नियम 5 के अधीन सरकार द्वारा गठित आमेलन समिति अभिप्रेत है,

(घ) ' आयोग'' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ङ) ''विभागीय परीक्षा'' से राजस्थान सिविल सेवायें (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के उपबन्धो के अधीन आयोजित विभागीय परीक्षा अभिप्रेत है,

(च) ' समानित पद ' से वह पद अभिप्रेत है जिसको समिति ने अधिशेष कार्मिक द्वारा उसके अधिशेष घोषित किये जाने के तुरन्त पूर्व धारित पद से समानित घोषित किया हो,

(छ) ' समतुल्य पद'' से ऐसा पद अभिप्रेत है जिसका वतनमान समरूप हो तथा जिसमे एक ही प्रकार के कर्त्तव्य और दायित्व अन्तवलित हो

(ज) ''सरकार'' तथा ' राज्य से क्रमश राजस्थान सरकार और राजस्थान राज्य अभिप्रेत है,

(झ) "नवीन पद मे ऐसा पद अभिप्रेत है जिस पर अधिशेष कमचारी इन नियमो के अधीन आमेलन द्वारा नियुक्त किया गया हो,

(ञ) "पूव पद" से वह पद अभिप्रेत है जिसे अधिशेष कमचारी उसको अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को स्थायी स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ रूप से धारित किये हुए था,

(ञञ) नियमित रूप से नियुक्त किया गया व्यक्ति ' से यदि पद आयोग के अधिकार क्षेत्र मे आते हैं तो आयोग की सिफारिश पर नियुक्त किये गये व्यक्ति तथा किसी पद पर या सेवा मे भर्ती के लिय अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्त किये गये व्यक्ति, यथास्थिति अभिप्रेत हैं, कि तु इसमे ऐसी कोई तदथ या अतिआवश्यक अस्थायी नियुक्ति या स्थानाप न नियुक्ति, जो विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण के अध्यधीन हो सम्मिलित नही है,

(ट) 'अनुसूची से इन नियमा की अनुसूची अभिप्रेत है,

(ठ) अधिशेष कार्मिक या 'अधिशेष कमचारी' से ऐस सरकारी कमचारी अभिप्रेत है जिन पर राजस्थान सेवा नियम, 1951 लागू होते हैं तथा जो मितव्ययिता के उपाया या प्रशासनिक आधारो के कारण पदा म की गयी कमी या कार्यालयो की समाप्ति के फलस्वरूप सरकार क किसी विशेष विभाग की आवश्यकता की दृष्टि स अधिशेष कर दिय जान पर सरकार द्वारा या सरकार के निदेशा के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिशेष घोषित कर दिये गये हो लेकिन जिनके मामलो म सरकार न उनकी सेवाआ का समाप्त न कर उ ह सेवा म अ य पदा पर आमेलन द्वारा प्रतिधारित करने का विनिश्चय किया है

'पर तु या ता भर्ती के सामा य तरीका के अपवाद के रूप म या सवा के प्रारम्भिक गठन के रूप मे स्क्रीनिंग द्वारा उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिये विभिन्न सेवा नियमो के अधीन नियुक्त की गयी समिति यदि कोई भी कमचारी, जो उस पद पर तीन वष से अधिक सेवा कर चुका है जिसके लिये उसको स्क्रीन किया जाना है, उपयुक्त विनिर्णीत नही किया जाता है और यदि तत्पश्चात् निचले पद पर नियुक्त किय जाने का अधिकारी भी नही है ता आमेलन समिति द्वारा उसे दिये जान वाल निचले पद के लिये अनुग्रहपूवक सिफारिश कर सकेगी और इसके पश्चात् ऐसा कमचारी इन नियमो के उपब धो के अधीन अधिशेष कमचारी के रूप म समझा जायगा तथा ऐसा व्यक्ति समिति की सिफारिश पर उसक द्वारा अधिकथित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए निचले पद पर आमलित किया जा सकेगा।'

(ड) "अस्थायी नियुक्ति" स तदथ नियुक्ति को छोडकर अस्थायी अथवा स्थायी पद पर की गयी अस्थायी नियुक्ति अभिप्रेत है,

(ढ) "रिक्त पद ' से सरकार के अधीन ऐसा पद अभिप्रेत ह जो किसी सरकारी कमचारी द्वारा अधिष्ठायी रूप से धारित नही हो।

4 निर्वचन—जब तक सदभ से अयथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमों के निवचन के लिए, उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

5 समिति का गठन—अधिशेष कार्मिक के आमेलन हेतु सरकार एक आदेश द्वारा, कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक 5 सदस्यो की, जैसा भी ठीक समझे, एक आमेलन समिति का गठन करेगी

परन्तु सरकार, जैसा भी ठीक समझे, समय समय पर आदेश द्वारा, समिति का पुनर्गठन कर सकेगी या इसके समस्त अथवा किन्ही सदस्यो को बदल सकेगी।

6 समानित पदों की घोषणा—समिति यदि ठीक समझे, नियम 7 क प्रयोजनो के लिये किसी पद अथवा पदो के वग को, ऐसे पद या पदो के वग से सबधित कत्त व्यो का स्वरूप, अहतायें तथा वेतनमानो को दृष्टि मे रखते हुए, उस पद के समानित घोषित कर सकेगी जिसे अधिशेष कमचारी ने उसको अधिशेष घोषित किये जाने से ठीक पूव धारित कर रखा था।

7 आमलन की प्रक्रिया—(1) समिति अधिशेष कार्मिको को, उन विभागो अथवा सेवाओ को आवटित करेगी जहा समानित, समतुल्य अथवा नीचे का एक या अधिक रिक्त पद नियुक्ति के लिये उपलब्ध हो तथा एसे रिक्त पद या पदा को भी विनिर्दिष्ट करेगी जिन पर अधिशेष कमचारी का आमेलित किया जाना है। समिति से अधिशेप कार्मिको के आवटन के आदेश प्राप्त होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी, नियुक्ति के लिय आदेश जारी करेगा। उक्त पद अथवा पदा पर ऐसी नियुक्ति अधिष्ठायी, स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ रूप मे, जैसा कि नीचे बताया गया है, होगी—

क्र स	अधिशेष घोषित किये जाने के दिनांक को उसके द्वारा धारित पद का स्वरूप	अधिशेष घोषित किये जाने के दिनांक को उसके द्वारा धारित नियुक्ति का स्वरूप	आमेलन के पश्चात् दिये जाने वाली नियुक्ति का स्वरूप
1	2	3	4
(क)	स्थायी	अधिष्ठायी	(क) स्थायी पद पर अधिष्ठायी पद स्पस्टत रिक्त हो/यदि पद स्पस्टत रिक्त नही है अथवा यदि उस पर दूसरे व्यक्ति का धारणाधिकार है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सरकार आमेलित कमचारी को उस पर धारणाधिकार उपलब्ध

1	2	3	4
			कराने के लिये अधिसरय पद का सृजन करेगी।
(ख)	निचला स्थायी पद जो सतत विद्यमान है।	अधिष्ठायी लेकिन उच्चतर पद पर जिससे वह अधिशेष घोषित किया गया है स्थानापन्न हो।	(ख) नये पद पर स्थानापन्न, जबकि विभाग मे जिसमे से वह अधिघोषित किया गया था, निचले स्थायी पद पर धारणाधिकार रखता हो।
(ग)	निचला स्थाई पद जो उच्चतर पद के साथ-समाप्त हो चुका है।	निचले स्थायी पद पर अधिष्ठायी लेकिन उच्चतर पद पर स्थानापन्न हो।	(ग) नये पद पर स्थानापन्न, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित करने पर सरकार निचले पद के समान एक अधिसरय पद का सृजन करेगी तथा ऐसे सजन के पश्चात ऐसे निचले पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति की जायगी।
(घ)	अस्थायी	अस्थायी	(घ) अस्थायी
(ङ)	अस्थायी	तदथ	(ङ) तदथ

(2) सरकार, आदेश द्वारा, जिलो के कलक्टरो को उनके अपने जिलो के भीतर सेवा कर रहे लिपिकवर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के बारे मे, समिति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(3) 1 जनवरी, 1954 से इन नियमो के प्रकाशन के दिनाक तक की कालावधि के बारे मे अनुसूची मे वर्णित तथा अधिशेष कमचारियो को आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिये उक्त कालावधि के दौरान लागू किये गये सरकार के नियुक्ति तथा सामान्य प्रशासन विभाग के विभिन्न परिपत्र, अधिशेष कमचारियो के सबध मे उसी प्रकार लागू होगे मानो वे इन नियमो के भाग हो तथा ऐसी नियुक्तिया अधिष्ठायी, स्थानापन्न, अस्थायी या तदथ होगी, जैसा कि इसके उप नियम (1) के नीचे दी गई सारणी मे बताया गया है।

8 आयु —राजस्थान सेवा नियम, 1951 मे या तत्समय प्रवत्त किसी अन्य सेवा नियम मे किसी बात के होते हुए भी एक अधिशेष कमचारी यदि वह ऐसे पद पर, जिस पर वह प्रारम्भत भर्ती या नियुक्त किया गया था ऐसी भर्ती या नियुक्ति की तारीख को लागू होने वाले किसी नियम द्वारा विहित आयु सीमा के भीतर या तो उसके लिये यह भी समझा जायेगा कि वह ऐसे पद पर उसकी आमेलन द्वारा भर्ती या नियुक्ति की तारीख को, उस पद के बारे में जिस पर वह इन नियमो के अधीन

ग्रामेलित किया जाता है तत्समय प्रवृत्त नियमों द्वारा विहित आयु सीमा के भीतर है।

9 ग्रावटन के पश्चात भर्ती एवं पदोन्नति कोटा में कमी —जहां तत्समय प्रवृत्त सेवा का कोई नियम, रिक्त पदों को चयन और विशेष चयन सहित, सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा दोनों द्वारा भर जाने का उपबंध करता है तो इस प्रकार से भरे जाने वाले उपलब्ध रिक्त पदों की कुल संख्या, समिति द्वारा किये गये ग्रावटन के परिणामस्वरूप इन नियमों के अधीन नियुक्ति द्वारा भर गये रिक्त पदों की संख्या घटा दिये जाने के पश्चात अवधारित की जायगी।

10 अर्हतायें —समिति द्वारा किये गये ग्रावटन के परिणाम स्वरूप इन नियमों के अधीन नियुक्त अधिशेष कार्मिकों के मामले में —

(1) नियुक्ति प्राधिकारी के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये यह समझा जायगा कि तत्समय प्रवृत्त सुसंगत सेवा नियमों या सरकारी आदेशों के अधीन विहित शैक्षिक तकनीकी अथवा सेवा और अनुभव की अवधि संबंधी अर्हताओं को शिथिल कर दिया गया है, और

(2) आयोग की सिफारिशों पर भर्ती किये गये स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों को छोड़कर, आयोग के क्षेत्र में आने वाले पदों के लिये, उन अधिशेष कर्मचारियों के मामले, जो 1 जनवरी, 1954 को या तत्पश्चात लेकिन इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व आमेलित किये गये थे तथा जो उसके लिये लिये विहित शैक्षिक, तकनीकी तथा अन्य अर्हतायें पूरी नहीं करते, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से 6 माह के भीतर विहित अर्हताओं में शिथिलीकरण की सहमति प्राप्त करने के लिये आयोग को निर्देशित किये जायेंगे।

11 कतिपय मामलों में अधिशेष कर्मचारियों की उपयुक्तता विनिर्णित करने तथा अधिष्ठायी नियुक्ति करने के लिये प्रक्रिया —

(1) 1 जनवरी, 1954 से इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के दौरान नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कर्मचारियों के मामले में जहां वे पद पर वे आमेलित किये गये थे इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को आयोग के क्षेत्र में आते हैं तो अधिशेष कर्मचारियों की उपयुक्तता आयोग द्वारा निम्नलिखित तरीके से विनिर्णित की जायगी —

(क) किन्हीं पदों पर आयोग द्वारा उन पदों के लिये सम्यक चयन कर लिये जाने के पश्चात नियुक्त किन्तु उच्चतर पद अथवा सेवा में निरन्तर 3 वर्षों से अधिक समय से स्थानापन्न या अस्थायी या तदर्थ रूप के आधार पर कार्य कर रहे अधिशेष कर्मचारियों की उपयुक्तता आयोग द्वारा, उन्हीं उच्चतर पदों के लिये

विनिर्णित की जायगी जिनसे वे अधिशेष घोषित किय गय थे, तथा

(ख) उन अधिशेष कमचारियो की उपयुक्तता जिनकी नियुक्ति आयोग की माफत नही हुई थी आयोग द्वारा उस पद के लिये विनिर्णित की जायगी जो उसकी प्रारभिक नियुक्ति के पद के समतुल्य है चाहे उनके अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को वे अन्य समानित या समतुल्य पदो या उच्चतर पद पर स्थानापन्न, तदथ अथवा अस्थायी रूप से काय कर रहे हो, तथा ऐसी सेवावधि चाहे कितनी ही रही हो।

(2) उप नियम (1) के या नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियो के मामले मे जहा व पद जिन पर उन्हे आमेलित किया गया था, आयोग के अधिकार क्षेत्र स बाहर हो तो ऐसे अधिशेष कमचारियो की उपयुक्तता स्क्रीनिंग समिति द्वारा जिसमे नियुक्ति प्राधिकारी तथा समिति का सदस्य सचिव अथवा उसके द्वारा ऐसा मनोनीत व्यक्ति हो जो सहायक सचिव से नीचे के स्तर का न हो, निम्नलिखित तरीके से विनिर्णीत की जायेगी —

(क) किन्ही पद पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उन पदो के लिये सम्यक् चयन किये जाने के पश्चात नियुक्त लेकिन उच्चतर पदो पर निरतर 3 वर्ष स अधिक समय से स्थानापन्न या अस्थायी अथवा तदर्थ आधार पर काय कर रहे अधिशेष कमचारियो की उपयुक्तता, स्क्रीनिंग समिति द्वारा उन्ही उच्चतर पदो के लिये विनिर्णीत की जायगी, जिनसे अधिशेष घोषित किये गये थे तथा

(ख) उन अधिशेष कमचारियो की, उपयुक्तता जिनकी नियुक्ति नियमित तरीके से नही हुई थी स्क्रीनिंग समिति द्वारा उस पद के लिये विनिर्णीत की जायगी जो कि उस पद के समतुल्य है जिस पर व आरभत नियुक्त किये गय थे चाहे उनके अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को वे अन्य समानित या समतुल्य व उच्चतर पद पर स्थानापन्न तदथ अथवा अस्थायी रूप से काय कर रहे हो तथा ऐसी सेवावधि चाहे कितनी ही रही हो

परन्तु उप नियम (1) तथा (2) के उपबन्धो का उन अधिशेष कमचारियो पर लागू किया जाना आवश्यक नही है जो इन नियमो के प्रकाशन से पूव लेकिन आमेलन के पश्चात आयोग द्वारा चयन किय जाने पर ऐसे पदो पर भर्ती किय गये थे जिन पर वे आमेलित किये गय थे या जिनको सुसगत सेवा नियमो के उपबन्धो के अधीन ऐसे पदो क लिये आयोग द्वारा

अथवा किसी समिति द्वारा अन्यथा रूप से उपयुक्त विनिर्णीत किया गया था।

(3) नियम 7 के उप-नियम (3) के अधीन आमलित कर्मचारियों के मामले में, जहा वे पद, जिन पर वे आमेलित किये गये थे इन नियमो के प्रकाशन की तारीख को आयोग के क्षेत्र मे आते हैं तथा उप नियम (1) या नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कर्मचारियो के मामले मे जहाँ पद, जिन पर वे आमेलित किये गये थे नियुक्ति प्राधिकारी के क्षेत्र मे आते हैं, यदि अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को उस पद पर जिससे वे अधिशेष घोषित किये गये थे अथवा समतुल्य पदो पर तीन या तीन से अधिक वर्षों के लिये तदथ रूप से नियुक्त थे तो नये पदो पर नियुक्ति तदथ रूप में होगी जैसी कि नियम 7 के उप-नियम (1) मे दी गयी सारणी मे विनिदिष्ट प्रवग (ड) मे यथा उपबधित है और आयोग या नियुक्ति प्राधिकारी, यथास्थिति, द्वारा उनकी उपयुक्तता ऐसे नये पदो के लिये विनिर्णीत की जायगी।

(4) नियम 7 के उप नियम (1) के अधीन या उप नियम (3) के अधीन आमेलित अधिशेष कमचारियो के मामले मे, जहा अधिशेष घोषित किये जाने की तारीख को उस पद पर जिस पर से वे अधिशेष घोषित किये गय थे या समतुल्य पदा पर तीन से कम वर्षों के लिये तदथ रूप मे नियुक्त थे तो नये पदो पर नियुक्ति केवल तदथ रूप मे होगी जैसा कि नियम 7 के उप नियम (1) मे दी गयी सारणी में विनिदिष्ट प्रवग (ड) मे यथा-उपबन्धित है तथा उन्ह प्रसामान्य अनुक्रम मे तथा सुसगत-सेवा नियमो के उपबन्धो के अनुसार खुले बाजार से लिये जाने वाले अभ्यर्थियो के साथ नियमित सीधी भर्ती मे भाग लेना होगा।

(2) उन स्थायी या अस्थायी आमेलित अधिशेष कमचारियो की उपयुक्तता को विनिर्णीत करना आवश्यक नही होगा जो पहले के पदों पर आयोग की सिफारिश पर या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमित तरीके से प्रारम्भत नियुक्त किये गये थे और तत्पश्चात नये पदा पर नियुक्त किये गये थे।

(6) आमेलन द्वारा नये पदो पर नियुक्त अधिशेष कमचारी, जिनकी उपयुक्तता उप नियम (1) से (3) के अधीन विनिर्णीत की गयी है अथवा उप नियम (5) के अधीन जिसे विनिर्णीत करना आवश्यक नही है, आमेलन द्वारा उनकी नियुक्ति की तारीख से पदा पर नियमित रूप से नियुक्त किये हुए समझे जायेंगे।

(7) विभाग मे नये पदो पर आमेलन द्वारा नियुक्त अधिशेष कमचारी तथा उन कमचारियो के लिये जो इन नियमों मे यथा उपबधित स्क्रीनिंग

के पश्चात उपयुक्त विनिर्णीत नही किये गय हैं, विभाग मे अगले नीचे के पद पर नियुक्ति के लिये उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत करने पर विचार किया जायगा। ऐसे कमचारी को निचला पद ग्रहण करने या राजस्थान सेवा नियम के नियम 215 के अधीन यथा अनुज्ञेय प्रतिकर उपदान/पेंशन पर सेवानिवत्ति लेने का विकल्प भी दिया जा सकेगा।

12 विभागीय परीक्षा तथा प्रशिक्षण —नियम 11 स उप नियम (3) या उप नियम (5) के अन्तगत आने वाले एक तदथ अस्थायी अधिशेष कमचारी को नये पद पर नियुक्त किय जाने पर यदि ऐसे पदो को लागू होने वाले नियम के अधीन प्रशिक्षण प्राप्त करना या विभागीय परीक्षा मे उत्तीए होना अपेक्षित हो तो नियम मे विहित कालावधि के भीतर उसी रीति मे जैसी सीधी भर्ती वाले के लिये उपबधित है, प्रशिक्षण प्राप्त करना तथा विभागीय परीक्षा मे उत्तीए होना आवश्यक होगा। यह कालावधि नये पद का कायभार लेने या इन नियमो के प्रकाशन की तारीख से, जो भी बाद मे हो, प्रारभ होगी

परन्तु यदि आमेलन द्वारा उसकी नियुक्ति के पश्चात लेकिन इन नियमो के प्रकाशन से पूर्व विभाग म कोई एसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा आयोजित हुई हो तथा अधिशेष कमचारी होने के आधार पर अपात्रता के कारण ऐस प्रशिक्षण म जाने या ऐसी परीक्षा मे सम्मिलित होने क लिये उसे अनुज्ञात न किया गया हो तो उसके लिये ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना या ऐसी परीक्षा म उत्तीए होना आवश्यक नही होगा।

13 भर्ती परीक्षा—नियम 11 के उप नियम (4) क अन्तगत आने वाले अस्थायी कमचारियो को जो वरिष्ठ लिपिक के रूप मे आमेलित किये गये हैं, विहित भर्ती परीक्षा में, यदि कोई हो, उत्तीए होने के लिये सरकार द्वारा अधिकथित शर्तों एव निबधनो पर दो अवसर दिये जायेंगे

परन्तु उन कमचारियो से जिनके पूव पद वरिष्ठ लिपिक नही थे, वरिष्ठ लिपिको के नये पदो का कायभार समालने की तारीख से एक वप पूरा होने तक प्रथम अवसर का उपयोग करने की अपक्षा नही की जायगी।

(2) उनके, उप नियम (1) के अधीन दो अवसरो में भी परीक्षा म उत्तीए न होने की दशा मे उनकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर तुरन्त समाप्त किये जाने के दायित्वाधीन होंगी।

14 वेतन, वेतनवद्धि, छुट्टी आदि का विनियमन —अधिशेष कमचारियो के अधिशेप बने रहने की कालावधि के दौरान तथा उनके आमेलन कर उनका वेतन, वेतनवृद्धि, भत्ता और छुट्टी आदि राजस्थान सेवा नियम तथा अन्य सुसगत नियमो के उपबन्धा और समय-समय पर जारी किये गये आदेशा द्वारा विनियमित किये जायेंगे।

15 वरिष्ठता —(1) ऐसी सेवा या सवग के जिसमे अधिशेष कमचारी आमेलित किया गया है, स्यायी पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त अधिशेष कमचारी

को वरिष्ठता, सबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे नयी सेवा या विभाग के उस कनिष्ठतम स्थायी कमचारी के नीचे रखते हुए अवधारित की जायगी जिसने अधिशेष कमचारी की समतुल्य या उच्चत्तर पद की निरंतर अधिष्ठायी सेवा की तुलना में उस पद पर दीर्घतर कालावधि तक निरन्तर अधिष्ठायी सेवा की है। अधिशेष कमचारी की वरिष्ठता, जो स्थानापन्न आधार पर उच्चतर पद पर आमेलित किया गया है, केवल उसके स्थायी पद की दृष्टि से ही अवधारित की जायगी

परन्तु ऐसे अधिशेष कमचारी की वरिष्ठता, जिसकी अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप में या उक्त दोनो ही रूप मे निरन्तर सेवाकाल ऐसे नये विभाग मे की, जिसमें उक्त अधिशेष कमचारी को आमेलित किया गया है, सेवा या सवग के कनिष्ठतम स्थायी कमचारी का अधिष्ठायी या स्थानापन्न रूप मे या उक्त दोनो ही रूप में के निरन्तर सेवाकाल से कम है तो इस विभाग की सेवा या सवग मे जिसमे कि अधिशेष कमचारी आमेलित किया गया है, अधिशेष कमचारी को उक्त कनिष्ठतम स्थायी कमचारी के ठीक नीचे रखते हुए, अवधारित की जायेगी।

(2) नये पद पर अस्थायी या तदथ रूप मे नियुक्त अधिशेष कमचारी की वरिष्ठता उसकी अधिष्ठायी आधार पर नियुक्ति होने तक निम्नलिखित तरीको से अवधारित की जायेगी —

(क) नये पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त अधिशेष कमचारी के मामले मे, सेवा या सवग मे के, जिसमे वह आमेलित किया गया है, उन्हीं पदो को धारण कर रहे अस्थायी कमचारियो के मध्य उसकी वरिष्ठता उसे नयी सेवा या सवग के उस अस्थायी कमचारी के ठीक नीचे रखते हुए अवधारित की जाएगी जिसने अधिशेष कमचारी को उस पद की या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर पद की निरन्तर अस्थायी सेवा की तुलना में दीर्घतर कालावधि तक निरन्तर अस्थायी सेवा की है।

(ख) नये पद पर तदथ आधार पर नियुक्त अधिशेष कमचारी के मामले मे, सेवा या सवग मे के जिसमे वह आमेलित किया गया है, उन्ही पदो को धारण कर रहे तदथ कमचारियो के मध्य उसकी वरिष्ठता, उसे नयी सेवा या सवग के उस तदर्थ कमचारी के ठीक नीचे रखते हुए अवधारित की जायगी, जिसने अधिशेष कमचारी की उस पद की या के समतुल्य या उससे उच्चतर पद पर निरंतर तदथ सेवा की तुलना मे तदथ आधार पर कही अधिक लम्बी कालावधि तक निरंतर सेवा की है

परन्तु सवग या सेवा मे आमेलित अधिष्ठायी अधिशेष कमचारियो सहित उस के समस्त अधिष्ठायी कमचारी, उन नियमो के अधीन ऐसे सवग या सेवा मे नियुक्त या आमेलित अस्थायी कमचारियो से वरिष्ठ होगे तथा समस्त ऐसे अस्थायी कमचारी इन नियमो के अधीन या अन्यथा रूप मे नियुक्त या आमेलित समस्त तदथ कमचारियो से वरिष्ठ होगे।

15(2) (ख) परन्तु यह और कि सवग या सेवा म किसी पद पर के, उसमे आमेलित अधिशेष कमचारियो सहित, कमचारी की तथा जो 11 दिसम्बर, 1969 को या उससे पूर्व ऐसे पदो पर अधिष्ठायी थे, वरिष्ठता सुसगत सेवा नियमो के उपबन्धो के अनुसार अवधारित की जायगी।

(3) किसी सेवा या सवग मे से अधिशेष घोषित कमचारियो की दूसरी सेवा या सवग मे नये पदो पर नियुक्ति हो जाने के पश्चात पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो कि पहले वाली सेवा या सवग मे विद्यमान थी।

16 **परिवीक्षा, स्थायीकरण तथा सेवा की अन्य शर्तें**—(1) इन नियमो मे अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा उपनियम (2), (3) और (4) मे के उपबन्धो के अध्यधीन, नये पद पर आमेलन द्वारा नियुक्त होने पर अधिशेष कमचारी परिवीक्षा स्थायीकरण व सेवा की अन्य शर्तों से सबधित समस्त मामलो मे राजस्थान सेवा नियम, 1951 तथा भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसगत सेवा नियमो से शासित होगा।

(2) स्थायी अधिशेष कमचारी की नये पद पर आमेलन द्वारा नियुक्ति होने पर उसे परिवीक्षा पर रखने या उसको स्थायी करने की आवश्यकता नही होगी।

(3) नियम 11 के उप नियम (1), (2) तथा (3) के अन्तगत आने वाले अधिशेष कमचारी और उक्त नियम के उपनियम (5) के अन्तगत आने वाल अस्थायी अधिशेष कमचारी नये पदो पर उनकी उपयुक्तता विनिर्णीत किये जाने पर रिक्त पद उपलब्ध होने की तारीख से नियम 15 के अधीन यथा अवधारित वरिष्ठता क्रम मे परिवीक्षा पर रखे बिना ही यदि उक्त उप नियमा द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, स्थायी किये जायेंगे।

(4) जहा किन्ही सेवा नियमो के अधीन, नये पद से उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिये किसी विनिर्दिष्ट कालावधि का अनुभव अपेक्षित हो लेकिन वह पद जिस पर अधिशेष कमचारी उसके आमेलन स पहले काय कर रहा था, ऐसे नये पद से भिन्न है तो उक्त अनुभव की गणना करते समय उस कालावधि की, जिसके दौरान अधिशेष कमचारी ने उसके आमेलन से पूव किसी समतुल्य या उच्चतर पद पर काय किया था, आधी कालावधि तक का श्रेय दिया जायगा।

17 **शकाओं का निराकरण**—यदि इन नियमो के लागू किये जाने, निवचन और व्याप्ति के बारे मे कोई शका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के पास नियुक्ति विभाग को निर्देशित किया जायगा और उस पर नियुक्ति विभाग का विनिश्चय अतिम होगा।

18 **फायदो की समाप्ति के लिए विकल्प**—किसी भी अधिशेष कमचारी को। किसी पद विशेष पर या किसी विभाग विशेष मे या सवग विशेष म आमेलन द्वारा नियुक्ति का दावा करने का अधिकार नही होगा तथा इस बारे मे समिति का विनिश्चय अतिम होगा। अधिशेष कमचारी जो उस पद पर नियुक्त होना नही चाहता

जिस पर कि वह आमेलित किया गया है आमलन के आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर राजस्थान सेवा नियम, 1951 के उपबन्धो के अनुसार अपनी सेवायें समाप्त किये जाने के लिए सरकार को आवेदन कर सकेगा। यदि वह न तो ऐसा आवेदन करता है और न उस नये पद का कार्यभार सभालता है जिस पर कि वह आमेलित किया गया है, तो वह ड्युटी से अनुपस्थिति माने जाने के दायित्वाधीन होगा तथा आगे से वह उस दिनांक से किसी प्रकार का वेतन और भत्ता पाने का हकदार नहीं होगा जिस दिनाक से वह ड्युटी से अनुपस्थित माना गया है।

अनुसूची

[नियम 7 (3) देखें]

1. राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (क) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र संख्या एफ 1 (6) जी ए/सी/60 दिनाक 23 मार्च, 1960।
2. राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र सख्या एफ 1 (13)/9/जी/ए/सी/61 दि 27 मार्च, 1961।
3. राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश सख्या एफ 1(13)/1/जी/ए/सी/62 दिनाक 15 6 1962।
4. राजस्थान सरकार के नियुक्ति (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश सख्या एफ 5 (2) एपा (सी) /56 दिनाक 4 फरवरी, 1966।
5. राजस्थान सरकार के सामान्य प्रशासन (ग) विभाग द्वारा जारी किया गया परिपत्र आदेश सख्या एफ 1 (33) जी/ए/सी 66 दिनाक 23 जुलाई, 1960।

आदेश

जयपुर, मार्च 23, 1960

सख्या एफ 1 (6) जी ए/ए/ 60 —सरकारी आदेश सख्या एफ 1 (6) जीए/60 दिनाक 1 मार्च, 1960 के अनुसार विभागाध्यक्षो के अधीन कुल लिपिक वर्गीय कर्मचारियो की सख्या में 5 प्रतिशत कटौती प्रवर्तित की गयी है। विभिन्न विभागो से प्राप्त उत्तरो से ऐसा ज्ञात हुआ है कि कुछ विभागो ने इस मामले को गभीरता से नही लिया है और इस आशा से कि सरकार द्वारा कटौती से छूट दे दी जायगी उन्होंने अभी तक अनुदेशो का क्रियान्वयन नही किया है। अत सभी सबधित विभागो को पुन लिखा जाता है कि 5 प्रतिशत कटौती किया जाना राज्य के सभी विभागो के लिये अनिवार्य है और यदि ऐसे किसी स्टाफ को रोके जाने के लिये कोई अभ्यावेदन आदि किया जाना प्रस्तावित हो तो सबधित विभाग को पहले सरकारी आदेश का पालन करना चाहिये और इसके बाद ही अपने प्रशासनिक विभागों की मार्फत, इस प्रयोजन के लिये गठित समिति को लिखा जाना चाहिये। यह भी देखा गया है कि कुछ विभागो ने सरकारी आदेशो द्वारा ससूचित निर्देशो का सही अनुसरण

नही किया है । कुछ विभागो द्वारा भेजी गयी अधिशेष कमचारियो की सूचियो से यह स्पष्ट है कि अधिशेष व्यक्तियो के नामो को छाटते समय उन्होंने वरिष्ठता के सिद्धान्त को पूर्णत ध्यान मे नही रखा है । अधिकाश मामलो मे इस प्रकार अधिशेष घोषित व्यक्ति सम्पूर्ण विभाग के लिपिक वर्गीय स्टाफ के सवग विशेष मे कनिष्ठतम नही हैं, किन्तु अधिशेष स्टाफ की ऐसी घोषणा कार्यालयवार की गयी है । इसी प्रकार कटौती को केवल निम्नतम सवग तक सीमित किये जाने के आदेश दिये गये हैं किन्तु इसके अन्तगत लिपिक वर्गीय स्टाफ के सम्पूर्ण सवग को समान रूप से सम्मिलित किया जाना है । अत स्थिति को तथा इस विभाग के उपरिनिर्दिशित आदेश को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित अनुदेश और जारी किये जाते हैं—

1 कटौती केवल कनिष्ठ लिपिकाें तक ही सीमित नही है अपितु वरिष्ठ लिपिक तथा लिपिक वर्गीय सेवा के अन्य सवग भी इसके अन्तगत लिये जाते हैं । कटौती का वितरण लिपिक वर्गीय स्टाफ के सभी वर्गो मे क्रमश उनकी अपनी सख्या के अनुपात के अनुसार किया जाना है लेकिन यह इस तथ्य के अधीन होगा कि सवग विशेष मे एक भी पद की कटौती तब की जायगी जबकि पूरे राज्य मे किसी विभाग को सपूर्णत लेते हुए उस सवग मे कमचारियो के पदो की सख्या कम से कम बीस या बीस से अधिक हो ।

(i) इस प्रयोजन के लिये सम्पूर्ण सचिवालय एक इकाई समझा जायगा ।

(ii) कलक्टर कार्यालयो/कलक्टर के अधीनस्थ कार्यालयो तथा तहसीलो के लिपिक वर्गीय स्टाफ को एक इकाई माना जायगा ।

(iii) किसी विभाग विशेष के राज्यभर के सम्पूर्ण सगठन को एक इकाई माना जायगा ।

2 केवल वे ही कमचारी जो लिपिक वर्गीय स्टाफ के सवग म कनिष्ठतम हो अधिशेष घोषित किये जाने चाहिये । यदि एक या अधिक वरिष्ठ लिपिकाें के [illegible] को अधिशेष घोषित करना हो तो उन व्यक्तियो को अभी तक स्थानापन्न रूप [illegible] कर रहे हो, ठीक नीचे के सवग म प्रतिवर्तित किया जायगा । जब किसी [illegible] मे सभी व्यक्ति स्थायी हो तब उनमे से कनिष्ठतम को अधिशेष घोषित किया जायगा तथा उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग या ऐसे आमेलन आयोग के [illegible] जायगा ।

3 समस्त अधिशेष स्टाफ को सबधित विभाग द्वारा 15 मार्च, 1960 का उनके द्वारा लिये हुए अन्तिम वेतन आदि के बारे म दिये गये [illegible] के आधार पर उनकी पूरी परिलब्धिया उनको राज्य के किसी भी विभाग में [illegible] वास्तविक रिक्तियो में उनके आमेलन की तारीख तक दी जाती रहेंगी ।

4 जिन व्यक्तियो को जयपुर म अधिशेष [illegible] सचिव सामान्य प्रशासन (क) विभाग के समक्ष [illegible] सबधित डिवीजनल आयुक्त के समक्ष [illegible] किया जाय ।

5 विभिन्न विभागों द्वारा अधिशेष घोषित कर्मचारियों की सवर्गानुसार सूची सामान्य प्रशासन विभाग के साथ साथ सबंधित डिवीजनल आयुक्त के कार्यालय में भी निम्नलिखित प्रपत्र में रखी जायगी तथा सूची रखे जाने के लिये आवश्यक विशिष्टियां विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जायेंगी।

सवग —

1 क्रम सख्या
2 नाम
3 पद नाम
4 की गई कुल सेवा
5 विभाग, जिसमें आमेलन के लिए आवटित किया गया
6 परिलब्धियां
7 वे विभाग, जिनमें आमेलन के लिए आवटित किया गया
8 आवटन की तारीख
9 अभ्युक्ति

6 रिक्तियों की सवर्गानुसार सूची भी निम्नलिखित प्रपत्र में रखी जाय।

सवग —

1 क्रम सख्या
2 विभाग का नाम
3 पद का नाम
4 स्थाई या अस्थाई/यदि अस्थाई हो तो उसकी कालावधि
5 पद से सबधित विशेष वेतन या भत्ते, यदि कोई हो
6 स्थान जहा पद विद्यमान है
7 पदस्थापित व्यक्ति का उसकी क्रम सख्या सहित नाम तथा अधिशेष सूची में की पृष्ठ सख्या
8 पदस्थापन की तारीख
9 अभ्युक्तियां

7 जैसे ही किसी विभाग द्वारा रिक्त की सूचना दी जाय, सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त को इसे तुरत भरना चाहिये।

8 अधिशेष घोषित व्यक्ति की पूव सेवा उसके अनुवर्ती आमेलन पर उस विभाग विशेष में की पारस्परिक वरिष्ठता के लिये गिनी जायगी।

9 अधिशेष व्यक्ति घोषित व्यक्ति घोषित करते समय जिन विभागाध्यक्षों ने उपयुक्त अनुदेशों का ध्यान में नहीं रखा है उन्हें अब तुरत पुनरीक्षित सूचियां भेजनी चाहिए। जिन व्यक्तियों को पहले अधिशेष घोषित कर दिया गया हो और जिनके नाम अब पुनरीक्षित सूचियों में नहीं हो, उन्हें पुन आमेलन हेतु सबधित विभाग को वापस भेज

दिया जायगा। इसकी विवक्षा यह होगी कि उन कमचारियो को इस कालावधि तक सदाय जब तक वे सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त के अधीन रहने हैं तदथ रखे गये अनुदान में से किया जायगा तथा उस तारीख से जब उनका पुन आमेलन उन विभागो मे कर दिया जाता है सदाय सबधित विभाग द्वारा किया जायगा।

10 विभागाध्यक्षो को अपने विभाग मे विद्यमान और बाद में होने वाली सभी रिक्तिया, यथास्थिति उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग या आयुक्त को तुरत ससूचित की जानी चाहिये।

परिपत्र

जयपुर, माच 27, 1961

सख्या एफ 1 (13)/9जीए/सी/61—प्रशासन व्यय मे मितव्ययिता करने की दृष्टि से सरकार ने निम्नलिखित विनिश्चय किये हैं—

1 कतिपय पद विनिर्दिष्टत 1 जून, 1961 से तोड दिये जायेंगे। तोडे जाने वाले पदो की सूचना सम्बधित प्रशासनिक विभाग को वित्त विभाग देगा, जो इसके पश्चात ऐसे पदो को तोडे जाने के औपचारिक आदेश जारी करेगा। वित्त विभाग पदो को तोडे जाने से सम्बधित अपनी सिफारिशा की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को भी भेजेगा।

2 1 जून, 1961 से चपरासियो (अर्थात चतुथ श्रेणी के अधीन पद नामित तकनीकी कमचारियो को छोडकर अन्य चतुथ श्रेणी कमचारी) की सख्या 1 माच 1961 को विद्यमान कुल संख्या के 20 प्रतिशत तक कम करदी जायगी। वित्त विभाग कोषाधिकारियो को यह आदेश जारी करेगा कि 1 जुलाई, 1961 से विभिन्न विभागा के कमचारियो के वेतन के बिलो को तभी पास किया जाय जब कि आदान अधिकारी यह प्रमाण पत्र दे दे कि 1-3 61 को विद्यमान स्वीकृत सख्या मे 1-6-61 से 20 प्रतिशत कटौती कर दी गई है तथा वेतन बिल तदनुसार तैयार किये गये हैं। इस कमी को प्रवर्तित करने समय विभागाध्यक्ष यह विनिश्चय करेगा कि चपरासियो की किस कोटि मे कमी की जानी है और की गयी कमी की सूचना अपने प्रशासकीय विभागो तथा सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को देगा।

3 चतुथ श्रेणी के कमचारियो को छोडकर छटनी किये जाने वाले पदो की सूची सम्बधित विभागाध्यक्ष को तुरत भेजी जायगी। उसके पश्चात विभागाध्यक्ष निम्नलिखित 4 विवरण तैयार कर 7 अप्रेल 1961 तक सामान्य प्रशासन (ग) विभाग को भेजेगा। ये सभी विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में होंगे—

(i) छटनी किये गये पदो के पद नाम, यदि कोई हो

(ii) ऐसे पदो की सख्या

(iii) छटनी किये गये पदो के वेतनमान

(iv) 1 4 61 या उसके पश्चात सृजित नये पदो को छोडते हुए समतुल्य सवर्गो मे विद्यमान रिक्त पदो के पद नाम

(v) विद्यमान रिक्त पदो की सख्या

(vi) विद्यमान रिक्त पदो के वेतनमान

(vii) तत्समान सवर्गो म 1 4 61 के पश्चात् सृजित किय जाने वाले पदा के पद नाम

(viii) ऐसे पदो की सख्या

(ix) ऐसे पदो के वेतनमान

4 विवरण "क" राजपत्रित पदा के लिय उपयुक्त प्रपत्र म होगा।

5 विवरण "ख" अधीनस्थ पदा के लिय उपयुक्त प्रपत्र म होगा।

6 विवरण 'ग" लिपिक वर्गीय कमचारियो के लिय उपयुक्त प्रपत्र में होगा।

7 विवरण "घ" चतुथ श्रेणी कर्मचारियो के लिय उपर्युक्त प्रपत्र मे होगा।

जयपुर शहर के मामलो को छोडकर विवरण 'ग" व "घ" की प्रतिया सम्बन्धित कलक्टरो को भी भेजी जायेंगी। ये विवरण सभी विभागाध्यक्षो द्वारा भेजे जायेंगे। चाहे किसी विभाग विशेष मे किसी पद की छटनी की गई हो या नही। पश्चात् कथित मामले में विभागाध्यक्षो को विद्यमान रिक्त पदो की पूर्ण विशिष्टिया तथा तोडे जाने वाले पदा के सवर्गो के समान सवर्गो मे सृजित किये जाने वाले पदो की विशिष्टिया देनी होगी।

8 सम्बन्धित विभागाध्यक्ष छटनी किय जाने वाले पदो पर काय करने वाले कमचारियो की विशिष्टिया निम्नलिखित प्रपत्र भेजेंगे —

(i) क्रम सख्या

(ii) छटनी किये गय या छटनी किये जाने वाले पद का नाम

(iii) पद का वेतनमान

(iv) कमचारी का नाम पिता के नाम सहित

(v) 1-4 61 को कमचारी की आयु

(vi) शैक्षणिक अहता

(vii) छटनी किये गये पद पर नियुक्ति की तारीख

(viii) नियुक्ति का प्रकार अधिष्ठायी या अस्थायी

(ix) क्या लोक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है ?

(ix) क्या लोक सेवा आयोग ने सहमति दे दी है या नही दी है ?

(xi) क्या किसी अन्य पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति धारण की है ?

(xii) ऐसे पद का नाम तथा वेतनमान

(xiii) छटनी किये गये पद पर नियुक्ति से ठीक पहले की नियुक्ति की विशिष्टियां, यदि कोई हो।

राजपत्रित अधिकारिया अधीनस्थ अधिकारिया, लिपिक वर्गीय कमचारियो तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के सम्बन्ध मे अलग अलग विवरण भेजे जायेंगे। लिपिक वर्गीय कमचारियो तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के सम्ब ध मे विवरण की प्रतिया जयपुर शहर के मामला को छोडकर सम्बन्धित कलक्टरो को भेजी जायेंगी।

9 सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित तथा अन्य कमचारियो को, जिन्होने 1 4 61 को छह माह से अधिक की सेवा की हो, आमेलन की गारण्टी दी जायगी। वे अधिशेष रहते हुए आमेलन तक अपना वेतन प्राप्त करने के हकदार होगे लेकिन एसे मामले मे जब कि वे अधिशेष रहे, तीन माह से अधिक का वेतन नही दिया जायगा। यदि फिर भी रिक्तिया बाकी रह तो 6 माह से कम सेवा काल के अन्य अस्थाई कमचारियो के आमेलन के सम्बन्ध मे भी विचार किया जायेगा तथापि ऐसे अस्थाई कमचारी अधिशेष बन रहने की कलावधि के दौरान किसी प्रकार के वेतन पाने के हकदार नही होगे तथा उन्ह केवल नाटिस वेतन मिलेगा।

10 जयपुर शहर के मामलो को छोडकर लिपिक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के आमेलन के लिए सभी कलक्टर अपने अपने जिलो के लिए उत्तरदायी होगे। जयपुर शहर के लिपिक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो का तथा अन्य सभी प्रवर्गो के कमचारियो का आमेलन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।

11 सामान्य प्रशासन विभाग (ग) म आमेलन एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमे निम्नलिखित होगे —

(1)	वित्त मत्री	अध्यक्ष
(2)	विशिष्ट सचिव नियुक्ति	सदस्य
(3)	निर्वाचन सचिव	सदस्य सचिव

12 इस समिति को तथा कलक्टरो को अपने अपने जिला मे अधिशेष कमचारी का किसी विभाग मे समानित या किसी अन्य पद पर आमेलन करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे आवटन के प्राप्त होने पर, सम्बधित नियुक्ति प्राधिकारी तुरन्त आदेश जारी करेंगे और साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग (ग) को या जहा कलक्टर ने किसी व्यक्ति का आवटन किया हो तो सम्बन्धित कलक्टर को, सूचित करेंगे।

13 जब तक कि छटनी किये गये व्यक्तियो का आमलन नहीं कर लिया जाता, लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप भर्ती किय गये व्यक्तिया को छोडकर किसी भी विभाग मे नई भर्ती नही की जायगी। राजस्थान सरकार के वित्तविभाग न कोपाधिकारियो को पहले ही यह आदेश जारी कर दिए हैं कि 15 फरवरी, 1961 के पश्चात् नियुक्त व्यक्तियो के बिल पास नही किए जायें। अत आदान अधिकारी सम्बन्धित विभाग के वेतन बिलो के साथ आशय का एक प्रमाण-पत्र सलग्न करेगा कि पूववर्ती माह के दौरान किसी नए व्यक्ति की

नियुक्ति नही की गई। यह प्रमाण पत्र उन पदो के लिए आवश्यक नही होगा जिनके सम्बन्ध मे तकनीकी कुशलता या तकनीकी अनुभव अनिवार्य रहता हो। इसी तरह गैर तकनीकी सवर्गो म कोई नई पदोन्नति तब तक नही की जायगी जब तक कि सामान्य प्रशासन विभाग से अनुलब्धता प्रमाण-पत्र प्राप्त नही हो जाय।

14 कलक्टर सामान्य प्रशासन (ग) विभाग को अधिशेष कर्मचारियो के आमेलन से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन 1-5 61 से लेकर जिले म आमेलन काय की समाप्ति तक भेजेंगे।

15 चू कि काय को यथा सम्भव शीघ्रता से पूरा किया जाना है अत सभी विभिन्न स्तरो के प्राधिकारिया से अनुरोध है कि वे विनिश्चिया तथा निर्देशो पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें तथा आवश्यक आदेश जारी करने व सूचनाए उपलब्ध कराने के लिये शीघ्र कायवाही करें।

आदेश

जयपुर जून, 12, 1962

सख्या एफ 1 (31) जीए/सी/62 —मितव्ययिता हेतु उपाय किय जाने के परिणाम स्वरूप चालू वित्तीय वष के दौरान विभिन्न प्रवर्गो म सरकारी कमचारी अधिशेष हो जायेंगे या पहले ही अधिशेष हो गये हैं। सरकार ने लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कमचारियो के तथा उन कमचारिया के जिन्होने 1-4 62 को छह माह से अधिक की सेवा पूरी करली हो, आमेलन का विनिश्चय किया है। उन कमचारिया के जिन्होने 1-4-62 को छह माह से कम की सेवा की हो, आमेलन के लिए भी यदि कोई रिक्तिया अभी भी विद्यमान हो तो विचार किया जायगा लेकिन ऐसे व्यक्ति अधिशेष बने रहने की कालावधि के दौरान किसी प्रकार के वेतन पाने के हकदार नही होगे तथा उन्ह केवल नोटिस वेतन दिया जायेगा।

2 अधिशेष कार्मिको के आमेलन हेतु निम्नलिखित आमेलन प्राधिकारी होंगे —

(क) आमेलन समिति जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति होगे राज्य भर मे आमेलन काय की प्रभारी होगी। समिति राज्य भर की राज्य सेवाओ या अधीनस्थ सेवाओ तथा जयपुर शहर के अधिशेष लिपिक वर्गीय व चतुथ श्रेणी कमचारियो का आमेलन करेगी।

(1) वित्त मत्री — अध्यक्ष

(2) विशिष्ट सचिव, नियुक्ति विभाग — सदस्य

(3) सचिव निर्वाचन विभाग — सदस्य-सचिव

(ख) जयपुर शहर के मामलो को छोडकर सभी कलक्टर अपने अपने जिलो के लिपिक वर्गीय तथा चतुथ श्रेणी कमचारिया के आमेलन के लिए उत्तरदायी होगे।

3 आमेलन समिति तथा कलक्टरा का किसी अधिशेष कमचारी का किसी भी विभाग मे के किसी समानित पद पर या किसी अन्य पद पर आमेलन करने सम्बधी सम्पूर्ण तथा अतिम शक्तिया होगी चाहे उक्त पदो पर भर्ती के लिए विहित अहताए कुछ भी हा। सबधित नियुक्ति प्राधिकारी, ऐसो आमेलन आदेश प्राप्त होने पर तुरत नियुक्ति पत्र जारी करेंगे और आमेलन प्राधिकारिया का सूचित करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी तथा नियुक्ति विभाग, आमेलित व्यक्तियो को विभाग मे उनका उचित स्थान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कायवाही करेंगे।

4 नियुक्ति आदेश जारी किए जाने के पश्चात यदि आमेलित व्यक्तिया से वरिष्ठ व्यक्ति ठीक निम्नतर सवग मे उपलब्ध हा तो अस्थाई व्यक्तियो को प्रतिवर्तित किया जा सकता है तथापि स्थाई व्यक्तिया को प्रतिवर्तित नही किया जायगा तथा केवल वरिष्ठता का निर्धारण नियमा के अनुसार किया जायेगा।

5, वे पद जिन पर नई भर्ती के सबध म प्रतिबध लगाया गया है, विभाग मे कमचारिया के स्थानान्तरण द्वारा या पदोन्नति से सिवाय जब कि पदान्नति राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामश से की गई हा, नही भरे जायगे।

6 किसी विभाग मे के विभिन्न पदा को तोडे जाने के आदश की एक प्रति प्रशासनिक विभाग द्वारा सचिव आमेलन समिति का तुरत भेजी जायेगी।

7 पदो का तोडने के आदेश के आधार पर अधिशेष हाने वाल व्यक्तियों के नाम, यथास्थिति आमेलन समिति या सबधित कलक्टर को तत्काल सूचित किये जायेंगे। किसी व्यक्ति को अधिशेष किये जान के पूव आमेलन प्राधिकारी को पूरे एक माह का समय दिया जायगा। अधिशेष किये जाने वाले कमचारिया के सबध मे आमेलन प्राधिकारी को सूचना निम्नलिखित प्रपत्र मे भेजी जायेगी —

(1) क्रम सख्या
(2) छटनी किए गए पद का नाम
(3) छटनी किए गए पद का वेतनमान
(4) पदधारी कमचारी का तथा उसके पिता का नाम
(5) 1 4 62 को कमचारी की आयु
(6) शक्षणिक अहता
(7) छटनी किए गए पद पर नियुक्ति की तारीख
(8) नियुक्ति का प्रकार/अधिष्ठायी या अस्थाई
(9) क्या पद को भरे जाने के लिए लाक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है ?
(10) लाक सेवा आयाग ने व्यक्ति की नियुक्ति के सबध म सहमति दी या नही ?
(11) क्या किसी अन्य पद पर अधिष्ठायी नियुक्ति धारण की है ?
(12) ऐसे पद का नाम और वेतनमान

(13) छटनी किए गए पद पर नियुक्ति से पूर्व की नियुक्ति से सबधित विशिष्टिया, यदि कोई हा।

8 राजपत्रित अधिकारिया लिपिक वर्गीय कमचारिया तथा चतुथ श्रेणी कमचारियो के सबध मे अलग अलग विवरण भेज जायेंगे।

9 लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कमचारियो या 1 4 62 की छह माह से अधिक की सेवा वाले कमचारिया को अधिशेष बने रहने की अवधि मे वेतन निम्न प्रकार मिलेगा —

(क) आमेलन समिति द्वारा आमेलित लिए जाने वाले सभी कमचारिया को उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ख) विभाग के आदेश के अधीन।

(ख) सबधित कलक्टर के आदेश के अधीन उन कमचारियो को जिनके आमेलन के लिए वे सक्षम हैं। लेखे, प्रति मास उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ख) को भेजे जायेंगे।

(ग) व्यय बजट शीष 19-जी ए डी ई पर प्रभारित होगा।

(क) जिला स्थापना अधिशेष कमचारिया के वेतन तथा भत्ते

10 कलक्टर, आमेलन समिति को 1-7-1962 से लेकर जिले मे आमेलन काय पूरा हो जाने तक अधिशेष कमचारिया के आमेलन से सबधित मासिक प्रगति रिपोट भेजेंगे।

11 चू कि आमेलन काय यथासभव शीघ्रता से पूरा किया जाता है अत विभिन्न स्तरो के सभी प्राधिकारियो से निवेदन है कि वे उपयु क्त विनिश्चयों तथा अनुदेशो पर व्यक्तिगत रुप से ध्यान दें तथा आवश्यक आदेशो के जारी करने व अपेक्षित सूचना भेजने म शीघ्र कायवाही करें।

12 इस विभाग के आदेश सख्या एफ 1(13)/9/जी ए(सी)/61, दिनाक 27-3 61 को, इसके द्वारा रद्द किया जाता है। तथापि, सभी लम्बित मामलो की या इस आदेश के अनुसरण मे उठने वाली सभी समस्याओ का निपटारा उपयु क्त आमेलन प्राधिकारिया द्वारा किया जायगा।

13 यह आदेश वित्त विभाग द्वारा उनकी आई डी सख्या 1983/पीए/ एफ एस /62, दिनाक 1 6 1962 द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किया जाता है।

परिपत्र

जयपुर, फरवरी 4, 1956

सख्या एफ 5 (2) नियुक्ति (ग)/56 —यह रिपोट की गई है कि समस्त प्रयासा के बावजूद, कस्टम्स और सिविल सप्लाईज डिपाटमेंट के सभी अधिशेष कमचारियो का आमेलन किया जाना सभव नही हो सका है। इन विभागो के उन

कमचारियो के ग्रामेलन का प्रश्न भी जिन्हे विभागो के परिसमापन सबधी काय को पूरा करने के लिये ग्रस्थायी ग्राधार पर रोक रखा गया था, सुलझाया नही जा सका है। निष्क्रात सम्पत्ति ग्रभिरक्षक के ग्रधीन कार्यालयो मे कायरत कतिपय कमचारी निकट भविष्य मे ग्रधिशेष घोपित किय जा सकते हैं तथा उनमे से कुछ के द्वारा ग्रन्य विभागो ग्रौर कार्यालया मे ग्रपने ग्रामेलन के लिए दावे किये जा सकेगे। जबकि काय के य सभी मद पूरे किये जाने हैं, सरकार ग्रधिशेष लोगो को ग्रामेलित किय जाने की चिन्ता के कारण एकीकरण कार्यो पर लगाए गए निबन्धनो को ग्रनिश्चित काल तक जारी रखना वाछनीय नहीं समझती। ग्रत एकीकरण काय को शीघ्र पूरा करने के लिए इस विभाग के इसी सख्या के एव इसी तारीख के परिपत्र के जरिये ग्रनुदेश जारी कर दिए गए हैं। तथापि, उन लोगो के हितो की रक्षा के लिए जो ग्रधिशेष घोषित किये जा चुके हैं या किय जाने वाले हैं, कुछ रक्षात्मक उपब ध रखे गए हैं। उनमे से एक उपब ध ऐसे कमचारियो के लिए ग्रराजपत्रित पदो के 10 प्रतिशत का ग्रार क्षण है। यह ग्रारक्षण 1 ग्रप्रेल 1956 तक ही प्रवृत्त रहेगा ग्रौर इसलिये यह ग्रावश्यक है कि उन लोगो के मामले मे, जो दो वष की ग्रवधि मे ग्रधिशेष घोषित किए गए हैं या होने वाले हैं विचार किया जाय तथा ग्रामेलन के लिए उनकी ग्रहता एव उनके दावो पर उचित रूप से ध्यान दिया जाकर उन्हे ग्रन्य विभागो/कायालयो को ग्रावण्टित कर दिया जाय। इस काय को ग्रन्तिम रूप देने के लिए सरकार निम्न-लिखित व्यक्तियो की एक समिति गठित करती है —

(1) श्री के एन भार्गव, ग्राई ए एण्ड ए एस, ग्रपर सचिव, वित्त   सयोजक
(2) श्री रामसिंह, ग्राई ए एस, उप शासन सचिव, वित्त विभाग   सदस्य
(3) श्री जी के भनोत, ग्राई ए एस, उप शासन सचिव, वाणिज्य एव उद्योग विभाग   सदस्य

समिति को उन पदो के बारे मे, जो कि एकीकरण के ग्रनुक्रमण मे स्थायी के ग्राधार पर नही भरे गए हैं ग्राकडे प्राप्त करने चाहिए तथा सिविल सप्लाई डिपार्ट-मेंट के सभी कमचारियो को जो ग्रधिशेष घोषित किय जा चुके हैं या किये जाने हैं ग्राबटित किया जाना चाहिये। वतमान मे विद्यमान ग्रस्थायी विभागो ग्रौर कार्यालयो में से केवल निष्क्रात सम्पत्ति ग्रभिरक्षक के ग्रधीन कायालय दो वष के भीतर ही समाप्त किय जाने को है ग्रत ग्रामेलन के लिये इन कार्यालयो के दावो पर भी विचार किया जाना चाहिये। समिति द्वारा किये गये ग्राबटन-विभागाध्यक्षो/कार्यालयाध्यक्षो पर ग्राबद्धकर होगे।

समिति को ग्रधिक से ग्रधिक 15 माच, 1956 तक ग्रपना काय पूरा कर लेना चाहिये।

आदेश

जयपुर, जुलाई 23, 1966

विषय —ग्रधिशेष कमचारियो का ग्रामेलन तथा जो ग्रामेलन के हकदार नहीं हैं उनकी सेवाग्रो की समाप्ति।

संख्या एफ 1 (33) जी ए/सी/66—मितव्ययिता के परिणामस्वरूप चालू वित्त वर्ष में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी अधिशेष हो जायेंगे। सरकार ने राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये कर्मचारियों का तथा उन कर्मचारियों का जिन्होंने 1-10 65 को एक वर्ष से अधिक की सेवा करली हैं, आमेलन करने का विनिश्चय किया है। उन कर्मचारियों की सेवायें जिन्होंने 1-10 65 को एक वर्ष से कम की सेवा की है, नियमों के अधीन नोटिस देकर समाप्त करदी जायेंगी।

2 सेवा समाप्त करने के नोटिस की कालावधि के दौरान या सेवा की वास्तविक समाप्ति के पश्चात्, 1-10 65 को एक वर्ष से कम की सेवावधि वाले व्यक्ति को विद्यमान रिक्त पद पर या सेवा समाप्ति के पश्चात होने वाले रिक्त पद पर आमेलित किये जाने का अधिकार नहीं होगा। तथापि उसके बारे में रिक्तियों के भर जाने के नियमों को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार विद्यमान रिक्ति या भावी रिक्ति के लिये विचार किया जा सकेगा और उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव किया जा सकेगा, चाहे उक्त पद का वेतनमान उसके पद के जिससे की उसे अधिशेष घोषित किया गया हो वेतनमान से भिन्न या कम हो। यदि नियुक्ति का उक्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो उसे उक्त पद पर नियुक्त कर दिया जायगा परन्तु उस पद के जिस पद से उसे अधिशेष किया गया था, अनुज्ञेय वेतन और वेतनमान का संरक्षण नहीं दिया जायगा।

3 आमेलन समितियां—अधिशेष कर्मचारियों का आमेलन करने के लिए निम्नलिखित आमेलन प्राधिकारी होंगे —

(क) *निम्नलिखित व्यक्तियों की आमेलन समिति राज्य भर के आमेलन की* प्रभारी होगी। यह समिति राज्य सेवाओं और अधीनस्थ सेवाओं मे के राज्य भर के अधिशेष लोगों के तथा जयपुर नगर मे अधिशेष हुए लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आमेलन का आदेश देगी।

(1)	वित्तमंत्री	अध्यक्ष
(2)	वित्त आयुक्त	सदस्य
(3)	विशिष्ट सचिव (नियुक्ति)	सदस्य
(4)	उप सचिव (मन्त्रिमण्डल)	सदस्य-सचिव

(ख) समस्त कलक्टर अपने अपने जिला में, जयपुर नगर को छोड़कर, लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आमेलन के लिए जिम्मेदार होंगे।

4 आमेलन समिति को किसी भी अधिशेष कर्मचारी का समानित या किसी अन्य पद पर किसी भी विभाग में आमेलन करने का आदेश देने की पूर्ण एवं अंतिम शक्तियां होंगी। आमेलन या तो सीधी भर्ती की या फिर पदोन्नति कोटा में होने वाली रिक्तियों के प्रति किया जा सकता है और चयन वेतनमान पदों के प्रति भी

किया जा सकता है किन्तु सामान्यतया चयन वेतनमान पद आमेलन के लिए तभी काम में लिए जायेंगे जब कि अधिशेष कर्मचारी समान प्रकार के कर्त्तव्यों से युक्त किसी समतुल्य पद से अथवा जिस पद पर आमेलन किया जाता है उससे उच्चतर पद से अधिशेष घोषित किया गया हो। सबधित नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे आमेलन आदेश प्राप्त होने पर शीघ्र ही नियुक्ति आदेश जारी करेगा और इसकी सूचना आमेलन प्राधिकारी को देगा। आमेलन आदेश प्राप्त होने पर नियुक्ति प्राधिकारी को अहताओं के आधार पर न तो कोई आक्षेप करना चाहिए और न आमेलित कर्मचारियों को ड्युटी पर लेने मे विलंब करना चाहिए। यदि किसी मामले मे आमेलन समिति अहताओं को शिथिल करना आवश्यक समझती हो तो नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति (क) विभाग को चाहिये कि अधिशेष कर्मचारियों को उस विभाग मे उचित स्थान देने के लिये सेवा नियमो मे सशोधन यदि आवश्यक हो, कराने के लिए भी साथ साथ आवश्यक कार्यवाही करे। नियुक्ति प्राधिकारी को अतिरिक्त अहता, जो नियमो मे न्यूनतम अहता के रूप मे विहित नही है (जसे कि कनिष्ट लिपिक के लिए टकण का अनुभव) के आधार पर भी आक्षेप नही करना चाहिए बल्कि कर्मचारी का विभाग मे ही समायोजन कर लेना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो आमेलित कर्मचारी से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह किसी परिसीमित कालावधि के भीतर कोई विशिष्ट प्रशिक्षण अथवा विशिष्ट प्रवीणता अर्जित करले।

5 प्रतिवर्तन —यदि उस अधिशेष व्यक्ति के आमेलन पर जो कि उसके पुराने पद पर स्थानापन्न अथवा अस्थायी था, यह पाया जाय कि उसी/विभाग/कार्यालय में अगली नीचे की ग्रेड में ऐसे स्थायी व्यक्ति भी उपलब्ध है जो कि आमेलित व्यक्ति की अपेक्षा कही अधिक लम्बे समय से स्थानापन्न रूप से काय कर रहे हैं तो आमेलित व्यक्तियो को अगले नीचे के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाना चाहिए। नये विभाग मे आमेलित किये जाने पर सरकार अधिशेष कर्मचारियो को उनकी पिछली सेवा का लाभ देना चाहती है लेकिन जब तक कि इस बारे मे विस्तृत अनुदेश तथा नियम जारी कर दिये जायें नये विभाग मे किसी भी कर्मचारी को ऊपर कहे गये के सिवाय सेवा की अवधि कम पड़ने के आधार पर प्रतिवर्तित या सेवाओं को समाप्त नही किया जाना चाहिए। उनकी वरिष्ठता की परीक्षा उन्हे विभाग के उस कनिष्ठतम कर्मचारी के जिसकी उसी ग्रेड मे सेवा की अवधि बराबर हो ठीक नीचे अस्थायी तौर पर रखते हुए की जानी चाहिए।

6 नयी नियुक्तियो पर प्रतिबन्ध —समस्त तकनीकी या गैर तकनीकी रिक्त पद जिन पर नयी भर्ती किये जाने का प्रतिबध है। 10 6ऽ से पहले भेजी गयी अध्यपक्षा के अनुसार राजस्थान लोकसेवा आयोग की सलाह पर किए गए स्थानान्तरण/की गई पदोन्नति द्वारा नई नियुक्ति के सिवाय किसी कर्मचारी को अन्य विभाग से स्थानान्तरण कर या किसी कर्मचारी की विभाग के ही भीतर पदोन्नति कर नही भरे जायेंगे। लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो के सवर्गों के आमेलित अधिशेष कर्मचारी साधारणतया उस जिले से अन्य जिले में स्थानान्तरित नही किये जायेंगे जिनमे कि वे आमेलित किये गये थे या जो उनके गृह जिले हो।

7 समाप्त किये गये पदों और अधिशेष किये गये कार्मिकों से सबधित सूचना —जब कभी किसी विभाग मे पदो की समाप्ति का आदेश जारी किया जाय,

प्रशासनिक विभाग द्वारा आमेलन समिति के सदस्य सचिव को तुरन्त उसकी एक प्रति भेजी जायगी। राजपत्रित अधिकारियों, अधीनस्थ सेवा अधिकारियों, लिपिक वर्गीय कर्मचारियों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बारे मे अलग अलग विवरण भेजे जाने चाहिए।

8 पदों को उत्सादित करने वाले आदेश के आधार पर अधिशेष किये गये व्यक्तियों के नाम तुरत आमेलन समिति/कलक्टर को, जैसी भी स्थिति हो, प्रज्ञापित कर दिये जायेंगे। कर्मचारियों को, वरिष्ठता के ठीक विपरीत क्रम मे अधिशेष घोषित किये जाने चाहिए अर्थात् कनिष्ठतम सर्वप्रथम अधिशेष घोषित किया जाय। किसी व्यक्ति को अधिशेष घोषित किए जाने से पहले आमेलन समिति को स्पष्ट एक माह की पूर्व सूचना दी जाएगी। आमेलन प्राधिकारी को प्रज्ञापना, सलग्न प्ररूप मे प्रमाण पत्र के सहित, प्ररूप (उपाबन्ध क) में भेजी जायगी जिससे कि विभागाध्यक्षों द्वारा व्यक्तियों को अधिशेष घोषित किए जाते समय कोई अनियमितता न हो। यदा कदा अधिशेष कर्मचारियों की विशिष्टियां समय पर प्राप्त नही होती और इस तरह इस पर जोर दिया जाता है कि व्यक्तियों को वास्तविक रूप से अधिशेष घोषित करने तथा उन्हे उनके पद के कर्त्तव्यों से मुक्त करने से यथेष्ट समय पूर्व विशिष्टियाँ भेज दी जानी चाहिए। विभागाध्यक्षों के पास अधिशेष कर्मचारियों के सेवाभिलेख उपलब्ध न होने की दशा मे उन्ह स्वयं कर्मचारी द्वारा दी गई विशिष्टियों के आधार पर अनन्तिम रूप से तैयार कर लिया जाना चाहिए।

9 **विभाग के भीतर आमेलन** —समस्त विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि सर्वप्रथम वे विभाग के भीतर ही आमेलन की सभावनाए खोजे। ऐसा करते समय विभागाध्यक्षों को चाहिए कि अधिशेष कर्मचारियों को विभाग मे ही उन समान पदों पर समायोजित करने का प्रयत्न करें जिसके लिए वे अर्ह हों तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विभाग मे अन्य वैसे ही पद के कर्मचारियों को, जो सेवा में कनिष्ठ हों प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्ति कर देना चाहिए। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विभाग मे कनिष्ठ या अनर्ह कर्मचारी असम्यक रूप से प्रतिधारित न कर लिए जायें, ऐसे विभागीय आमेलन की आमेलन प्राधिकारी से पुष्टि करा ली जानी चाहिए।

10 **अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के कर्मचारियों का प्रतिधारण** — व्यक्तियों को अधिशेष घोषित करते समय विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी यदि उन्ह विभिन्न विभागों मे उनके कोटा के लिए आरक्षित पदों पर ऐसे वर्गों से अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए गठित विशेष भर्ती बोर्ड की सिफारिशों पर नियुक्त किया गया था, अधिशेष घोषित नही किया जाये।

11 *अधिशेष कार्मिक को वेतन का सदाय* —राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये गये या 1-10 65 को एक वर्ष से अधिक की सेवा वाले कर्मचारी उस कालावधि का वेतन जिसमे वे अधिशेष रहे, निम्न प्रकार से प्राप्त करेंगे —

(क) आमेलन समिति द्वारा आमेलित किये जाने वाले समस्त कर्मचारी, आमेलन समिति के सदस्य सचिव के आदेश के अधीन,

(ख) संबंधित कलक्टरों के आदेश के अधीन उस स्टाफ का जिसके आमेलन के लिए वे सक्षम हो। उन्हें उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग-ख) को प्रति माह इसके लेखे भेजने होंगे,

(ग) यह व्यय आय व्ययक के शीर्ष "19 -सामान्य प्रशासन ड जिला (क) जिला स्थापना अंतिरक कर्मचारी वर्ग का वेतन तथा भत्ते" में प्रभार्य होगा।

12 प्रगति प्रतिवेदन —कलक्टर आमेलन समिति को अधिशेष स्टाफ के आमेलन के संबंध में 1-4 66 से एक मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिलों में आमेलन पूरा होने तक भेजते रहेंगे।

13 चूंकि आमेलन यथाशक्य शीघ्र पूरा किया जाना है अतः विभिन्न स्तरों के अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि उपर दिये गये विनिश्चयों और निदेशों पर वैयक्तिक रूप से ध्यान दें तथा आवश्यक आदेश जारी करने और आवश्यक सूचना देने के लिए तुरंत कार्यवाही करें।

14 यह आदेश वित्त (नियम) विभाग तथा नियुक्ति(क) विभाग की संख्या 4661/पी ए/एफ सी/66 दिनांक 25-4 66 एवं 12513/पीए/एसएसए/65 दिनांक 27-12-1965 द्वारा दी गई उनकी सहमति से जारी किया जाता है।

अधिशेष कर्मचारियों की विशिष्टियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप

1 क्रम संख्या
2 जिस पद की छटनी की गई उसका नाम
3 जिस पद की छटनी की गई उसका वेतनमान
4 पद धारण करने वाले कर्मचारी का नाम उसके पिता का नाम सहित
5 1-10 65 को कर्मचारी की आयु
6 शैक्षिक अर्हतायें
7 जिस पद की छटनी की गई उस पर नियुक्ति की तारीख
8 नियुक्ति किस प्रकार की है ? क्या अधिष्ठायी अथवा अस्थायी
9 क्या पद भरने के लिए लोक सेवा आयोग की सहमति आवश्यक है ?
10 क्या व्यक्ति की नियुक्ति के बारे में लोक सेवा आयोग ने सहमति दे दी है अथवा नहीं ?
11 क्या नियुक्ति सेवा नियमों के अनुसार की गई है ?
12 क्या किसी अन्य पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्ति हो चुकी है ?
13 ऐसे पद का नाम और उसका वेतनमान।
14 छटनी किये गये पद पर की गयी नियुक्ति से पूर्व की नियुक्तियों की, यदि कोई हो, विशिष्टियां।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर

किसी कमचारियो को विभाग की आवश्यकता से

प्रधिशेष घोषित किये जाने का प्ररूप

राजस्थान सरकार के विभाग के पत्र स
दिनांक के अनुसार पदो की समाप्ति के फलस्वरूप श्री
निम्नलिखित कमचारी/कमचारियो को

दिनाक से इस विभाग से प्रधिशेष घोषित किया जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रधिशेष घोषित कर्मचारी सवग मे कनिष्ठतम है/हैं तथा अनु ज जाति का नही है। के नही हैं। यह और प्रमाणित किया जाता है कि विभागीय तौर पर उसे/उन्हे आमेलित किये जाने के सारे प्रयत्न किये जा चुके हैं लेकिन उसके/उनके आमेलन के लिये कोई उपयुक्त पद उपलब्ध नही था/थे।

यदि वह/वे ऐसे पद/पदो तथा ऐसी शर्तों पर आमेलित किये जाने का इच्छुक हैं/के इच्छुक हैं, जैसा आमेलन समिति द्वारा विनिश्चित किया जाय तो उसे/उन्हें इसके लिये सामान्य प्रशासन (ग) विभाग मे उपस्थित होना चाहिये, ऐसा न करने पर यह उपधारित किया जायगा कि वह/वे आमेलित किये जाने मे रुचि नही रखता/रखते और तब वह सेवा समाप्ति के नोटिस के रूप में माना जायगा।

उसके/उनक आमेलन के बारे मे यात्रा के लिये वास्तविक यात्रा की कालावधि के अलावा और कोई कायग्रहण काल अनुज्ञात नही किया जायगा।

नियुक्ति प्राधिकारी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट—[2]

राजस्थान सिविल सेवा

*[अस्थायी कर्मचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण] नियम 1972

[Rajasthan Civil Services (Substantive Appointment & Determination of Seniority of Temporay Employees) Rules, 1972]

* नियुक्ति (क–II) विभाग की विज्ञप्ति सं० एफ 1 (9) नियुक्ति (क–II) 71 दिनाक 14 9 1972 जो राजस्थान राजपत्र भाग IV (ग) दि 14 9 1972 को पृष्ठ 284–287 पर प्रकाशित हुए व इसी दिनाक से प्रवृत (लागू) हुये। [प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद]

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल अस्थायी कमचारियो की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता का निर्धारण करने के लिए उपबन्ध करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं—अर्थात् —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1)ये नियम 'राजस्थान सिविल सेवायें (अस्थायी कमचारियों की अधिष्ठायी नियुक्ति तथा वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972" कहलायेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त (लागू) होगे।

2 परिभाषायें—जब तक कि सदभ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमो मे—

(1) (क) *अस्थायी कर्मचारी ' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अनुसूची* (क) मे वर्णित अस्थायी या स्थायी पद पर, केन्द्रीय प्रवर्तित परियोजना (Centra lly sponsered scheme) के अधीन सृजित पद धारण करने वाले व्यक्ति को छोडकर, तदथ (एडहाक) या अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था,

(ख) अनुसूची से इन नियमो की अनुसूची अभिप्रेत हैं।

(2) इन नियमो मे प्रयोग मे लिये गये तथा परिभाषित नही किये गये अन्य समस्त शब्दो और पदो का अर्थ वही होगा जो उनको राजस्थान सेवा नियम 195 , राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958 तथा अनुसूची (ख) मे वर्णित सम्बन्धित सेवा नियमो मे क्रमश दिया गया है।

3 निवचन (अर्थान्वयन)—जब तक सदभ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमा के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिए लागू होता है।

4 अस्थायी कमचारियों का पुष्टीकरण (कनफर्मेशन)—(1) अनुसूची (ख) में वणित सेवानियमो मे से किसी मे या अनुसूची (क) मे वर्णित पदो मे किसी की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या आदेशो मे किसी बात के होते हुए भी, निम्नाकित श्रेणियो के समस्त अस्थायी कमचारियो को जो 1 4 1964 को या इसके बाद किन्तु 1 4 968 के पहले नियुक्त किये गये थे इनमे ऐसे भी सम्मिलित हैं जो बाद मे सेवा या सवग के भीतर या सेवा या सवग से बाहर उक्त अवधि के भीतर उच्चतर पदो पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गय हैं और ऐसे पदो को मय उच्चतर पदो के इन नियमो के प्रवृत होने के दिनाक तक लगातार धारण किये हुये हैं, (वे समस्त कमचारी) इन नियमो के प्रवृत्त होने के दिनाक से उन पदो पर जिन पर उनको प्रारभ मे नियुक्त किया गया था स्वत , पुष्टीकृत (स्थायी) हो जावेंगे—

(क) समस्त तृतीय श्रेणी के अध्यापक, जो सेकेण्डरी, मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्डरी मय एस टी सी की न्यूनतम अर्हता रखते हो, सरकार द्वारा समय समय पर (i) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1961 तथा (ii) राजस्थान सिविल सेवा (नवीन वेतनमान) नियम 1968 के अधीन अधिसूचित किये गये अनुभव तथा विशेष विषयो म शिथिलीकरण के अधीन रहते हुए,

(ख) समस्त कनिष्ट लिपिक, जो सेकेण्डरी, मेट्रिकुलेशन या हायर सेकेण्डरी की न्यूनतम अर्हता रखते हो,

(ग) अनुसूची (क) मे वर्णित अन्य पदों के धारक, परन्तु शत यह है कि वे अनुसूची (ख) म वर्णित सेवा नियमो या उस समय प्रवृत अन्य किन्ही नियमो या आज्ञाओ म उपबधित उस समय आरभिक नियुक्ति के लिय ऐसे पदो क लिए विहित शैक्षणिक, व्यावसायिक और अन्य अर्हतायें और अनुभव रखते हो तथा आगे शत यह भी है कि—यदि ऐसे नियमो या आज्ञाओ म नियुक्ति से पहले भर्ती की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना या नियुक्ति के बाद विहित अवधि मे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का उपबन्ध हो, तो व ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हो।

(ii) अनुसूची (ख) मे वर्णित सेवा नियमों में या अन्य नियमो या आज्ञाओ मे विहित उच्चतम आयु सीमा उपनियम (1) के खण्ड (क) से (ग) में वर्णित व्यक्तियो के मामले मे शिथिल कर दी गई समझी जावेगी।

(iii) अनुसूची (ख) मे वर्णित सेवा नियमो मे से किसी मे या अनुसूची (क) मे वर्णित पदो मे से किसी की भर्ती तथा सवा की शर्तों को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या आज्ञाओ मे किसी बात के होते हुए भी, 1 4 964 से पहले के नियुक्त किये गये समस्त अस्थायी कर्मचारी और जो बाद में सेवा या सवग के भीतर या सेवा या सवग से बाहर उच्चतर पदा पर अस्थायी रूप से नियुक्त किये गय हैं और जो ऐस पदा को मय उच्चतर पदो के इन नियमो के प्रवृत होने के दिनाक तक लगातार धारण किये हुए हैं, (वे समस्त कर्मचारी) आयु सीमा, अर्हतायें तथा अनुभव और सम्बन्धित सेवा नियमो में उपबधित भर्ती के तरीके के शिथिलीकरण मे इन नियमो के प्रवृत होने के दिनाक से उन पदो पर जिन पर उनको प्रारभ मे नियुक्त किया गया था स्वत स्थायी हो जावेंगे।

(iv) उपनियम (i) तथा (iii) के अधीन ऐसे अस्थायी कर्मचारी के मामले मे उस श्रेणी के स्थायी पद पर, जिस पर आरभिक नियुक्तिया की गई थी और जो अधिष्ठायी रूप से रिक्त हैं पुष्टीकरण किया गया माना जावेगा, परतु यह है कि— ।

(i) ऐसे स्थायी पदो के न होने पर, ऐसी श्रेणी के अस्थायी पद स्थायी पदो मे परिवर्तित हो जायेंगे और उन पर पुष्टीकरण किया गया समझा जावगा, और

(ii) अस्थायी प्रयोजन के लिये, जैसे परियोजना निर्माण, राहत कार्य आदि, सृजित पद परन्तुक (i) के अधीन स्थायी पदो म परिवर्तित हो जायेंगे तथा एव

अस्थायी कर्मचारी जो ऐसे पदो पर प्रारम्भ मे नियुक्त किया गया था अन्य अस्थायी पदो से स्थायी पदो मे परिवर्तित पद या इस प्रयोजनार्थ सृजित अधिसंख्यक पद पर स्थायी किया जावेगा ।

5 वरिष्ठता—नियम 4 के उपनियम (i) या (iii) के अधीन पुष्टीकृत (स्थायी) व्यक्तियो की वरिष्ठता निम्नांकित तरीके से विनियमित होगी—

(क) ऐसे व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता अस्थाई या तदर्थ रूप मे उनकी लगातार सेवा की लम्बी अवधि के द्वारा तय की जावेगी

(ख) ऐसे व्यक्ति अनुसूची (ख) मे वर्णित सेवा नियमो के अनुसार इन नियमो के प्रवृत होने से पहले भर्ती किये गये समस्त व्यक्तियो मे कनिष्ट होगे।

6 सूची की अधिघोषणा—नियम 4 के उपनियम (i) या (iii) के अधीन स्थायी (पुष्टीकृत) किये गये व्यक्तियो की सूची और उपनियम (iv) के अधीन स्थायी किये गये पदो की सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध मे तैयार की जावेगी और सूचना पट (नोटिस बोर्ड) पर अधिसूचित की जावेगी और उनकी प्रतियां प्रशासनिक विभाग के शासन-सचिव को तथा नियुक्ति (कल्याण) विभाग के शासन सचिव को सम्प्रेषित की जावेगी।

7 शकाओं का निराकरण—यदि इन नियमों के लागू होने, इनका अर्थ करने और इनके विस्तार के बारे मे कोई शका उत्पन्न हो, तो मामला सरकार के पास नियुक्ति विभाग में आदेशार्थ भेजा जायगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

अनुसूची "क" [देखिये-नियम 4]

राजस्थान लोक सेवा आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पद

(1) चपरासी और वेतनमान स 1, 2 तथा 2-क मे तत्समान पद,
(2) कनिष्ट लिपिक (L D C),
(3) टेलिफोन-प्रचालक वेतनमान स० 7 मे
(4) सगणक वेतनमान स 9 मे
(5) चालक (ड्राइवर) मय ट्रेक्टर तथा बस चालकों के वेतनमान स 7 मे
(6) पटवारी,
❀ (6क) वन विभाग के अमीन
(7) आबकारी तथा वाणिज्यिक कर विभागो में सिपाही ।

❀ वि स एफ 1 (9) नियुक्ति (क-2) 71 जी एस आर 58 दिनाक 31 7-78 द्वारा निविष्ट तथा 14 सितम्बर 1972 स प्रभावी ।
(1978 RLT 379)

(8) वेतनमान स 6 तथा इससे निम्न (वेतन मानो) में अधीनस्थ सेवाओं के समस्त पद, जो किसी विशेष विभाग के अधीन वर्णित न हो, परन्तु जो सरकार की आज्ञाओं के अनुसार, सीधी भर्ती द्वारा सेवा नियमों के अनुसरण म भरे जा चुके हैं या भरे गये हैं, और पदोन्नति द्वारा नहीं तथा जो आयोग के परिक्षेत्र के बाहर हैं।

अनुसूची (ख,—[देखिये–नियम 4]

1 राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) सेवा नियम 1970
2 राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय (मन्त्रालयिक) स्थापन नियम *1957*
3 राजस्थान *चतुर्थ श्रेणी सेवायें (भर्ती तथा अन्य शर्तें) नियम 1962*
4, राजस्थान सांख्यकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971
5 राजस्थान अधीनस्थ सहकारी सेवा (श्रेणी I) नियम 1955※
6 राजस्थान अधीनस्थ देवस्थान सेवा (श्रेणी II) नियम 1954
7 राजस्थान सरकारी मुद्रणालय अधीनस्थ सेवा नियम *1956*※
8 राजस्थान खान एव भूगर्भ अधीनस्थ सेवा नियम 1960
9 राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1966※
10 राजस्थान चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965
11 राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एव अन्य सेवा शर्तें) नियम *1960*

परिपत्र

विषय दिनाक 14-9-1972 के बाद और अन्य विभागों/कार्यालयों मे स्थानान्तरित *कनिष्ट लिपिकों का पुष्टीकरण*

[स० एफ 1 (9) नियु (क–2) 71 दिनाक 18-1 1974]

इस विभाग के ध्यान में ऐसे उदाहरण आये हैं, जिनमे कुछ कनिष्ट लिपिको द्वारा कठिनाई का सामना करना पड रहा है, जो रा सि मे (स्थायी नियुक्ति एव अस्थायी कर्मचारियो की वरिष्ठता निर्धारण) नियम 1972 के अधीन 14 9 1972 से पुष्टीकरण के हकदार थे किन्तु उस दिनाक के बाद मे उस विभाग/कार्यालय से जिसमें वे काय कर रहे थे, दूसरे विभाग/कार्यालय में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं। शकायें उठाई गई कि—वह कर्मचारी किस विभाग / कार्यालय मे स्थायी (कनफर्म) किया जावेगा तथा किस दिनाक मे ?

वित्तविभाग से परामश से इस मामले की परीक्षा की गई और यह अभिनिर्धारित किया गया कि — सम्बन्धित लिपिक अधीनस्थ विभाग/कार्यालय म

※ वर्ग संख्या संशोधित— वि स एफ 1 (9) नि (क 2) 71 दिनाक 3 1 73 द्वारा।

जिसमे वह 14 9 72 को काय कर रहा था, स्थायी किये जाने का हकदार है और यह केवल उसका व्यक्तिगत हक होगा। उसके स्थानान्तर के बाद अन्य विभाग या कार्यालय मे वह कनिष्ट लिपिक अपना व्यक्तिगत स्थायी स्तर साथ ले जायेगा। नये विभाग या कार्यालय मे वह स्थायी या अधिष्ठायी माना जावेगा और यदि आवश्यकता हो तो इस प्रयोजनार्थ अस्थायी पदो में से एक को केवल ऐसे समय तक के लिये जब तक कि वह विशिष्ट कनिष्ट लिपिक उन पदो पर अपना पदाधिकार धारण करे, स्थायी बनाया जा सकेगा। पहले विभाग/कार्यालय मे जहा से वह सम्बन्धित लिपिक स्थानान्तरित किया गया था, उसके स्थान पर 14-9-72 से भर्ती किया गया कोई अन्य व्यक्ति इस आधार पर पुष्टीकरण का अधिकार प्राप्त नही करेगा कि— कनिष्ट लिपिक जो 14-9-72 को इस पद को धारण करता था दूसरे विभाग मे स्थानान्तरित कर दिया गया है, जब तक कि अन्यथा वह पुष्टीकरण के लिये उपरोक्त नियमो को ध्यान में लिये बिना पात्र न हो।

उपरोक्त निर्णय एक अधीनस्थ विभाग/कार्यालय से दूसरे अधीनस्थ विभाग/कार्यालय को स्थानान्तरित कनिष्ठ लिपिको के लिये लागू होगा। सचिवालय के मामले मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्तियां किसी अधीनस्थ विभाग/कार्यालय से स्थानान्तर द्वारा वास्तव मे नही की जाती हैं। येन केन एक व्यक्ति किसी अधीनस्थ कार्यालय मे पहले से काय करते हुए दूसरो के साथ प्रतियोगिता मे भाग ले सकता है और जो चयनित होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। अत एक कनिष्ट लिपिक को जा 14 9-1972 को किसी अधीनस्थ विभाग/कार्यालय मे काय कर रहा था और जो बाद मे कनिष्ठ लिपिक के रूप मे सेवा मे व्यवधान के बिना सचिवालय मे नियुक्त किया जाता है, उसको उस विभाग/कार्यालय मे जहा वह 14-9-72 को काय कर रहा था, स्थायी किया जायेगा और उसे सचिवालय मे केवल तभी स्थायी किया जायेगा जब सामान्यतया उसके पुष्टीकरण की बारी आयेगी और जब तक वह सचिवालय मे स्थायी नहीं किया जावेगा, उसका पदाधिकार उस पैतृक विभाग/कार्यालय मे रहेगा, जिसमे वह 14-9 72 को काय कर रहा था।

उपरोक्त नियमो के अधीन विचाराधीन पुष्टीकरण के समस्त मामले नियुक्ति प्राधिकारियो द्वारा इसी प्रकार से निपटाये जा सकेंगे।

———

चाहिये, ताकि यथोचित वर्ष के संदर्भ में, ऐसे रिक्तस्थानों के विरुद्ध सरकारी उनकी नियुक्तियां कर सकें।

अतः अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल प्रसन्न होकर निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

1 संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम "राजस्थान सेवायें (पूर्ववर्ती वर्षों की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति द्वारा भर्ती) नियम 1972" कहलावेंगे।

(2) ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2 जहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन भर्ती एवं सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये बनाया गया कोई सेवा नियम भर्ती के लिये सीधी भर्ती तथा पदोन्नति दोनों द्वारा भर्ती का उपबन्ध करता है और जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष का पदोन्नति—कोटा उस नियम के अन्तर्गत नियुक्त विभागीय पदोन्नति-समिति की अभिशंसा के अभाव में नहीं भरा जा सका, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस वर्ष का उल्लेख करते हुए जिसके रिक्तस्थानों को भरना है, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की संख्या निर्धारित करेगा।

※[टिप्पणी— राजस्थान प्रशासन सेवा के मामले में शब्द 'पदोन्नति' में सदैव 'चयन द्वारा' और 'विशेष चयन द्वारा' भर्ती भी सम्मिलित होगी]

3 नियम 2 में वर्णित सेवा नियमों के अधीन नियुक्त विभागीय पदोन्नति समिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिक्त स्थानों की संख्या का निर्धारण करने तथा पूर्ववर्ती वर्षों के रिक्त स्थानों के वर्षों का नियमाधीन उल्लेख करने की दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर अपनी अभिशंसा करेगी। तत्पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसाओं को उचित सम्मान देते हुए नियम 2 में वर्णित सम्बद्ध वर्ष के पदोन्नति के कोटे के रिक्तस्थानों में पदोन्नति द्वारा उनकी नियुक्तियां करेगा।

4 जब नियुक्ति प्राधिकारी नियम 3 के अधीन पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां करता है, तो वह उस वर्ष का उल्लेख करेगा, जिसमें ऐसी पदोन्नतियां की गई मानी जावेंगी।

5 जहाँ विभागीय-पदोन्नति समिति की अभिशंसा पर पदोन्नति द्वारा की गई *नियुक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष में पदोन्नति कोटा में कोई रिक्त स्थान विद्यमान था* तो नियुक्ति प्राधिकारी उस नियुक्ति आज्ञा को उस वर्ष का उल्लेख करते हुए जिसमें पदोन्नति की गई समझी जावेगी, संशोधित करेगा।

6 जहां पदोन्नति द्वारा कोई नियुक्ति नियम 3 के अधीन की गई है या जहां नियुक्ति प्राधिकारी ने नियम 5 के अधीन पदोन्नति के वर्ष का उल्लेख किया है, तो

※वि स 1(7) Apptts (A–II) 71 दिनांक 9 नवम्बर 1977 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 7-1 1972 से प्रभावी।

वह व्यक्ति जो इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उस किसी अवधि के लिये उसने उस पद के कर्त्तव्यों का वास्तव में परिपालन नहीं किया है जिस प पदोन्नत किया गया है, किसी बकाया वेतन की माग के लिये अधिकृत नही होग

*[6-क—सम्बन्धित सेवा नियमो मे किसी बात के होते हुए, वे व्यवि सम्बन्धित सेवा मे इन नियमो के उपबन्धो के अनुसार नियुक्त किये गये हैं, सेवा मे उनके अनुभव की सगणना के प्रयोजनार्थ, सम्बन्धित सेवा मे उसी नियुक्त किया गया समझा जावेगा, जिस (वप) से वह कोटा सम्बन्धित है।]

परिशिष्ट [4]

राजस्थान सिविल सेवायें

[सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी-सस्थानो तथा अन्य स्थाप कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तें]

×नियम 1977

[Rajasthan Civil Services (Appointment and Service Co tions of employees of Private Instituations & other establishm taken over by the Government Rules, 1977]

भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी सस्थ तथा अन्य स्थापना के कर्मचारियो की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों को विनिय करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ—(1) ये नियम "राजस्थान सिविल से (सरकार द्वारा अधिग्रहीत निजी सस्थानो तथा अन्य स्थापनो के कर्मचारियो नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 1977 कहलायेंगे।

---

* वि स एफ 1(7) नियुक्ति (क-II) 71 दिनांक 9 नवम्बर 19 द्वारा जोड़ा गया तथा दि 7-1-1972 से प्रभावी।

× वि स एफ 5(5) कार्मिक 1(क-2) 76 दिनाक 28 अक्तूबर 1977, राजस्थान राजपत्र' असाधारण भाग 4 (ग) 1 दिनाक 28 10 / पृष्ठ 279—(19,7 R L T 545) पर प्रकाशित। अत ये नियम 28 10 77 से प्रभावशील हुये।

[अप्राधिकृत हिन्दी अनुवाद]

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनाक से प्रभावशील होगे।

(iii) अधिग्रहीत निजी सस्थानो तथा अन्य स्थापनो के व्यक्तियो की इन के प्रवृत्त होने से पहले की गई नियुक्तिया इन नियमो के तत्सम्बन्धी प्रावधान के अधीन की गई समझी जावेंगी।

(iv) ये नियम इन नियमो के प्रवृत्त होने के पहले सस्थानो के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियो पर भी लागू होगे, सिवाय उस सेवा या पद क मामले में जिसके सेवा नियमो मे इस प्रयोजन के लिय निश्चित उपबन्ध विद्यमान है, और जहां तक ये नियम किसी व्यक्ति को अलाभकर रूप से प्रभावित नही करते हो।

2 परिभाषायें—(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है और इसमे सेवा मे किसी पद के सम्बन्ध मे ऐसे अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जो सरकार की स्वीकृति से नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियो तथा कार्यो का प्रयोग करने के लिये विशेष रूप से सशक्त हैं।

(ख) 'आयोग' से राजस्थान लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ग) "सरकार" तथा ' राज्य ' से क्रमश राजस्थान-सरकार तथा राजस्थान-राज्य अभिप्रेत है,

(घ) "निजी सस्थान (प्राइवेट इस्टीट्यूशन)' से एक शैक्षणिक सस्थान, अस्पताल या या अन्य कोई स्थापन जो किसी सकाय, सरकार या स्थानीय सस्था या पचायत समिति या सरकार द्वारा नियत्रित अन्य सकाय के अतिरिक्त, द्वारा सचालित या व्यवस्थापित है अभिप्रेत है।

3 इन नियमो का अध्यारोही प्रभाव—ये नियम तथा इनके अधीन जारी की गई आज्ञायें इन नियमो के आरम्भ होने के समय प्रवृत किसी नियम विनियम या आज्ञा मे किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी लागू होगे।

परन्तु यह है कि—इन नियमो के आरम्भ से पहले अधिग्रहीत निजी-सस्थाना के व्यक्तियो की विभिन्न नियमो के अधीन पदो की श्रेणी पर की गई नियुक्तियाँ इन नियमो के नियम 5 के उप नियम (2) के अधीन की गई समझी जावेंगी।

4 निवचन (व्याख्या)—जब तक सदभ से अन्यथा अपेक्षित न हा राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम स 8) इन नियमो के निवचन के लिये उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निवचन के लिये लागू होता है।

5 निजी सस्थानों का अधिग्रहण—

(i) किसी मामले मे सरकार किसी निजी सस्थान को उसके स्थापन (स्टाफ) सहित जनहित मे अधिग्रहीत करने का विनिश्चय करती है तो वह ऐस सस्थान तथा सरकार के अधीन विद्यमान पदा के समीकरण का विनिश्चय करेगी और सरकारी सेवा मे आमेलित होने के इच्छुक ऐसे स्थापन को जो उस सस्थान में सेवा

कर रहे हैं या पदाधिकार धारण करते हैं और सेवा म पदो तथा रिक्त स्थाना की उपलब्धता के अधीन रहते हुए उनको समानीकृत या निम्नतर पद पर नियुक्त किया जा सकेगा, जैसा कि समिति द्वारा छानबीन करने के बाद निम्नांकित शर्तों के अधीन रहते हुए विनिश्चित किया जावे, यह (समिति) वही विभागीय पदोन्नति समिति होगी जो सम्बन्धित सेवा नियमो मे सम्बन्धित पद के लिये गठित की गई हो या यदि ऐसी कोई समिति न हो, तो ऐसी समिति जो सरकार द्वारा नियुक्त की जाये—

( ) ऐसे सस्थान के कमचारी, जो सेवा मे आमेलन के लिये अभ्यर्थी है, उस पद के लिये जिनके लिय वे अभ्यर्थी हैं, नियमो/अनुसूची मे वर्णित न्यूनतम अर्हताओं को धारण करता है या एसी अर्हतायें धारण करता है जो सरकार द्वारा सम्बन्धित पद के लिय विहित थी, जब कि वह ऐसे पदो पर प्रारम्भ में नियुक्त किया गया था।

(ii) निजी सस्थान को सरकार द्वारा अधिग्रहीत करने के दिनाक को अभ्यर्थी की आयु 21 वप से कम न हो और सरकार द्वारा विहित ऐसे पद के लिये अधिवार्षिकी की साधारण आयु से अधिक न हो।

(iii) कर्मचारी शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो और इन नियमो या सम्बन्धित पद के लिये तत्सम्बन्धी सेवा नियमो मे वर्णित भर्ती के लिये अनर्हताओं मे से किसी से ग्रस्त न हो।

परन्तु यह है कि—सरकार द्वारा अधिग्रहीत किये जाने के बाद, निजी सस्थान मे सेवा कर रहे अभ्यर्थियों की सख्या, जो सेवा मे प्रवेश के लिये इस प्रकार चयनित किये गये हैं, उस निजी सस्थान के लिय सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पदो की सख्या से अधिक नही होगी, जब तक कि सरकार अन्यथा तय न करे।

(2) इस प्रकार चयनित व्यक्तियो की सरकारी सेवा मे नये रिक्रूट समझा जावेगा और सम्बन्धित सेवा मे भर्ती का कोटा, यदि कोई हो, ऐसे व्यक्तियो को आमेलित करने के बाद तय किया जावेगा और व उसी समान स्तर (केपेसिटी) पर जैसा वे निजी सस्थान म थे—यथा—अस्थायी, स्थानापन्न, अधिष्ठायी, यथा स्थिति, नियुक्त किये जावेंगे और अधिष्ठायी या स्थायी कमचारियो के मामले में परिवीक्षा तथा पुष्टीकरण की शर्तें अधित्यजित कर दी गई समझी जावेंगी।

(3) निजी सस्थान के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप चयनित व्यक्तियो की वरिष्ठता ऐसी कमचारियो के अधिग्रहण के वप के सदभ मे तय की जावेगी और वे सामूहिक रूप स (Enbloc) उन व्यक्तियो से कनिष्ठ होगे जो उनकी नियुक्ति के वप मे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा, यदि वह पद सम्बन्धित श्रेणी मे केवल पदोन्नति से भरा जाना चाहा गया हो, नियुक्त किये गये हैं। ऐसे व्यक्तियो की पारस्परिक वरिष्ठता, यन केन, ऐसे प्रबन्ध/एजेंसी के अधीन समान श्रेणी म लगातार नियुक्ति के दिनाक के अनुसार स्थिर की जावगी, परन्तु यह है कि—कोई पुनर्निश्चित वरिष्ठता को नही छेड़ा जायगा। निजी सस्थान के कमचारियो द्वारा समानीकृत पद पर की गई सेवा पदोन्नति या सीधी भर्ती, यथास्थिति, के लिये वांछित अनुभव या सेवा के रूप मे सगणित किया जावगा।

6 केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सकाय या सरकार द्वारा नियन्त्रित सकाय द्वारा सचालित या व्यवस्थित शक्षणिक सस्थान, अस्पताल या अन्य किसी सस्थान का अधिग्रहण—ये नियम यथावश्यक परिवतन सहित उन सस्थानो या स्थापनो पर भी लागू होगे, जो केन्द्रीय सरकार या स्थानीय सकाय या सरकार द्वारा नियन्त्रित किसी सकाय द्वारा सचालित या व्यवस्थापित हैं सिवाय इसके कि—सरकार द्वारा अधिग्रहीत ऐसे सस्थान या स्थापन के कमचारियो की वरिष्ठता के बारे मे उपबन्ध एस होगे जैसे सरकार द्वारा, राजस्थान लोक सेवा आयाग से परामश के बाद, जहा आवश्यक हो, विनिश्चित किये जायें।

7 कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति—राज्य सरकार भर्ती, परिवीक्षा, पुष्टीकरण, पदोन्नति आदि से सम्बन्धित अन्य मामलों के बारे मे कोई कठिनाइयो को दूर करने के प्रयोजन से और इन नियमो के किसी उपबन्ध की परिपालना म जसा आवश्यक समझे या सही व्यवहार के हित मे द्रुतगामी या जन हित मे समझे, आयोग से परामश के बाद जहां आवश्यक हो, विशेष या सामान्य आज्ञा दे सकेगी।

परिशिष्ट [5]

[1]राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम 1976

[The Rajasthan Employment of the Physically Handicapped Rules 1976]

[2]प्राधिकृत पाठ

जी एस आर 38 —भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिया का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य के कायकलाप सबधी सेवाओ और पदा पर नियुक्त अक्षम व्यक्तियो की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करन हतु राजस्थान के राज्यपाल, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात—

---

1 वि स I 1 (17) DOP/A/II/72, GSR 92 दिनांक 25 सितम्बर 1976 द्वारा राज-पत्र, असाधारण, भाग 4 (ग) I मे दिनाक 25 9 1976 को प्रथम बार प्रकाशित।

2 अधिसूचना स प 1 (1) विर/प्रशा/77 जी एस आर 38 दिनांक 30 माच 1978 द्वारा राज-पत्र दि० 22 जून 1978 मे पृष्ठ 177–183 पर प्राधिकृत हिन्दी पाठ प्रकाशित।

राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम, 1976

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ ग्रौर लागू होना —(1) इन नियमो का नाम "राजस्थान शारीरिक रूप से ग्रक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम, 1976' है।

(2) ये नियम राजस्थान राज पत्र म प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होगे ग्रौर ग्रनुच्छेद 309 के परन्तुक के ग्रधीन प्रख्यापित किसी ग्रन्य नियम या ग्रादेश म किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगे।

(3) राज्य के कायकलाप सबधी विभिन्न सेवाग्रो या पदो पर नियुक्त व्यक्तियो की भर्ती ग्रौर सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी सेवा नियम या ग्रादेश मे किसी बात के होते हुए भी शारीरिक रूप से ग्रक्षम व्यक्ति इन नियमो के ग्रनुसरण मे पृथक् रक्षित ग्रौर ग्रारक्षित पदो पर भर्ती ग्रौर नियुक्ति हेतु पात्र होगे।

2 परिभाषाए —जब तक सदभ से ग्रन्यथा ग्रपेक्षित न हो, इन नियमो मे-

(i) "नियुक्ति प्राधिकारी" से वह प्राधिकारी ग्रभिप्रेत है जो ग्रनुच्छेद 309 के परन्तु के ग्रधीन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सुसगत सेवा नियमो के ग्रधीन इस रूप मे नियुक्त किया गया हो,

(ii) "केन्द्रीय रजिस्ट्री" से वह प्रकोष्ठ ग्रभिप्रेत है जो नियम 5 मे के ग्रभिज्ञान-पत्र जारी किये जाने के प्रयोजनार्थ शारीरिक रूप से ग्रक्षम व्यक्तियो के रजिस्ट्रीकरण हेतु हो,

(iii) "निदेशक" से राजस्थान के *[नियोजन के] निदेशक ग्रौर ऐसा ग्रन्य ग्रधिकारी ग्रभिप्रेत है जिसे इस सबध मे सरकार द्वारा शक्तिया प्रत्यायोजित की जाय,

(iv) "सरकार" ग्रौर 'राज्य" से क्रमश राजस्थान सरकार ग्रौर राजस्थान राज्य ग्रभिप्रेत है, ग्रौर

(v) "शारीरिक रूप से ग्रक्षम व्यक्ति" से ग्रभिप्रेत है तथा इसमे सम्मिलित है शारीरिक रूप से ग्रक्षम निम्नलिखित प्रवर्गो के व्यक्ति —

(क) ग्रधा —ग्रधे व हैं जो निम्नलिखित मे से किसी एक से पीडित है —

(क) दृष्टि का पूर्णत ग्रभाव।

(ख) दृष्टि क्षमता 6/60 से या समुचित लेन्सो सहित ग्रच्छी ग्राख से 20/200 (snellan) स ग्रनधिक।

---

* "समाजकल्याण विभाग" के स्थान पर प्रतिस्थापित—वि स एफ। (17) DOP/A-2/72, GSZ-52 दिनाक 24 जुलाई 1978 द्वारा, राजस्थान राज-पत्र भाग 4 (ग) I दि 27 7 78 पृ 218 पर प्रकाशित।

(ग) दृष्टि क्षेत्र 20 डिग्री के कोण तक सीमित या उससे खराब।

(क) बधिर —बधिर वे हैं जिनकी श्रवणशक्ति जीवन के सामान्य प्रयोजना हेतु क्रियाशील नही है। सामान्यत 70 डसीबिल पर या उससे ऊपर 500, 000 या 000 आवृत्तिया पर श्रवण शक्ति की हानि के कारण अवशिष्ट श्रवणशक्ति क्रियाशील नही रहेगी और इनमे मूक बधिर सम्मिलित होगे।

(ग) विकलांग —वे हैं जिनमे शारीरिक नुक्श या अग विकार हैं जिनके कारण अस्थियो, पेशिया और जोडो के सामान्य रूप से काय करने में बाधा उत्पन्न होती है।

(घ) त्रुटिपूर्ण वाक्शक्ति —ऐसा व्यक्ति जो वाचाघात (वाक्शक्ति की पूर्ण हानि किन्तु श्रवणशक्ति सामान्य) से पीडित है या जिसकी वाक्शक्ति अस्पष्ट है तथा/या सामान्य नही है।

3 पात्रता —शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति इन नियमा के नियम 4 के अधीन किसी सेवा या पृथक रक्षित पद पर नियुक्ति का पात्र होगा परन्तु यह तब जबकि वह सुसगत सेवा नियमो मे अधिकथित या जहाँ पद हेतु कोई सेवा नियम विरचित नही किये गये हो तो वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग से परामश के पश्चात सरकार द्वारा अधिकथित अहताए पूरी करता हो और इन नियमो के अधीन पात्र हो और उनकी नि शक्तता होते हुए भी वह पद के कत्तव्यो का पालन करने योग्य हो।

4 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के लिए पदो का आरक्षण तथा पृथक रक्षण और शारीरिक तथा स्वास्थ्य मानक मे छूट —(1) (i) प्रत्येक विभागाध्यक्ष या जहा विभागाध्यक्ष नही है वहा सरकार, अपने अधीन पद के प्रत्येक प्रवग के स्वरूप और कृत्यिक अपेक्षा का सम्यक निर्धारण करके और नियम 2 के उपनियम (V) म उल्लिखित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के प्रत्येक प्रवग की कृत्यिक उपयुक्तता को ध्यान मे रखते हुए निदेशक चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा, राजस्थान के परामश से और सरकार के सबधित प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से पदो के ऐसे प्रवग मे पदो के 2% स्थान समय समय पर पृथक रक्षित रखेगी जहा अधे/बधिर/ विकलाग और त्रुटिपूर्ण वाक्शक्ति वाले व्यक्ति यथोचित रूप से नियोजित किये जा सकें और इस प्रकार पृथक रक्षित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के नियाजन के लिए आरक्षित माने जाएगे।

(ii) खण्ड (i) के अधीन पृथक रक्षित पदा के प्रवग को और नियोजित किय जाने वाले अक्षम व्यक्तियो के प्रवग की सूचना इन नियमो से सलग्न रूप प्ररूप 1 में सरकार के कार्मिक विभाग और निदेशक को दी जाएगी। प्रत्येक वप के 31 माच को विद्यमान आरक्षण को और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के नियोजन की स्थिति स सम्बधित सूचना भी प्ररूप 1 मे उनको भेजी जाएगी।

(iii) किसी वर्ग विशेष में उपयुक्त खण्ड (1) के अधीन शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति नियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जाएगा और उनके बराबर संख्या में अतिरिक्त रिक्तियां आगामी वर्ष में आरक्षित रखी जाएगी। इस प्रकार भरी न गयी रिक्तियां को कुल मिलाकर भर्ती के तीन आगामी वर्षों तक आगे ले जाया जाएगा और उसके पश्चात् ऐसा आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

(2) ऐसी सेवाओं और पदों के संबंध में जिनमें उप नियम (1) के अधीन कोई पद आरक्षित या पृथक् रक्षित नहीं रखा गया है, सेवा के या पदों के प्रवर्ग के स्वरूप और कृत्यिक अपेक्षा का सम्यक ध्यान रखते हुए लोक सेवा आयोग के या उच्च न्यायालय के परामर्श से, जहां ऐसा परामर्श करना आवश्यक हो, तथा निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के परामर्श से सरकार शारीरिक और स्वास्थ्य परीक्षा की शिथिलीकृत शर्तें अधिकथित कर सकेगी।

5 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए केन्द्रीय रजिस्ट्री—प्रखण्ड, समाज कल्याण निरीक्षक, सहायक परिवीक्षा अधिकारी आदि जैसे अधिकरणों की मार्फत निदेशक, समाज कल्याण विभाग इन नियमों के नियम 2 (v) के क्षेत्र के अधीन आने वाले शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने हेतु रजिस्ट्रीकरण की उचित व्यवस्था करेगा। जिलों में उपयुक्त अधिकरणों की मार्फत एकत्रित सूचना [1][अक्षम-व्यक्तियों की सूची निदेशक, नियोजन राजस्थान, जयपुर को भेजी जावेगी, जहां एक विशेष कक्ष एक उप निदेशक के अधीन रजिस्ट्रीकरण तथा परिचय पत्र जारी करने के लिये कार्य करेगा] विकल्पतः शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति भी अपने रजिस्ट्रीकरण हेतु सीधे ही या तो निदेशक को या जहां वह अक्षम व्यक्ति निवास करता है उस क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी की मार्फत भी आवेदन कर सकेगा।

6 केन्द्रीय रजिस्ट्री के अधीन रजिस्ट्रीकरण तथा अभिज्ञान पत्र जारी किये जाने हेतु प्रक्रिया—(1) *सरकार नियम 5 के अधीन यथा अपेक्षित शारीरिक रूप* से अक्षम व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ [2][नियोजन निदेशालय] में एक प्रकोष्ठ सृजित कर सकेगी।

---

1 जि स एफ 1 (17) DOP/A-2/72 GSR-52 दि 24 जुलाई 1972 द्वारा प्रतिस्थापित, जिसमें निम्न पंक्तियाँ बदली गई—

"जिला समाज कल्याण अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी। अशक्त व्यक्तियों की सूची प्राप्त होने पर जिला परिवीक्षा अधिकारी या समाज कल्याण अधिकारी उसे निदेशक समाज कल्याण विभाग को भेजेगा।"

2 उपरोक्त विज्ञप्ति दि 24 7 78 द्वारा 'समाज कल्याण विभाग' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) यह प्रकोष्ठ शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो को, सरकार द्वारा समय समय पर विहित प्ररूप मे और विहित रीति से प्रवर्गानुसार, रजिस्टर करगा, और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को अभिज्ञान पत्र जारी करेगा बशर्ते कि आवदक नियमा म अधिकथित और समय समय पर सरकार द्वारा विहित शर्तें पूरी करता हो।

(3) रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन के साथ निम्नलिखित या समय समय पर सरकार द्वारा विहित अय प्रमाणपत्र सलग्न किय जाए गे—

(क) शैक्षिक अर्हताओ और प्रशिक्षण आदि के सबधित प्रमाणपत्र, यदि कोई हो।

(ख) आयु का प्रमाण पत्र।

7 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की नि शक्तता की सीमा और कर्तव्य क्षमता अभिनिश्चित करना और सरकारी सेवा मे नियुक्ति होने पर स्वास्थ्य परीक्षा मे छूट देना—(1) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति की नि शक्तता की सीमा तथा पद के कर्तव्यो के पालन हेतु उसका सामर्थ्य बिना उसकी शारीरिक अक्षमता को ध्यान मे रखते हुए अभिनिश्चित करने हेतु निदेशक, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के प्रत्येक प्रवग के लिए अलग अलग चिकित्सा विशेषज्ञ मनोनीत करेगा और निदेशक से इस प्रकार प्राप्त प्रमाण पत्र नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ सलग्न किया जाएगा।

(2) शारीरिक रूप से अक्षम एसे व्यक्तियो को जो किसी सरकारी विभाग में किसी आरक्षित या पृथकरक्षित पद पर नियुक्त किये जाते हैं सरकारी सेवा मे प्रथम प्रवेश के समय अलग अलग सेवा नियमो म उपबधित सामाय स्वास्थ्य परीक्षा नही की जाएगी और सुसगत सेवा नियमो को इस सीमा तक सशोधित समझा जाएगा।

8 आयु मे छूट—विभिन्न पदो/सेवाओ मे नियुक्ति हेतु विहित अधिकतम आयु सीमा में अधो और बधिर के मामलों मे 10 वष की और विकलाग तथा त्रुटिपूर्ण वाक्शक्ति वाले व्यक्तियो के लिए 5 वष की छूट दी जा सकगी और विभिन्न सेवा नियम इस सीमा तक सशोधित होगे। कष्टकारी विशेष मामलो मे सरकार इस सीमा म और छूट दे सकेगी।

9 रियायतें (सुविधाय)—अधे और बधिर व्यक्ति को नियम 4 मे वर्णित नियोजन हेतु पात्र बनाने के लिए उसे निम्नलिखित रियायतें अनुज्ञात की जाए गी —

(i) जहा किसी परीक्षा मे अको का न्यूनतम प्रतिशत विहित हो वहा अको का 5 प्रतिशत,

(ii) बधिरो हेतु अभिप्रेत मान्यता प्राप्त सस्थान द्वारा जारी किय गय प्रमाण पत्र मे दी गई शैक्षिक अर्हताए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य सस्थानो के समान मानी जाए गी,

(ii) शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो की अस्थायी नियुक्ति हेतु प्रशिक्षण/जाच/अनुभव की शर्त या वाछनीयता जहा कही विहित हो लागू नहीं होगी। जहा किसी पद पर नियुक्ति हेतु कोई विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यक हो तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति से उसकी नियुक्ति से दो वर्ष के भीतर ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

10 विकलागो का पुनर्वास ,—जहा नियुक्ति प्राधिकारी के विचार मे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति के लिये विकलाग को फिर से ठीक करने हेतु प्रशिक्षण आवश्यक हो तो इस प्रकार नियोजित व्यक्ति को तत्प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त सस्थान मे उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु जाना पडेगा।

11 यात्रा व्यय —नियोजन हेतु चयन के सम्बन्ध मे साक्षात्कार, जाच या परीक्षा हेतु बुलाये गये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति को आने जाने की यात्रा हेतु यथास्थिति, द्वितीय श्रेणी का रेल भाडा या वास्तविक साधारण बस भाडा, सदत्त किया जाएगा।

12 सरकारी वास सुविधा मे पूर्विकता —इस प्रकार नियोजित अधे और बधिर व्यक्ति को जहा कही सभव हो सरकारी वास सुविधा के आवटन में पूर्विकता (प्राथमिकता) दी जायेगी।

13 अन्य रियायते —अभिज्ञान पत्र धारण करने वाला शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति, सरकार द्वारा समय समय पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो पर लागू की गई समस्त रियायतो और आरक्षण के फायदे का हकदार होगा और उससे उसकी शारीरिक नि शक्तता अभिनिश्चित करने के सम्बन्ध मे कोई और दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

14 नियोजित व्यक्ति यदि बाद मे शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए —पहले से ही सरकारी सेवा मे नियोजित व्यक्ति यदि इन नियमो में यथा परिभाषित शारीरिक रूप से अक्षम हो जाए तो वे भी आरक्षण हेतु इन नियमो के नियम 4 म उपवर्णित शारीरिक तथा स्वास्थ्य परीक्षा मे छूट के हकदार हो और सरकार के अनुमोदन से किसी अन्य वैकल्पिक पद पर आमेलित या समायोजित किये जाने के हकदार होगे जिस पर इन नियमों के अधीन कोई शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हकदार होता है।

15 स्वास्थ्य परीक्षा हेतु फीस —इन नियमों के अधीन किसी भी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए या प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए सरकारी सेवा मे नियोजित किसी चिकित्साधिकारी या विशेषज्ञ को कोई फीस सदेय नहीं होगी।

16 निर्वचन —जब तक सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सख्या (VIII) इन नियमो के निर्वचन के लिये लागू होगा।

17 शंकाओं का निराकरण —यदि इन नियमो के लागू होने निर्वचन और विस्तार के विषय मे कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग मे भेजा जाएगा जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

प्रारूप 1

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के नियोजन के लिए पृथक रक्षित पदो की सूचना (राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम, 1976 के नियम 4 के अधीन)

1 वर्ष

2 विभाग का नाम

3 विभाग मे पदो की कुल संख्या

प्रवर्गानुसार —

क्रमांक	पदो का प्रवर्ग	पदो की संख्या
(1)		
(2)		

4 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के नियोजन हेतु उपयुक्त पदो के प्रवर्ग —

क्रमांक	पदो का प्रवर्ग	पदो की कुल संख्या	नियोजन हेतु उपयुक्त शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का प्रवर्ग	2% के आधार पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो हेतु आरक्षित पदो की संख्या
(1)				
(2)				

5 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो के प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों के कर्तव्यों का स्वरूप—

क्रमांक	पद का प्रवर्ग	कर्तव्यों का प्रकार
(1)		
(2)		

6 पहले से नियोजित शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो की सख्या—

क्रमाक	पदो का प्रवग	शारीरिक रूप से अक्षम कमचारियो का प्रवग	नियोजित किये गये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तिया की सख्या
(1)			
(2)			

7 शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तिया द्वारा भरे जाने वाले पदा की सख्या—

क्रमाक	पदो का प्रवग	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तिया का प्रवग, जिन्हे नियोजित किया जा सकता है	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो द्वारा भरे जाने वाले पदो की सख्या
(1)			
(2)			

प्रमाणित किया जाता है कि मद 4 म वर्णित पद, राजस्थान शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियो का नियोजन नियम, 1976 के नियम 4 के अनुसार निदेशक, चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवा के परामश से तथा प्रशासनिक विभाग के अनुमोदन से, आरक्षित किये गये है।

परिशिष्ट [6]

विशेष नियम

सेवा मे रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कमचारियो के आश्रितो की भर्ती के विशेष नियम

※(क) राजस्थान (सेवा मे रहते हुए मृत्यु होने पर सरकारी कमचारियों के आश्रितो की भर्ती) नियम 1975

※ *वि स एफ (36) कार्मिक (क-2) 75 दिनांक 29 सितम्बर 1975, द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ग) I दिनांक 2 अक्टूबर 1975 को प्रथम बार प्रकाशित। मूल अंग्रेजी पाठ। हिंदी पाठ के लिये आगे 'पचायत समिति/जि प नियम' यथावश्यक परिवतन सहित पृष्ठ 49 पर देखिये।*

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governer of Rajasthan hereby makes the following special rules regulating the recruitment of the dependant of Government servants dying while in service, namely —

The Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975

Short title and commencement —(1) These Rules may be called 'the Rajasthan Recruitment of Dependants of Government Servants Dying while in Service Rules, 1975

(2) These Rules shall come into force form the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra

2 **Definitions** —In these Rules unless the context otherwise requires —

(a) "Government and "State means respectively the Government of Rajasthan and the State of Rajasthan,

(b) "Appointing Authority" means the Government of Rajasthan and includes any other Officer to whom powers have been delegated by the Government through a special or general order to exercise the powers and functions of the Appointing Authority under the relevant Service Rules, if any,

(c) "Head of Department/Office means the Head of the Department/Office in which the deceased Government Servant was serving prior to his death

(d) "Government servant means person employed in connection with the affairs of the State and who—

(i) was permanent in such employment, or

(ii) though temporary had been regularly appointed in such employment, or

(iii) though not regularly appointed, had put in one year continuous service in a regular vacancy in such employment and

(iv) shall also include the person sent temporarily on deputation

Explanation—"Regularly appointed" means appointed in accordance with the procedure laid down for recruitment to the post or service as the case may be

(e) "deceased Government servent means a Government servant who dies while in service,

(f) "family" means the family of the deceased Government servant and shall include wife or husband, sons and unmarried or widow daughters, who were depèndant on the deceased Government servant,

3 **Application of the rules**—These Rules shall apply to recruitment of the dependants of the deceased Government servants to public service and posts in connection with the affairs of State, except service and posts which are within the purview of the Rajasthan Public Service Commission

4 **Overriding effect of these Rules** These rules and any orders issued thereunder shall have effect notwithstanding any thing to the contrary contained in any rule, regulation or orders in force at the commencement of these Rules

5 **Recruitment of a member of the family of the deceased**—In cases of Government servants, who die while in service on or after the commencement of these rules one member of his family who is not already employed under the Central/State Government or Statutory Board/Organisations/Corporations, owned or controlled by the Central/State Government, shall, on making an application for the purpose, be given a suitable employment in Government service without delay only against an existing vacancy, which is not within the purview of the State Public Service Commission in relaxation of the normal recruitment rules provided such member fulfils the educational qualifications prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government service In the event of non-availability of a vacancy or any of the member of the family, being unqualified or minor is not found suitable or eligible for immediate employment then such cases should be considered immediately on the availability of the post or any one of them becomes qualified or eligible for such employment under these Rules

6 **Contents of application for employment**—An application for appointment under these Rules shall be addressed to

the Appointing Authority in respect of the post for which appoint ment is shought, but it shall be sent to the concerned depart ment or to the Head of the Department/Office where the deceased Government servant was serving prior to his death The applica tion shall, *inter alia, contain the following information* —

(1) The name & designation of the deceased Government servant,

(2) Department/Office in which he was working prior to his death,

(3) The date & place of the death of the deceased Govern ment servant

(4) Last Pay drawn & the Pay Scale

(5) Names ages and other details pertaining to all the members of the family of the deceased particularly about their marriage employment and income

(6) Details of the financial condition of the family, and

(7) Name, Date of birth education and other qualifications, if any, of the applicant & his/her relation with the deceased Government servant

7 **Procedure when more than one member of the family seeks employment** —If more than one member of the family of the deceased Goverment servant seeks employment under these Rules, the Head of Department/Office shall decide about the suitability of the person for giving employment The decision will be taken keeping in view also the over all interest of the welfare of the entire family particularly the widow and the minor members thereof

8 **Relaxation for age and other requirement** —(1) The candidates seeking appointment under these rules must not be less than 16 years at the time of appointment In the cases in which the wife of the deceased Government servant being the only candidate found qualified and eligible for such employment there shall be no maximum upper age limit

(2) The procedural requirement for selection, such as writ ten test, typing test or interview by a Selection Committee or

any other Authority, shall *be dispensed with, but it shall be* open to the Appointing Authority to interview the candidate in order to satisfy that the candidate will be able to maintain the minimum standards of work and efficiency expected on the post or to prescribe any condition, if considered necessary, for acquiring any training or proficiency e g typing speed or any other qualifications etc , within a reasonable period, after such employment under these Rules

9 **Satisfaction of Appointing authority as regards general qualification** —Before a candidate is appointed the Appointing Authority shall satisfy that

(a) The character of the candidate is such as to render him suitable in all respects for employment in Government service,

Explanation —Persons dismissed by the Union Government or by any *State Government* or by a Local Authority or a Corporation owned or controlled by the Central Government or a State Government shall be deemed to be ineligible for appointmegt to the service

(b) He is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties, for which the candidate shall be required to appear before the appropriate medical authority and to produce a certificate of fitness in accordance with the rules applicable to the case, and

(c) In the case of a male candidate, he has not more than one wife living, and in the case of female candidate, she has not married a person already having a wife living

10 Power to remove difficulties —The State Gavernment may, for the purpose of removing any difficulty (of the existence of which it shall be the sole judge) in the implementation of any provision of *these Rules*, make any *general or special order as it* may consider necessary or expedient in the interest of fair *dealing* or in the public interest

राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के सदस्यो के आश्रितो की भर्ती नियम, 1978

×जी एस आर 163 — राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 की धारा 79 की उपधारा (1) द्वारा तथा इस निमित समथ बनाने वाले समस्त उपबन्धो द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा पचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों की सेवा काल मे मृत्यु हो जाने पर, उनके आश्रितो की भर्ती का उपबन्ध करने और उसे विनियमित करने के लिये निम्नलिखित विशेष नियम बनाती है, अर्थात् —

1 सक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के सदस्यो के आश्रितो की भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजस्थान राज-पत्र मे प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2 परिभाषायें — जब तक सदभ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमो में —

(क) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(ख) पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के सबन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से सेवा के उस वर्ग प्रवर्ग अथवा ग्रेड म जिसमे ऐसा सदस्य तत्समय सम्मिलित है पचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम की धारा 31 के अधीन नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है।

(ग) "पचायत समिति" तथा "जिला परिषद" से राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम के अधीन गठित पचायत समिति तथा जिला परिषद् अभिप्रेत है।

(घ) "सेवा" से राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा अभिप्रेत है।

(ङ) "सेवा का सदस्य" से राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा मे के किसी पद पर नियुक्त कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो—

(i) ऐसे नियोजन मे स्थाई था, या

× जी एस आर 163 वि स एफ 4/एल जे/पी एस/ए आर/19/78 416 दि 24 अक्तूबर 1978 द्वारा, जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ग)I दिनाक 24 अक्तूबर 1978 को अग्रेजी मे प्रकाशित व उसी दिन से प्रभावशील। उपरोक्त प्राधिकृत हिन्दी पाठ राजपत्र में दि 25 जनवरी 1979 को प 431 पर प्रकाशित।

(ii) यद्यपि अस्थाई होने पर भी ऐसे नियोजन में नियमित रूप से नियुक्त किया था , या

(iii) यद्यपि नियमित रूप से नियुक्त न किये जाते पर भी ऐसे नियोजन में किसी नियमित रिक्ति म एक वप की निरन्तर सेवा कर चुका था ,

(iv) और इसमे अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया व्यक्ति भी, यदि कोई हो, सम्मिलित होगा ।

स्पष्टीकरण —"नियमित रूप से नियुक्त ' से यथास्थिति पद पर या सेवा मे भर्ती के लिए अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गई नियुक्ति अभिप्रेत है ।

(च) "पचायत समिति तथा जिला परिषद का मत कमचारी" से राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसकी सेवा काल मे मृत्यु हो जाती है ।

(छ) 'परिवार" से पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा के मत सदस्य का परिवार अभिप्रेत है और इसमे पत्नी या पति, पुत्र तथा अविवाहित या एसी विधवा लडकिया सम्मिलित हैं जो पचायत या जिला परिसद सेवा के मत सदस्य पर उसकी मत्यु के समय आश्रित थी ।

3 नियमो का लागू होना —ये नियम पचायत समिति जिला परिषद के मृत कमचारियो के आश्रितो की भर्ती पर लागू होगे ।

4 इन नियमो का अध्यारोही प्रभाव —इन नियमो के प्रारम्भ के समय प्रवत किन्ही नियमो, विनियमो अथवा आदेशो मे अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ये नियम तथा इनके अधीन जारी किये गये कोई भी आदेश प्रभावी रहगे ।

5 मतक के परिवार के सदस्य की भर्ती —पचायत समिति तथा जिला परिषद के किसी ऐसे कमचारी के मामले मे, जिसकी मत्यु इन नियमो के प्रारम्भ होने पर या उसके पश्चात सेवा काल मे हो जाती है, उसके परिवार के एक ऐसे सदस्य जो पचायत समिति जिला परिषद/केन्द्रीय/राज्य सरकार के या केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन कानूनी बोड/सगठना/निगमो के अधीन पहले से ही नियोजित नही है, इस प्रयोजनाथ आवदन करने पर सामान्य भर्ती नियमो को शिथिल करते हुए पचायत समिति तथा जिला परिषद सेवा मे किसी विद्यमान रिक्ति पर यथाशीघ्र उपयुक्त नियोजन दिया जायगा बशर्ते ऐसा सदस्य पद के लिये विहित शैक्षणिक अहताऐ पूरी करता हो और वह राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद् सेवा के लिये अन्यथा अर्हित भी हो । किसी रिक्ति के उपलब्ध न होने पर या अनर्हित या अवस्यक होने के कारण परिवार के सदस्यो म से कोई भी सदस्य तुरन्त नियोजन के लिये उपयुक्त या पात्र नही पाये जाने पर, ऐसे मामले म,

पद के उपबन्ध हो जाने पर या इन नियमो के अधीन ऐसे नियोजन के लिये उनमे से किसी भी एक सदस्य के अर्हित या पात्र हो जाने पर तुरन्त विचार किया जायेगा।

6 नियोजन के लिये आवेदन पत्र की विषय वस्तु—इन नियमो के अधीन नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र ऐसे पद के बारे मे जिसके लिए नियुक्ति चाही गई है, नियुक्ति प्राधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा, परन्तु वह उस सबधित पचायत समिति या जिला परिषद को भेजा जायगा जहा पचायत समिति या जिला परिषद का मृत कर्मचारी अपनी मृत्यु से पूर्व सेवा कर रहा था।

आवेदन-पत्र मे, अन्य बातो के साथ साथ निम्नलिखित सूचना होगी —

(1) पचायत समिति जिला परिषद् के मृत कर्मचारी का नाम तथा पदनाम।

(2) उस पचायत समिति जिला परिषद् का नाम जिसमे वह अपनी मृत्यु की तारीख को कार्य कर रहा था।

(3) पचायत समिति जिला परिषद के मृत कर्मचारी की मृत्यु की तारीख तथा स्थान।

(4) लिया गया अंतिम वेतन तथा वेतनमान।

(5) मृतक के परिवार के समस्त सदस्यो के नाम, आयु तथा उनसे सम्बन्धित अन्य विवरण, विशिष्टत उनके विवाह नियोजन तथा आय के बारे मे।

(6) परिवार की वित्तीय स्थिति का विवरण।

(7) आवेदक का नाम, जन्म शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताए, यदि कोई हो, तथा पचायत समिति जिला परिषद् के मृत कर्मचारी से उसका सबध।

7 परिवार के एक से अधिक सदस्य द्वारा नियोजन चाहने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया—यदि पचायत समिति/जिला परिषद के मृत कर्मचारी के परिवार क एक से अधिक सदस्य इन नियमो के अधीन नियोजन चाहते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी, नियोजन देने हेतु व्यक्ति की उपयुक्तता के बारे मे विनिश्चय करेगा। ऐसा विनिश्चय समस्त परिवारके, विशिष्टत उसकी विधवा तथा अवयस्क सदस्यो के पूर्ण हित को ध्यान मे रखकर किया जायगा।

8 आयु तथा अन्य अपेक्षाओ के लिए शिथिलीकरण—,(1) इन नियमों के अधीन नियुक्ति चाहने वाले अभ्यर्थी की आयु उसकी नियुक्ति के समय 16 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। ऐसे मामले मे जिसमे पचायत समिति/जिला परिषद सेवा के मृत कर्मचारी की पत्नी ही अभ्यर्थी हो और वह नियोजन के लिये अर्हित तथा पात्र पायी जाये तो वहा अधिकतम उच्च आयु की सीमा नही होगी।

(2) चयन की प्रक्रिया से सम्बन्धित आवश्यकताओ, जैसे कि लिखित परीक्षा, टकण परीक्षा या किसी चयन समिति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा साक्षात्कार स

अभिमुक्ति प्रदान की जायेगी परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, इस बात से अपना समाधान करने के लिये कि अभ्यर्थी कार्य के न्यूनतम स्तर को तथा पद पर अपेक्षित दक्षता को बनाये रखने में समर्थ होगा, अभ्यर्थी का साक्षात्कार लेने अथवा यदि आवश्यकता हो तो इन नियमों के अधीन नियोजन के पश्चात् युक्तियुक्त कालावधि के भीतर कोई प्रशिक्षण या प्रवीणता, जैसे टंकण गति या अन्य अर्हताएं अर्जित करने हेतु कोई शर्तें विहित करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

9 सामान्य अर्हताओं के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान —किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी अपना समाधान इस बात से करेगा कि —

(क) अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा हो जो उसे सभा बाता म पचायत समिति/ जिला परिषद् की सेवा के लिए उपयुक्त बनाता हो,

स्पष्टीकरण —सघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या राजस्थान पचायत समिति तथा परिषद् सेवा या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा मे नियुक्ति के लिये अपात्र समझे जायेंगे।

(ख) वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसमे कोई ऐसा शारीरिक नुक्स न हो जिससे उसके उन कर्त्तव्यों के लिये अभ्यर्थी से समुचित चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की तथा मामले मे लागू नियमो के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र पेश करने की अपेक्षा की जायेगी, दक्षतापूर्वक पालन करने म बाधक होने की सभावना हो, तथा

(ग) किसी पुरुष अभ्यर्थी के मामले म उसके एक से अधिक जीवित पत्नी न हो तथा महिला अभ्यर्थी के मामले मे उसने ऐसे व्यक्ति से विवाह न किया हो, जिसके पहले ही जीवित पत्नी हो।

10 कठिनाइयो का निराकरण करने के शक्ति —राज्य सरकार, इन नियमो के किसी भी उपबन्ध के कार्यान्वयन मे अनुभव की जान वाली किसी कठिनाई का (जिसकी विद्यमानता के सबध मे वही एक मात्र निर्णायक होगी) निराकरण करने के प्रयोजनार्थ कोई ऐसा सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगी, जैसा वह उचित व्यवहार या लोकहित मे आवश्यक अथवा समीचीन समझे।

(ग) नगरपालिकाओं के तथा सावजनिक निर्माण के काय-प्रभारित कम कमचारिया पर लागू किये गये —राजस्थान (सेवा म रहते हुए मृत्यु होने पर पर सरकारी कमचारियो के आश्रितो की भर्ती) नियम 1975 यथा परिवतन के साथ—

(i) नगरपालिका सेवा के अधीनस्थ, लिपिक वर्गीय एव चतुथ श्रेणी के सदस्यो पर भी लागू होगे।

[जी एस आर 175 वि स प 2 (36) स्वा शा/38/भाग 4 दिनाक 19 सितम्बर 1978, जो राजस्थान गजपत्र, भाग 4 (ग) I दिनाक 15 फरवरी 1979 म प्रकाशित]

(ii) सावजनिक निर्माण विभाग, बागान, सिचाई, जलप्रदाय तथा आयुर्वेदिक विभागो के कायप्रभारित कर्मचारिया के आश्रितो को काय प्रभारित (वक चाज) कमचारी के रूप मे उनकी नियुक्ति के लिये ये नियम लागू होगे।

[आज्ञा स एफ 3 (6) कार्मिक (क-II) 75 G S R 231 दिनाक 22 फरवरी 1977, जो राजपत्र भाग 4 (ग) I दि 10 3 1977 म पृष्ठ 718 पर प्रकाशित—1977 RLT-II Page 101, Note 104]

परिशिष्ट [7]

राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एव अपील) नियम 1958

अनुसूची (3) लिपिकवर्गीय सेवाये

समस्त विभागो मे निम्नलिखित प्रवर्गों के पदधारक जैसे —

1 जिला राजस्व लखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार 2 अहलमद, वरिष्ठ कनिष्ठ या सहायक अहलमद 3 लेखालिपिक और कनिष्ठ लेखा लिपिक 4 लेखा सकलनकर्ता 5 सहायक जिसमे राजस्व सहायक न्यायिक सहायक, स्थापना सहायक, विविध सहायक एव आयोजना सहायक सम्मिलित हैं 6 अकेक्षा, चिटिठ्यात लिपिक 7 अकेक्ष। लिपिक 8 सभागीय अकेक्षक को सम्मिलित करते हुए अकेक्षक 9 बिल लिपिक 10 बिल्टी लिपिक 11 जिल्दसाज 12 खजाची और सहायक खजाची 13 लिपिक जिसमे दीवानी लिपिक फौजदारी लिपिक, अपील लिपिक, पुनरीक्षण लिपिक, अग्रेजी लिपिक सम्मिलित हैं । 14 गणना यत्र चालक 15 शिविर लिपिक 16 सूचीकार 17 सकलनकर्ता जिसम निदेशक जिला गजेटियस के मुख्य सकलनकता भी सम्मिलित हैं 18 अतरग लिपिक 19 नकलनवीस 20 कोर लोगिग लिपिक 21 पटल लिपिक 22 डाक लिपिक 23 प्रेषक लिपिक 24 डायरी

लिपिक 25 सभाग लिपिक 26 स्थापना लिपिक 27 आबकारी लिपिक 29, क्षेत्र लिपिक 29 विलोपित 30 क्षेत्र सहायक 31 सैन्य लिपिक 32 फर्नीचर लिपिक 33 गजधर 34 राज-पत्र 35, मुख्य लिपिक 36 जनगणना विभाग के निरीक्षक 37 ___िया निरीक्षक, चुगी एव आबकारी विभाग के उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक 38 उपकरण लिपिक 39 कनिष्ठ लिपिक 40 खाता जमाबन्दी लिपिक 41 अभिलेख लिपिक 42 लदान एव प्रेषण लिपिक 43 कार्यालयो मे पुस्तकाध्यक्षों या पुस्तकालय लिपिक 44 अनुसूची (1) या (2) मे वर्णित पुस्तकालयो के अतिरिक्त पुस्तकालयो के पुस्तकाध्यक्ष, सहायक पुस्तकाध्यक्ष, शाखा पुस्तकाध्यक्ष, सदन पुस्तकाध्यक्ष 45 छुट्टी आरक्षित लिपिक 46 सदर मु सरिम को सम्मिलित करते हुए मु सरिम 47 मु शी तथा मुख्य मु शी 48 मोहर्रिर 49 मुकद्दम 50 नाकेदार 51 नाजिर 52 कागज विशेषज्ञ, सहकारी विभाग 53 पासल लिपिक 54 पटवारी *55 वेतन लिपिक 56 पेंशन लिपिक 57 विभागाध्यक्षो या कार्यालयाध्यक्षो के निजी* सहायक जो विभाग क सवग से सबधित नही है ।

नोट —मद 57 के पद धारको के सबध मे कार्यालयाध्यक्ष सयुक्त विभागाध्यक्ष होगा ।

58 पेशकार और कनिष्ठ सहायक पशकार 59 याचिका लिपिक 60 प्रूफ शोधक *61 जनसम्पर्क निदेशालय मे निम्नलिखित पद —पूछताछ अधिकारी सम्पादक* सहायक, पत्रकार, सर्वेक्षक, प्रोडक्शन अधिकारी, व्याख्याता 62 पशकार और मुख्य पेशकार 63, *प्राप्ति लिपिक 64 अभिलेखपाल, सहायक अभिलेखपाल तथा अभिलेख* लिपिक 65 प्रत्यपण लिपिक 66 रोजनामचा लिपिक 68 अनुभाग प्रधारी और अनुभाग लिपिक 69 वरिष्ठ लिपिक जिसमे जिसमे जागीर विभाग के निरीक्षक सम्मिलित हैं 70 लेखन सामग्री लिपिक 71 सांख्यिकी लिपिक 72 आशुलिपिक 73 माल पडतालिया 74 भण्डारी तथा सहायक भण्डारी 75 उपसभाग लिपिक 76 अधीक्षक, महा अधीक्षक, अनुभाग अधीक्षक, जिसमें कार्यालय अधीक्षक एव पजीयक मगनीराम बांगड इन्जीनियरिंग महाविद्यालय, जोधपुर सम्मिलित हैं । 77 पयवेक्षक 78 सारणीकार 79 समयपाल और सहायक समयपाल 80 कार्यालयो के अनुवादक 81 यात्राव्यय लिपिक 82 कार्यालयो के कोषाध्यक्ष, सहायक कोषाध्यक्ष तथा कनिष्ठ कोषाध्यक्ष 83 टकक 84 भाषा लिपिक 85 लेखक 86 ग्राम सेवक 87 मुहाफिजान 88 उप पजीयक, विभागीय परीक्षाए लोपित 89 टिकिट बाबू एव कण्डक्टर, राजकीय परिवहन सेवा, सिरोही 90 देवस्थान विभाग के मैनेजर, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी ※91 दारोगा, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 92 ओहदेदार, प्रथम

※ 91 से 96 देवस्थान विभाग के पद हैं ।

तथा द्वितीय श्रेणी 94 महन्त, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 94 मुखिया, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 95 पुजारी प्रथम द्वितीय श्रेणी 96 गोस्वामी, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी 97 उपसपादक 98 सवाददाता 99 वरिष्ठ प्रूफशोधक 100 निदेशक,कृषि विभाग के निजी सहायक 101 भण्डार पयवेक्षक 102 खेल-कूद एव सहायक 103 पयवेक्षिका 104 महिला दर्जी 105 निरीक्षक, भण्डार एव लेखा 106 अमीन 107, टलीफोन चालक 108 चकबन्दी विभाग के सर्वेक्षक 109 मागदशक 110 कनिष्ठ स्वागतकर्त्ता 111 कारिंदा 112 सचिवालय और राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय के अनुभाग अधिकारी 113 लेखा निरीक्षक 114, अभिलेख सहायक 115 अन्वेषक 116 रिकाड अटेंडेंट 117 छटाई कर्त्ता 118 परिरक्षण सहायक 119 प्रयोगशाला सहायच 120 मुख्य अनुवादक सचिवालय 121 लोक निर्माण (भवन एव सडक) विभाब मे प्रशासन सहायक 122 भेड ऊन कायालय मे मास्ठर कनक 123 प्रशासनिक सहामक 124 मुख्य अनुवादक 125 सहायक मुख्य अनुवादक 126 साक्षर अटेंडेंट 127 देखभालकर्ता (केयरटेकर)* ।

अनूसूची (4) चतुर्थ श्रेणी सेवायें

समस्त विभागो मे निम्नलिखित प्रवर्गों के पदधारक, जसे—

1 शिल्पकार (लोहार, बढई भलाईगर, खरादी, रगसाज आदि) 2 अटेंडेंट जिसम गैलरी अटेंडेंट, वाड अटेंडेंट रिपिटर अटेंडेंट, मब स्टेशन अटेंडेंट सम्मिलित है 3 नाई 4 वरकन्दाज 5 भिस्ती 6 जिल्दसाज तथा सहायक जिल्दसाज 7 बोहारिया 8 बाय जिसमे लाइब्रेरी बाय, टेलीफोन बाय, पैट्रोल बाय सम्मिलित हैं। 9 वस्तावरदार 10 वनिशर 11 गाडीवान 12 गाडी चालक 13 चवालिया 14 चौकीदार 15 जरीबी 16 सिनेमा कमचारी 17 क्लीनर 18 रसोइया 19 कुली 20 दफ्तेर 21 दफ्तरी 22 दाई या मिड वाइफ 23 डाक ले जाने वाला 24 ड्रेसर 25 फर्राश 26 फिल्टर चालक 27 माली(हाली,माली चौधरी आदि) 28 गैंगमेट और गगमैन 29 गेट पास चैकर 30 द्वारपाल और सार्जेंट 31 रक्षक जिसमे कोप रक्षक, वन रक्षक आखेट रक्षक तथा रिजव रक्षक सम्मिलित हैं। 32 हरकारा 33 मददगार 34 होशनाक 35 जमादार 36 कावडिया 37 खलासी 38 श्रमिक जिसम स्थायी श्रमिक तथा कुशल श्रमिक मम्मिलित हैं। 39 लिफ्टमैन 40 लाइन वेलदार 41 मेट और हैडमेड 42 लोपित 43 मोचिया 44 मिगरा और मिगरानदार जिसमें महायक

* [दि 16 10,78 को जोडा गया]

निगरां तथा निगरानेदार सम्मिलित हैं। 45 पदली 46 वेटर 47 पैदल 48 प्रहरी 49 चपरासी 50 बस्तावरदार 51 रोड जमादार 52 मेंहना 53 शिकारी 54 सवार जैसे साईकिल सवार,ऊँट सवार, सुतर सवार,घुड सवार,डाक सवार 55 महतर 56 सईस 57 दर्जी 58 टर्नकी एव सहायक टर्नकी 59 प्रहरी 60 वाडमैट 61 धोबी 62 जलधारी 63 किसान 64 चरवाहा 65 डील 66 मूर्ता 67 भण्डारी 68 बेटर 69 मशालची 70 कोठारी 71 स्टीवड या खानसामा 72 मावदार 73 बावरची 74 बेयर 75 बेरा 76 बेलदार 77 वायलर अटेंडेंट 78 लोपित 79 खान रक्षक 80 पापोशा 81 लोपित 82 पहरायती 83 सरवण 84 टिनमैन 85 लोपित 86 कोठार सेवक 87 गद्दी बनाने वाला 88 मोची 89 लोपित 90 लश्कर 91 सफाई पर्यवेक्षक 92 सिनेमा चालक 93 नादर ड्योढी 94 नादा खिड़की 95 दरबान 96 हजारी 97 नेवगन 98 भण्डार कर्मचारी 99 गार्ड निर्माता 100 सांधागार 101 वल्केनाइजर 102 कलइसाज 103 बटरीमैन 104 मोची 105 रंगसाज ꙮ[106 कोठयारी 107 भण्डारी 108 रोकड़िया 109 तोपखानी 110 अभिषेकी 111 बालभोगी 112 शुभचिन्तक 113 रसोइया 114 टहलवा 115 भापटिया 116 कीतनिया 117 चोवदार 118 हरकारा 119 पोशाक 120 जलघड़िया]121 भवधाता 122 कर समाहृता 123 सहायक कोटार 124 यन्त्रपाल 125 प्रक्षेत्र सेवक 126 मुख्य हलवाला 127 हलवाला 128 मछुआ 129 हैडमेट (देवासा) 130 धोबी 131 प्रादेशिका वाहक 132 लोपित 133 लोपित 134 सपायक बुनाई मास्टर, परिसज्जक, सूत बुनाई सहायक, वायसरम 135 चमडेवाला 136 तुलारा 137 प्रोजेक्ट चालक 138 गेज रीडर 139 प्रयोगशाला सवाहक (शिक्षा विभाग 140 प्रयोगशाला सेवक (शिक्षा विभाग 141 लोहार 142 लोपित 143 खरादी ꙮ144 बाजावाला 145 सारंगिया 146 पखावजिया 147 बाडदार 148 मुखिया 149 पुजारी 150 भीतरिया 151 भापटिया 152 देश का पोशवान 153 नगारची 154 प्रचारक 155 शहनायची] 156 कूपपाल 157 ग्वाला तथा हलवाला 158 सहायक गसमैन 159 मैनुअल सहायक 160 मानचित्र पाल 161 फोरमैन 162 डिजल बॉय 163 मेंड (मरम्मत करने वाला) 167 नौकापाल 168 एलममैन 169 की मैन 170 बें कीपर 171 बाइलर मैन ×172 पुस्तकरक्षक (बुक लिफ्टर)।

ꙮ 106 से 120 तथा 144 से 155 देवस्थान विभाग के पद है।

× दि० 26 10 78 को जोड़ा गया।